लोक-सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

Preservation Unit
14-10-92
Parliament Library

[सातवां सत्र]

6th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No. 51 (1) (2)
Date 7-X-79

[खंड 26 में अंक 41 से 50 तक हैं]

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अंक, 44 बुधवार, 25 अप्रैल, 1979/5 वैशाख, 1901 (शक)

विषय	**पृष्ठ**
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	1--27
*तारांकित प्रश्न संख्या : 866 से 871	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	28--196
तारांकित प्रश्न संख्या : 872, 874,875, 877 से 880 और 883 से 887	28--37
अतारांकित प्रश्न संख्या : 8401 से 8462, 8464 से 8565, 8567 से 8569, 8571, 8573 से 8594 और 8596 से 8600	38--196
स्थगन प्रस्ताव के बारे में प्रश्न	197
सभा पटल पर रखे गये पत्र	197--199
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति — 32वां प्रतिवेदन	198
लोक लेखा समिति — 132वां, 133वां और 141वां प्रतिवेदन	198
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति — 48वां तथा 49वां प्रतिवेदन और कार्यवाही वृतान्त	199
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति — 19वां प्रतिवेदन	199
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के कल्याण संबंधी समिति — अध्ययन दल 1 और 2 के अध्ययन दौरों के प्रतिवेदन	199

*किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
नियम 377 के अधीन मामले	200—208
(एक) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण संबंधी सुविधाओं के बारे में	
श्री राम विलास पासवान	200
(दो) उत्तर प्रदेश में नदियों में प्रदूषण के समाचार	
श्री ओम प्रकाश त्यागी	200
(तीन) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के कर्मचारियों में व्याप्त असंतोष	
श्री के० लकप्पा	201
(चार) पंजाब में लघु औद्योगिक एककों को कच्चे माल की अप्रयाप्त सप्लाई का मामला	
डा० बलदेव प्रकाश	202
(पांच) महाराष्ट्र में कल्याण और उसके आसपास के क्षेत्रों में प्रस्तावित शिव जयन्ती जुलूस से उत्पन्न स्थिति	
श्री जी०एम० बनातवाला	202
(छः) चावल और धान के लाने ले जाने के लिए आंध्र प्रदेश में रेल वैगनों के उपलब्ध न होने का समाचार	
श्री के० सूर्यनारायण	203
(सात) बिहार में नया मंत्रिमण्डल बनाने का मामला	
श्री राजनारायण	204
वित्त विधेयक, 1979	209—304
विचार करने का प्रस्ताव	
श्री हीरा भाई	209
श्री हरि विष्णु कामत	211
श्री वयालार रवि	213
श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा	224
श्री सुशील कुमार धारा	228

विषय	पृष्ठ
श्री ज्योतिर्मय बसु	232
श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी	241
श्री मृत्युजंय प्रसाद	245
श्री के० लकप्पा	251
श्री रामधारी शास्त्री	255
प्रो० पी० जी० मावलंकर	260
डा० बलदेव प्रकाश	264
श्रीमती पार्वती कृष्णन्	269
श्री पवित्र मोहन प्रधान	274
श्री वसन्त साठे	277
श्री यमुना प्रसाद शास्त्री	283
श्रीं के०टी० कोसलराम	287
श्री ए०सी० जार्ज	290
श्री नर्मदा प्रसाद राय	294
श्री ए० मुरूगेसन	297
श्री जी० वाई० कृष्णन्	298
श्री राम नरेश कुशवाह	300
कार्य मंत्रणा समिति	
33वां प्रतिवेदन	304

लोक सभा

बुधवार, 25 अप्रैल, 1979/5 वैशाख, 1901(शक)

लोक सभा ग्यारह बजकर 2 मिनट पर समवेत हुई

(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

गुजरात में जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम

***866. श्री डी० डी० देसाई** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना में सभी राज्यों से आगे हैं ।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं, और

(ग) क्या राज्य में जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम के अच्छे कार्यकरण को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को शीघ्रता पूर्वक लागू करने की केन्द्र की योजनाएं हैं ।

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) गुजरात राज्य उन कुछ राज्यों में से एक है जिनके सभी जिलों में जिला उद्योग केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं ।

(ख) राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से 164 जिला उद्योग केन्द्रों के बारे में वास्तविक उपलब्धि रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं । प्रत्येक जिला उद्योग केन्द्र की औसत वास्तविक उपलब्धि की जानकारी, जिसमें पता लगाए गए उद्यमियों की संख्या, स्थापित एककों की संख्या, पैदा किए गए अतिरिक्त रोजगार के अवसर तथा राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में प्रदान की गई विभिन्न प्रकार की अन्य सहायता की जानकारी सभा पटल पर रखे गये विवरण-1 में दी गई हैं । गुजरात सरकार ने जिला उद्योग केन्द्रों के क्रियान्वयन में कुछ अन्य राज्यों की तुलना में अच्छी प्रगति की है । गुजरात में स्वीकृत 10 जिला उद्योग केन्द्रों की वास्तविक उपलब्धियों को दर्शाने वाला विवरण-2 भी सभा भी पटल पर रखा जाता है ।

(ग) राज्य सरकार को वर्ष 1978-79 के दौरान जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए साधारण नीति के अनुसार 155.02 लाख रुपये की वित्त सहायता प्रदान की गई थी । इस बारे में जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार राज्य सरकार को ऐसी कोई अन्य सहायता देने में केन्द्र को प्रसन्नता होगी जिससे राज्य सरकार अपने कार्यक्रमों में तेजी ला सके ।

विवरण-I

वास्तविक उपलब्धियां (जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	जिला उद्योग केन्द्रों की सरकार		पता लगाए उद्यमियों की सं०	तैयार किए गए परि-योजना प्रोफाइलों की सं०	नए पंजीकरणों की सं०
	स्वीकृत	प्राप्त रिपोर्टें			
1	2	3	4	5	6
1. आन्ध्र प्रदेश	14	11	130	29	99
2. असाम	5	3	49	20	62
3. बिहार	31	9	444	70	311
4. गुजरात	17	10	253	14	123
5. हरियाणा	11	1	72	90	40
6. हिमाचल प्रदेश	12	2	82	119	150
7. जम्मू और काश्मीर	10	10	58	44	121
8. कर्नाटक	13	7	214	107	142
9. केरल	11	4	244	20	359
10. मध्य प्रदेश	45	22	449	77	308
11. महाराष्ट्र	25	14	644	220	96
12. मेघालय	5	1	450	130	—
13 उड़ीसा	13	13	516	108	237
14 पंजाब	7	5	55	105	85
15 राजस्थान	16	9	381	22	548
16 सिक्कम	1	1	30	15	5
17. तमिलनाडू	14	8	369	124	455
18. त्रिपुरा	3	3	—	—	38
19. उत्तर प्रदेश	56	13	227	63	192
20 पश्चिमी बंगाल	15	15	303	156	358
21. ए. एण्ड एन इंसलैंड	1	1	20	34	75
22. ड एण्ड एन. हवेली	1	1	49	49	33
23. पांडिचेरी	1	1	210	40	194
योग *(प्रत्येक जिला उद्योग केन्द्र की अखिल भारतीय औसत)	327	164	316	82	230

1978-79 (प्रति जिला उद्योग केन्द्र औसत) (लाख रुपयों में)

नए एककों की संख्या — कामगर	लघु उद्योग	योग	सहायता प्राप्त रुग्ण एककों की संख्या	वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण	मूल राशि	नगद राज सहायता	पैदा किए गए अतिरिक्त रोजगार के अवसर	अन्य सहायता
7	8	9	10	11	12	13	14	15
258	37	295	1	93.78	5 28	32.51	679	70
12	27	39	1	1.40	0 11	1.80	193	69
349	134	483	2	28.15	0.11	1.00	1388	60
248	81	329	5	15.09	—	21 99	890	297
2	40	42	2	11.00	0.27	—	78	42
11	29	40	—	57.50	0.12	0.34	144	36
23	63	86	1	20.70	1.11	4.20	430	114
440	70	510	13	63.85	0 16	5.45	392	1402
1	84	85	8	3.86	0.21	2.44	301	1111
89	100	189	1	10.00	—	1.26	458	126
392	64	456	1	22.96	3.49	0.05	707	120
84	4	88	—	—	—	—	638	362
126	57	183	7	22.32	0.18	2.41	880	145
44	35	79	—	0.04	0.81	1.30	281	89
84	71	155	3	64.07	0.22	4.80	814	583
16	4	20	1	—	—	—	45	4
225	109	334	3	78.11	0.13	0.75	2029	128
95	38	133	17	3.14	1.67	—	83	67
34	65	99	1	18.52	—	0.04	383	280
54	111	165	—	10.29	0.72	0.25	1005	235
—	9	9	—	5.80	—	4.12	30	50
3	36	39	1	34.70	—	18.60	500	570
14	35	49	1	—	—	9.38	534	570
155	75	230	3	23.78	0.89	5 09	710	229

(*) देश में कुल 346 जिला उद्योग केन्द्रों को स्वीकृति दी गई। चूंकि कहीं-कहीं एक से अधिक जिले के लिए एक जिला उद्योग केन्द्र स्वीकृत किया गया है अतः ये जिला उद्योग केन्द्र 258 जिलों के लिए हैं। कालम 2 में उन जिला उद्योग केन्द्रों की कुल संख्या दी गई है जिनके बारे में राज्यों ने रिपोर्ट भेजी है।

(वि०अ०) लघु उद्योग के कार्यालय के जिला उद्योग केन्द्र सेल में 16.4.79 को उपलब्ध जानकारी के अनुसार।

विवरण — 2

गुजरात

(31 दिसंबर, 1978 तक कार्य में हुई प्रगति)

(लाख रुपयों में)

जिला उद्योग केन्द्र का नाम व पता	पता लगाये गये उद्यमियों की संख्या	तैयार की गई परियोजना प्रोफाइलो की संख्या	स्थापित किए गए नए एककों की संख्या			सहायता प्राप्त रूग्ण एककों की संख्या	प्रदान की गई ऋण सुविधा वित्तीय संस्थान	मूल राशि	
			काममगर	लघु उद्योग	कुल			एककों की संख्या	राशि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
अमरेली	—	—	—	14	14	—	0.50	—	—
बासकंठा	24	—	93	14	107	1	5.31	—	—
बहराइच	1134	75	378	71	449	8	0.84	—	—
भवनागर	65	1	689	305	994	3	8.79	—	—
जूनागढ़	178	1	68	83	151	5	21.23	—	—
कूच	95	20	20	22	42	6	0.45	—	—
पंचमहल	191	—	155	63	218	—	22 25	—	—
साबरकंठा	96	25	762	55	817	23	14.88	—	—
मेहसाना	210	10	—	79	79	2	8.12	—	—
सुरेन्द्र नगर	532	12	311	105	416	3	74.53	—	—
योग	2525	144	2476	811	3287	51	156.90	—	—

नगद राजसहायता				
एककों की संख्या	राशि	पैदा किए गए रोजगार के अतिरिक्त अवसर	अन्य प्रकार की सहायता करने वाले एककों की संख्या	
11.	12	13.	14.	
19	4.05	उ०न०	5	
19	3.18	101	11	—
140	112 00	756	उ०न०	—
51	4.66	1764	उ०न०	
9	3 00	1003	69	
8	9.00	542	46	
139	36.37	225	63	
42	7.99	1600	250	
16	5.61	611	265	
34	34.04	1800	2764	
677	219.90	8902	2975	

श्री डी० डी० देसाई : किसी गांव को उत्पादन में आत्म-निर्भरता प्राप्त कराने के लिये—कुछ धन-राशि व्यय करना अधिकारियों की नियुक्ति करना कार्यान्वियन के लिये कुछ भवनों की व्यवस्था करना, क्या ये सब बातें प्रभावकारी सिद्ध हुई हैं ? क्या मंत्री महोदय, उन सभी अनेकानेक उद्योगों को सुनिश्चित कर चुके हैं, जिन्हें ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित किया जाना है ? क्या उन कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए कोई प्रबन्ध कर लिया गया है, जो ग्रामीण लोगों में आवश्यक ज्ञान का प्रचार-प्रसार करेंगे, जिससे कि माल का संचलन सीमित और आत्म-निर्भरता जो कि सरकार का अन्तिम उद्देश्य है प्राप्त की जा सके ? वे कौन से कार्यक्रम हैं, जो मन्त्री महोदय ने इस सम्बन्ध में बनाये हैं ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : उद्यमियों के प्रशिक्षण का सम्बन्ध तो जिला-केन्द्रों से है। कई योजनाएं चालू हैं। हम जिला स्तर पर पाठ्यक्रमों को चला रहे हैं जहां उद्यमियों की पहचान की जाती है और खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, लघु उद्योग सेवा संस्थान और अन्य सरकारी अभिकरणों के सहयोग से ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित रूप से चलाये जाते हैं। अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड भी एक बड़े पैमाने पर, दस्तकारों और कारीगरों को प्रशिक्षण देने में लगा हुआ है।

जहां तक प्रश्न के प्रथम भाग का सम्बन्व है, जिला केंद्रों की एक विशेष भूमिका है, उनका एक विशेष दायित्व है। एक तो प्रशासनिक भूमिका है, जिसमें वे एक प्रकार के विकेन्द्रित सचिवालयों के रूप में कार्य करते हैं। और जहां एक ही स्थान पर हम स्थानीय उद्यमी को उसके द्वारा किसी उद्योग को स्थापित करने के लिए मांगी गई हर प्रकार की सहायता उपलब्ध कराने का प्रयत्न करते हैं और इसके साथ ही साथ उसे उस उद्योग की पहचान करने योग्य बनाने में, जिसमें वह जाना चाहे, हम सहायता करते हैं। दूसरी भूमिका उसको कच्चा माल, वित्त विपणन तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की है। तीसरा भूमिका है उद्योगों की अभिवृद्धि करना। इसमें प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा अन्य गतिविधियां भी सम्मिलित हैं जिसमें ये केन्द्र बहुत ही अच्छा काम करते रहे हैं।

गुजरात में दस सूचना भेजने वाले जिलों ने, पिछले जिन कुछ महिनों में वे कार्यरत रहे हैं, 9000 लोगों को रोजगार के साधन जुटाए हैं और आगामी 12 मास के लिए उन्होंने कार्यरूप देने के लिये जो योजना तैयार की है, उससे पता चलता है कि इन दस जिलों में वे कम से कम 25000 अतिरिक्त रोजगार के साधन जुटा रहे हैं। अत: मुझे विश्वास है कि ये अच्छा कार्य कर रहे हैं।

श्री डी० डी० देसाई : प्रश्न उन कार्मिकों की योग्यता के संबंध में था जो उन केन्द्रों पर नियुक्त किये जायेंगे दूसरे शब्दों में कहे तो, क्या व्यक्ति की योग्यता उसकी शैक्षणिक अर्हताओं से जांची-परखी जायेगी या उनकी कार्य-निपुणता से ? वस्तुतः मन्त्री महोदय का कहना है कि उनको प्रशिक्षित कर दिया गया है। परन्तु प्रतिवेन से मुझे पता चलता है कि कुछ प्रकार के कार्मिकों के लिये उच्च वेतनमान लागू किये हैं। दूसरे शब्दों में यूं कह सकते हैं कि सम्पन्नता के उन केन्द्रों अथवा कुछ ऐसे उच्च वेतन पाने वाले कार्मिकों से सम्पन्न केन्द्रों की, जो मुश्किल से ही

कार्यकुशल हों, तथा जिनसे बात करते हुए ग्रामीणों को हिचक-झिझक अनुभव करने की सम्भावना हो, स्थापना करने से उद्देश्य निष्फल हो रहा है। परन्तु मैं इस विषय को अलग छोड़ता हूं।

दूसरा प्रश्न मैं मन्त्री महोदय से यह पूछता हूं कि क्या उनके पास प्रत्येक गांव का सर्वेक्षण उपलब्ध हैं जिससे यह पता चल सके कि उनकी आवश्यकता की वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक सूची क्या है, अर्थात प्रत्येक गांव में कितनी सीमा तक कितने क्षेत्रों में वे विकास किये जाने की आशा करते हैं, जिससे कि इन जिला विकास केन्द्रों द्वारा स्थापित किये जाने वाले विभिन्न उद्योगों की उस ग्राम-विशेष में स्थापना की जा सके।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : प्रत्येक जिले का जो आर्थिक सर्वेक्षण, राज्य सरकार तथा अन्य जिला अभिकरणों, दोनों ने ही, मिलकर किया है विशेषकर जो जिले के अग्रणी बैंकों, पथप्रदर्शन करने वाले बैंकों ने किया है, उसमें ये सब सूचना विवरण दिये गये हैं तथा जिला औद्योगिक केन्द्रों की, अपनी गतिविधियां उसी आर्थिक सर्वेक्षण से अनुप्राणित हैं। कार्य-योजना भी अपरिहार्यरूप से, जिले में किये गये आर्थिक सर्वेक्षण पर आधारित हैं, जिसमें उन सभी तथ्यों को जो कि माननीय सदस्य ने गिनाये हैं, समेट लिया गया है।

श्री अनन्त दवे : मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि गुजरात में जितने डिस्ट्रिक्ट इण्डस्ट्रीज सेन्टर शुरू हुए हैं उनमें कुछ ऐसी जगहें भी हैं जो कि बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं तो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए कोई इंसेन्टिव देने की बात सोच रहे हैं ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : अध्यक्ष जी, जो बैकवर्ड जिले हैं उनमें अभी जो इन्वेस्टमेन्ट सब्सीडी वगैरह है वह जिला औद्योगिक केन्द्रों के माध्यम से, जो उद्योग लगाए जायेंगे, उनपर लागू हो जाएगी। इसके अलावा जिला औद्योगिक केन्द्र के माध्यम से कोई सुविधा देने का सवाल नहीं है। आज जब विकास काम को जिला स्तर से शुरू किया गया है तब इन्सेन्टिव का कोई महत्व रहता है ऐसा मैं नहीं मानता। अब जिला औद्योगिक केन्द्रों को लोकल रा-मैटीरियल, लोकल टैलेन्ट और लोकल मार्केट को मद्देनजर रखकर काम शुरू करना है।

श्री प्रसन्न भाई मेहता : गुजरात में औद्योगिक केन्द्रों का सामान्य कार्यनिष्पादन अच्छा ही पाया गया है। मन्त्री महोदय इस तथ्य से अवगत हैं कि अभी भी सुधार की बड़ी गुंजाइश है और योजना को अन्तिम रूप देने में असाधारण विलम्ब होता है। मुख्य रूप से वित्तीय अभिकरणों द्वारा और योजनाओं की जांच में विलम्ब किया जाता है। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने इन असाधारण विलम्बों को दूर करने के लिए, क्या उपाय किये हैं ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : महोदय, जहां तक बैंकों का प्रश्न है, हमने प्रत्येक जिला औद्योगिक केन्द्र में प्रबन्धक (वित्त) रखे हुए हैं। अभी तो, अधिकांश प्रबन्धकों को बैंकों ने स्वयं ही, दो वर्ष के दत्तकार्य के लिए, प्रतिनियुक्ति पर भेजा है। अतः, जिला औद्योगिक केन्द्रों के नेतृत्व में स्थापित किये जाने वाले नये एककों के लिए; जो छोटे उद्यमी अपनी ऋण आवश्यकताओं को लेकर जिला औद्योगिक केन्द्रों के पास आते हैं, तथा जिला औद्योगिक केन्द्रों के कार्यक्षेत्र में पड़ने वाले छोटे

एककों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति उचित सीमा तक की जाती है। 'कम-बढ़' मैं इसलिए कहता हूं, चूंकि बैंकों ने कुछ ऐसा रवैया अपनाया हुआ है कि वे छोटे एककों पर उतना ध्यान न देकर, अभी भी बड़े कार्यभागों की ओर अधिक ध्यान देते हैं। परन्तु जहां कहीं भी इस समस्या पर ध्यान आकृष्ट हुआ है, सरकार ने अनेक निर्णय लिये हैं। आज भारतीय रिजर्व बैंक तथा बैंकिंग-संस्थान अपने को जिला औद्योगिक केन्द्रों के कार्यक्रमों से भली-भांति सम्बद्ध किये हुए हैं और हमारा निरन्तर यह देखने का प्रयास रहता है कि कोई कठिनाई पैदा न हो।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : मन्त्री महोदय ने यह स्वीकार किया है कि गुजरात में औद्योगिक विकास कार्यक्रम पर्याप्त तेज तथा काफी संतोषजनक रहा है और उन्होंने यह भी कहा है कि 10 जिला केन्द्रों ने संतोषजनक प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं। उस सन्दर्भ में क्या मैं यह जान सकता हूं कि कुल 19 जिलो में से, वे 9 कौन से जिला केन्द्र हैं जो इससे कहीं कम संतोषजनक प्रगति प्रदर्शित करते रहे हैं तथा क्या सरकार ने इस प्रश्न पर भी विचार किया है कि वे भी संतोषजनक ढंग से प्रगति क्यों नहीं कर रहे ? इससे आगे क्या वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि ये जिला उद्योग केन्द्र यह भी देखने का प्रयत्न करेंगे कि उद्योगों की विशेषकर उन छोटे पैमाने के क्षेत्रों में फैले उद्योगों की जो कि पहले ही से अच्छा काम कर रहे हैं, परन्तु जिन्हें कुछ नौकरशाही तथा अन्य अड़चनों द्वारा तंग किया जाता है या उनके कार्य में बाधा डाली जाती है, उचित ढंग से सहायता की जाएगी ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैंने यह तो नहीं कहा कि 9 जिलों में संतोषजनक ढंग से कार्य नहीं हो रहा। मेरा तो यह कहना कि 10 जिलों ने रिपोर्टें भेजी हैं। हमें नौ जिलों से भी प्रतिवेदन मिले हैं। तो, इसका कारण यह है कि जिला औद्योगिक केन्द्र कार्यक्रम गुजरात में चालू किया गया था, परन्तु राज्य सरकार ने प्रथमतः 10 जिलों को लेने का निर्णय किया। यह गत वर्ष की प्रथम मई की बात है। शेष 9 जिलों में उन्होंने गत वर्ष 2 अक्तूबर को काम चालू किया अतः, केन्द्रों को स्थापित करने तथा कर्मचारियों आदि को वहां भेजने के जिस समय का उन्होंने निर्णय लिया, तब से अब तक रिपोर्ट करने की कोई खास काम नहीं हुआ है। यह भी तो देखना है कि कर्मचारियों को काम की पहचान करने, प्रशिक्षण प्राप्त करने आदि में ही, दो या तीन मास का समय निकल जाता है। फिर भी, इन शेष 9 जिलों द्वारा तैयार की गई कार्य-योजना के साथ-साथ उनके द्वारा किये जा रहे कार्य को लेखा हमें बराबर मिलता रहा है। जहां तक उन नौकरशाही समस्याओं का प्रश्न है जो कि उनकी गतिविधियों के दौरान छोटे उद्योगपतियों को झेलनी पड़ती हैं, महोदय मेरा यह कहना है कि हमारे मत से श्रि० औ० के० यह प्रयास करते रहते हैं कि नौकरशाही की अड़चनें कम से कम हों।

भूमिगत नागाओं द्वारा कोहिमा में मारे गए सैनिक

***867. श्री पी० एम० सईद :**

श्री जनार्दन पुजारी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 27 मार्च, 1979 को कोहिमा में भूमिगत नागाओं द्वारा सात सैनिक मारे गये थे;

(ख) यदि हां, तो घटना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बहुत से सुरक्षा कर्मचारी भी घायल हुए थे; और

(घ) यदि हां, तो क्या कोई भूमिगत नागा गिरफ्तार किए गए ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) से (घ) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

27 मार्च, 1979 को प्रात: 6-40 बजे 8वीं असम राइफल का एक प्रशासकीय गश्ती दल जिसमें 21 जवान (10 बिना शस्त्र और 11 सशस्त्र) थे, मोन जिला के वांगती से टुएनसांग जिला के छंगलगसू स्थित 'त्रि जंकशन' चौकी की ओर डिफेंस स्टोर लाने के लिए जा रहा था, उस पर असम राइफल के बांगती और 'त्रि जंकशन' चौकियों के बीच में कुछ बदमाशों ने गोली चलाई। असम राइफल दल ने जवाब में गोली चलायी। लगभग 20 मिनट तक मुकाबला होता रहा और जब दोनों चौकियों से और कुमुक पहुंची तो बदमाश भाग गए। 7 व्यक्ति मारे गए तथा 4 घायल हुए, ये सभी असम राइफल गश्ती दल के थे। बताया गया है कि मृतक कार्मिकों से बदमाश एक एल एम जी, 3 राइफल और कुछ गोला बारूद ले गए। 'त्रिजंकशन' चौकी से एक सशक्त दल तथा वांगती से अतिरिक्त जवान इन क्षेत्रों में छानबीन आदि के लिए भेजे गए हैं। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है।

श्री पी० एस सईद : विवरण से यह प्रतीत होता है कि हमारी तरफ के 21 जवानों में से 7 मारे गये और 4 घायल हुए। बदमाश मृतकों के हथियार ले गये बताते हैं। हमारे 21 जवान थे (10 बिना शस्त्र और 11 सशस्त्र)। तो 11 व्यक्तियों का तो पता चल गया जिसमें 7 मर गये और 4 घायल हुए। परन्तु शेष 10 लोगों का क्या हुआ ? विवरण से यह स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। यह घटना 27 मार्च को घटी और अभी तक भी, इस सम्बन्ध में किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। इस घटना को गम्भीरता पूर्बक लेने में सरकार निष्फल रही है। यह घटना घटी भी तो एक ऐसे संक्षोभ्य क्षेत्र में हैं। उन्होंने यह नहीं बताया कि उन शेष बचे 10 व्यक्तियों का क्या हुआ।

श्री धनिक लाल मण्डल : यह ठीक है कि असम राइफल गश्ती दल पर घात लगाकर गोली चलाई गई और बदमाशों तथा असम राइफल हल में बीस मिनट तक गोली चली जिसमें वस्तुतः 7 व्यक्ति मारे गये और 4 घायल हुए। और बदमाश कुछ हथियार भी ले गये।

अध्यक्ष महोदय : शेष बचे व्यक्तियों का क्या बना ? **(व्यवधान)**

श्री धनिक लाल मन्डल : जो कोई भी नाम आप दें आप दे सकते है ; आप कह सकते हैं : भूमिगत विद्रोही नागे ।

अध्यक्ष महोदय : रेड्डी जी, आप तो इसका उत्तर नहीं दे रहे। केवल एक मात्र प्रश्न यह है कि अन्य दस व्यक्तियों का क्या हुआ ?

श्री धनिक लाल मण्डल : वे सुरक्षित है । उस घटना के बाद खोज पर खोज हुई और कुछ हथियार बरामद किये गये । कुछ लोगों से पूछताछ भी की गई परन्तु हमें कोई निश्चित सूचना नहीं मिली है । परन्तु हमें ऐसा संदेश है कि ये वे भूमिगत नागे है जो अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के उस पार बर्मा में डेरे जमाये हुए है।

श्री पी० एम० सईद : उन्होंने बताया है कि कुछ लोगों से पूछताछ की गई है । अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है । क्या मैं यही समझूं ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यही बतलाया ।

श्री धनिक लाल मण्डल : मैंने यही कहा है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्तुत किये गये विवरण यह बात कही गई ।

श्री पी० एम० सईद : यह बात नही है कि सभी नागा लोग बुरे हैं। नागा छात्र भी, जब नागालैंड से निकलकर बाहर आते हैं तो, यही कहते हैं कि सभी भारतवासी बुरे नहीं हैं और उनमें अच्छे लोग भी हैं। यह तो उनसे व्यवहार करने का प्रश्न है। मैं एक ऐसे क्षेत्र का रहने वाला हूं जहां नौकरशाहों को पूरी छूट दी जाती है ।

अध्यक्ष महोदय : जिस बात की आप चर्चा कर रहे है यह तो नीति से संबंध हैं ।

श्री पी० एम० सईद : मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं । उन्हें मानव अधिकार नही दिये जाते । यह एक सच्चाई है । यह मुझे लक्ष्य द्वीप स्वयं के अनुभव से पता है ।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु यहा पर यह प्रश्न नहीं है ।

श्री पी० एम० सईद : नौकरशाह उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे वे कोई दास हों। यह बात में निश्चित रुप से जानता हूं। यह घटना कोई एक मास पूर्व घटी है। अब तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। में महोदय और सरकार को भी यह सुझाव दूंगा कि दुर्व्यवहार की घटना की जांच कराने, घटना की न्यायिक जांच कराने के लिए एक आयोग की नियुक्ति करें ।

गृह मंत्री (श्री एच0 एम0 पटेल) : मेरे माननीय मित्र का कहना है कि उन्हे अनुभव है । मैं यह नहीं जानता कि उन्हें लक्ष द्वीप के बारे में क्या अनुभव हैं ।

(व्यवधान)

श्री पी० एस० सईद : हमें आपकी नौकरशाही का अनुभव है।

श्री एच० एम० पटेल : कृपया मेरी बात सुनिए। यह घटना-विशेष नागालैंड और बर्मा की सीमा पर घटित हुई। वहां पर तो पहले से ही कुछ विद्रोही, कुछ चीन लौटकर आये विद्रोही लोग, जिनका मुख्यालय बर्मा में है, जो सीमा के इस ओर आ जाते हैं और अभी तक भी उपद्रव करते रहते हैं। इसी कारण से इस असम राफल्स को वहां भेजा गया है। **(व्यवधान)**।

अध्यक्ष महोदय : कवंर लाल गुप्त जी यह सब क्या हो रहा हैं ? आप सब इस तरह से खड़े हैं, क्या यह ठीक हैं ?

श्री एच० एम० पटेल : घात लगाकर हमला करने का अर्थ यह हैं कि लोग किसी भौगोलिक स्थिति का लाभ उठाते हैं और इस प्रकार वे इस दल को अकस्मात अपना शिकार बना बैठे और इसलिए ही वे बहुत संख्या मे लोगों को मार डालने में सफल हो गये। आप एक जगह खड़े नहीं रह सकते। आपको घूमते रहना पड़ता हैं। जब बे यह कहते है कि शेष बचे लोगों का क्या हुआ तो यह कोई गणना का प्रश्न नहीं है, हो सकता है वे विभिन्न स्थानों पर हों। दृश्य उपस्थित करना सम्भव नहीं है, परन्तु यह बात निश्चित रुप से सत्य है कि उन्होंने भी जबाब में गोली चलाई। अत: कोई यही कह सकता है कि यह एक घटना थी जो यहां घटी।

(व्यवधान)

इस बात की आपको खुली छूट है कि आप जैसी चाहे राय बनाये, परन्तु यह कोई ऐसा मामला नही है जो न्यायिक जांच या अन्य किसी प्रकार की जांच की मांग करता हो। यह तो एक ऐसा सीधा साधा मामला है जो घटित हुआ और जहां घात लगाकर किये गये। हमले में हमारे बहुत से जवान मारे गये यह सैन्य संहिता द्वारा जांच का तो विषय हो सकता है। यह देखना उनका काम है कि आवश्यक चौकसी बरती गई थी या नहीं। उनकी जांच पहले से ही चल रही है और रिर्पोट शीघ्र मिल जायेगी।

श्री पी० एम० सईद : क्या आप जांच के लिए सैन्य संहिता को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं ?

श्री एच० एम० पटेल : यह कोई तैयार रहने जैसा मामला या प्रश्न है ही नहीं। परन्तु जब कभी कोई ऐसी घटना घटती है ऐसा अपरिहार्य रूप में होता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह सब क्या हो रहा है ? बीच-बीच में ही आप बहुत से प्रश्न पूछते जा रहे हैं।

श्री पी० एम० सईद : नहीं, यह तो एक अपूर्ण प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : क्या अपूर्ण हैं ?

(व्यवधान)

नहीं, नहीं आप तो प्रश्न रख चुके हैं।

श्री पी० एम० सईद : वे जानबूझकर जानकारी को दबा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : वे जानबूझकर जानकारी को नहीं छिपा रहे हैं।

श्री जनार्धन पुजारी : यह एक संवेदनशील क्षेत्र हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं सदस्यो से निवेदन करता हूँ कि पहले तो वे प्रश्न-पत्र को पढ़े और उसके बाद प्रश्न पूछने के लिए खड़े हों।

श्री जनार्धन पुजारी : यदि आप कृपया प्रश्न को पढ़े तो;

"क्या यह सच है कि 27 मार्च, 1979 को कोहिमा में भूमिगत नागाओं द्वारा 7 जवान मार डाले गये।"

"भूमिगत नागा लोग" यही तो प्रश्न है उत्तर में यह पता नहीं चलता कि उन्हें भूमिगत नागाओं ने मारा। क्या वे लोग चीनियों द्वारा मारे गये ? क्या उन लोगों को पाकिस्तानियों ने मारा। घटना 27-3-79 को घटी।

अध्यक्ष महोदय : पाकिस्तान तो कोहिमा के इस ओर है।

श्री जनार्धन पुजारी : इसीलिए तो निवेदन कर रहा हूं कि घटना 27.3 79 को घटी। आज 25 अप्रैल है। मेरा यह कहना है कि क्या उत्तर संतोष जनक है ?

लोग सन्तुष्ट नहीं हुए हैं। राज्य सभा और लोक सभा दोनो ही में प्रश्न पूछे गये थे परन्तु उत्तर संतोष जनक नहीं थे। वहां तो नागालैंड और आसाम में सीमा विवाद चल रहा है। तो, क्या यह केन्द्रीय सरकार का कर्त्तव्य नहीं हो जाता कि मामले की इस आशय से जांच कराये कि क्या यह इन दो राज्यों के विवाद का परिणाम है और क्या यह भूमिगत नागाओं द्वारा की गई कार्यवाही का परिणाम है ? क्या इस बात का पता लगाना, केन्द्रीय सरकार का कर्त्तव्य नहीं है ! क्या पर्याप्त समय नहीं मिला है ? क्या हमारा यह कहना उचित नहीं है कि उत्तर देने का यह तरीका अनउत्तरदायित्वपूर्ण है ?

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है कि बार-बार वही एक बाद दोहराई जा रही है ? बारम्बार दोहराने से ही क्या प्रश्न तैयार हो जाता है ? "क्या यह" कोई दर्जन बार आया है। एक प्रश्न पर पहले ही 20 मिनट बीत चुके हैं।

श्री जनार्धन पुजारी : मेरा प्रश्न यह है कि क्या मन्त्री महोदय ने मामले की जांच कराने के लिए कुछ उपाए किए हैं और क्या सरकार को यह पता चल गया है कि यह अत्याचार किसने किया अथवा इस क्षेत्र के लोगों के साथ ऐसी भयानक वारदात किसने की ?

श्री एच० एम० पटेल : माननीय सदस्य ने यहां पर असम और नागालेंड के बीच चल रहे सीमा विवाद के प्रश्न को उठाया। शायद, उन्होंने ध्यान से मानचित्र को नहीं देखा है। उन्होंने देखा होता कि यह घटना असम और नागालैण्ड की सीमा पर नहीं घटी है। यह तो नागालैण्ड और बर्मा की सीमा पर घटी है। हम जानते हैं कि कुछ असन्तुष्ट तथा अप्रसन्न नागा लोग बर्मा चले गये हैं और वहां अपना मुख्यालय स्थापित कर लिया है, वे ही लोग नागालैण्ड में आते रहते हैं। कुछ न कुछ गड़बड़ी करते रहते हैं एक और भी घटना घटी है। जिसमें उन्होंने कुछ माल चोरी कर लिया है।

परन्तु इस मामले में वे घात लगाकर हमला करके असम रायफल के कुछ जवानों को मारने में वास्तव में ही सफल हो गये हैं।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : मंत्री महोदय ने बताया है कि नागा बर्मा बोर्डर पर असम राइफल्ज के जवानों पर हमला उन लोगों ने किया जो बर्मा के अन्दर कैम्प लगाए हुए थे और चीन से ट्रेनिंग लेकर आए थे। जो लुक छिपकर चीन से ट्रेंड हो कर आते हैं उनकी संख्या एक दो नहीं ढाई ढाई और तीन तीन सौ होती है। और वे लोग बर्मी टैरिटरी में कैम्प बना कर रहे हैं तो क्या सरकार ने चूंकि बर्मा हमारा मित्र देश है, उसके साथ मिलकर इन अंडर ग्राउंड नागाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की बात कभी सोची है और हां तो कब और क्या कार्रवाई उसने इसके बारे में की है ?

श्री एच० एम० पटेल : इसका उत्तर है, हां हम बर्मा सरकार से इस पर ध्यान देने के लिए कहते तो अवश्य रहते हैं। दुर्भाग्य से बर्मा का आदेश पत्र अत्यधिक रूप से उस क्षेत्र में नहीं चलता, यद्यपि यह औपचारिक रूप से यह बर्मा का क्षेत्र है।

श्री वी० एम० सुधीरन : ऐसी सूचना मिली है कि नागा विद्रोहियों को चीन हथियार देता है। क्या मैं मन्त्री महोदय से यह पूछ सकता हूं कि क्या यह बात सत्य है ? यदि बात ऐसी ही है तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या उपाय किये हैं ?

श्री एच० एम० पटेल : हमें यह सूचना मिली है कि ये असन्तुष्ट नागा लोग कुछ क्षेत्रों में जाते हैं और चीन में प्रशिक्षित होते हैं। हो सकता है कि उन्हें कुछ हथियार भी दिए जाते हों। इससे आगे हमें और कोई सूचना नहीं है। वास्तव में, यह बात हमारे विदेश मन्त्री के हाल के दौरे के समय भी उठाई गई थी कि उन्हें ऐसी सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। उससे अधिक हमारे पास और कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में बंगला-देश से आए शरणार्थियों को बसाया जाना

***868 श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अब तक भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) से आए कितने शरणार्थी परिवारों को बसाया गया है;

(ख) इन परिवारों को खेती योग्य भूमि, मकान के लिए भूमि, वित्तीय सहायता आदि सहित दी गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वहां बसे शरणार्थी परिवारों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), से (घ) ; एक विवरण तथा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

भूतपूर्व पूर्वी बंगाल (अब बंगला देश) से 3666 शरणार्थी परिवार अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में बसाए गए हैं जिनमें से 2861 परिवारों का गृह मंत्रालय की उपनिवेश योजना के अधीन बसाया गया था और 805 परिवारों को पुनर्वास विभाग के विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम के आधीन बसाया गया था। पहले 1950 के आसपास कुछ इसी प्रकार के परिवारों को पश्चिम बंगाल सरकार की एजेन्सियों के द्वारा बसाया गया था। ब्यौरे सहज उपलब्ध नही हैं और यथा अवधि सदन के पटल पर रख दिये जाएंगे ।

2. उपर्युक्त दो योजनाओं के अधीन परिवारों को दी गई सुविधाओं के ब्यौरे इस प्रकार हैं—

(क) **उपनिवेश योजना** : अन्दमान द्वीप समूह में कार्यान्वित की गई थी और सहायता का तरीका इस प्रकार था :—

(i) प्रत्येक परिवार को 5 एकड़ धान की कृषि के लिए भूमि और 5 ऐकड़ वृक्षयुक्त पहाड़ी भूमि ।

(ii) परिवार को कलकत्ता से पोर्ट ब्लेयर तक की प्रारम्भिक यात्रा के लिए निःशुल्क पास ।

(iii) 12 महीनों के लिए 15 रु० प्रति व्यस्क तथा 10 रु0 प्रति बच्चे की दर से नकद दान जो अधिकतम प्रति परिवार प्रति महीने 70 रु० हो सकता हो ।

(iv) निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए 1730 रु० तक ऋण :—

(क) जुताई के पशुओं के एक जोड़े के लिए 700 रु० ।

(ख) मकान बनाने के लिए 800 रु० ।

(ग) बर्तनों के लिए 130 रु० और

(घ) बीज, खाद आदि के लिए 100 रु० ।

(ख) विशेष क्षेत्र विकाश कार्यक्रम : बेटापुर मिडल अंदमान) नील और लिटल अन्दमान में कार्यान्वित किया गया था।

बेटापुर और नील में सहायता का तरीका इस प्रकार था :

(क) कृषक परिवार :

(i) प्रत्येक परिवार को धान की कृषि के लिए 5 एकड़ भूमि और 1/3 एकड़ वास भूमि।

(ii) प्रत्येक परिवार को 7225 रु० की दर से ऋण और 450 रु० की दर से अनुदान।

(ख) लघु व्यापार परिवार

(i) 2 एकड़ व्यापार और वास भूमि;

(ii) प्रति परिवार 7000 रु० ऋण, 450 रु० अनुदान के रूप में।

लिटल अन्दमान में सहायता का तरीका इस प्रकार था—

(क) कृषक परिवार

(i) प्रति परिवार 5 एकड़ कृषि भूमि और 1/3 एकड़ वास भूमि।

(ii) अनुदान : आगमन की तारीख से उनको स्थायी रूप से आवंटित भूमि पर पहली फसल की कटाई तक परिवार के आकार के अनुसार निर्धारित दरों पर प्रत्येक परिवार को मुख्य भूमि से अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह तक निशुल्क पास नकद दान। आर्थिक सहायता प्राप्त राशन के लिए अनुदान, निर्वाह सहायता, कपड़ों के लिए अनुदान, विवाह अनुदान आदि दिया जाता है। यह औसतन प्रति परिवार 3300 रुपए बनता है।

(iii) प्रति परिवार ऋण

(क) मकान बनाने के लिए	3000-00 रुपए
(ख) जुताई के लिए पशु	1200-00 रुपए
(ग) कृषि उपकरण	800-00 रुपए
(घ) कृषि निवेश	1500-00 रुपए
(ङ) खेत पुश्ता.	1200-00 रुपए
(च) पूरक आय	800-00 रुपए
(छ) सिंकिंग वैल	200-00 रुपए
जोड़	8700-00 रुपए

लघु व्यापार परिवार :

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को 2 एकड़ कृषि भूमि और 800 वर्ग गज वास भूमि और शहरी क्षेत्रों, 800 वर्ग गज वास भूमि आवंटित की जाती है।

(ii) परिवार के आकार के अनुसार निर्धारित दरों पर मुख्य भूमि से अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह तक निःशुल्क पास, नकद दान और निर्वाह सहायता आदि।

(iii) ऋण

(क) प्रति परिवार मकान निर्माण ऋण—3000-00 रुपए

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति परिवार 3000 रुपए तथा शहरी आवास क्षेत्रों के लिए 5000 रुपए प्रति परिवार दर से व्यवसायिक ऋण।

3 बसे हुए शरणार्थी परिवारों की कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये समस्याए इस प्रकार हैं—

(i) उप निवेश योजना के अन्तर्गत प्रत्येक परिवार को 5 एकड़ खेती योग्य भूमि तथा 5 एकड़ पहाड़ी भूमि का दिया जाना था। इस योजना के आधीन बसाए गए 26 परिवारों की खेती योग्य भूमि का उनका पूरा कोटा नहीं दिया जा सका क्योंकि ऐसी भूमि उनकी जोतों के नजदीक उपलब्ध नहीं थी। निकटवर्ती भूमि का पता लगाने तथा ऐसे निवासियों को इसे स्वीकार करने के लिए राजी करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(ii) योजना के आधीन पहाड़ी भूमि आवंटित किए गए बसने वालों में से 838 निवासी अपनी भूमि का इसलिए प्रयोग नहीं कर सके कि इमारती लकड़ी अभी तक काटी नहीं गई है।

इसके लिए प्रयत्न जारी हैं।

(iii) उपनिवेश योजना के आधीन कुछ बसने वालों ने शिकायत की है कि उन पर ऋण का अधिक भार पड़ा हुआ है। जारी किए गए मार्गदर्शी निदेशों का ध्यान में रखते हुए, मामले के गुणोदोष के आधार पर ऋणों को पूरे तौर पर या आंशिक रूप में बट्टे-खाते डालने के लिए सरकार ने प्रशासन को अनुदेश पहले ही जारी कर दिए है। अभी तक पात्र मामलों में 489683 रुपये की रकम के ऋणों को बट्टे-खाते डाला गया है।

(iv) पर्याप्त अन्तरद्वीप जहाजरानी सुविधाओं की कमी उनके लिए एक अन्य कठिनाई है। इस समय 3 अन्तरद्वीप जहाज हैं और छठी योजना की अवधि के दौरान 3 और खरीदने का प्रस्ताव है। सिंचाई सुविधाओं, पीने के पानी तथा बिजली की कमी के बारे में भी शिकायतें रही हैं। छठी पंचवर्षीय योजना में सिंचाई, पीने के पानी की आपूर्ति तथा बिजली के लिए उपयुक्त योजनाएं तैयार की गई हैं। निवासियों की उपर्युक्त समस्याओं को दूर करने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में प्रावधान कर दिए हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : ऐसा लगता है कि कुछ प्रदेशों से आने वाले लोगों के साथ उन्होंने सौतेला रुख अपनाने का निर्णय लिया है। इस बारे में कोई सन्देह नहीं है। मै मन्त्री महोदय से यह पूछता हूं कि क्या यह सत्य है कि दो प्रकार के प्रवासी परिवार हैं, एक तो वे हैं जो शरणार्थी प्रब्रजक हैं और दूसरे केन्द्र सरकार के नामित व्यक्ति है ? क्या यह सच है कि चाहे उनका कुछ भी विवरण हो, केन्द्र सरकार के नामित व्यक्तियों को गृह-निर्माण, बर्तनों, पशुओं के लिए—25000 रुपये का अनुदान और 11 एकड़ भूमि—एक एकड़ घर-आंगन के लिए और 10 एकड़ कृषि तथा बाग-बगीचे के लिए दी जाती है, जबकि भूतपूर्व प्रब्रजक शरणार्थी परिवारों को उसी उद्देश्य के लिए 4000 रुपये अनुदान और 8000 रुपए ऋण के रूप में सरकार से मिलते हैं और उसके साथ-साथ आधा एकड़ बसने के लिए पांच एकड़ धान की खेती आदि के लिए दिये जाते हैं ? क्या यह सत्य है ? यदि सत्य है तो इसका क्या स्पष्टीकरण है तथा दो वर्गों के लोगों में ऐसा भेद-भाव किस लिए किया जा रहा है ?

श्री एच० एम० पटेल : सभी तो शरणार्थी हैं। यहां तक कि नामित लोग भी शरणार्थी हैं !

श्री ज्योतिर्मय बसु : कृपया हमें भ्रम में न डालें।

श्री एच० एम० पटेल : किसी भी व्यक्ति को विशेषकर आपको भ्रमित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार से यह काम आसान नहीं है।

श्री एच० एम० पटेल : इस अवस्था में तो मैं आपको केवल उन योजनाओं के बारे में सूचना दे सकता हूं जो लागू हैं। ये सभी योजनाएं काफी समय पहले चालू हुई। अब तो हम उनको चला रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : दो प्रकार के शरणार्थियों के बीच इस प्रकार का भेद-भाव क्यूं बरता जा रहा है ? एक तों वे उजड़े हुए लोग हैं जिन्हें देश-विभाजन के बाद उनके बाप-दादाओं के घरों से निकाल बाहर किया गया। उनके साथ निम्न कोटि के प्रब्राजकों जैसा व्यवहार किया जाता है जबकि केन्द्र सरकार द्वारा नामित व्यक्तियों के साथ, जिनका दूसरा घर भी है, कहीं अधिक अच्छा व्यवहार किया जाता है। मेरा उससे कोई विद्वेष नहीं है। परन्तु मै यह जानना चाहता हूं कि ऐसा भेदभाव क्यों तथा जैसा कि अन्य प्रजाति के लोगों के साथ किया जाता है, इन शरणार्थी प्रब्रजकों के साथ एक जैसा व्यवहार क्यों नहीं किया जाता ?

गृहमन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिकलाल मण्डल) : जिन भूतपूर्व-सुरक्षा कर्मचारियों को निकोबार कार निकोबार और अन्य स्थानों पर बसाया गया है, उन्हें यहां से कुछ अनुबन्धों के अधीन भेजा गया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : किसने वह अनुबन्ध किया ?

श्री धनिक लाल मण्डल : हमने।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इसमें भेद-भाव क्यों रखा गया है ?

श्री धनिक लाल मण्डल : ऐसा कोई भेद-भाव नहीं रखा गया है। लोगों को वहां कुछ योजनाओं के अधीन भेजा गया है। वहां पर लोगों को, विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अधीन भेजा गया है। एक नहीं, अनेक योजनाएं हैं। (**व्यवधान**) । लोगों को बस्तियां बसाने की योजना के अन्तर्गत भेजा गया है। लोगों को गृह मन्त्रालय ने पुनर्वास योजना के अधीन भेजा है। ये सभी योजनाएं वहां चालू हैं और उनकी अलग-अलग शर्तें हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। वहां की सभी योजनायें मनुष्य द्वारा तैयार की गई योजनायें हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान हुए विभाजन में जो अभागे लोग शिकार हुए थे उनमें से कुछ के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है तथा कुछ के साथ उदारतापूर्वक व्यवहार किया जा रहा है। मैं पहली वाली श्रेणी के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि आपको उनको भी वैसी ही सुविधायें देनी चाहिए जैसा कि अन्य को दी जा रही है। उनको सुविधायें न देने का क्या औचित्य है ? मण्डल योजना को उन्हें भुला देना चाहिए। मण्डल योजना से कुछ भी नहीं होने वाला है। वहां पर जो भी भेदभाव किया जा रहा है, हमें उससे चिंता है। श्री पटेल को इसका उत्तर देना चाहिए। मैं उनसे एक विवेकशील उत्तर की अपेक्षा करता हूं।

श्री एच० एम० पटेल : मै इस बात को स्पष्ट करने के लिए तैयार हू। जहां तक भूतपूर्व सैनिकों का सम्बन्ध है उनके पुनर्वास के लिए एक पृथक योजना है। आप इसे कुछ अन्तर अथवा भेदभाव की संज्ञा दे सकते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वहां पर भेदभाव किया जाता है।

श्री एच० एम० पटेल : नहीं, ऐसा नहीं है। जहां तक शरणार्थियों का सम्बन्ध है उनको बड़ी संख्या में वहां पर बसाया गया है, इसलिए हम उनको सुविधायें देने का प्रयास करते हैं। यह एक निर्धारित योजना नहीं है। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। लेकिन वहां पर बसाये जाने वाले लोगों तथा अन्य लोगों की संख्या को ध्यान में रख कर, उनको उपलब्ध कराई जाने वाली भूमि को तथा उनको अन्य नकद धन की सुविधाओं को उपलब्ध कराने आदि सुविधाओं को ध्यान में रखकर कल्पना की जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय : श्री दिलीप चक्रवर्ती।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा एक दूसरा अनुपूरक प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं आप दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछ चुके हैं। (**व्यवधान**)

श्री ज्योतिर्मय बसु : अभी मैंने दूसरा अनुपूरक प्रश्न अभी नहीं पूछा है।

अध्यक्ष महोदय : उसको अनुमति नहीं दी गई है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, आप भली-भांति जानते हैं। मेरे प्रथम अनुपूरक प्रश्न का भी उत्तर नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : यह आप पर निर्भर करता है······

श्री ज्योतिर्मय बसु : नहीं मैंने अभी दूसरा अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। श्री दिलीप चक्रवर्ती।

प्रो० दिलीप चक्रवर्ती : महोदय, दिये गये उत्तर से काफी भ्रम उत्पन्न हुआ है। मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि शरणार्थियों को बस्तियों में बसाने का कार्य तीन चरणों में हुआ है। मंत्री महोदय यदि गलत समझें तो इससे इन्कार कर सकते हैं प्रथम चरण में पश्चिम बंगाल सरकार ने 1949 में कई सौ परिवार भेजे थे। केन्द्रीय मंत्रिपरिषद के 1952 में निर्णय के अनुसार दूसरे चरण में बस्तियां बसायी गई। तीसरे चरण में पुनर्वास मंत्रालय के माध्यम से भूतपूर्व सैनिकों तथा शरणार्थियों को भेजा गया। इस समय वहां पर दो प्रकार के भेदभाव मौजूद हैं। पहला भेदभाव यह है कि एक शरणार्थी तथा दूसरे शरणार्थी के बीच भेदभाव है। पहले जो शरणार्थी गये थे उनको 5,000 रु० की तुरन्त सहायता दी गई। दूसरे दस्ते के शरणार्थियों को केवल 4,050 रु० की सहायता दी गई, तथा 1,730 रु० का ऋण दिया गया। तीसरे चरण में, प्रत्येक भूतपूर्व सैनिक के परिवार पर 1 लाख रु० व्यय किया गया जिसमें से 25,000 रु० नकद तथा सामान के रूप में तुरन्त दिये गये। इसका श्री ज्योतिर्मय बसु ने भी उल्लेख करने का प्रयास किया है। अण्डमान में इस प्रकार के दो भेदभाव क्यों प्रचलित हैं ?

श्री एच० एम० पटेल : महोदय, मैं इस बात को ठीक-ठीक नहीं बता सकता कि विभिन्न दृष्टिकोणों से अलग-अलग योजनाएं क्यों तैयार की गई। मैं आपको केवल यह बता सकता हू कि अक्टूबर, 1967 में पोर्ट ब्लेयर में मुख्य विकास तथा पुनर्वास आयुक्त का कार्यालय स्थापित किया गया था। इस नये विभाग के कार्यों में उपयुक्त वन क्षेत्रों को अपने अधिकार में लेना, खेती योग्य भमि को अपने अधिकार में लेना आदि सम्मिलित थे। यह सभी पूर्वी पाकिस्तान से आये व्यक्तियों, श्री लंका के विस्थापितों तथा भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों को चुनीदा द्वीप समूहों में स्थापित करने तथा उनके कृषि व्यवसाय को संवर्धन करने के लिए किया गया था। इस कार्य को पूरा करने के लिए मुख्य विकास तथा पुनर्वास आयुक्त को कुछ निश्चित कर्मचारी दिए गए थे। सबसे पहले मध्य अण्डमान तथा नील द्वीपसमूहों में पुर्नस्थापन कार्य प्रारम्भ किया गया। यह एक बहुत ही कठिन कार्य है। अब तक छोटे अण्डमान द्वीप समूह में 386 परिवारों को बसाया जा चुका है, जिसमें से 366 परिवार, पहले से ही पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के हैं तथा 20 परिवार श्रीलंका के विस्थापितों के सम्मिलित हैं। बड़े निकोबार में भूतपूर्व सैनिकों के 287 परिवार हैं मैं आपको केवल यह बता सकता हूं कि अलग-अलग समय पर अलग-अलग योजनायें कैसे प्रारम्भ की गई। लेकिन मैं इस बात को बताने में असमर्थ हूं कि उन्होंने विभिन्न योजनायें कैसे निर्धारित की। उन्होंने अलग-अलग योजनायें निर्धारित की हैं। वे योजनायें क्या हैं, उनके बारे में मैं आपको ठीक-ठीक बता चुका हूं। इस समय केवल मैं ऐतिहासिक तथ्य का उल्लेख कर

सकता हूं। यदि आदरणीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि इस अलग-अलग योजनाओं के निर्धारण का क्या कारण है, तो मैं इसकी जानकारी प्राप्त करके सभा को सूचित कर सकता हुं।

श्री मनोरंजन भक्त : मंत्री महोदय द्वारा दिये गए उत्तर से समस्या की विकटता को भली-भांति समझा जा सकता है तथा भारत सरकार, विशेषकर ग्रह मंत्रालय की अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह के प्रति उदासीनता को भी समझा जा सकता है। यह एक बहुत ही दूरस्थ क्षेत्र है तथा वहां पर समस्याएं तो हमेशा ही उत्पन्न होती रहती हैं। मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में वहां की समस्याओं का उल्लेख किया है और उन्होंने यह भी कहा है कि वहां के बसने वाले व्यक्तियों के ऋणों को माफ करने के लिए लिखा जा रहा है। अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में लोगों को वहां पर बसाने के लिए योजना को क्रियान्वित करने तथा खाद्यान्नों में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने तथा स्थानीय मानव श्रम की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बसाने की योजना को लागू किया गया था। शरणार्थी परिवारों को वहां पर बसाने के लिए जो नियम व शर्तें निर्धारित की गई थी उनको पूरा नहीं किया गया है। यह बात वक्तव्य से स्पष्ट होती है। हुआ यह है कि 1976 में भारत सरकार ने······

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने प्रश्न पर आइये।

श्री मनोरंजन भक्त : भारत सरकार का यह आदेश है कि बस्तियां स्थापित करने संबंधी ऋण को बट्टे खाते में डाला जाए तथा इस आदेश को 1976 में जारी किया गया था। लेकिन इस आदेश को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है। इसको अभी तक ईमानदारी के साथ क्रियान्वित क्यों नहीं किया गया है ? अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह का मुख्य आयुक्त जो आपात स्थिति में वहां पर हुई ज्यादतियों का मुख्य उत्तरदायी है······

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है मैं अब इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

श्री मनोरंजन भक्त : उन्होंने आदेश दिया है कि जिन कालोनियों में शरणार्थी बसाए गए है वहां तब तक कोई विकासात्मक कार्य नहीं किया जाएगा जब तक कि वहां से ऋणों की वसूली नहीं होती। मेरा प्रश्न यह है कि भारत सरकार इसकी जांच करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसे आदेश तत्काल रद्द कर दिए जाएं वहां पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप भाषण दे रहे हैं। मैं इसकी अनुमति नहीं देता।

श्री मनोरंजन भक्त : मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार इस मामले की जांच करेगी और क्या मुख्य आयुक्त ने इस आशय के कोई आदेश जारी किए हैं कि उन कालोनियों में तब तक कोई विकासात्मक कार्य नहीं किया जाएगा जब तक की कालोनियों के लिए दिया गया ऋण वसूल नहीं होता।

श्री एच० एम० पटेल : माननीय सदस्य का प्रश्न यह है कि भारत सरकार इस मामले की जांच करेगी······

अध्यक्ष महोदय : क्या आपके आदेशों का क्रियान्वयन हो रहा है

श्री एच० एम० पटेल : यह सच है कि कुछ दिक्कतों के कारण हम अपने काम को कुछ हद तक पूरा नहीं कर पाए है । उदाहरणार्थ......

श्री सौगत राय : ऋणों को बट्टे खाते डालना

श्री एच० एम० पटेल : कई लोगों के संबंध में जिनके मामलों की जांच की जा चुकी है, 4 लाख रुपये के ऋणों को बट्टे खाते डाल दिया है बाकी 40 लाख रुपये के ऋणों की जांच हो रही है और अभी यह जांच पूरी नहीं हुई । माननीय सदस्य शायद यह सोचते हैं कि यह सब काम बहुत कम समय में पूरा हो सकता है लेकिन ऐसा हो नहीं सकता । उनकी बातों से ऐसा लगता है कि वह मुख्य आयुक्त को निरंकुश समझ बैठे हैं ।

श्री मनोरंजन भक्त : ऐसी बात नहीं है मेरा जीवन खतरे में है । मैंने अध्यक्ष महोदय को लिखा है ।

श्री एच० एम० पटेल : माननीय सदस्य का जीवन बिल्कुल सुरक्षित है और मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि जब वह अण्डमान और निकोबार द्वीप लौटेंगे तो स्वयं को बिल्कुल सुरक्षित पाएंगे ।

उन्होंने पीने के पानी के बारे में उल्लेख किया है । उनका वक्तव्य तथ्यों पर आधारित नहीं है । उन्होंने कहा है वहां पीने का पानी उपलब्ध नहीं है । पर यह सही नहीं है । जहां भी हमने वचन दिया है हमने उसे निभाया है ।

राष्ट्रीय अनुसंधान विकास संस्थान द्वारा नई प्रौद्योगिकियों के लाभों से लघु क्षेत्र को लाभान्वित करना

*869 **श्री ए० आर० बद्रीनारायण** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अनुसंधान विकास संस्थान विभिन्न अनुसंधान संस्थानों द्वारा विकसित की गई नई प्रौद्योगिकियों के लाभ लघु क्षेत्र को मुहय्या कर रहा है,

(ख) यदि हां, तो कौन सी नई प्रौद्योगिकियां विकसित की गई हैं,

(ग) उनका ब्यौरा क्या है, और

(घ) उनका प्रयोग किस लघु क्षेत्र में हो रहा है ?

रक्षा मंत्रालय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्यमंत्री (प्रो० शेरसिंह) : (क) जी हां ।

(ख), (ग) और (घ) जिन प्रौद्योगिकियों का विकास किया गया है और जिन्हें लघु क्षेत्रों के उद्योगों को उपलब्ध कराया गया है उनके अंतर्गत कृषि पर आधारित उद्योग, रासायनिक और इससे सम्बद्ध उद्योग, खाद्य, कांच सिरेमिक और दुर्गलनीय पदार्थ, चमड़ा रसायन और सहायक उद्योग, प्लास्टिक रेज़िन और रासायनिक, इलेक्ट्रानिक और विद्युत यंत्रों और संघटकों जैसे बहुविध उद्योग आते है। इन प्रौद्योगिकियों का लघु क्षेत्र में इस प्रकार के उद्योग स्थापित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

श्री के० लकप्पा : प्रश्न उद्योग से संबधित है लेकिन उत्तर रक्षा मंत्री के रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में है।

श्री के लकप्पा : मुझे जो सूची दी गई है उसमें उद्योग मंत्री का नाम है।

श्री ए० आर० बदरी नारायण : वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने इस बात की जांच करने के लिए कि कहां तक हम राष्ट्रीय योजना के सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल हुए हैं, एक अध्ययन दल की नियुक्ति की है। समिति की रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या है। मूल्यांकन के आधार पर अनुसंधान और विकासात्मक कार्य कहाँ तक उपयोगी सिद्ध हुए हैं।

प्रो० शेरसिंह : प्रश्न राष्ट्रीय अनुसंधान विकास परिषद के बारे में है।

श्री ए० आर० बदरी नारायण : मैंने एक सीधा प्रश्न किया है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने, अनुसंधान और विकास कार्यों से किस हद तक लाभ हुआ है, इस बात की जाँच करने हेतु एक अध्ययन दल की नियुक्ति की गयी है मैं यह जानना चाहता हूं कि इन प्रयासों का क्या असर हुआ। परिषद द्वारा नियुक्ति अध्ययन दल की जाँच के क्या परिणाम निकले हैं।

प्रो० शेर सिंह : इसके लिए मुझे नोटिस चाहिए।

श्री ए० आर० बदरी नारायण : मैंने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि परिषद के प्रयासों का क्या प्रभाव पड़ा है इस बात की जांच करने के लिए जो अध्ययन दल नियुक्ति किया गया था उसने क्या रिपोर्ट दी है

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न में इसका उल्लेख नहीं है।

श्री ए० आर० बदरी नारायण : प्रश्न में इसका उल्लेख है। मैं यह जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीय अनुसंधान विकास परिषद के प्रयासों के क्या परिणाम निकले हैं।

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए विस्तृत जानकारी की आवश्यकता है। आपने प्रश्न में इस बारे में नहीं पूछा है। मंत्री महोदय के पास जानकारी उपलब्ध नहीं है।

श्री ए० आर० बदरी नारायण : मैं यह जानना चाहता हूं कि अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में क्या प्रयास किए गए हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि आधारभूत आवश्यकताएं कौन सी है और किस हद तक वह पूरी हुई है और किस हद तक लोगों की आत्म निर्भरता में सुधार

हुआ है और किस हद तक हम रोजगार के अवसर जुटाने में समर्थ हुए हैं। इन सब बातों का क्या प्रभाव हुआ है मैं यह जानना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय क्या यह जानकारी आपके पास उपलब्ध है ?

प्रो० शेर सिंह : मैं केवल यही कह सकता हूं कि राष्ट्रीय अनुसंधान विकास परिषद के माध्यम से उपलब्ध 79% प्रतिक्रियाओं का लघु क्षेत्र में उपयोग किया जा रहा है और कई लघु पैमाने के एकक स्थापित किए गए हैं। इन 4 या 5 वर्षों के दौरान देश में लगभग 400 एककों की स्थापना की गई है और इन एककों में 64.0 करोड़ रुपये के माल का उत्पादन हुआ।

श्री ए० आर० बदरी नारायण : मंत्री महोदय केवल उद्योगों के संबध में ही बता रहे हैं। उन्होंने आयोजन से संबंधित प्रश्न की उपेक्षा की है क्योंकि यह एक व्यापक प्रश्न है। मैं यह जानना चाहता हूं कि अनुसंधान और विकास निगम का छोटे एकको पर क्या प्रभाव पड़ा है।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक सम्पति के उत्पादन का संबंध है उस बारे में उन्होंने उल्लेख कर दिया है और उल्लेख करने योग्य अन्य बात है ही क्या। इसको कैसे आंका जा सकता है।

श्री ए० आर० बदरी नारायण : कम से कम प्रतिशतता बताई जा सकती है। प्रतिवेदन के अनुसार इसने 40 प्रतिशत का निधारित लक्ष्य भी प्राप्त नही किया है।

डा० सरोजिनी महिसी : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि रसायन और इलैक्ट्रानिक अनुसंधान क्षेत्र में वर्ष 1977-78 के दौरान सरकार ने कितने मामलों में सहयोग की अनुमति दी ? इस तथ्य के बावजूद कि हमारे अनुसंधान सस्थानों ने खूब मेहनत की हैं हम कोई फार्मूला निकालने में समर्थ नही हुए हैं। मैं यह जानना चाहती हूं कि कितने मामलों में सहयोग की अनुमति दी गई है।

अध्यक्ष महोदय : शायद मंत्री महोदय इसका उत्तर नहीं दे पाएंगें।

प्रो० शेर सिंह : मुझे इसके लिए पूर्व सूचना की आवश्यकता है।

श्री सौजत राय : इस प्रश्न का संबंध अनुसंधान और विकास विज्ञान और प्रौद्यौगिकी से है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में श्री० एस० आई० आर का प्रमुख स्थान है और इसके अंतर्गत 27 राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं हैं पिछले 6 महीनों से सी० एस० आई० आर में कोई स्थायी महानिदेशक नही हैं जिसके कारण वह वैज्ञानिक जो कि अनुसंधान परियोजना में लगे हुए है मार्ग दर्शन और उचित निर्देश पाने हेतु किसी के पास नही जा सकते प्रो० एम० जी० के० मेनन जो कि श्री० एस० आई० आर के अस्थायी महानिदेशक है यह 6 अन्य पदों को भी संभाले हुए है और आजकल वह अमेरिका में है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि प्रो० एम० जी० के मेनन के स्थान पर सी० एस० आई० आर का स्थायी महानिदेशक कब तक नियुक्त किया जाएगा !

प्रो० शेर सिंह : शीघ्र ही वहां स्थायी महानिदेशक की नियुक्ति की जाएंगी। प्रो० मेनन, महानिदेशक का काम प्रयोगशालाओं के कार्यकरण का मार्गदर्शन करना नहीं है। केवल

प्रयोगशालाओं कार्य का आए दिन निरीक्षण करना उनका काम है और हम महानिदेशक की नियुक्ति बहुत जल्दी करेंगे।

एन० सी० हिल्स, असाम में सीमेंट कारखाने की स्थापना

***870. श्री बीरेन एंगती :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम के एन०सी० हिल्स डिस्ट्रिस्ट के गरमपानी क्षेत्र में चूना और पत्थर के निक्षेप विद्यमान हैं और केन्द्र सरकार ने इस बारे में एक सर्वेक्षण कराया है,

(ख) उक्त सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले, और

(ग) क्या आसाम, एन० सी०, हिल्स डिस्ट्रिक्ट में एक और सीमेंट कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है।

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) और (ख) जिओलोजिकल सर्वे आफ इंडिया द्वारा असम के सन० सी० हिल्स जिले के गरम पानी क्षेत्र का सर्वेक्षण किया यया था तथा सीमेंट ग्रेड के 430 लाख मी० टन के चूना पत्थर के एक भण्डार का पता चला है।

(ग) भारतीय सीमेंट अनुसंधान संस्थान मैसर्स असम हिल्स स्माल इण्डस्ट्रीज डवलपमेंट कारपोरेशन लि० द्वारा गरम पानी क्षेत्र में प्रतिदिन 100 मी० टन क्षमता वाले एक मिनी सीमेंट संयंत्र की स्थापना करने के लिए ब्यौरेबार परियोजना रिपोर्ट तैयार कर रहा है। भारतीय सीमेंट निगम उसी क्षेत्र में प्रतिदिन 200 मी० टन की क्षमता वाले एक मिनी सीमेंट संयंत्र की स्थापना करने के लिए भी जांच कर रहा है।

श्री बीरेन सिंह एंगती : अध्यक्ष महोदय इससे पूर्व कि मैं अनुपूरक प्रश्न पूछूं मैं आपका ध्यान प्रश्न संख्या 870 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं इस प्रश्न के उपर मेरा पूरा नाम सही नहीं लिखा गया है बीरेन सिंह ऐंगती के स्थान पर बीरेन एंगती लिखा हुआ। समझ नहीं आता ऐसी गलती यहाँ क्यो होती है।

अध्यक्ष महोदय : एक शुद्धि पत्र भी भेजा गया हैं। शायद माननीय सदस्यों को इसकी जानकारी नहीं।

(व्यवधान)

श्री के0 लकप्पा : यदि यह शुद्धि पत्र छोटी सी पर्ची के रुप से भजा गया है तो हम इसे पढ़ नहीं सकते (**व्यवधान**) ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि संसद इस ढ़ंग से कार्य कर रही हैं।

श्री बीरेन सिंह एंगती : अध्यक्ष महोदय मंत्री महोदय ने उत्तर में कहा है कि भारतीय सीमेंट अनुसंधान संस्थान मैसर्स असम हिल्स स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि० द्वारा गरम पानी क्षेत्र में प्रतिदिन 100 मी टन क्षमता वाले एक मिनी सीमेंट संयत्र की स्थापना करने के

लिए ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट तैयार कर रहा है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इस परियोजना पर कुल कितनी लागत आएगी और क्या चालू वर्ष के दौरान इस परियोजना के लिए कुछ धन आवंटित किया गया है यदि हां, तो कितना और कब तक इस परियोजना पर काम शुरू किया जाएगा तथा कब तक इस परियोजना के पूरा होने की संभावना है।

श्री जार्ज फर्नांडिज : इस परियोजना के कार्यान्वियन का भार आसाम हिल्स स्माल इंडस्ट्रीज डिवलैपमेंट कारपोरेशन पर है। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि इसमें कुछ दिक्कते है जिनके बारे में बताया जा चुका है। जहां तक इस विशेष स्थल का संबंध है चूकि यह परियोजना की रिपोर्ट तैयार हो चुकी हैं इसलिए यह दिक्कत सामने आ रही है क्योंकि इसी क्षेत्र में वह दो जलाशय बना रहे है और उत्तर-पूर्व पावर कारपोरेशन तथा उत्तर पूर्व परिषद ने इस स्थल के संबंधमें कुछ संदेह व्यक्त किया है। तब से भारतीत सीमेंट निगम उस क्षेत्र में अन्य स्थल की तलाश में है जहांकि यह मिनी सीमेंट सयंत्र स्थापित किया जा सके। संयत्र की लागत उसकी क्षमता पर तथा जितने समय में वह तैयार होगा उस पर निर्भर करेगी।

श्री बीरेन सिंह एंगती : मंत्री महोदय ने उत्तर में कहा है कि भारतीय सीमेंट निगम उसी क्षेत्र में 200 मी० टन की क्षमता वाले एक मिनी सीमेंट संयंत्र की स्थापना करने के लिए भी जांच कर रहा है। मैं मंत्री महोदय से वह जानना चाहता हूं कि इस जांच को पूरा होने में कितना समय लगेगा और उस क्षेत्र में सर्वेक्षण कार्य पर भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण द्वारा कितना धन व्यय किया जा चुका है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : सीमेंट निगम उस क्षेत्र में जांच कर रहा है आशा है वह अपना प्रतिवेदन शीघ्र प्रस्तुत करेगा उनके लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित करना बहुत कठिन होगा। भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण द्वारा उस क्षेत्र में सर्वेक्षण कार्य पर कितना धन व्यय किया गया है इस बारे में मुझे नोटिस चाहिए।

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग को विपणन संबंधी कठिनाइयाँ

***871 श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संगठित क्षेत्र द्वारा किए जा रहे विपणन के फलस्वरूप खादी, तथा ग्रामोद्योग आयोग को होने वाली कठिनाइयों का मूल्यांकन किया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में विपणन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं।

उद्योग मन्त्री (श्री **जार्ज फर्नान्डीस**) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : सरकार ने अक्तूबर, 1977 में खादी तथा ग्रामोद्योगों पर एक कार्यकारीदल गठित किया था, इस दल के विचारार्थ-विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ खादी तथा

ग्रामोद्योग उत्पादों के विपणन का अध्ययन व सिफारिशें करना भी शामिल हैं। कार्यकारी दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है तथा रिपोर्ट में की गई सिफारिशें निर्णय लिये जाने के पश्चात ही कार्यान्वित की जायेंगी। राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् को हस्तशिल्प तथा हथकरघा बोर्डों व खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के साथ मिल कर ग्रामीण/कुटीर उद्योग क्षेत्र के उत्पादों के विपणन की वर्तमान प्रणालियों का पता लगाने का अध्ययन कार्य सौंपा गया है। इसी प्रकार औद्योगिक विकास सेवा (इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सर्विस) को खादी तथा ग्रामोद्योगों के उत्पादों के लिए विपणन संगठनों को सुदृढ़ बनाने हेतु अध्ययन करने व सिफारिशें करने का कार्य सौंपा गया है।

श्री जी० वाई० कृष्ण : दिये गये उत्तर से देखा जा सकता है कि मंत्रालय ने प्रश्न में पूछी गई मुख्य बात का उत्तर नहीं दिया हैं। यह बताया गया है कि कार्यकारी दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। प्रश्न मुख्यतया ग्रामीण क्षेत्र में या किसी अन्य क्षेत्र में संगठित क्षेत्र द्वारा विपणन में हो रही कठिनाई पर आधारित है। मैं यह जानना चाहता हूं कि कौन से संगठित क्षेत्र इस कार्य को हाथ में ले रहे हैं। सरकार इसका अध्ययन करने में कितना समय लगायेगी और ग्रामीण क्षेत्र में विपणन से सम्बन्धित सिफारिशों को कब तक क्रियान्वित किया जायेगा मै इस बारे में उनसे स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं।

श्री जार्ज फर्नाडिस : मैं नहीं समझता कि सरकार ने इस प्रश्न का उत्तर न देने का कोई प्रयत्न किया है। यह एक बिलकुल सीधा प्रश्न हैं और मैं समझता हूं उसका उत्तर भी बिलकुल सीधा है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग को विपणन समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि अन्य विकेन्द्रीकृत क्षेत्रों में करना पड़ रहा हैं। सरकार ने कार्यकारी दल की गठन खादी और ग्रामोद्योग, ग्रामीण और कुटीर उद्योग के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए किया गया था। दल ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और हम उस रिपोर्ट पर कार्य कर रहे हैं। इस समय एन० पी० सी० और सरकार की अन्य विशेषज्ञता प्राप्त एजेंसिया भी विनिर्दिष्ट सर्वेक्षण, बाजार सर्वेक्षण कर रही हैं जिनमें लघु उद्योग और ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों को अपने उत्पादकों के विपणन में पेश आ रही कठिनाइयां भी शामिल है किन्तु मैं यह चाहता हूं कि माननीय सदस्य इस बात को नोट करें कि खादी और ग्रामोद्योग के कार्यकलाप देश के एक लाख गांवों में फैले हुए हैं और हमने चार हजार से अधिक ग्रामोद्योग भंडार बनाए हुए हैं जिनके माध्यम से इन उत्पादकों को बेचा जाता है। पिछले वर्ष ग्रामोद्योगो में 289 करोड़ रूपये का माल तैयार किया गया तथा खादी क्षेत्र में 76 करोड़ रुपये का माल तैयार किया गया था। हमें इन उत्पादकों को बेचने में कोई कठिनाई नहीं हुई वस्तुतः इस समय नए घटनाक्रम को देखते हुए विशेषकर माचिस उद्योग के क्षेत्र में हमारी समस्या विपणन की न होकर अधिक उत्पादन की हैं। संगठित क्षेत्र के संबंध में हमारी समस्याए हैं। संगठित क्षेत्र ने पिछले कई वर्षों में अपने तन्त्र का काफी विकास किया है फिर भी मेरे बिचार से विपणन की कोई समस्या नहीं है, मैं समझता हूं कि सरकार इस देश में स्वयं ही सबसे बड़ी खरीददार है और हमने हाल ही में एक प्रस्ताव रखा है जिसकी जांच सरकार द्वारा की जा रही है। सरकारी उपक्रम और सरकारी एजंसियां खादी और ग्रामोद्योग आयोग के उत्पादनों की खरीद को

प्राथमिकता देगी इसलिए विपणन की कोई समस्या नही रहेगी। हम इस संबंध में कार्रवाई कर रहे हैं।

श्री जी० वाई० कृष्णन : टाल मटोल की बात करते हुए मैंने मंत्री महोदय के बारे में कुछ नहीं कहा बल्कि मंत्रालय के बारे में कहा था। उत्तर देखने से यह साफ पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विपणन के बारे में प्रश्न का उत्तर देने में टाल मटोल किया गया है। मंत्री महोदय द्वारा दिया जाने वाला इस समय का उत्तर आस्वस्त करने वाला है। लेकिन इसके क्रियान्वयन में कितना समय लगेगा ? क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सरकारी कर्मचारी इन ग्राम तथा खादी उद्योग आत्पादों को खरीदें ;

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मंत्री महोदय हमेशा अपने मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करता है। समझ नहीं आता कि इस प्रकार का भेद किस प्रकार किया जा सकता है ?

प्रसन्नता की बात होगी यदि सरकारी कर्मचारियों को एक बात के लिए राजी किया जा सके कि वे खादी तथा ग्रामोद्योग उत्पादों को खरीदें। मैं जानता हूं कि इस बारे में काफी हिच-किचाहट है। जब भी सरकारी कर्मचारियों के लिए खादी की वर्दी की बात की जाती है तो काफी लोगों में हिचकिचाहट सी होती है। वस्तुतः इसका काफी विरोध भी है। हम अपनी ओर से सबको राजी करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस समय हमारी समस्या विपणन की नहीं है हमारी समस्या खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने की है।

श्री के० मालन्ना : खादी तथा ग्रामोद्योग में संरचना तथा विपणन सुविधाएं परस्पर संबद्ध हैं। जनता सरकार ने अपने निर्वाचन घोषणापत्र तथा बजट भाषण में भी खादी और ग्रामोद्योग का उल्लेख किया। और खादी तथा ग्रामोद्योग की संरचना विकसित नहीं भी गई है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि संरचना अर्थात कच्चे माल,संचार, बिजली पानी आदि के सुधार के लिये क्या कार्यवाही की गई है।

श्री जार्ज फर्नानडीज : ग्रामो में खादी उद्योगों में संरचना संबन्धी कच्चे माल' बिजली, संचार आदि की कोई समस्या नहीं है। खादीग्रामोद्योग में वही उद्योग लिए जाते हैं जिनके लिए अधिकांशतः बिजली आवश्यक नहीं होती। संचार की भी कोई समस्या नहीं है। उत्पादन इतना कम होता है कि परिवहन की भी कोई समस्या नहीं है। जहाँ तक कच्चे माल का संबंध है खादी और ग्राम उद्योग स्थानीय माल पर काफी हद तक निर्भर करता है इसलिए कच्चे माल की कोई समस्या नहीं है लेकिन मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं जहां तक जनता सरकार का संबंध है हमारी सरकार ने पिछले 5 वर्षों के 83 करोड़ रुपये के परिव्यय की तुलना में गत दो वर्षो में हमारे प्रशासन द्वारा कुल 102 करोड़ रुपये खादी और ग्रामोद्योग पर व्यय किए जा चुके हैं। हमने गत दो वर्षों के दौरान रोजगार के 8 लाख नए अवसर पैदा किए हैं अतः मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम इस क्षेत्र की समृद्धि हेतु हर संभव प्रयास करेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के हितों की देखभाल के लिए मंत्रालय में स्थापित किए गए कक्ष

***872. श्री राम चरण** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के हितों को देखभाल के लिए कक्ष स्थापित किए हैं;

(ख) क्या जहां ऐसे कक्ष स्थापित नहीं किए गए हैं वहां अपने नियमित कार्य के अतिरिक्त उक्त कार्य करने वाले कर्मचारियों को यह कार्य करने के लिए कोई मानदेय भत्ता आदि दिया जाता है ताकि वे इस कार्य को और अधिक ध्यान कर सकें; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार कक्षों की स्थापना होने तक उक्त मामले पर विचार करेगी?

गृह मंत्री (श्री एच० एम० पटेल : (क) इस सम्बन्ध में सभी मंत्रालयों/विभागों से पूरी सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

(ख) तथा (ग) : जिन कर्मचारियों को यह कार्य सौंपा गया है उन्हें इस कार्य को करने के लिए किसी मानदेय-भत्ता आदि जैसे प्रोत्साहन को दिए जाने की आवश्यकता नहीं है। सेवाओं में आरक्षण के मामले में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के हितों को देखभाल करना मंत्रालयों/विभागों को सामान्य जिम्मेदारियों का हो भाग है और कर्मचारियों के लिए यह कोई अतिरिक्त कार्य नहीं है जिसके लिए मानदेय दिया जाना जरूरी हो।

मध्य प्रदेश में ग्रामीण औद्योगिक सेवा एककों का लक्ष्य

***874 डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978-79 में मध्य प्रदेश में स्थापित किए जाने वाले ग्रामीण औद्योगिक सेवा एककों का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ख) कितनी योजनाओं को अनुमति दी गई थी और उनमें से कितनी योजनाओं पर काम आरम्भ हो गया है, और

(ग) मध्य प्रदेश के पिछड़े अर्द्ध विकसित जिलों में कितने एकक स्थापित किए गये हैं।

उद्योग मंत्रीं (श्री जार्ज फर्नांडिज) : (क) वर्ष 1978-79 में मध्य प्रदेश में 12,000 छोटे, ग्रामीण तथा लघु एककों की स्थापना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

(ख) लघु तथा छोटे एककों को औद्योगिक एकक स्थापित करने के लिये राज्य सरकार से किसी भी तरह की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। केवल उनको अपने एकक राज्य सरकार में पंजीयित कराने पड़ते हैं। वर्ष 1978-79 में 12,000 छोटे, ग्रामीण तथा लघु एककों

की स्थापना करने के लक्ष्य में से फरवरी, 1979 तक 10,118 एककों की स्थापना की जा चुकी थी।

(ग) फरवरी 1979 तक मध्य प्रदेश के 36 पिछड़े तथा अल्प-विकसित जिलों में 7609 एककों की स्थापना संलग्न सूचि के अनुसार की जा चुकी है।

क्रम संख्या	जिला का नाम	एककों की संख्या
(1)	धार	83
(2)	देवास	140
(3)	झबुआ	46
(4)	छारगाँव	364
(5)	रतलाम	138
(6)	मन्दसौर	448
(7)	शाहजहांपुर	71
(8)	सीहौर	255
(9)	विदिशा	84
(10)	रायसेन	77
(11)	बेतुल	49
(12)	शिवपुरी	80
(13)	गुना	134
(14)	दतिया	94
(15)	मुरैना	331
(16)	सागर	135
(17)	दमोह	85
(18)	नरसिंहपुर	177
(19)	छिन्दबाड़ा	93
(20)	बालाघाट	103
(21)	रेवा	163
(22)	सीधी	51
(23)	पन्ना	70
(24)	टीकमगढ़	86

क्रम संख्या	जिला का नाम	एककों की संख्या
(25)	रायपुर	521
(26)	बस्तर	93
(27)	होशंगाबाद	220
(28	बिलासपुर	648
(29)	भिण्ड	475
(30)	राजनंद गाँव	167
(31)	सरगुजा	608
(32)	रायगढ़	564
(33)	राजगढ़	177
(34)	माडला	215
(35)	सिन्धनी	245
(36)	छतरपुर	319
	योग	7609

बिहार में स्वाधीनता सेनानियों से पेंशन की राशि का वापस लिया जाना

***875. श्री भगत राम :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वाधीनता सेनानी पेंशन योजना, 1972 के अधीन केवल वे ही स्वाधीनता सेनानी पेंशन पाने के हकदार हैं, जिनकी सभी स्रोतों से वार्षिक आय 5000 रु० से कम है;

(ख) क्या बिहार के गृह विभाग (विशेष) में प्राप्त सूचना के अनुसार, फरवरी, 1979 तक बिहार में 2000 स्वाधीनता सेनानियों की पेंशन बन्द कर दी गई है; जिनमें 191 सरकारी कर्मचारी, 24 वर्तमान और 70 भूतपूर्व (बिहार के) विधायक और संसद सदस्य शामिल हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त स्वाधीनता सेनानियों द्वारा प्राप्त की गई पेंशन की राशि का वापस लिया जाना सूनिश्चित करने और आमदनी के गलत शपथपत्र भरने के लिए उनके विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ करने का सरकार का विचार है और यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) : (क) जी हां श्रीमान् ।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा 286 मामलों में पेंशन औपचारिक रूप से स्थगित कर दी गई है। 362 मामलों में राज्य सरकार द्वारा पेंशन भुगतान रोक दिया गया है। औपचारिक स्थगन आदेश जारी करने के लिए इन मामलों के ब्यौरे प्राप्त किये जा रहे हैं। इन आंकड़ों में वे मामले शामिल नहीं हैं जिनमें कोषाधिकारियों अथवा जिला अधिकारियों द्वारा अपनी ओर से वार्षिक आय 5000 रुपए अथवा अधिक होने के कारण पेंशन रोक दी गई हे।

बिहार में, राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि 191 सरकारी कर्मचारी 25 विधायक तथा अन्य प्रतिनिधि निकायों के सदस्य पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। परन्तु राज्थ सरकार द्वारा उनकी आय के बारे में जांच की जा रही है।

अनियमित रूप से ली गई पेंशन की रकम की वसूली तथा जहां आवश्यक है मुकदमा चलाने का प्रश्न तभी उत्पन्न होगा जब पेंशन अंतिम रूप से रद्द कर दी जाएगी। ऐसी परिस्थितियों में पेंशन लेने के कारणों को स्पष्ट करने के लिए संबंधित व्यक्ति को अवसर दिये जाने के पश्चात् तथा राज्य सरकार के माध्यम से उसके प्रतिवेदन की आवश्यक जांच के पश्चात ही पेंशन रद्द की जाती है।

नालागढ़ स्थित वस्टेंड यार्न यूनिट की क्षमता बढ़ाया जाना

***877 श्री दुर्गा चन्द्र : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नालागढ़ स्थित वस्टेंड यार्न यूनिट की क्षमता बढ़ाने के प्रस्ताव की अनुमति दे दी है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) क्षमता के कब तक बढ़ने की आशा है।

उद्योग मन्त्री (श्री जार्ज फर्नांडिज) : (क) जी नहीं

(ख) से (ग) प्रश्न ही नही उठते

नागालैंड द्वारा नागा बोली को क्षेत्रीय भाषा के रूप में अपनाना

***878. श्री एडुआर्डो फलीरो : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैंड ने किसी भी नागा बोली की अपनी क्षेत्रीय भाषा के रूप में नहीं अपनाया है और इसके विकास की गुंजाइश बहुत कम है;

(ख) क्या नागाओं ने हिन्दी अथवा आठवीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त किसी अन्य भाषा में योग्यता प्राप्त नहीं की हैं;

(ग) क्या अंग्रेजी इस राज्य की राजभाषा है और वहां की विधान सभा ने यह प्रस्ताव एकमत से स्वीकार किया है और मांग की है कि अंग्रेजी को आठवी अनुसूची में शामिल किया जाये; और

(घ) यदि हां, तो उक्त म ग पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) नागालैंड सरकार ने किसी भी नागा बोली को राज्य की राजभाषा के रूप में नही अपनाया है। अनेक बोलियों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय भाषा के रूप में उनमें से किसी एक को भी अपनाने की गुंजाइश बहुत कम है।

(ख) नागालैंड सरकार ने सूचित किया है कि नागाओं ने आठवी अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा में संतोषजनक योग्यता प्राप्त नही की है।

(ग) जी हां, श्रीमान्।

(घ) सरकार का विचार है कि संविधान की आठवीं अनुसूची का विस्तार न किया जाए।

तम्बाकू के वितरण के बारे में 'अंकटाड' का प्रतिवेदन

***879. श्री कुमारी अनन्तन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तम्बाकू के विपणन और वितरण के बारे में हाल ही में जारी किये 'अंकटाड' जांच प्रतिवेदन का अध्ययन किया है जिसमें बताया गया है कि सात (सुप्रानेशनल) निगमों का प्रभुत्व है,

(ख) क्या इस साल तम्बाकू महारानियों ने तम्बाकू की कम हो रही पैदावार की संभावना के कारण कागज बोर्ड, भोजन पुरिष्करण, होटल आदि जैसे उद्योगों में भारत में निवेश करना आरंभ कर दिया है, और

(ग) यदि हां, तो इन बहुराष्ट्रीय निगमों ने जिन उद्योगों में कार्य करना आरम्भ किया है उनका ब्यौरा क्या है और भारतीय उद्योगों पर उनके प्रभुत्व को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है।

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) सरकार को अन्कटाड की जून, 1978 की रिपोर्ट जिसमें वास्तविक पृष्ठभूमि बतायी गयी है, का पता है जिसमें लम्बाई की पत्ती का उत्पादन तथा अंतर्राष्ट्रीय विपणन एवं जहाजरानी के जरिये परिष्करण करने से लेकर तम्बाकू के उत्पादों तथा वितरण से संबंवित विश्व तम्बाकू अर्थ व्यवस्था के बाद की स्थितियां पर विचार किया गया है।

(ख) और (ग) देश के तम्बाकू उद्योग में विदेशी अंशधारिता वाली निम्नलिखित कंपनियां कार्यरत है :—

1. आई०टी०सी० लिमिटेड (विदेशी अंश धारिता 39.9 प्रतिशत)

2. वजीर सुल्तान टोबेको कं० (विदेशी अंश धारिता 32.3 प्रतिशत)

3. माफ्रे फिलिप्स इंडिया लि० (कम करने की प्रक्रिया में 40 प्रतिशत)

4. इन्टरनेशनल टोबेको कंपनी लि० (उपर्युक्त 3 की पूर्णतया सहायक कंपनी)

23 दिसम्बर, 1977 को संसद के समक्ष रखे गये औद्योगिक नीति विवरण में सरकार द्वारा भारत के औद्योगिक विकास में विदेशी कंपनियों की सहभागिता विषयक नीति स्पष्ट की गई हैं। इस नीति के अनुसार जहां तक वर्तमान विदेशी कंपनियों का संबंध है विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबंध कड़ाई से लागू किये जायेंगे। अधिनियम के अंतर्गत उस अंश को कम करने की प्रक्रिया को पूरा करने के उपरान्त जिन कंपनियों में सीधा अनिवासी निवेश 40 प्रतिशत से अनधिक होगा उन्हें भारतीय कंपनियों के बराबर माना जायेगा तथा उनका भावी विकास उसी प्रकार के सिद्धान्तों से किया जायेगा जो भारतीय कंपनियों पर लागू होते हैं।

उपर्युक्त कंपनियों में से जो कंपनियां देश के तम्बाकू उद्योग में कार्यरत हैं उनमें आई० टी० सी० भी निम्नलिखित गतिविधियों में लगी हुई है।

1. आयोजना, निर्माण, उपकरण, संचालन तथा होटलों का विपणन।

2. कागज का उत्पादन, मुद्रण तथा कार्डबोर्ड के डिब्बे बनाना।

3. मछली पकड़ना प्रोसेसिंग तथा समुद्री खाद्य पदार्थों का निर्यात करना।

एच० एम० टी० द्वारा नई घड़ियों का निर्माण

***880. श्री पीयुष तिरकी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एच० एम० टी० ने देश में कुछ नई घड़ियां बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों में एच० एम ०टी० घड़ियों निम्नलिखित नये माडल बाजार में आये हैं :—

1976-77

1. हाथ से चाबी दी जाने वाली पुरुषों की घड़ियाँ

(1) अविनाश	सात किस्मों में
(2) अजीत	पांच किस्मों में
(3) कोहिनुर	पांच किस्मों में

(4) विजय छः किस्मों में

2. हाथ से चाबी दी जाने वाली महिलाओं की घड़ियां

(1) आशा छः किस्मों में

(2) सुप्रिया पांच किस्मों में

(3) रूपा दो किस्मों में

1977-78

1. पुरुषों के लिए दिन-तारीख वाली स्वचालित घड़ियां

(1) सूरज चार किस्मों में

काजल दो किस्मों में

2. हाथ से चाबी दी जाने वाली महिलाओं के लिए घड़ियाँ

(1) दीप्ति चार किस्मों में

(2) स्मिता तीन किस्मों में

अंधों के लिए ब्रेल सूचकांक छपी हुई तथा ऊपर के शीशे को खोलने के लिए स्प्रिंग लोडेड पुश बटन सहित ब्रेल घड़ियां।

1978-79

1. महिलाओं के लिए दिन तथा तारीख वाली स्वचालित घड़िया

(1) अर्चना तीन किस्मों में।

कागज की कमी पूरी करने के उपाय

883. **श्री निहार लास्कर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक, विशेषज्ञों तथा कागज निर्माताओं ने सरकार से अनुरोध किया है कि वह देश में कागज की कमी दूर करने के लिए शीघ्र तथा तत्काल उपाय करे,

(ख) यदि हां, क्या उनके मतानुसार वर्ष 1980 के बाद केवल देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में कागज की भारी कमी पैदा हो जाएगी,

(ग) यदि हां, तो क्या उन्होंने इस बारे में कुछ सुझाव भी दिये हैं;

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है, और

(ङ) उन पर क्या कार्यवाही की गई है।

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डिस) : (क से ङ) वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों और कागज उत्पादकों के किसी खास निकाय ने कागज के अकाल से निवृति के लिए शीघ्र ही आवश्यक कदम उठाने हेतु अनुरोध नहीं किया है । बढ़ती हुई मांग की पूर्ति के लिए उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता से सरकार अवगत है इस दिशा में कार्यवाही शुरू कर दी गई है ।

लघु उद्योगों द्वारा सिथेटिक डेटरजेंट का निर्माण

***884. श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'सिन्थेटिक डेटरजेंट' का निर्माण लघु उद्योग और कुटीर उद्योग द्वारा मशीन और विजली का प्रयोग किये बिना किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस पद को लघु उद्योग के लिए आरक्षित करने पर विचार कर रही है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार ने इस पद के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए बहुराष्ट्रीय फर्मों को लाइसेंस जारी किये हैं; यदि हां, तो क्या ऐसा घोषित औद्योगिक नीति के विरुद्ध है अथवा नहीं; और

(घ) सरकार की भविष्य में इस बारे में क्या नीति है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डिस) : (क) जी, हां । बिजली की सहायता लिए बिना साधारण उपस्करों व औजारों से लघु क्षेत्र में अल्काइल बेनजिन पर आधारित सिंथेटिक प्रक्षालकों (डिटर्जेन्टस) का उत्पादन किया जा रहा है ।

(ख) लघु क्षेत्र के लिए प्रक्षालकों के उत्पादन के आरक्षण का प्रश्न विचाराधीन है ।

(ग) और (घ) सिंथेटिक प्रक्षालक 2-2-1973 के औद्योगिक नीति विवरण के परिशिष्ट-। में शामिल हैं । अतएव, बहुराष्ट्रीय कम्पनियां इस वस्तु के उत्पादन के लिए लाइसेंस स्वीकृति की पात्र हैं । किन्तु, गत दो वर्षों के दौरान संगठित क्षेत्र में किसी एकक को नए लाइसेंस नहीं दिए गए हैं ।

विदेशों में राजनयिक मिशनों के साथ सम्बद्ध भारतीय वैज्ञानिक

***885. प्रो० एम० जी० मावलंकर :**

श्री बापु साहिब पास्लेकर :

क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में हमारे किसी राजनयिक मिशन के साथ भारतीय वैज्ञानिक सम्बद्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं,

(ग) क्या सरकार का विचार वैज्ञानिक सलाहकारों के पदों की संख्या बढ़ाने का है;

(घ) यदि हां, तो कब और किस प्रकार, और

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) और (ख) फिलहाल, वाशिंगटन, मास्को, लंदन और टोकियो स्थित भारतीय मिशनों में ही वैज्ञानिक सहचारियों के चार पद हैं।

(ग), (घ) और (ङ) अन्य मिशनों में इसी प्रकार के पदों का सृजन, उन देशों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्यकलापों और सहयोगात्मक कार्यक्रमों की महत्ता और परिमाण पर निर्भर है। इस समय की आवश्यकताओं के आधार पर, वैज्ञानिक सहचारी के एक पद का सृजन करने के बारे में एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन न है जिसे बॉन स्थित भारतीय मिशन के साथ सम्बद्ध किया जाएगा।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में आपात स्थिति के दौरान की गई ज्यादतियों के बारे में जांच के लिए गठित 'कार आयोग' का प्रतिवेदन

***886. श्री मनोरंजन भक्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में आपातकाल के दौरान की गई ज्यादतियों की जांच के लिए गठित 'कार आयोग' का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो कब और आयोग के विशेष निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ग) इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (धनिक लाल मण्डल) : (क), (ख) तथा (ग) अपेक्षित सूचना का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

आपातस्थिति ज्यादतियां जांच प्राधिकरण, अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह जिसके अध्यक्ष श्री एच० कार थे, ने 21 शिकायतों की जांच की थी जिसमें से केवल 7 श्रेणी (iv) वे थी जिनको शाह आयोग द्वारा जांच तथा रिपोर्ट के लिए इसको भेजा गया था। इसके अतिरिक्त प्रशासन ने भी शाह आयोग से प्राप्त हुई श्रेणी III की 2 शिकायतें जाँच के लिए प्राधिकरण को भेजी थी।

2. प्राधिकरण ने अपनी रिपोर्ट 7-12-78 को प्रस्तुत कर दी थी तथा 13-12-78 को यह शाह आयोग को प्राप्त हो गई थी। श्रेणी iv की 7 शिकायतों में से एक शिकायत से संबंधित कागजात नहीं मिल सके तथा शेष 6 शिकायतों में प्राधिकरण के निष्कर्ष शाह आयोग द्वारा स्वीकार कर लिये गये हैं। 1-1-79 को गृह मंत्रालय में रिपोर्ट तथा संबंधित कागजात प्राप्त हो गये थे।

3 ये शिकायतें अन्य बातों के साथ निम्नलिखित से संबंधित थी :—

(क) 17 व्यक्तियों को नजरबन्द करने में कानूनी प्रक्रियाओं का दुरुपयोग तथा उलट फेर करना ;

(ख) भवनों को जब्त करने तथा प्रतिबंधित संगठनों की सम्पत्तियों को नष्ट करने में प्राधिकार का दुरुपयोग ।

4. प्राधिकरण के निष्कर्षों की मुख्य बातें इस प्रकार है :—

(i) प्रतिबंधित संगठनों से सम्बद्ध बताये गये व्यक्तियों के बारे में मीसा नजरबन्दी आदेश बड़ी जल्दबाजी में जारी किये गये थे और कानून के उद्देश्य के अनुरूप नहीं थे ।

(ii) प्राधिकरण ने जेल में मीसा नजरबन्दियों के प्रति जेल प्राधिकारियों द्वारा किये गये अमानवीय तथा निरंकुश व्यवहार के सम्बन्ध में टिप्पणियां की हैं ;

(iii) इज्जत तथा जीवन अवसरों दोनों के संदर्भ में प्राधिकरण ने सिफारिश की है कि आसूचना शाखा द्वारा प्रतिकूल रिपोर्ट के कारण अन्तर्गस्त जोखिमों तथा नुकसान जो हो सकता है पर विचार करते हुए सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करने चाहिए कि व्यक्ति की गतिविधियां तथा सामग्री ब्यौरे से संबंधित प्रत्येक ऐसी रिपोर्ट सही हो ।

5. प्राधिकरण की रिपोर्ट प्रभावित व्यक्तियों को राहत देने तथा प्राधिकरण द्वारा अभ्यारोपित किये गये अधिकारियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही करने के विचार से उपयुक्त अनुवर्ती कार्यवाही करने के लिए गृह मंत्रालय में परीक्षाधीन है ।

सीमेंट के निर्यात के लिये पैकिंग सामग्री आयात

***887. डा० लक्ष्मीनारायण पंडित :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट के निर्यात को ध्यान में रखते हुए 'पैंकिंग सामग्री' का आयात किया गया था और यदि हां, तो उसकी कीमत कितनी थी ;

(ख) क्या इसका उपयोग किया गया था अथवा नहीं ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त सामग्री का आयात उस समय किया था जब निर्यात को बन्द करने का निर्णय लिया जा चुका था अथवा इस पर विचार किया जा रहा था ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डिस) : (क) से (ग) जुलाई 1977 में घोषित सीमेंट के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की सरकारी नीति के पूर्व राज्य व्यापार निगम ने सीमेंट की पैकिंग के लिए 3850 मीट्रिक टन सैक क्राफ्ट पेपर का आयात किया था । विद्यमान निर्यात विषयक बचत वद्धताओं के लिए सामग्री का उपयोग करने के उपरान्त लगभग 2500 मी० टन सैक क्राफ्ट पेपर तथा 4 करोड़ रुपये मूल्य के 7 लाख बोरे अप्रयुक्त रह गये थे ।

सीमेंट निर्माता जिनके पास आयातित सैक क्राफ्ट पेपर से बनाये गये पेपर बैगों का स्टाक था तथा मूलतः उनका उपयोग राज्य व्यापार निगम से प्राप्त किये गये लाइसेंसों के आधार पर देश में निर्यात तथा आयात के लिए सीमेंट की पैकिंग करने हेतु उनके सामने अभी कठिनाइयों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया था कि निम्नलिखित शर्तों के अधीन वे देश के आन्तरिक बाजार के लिए सीमेंट की पैकिंग करने हेतु इस प्रकार के बोरों का उपयोग कर सकेंगे :

1. पेकिंग प्रभारों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी अर्थात पेपर बैगों चैक किए गए सीमेंट के पेकिंग चार्जेज वहीं होंगे जिनकी घोषणा सरकार जूट के बोरों में हर तिमाही सीमेंट की पेकिंग करने के लिए की गई थी ;

2. उपयोग में लाये गये पेपर बैगों की संख्या की गणना समय समय पर पुराने किंतु कार्य योग्य जूट के बैगों के लिये अनुमत्य सीमा के अन्दर की जायेगी ;

3. किन्हीं अन्य नियमों/विनियमों के अधीन आयातित सैक क्राफ्ट पेपर के उपयोग के लिये यह अनुमति सरकार की स्वीकृति नहीं मानी जायेगी तथा यह जिम्मेवारी राज्य व्यापार निगम अथवा संबंधित उत्पादक की होगी कि वह इस प्रकार की अनुमति प्राप्त कर ले ।

श्री गांधी आश्रम, मेरठ

8401 **श्री समर मुखर्जी : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि श्री गांधी आश्रम, मेरठ, दिल्ली में कुछ बिक्रीकर के घोटालों में अन्तर्गस्त हैं; और

(ख) यदि हां, तो श्री गांधी आश्रम को प्रबन्ध समिति के दोषी सदस्यों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : (क) गांधी आश्रम, मेरठ दिल्ली के किसी भी कर के घोटाले में अन्तर्ग्रस्त नहीं है । किन्तु, गांधी आश्रम, चाँदनी चौक दिल्ली के अपने पहले के प्रबन्धक की हैसियत से क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम, मेरठ के वर्तमान सचिव बिक्रीकरों की कुछ अनियमितता में अन्तग्रंस्त थे ।

(ख) श्री गांधी आश्रम, मेरठ सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं है । अतः खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, बम्बई जो आश्रम को वित्तिय सहायता प्रदान करता है, से गांधी आश्रम, मेरठ को यह सलाह देने के लिए अनुरोध किया गया है कि वे संबंधित प्रबन्धक के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के आधार पर उपयुक्त कारंवाई करे । खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग से यह भी कहा गया है कि वह उन संस्थानों को वित्तीय सहायता देना बंद कर दें जो वित्तीय औचित्य के लिए स्वीकृत मानदण्डों के अनुरुप नहीं हैं ।

होशियारपुर में उद्योगों की स्थापना

8402 **चौधरी बलबीर सिंह : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नये उद्योग स्थापित करके पिछड़े जिलों का उत्थान करने पर गम्भीरता से विचार कर रही है ।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बीच पंजाब में होशियार पुर को भी पिछड़ा हुआ जिला घोषित किया है; और

(ग) वर्ष 1979-80 में इस जिले में सरकार कौन से उद्योग स्थापित करना चाहती है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) होशियार पुर जिले में स्थापित औद्योगिक एकक निश्चित पूंजीगत विनियोग पर 15 प्रतिशत की रियायती दर पर केन्द्रिय राजसहायता ऋण प्राप्त कर सकते है बशर्ते कि वह 15 लाख रूपये से अधिक न हो । 23-9-78 को जिला उद्योग केन्द्र भी स्थापित कर दिया गया है तथा जो लघु एवं ग्रामीण उद्योगों को सभी प्रकार की सेवाए व सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराएगा ।

तकनीकी आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सरकारी क्षेत्र के स्थापना स्थल का निर्धारण किया जाता है । इस जिले में इस प्रकार का कोई उपक्रम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव फिलहाल सरकार के विचाराधीन नहीं है । तथापि, केन्द्रीय विनियोग राजसहायता शुरू होने अर्थात् 1-10-70 से इस जिले में 130 औद्योगिक एकक स्थापित किए जा चुके है ।

बंगाल के रुग्ण औद्योगिक एककों को अपने नियन्त्रण में लिया जाना

8403 : **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत राज्य में रूग्ण औद्योगिक एककों को अपने नियंत्रण में लेने पर सहमत हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल को सरकार द्वारा अब तक अपने नियंत्रण में लिए गए रूग्ण औद्योगिक एककों के नाम क्या हैं ?

(ग) क्या केन्द्रीय रुग्ण औद्योगिक एककों का प्रबन्ध करने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता देगी; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ऐसी कितनी सहायता देगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) तथा (ख) केन्द्र सरकार ने उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल के निम्नलिखित उपक्रमों का प्रबन्ध अधिग्रहण कर लिया हैं तथा इन एककों का प्रबन्ध पश्चिम बंगाल सरकार अथवा उनके नामिति को सौंप दिया है :—

1. मैं० ईस्टर्न डिस्टीलेरीस प्रा० लि०,
2. मैं० ग्लूकोनेट लि०
3. मैं० ब्रिटेनिया इंजी० के० लि०, टीटागढ़ एकक
4. मैं० आलोक उद्योग वनस्पति एण्ड प्लाईवुड लि०,
5. मैं० इण्डिया बेल्टिंग एण्ड काटन मिल्स लि०,
6. मैं० एब्रेसिटस् एण्ड कास्टिंग्स लि०, वाली एकक
7. मैं० कृष्णा सिलिकेट ग्लास वर्कस लि०,
8. मैं किन्निसन जूट मिल्स कं० लि०,
9. मैं० ईगल इण्डिया मशीन्स एण्ड टूल्स लि०,
10. मैं० डा० पाल लोहसन (इण्डिया) लि०,
11. मैं० लिली बिस्कूट्स प्रा० लि०,

(ग) तथा (घ) : केन्द्रीय सरकार उन रूग्ण औद्योगिक उपक्रमों को, जिनका प्रबंध उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत हाथ में ले लिया गया है, प्रबन्ध तथा पुनरुत्थान के लिए राज्य सरकारों को सीधे कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करती जिन औद्योगिक उपक्रमों का प्रबन्ध पश्चिम बंगाल सरकार को सौंपा गया है। उनके वित्त पोषण का दायित्व इनके प्रत्यक्ष रूप से अथवा बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के माध्यम से व्यवस्था करके ले लिया है।

झालावाड़ जिले में लघु उद्योग

8404 श्री चतुर्भुज : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय द्वारा घोषित औद्योगिक नीति के अधीन झालावाड़ जिले (राजस्थान) में एक औद्योगिक केन्द्र कितने समय से चल रहा है।

(ख) केन्द्र स्थापित होने के बाद से 15 मार्च तक कितने लघु औद्योगिक एकक स्थापित किये गये हैं।

(ग) क्या उन लघु औद्योगिक एककों के नाम, स्थान, उनके द्वारा तैयार की जाने वाली वस्तुएं, उनमें लगाई गई पूंजी, आदि दर्शाने वाला एक विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। और

(घ) क्या यह औद्योगिक केन्द्र बिल्कुल निष्क्रिय है और यदि हां, तो उसके कार्यकरण में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) झालावाड़ जिला उद्योग केन्द्र 9 महीने से अर्थात् जुलाई, 1978 से कार्य कर रहा है ।

(ख) जिले से दिसम्बर, 1978 तक की प्रगति रिपोर्ट प्राप्त हुई है तथा जानकारी के अनुसार, 148 औद्योगिक एकक स्थापित किये गये हैं, जिनमें 128 कारीगर प्रधान एकक तथा 20 लघु एकक शामिल हैं ।

(ग) राज्य सरकार से स्थापित एककों के ठीक स्थापना स्थल, निवेश आदि के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हुई । देश में प्रत्येक जिला उद्योग केन्द्र से ऐसी जानकारी इकट्ठी नहीं की जाती है ।

(घ) जी, नहीं । दिसम्बर, 1978 तक की प्रगति से यह पता चलता है कि केन्द्र निष्क्रिय है । केन्द्र ने 1979-80 तक के लक्ष्य भी तैयार कर लिए हैं ।

राजकीय पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा परिसम्पत्ति की घोषणा के संबंध में कानून अधिनियमित करना

8405. श्री श्याम सुन्दर लाल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे कानून अधिनियमित करने के बारे में कोई प्रयास किये गये हैं जिसके अन्तर्गत राजकीय पदों पर आसीन व्यक्तियों को कार्यभार सम्भालने अथवा पद त्याग करने के समय अपनी परिसम्पति की तत्काल घोषणा करनी पड़ेगी;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) से (ग) मंत्रियों के लिए पहले ही एक आचार संहिता है जिसमें मंत्रियों द्वारा पद भार सम्भालने के पश्चात तथा उसके पश्चात वार्षिक रूप से अपने तथा अपने परिवार के सदस्यों की कुल परिसम्पतियों देयताओं तथा व्यापार के हितो को प्रधान मंत्री को बताने की व्यवस्था है । सरकार ने सभी संसद सदस्यों (मंत्रियों सहित) द्वारा अपनी परिसम्पत्तियों दायित्वों तथा व्यापारिक संबंधों की घोषणा किए जाने के बारे में उचित कानून बनाने का निर्णय भी लिया हैं । इस सम्बन्ध में रूप रेखा निश्चित कर लेने पर, सरकार का संसद में विपक्षी दलों के नेताओं के साथ प्रस्तावित कानून के सम्बन्ध में विशिष्ट मामलों पर विचार विमर्श करने का प्रस्ताव है । ऐसे विचार -विमर्श करने का कार्य आरम्भ किया जा चुका हैं । लोक कर्मचारियों द्वारा परिसम्पत्तियों आदि की घोषणा संबंधित आचार नियमो द्वारा नियमित की जाती है । राजकीय पदों पर आसीन अन्य के संबंध में इसी प्रकार का कानून बनाने के बारे में सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है ।

बड़े उद्योगों के उप उत्पादों का राज्यों के लिए आरक्षण

8406 श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री दया राम शाक्य :
क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के बड़े उद्योग राज्यों में स्थित हैं परन्तु उनके बिक्री डिपों कलकत्ता, बम्बई आदि बड़े नगरों में स्थित हैं और उन कारखानों के उत्पाद राज्यों को उपलब्ध करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार राज्यों की आवश्यकता को देखते हुए ऐसे बड़े उद्योंगों के उप उत्पाद का एक भाग उनके लिए आरक्षित करने हेतु व्यवस्था करेगी और उद्योग विभाग की सिफारिश पर संयत्र से इन उप उत्पादों का आबंटन स्थानीय अधिकारियों को करेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (ग) औद्योगिक उपक्रमों को औद्योगिक लाइसेंन्स स्वीकृत करते समय औद्योगिक लाइसेन्सों में ब्यौरे के साथ साथ उनके स्थापना स्थल का भी उल्लेख किया जाता है। किन्तु उपक्रमों के मुख्यालयों/बिक्री कार्यालयों के स्थल का निर्णय इनके प्रबन्धक वर्ग द्वारा अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए स्वयं ही लिया जाता है। बहु-एकक़ीय कम्पनियां विभिन्न राज्यों में अपने कारखाने स्थापित कर सकती हैं किन्तु अपने बिक्री कार्यालय विभिन्न स्थानों पर रख सकती है। कम्पनी अधिनियम-1956 के अंतर्गत कम्पनियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे केन्द्रीय सरकार को अपने मुख्यालयों के पते के बारे में जानकारी न देकर अपने पंजीकृत कार्यालयों के पतों के बारे में ही जानकारी दें। राज्य में औद्योगिक एकक स्थापित करके अधिक राज्य से लाभ होगा ही फिर भी राज्य में मुख्यालय/पंजीकृत कार्यालय स्थापिते किये जाने के परिणामस्वरूप भी कुछ लाभ हो सकता हैं। कम्पनी अधिनियम और उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के उपबन्त्रों के अन्तर्गत निजी क्षेत्र की कम्पनियों को अपने पंजीकृत कार्यालय/मुख्यालय विशेष स्थान पर स्थापित करने के सम्बन्ध में निदेश देने का सरकार के पास कोई अधिकार नहीं हैं।

उद्योग विकास तथा विनियमन अधिनियम को प्रथम अनुसूची के अन्तर्गत आने वाली किसी वस्तु का उचित मूल्यों पर समान वितरण तथा उपलब्धता निश्चित करने के लिए, केन्द्रीय सरकार के पास की धारा 18 ज के अन्तर्गत उक्त अधिनियम उसके संभरण तथा वितरण को विनियमित करने सम्बन्धी अधिसूचित आदेश जारी करने के अधिकार है।

एलेक्ट्रानिक घड़ियाँ बनाने के लिए एच०एम०टी० को अनुमति न दिया जाना

8407. श्रीमती मोहसीना किदवई : क्या **इलेक्ट्रॉनिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या सरकार द्वारा निर्णय के किये जाते तथा अधिकारियों द्वारा अनावश्यक विलम्ब

की समस्या को दूर न किये जाने के कारण हिन्दुस्तान मशीन टूल्स को इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां बनाने की अनुमति नहीं दी जा रही;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एच०एम०टी० बहुत से देशों को माल निर्यात करने में सक्षम है तथा मूल्यवान विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकता हैं, उस सम्बन्ध में कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

इलेक्ट्रॉनिकी राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नही उठता।

(ग) सरकार ऐसा नहीं समझती कि इस अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों का कोई उल्लेखनीय निर्यात किया जा सकता है। मई 1979 में इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों के सम्बन्ध में औद्योगिक और प्रौद्योगिकी-नीति की घोषणा करने के फौरन बाद इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों के अन्य निर्माताओं द्वारा पेश किए गए आवेदन पत्रों के साथ ही एच०एम०टी० के आवेदन पर निर्णय किया जाएगा।

संविधान में नेपाली भाषा का सम्मिलित किया जाना

8408. श्री सी०के० चन्द्रप्पन : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या हिमाचल प्रदेश नेपाली भाषा समिति की ओर से सरकार को संविधान की आठवीं अनुसूची में नेपाली भाषा को सम्मिलित करने के बारे में ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उन्होंने ज्ञापन में क्या मांगे की हैं और उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी हां श्रीमान।

(ख) समिति ने संविधान की आठवीं अनुसूची में नेपाली भाषा को शामिल करने की मांग की है। सरकार का विचार है कि संविधान की आठवीं अनुसूची का विस्तार न किया जाए। फिर भी, सरकार का यह प्रयास है कि सभी भाषाओं का इस तथ्य के बावजूद कि उन्हें आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाता है अथवा नहीं, सांस्कृतिक और साहित्यिक परम्पराओं के विकास को प्रोत्साहित किया जाए।

प्योर ड्रिंक्स द्वारा 'कोका कोला' को आमंत्रण

8409. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उद्योगों के प्योर ड्रिंक्स ग्रुप ने भारत में कोकाकोला को आमंत्रित किया था;

(ख) क्या वे भारत में कोका कोला की अधिकतम बोतल भरते थे; और

(ग) कोका कोला निर्यात निगम द्वारा स्वदेश भेजी गई राशि के मुकाबले में प्योर ड्रिंक्स के इस कार्य से कितनी मुद्रा भारत से बाहर गई ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) 1958 में, भारत में सान्द्रण बनाने के लिए एक ब्रांच कंपनी स्थापित करने हेतु कोका कोला कंपनी (यू.एस.ए.) को अनुमति दी गई थी, ताकि सान्द्रण का आयात करने से विदेशी मुद्रा बचायी जा सके।

(ख) जी, हां।

(ग) प्योर ड्रिन्क उद्योग समूह के कार्यसंचालन के फलस्वरूप कोका कोला निर्यात निगम द्वारा भेजी गई राशि के बारे में जानकारी सरकार के पास तत्काल उपलब्ध नहीं है।

नमक उद्योग समिति (साल्ट इंडस्ट्री सोसाईटी) के अध्यक्ष का जामनगर का दौरा

8410. श्री धर्मसिंह भाई पटेल : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नमक उद्योग समिति (साल्ट इंडस्ट्री सोसाइटी) के अध्यक्ष, मंत्रालय में राज्य मंत्री और समिति के सदस्यों ने गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में जामनगर और मीठापुर का दौरा किया था और यदि हां, तो कब और इसके क्या कारण थे;

(ख) उक्त समिति ने वहां किन-किन स्थानों का दौरा किया और उनसे कौन-कौन से संगठन और एसोसिएशन मिलों और उन्होंने किस प्रकार की लिखित और मौखिक मांगें प्रस्तुत की;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) :—उच्च-स्तरीय नमक जाँच समिति के अध्यक्ष के रूप में उद्योग राज्य मंत्री तथा समिति के अन्य सदस्यों ने नमक बनाने के कार्यकरण तथा रसायन एककों का अध्ययन करने की दृष्टि से 17-18 मार्च 1979 को जामनगर तथा मिथापुर का दौरा किया था तथा नमक बनाने वालों से नमक उद्योग के सभी आने वाली समस्याओं के विषय में चर्चा की थी।

नमक वर्क्स/रसायन एकक जिनके प्रतिनिधियों से समिति में मुलाकात हुई थी, के नाम इस प्रकार हैं :—

1. मैसर्स टाटा केमीकल्स, मिथापूर।
2. हलार साल्ट वर्क्स, जामनगर।
3. चूडेश्वर साल्ट वर्क्स, चूडेश्वर।
4. वल्लारचुर साल्ट वर्क्स, सिंगह।

5. सौराष्ट्र साल्ट मैन्युफैक्चरिंग कं० पोरबंदर ।

6. सौराष्ट्र साल्ट वर्क्स, विक्टर ।

7. हिन्डोला साल्ट वर्क्स, मरई ।

8. जूनागढ़ साल्ट वर्क्स, मरई ।

9. भारत साल्ट वर्क्स भावनगर ।

10 प्रेम मेगनीसिया साल्ट वर्क्स, परसरानप्रोरिया लवणपुर ।

11. सौराष्ट्र केमीकल्स, जामनगर ।

12. महाराजा साल्ट वर्क्स, परसरायपोरिया लवणपुर ।

13. सिक्का साल्ट वर्क्स, सिक्का जामनगर ।

चर्चा के दौरान उठाए गये विषयों में प्रमुख विषय नमक की ढुलाई के लिए पर्याप्त संख्या में वैगनों तथा जहाजों की उपलब्धि, अच्छे किस्म के नमक का उत्पादन करने तथा उत्पादों का निर्माण करने के लिये गवेषणा स्टेशनों तथा नमूना नमक फार्मों की स्थापना करना, विकास एवं श्रमिक कल्याण के कार्यों के लिये नमक उपकर का द्रुत उपयोग करने हेतु नमक उपकर का उचित प्रबंध करना, जट्टाओं एवं बन्दरगाहों का सुधार करना, कलकत्ता को जहाज से भेजे गये नमक के जहाज तक निःशुल्क संशोधित मूल्य का नियतन भूमि के पट्टे की अवधि निर्यात का संवर्धन करना, नमक विभाग की भूमिका तथा निजी क्षेत्र द्वारा आयोजिकृत नमक का उत्पादन एवं संभरण करना है ।

(ग) और (घ) समिति इन विषयों तथा विभिन्न स्रोतों से मिली संगत सूचनाओं पर विचार करेगी तथा विभिन्न विषयों पर निर्णय लेने हेतु सरकार को अपनी शिफारिशें देगी ।

छठी योजना के दौरान सरकारी क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना करना

8411. श्री सुरेन्द्र विक्रम : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में छठी पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से नए सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना किये जाने की सम्भावना है; और

(ख) विभिन्न राज्यों को नए उद्योगों की स्थापना के लिये कितनी धनराशि आवंटित की गई हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के नाम, उनका कार्य स्थल तथा छठी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित किया गया परिव्यय पंचवर्षीय योजना प्रलेख (1978-83) प्रारूप के पृष्ठ 200 से 205 में दिया गया है ।

मेघालय में पटसन मिल की स्थापना

8412. श्री पी०ए० संगमा : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थानीय कच्ची सामग्री को काम में लाने और रोजगार की व्यवस्था करने के उद्देश्य से मेघालय में एक पटसन मिल स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (ग) :—मेघालय सरकार गारो हिल जिले में अपने ही जूट बागानों पर आधारित एक पटसन मिल स्थापित करने की इच्छुक हैं। एक आशय पत्र 1974 में जारी किया क्या था। इस आशय पत्र को पुनः वैधता करने के लिए राज्य सरकार के अनुरोध पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

उद्योग के उत्पादन में अपर्याप्त वृद्धि होना

8413 : श्री युवराज क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक उत्थान में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सभी मंत्रालयों में कुछ समन्वय स्थापित किया जा रहा है;

(ख) क्या अप्रैल से जुलाई, 1978 तक की अवधि में उद्योगों के उत्पादन में अपर्याप्त वृद्धि के बारे में विचार किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो औद्योगिक उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (ग) मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए सरकारी तथा मंत्रालयी स्तरों पर एक प्रभावकारी तंत्र की स्थापना की गई थी, ताकि 1978-79 में औद्योगिक विकास का 7 से 8 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। अप्रैल से दिसम्बर, 1978 की अवधि में विकास की वास्तविक दर लगभग 8 प्रतिशत थी जो इस लक्ष्य के अनुरूप है। कुल 163 उद्योगों में से जिनके तुलनात्मक आकड़े उपलब्ध हैं, उत्पादन में गिरावट दर्शाने वाले उद्योगों की संख्या जो अप्रैल-जुलाई, 1978 में 52 थी कम होकर अप्रैल-जनवरी, 1978-79 में 34 हो गई है ?

हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन सम्पर्क अधिकरणों की बैठक

8414. श्री कचरूलाल हेमराज जैन : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी शिक्षण योजना में विभिन्न कार्यालयों के सम्पर्क अधिकारियों की बैठकें करने की व्यवस्था की है; और

(ख) दिल्ली में कितनी बार ऐसी बैठकों का आयोजन किया गया और ऐसे महत्वपूर्ण विषयों का ब्यौरा क्या है जिन पर इन बैठकों में निर्णय किए गए ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान् । हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत सर्वकार्य प्रभारी अधिकारियों द्वारा सम्पर्क अधिकारियों के साथ बैठक करने की व्यवस्था है । परन्तु हिन्दी शिक्षण योजना की पुनरीक्षण समिति की सिफारिश को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के बाद से दिल्ली में सर्वकार्य-प्रभारी अधिकारियों के पद समाप्त कर दिए गए हैं। कक्षाओं के गठन का काम सहायक निदेशक प्राध्यापकों की मदद से और सम्पर्क अधिकारियों से मिलजुल कर करते हैं । ऐसे भी, प्रत्येक सत्र के प्रारम्भ में विभिन्न मंत्रालयों । विभागों की विभागीय बैठकों में हिन्दी शिक्षण योजना के अधिकारी भाग लेते हैं । इसलिए सम्पर्क अधिकारियों की अलग से बैठकें बुलाने की आवश्यकता नहीं है ।

'प्लाट टू त्रिपुरा आफ इंडिया स्काचड' शीर्षक के समाचार

8415 **श्री किरित बिक्रम देव बर्मन** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान साप्ताहिक 'ब्लिट्ज' दिनांक 10 फरवरी, 1979 में 'प्लाट टू टिअर त्रिपुरा आफ इण्डिया स्काचड' शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस कथित षड्यन्त्र के, सम्बन्ध में राज्य सरकार से अलग कोई स्वतन्त्र जांच इस बीच की है और यदि हां, तो ऐसी जांच के क्या निष्कर्ष किलले ?

गृह मंत्री में राज्य मंत्री (श्री धनिकलाल मण्डल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) केन्द्रीय सरकार के पास त्रिपुरा उप जाति युवा समिति द्वारा आन्दोलन के पीछे विदेशी हाथ होने अथवा विदेशी धन का कोई साक्ष्य नहीं है ।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सहकारी समिति को हुई हानि

8416. श्री राजे विश्वेश्वर राव : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, वर्ष बार, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लि० को कितनी हानि हुई है और इस हानि को रोकने के लिए कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या कदाचार रोकने हेतु समितियों/स्टोरों के कार्यकरण का पर्यवेक्षण करने के लिए शेयरधारी सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों से अवैतनिक आधार पर काम करने की अपील की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय तथा विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस, डी. पटिल : (क) गत तीन सहकारी वर्षों अर्थात् 1975-76, 1976-77 और 1977-78 के दौरान

केन्द्रीय सहकारी कर्मचारियों उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड को हुई हानि नीचे दी गई है—

सहकारी वर्ग	निवरुहानि
1975-76	रुपए 6, 17, 767-70
1976-77	रुपए 4, 17,503-87
1977-78	रुपए 8, 72, 039-86

(अन्तिम लेखा पर आधारित)

समिति के कार्यों में सुधार लाने और उसे कारगर रूप देने के उपायों का सुभाव देने के दष्टिकोण से राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ इसको कार्य प्रणाली का विस्तृत अध्यन कर रहा है। उसको सिफारिशें प्राप्त होने पर सरकार इस बात की जांच करेगी कि हानियों को रोकने के उद्देश्य से समित की कार्य प्रणाली में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जायें।

(ख) जो नहीं, श्रीमान।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

कपड़ों के रंग, डिजाइन और प्रिंटो की संख्या

8417 श्री गिरधर गोमांगों क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) देश में उपलब्ध कपड़ों के रंगो डिजाइनों और प्रिंटो की कुल संख्या कितनी है,

(ख) रंग, डिजाइन और प्रिंटों के बारे में उनके मंत्रालय की क्या नीति है,

(ग) उनमें से कितने मशीनों द्वारा बनाये जाते हैं, और

(घ) हाथ से बनाये जाने वाले कपड़े के रंगो, डिजाइनों और प्रिंटों के कार्यों में लगे व्यक्तियों की राज्यवार संख्या कितनी है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (ग) देश में कपड़ों के असंख्य रंग डिजाइन व प्रिंट उपलब्ध हैं। इनकी किसी प्रकार की गणना करना कठिन है। इसमें हस्तक्षेप करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड ने अनुमान लगाया है कि हाथ से छापने के उद्योग में मोटे तौर पर 1, 50,000 व्यक्ति लगे हुए हैं।

हरिजनों पर अत्याचारों में कमी

8418. श्री धर्मवीर वशिष्ठ : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जनजाति आयुक्त ने दिनांक 9 फरवरी, 1979 को दिये अपने वक्तव्य में बताया है कि पीछे कुछ समय से हरिजनों पर अत्याचारों के मामलों में कमी आयी है ; और

(ख) यदि हां, तो आंकड़ों और तथ्यों के प्रमाण सहित उनके इस आशावाद का आधार क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) और (ख) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष ने दिल्ली से 9-2-1979 को कोई वक्तव्य जारी नहीं किया था । यह समझा जाता है कि उन्होंने 14-12-78 को एक हिन्दी साप्ताहिक के एक प्रतिनिधि को एक अनौपचारिक इंटरव्यू दिया था जो अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सामान्य मामलों के बारे में था । इस इंटरव्यू पर एक रिपोर्ट दिनांक 11-17 फरवरी 1979 को उस साप्ताहिक के अंक में और दिनांक 10-2-1979 को नई दिल्ली से प्रकाशित हिन्दी दैनिक में भी प्रकाशित हुई थी । यह समझा जाता है कि इस इंटरव्यू के दौरान अध्यक्ष ने विस्तृत ऐतिहासिक परिदृष्य में जिसमें उन्नीसवीं सदी से पूर्व के विभिन्न सुधार आन्दोलन आ जाते हैं अस्पृश्यता के संदर्भ में अनुसूचित जातियों पर ज्यादतियों में कमी के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं न कि किसी हाल की अवधि के संदर्भ में ।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम के लाभ का हिसाब लगाया जाना

8419. श्री राम विलास पासवान : (क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय कपड़ा निगम के कुल लाभ तथा शुद्ध लाभ का किस प्रकार हिसाब लगाया गया है,

(ख) क्या गत तीन वर्षों के लाभ के सत्र तथा आंकड़ों की तुलनात्मक स्थिति ठीक है, और

(ग) यदि नहीं, तो किन मदों के लिये प्रभार लगाये गये हैं और इसके क्या कारण है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने व्यापारिक (मर्केन्टाइल) अपनाई है। राष्ट्रीय वस्त्र निगम के सकल तथा शुद्ध लाभ/हानि विवरण कम्पनी अधिनियम 1956 में निर्धारित अपेक्षाओं तथा गणना के स्वीकृत सिद्धांतों के आधार पर तैयार किये जाते हैं । सकल लाभ/हानि मूल्य ह्रास की व्यवस्था करने के बाद किन्तु ब्याज तथा कराधान से पूर्व निकाले जाते हैं। शुद्ध लाभ/हानि मूल्यह्रास, ब्याज तथा कराधान के लिए व्यवस्था करने के बाद निकाले जाते हैं ।

(ख) जी हाँ । जहा तक फार्मुले का संबंध हैं, इसमें कोई परिवर्तन नही हैं । लाभ/हानि के आंकड़े प्रतिवर्ष बाजार तथा कार्य करने सम्बन्धी परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा इंजीनियरों के पदों के लिए विज्ञापन

8420. श्री भानु कुमार शास्त्री : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या यह सच है कि भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली ने सितम्बर, 1978 में इंजीनियरों के विभिन्न पदों के लिये विज्ञापन दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी, हां ।

(ख) भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा जारी किए गये नोटिस की एक प्रति संलग्न है ।

(ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4363/79)

खादी ग्रामोद्योग का उत्पादन और विपणन

8421. श्री मुकुन्द मंडल : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खादी तथा ग्राम-उद्योगों के उत्पादन और विपणन को बढ़ाने के लिए कोई नीति बनाई है,

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, और

(ग) खादी तथा ग्राम-उद्योगों के बारे में विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की संभावनायें क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) सरकार ने श्रम-प्रधान उद्योगों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है जिनका प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से खादी तथा ग्रामीण उद्योगों करता है । खादी तथा ग्रामीण उद्योगों के भावी विकास के लिए वस्तुओं के आरक्षण सहित इन उद्योगों के विकास हेतु भावी योजना, नीति तथा कार्यक्रमों की सिफारिश करने के लिए सरकार द्वारा खादी तथा ग्रामीण उद्योगों पर एक कार्यकारी दल गठित किया गया था । कार्य दल ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी है, उन पर निर्णय लिये जाने के पश्चात् ही उन्हें कार्यान्वित किया जायेगा । छठी योजना में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की विकास गतिविधियों में उन कारीगरों को शामिल किया जाएगा जो अभी तक किसी अभिकरण द्वारा शामिल नहीं किए गए हैं, ताकि उन्हें अपेक्षित निविष्टियां प्रदान करके निरन्तर तथा पूर्ण रोजगार मिल सकें ।

(ग) परम्परागत उद्योग होने के कारण अधिकांश ग्रामीण उद्योगों की प्रगति कच्चे माल जैसे घानी के तेल, ग्रामीण चमड़े, वनों पर आधारित उद्योग, खजूर के गुड़, मलमल खादी आदि की उपलब्धता से सम्बन्धित है ।

(1) बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, जहां अनेक घानियां विद्यमान है, ग्रामीण तेल उद्योग विकसित हो सकता है ।

(2) उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा तमिलनाडु पंजाब तथा राजस्थान में ग्रामीण चमड़ा उद्योग स्थापित करने की गुंजाईश है ।

(3) तमिलनाडु पश्चिम बंगाल, केरल व आन्ध्र प्रदेश में खजूर के गुड़ के उद्योग का विकास किया जा सकता है ।

(4) आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश व मणिपुर में बनों पर आधारित उद्योग जैसे चिकित्सा-सम्बन्धी प्रयोजनों के लिए जंगली पौधों व फलों के इकट्ठी करने में तेजी आई है । वहां पर इन उद्योगों के विकसित होने की गुंजाईश है ।

यद्यपि, कताई-कार्य अखिल भारतीय आधार पर होता है, मलमल खादी का विकास विशेष रूप से केरल, तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र के तटवर्तीय क्षेत्रों में किया जा सकता है । खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने उत्तर प्रदेश के लिए नशाबन्दी के कारण बेरोजगार हुए भूतपूर्व ताड़ी निकालने वालों को खजूर से गुड बनाने के कार्यकलाप के अन्तर्गत काम के अवसर प्रदान करने हेतु एक कार्यक्रम बनाया है तथा इस कार्यक्रम की अन्य राज्यों में भी विस्तार किया जायेगा । खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने खादी तथा ग्रामीण उद्योगों के माध्यम से समुदाय के सबसे गरीब तबके तक पहुंचने के लिए राजस्थान राज्य सरकार द्वारा तैयार किये गये 'अन्योदय' कार्यक्रम सहायता प्रदान की है । तथा उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए विशेष कार्यक्रम भी बनाएं हैं तथा वित्तीय सहायता के स्वरूपों को उदार बना दिया है ।

लोहे के पाइपों की दरें

8422 श्री हुकम देव नारायण यादव : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975 में 4 इंच व्यास वाले लोहे के पाइप का प्रतिफुट क्या मूल्य था तथा इस समय इसका क्या मूल्य है ;

(ख) क्या छोटे और सीमान्त किसानों की सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार का विचार इसके मूल्य में कमी करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) चूंकि पाइपों तथा ट्यूबों के मूल्यों पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है अतः पाइपों के मूल्यों का कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है । फिर भी, पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय से यह पुष्टि की गई है कि मर्च, 1975 में उन्होंने 4" व्यास के जी० आई० पाइपों के लिए दरों का ठेका किया था जिसके अनुसार हल्के भार वाली पाइपों की कीमत 15.98 रुपये प्रतिफुट तथा मझौले भार वाली पाइपों की कीमत 18.77 रुपये प्रतिफुट थी । इसकी तुलना में मार्च, 1979 में पूर्ति तथा निपटान के महा-निदेशालय द्वारा प्राप्त ठेके की दरें क्रमशः 17.85 रुपये प्रतिफुट तथा 21.58 रुपये प्रतिफुट है । ये मूल्य रेलगाड़ियों द्वारा भेजे जाने वाले मूल्यों पर आधारित है ।

(ख) चूंकि मूल्यों पर कोई नियंत्रण नहीं है अतः सरकार का हस्तक्षेप करने का कोई विचार नहीं है। तथापि, देशी मंडी में पाइपों के मूल्यों की कमी के विचार से हाल ही में सरकार ने देशी हाट रोल्ड कायल्स के प्रयोग/पाइपों के निर्यात के लिए स्कैल्प को बन्द कर दिया है जिससे मार्च, 1979 तक देशी मंडी को मिलने वाले हाट रोल्ड कायल्स/स्कैल्प को लगभग 25,000 टन से बढ़ाकर अप्रैल, 1979 में 35,000 टन किया जा सके।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

राजघाट पर की गई प्रतिज्ञाओं का पूरा किया जाना

8423. डा० रामजी सिंह : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्वोदय कार्यकर्त्ताओं ने 30 जनवरी, 1979 को उन्हें एक ज्ञापन दिया था ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या सरकार महसूस करती है कि 1977 में राजघाट समाधि पर की गई प्रतिज्ञाएं पूरी तरह पूरी नहीं की गई हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सर्व सेवा संघ, छात्र युवा संघर्ष वाहिनी, राष्ट्रीय लोक समिति तथा जनतंत्र समाज (दिल्ली शाखा) के प्रतिनिधियों ने 30 जनवरी, 1979 को एक ज्ञापन दिया था।

(ख) और (ग) इस ज्ञापन में उठाए गये अधिकाँश मामलों की सरकार को पहले से ही जानकारी है और सत्ता में आने के बाद वर्तमान सरकार ने जो वायदे किए थे उन्हें पूरा करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इन नीतियों तथा कार्यक्रमों को लागू करना एक सतत् प्रक्रिया है।

विभिन्न प्रकार के कपड़े की हथकरघा क्षेत्र के लिए आरक्षित करना

8424. श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या सरकार ने कुछ प्रकार के कपड़े का केवलमात्र हथकरघा क्षेत्र द्वारा उत्पादन करने सम्बन्धी आरक्षण का उपलब्ध करने के प्रश्न पर विचार किया है,

(ख) क्या सरकार को विद्युत चलित करघा क्षेत्र द्वारा आरक्षण आदेशों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन करने के बारे में समाचार प्राप्त हुए हैं, और

(ग) यदि हां, तो कपड़ा आयुक्त, भारत सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है और राज्य सरकारों को इन आदेशों का प्रवर्तन करने के बारे में जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : (क) जी, हां। केवल हथकरघा क्षेत्र में उत्पादन किये जाने के लिए सूती वस्त्रों की कुछ वस्तुओं को उपयुक्त रूप से आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है।

(ख) समय-समय पर आरक्षण-आदेशों का उल्लंघन होने के समाचार मिले हैं।

(ग) प्रत्येक राज्य सरकार को आरक्षण आदेशों के प्रवर्तन के लिए शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं जिनका प्रयोग राज्य सरकार के उन उपयुक्त अधिकारियों द्वारा किया जाता है, जो हथकरघा आरक्षण आदेशों का उल्लंघन करने वाले विद्युत चालित करघों के विरुद्ध समय-समय पर कार्रवाई करते हैं। जिन विद्युत चाल्ति करघों के खिलाफ हथकरघा आरक्षण आदेशों का उल्लंघन करने के बारे में अपराध सिद्ध हो जाता है, उन पर जुर्माने किये जाते हैं। किन्तु, व्यवहारतया:, अधिकांश राज्यों में विद्युतचालित करघा एककों ने इन आदेशों का कार्यान्वियन स्थगित करने के लिए उपयुक्त न्यायालयों से व्यादेश प्राप्त कर लिये हैं तथा मामला उपयुक्त न्यायालयों में निर्णयाधीन है। हाल ही में, आरक्षण आदेशों की वैधता को चुनौती देते हुए एक रिट् याचिका सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दाखिल होने की अवस्था में ही निरस्त कर दी गई थी तथा अग्रेतर कार्रवाई के लिए उस निर्णय की एक प्रति पतीक्षित है।

गुजरात में टाटा मर्सीडीज ट्रक

8425. **श्री अहमद एम० पटेल** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में टाटा मर्सीडीज ट्रकों के विक्रेता एजेंटों के नाम क्या है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि टाटा मर्सीडीज ट्रक प्राप्त करने के लिए लागत मूल्य के ऊपर एक भारी रकम का पृथक भुगतान करना पड़ता है और यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई कार्यवाही की है;

(ग) क्या यह सच है कि लक्ष्मी मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, सूरत, जी टाटा मर्सीडीज के एजेन्ट है, उन ग्राहकों के रजिस्टर को समुचित रूप से नहीं रखते, जो ट्रकों की खरीद के लिए अग्रिम धनराशी जमा करते हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस बारे में कोई कार्यवाही कर सकती है और यदि हां, तो कब कार्यवाही की जायेगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) आवश्यक सूचना जैसी कि निर्माताओं द्वारा बताई गई है, संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) प्रीमियम आदि लेने से संबंधित कदाचार की गुंजाइश को कम करने के उद्देश्य से उत्पादन वृद्धि के लिए कदम उठये गये हैं। इसके अतिरिक्त दिनांक 21-3-79 को जारी किये गये आदेश द्वारा सरकार ने इसके खरीदने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए नये वाणिज्यिक वाहनों की पुनः बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है।

(ग) निर्माता द्वारा इस बात की पुष्टि की गई है कि ग्राहकों द्वारा संबंधित विक्रेता के पास बुक किये गये क्रयादेशों का विधिवत एक रजिस्टर रखा जाता है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गुजरात में टाटा डीजल गाड़ियों के विक्रेताओं के नाम जिसमें प्रमुख व्यक्तियों के नाम शामिल है ।

(1)	मेसर्स लाखीज ब्रादर्स लाल दरवाजा, अहमदाबाद ।	श्री आर० एन० लखिया
(2)	मेसर्स कारगो मोटर्स प्राईवेट लिमिटेड, नेशनल हाईवे, गांधीधाम ।	श्री वाई० पी० नन्दा
(3)	मेसर्स वेस्टर्न मोटर्स, जिला पुस्तकालय के सामने, पोस्ट बाक्स नं० 50, राजकोट ।	श्री एम० एन० सुतारिया
(4)	मेसर्स लक्ष्मी मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, मलावी धर्मशाला भवन, रेलवे स्टेशन के सामने, सूरत-3	श्री के० एन० मेहता

भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा परिसम्पत्ति की घोषणा

8426. **श्री हलीमुद्दीन अहमद :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या सरकार का विचार निगरानी रखने हेतु भारत सरकार के सभी मंत्रियों के निजी स्टाफ और संयुक्त सचिव के पद से ऊंचे सभी अधिकारियों को अपनी परिसम्पत्ति तथा अपनी पत्नियों और बच्चों की परिसम्पत्ति की घोषणा करने के लिए कहने का है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय तथा विधि न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० डी० पाटिल) : (क) जी नहीं श्रीमान ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) आचरण नियमों के अधीन समूह 'क' और समूह 'ख' के अधिकारियों को अचल सम्पत्ति की एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक होती है । ये नियम सरकार अथवा विहित प्राधिकरण को किसी भी वर्ग के सरकारी कर्मचारी से, किसी भी समय उसके अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा अर्जित की गई चल अथवा अचल सम्पत्ति का पूर्ण विवरण मांगने का भी अधिकार देते हैं ।

नियन्त्रित किस्म के कपड़े का वितरण

8427. **श्री पी० के० कोडियन :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या योजना आयोग के कार्यालय मूल्यांकन संगठन द्वारा किये गये सर्वेक्षण से पता चला है कि नियत्रित किस्म के कपड़े के वितरण में एक गम्भीर अन्तर विद्यमान है, और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) मार्च, 1978 में प्रकाशित योजना आयोग कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन की सर्वेक्षण रिपोर्ट के निष्कर्ष निम्नलिखित है :

(i) एम समय, अर्थात् मार्च, 1976 में भी कस्बों के कमजोर वर्गो की जरुरतों को पूरा कर रहे आधे से अधिक बाजारों में नियंत्रित कपड़े उपलब्ध नहीं था तथा उसके बाद स्थिति बहुत बिगड़ गई हैं। कपड़े की वितरण व्यवस्था में पर्याप्त अंतर है।

(ii) सभी किस्म के कपड़े की समग्र बिक्री प्राय: सन्तोषजनक है यह निष्कर्ष गरीब उपभोक्ताओं में उत्पन्न प्रतिक्रिया से मेल नहीं खाती है।

इस अध्ययन में अप्रैल, 1979 तक की अवधि शामिल है तथा वर्तमान स्थति को नहीं दर्शाया गया है।

आयातित रेशम

8428, **श्री एस० आर दामाणी :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयातित रेशम का इसके स्वदेशी उत्पादन पर बहुत अधिक कुप्रभाव पड़ रहा है,

(ख) क्या सरकार को रेशम उत्पादकों से इस संबंध में अभ्यावेदन मिले हैं और

(ग) यदि हां, तो उन अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाई की गई है अथवा करने का विचार है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : कच्चे सिल्क के आयात की प्रतिपूर्ति नीति को या तो पूर्णत: बन्द करने या उसमें सुधार करने के अनुरोध वाले कुछ अभ्यावेदन सिल्क उत्पादकों की ओर से प्राप्त हुए थे। इस अभ्यावेदनों पर उचित रूप से विचार किया गया और सितम्बर, 1978 में यह निर्णय लिया गया कि आयात को सिल्क बस्त्र निर्यात की पोत पर्यन्त निशुल्क राशि के 10% तक सीमित किया जाए।

नैचूरल कारपेट बैंकिग' के लिए पूल निधि में पटसन मिलों के योगदान की असफलता

8429. **श्री के० राममूर्ति :** क्या **उद्योगमंत्री** यह बताने की कृपा करेगे कि;

(क) क्या 'नेचुरल कारपेट बैंकिग' को प्रोत्साहन देने के अभियान के लिए पूल निधि में योगदान करने में भारतीय पटसन मिलें असफल रही है;

(ख) क्या जूट कारपेट बैकिंग काऊन्सिल, अमरीका ने इस उद्देश्य के लिए धनराशि जुटाने का दायित्व पटसन निर्माता विकास परिषद् द्वारा उठाये जाने को कहा है,

(ग) क्या इससे 'जूट कारपैट बैकिंग' के लिए अमरीका के आकर्षक बाजार में गिरावट आयी है, और

(घ) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं । वास्तव में भारतीय जूट मिलों के आई० जे० एम० ए० ग्रुप तथा जूट कारपैट बैकिंग काउंसिल, अमरीका के मध्य किए गए स्वैच्छिक प्रबंध के अन्तर्गत आई० जे० एम० ए० से वार्षिक सदस्यता शुल्क तथा संबर्धन निधि में योगदान देने की अपेक्षा की जाती है। इस देयता को देने के बजाय भारतीय जूट मिल एशोसियेशन ने अभ्यावेदित किया है जूट मिल विकास परिषद (जे० एम० डी० सी०) को इस प्रकार के योगदान का भुगतान जूट कारपैट बैकिंग कांउसिल को करना चाहिए ।

(ग) और (घ) : हाल ही के महीनों में कलकत्ता बदरगाह तथा जूट उद्योग में आए संकट के कारण भारत से अमरीका को कारपैट बैकिंग के निर्यात में कुछ गिरावट आई है। इस गिरावट का सीधा संबंध जूट कारपैट बैकिंग काउंसिल को बकाया राशि का भुगतान न करने से नहीं हैं। भारतीय जूट मिलों से यह मनवाने के प्रयत्न किये जा रहे कि वे अमरीका को कारपैट बैकिंग के लम्बी अवधि के निर्यात के हित में जूट कारपेट बैकिंग काउंसिल को अपनी बकाया राशि का भुगतान कर दें ।

राज्यों को राजभाषाओं के विकास के लिए राज्यों का अनुदान

8430. **श्री नबाब सिंह चौहान :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या राज्यों को राजभाषाओं के लिए सरकार प्रति वर्ष विभिन्न राज्य सरकारों को अनुदान देती है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक राज्य को कितनी राशि का अनुदान दिया गया ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री धनिक लाल मण्डल : (क) जी नहीं । केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को उनकी राजभाषाओं के लिए कोई अनुदान नहीं दिया जाता हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

खेलों के सामानों का मानकीकरण

8431. **श्री अहमद हुसैन :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि

(क) क्या यह सच है कि हमारे देश में बनने वाले खेलों के सामानों की निर्यात सम्भावनायें अच्छी है,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के खेलों के सामानों के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास, मानकीकरण आदि करने के लिए केन्द्र स्थापना करने का विचार किया है, और

(ग) इस केन्द्र की स्थापना कब तक की जायेगी तथा कहां की जाएगी और खेलों के सामान देश के किन स्थानों पर बन रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) बढ़िया किस्म (क्वालिटी) के खेल के समान का उत्पादन व निर्यात करने के लिए अनुसंधान एवं विकास सम्बन्धी कार्य करने हेतु चालू योजनावधि में खेल के समान के उद्योग में एक उत्पादन व परिशोधन विकास केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ग) विकास आयुक्त (लघु उद्योग) चालू योजनावधि में कार्यान्वयन के लिए ब्यौरेवार संभाव्यता रिपार्ट तैयार कर रहे हैं। केन्द्र खेल के समान के उद्योग के एक मुख्य केन्द्र के रुप में मेरठ में स्थापित किया जायेगा। खेल के समान उद्योग इलाहाबाद, मुरादाबाद तथा बम्बई के अलावा जालन्धर, दिल्ली व कलकत्ता में भी सकेन्द्रित है।

हिमाचल प्रदेश को विस्फोटकों की सप्लाई

8432. **श्री गंगा सिंह** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश को उसके निर्माण कार्यों के लिए गत पांच वर्षों से प्रतिवर्ष आवश्यकता से बहुत कम विस्फोटकों की सप्लाई की गई है, और

(ख) क्या भारत सरकार वर्ष 1979-80 में हिमाचल प्रदेश की आवश्यकता पूरी कर सकेगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) औद्योगिक विस्फोटक पदार्थों के वितरण तथा संभरण पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है और इस प्रकार हिमाचल प्रदेश राज्य की औद्योगिक विस्फोटक सामग्री विषयक वर्षानुवर्ष की जरूरतों का लेखा नहीं रखा जाता है।

(ख) विस्फोटक सामग्री की कमी बराबर नहीं हुई है। औद्योगिक विस्फोटक सामग्री की उपलब्धि बढ़ाने हेतु कदम उठाए जा रहे हैं तथा हिमाचल प्रदेश राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किए जायेंगे।

केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समितियों को हुई हानि

8433. **श्री रामानन्द तिवारी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत एक वर्ष में समिति में 25 लाख रुपये की राशि के लगभग कथित धोखाधड़ी के कारण केन्द्र सरकार कर्मचारी उपभोक्ता समिति के 7-8 कर्मचारी मुअत्तिल किए गये हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि 4 से 5 महीने की अवधि बीत जाने पर भी यह मामला न तो पुलिस को दिया गया है और न बहुत से मामलों को विभागीय जांच ही आरम्भ की गई है; और

(ग) इन अनुशासनात्मक मामलों को निपटाने में विलम्ब के लिए, जिससे समिति/सरकार को हानि हो रही है, समिति के कार्यप्रभारी के विरुद्ध सरकार के मनोनीत निदेशकों/चेयरमैन द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय तथा विधि न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री : श्री एम० डी० पाटिल : (क) पहली जनवरी, 1978 से शुरू होकर अब तक की अवधि के दौरान समिति के 6 कर्मचारी निलम्बित गए थे। इनमें से चार कर्मचारियों को, उनके विरुद्ध रुपए 52,423.15 की कथित कमियों के कारण निलम्बित किया गया था इन चार व्यक्तियों में से एक के मामले में निलम्बन आदेश को अब रद्द कर दिया गया है क्योंकि वह अपने विरुद्ध पाई गई कमी के मूल्य को पूरा करने पर राजी हो गया है। शेष दो कर्मचारियों को इस कारण से निलम्बित किया गया था कि उन्होंने समिति के एक शाखा भंडार पर मानक नियंत्रित कपड़े को बिक्री के लिए मानक नियमों का उल्लंघन किया था।

(ख) और (ग) सभी मामलों में छान बीन की प्रक्रिया चल रही है। इनमें से एक मामले के सम्बन्ध में सूचना पुलिस को भी दे दी गई है और सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाई तेज करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

रक्षा मंत्रालय के सिविल कर्मचारियों का सिविल मंत्रालयों में प्रवेश

8434. श्री दयाराम शाक्य : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पूर्व रक्षा मंत्रालय के सिविल कर्मचारियों को रक्षा मंत्रालय के सुरक्षा अधिकारी द्वारा जारी किये गए पहचान-पत्र पर सभी सिविल मंत्रालयों में प्रवेश करने दिया जाता था;

(ख) क्या अब इन कर्मचारियों को उनके पहचान पत्रों के आधार पर सिविल मंत्रालयों में प्रवेश करने नहीं दिया जाता है;

(ग) इस सुविधा को वापस लेने के विस्तृत कारण क्या हैं ;

(घ) क्या रक्षा मन्त्रालय के सिविल कर्मचारियों को बहुत सी कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार उन्हें पहले की तरह की ही सुविधा उपलब्ध कराने का है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिकलाल मंडल) : (क) जी हां, श्रीमान, 1965 तक ।

(ख) जी नहीं, श्री मान उन्हें इस प्रकार अनुमति नहीं दी जाती ।

(ग) उन भवनों में जहां सिविल मंत्रालय स्थित थे सुरक्षा प्रबन्धों को सुव्यवस्थित करने के इरादे से केवल उन व्यक्तियों को जिनको संबंधित मंत्रालयों में शासकीय काम था उनमें प्रवेश करने की अनुमति देने का निर्णय किया गया था । उन कर्मचारियों की अवस्था में जिनके पास रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए पहचान पत्र थे गृह मंत्रालय के मुख्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उनके पहचान पत्रों को वैध करने की प्रणाली 1965 में आरम्भ की गई थी और अभी तक चालू है ।

(घ) कठिनाइयों और परेशानियों के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नही हुई है ।

(ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

केन्द्रीय वैज्ञानिक उप-करण संगठन चण्डीगढ़, के निदेशक की नियुक्ति

8435. **श्री गदाधर साहा** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, चण्डीगढ़ के निदेशक डा० हर्ष वर्धन को ठेके के आधार पर नियुक्ति किया गया था;

(ख) उनकी नियुक्ति के विषय में ठेका कब किया गया और ठेके की शर्तें तथा अवधि क्या थी ; और

(ग) क्या चयन पद का विज्ञापन देकर अथवा किसी अन्य माध्यम से किया गया था ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा आन्तरिक इलैक्ट्रानिकी विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभागों में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) और (ग) विज्ञापन के परिणामस्वरूप चयन के बाद डा० हर्षवर्धन की सेवाएं तारीख 2-2-1973 से प्रतिनियुक्ति पर प्राप्त की गई थी । वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की सेवाओं में इन्हें 10-4-1974 से स्थाई रूप से ले लिया गया है ।

वाणिज्यिक वाहनों की पुनः बिक्री पर प्रतिबन्ध

8436. **श्री अनन्त दवे :**
श्री अमर राय प्रधान :
श्री के० मालन्ना :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्यिक वाहनों की पुनः बिक्री पर दो वर्ष के लिये प्रतिबंध लगा दिये गये हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो यह आदेश किस ब्राण्ड के वाणिज्यिक वाहनों पर लागू होता है और क्या सरकार ने उक्त निर्णय निर्माताओं द्वारा किये जा रहे कदाचारों को भली प्रकार जानते हुए किया है ; और

(ग) क्या इसी प्रकार के प्रतिबंध 'बजाज' तथा 'प्रिया' दो पहिये वाले स्कूटरों पर भी लगाये जा रहे हैं तथा उनको जारी करने की पुरानी प्रणाली को पुनः लागू किया जा रहा है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी हाँ ।

(ख) तथा (ग) यह आदेश उचित दर की दुकानों पर वाणिज्यिक गाड़ियों के समान वितरण तथा उपलब्धता प्राप्त करने के उद्देश्य से लागू किया गया है तथा यह समूची वाणिज्यिक मोटरगाड़ी श्रेणी पर लागू है । यही बातें किसी व्यक्तिगत निर्माता द्वारा उत्पादित दो पहिये वाली गाड़ियों की श्रेणी पर लागू नहीं होंगी ।

तमिलनाडू में उठनगराय में हरिजनों को एक कुंए से पानी लेने से रोकना

8437. श्री एम० कल्याणसुन्दरम् : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उठनगराय (जिला धर्मपुरी, तमिल नाडु) में हरिजनों को पंचायत द्वारा निर्मित एक कुएं से पानी लेने से रोका जाता है ;

(ख) क्या यह सच है कि एक हरिजन सदायत को जब वह कुएं पर गई, तो ऊंची जाति वाले लोगों ने पीटा, उसकी झोपड़ी नष्ट कर दी और घर का सामान फेंक दिया ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(घ) हरिजनों को संरक्षण प्रदान करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ङ) क्या उनका ध्यान दिनाँक 2 अप्रैल, 1979 के 'जनयुग' दिल्ली में प्रकाशित एक समाचार की ओर दिलाया गया है ;

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) से (ङ) तक : अपेक्षित सूचना तमिलनाडू सरकार से मंगाई गई है और जब प्राप्त होगी, सभापटल पर रख दी जायेगी ।

पटसन के मूल्य में वृद्धि की माँग

8438. श्री के० प्रधानी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पटसन उत्पादकों ने पटसन के मूल्य में वृद्धि की कोई माँग की है, और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में किये गये सरकार के निर्णय का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क और (ख) कच्चे जूट के कानूनी न्यूनतम मूल्य प्रतिवर्ष कृषि मूल्य आयोग जो अन्य बातों के साथ साथ जूट उत्पादकों के अभ्यावेदनों पर भी विचार करता है, उसकी सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा निश्चित किए जाते हैं।

कर अपवंचन की समस्या से निपटने के उपाय

8439. प्रो० पी० जी० मावलंकर : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने कर अपवंचन की समस्या से निपटने के लिये एक उपाय के रूप में प्रत्यक्ष कराधान की दर को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बधी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) सरकार और विशेषरूप से वित्त मंत्रालय की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) क्या इस बारे में आगे कोई कार्रवाई की जा रही है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री फजलूर्रहमान) : (क) : जी, नहीं।

(ख) से (घ) तक : प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

एच० एम० टी० घड़ियों के फालतू पुर्जों के आयात पर खर्च की गई धनराशि

8440. श्री राजकृष्ण डान : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घड़ियां बनाने के लिये हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले सभी कल पुर्जो को देश में बनाते हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो घड़ियां बनाने के लिये एच० एम० टी० द्वारा कितने प्रतिशत कल पुर्जों का आयात किया जाता है ;

(ग) उन फालतू कल-पुर्जों के आयात पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होती है तथा एच० एम० टी० घड़ियों और फालतू पुर्जों के निर्यात से कितनी आय होती है ; और

(घ) एच० एम० टी० घड़ियों के संबंध में व्यापार संतुलन में सुधार करने के लिये सरकार क्या प्रभावकारी कदम उठाती है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी, हां,।

(ख) इस समय एच० एम० टी० द्वारा निर्मित कलाई घड़ियों में प्रयोग किये जाने वाले आयतित पुर्जों का प्रतिशत निम्न प्रकार है :—

घड़ियों की किस्म	निर्माण की कुल लागत में आयतित पुर्जों की लागत का प्रतिशत
दिन तथा तारीख वाली स्वचालित	13.64
हाथ से चाबी दी जाने वाली (पुरुषों के लिए)	3.52
हाथ से चाबी दी जाने वाली (महिलाओं के लिए)	4.41

(ग) 1978-79 के दौरान एच० एम० टी० द्वारा निर्मित कलाई घड़ियों के लिए पुर्जों के आयात पर 95 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा का व्यय किया गया जबकि 1978-79 के दौरान निर्यात की गई घड़ियों का मूल्य 44 लाख रुपये था। मांग तथा पूर्ति के अन्तराल को पूरा करने के उद्देश्य से एच०एम०टी० घड़ियों की असैम्बली के लिए भी हिस्से/पुर्जो (सी० के० डी०/एस० के० डी०) का आयात कर रही है। यह आयात एच एम० टी० की कार्यान्वियनाधीन तुमकुर परियोजना में हिस्से/पुर्जों का उत्पादन आरम्भ होने पर बंद हो जायेगा।

(घ) देशीकरण की प्रगति ने विदेशी मुद्रा को बचाने में सराहनीय योगदान दिया है जो कि अन्यथा घड़ियों के आयात के लिए खर्च होता। चूंकि एच० एम० टी० द्वारा घड़ियों के उत्पादन का मुख्य उद्देश्य देश की आन्तरिक मांग को पूरा करना है अतः एच० एम० टी० घड़ियों का निर्यात न्यूनतम स्तर पर रखा गया है।

सरकारी उद्यमों में प्रतिनियुक्त पर आये केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को यथानुपात पेंशन दिया जाना

8441. प्रो० समर गुह : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी उद्यमों में प्रतिनियुक्ति पर आये तथा अखिल भारतीय समाचारपत्र विज्ञापन तथा प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर चुने गए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को यथानुपात पेंशन तथा ग्रेच्युटी आदि के लिए दो भिन्न-भिन्न प्रकार के नियम लागू होते हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार एकरुपता लाने के उद्देश्य से स्थिति का पुनर्विलोकन करेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकारी उद्यमों में नियुक्त गैर-प्रतिनियुक्त सरकारी कर्मचारियों जो केन्द्रीय सरकार के नियमों के अनुसार यथानुपात पेंशन तथा ग्रेच्युटी के हकदार हैं, जबकि वे सरकारी सेवा छोड़ने की वास्तविक तारीख से पेंशन को बकाया राशि पाने के हकदार नहीं हैं, कौन से नियम लागू होंगे ?

गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार के स्थायी कर्मचारियों की, जो लोक हित में प्रतिनियुक्ति के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से चले गए थे, उक्त सरकारी उद्यमों में उनके स्थायी रूप से खप जाने पर 8-11-1969 से सेवा निवृत्ति लाभ प्रदान किए गए थे, किन्तु जो खुले विज्ञापनों के प्रत्युत्तर में दिए गए अपने आवेदन पत्रों के आधार पर इन उपक्रमों में नियुक्त हुए थे, वे ऐसे लाभ के हकदार नहीं थे। यह भेद 21 अप्रैल, 1972 से दूर कर दिया गया था और इन दो वर्गों के स्थायी सरकारी कर्मचारी उन्ही सेवानिवृत्ति लाभों की पाने के हकदार है, सिवाय इसके कि जो सरकारी कर्मचारी अपनी इच्छा से इन सार्वजनिक उद्यमों में नियुक्त हुए थे, वे केवल 120 दिन तक की छुट्टी को अंग्रनीत कराने के हकदार हैं। बाद में यह निर्णय लिया गया था कि ऐसे सरकारी कर्मचारियों को भी, जो प्रारंभ में अपनी इच्छा सार्वजनिक उद्यमों में गए थे तथा 8-11-68 से 21 अप्रैल, 1972 की अवधि में वहां खप गए थे, ये लाभ मिलने चाहिए किन्तु इस रियायत को 1-8-1976 से वित्तीय प्रभाव दिया गया था।

गुजरात में श्रम आयुक्त का कार्यालय

8442. श्री छीतू भाई गामित : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में, जहां नमक का अधिक उत्पादन होता है, नमक आयुक्त का स्थायी कार्यालय न रखने के क्या कारण हैं, और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उपयोग न की गई नमक उपकर निधि की राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) 1 दिसम्बर, 1978 से एक उप नमक आयुक्त के अधीन अहमदाबाद में एक क्षेत्रीय कार्यालय पहले से ही कार्य कर रहा है। दिल्ली के बाहर केन्द्र सरकार के कार्यालयों का बिखराव करने की नीति के अनुसरण में नमक आयुक्त के कार्यालयों का 1958 में दिल्ली से जयपुर को स्थानान्तरित कर दिया गया था तथा उसे जयपुर ले जानें के कारणों में दिल्ली से उसका निकट होना एक कारण है। नमक विभाग के भावी विकास के बृहत प्रश्न के एक अंग के रूप नमक आयुक्त के कार्यालय को गुजरात स्थानातिरत करने पर विचार किया जा रहा है तथा केन्द्र सरकार द्वारा समिनि की सिफारिशों पर विचार कर लेने के उपरान्त इस सम्बन्ध में निर्णय ले लिया जायेगा।

(ख) उपयोग हेतु नमक उपकर निधि लेखा राज्यवार नहीं रखा जाता है।

खादी आयोग द्वारा हस्तशिल्प की वस्तुओं की बिक्री

8443. श्री फूल चन्द वर्मा : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी आयोग अपने सभी बिक्री केन्द्रो से सभी प्रकार की हस्तशिल्प की ऐसी वस्तुओं की बिक्री करता है जिनका उत्पादन आयोग द्वारा संचालित एकको द्वारा किया जाता है अथवा उन एककों द्वारा किया जाता है जिनको आयोग वित्तीय सहायता देता है।

(ख) यदि नहीं, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आयोग को कम से कम इसके कुटीर उद्योगों आदि द्वारा उत्पादित माल की बिक्री करनी चाहिये, इसके क्या कारण है और,

(ग) इस सम्बन्ध में भविष्य में बनाई जाने वाली नीति क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी, हां।

प्रश्न ही नही उठता।

(ग) उत्पादको को उनकी वस्तुएं बेचने में सहायता के लिए ब्लाक जिला महानगर स्तरों पर आयोग की खरीद सह बिक्री दुकानों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव है। हस्तशिल्प बोर्ड रेशाबोर्ड तथा नारियल जटा बोर्ड के साहचर्य से खादी तथा ग्रामोद्योगों के उत्पादों की बिक्री बढ़ाने की संभाव्यता पर विचार किसी जा रहा है। खादी तथा ग्रामोद्योगों के उत्पादकों के विपणन का व्यापक अध्ययन करने का कार्य एक परामर्श दायी संगठन को सौंपा गया है।

लाइसेंस सम्बन्धी नन्दा समिति का प्रतिवेदन

8444. **श्री सुभाष आहूजा** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा नियुक्त नन्दा समिति ने बड़े उद्योगों को लाइसेंस में छूट देने की सिफारिश की है, और

(ख) यदि हां, तो नन्दा समिति के प्रतिवेदन पर सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) सरकार द्वारा 9 मार्च, 1979 को जारी किये गये प्रैस नोट जिसमें उद्योगपतियों का समावेश है, की एक प्रति संलग्न है। जो सिफारिशें अंतत: सरकार द्वारा स्वीकार कर ली जायेगी, उन पर कार्रवाई की जायेगी।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 4364/79]

जापानी राष्ट्रिकों द्वारा वीजा के लिये आवेदनपत्र

8445. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय मिशनों को वीजा दिये जाने का अधिकार दिये जाने से पूर्व जापान स्थित भारतीय मिशनों से प्राप्त जापानी राष्ट्रिकों द्वारा भारत का नियत कार्य पर दौरा करने, भारत स्थित अपनी कम्पनी के समुद्र पार कार्यालयों में (स्थानान्तरित होने पर) वीजा के लिये दिये गये आवेदन-पत्रों पर मंत्रालय द्वारा की गई प्रक्रिया संबंधी टिप्पणियां क्या हैं;

(ख) जनवरी, 77 से दिसम्बर, 1978 के दौरान जांच के लिये प्राप्त हुए ऐसे आवेदन पत्रों की कुल संख्या कितनी थी; और

(ग) क्या माननीय मन्त्री इस बात की पुष्टि करेंगे कि वीजा आवेदन पत्रों के सब मामलों में प्रक्रिया सम्बन्धी सब टिप्पणियां पूरी की गई थी जैसा कि भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित है, अथवा अनेक मामलों में भेद-भाव किया गया था, यदि कोई भेदभाव किया गया था, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) भारत में संचालित विदेशी कंपनियों में कार्य करने के इच्छुक जापानी राष्ट्रिकों समेत विदेशियों से बीजा के लिए आवेदन पत्रों पर यात्रा का उद्देश्य, किए जाने वाले कार्य और भारत यात्रा के अन्य कारणों को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत गुणदोष के आधार पर विचार किया जाता हैं। कोई कार्य करने के लिये वीजा, संबंधित तकनीकी मंत्रालयों की शिफारिशों पर निश्चित अवधि के लिए दिये जाते हैं।

(ख) जनवरी, 1977 से दिसम्बर, 1978 तक की अवधि के दौरान ऐसे आवेदन पत्रों की कुल संख्या 238 है।

(ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

भूतपूर्व ताड़ी निकालने वालों को बसाने के लिए उत्तर प्रदेश खादी बोर्ड के सुझाव

8446. श्री के० ए० राजन . क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व ताड़ी निकालने वालों को बसाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य खादी बोर्ड द्वारा प्रस्तावित विशेष योजना की मुख्य बातें क्या हैं और खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने इनके लिए कितनी राशि की मंजूरी दी तथा कितनी राशि दी,

(ख) क्या आयोग ने योजना की उत्तर प्रदेश बोर्ड की क्षमता योजना के विभिन्न कार्यक्रमों को चलाने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों की उपसाधना को ध्यान में रखते हुए विशिष्ठ जांच की है,

(ग) यदि हा, तो उद्योग प्रभारी की सिफारिशे क्या थीं;

(घ) क्या प्रशिक्षण के लिए चुने गये कुछ व्यक्ति भूतपूर्व ताड़ी निकालने वाले नहीं थे और प्रशिक्षण केवल पेड़ पर चढ़ने का ही दिया गया था और कुछ केन्द्रों में ताड़ी निकालने की कला का नहीं,

(ङ) क्या योजना की प्रगति का मूल्यांकन किया गया है, और

(च) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले और इस बारे में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (ङ) ताड़ी के उत्पादन पर रोक लगाई जाने तथा उत्तर प्रदेश राज्य के अधिकांश जिले में मद्यनिषेध नीति लागू किए जाने फलस्वरूप उत्तर प्रदेश राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड ने मद्यनिषेध

नीति से प्रमाणित पत्र ताड़ी निकालने वाले लगभग 15,000 व्यक्तियों के पुन: स्थापना के लिए एक व्यापक योजना बनाई। योजना के पहले ताड़ी निकालने वाले व्यक्तियों को नीरा निकालने और उससे गुड़ बनाने की कला में प्रशिक्षण देने पर बता दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत पहले ताड़ी निकालने वाले व्यक्तियों को आवश्यक उपकरण तथा कार्यकारी पूंजी दी जाएगी ताकि वे उत्पादन कार्य कर सकें। इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने 29.89 लाख रुपए की राशि अनुदान के रूप में तथा 32.48 लाख रुपए की राशि ऋण के रूप मंजूर की है। अभी तक आयोग द्वारा 7.67 लाख रुपये अनुदान तथा 1.20 लाख रुपए ऋण के रूप में दिए जा चुके हैं।

आयोग द्वारा योजना के सभी पहलुओं पर बारीकी से विचार किया गया है और मूल योजना में कुछ संशोधन किये गये थे। योजना की प्रगति का मूल्यांकन आयोग के राज्य कार्यालय द्वारा राज्य के उद्योग निदेशक से समन्वय करके पहले से ही किया जा चुका है। इसमें पाई गई कमियों का गहराई से अध्ययन किया जा रहा है जहां तक व्यावहारिक कमियों को दूर करने के लिए अभ्युपाय किये जा रहें हैं।

सीमेंट उद्योग की क्षमता का उपयोग

8447. श्री सचीद्र लाल सिंघा : (क) गत तीन वर्षों के दौरान सिमेंट उद्योग की वर्ष, वार उत्पादन क्षमता कितनी रही है,

(ख) राज्यों में सीमेंट एककों को राज्य-वार जिनके नये लाइसेंस तथा आशयपत्र जारी किये गये,

(ग) छटी पंचवर्षीय योजना के दौरान सीमेंट की वर्ष-वार आवश्यकता का ब्यौरा क्या है, और

(घ) देश में सीमेंट का उत्पादन बढ़ाने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) विगत तीन वर्षों में सीमेंट उत्पादन की क्षमता निम्न प्रकार रही :—

वर्ष	क्षमता (दस लाख मी० टन में)
1976-77	21.63
1977-78	21.87
1978-79	23.00

(ख) 1 अप्रैल 1977 से जारी किए गए नये औद्योगिक लाइसेंसों और आशय पत्रों का ब्यौरा देने वाला एक बिवरण संलग्न है।

(ग) वर्ष	अनुमानित मांग (दस लाख मी० टन में)
1978-79	24.0
1979-80	25.9
1980-81	28.0
1981-82	30.2
1982-83	32.6

(घ) सरकार ने देश में सीमेंट की समग्र उपलब्धि बढ़ाने के लिये निम्नलिखित अभ्युपाय किये है :—

(1) भूटान तथा नेपाल को छोड़कर देश से बाहर सीमेंट निर्यात् करने पर रोक लगा दी गयी;

औद्योगिक लाइसेंस देने के लिये प्राप्त नये आवेदनों पर अधिक तेजी से विचार किया जाने लगा है। अप्रैल से 1977 से 7 अप्रैल, 1979 की अवधि में कुल मिलाकर 150 लाख मीट्रिक टन की क्षमता के लिए 35 आशयपत्र तथा 7 औद्योगिक लाइसेंस दिये गये जबकि 1 अप्रैल, 1974 से 31 मार्च 1977 की अवधि में कूल मिलाकर 84.60 लाख मीट्रिक टन की क्षमता के लिये केवल 7 आशयपत्र तथा 11 औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये थे।

(3) देश में सीमेंट के वितरण के संबंध में विद्यमान क्षेत्रीय असन्तुलन सीमेंट संबंधों के चूना पत्थर निक्षेपों के समीप स्थित होने के कारण है। सीमेंट सयंत्रों का अलग अलग स्थापित किया जाना प्रोत्साहित कर इस असन्तुलन को न्यूनतम किया जाना है।

(4) इस समय मंत्रिमंडल की एक उप समिति सीमेंट के संरक्षण के लिये अपनाये गये विभिन्न अभ्युपायों पर विचार कर रही है। सीमेंट का संरक्षण प्रतिस्थापन सामग्री जैसे हाइड्रेटेड लाइम धानभूसी सीमेंट संगोल, चूनागारा आदि का उपयोग कर लिया जाता है।

(5) 1978-79 के दौरान देश में 15.47 लाख मीट्रिक टन सीमेंट का आयात किया गया है तथा 1979-80 के लिए लगभग 20 लाख मीट्रिक टन और भी सीमेंट आयात करने की योजना बनाई गई है।

(6) विगत तीन वित्तीय वर्षों की अवधि में प्रत्येक एकक में हुए सबसे अधिक उत्पादन से अतिरिक्त उत्पादन अथवा उसकी लाइसेंसीकृत क्षमता के 85 प्रतिशत पर जो भी अधिक हो, प्रति मीट्रिक टन पर 30 रुपये के नकद प्रोत्साहन की घोषणा की गई है।

(7) सड़क द्वारा सीमेंट परिवहन के भाड़ा प्रतिपूर्ति संबधी विद्यमान नियमों को और उदार बना दिया गया है।

(8) सरकार ने बिजली की कटौती के दौरान सीमेंट का उत्पादन करने हेतु केप्टिव पावर का उपयोग करने के लिये सीमेंट उद्योग को सहायता भी प्रदान की है।

(9) विद्यमान एककों के उत्पादन पर निगरानी रखी जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उद्योग शतप्रतिशत समग्र क्षमता उपयोगिता को बनाए हुए है।

(10) उत्पादन में वृद्धि करने के लिये प्रि-केल्सीनेटर, प्रौद्योगिकी का आयात करने की अनुमति दे दी गई है।

(11) चल रही परियोजनाओं के निर्माण में शीघ्रता की जा रही है।

(12) सरकार ने स्लैग का उपयोग करने के लिए इस्पात संयंत्रों पर अथवा उनके समीप ही सीमेंट संयंत्र स्थापित करने को प्रोत्साहन देने का भी निर्णय लिया है।

(13) सरकार ने बड़ी संख्या में छोटे सीमेंट संयंत्र लगाने को प्रोत्साहन देने का भी निर्णय किया है।

(14) एक उच्चस्तरीय समिति ने सीमेंट उद्योग का व्यापक अध्ययन किया है और कई सुझावों की सिफारिश की है जो सरकार के विचाराधीन हैं।

15-4-79 को सीमेंट प्रायोजनाओं की राज्य वार/स्थिति बताने वाला विवरण जिनके लिए 1-4-1977 से औद्योगिक लाइसेंस/आशय पत्र दिये थे

क्रमांक	पार्टी का नाम	स्थापना स्थल	वार्षिक क्षमता (लाख मी0 टन में)
1	2	3	4
हिमाचल प्रदेश			
1.	एसोसिएटिड सिमेंट कम्पनीज	गगल	5-60
आन्ध्र प्रदेश			
1.	केसोराम सिमेंटस (एस० ई०)	पड्डापल्ली	2-00
2.	आध्र सीमेंट	वीजाग	2-50
3.	ओरिएन्ट पेपर मिल्स	असीफाबाद	9 00
4.	के० सी० पी० लिमिटेड (एस० ई०)	मकेर्ला	0-96
5.	श्री एन० के० पी० राजू	वडापली	3-00
6.	कोरोमोनडल फरटीलाइजर	कालामल्ला	9-00
7.	केसोराम सेमेन्ट	अनकिरेड्डिपल्ली	4-00
8.	टेक्समैको लि०	येरागुनटला	4-00

1	2	3	4
मध्य प्रदेश			
1.	बिरला जूट मैनुफैक्चैरिंग कं लि० (एस० ई०)	सतना	8-00
2.	एसोसिएटेड सेमेंट कम्पनीज लि० (एस० ई०)	जमुल	5-00
3.	रैमोन्ड बूलेन मिल्स	पथरिया	4-00
4.	ए० सी० सी० लि० (एस० ई०)	कैमोर	0-25 (सादा)
5	हिन्दुस्तान लीवर लि०	बलोदा बाजार	4-00
6.	हिन्दुस्तान स्टील लि०	विलहटी	11-55
7.	सेनचुरी सेमेंट	बैकुन्थ	2-00
उत्तर प्रदेश			
1.	यू० पी० असविस्टोस लि०	कल्सी	3-60
उड़ीसा			
1.	इन्ड० डबल० कार० आफ० उड़िसा लि०	बारगढ़	1-30
राजस्थान			
1.	राजस्थान स्टेट इ० एण्ड एस० डी० कार० लि०	कठपुतली	0-33
2.	—वही—	एले रोड अखरा	0-33
3.	—वही—	बिलाड़ा	0-33
4.	—वही—	ज्यातरान	0-33
5.	—वही—	निम—का--थाना	0-33
6	मंगलम सीमेंट	मोराक	4-00
7.	जे० के० साइन (एस० ई०)	निमबोहरा	4-20
8.	डिगबिजय सीमेंट कं० लि०	बिबार	4-00
9.	श्री के० के सोमानी	किरावली	5-00
10.	स्टारा प्रो० लि०	बंस	4-18
11.	पुनालुर पेपर मिल्स	निम—का--थाना	3-00
12.	हिन्दुस्तान सुगर मिल्स लि०	उदयपुर	2-00
13.	जे० के० सइन	निमबाहेरा	0-50 सादा सी0
महाराष्ट्र			
1.	एसोसिएटेड सीमेंट कं० लि०	चदा	1-60
2.	नई इण्डिया माई० कार० लि०	चनद्रापुर	4-00
3.	संचरी घड़ी एण्ड मन्यू० कं० लि०	राजुड़ा	10-00
4.	लारसेंस एण्ड टोहूरा लि०	—वही—	11-09

1	2	3	4
बिहार			
1.	कल्याणपुर लिम एण्ड सीमेंट वर्कस लि०	बनजारी	1-34
कर्नाटक			
1.	मैसूर सीमेंट लि० (एस० ई०)	अमासंदरा	1-10
तमिलनाड			
1.	डालमिया सीमेंट (बी०) लि०	डालमियापुरम	0-70
गुजरात			
1.	नर्मदा सीमेंट लि०	जाफराबाद मागढ़ाला एण्ड रतनागीड़ी (महाराष्ट्र)	10-00
2.	श्रीमती एस० डी० पाटिल	डोटाड	0-45

निर्धनता की रेखा से नीचे रह रहे लोगों की समस्याओं संबंधी समिति का प्रतिवेदन

8448. श्री क०टी० कोसलराम :
श्री के० प्रधानी :

क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) योजना आयोग द्वारा निर्धनता की रेखा से नीचे रह रहे लोगों की समस्याओं की जांच के लिये गठित समिति के निर्देश पद और सदस्यों के नाम क्या हैं; और

(ख) क्या छठी पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप दिये जाने से पूर्व समिति अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दे देगी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फ़जलुर्रहमान) : (क) योजना आयोग ने गरीबी के स्तर से नीचे रह रहे गरीब लोगों की समस्याओं पर विचार करने के लिए कोई समिति स्थापित नहीं की है । तथापि गरीबी की मात्रा और स्थिति तथा कुछ संबंधित प्रश्नों की जांच करने के लिए एक कार्यकारी दल और एक अध्ययन दल स्थापित किया गया है । इस कार्यकारी दल और अध्ययन दल के गठन और विचारार्थ विषय क्रमशः अनुलग्नक 1 और अनुलग्नक 2 में दिए गए हैं । कार्यकारी दल ने अपगे निष्कर्ष प्रस्तुत कर दिए हैं और अध्ययन दल के सितम्बर, 1979 के अंत तक ऐसा करने की आशा है ।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल. टी. 4365/79]

विशिष्ट व्यक्तियों और अतिथियों के लिए विमानों का प्रयोग

8449. डा० बसन्त कुमार पंडित :क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय ने विशिष्ट व्यक्तियों और अतिथियों को ले जाने के लिए 'मिलिटरी/पुलिस/सरकारी विमानों का उपयोग न करने के लिए अनुदेश जारी किये हैं;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार के ध्यान में ऐसे कई मामले आये हैं जबकि सीमा सुरक्षा बल के विमान अपनी ड्यूटी के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों के लिए उद्योग में लाये गये हैं और उन उड़ानों को "टेस्ट उड़ान" बताया गया;

(ग) क्या सरकार ने उन दो घटनाओं की जांच कर ली है जब फिल्म अभिनेत्री जीनत अमान को सीमा सुरक्षा बल के एक उत्सव में भाग लेनें के लिए विशेष रूप से राजस्थान से दिल्ली ले जाया गया था और उसी विमान को फिल्म अभिनेता संजय खां को दिल्ली से राजस्थान ले जाने के लिए प्रयोग में लाया गया था; और

(घ) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले और उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) सीमा सुरक्षा बल के विमानों के प्रयोग को नियमित करने के लिए नियम निर्धारित किए गए हैं।

(ख) सरकार के ध्यान में ऐसे कोई मामले नहीं आये हैं कि सीमा सुरक्षा बल के विमान ड्यूटी के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाये गये हों और उन उड़ानों कों टेस्ट उड़ान बताया गया हो।

(ग) तथा (घ) कुमारी जीनत अमान और तीन अन्य को तथा श्री संजय खान और दो अन्य को सीमा सूरक्षा बल के विमानों में क्रमशः राजस्थान से दिल्ली और दिल्ली से राजस्थान सीमा सुरक्षा बल की कल्याण तथा ड्यूटी उत्सव में कल्याण की गतिविधियों में रैफल ड्रा के निर्णायकों के रूप में भाग लेने के पश्चात यात्रा करने की अनुमति दी गई थी। उन्हें सीमा सुरक्षा बल के विमान की नेमी उड़ानों में खाली सीटों पर बैठकर यात्रा करने की अनुमति नियमों के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दी गई थी।

भारतीय पटसन निगम द्वारा पटसन उत्पादकों को मूल्य समर्थन दिया जाना

8450. श्री अमर राय प्रधान : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पटसन निगम पटसन उत्पादकों को पर्याप्त मूल्य समर्थन देता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारतीय पटसन निगम के इस वर्ष उत्पादकों से पटसन न खरीद करके बिचौलियों से खरीदा है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (ग) वर्ष 1978-79 के चालू मौसम में कच्ची पटसन के मूल्य कुल मिलाकर न्यूनतम कानूनी स्तर से ऊपर रहे हैं

जिसका मुख्य कारण बाजार में भारतीय पटसन निगम की उपस्थिति रही है। निगम उत्पादकों से प्रत्यक्ष रूप से खरीद करके अपनी खरीदों में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी कर रहा है। तथा इस योजना में करीब 214 ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल कर लिया है।

रूसी उपग्रह का हरियाणा के ऊपर से गुजरना

8451 **श्री लाल जी भाई : क्या अन्तरिक्ष मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस द्वारा हाल ही में छोड़ा गया उपग्रह प्रतिदिन सायं 7.45 बजे के बाद हरियाणा के ऊपर से गुजरता है जिसके बाद रिवाड़ी और आस-पास के क्षेत्रों में टेलीविजन पर चित्र आना बन्द हो जाता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस समस्या पर विचार किया है ?

रक्षा मंत्रालय में और परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिक्स, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) रूस के किसी भी उपग्रह के हरियाणा के ऊपर से प्रतिदिन गुज़रने की सरकार को कोई जानकारी नहीं है। दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र की प्रसारण सीमा के अन्तर्गत भी रिवाड़ी नहीं है, तथा रिवाड़ी और उसके आस-पास के क्षेत्रों में टेलीविजन पर चित्र आना बन्द होने के बारे में दूरदर्शन केन्द्र को किसी प्रकार की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मंदसौर, मध्य प्रदेश में कपड़ा मिलें

8452. **डा० लक्ष्मी नारायण : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मन्दसौर, मध्य प्रदेश में कोई कपड़ा मिल है;

(ख) यदि हां, तो यह कब बनी थी तथा इस मिल में कितने करघे हैं तथा इस समय उसमें कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं; और

(ग) पूरी क्षमता का उपयोग न किये जाने के क्या कारण हैं; और क्या यह सच है कि इस मिल को संकटग्रस्त मिल मानकर अपने हाथ में लेने का प्रस्ताव किया गया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (ग) मन्दसौर टेक्सटाइल मिल, मन्दसौर (मध्य प्रदेश) लगभग 1952 से ही है इसमें 12676 तकुवे, 110 करघे तथा लगभग 141 कर्मचारी कार्यरत हैं। मिल में मशीनें तथा उपकरण पुराने हैं तथा गत प्रयोग हो गये हैं व इसके परिणामस्वरूप मशीनी क्षमता का पूर्ण उपयोग नही हो पा रहा है। मिल को हाथ में लेने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

उड़ीसा को सीमेंट का आवंटन

8453. **श्री सरत कार : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978 में उड़ीसा राज्य को सीमेंट का कितना कोटा आवंटित किया गया;

(ख) क्या राज्य को निर्धारित कार्यक्रमानुसार सीमेंट का पूरा कोटा सप्लाई कर दिया गया है;

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) वर्ष 1979 में राज्य के लिए कितना कोटा आवंटित करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : (क) 3.62 लाख मी० टन ।

(ख) जी, हां ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों को सीमेंट का आबंटन देश में सीमेंट की कुल उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए तिमाही के आधार पर किया जाता है वर्ष की प्रथम दो तिमाहियों में उड़ीसा राज्य को 1.95 लाख मी. टन सीमेंट का आबंटन किया गया था । 1979 की तीसरी तथा चौथी तिमाही का आबंटन उन तिमाहियों में सीमेंट की प्रत्याशित उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

ग्रोवर जांच आयोग का प्रतिवेदन

8454. श्री चित्त बसु : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कर्नाटक के मुख्य मंत्री श्री देव राज अर्स के विरुद्ध आरोपों की जांच करने वाले ग्रोवर जांच आयोग का प्रतिवेदन इस बीच प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

गृह मंत्रालय तथा विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) कर्नाटक के मुख्य मंत्री श्री डी० देवराज अर्स तथा अन्य मंत्रियों के विरुद्ध कुछ आरोपों की जांच करने के लिए उच्चतम न्यायालय के सेवा-निवृत्त न्यायाधीश, श्री ए० एन० ग्रोवर की अध्यक्षता में जांच आयोग ने, जिसकी नियुक्ति 23 मई, 1977 को की गई थी, अपनी अंतिम रिपोर्ट 15 मार्च, 1979 को सरकार को प्रस्तुत कर दी ।

(ख) तथा (ग) रिपोर्ट को, जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 (4) के उपबन्धों के अनुपालन में, उस पर की गई कार्रवाई के एक ज्ञापन सहित यथाशीघ्र लोक सभा के पटल पर रख दिया जाएगा ।

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट आफ इण्डिया (लि०) में प्रशिक्षु

8455. श्री आर कोलन ईंथेलु : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976-77, 1977-78 और 1978-79 के दौरान इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट ऑफ इण्डिया लिमिटेड में कितने प्रशिक्षु नियुक्त किये गये थे ;

(ख) उपर्युत भाग (क) में से कितने प्रशिक्षुओं को नियमित सेवाओं में खपाया गया था और उन्हें क्या वेतनमान दिये गये थे ;

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) में से कितने प्रशिक्षुओं को उनको प्रशिक्षु सेवाकाल के समाप्त होने के तत्काल बाद नियमित सेवा में स्थायी कर दिया गया था, क्या कुछ ऐसे मामले भी थे, जिनमें स्थायी नहीं किया गया और यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) में से कितने प्रशिक्षुओं को इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स ऑफ इण्डिया की नियमित सेवाओं में नहीं खपाया गया था और अब तक का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स ऑफ इण्डिया लिमिटेड में इस समय काम कर रहे प्रशिक्षुओं को नियमित न करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है और यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(च) कितने प्रशिक्षुओं ने त्याग पत्र दे दिया है और इसके क्या कारण है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) वर्ष 1976-77, 1977-78 तथा 1978-79 की अवधि में इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लिमिटेड (ई० पी० आई०) में विभिन्न श्रेणियों के प्रशिक्षुओं की नियुक्ति का विवरण 1 में दिया गया है।

(ख) इसी अवधि के दौरान ई० पी० आई० में खपाये गये प्रशिक्षुओं की संख्या का विवरण II में दिया गया है।

(ग) अपने प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने के पश्चात् ही उपलब्ध रिक्त पदों को भरने के लिए प्रशिक्षुओं की नियमित नियुक्ति पर कम्पनी द्वारा विचार किया जाता है। चूंकि चयन क्रिया में कुछ समय लग जाता है अतः प्रशिक्षुओं को अप्रेंटिसशिप की अवधि समाप्त होते ही स्थायी पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता है।

(घ) संबंधित श्रेणी में कोई रिक्त पद न होने के कारण एक एपरेंटिश को 26 मार्च 1979 को प्रशिक्षण पूरा करने पर सेवा में नहीं खपाया जा सका।

(ङ) जी, नहीं। अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने वाले प्रशिक्षणार्थियों के ऊपर संबंवित श्रेणियों में उपलब्ध रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति के लिए साधारण चयन प्रक्रिया द्वारा विचार किया जाता है।

(च) आवश्यक जानकारी विवरण III में दी गई है।

विवरण 1

प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत ई० पी० आई० द्वारा लिये गये प्रशिक्षणार्थियों का वर्षवार ब्यौरा

क्र० सं०	ट्रेड का नाम	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या 1976-77	1977-78	1978-79
1	बुक कीपिंग	9	10	7
2	डेजिगनेटिड क्लर्क	5	4	6
3	स्टोर तथा पर्चेज	1	1	—
4	ड्राफ्ट्समैन	3	3	—
5	ग्रेजुएट इंजीनियर (प्रबंध प्रशिक्षण)	21	21	33
	योग	39	38	46

विवरण-II

ई० पी० आई० द्वारा सर्विस में खपाये गये प्रशिक्षणार्थियों का वर्षवार ब्यौरा

क्र० सं०	ट्रेड का नाम	जिस पर खपाया गया	आरंभिक मूल वेतन (रुपये)	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या 1976-77	1977-78	1978-79
1	क्लर्क	टाइपिस्ट	325	5	4	—
2	बुक-कीपिंग	लेखा सहायक	325-375	6	8	—
3	स्टोर तथा पर्चेज	सहायक स्टोर कीपर	325	1	—	—
4	ड्राफ्ट्समैन	ट्रेसर	300	3	2	—
5	ग्रेजुएट इंजीनियर (प्रबंध प्रशिक्षण)	तकनीकी सहायक	650	21	—	—
			योग	36	14	—

विवरण III

ई० पी० आई० द्वारा सर्विस में खपाये गये प्रशिक्षु प्रशिक्षण के दौरान छोड़कर जाने वाले प्रशिक्षणार्थियों की संख्या

क्र० सं०	नाम	ट्रेड का नाम	बैच	छोड़ने का कारण
1	श्री एस० खांऊड	बुक-कीपिंग तथा लेखा	1976-77	व्यक्तिगत
2	श्री राजकुमार	-वही-	1976-77	-वही-
3	श्री आर० एस० विद्यार्थी	-वही-	1976-77	-वही-
4	श्री एस० के जैन	-वही-	1977-78	-वही-
5	श्री फूल सिंह	-वही-	1977-78	-वही-
6	श्री आर० ए० काम्बले	इंजीनियरी ग्रेजुएट	1977-78	-वही-
7	श्री पी० खुराना	-वही-	1978-79	-वही-
8	श्री आर० पी० अग्रवाल	-वही-	1978-79	-वही-
9	श्री वी० के० अग्रवाल	-वही-	1978-79	-वही-
10	श्री जी० एस० रावत	-वही-	1978-79	समायोजन संबंधी कठिनाईयां ।

सी० आर० पी० द्वारा काली पहाड़ी गांव के हरिजन मोहल्ला पर हमला किया जाना

8456. श्री ए० के० राय : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 मार्च, 1979 को धनबाद जिले (चीरकुण्डा पुलिस स्टेशन) के काली पहाड़ी गांव के हरिजन मोहल्ले पर सी० आर० पी० द्वारा हमला किये जाने के बारे में उन्हें जानकारी है, जिसमें अनेक व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हुए थे और घरों को लूटा गया था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विस्तृत तथ्य क्या है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार 10 मार्च, 1979 को ग्राम काली पहाड़ी के पास एक 9 वर्षीय आयु के एक स्थानीय लड़के और के० रि० पु० बल के एक जवान जो अपनी बाईसाइकल पर अपने कैम्प लौट रहा था, के बीच टक्कर हो गई थी । इस घटना के बाद, स्थानीय लोगों ने के० रि० पु० बल के जवान को पीटा और नजदीक के एक मंदिर में बन्द कर दिया । बाद में उसे के० रि० पु० बल के एक दल द्वारा छुड़ाया गया । स्थानीय पुलिस में दो प्रतिवादी मामले दर्ज किए गए थे । इन मामलों की जाँच के बारे में और सूचना बिहार सरकार से प्राप्त की जा रही है ।

प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था में कमियां

8457. श्री सौगत राय : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल ही में कुछ समाचार-पत्रों में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि "सरकार को अर्थशास्त्रियों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा चेतावनी दी गई है कि पिछले वर्ष से मांग में वृद्धि के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र में अर्थव्यवस्था में कमियां उत्पन्न होंगी ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और स्थिति का मुकाबला करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फजलुर्रहमान) : (क) सरकार को कुछ महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों में बढ़ती हुई कमियों के बारे में मालूम है ।

(ख) : सरकार ने इस स्थिति के ठीक करने के लिए अनेक उपाय किए हैं । ये उपाय अल्पावधि और मध्यावधि दोनों ही हैं । 1978-79 में उत्पादन और उपलब्धता में वृद्धि करने की दृष्टि से कई निर्णय किए गए जिनमें इन बातों के लिए व्यवस्था की गई है महत्वपूर्ण उद्योगों (विद्युत, कोयला, इस्पात, उर्वरकों और अलौह धातुओं) के लिए पहले से निर्धारित किए गए लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विशेष प्रयत्न करना ; चुने हुए उद्योगों (कागज, सीमेंट, वाणिज्यिक वाहनों, मालगाड़ी के डिब्बों और राष्ट्रीय वस्त्र निगम के मिलों द्वारा तैयार किए गए कपड़ों) में अधिक उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित करना ; आयात की अग्रिम योजना करना और महत्वपूर्ण निवेशों का सुरक्षित भंडार बनाना ; तथा सतत प्रबोधन और समन्वय करना ।

मध्यावधि उपायों में मांग और पूर्ति के अधिक संतुलन को प्राप्त करने के लिए 1978-83 की पंच वर्षीय योजना के प्रारूप में अनेक उपायों की व्यवस्था की गई है । उसमें जिन उद्योगों में पर्याप्त क्षमताएं उत्पन्न की जा चुकी हैं उनमें क्षमताओं के अधिक उपयोग की व्यवस्था है । सीमेंट, उर्वरक, कागज, दवाओं और भेषजों, आदि जैसे कुछ अन्य उद्योगों में अतिरिक्त क्षमताएं उत्पन्न करने का प्रस्ताव है ताकि प्रत्याशित आवश्यकताएं पूरी की जा सकें । योजना में मांग और आंतरिक उत्पादन के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए इस्पात, अलौह धातुओं, उर्वरकों, दवाओं और भेषजों जैसे अनेक मामलों में आयात करने की भी परिकल्पना की गई हैं ।

महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उत्पादन का सतत प्रबोधन करने के लिए और संभावित कमियों को पूरा करने के हेतु सामयिक उपाय सुझाने के लिए एक विशेष मंत्रिमंडल समिति स्थापित की गई है ।

भारतीय रुई निगम द्वारा गुजरात से रुई की खरीद

8458 : श्री एफ० पी० गायकवाड़ : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष के दौरान रुई के कुल उत्पादन में से गुजरात से रुई की गाँठों की खरीद के लिए भारतीय रुई निगम ने कितना लक्ष्य निर्धारित किया है ;

(ख) उक्त लक्ष्य में से गुजरात से अब तक कितनी रुई की गाँठों की खरीद की गई है और किस दर पर ;

(ग) क्या रुई की खरीद के कार्य को बढ़ाने के लिए भारतीय रुई निगम का कार्यवाही करने का विचार है ; और

(घ) यदि हाँ, तो उस कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (घ) वर्तमान कपास के मौसम में निगम का गुजरात से लगभग 5 लाख गाँठें खरीदने का कार्यक्रम है जबकि 18 अप्रैल 1979 तक निगम ने बाजार के प्रचलित मूल्य पर 1.68 लाख गाँठें खरीदी हैं और आगे भी खरीद की जा रही है इस मौसम में निगम ने गुजरात में 31 खरीद केन्द्र स्थापित जिये हैं जबकि इसके पहले के मौसम में 17 केन्द्र स्थापित किये गये थे । निगम गुजरात में सहकारी समितियों से कपास तथा पूर्णतः दबायी गई गाँठें भी खरीद रहा है ।

हथकरघा गहन विकास परियोजनाओं के लिए केरल को सहायता

8459. श्री जी० एम० बथवाला : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या हथकरघा गहन विकास परियोजनाओं के लिये केरल सरकार को वित्तीय सहायता देने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और यदि हाँ, तो कितनी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : दो गहन हथकरघा विकास परियोजनाओं जिनके मुख्यालय कन्नानूर तथा त्रिवेन्द्रम में हैं, की स्वीकृति केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के रूप में दे दी गई है । इन दोनों ही परियोजनाओं में 1977 में कार्य चालू हो गया था । केन्द्रीय सहायता के स्वीकृत स्वरूप के अनुसार पहले तीन वर्षों में परियोजना के कुल परिव्यय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा 75% तक तथा शेष दो वर्षों में 50% तक सहायता दी जाती है । 1978-79 के अंत तक केन्द्र सरकार द्वारा इन परियोजनाओं के लिए 106.88 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है । राज्य सरकार द्वारा इन परियोजनाओं पर वर्ष 1979-80 तथा 1980-81 में किये जाने वाले कुल व्यय के 50% के बराबर की केन्द्रीय सहायता राज्य सरकार को देय होगी ।

आदिलाबाद में एक सीमेंट कारखाने की स्थापना

8460. श्री पी० राजगोपाल नायडु : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सीमेन्ट निगम से सरकार को आदिलाबाद में एक सीमेन्ट के कारखाने की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव भेजा हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त प्रस्ताव को सरकार ने अनुमोदित कर दिया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) अदीलाबाद (आंध्र प्रदेश) में सीमेंट की 4 लाख मी० टन वार्षिक क्षमता वाले एक सीमेंट संबंध की स्थापना करने हेतु भारतीय सीमेंट निगम को एक आशय-पत्र जारी किया गया है।

सिलाई मशीन निर्माता उद्योग द्वारा उत्पादन क्षमता का उपयोग

8461. डा० मुरली मनोहर जोशी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंने कि :

(क) क्या सिलाई मशीन निर्माता उद्योग अपनी उत्पादन क्षमता का केवल 44 प्रयोग उपयोग कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो सिलाई मशीने बनाने वाली प्रमुख कम्पनियों के नाम क्या हैं और पूरा उत्पादन न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है कि यह उद्योग पूरी उत्पादन क्षमता का उपयोग करे ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) (ख) और (ग) वर्ष 1978 में सिलाई की मशीनों का संगठित क्षेत्र का क्षमता उपयोग 44 प्रतिशत था। संगठित क्षेत्र के चार एकक में से एक अर्थात मैसर्स जय इंजीनियरिंग वर्क्स लि०, कलकत्ता में जो घरेलू मशीनों तथा औद्यौगिक सिलाई मशीनो के निर्माता है, जून, 1978 से लेकर मार्च 1979 तक तालाबंदी रही है। इसके परिणाम स्वरूप उद्योग में क्षमता के उपयोग की समूची प्रतिशतता में कमी आयी है। केन्द्र, तथा राज्य सरकार दोनों के ही प्रयन्नों से कंपनी में तालाबंदी उठा ली गई है अतः आशा है कि उद्योग में क्षमता के उपयोग के सम्बन्ध में सुधार होगा। अन्य तीन सिलाई मशीनों की निर्माता कंपनियां ये हैं : (1) मैसर्स संसार मशीनम लिमिटेड, दिल्ली (2) मैसर्स रीटा मेकैनिकल फार्म लि० लुधियाना, (3) मै० ब्रिटिश मशीनरी सप्लाईज कंपनी, फरीदाबाद। इसके अलावा लघु क्षेत्र में भी बहुसंख्यक घरेलु सिलाई मशीन निर्माता है : सिलाई मशीनें (हाथ से चलाई जाने वाली परिपरागत) केवल लघु क्षेत्र में ही विकास के लिए आरक्षित है।

परमाणु रियेक्टर बनाने वाले उद्योग

8462. श्री बालासाहिब विख पाटिल : क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में परमाणु रियेक्टर बनाने वाले उद्योगों के नाम क्या है ;

(ख) परमाणु रियेक्टर बनाने में एक उद्योग की सामान्यतया कितना समय लगता है; और

(ग) क्या उत्पादन में वृद्धि करने के विचार से एक परमाणु रियेक्टर बनाने में लगने वाले समय को कम करने के लिये सरकार कोई कदम उठा रही है ?

रक्षा मंत्रालय में और परमाणु ऊर्जा इलैक्ट्रानिक्स, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभागों में राज्य मंत्री (**प्रो० शेर सिंह**) : (क) देश का कोई भी उद्योग समूचे परमाणु रियेक्टर नहीं बनाता है। इनके निर्माण में उन उद्योगों का योगदान कैलेंड्रिया, एंड शील्ड, वाष्प जनित्र आदि जैसे विभिन्न संघटकों एवं उपस्करों के निर्माण और उनकी आपुर्ति तक हो सीमित है ऐसे उपस्करों एवं संघटकों का निर्माण सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही क्षेत्रों के उद्योगों द्वारा किया जाता है।

(ख) ऊपर दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न उठता ही नहीं।

(ग) जी, हां।

राष्ट्रीय एकता परिषद्

8464. श्री सी के जाफर शरीफ : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय एकता परिषद् का उसके कार्यालय सहित, ब्यौरा क्या है ; और

(ख) परिषद् के सदस्य चुनने का क्या मानदंड है ?

ग्रह मत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री धनिक लाल मडल**) : (क) राष्ट्रीय एकता परिषद 1968 में पुनर्गठित की गई थी। परिषद की बैठक जून 1968 के पश्चात नहीं हुई। पिछली परिषद के लिये कोई कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया था।

(ख) इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट मानदंड निर्धारित नहीं किया गया है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा उनके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध न्यायालयों में लम्बित मामले

8465. श्री कंवर लाल गुप्त : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यायालयों में तथा वाहर श्रीमती इंदिरा गांधी तथा उनके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध विभिन्न चल रहे मामले किस स्थिति में हैं :

(ख) दंड प्रक्रिया संहिता एवं भारतीय दंड संहिता की किन धाराओं के अधीन ये मामले किस-किस न्यायालय में लम्बित हैं ;

(ग) इन सभी मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या विशिष्ट कदम उठाने का विचार है ;

(घ) क्या यह सच है कि शाह आयोग में शपथ न लेने के श्रीमती गांधी तथा उनके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध मामले बहुत समय से अनिर्णीत हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) तथा (ख) विभिन्न न्यायालयों में अनिर्णीत मामलों, कानून की धाराएं तथा उनकी वर्तमान स्थिति का एक विवरण संलग्न है ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी के विरुद्ध दो मामलों तथा श्री संजय गांधी के विरुद्ध तीन मामलों की जांच-पड़ताल केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों द्वारा की जा रही है ।

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार उचित कार्रवाई कर रही है ।

(घ) और (ङ) शाह आयोग के सम्मुख शपथ लेने तथा गवाही देने से इन्कार करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 178 तथा 179 के अधीन क्रमशः 21-1-78 और 23-1-78 को श्रीमती इन्दिरा गांधी के विरुद्ध दो मामले दायर किये गये थे । इसी प्रकार, उपर्युक्त जुर्म के लिए 25-5-78 को श्री संजय गांधी के विरुद्ध मामला दायर किया गया था ।

7-11-78 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपराधिक दंड संहिता की धारा 482 के अधीन मुख्य मैट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट के न्यायालय में दायर की शिकायतों को रद्द करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील दायर की; दिल्ली उच्च न्यायालय में मामले में सुनवाई जारी है ।

विवरण

श्रीमती इंदिरा गांधी तथा श्री संजय गांधी के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में अनिर्णीत न्यायालय के मामलों का विवरण

क्रम संख्या	कानून की धारा	संबंधित न्यायालय के विवरण	मुकदमा संख्या तथा दायर करने की तारीख	संक्षेप में आरोप	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6
I	**श्रीमती इंदिरा गांधी**				
1.	भारतीय संहिता की धारा 5 (1) (घ) के साथ पठित 5 (2) के साथ पठित धारा 120 ख, 165 के अधीन और मा० द० सं० की धारा 5 (1) (घ) के साथ पठित 5 (2), 165 क और अथवा मा० दं० स० की धारा 109 के अधीन वास्तविक अपराध	विशेष न्यायधीश दिल्ली	आर सी 9/77— एफ एस 1 दिनांक 22-7-79	लोक सभा चुनाव 1977 के दौरान चुनाव के लिए जीपों की बहुत बड़ी संख्या बिना भुगतान या मूल्य या किराया दिए प्राप्त करने में सरकारी कर्मचारियों द्वारा सरकारी पद का दुरुपयोग	आरोप लगाने से पहले लम्बित बहस
2.	मा० दं० सं० की धारा 167/186/218 के साथ पठित मा० दं० सं० की धारा 120 (ख) के अंतर्गत और मा० दं० सं की धारा 167/218/109 के अधीन वास्तविक अपराध।	मुख्य महा नगर मजिस्ट्रेट, दिल्ली	आर सी 1/78 एस आई यू (एस आई बी-1) दिनांक 16-4-79	मैसर्स मारुती लिमिटेड को आयातित यंत्र की आपूर्ति के बारे में संसद प्रश्न के संबंध में सूचना एकत्र कर रहे चार अधिकारियों के विरुद्ध झूठी आपराधिक कार्यवाही आरंभ करना।	16-4-79 को आरोप पत्र दायर कर दिया गया था।

1	2	3	4	5	6
3.	मा० दं० सं० की धारा 178 तथा 179 के अंतर्गत	मुख्य महा नगर मेजिस्ट्रेट, दिल्ली	5-2-78	शाह आयोग के समक्ष शपथ लेने तथा ब्यान देने से इंकार करने के लिए	मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय में दायरे की गई शिकायत रद्द करने के संबंध में विचार करने के लिए उच्च न्यायालय में मामला लंबित है।
4.	मा० द० सं० 178 तथा 179 के अधीन	मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, दिल्ली	7-2-78, दिनांक 23-1-78	शाह आयोग के समक्ष शपथ लेने और ब्यान देने से इकार करने के लिए।	मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट न्यायालय में दायर की गई शिकायत रद्द करने के संबंध में विचार करने के लिए उच्च न्यायालय में मामला लंबित हैं।
5.	मा० द० सं की धारा 109 के साथ पठित जनता प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 31 के अधीन	प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट डोडा, बालापुर, जिला बंगलौर	2-11-78	श्रीमति इंदिरा गांधी द्वारा कर्नाटक राज्य में एक मतदाता के रूप में अपना नाम दर्ज कराने के संबंध में गलत शपथपत्र दायर करना।	मामला न्यायालय में समक्ष सुनवाई के लिए दो बार आया और इसने सचिव, चुनाव आयोग को न्यायालय में मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए सम्मन भेजे हैं।

1	2	3	4	5	6
II-	श्री संजय गांधी				
1.	मा० दं० सं० की धारा 120 ख । पी० सी० अधिनियम की धारा 5 (2) और मा० दं० सं० की धारा 109 के अधीन	विशेष न्यायाधीश दिल्ली ।	आर० सी० 3177 सी० आई० यू० (ए०) दिनांक 24-5-77	दिल्ली नगर निगम के लिए क्विक फलोक्स पोलीमिक्स की खरीद के मामले में पक्षपात करने के ।	आरोप लगाने से पहले लम्बित बहस ।
2.	पी० सी० अधिनियम, 1947 की धारा 5 (1) (घ) 15 (2) के साथ पठित मा० दं० सं० 120 (ख) तथा मा० दं० सं० की धारा 420 के अधीन ।	विशेष न्यायाधीश देहरादून	आर० सी० 4177 सी० आई० यू० (ए०) दिनांक 24-5-77	6 रोड रोचरों की खरीद के मामले में मैसर्स मारूति हैवी व्हिकलस (पी०) लि० को अनुचित आर्थिक लाभ दिलाने के लिए ।	आरोप लगाने से पहले लम्बित बहस ।
3.	भारतीय दंड संहिता की धारा 220, 344 और 109 के अंतर्गत	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखनऊ ।	आर सी 6/77 सी आई यू (ए) तारीख 8-6-77	कपटपूर्ण तरीके से अप्रैल मई 1976 के दौरान एक आपराधिक षडयंत्र में भाग लेने के लिए जिसके अनुसरण में लखनऊ, कानपुर और इलाहाबाद के 8 विदेशी शराब के लाइसेंस धारियों को नजर बंद किया गया था ।	आरोप लगाए जाने के आदेश के विरुद्ध अभियुक्त द्वारा संशोधन दायर किए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश, लखनऊ द्वारा कार्रवाई रोक दी गई है ।

1	2	3	4	5	6
4.	भा० दं० सं० की धारा 409, 435, 201 के साथ पठित धारा 120-बी के अधीन	मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, दिल्ली ।	आर सी 6/77-सी० आई० यू० (आई) तारीख 13-4-77	किस्सा कुर्सी का फिल्म को नष्ट करने के संबंध में उकसाना	दोषी व्यक्तियों को 26-2-79 को सजा दी गई अभियुक्तों के अनुरोध पर सेशन जज ने 26-3-79 तक उच्च न्यायालय में अपील दायर के लिए उनकी जमानत मंजूर करली । सजा स्थगित है (अपील अनिर्णीति)
5.	भारतीय दंड सहिता की धारा 178 और 179 के अधीन	मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, दिल्ली	संख्या 67/2/78-तारीख 25-5-78	शाह आयोग के समक्ष शपथ लेने और बयान देने से इंकार करने के लिए ।	यचिका पर दोनों पक्षों की तरफ से बहस हो चुकी है तथा आदेश 30-4-79 को घोषित किया जाना है । उसके बाद अभियोजना साक्ष्य लिया जायेगा ।

एक ही पद पर काम करते रहने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी

8466. **श्री गंगाभक्त सिंह :** क्या **गृह मंत्री** उन्हीं पदों पर कार्य करते रहने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के बारे में 28 मार्च, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5119 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन कर्मचारियों की दशा पर भी विचार किया है कि जो अनेक वर्षों तक एक ही वेतन पर कार्य करते हुए सेवानिवृत्त हो जाते हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार इन सब बातों पर विचार करने तथा इस संबंध में शीघ्र ही कोई निर्णय लेने का है; और यदि हां, तो कब तक ?

गृह मंत्रालय विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) जैसा कि प्रश्न संख्या 5119 के उत्तर में पहले ही बताया जा चुका है, सेवा में प्रगतिरोध को सामान्य समस्या पहले से ही सरकार के विचाराधीन है। परन्तु, सेवा निवृत्ति के बाद को प्रसुविधा इस विषय में सम्मिलित नहीं हैं।

(ख) उपर्यक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कम्पनियों द्वारा घोषित लाभ और लाभांश

8467. **श्री गणनाथ प्रधान :** क्या **उद्योग मन्त्री** 20 प्रतिशत से अधिक लाभांश की घोषणा करने बाली कंपनियों के बारे में 20 मई, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2994 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण करने वाली विभिन्न कम्पनियों द्वारा अर्जित लाभ/घोषित लाभांश का विशिष्ट अध्ययन न करने के क्या कारण है और पूंजी निवेश की तुलना में इसकी प्रतिशतता क्या है ?

(ख) क्या इस त्रुटि के कारण कंपनियां अधिक लाभ रखकर बहुत अधिक मूल्यो पर अपने उत्पाद बेचने के अवसर का लाभ नहीं उठायेंगी;

(ग) क्या सरकार का विचार उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण करने वाली कंपनियों के लिए लाभ निर्धारित करने का है ताकि कम दरों पर उपभोक्ताओं को वस्तुएं उपलब्ध हो सकें; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (घ) उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करने वाली कम्पनियों द्वारा अर्जित लाभ/घोषित लाभांश का विशिष्ट अध्ययन न करने का मुख्य कारण यह है कि इस प्रकार की कम्पनियां अधिक बड़ी हैं तथा विविध प्रकार की हैं। दूसरे इन विशेष प्रकरणों में जहाँ सरकार यह महसूस करती है कि कंपनियों द्वारा

अधिक मूल्य वसूल किया जा रहा है, ऐसी कंपनियों का विशिष्ट अध्ययन करने के लिए औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो से अनुरोध किया जाता है । 27 उद्योगों के बारे में कम्पनी कार्य विभाग नें पहले ही अनिवार्य लागत लेखा प्रणाली का आरंभ कर दिया है जो इन वस्तुओं का निर्माण कर रही कंपनियों की उत्पादन लागत, बिक्री मूल्य तथा औसत लाभकारिता को सूचित करती हैं ।

सभी प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन कर रही कंपनियों के लाभ को निर्धारित करने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहा है । इतने विशाल क्षेत्र में मूल्य नियंत्रण लागू करना कठिन होगा ।

अरविन्द आश्रम, पांडिचेरी पर हमला

8468. डा० कर्ण सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांडिचेरी में श्री अरविन्द आश्रम पर 22 तथा 26 फरवरी, 1979 को हमला किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और आश्रम की सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) से (ख) 22 तथा 26 जनवरी, 1979 को श्री अरविन्द आश्रम, पांडिचेरी पर बदमाशों द्वारा हमला किया गया था। स्थानीय प्रशासक ने सूचना दी है कि हमले के कारण (i) स्थानीय लोगों की यह भावना कि आश्रम एक प्रबुद्ध संगठन है जो स्थानीय व्यक्तियों से कटा हुआ अलग अस्तित्व लिये हुए है । (ii) आश्रम द्वारा किए जा रहे बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक कार्यो को लोगों द्वारा अध्यात्मिक उद्देश्यों का नहीं समझा जाता है । (iii) कस्बे में विशेषत: व्हाइट टाउन क्षेत्र में अत्याधिक सम्पदा का स्वामित्व लोगों की आखों में खटकता है । (iv) इसके अनेक प्रकार के कार्यों के कारण आश्रम एक बड़ा निजी नियोक्ता बन गया है जो अपने कर्मचारियों को उचित वेतन नहीं देता है । इसके द्वारा चलाये जा रहे वाणिज्यिक स्थापनाओं के असंतोषजनक श्रमिक संबंधों का एक लम्बा इतिहास है, और (v) आश्रम न्यास और आश्रम समिति के बीच जो गुटबन्दी उत्पन्न हो गई, उसने आश्रम की एक अध्यात्मिक स्थान के रूप में छबि को गम्भीर रूप से प्रभावित किया है, हो सकते हैं । (vi) तात्कालिक कारण यह था कि 22 जनवरी को जब सरकारी कर्मचारियों समेत लोगों को पूर्ण हड़ताल की थी, यह हड़ताल आश्रम स्थापनाओं द्वारा नहीं की गई थी जिन्होंने अपने स्कूलों को खोले रखा था ।

दोनों दिन 22 और 26 जनवरी 1979 को श्री अरविन्द आश्रम कम्पलैक्स और संवेदनशील समझे गये अन्य क्षेत्रों के निकट विशेष पुलिस गश्त का प्रबन्ध किया गया था । किन्तु अधिक गड़बड़ी के कारण स्थिति पूर्णत: नियंत्रित नहीं की जा सकी ।

स्थानीय प्रशासन, जब भी आवश्यक होगा, आश्रम को संरक्षण देने के लिये उचित कदम उठायेगा ।

स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन देने के बारे में कारावास अवधि की शर्तों को हटाने का प्रस्ताव

8469. श्री रामलाल राही : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी दासता से मातृभूमि को स्वतन्त्र कराने के लिए स्वतन्त्रता सेनानियों द्वारा किये गये संघर्ष के लिए उन्हें सम्मान प्रदान करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा उन्हें दी जा रही पेंशनमें वृद्धि करने के बारे में किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो कारावास अवधि की शर्त को हटाने के संबंध में क्या कठिनाई है और तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय सीमेंट निगम के कार्यालय का स्थानान्तरण

8470. श्री एम० ए० हनान अलहाज : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सीमेंटनिगम के कार्यालय को बहादुरशाह जफर मार्ग से नेहरू प्लेस, नई दिल्ली स्थानान्तरित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो पुराने भवन के किराये की तुलना में नये भवन का किराया कितना है;

(ग) कार्यालय को स्थानान्तरित करने, वर्तमान कार्यालय के कमरों के विभाजकों को गिराने तथा फर्नीचर आदि पर निगम द्वारा संभवतः कुल कितनी राशि खर्च की जाती है ; और

(घ) कार्यालय को नये स्थान पर स्थानान्तरित करने को विवश करने के क्या कारण हैं जबकि निगम "स्कोप" (एस० सी० ओ० पी० ई०) द्वारा निर्मित किये जा रहे नये कार्यालय समूह में आवास के लिए 30 लाख रुपये अग्रिम राशि के रूप दिये जा चुके हैं ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) भारतीय सीमेण्ट निगम का विचार अपने कार्यालय को बहादुरशाह जफर मार्ग से नेहरू प्लेस, नई दिल्ली में स्थानान्तरण करने का है ।

(ख) नेहरू प्लेस में लगभग 52,000 वर्ग फुट क्षेत्र वाले नए भवन का किराया 1,55,000 रुपए प्रति मास है, जबकि बहादुरशाह जफर मार्ग स्थित 21,311 वर्ग फुट वाले विद्यमान भवन का किराया 78,000 रुपए प्रति मास है ।

(ग) नए भवन में केवल जरूरी तोड़-फोड़, वायरिंग, विभाजन करने व बिजली की फिटिंगों का काम किया जा रहा है और इस पर होने वाले व्यय को यथासंभव कम से कम रखा जाएगा । इसके ब्यौरे तैयार किए जा रहें हैं ।

(घ) इस समय निगम का कार्यालय बहादुरशाह जफर मार्ग व उसके आस-पास की तीन अलग-अलग-इमारतों में है। निगम के काम दिन प्रति दिन बढ़ते जा रहे हैं इसलिए निगम की स्थान संबंधी आवश्यकता बढ़ गई है। निगम को इसकी आवश्यकता हुई है कि उसे कुशलता से चलाने के लिए इसको सभी विभाग एक ही जगह होने चाहिए।

बड़ी कंपनियों की गतिविधियों पर रोक

8471. श्री वेदव्रत बरुआ : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ऐसी कुछ कंपनियों की गतिविधियों पर रोक लगाने का है जिनमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों की पूंजी लगी है और जो निम्न-प्रौद्योगिकी की उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन कर रही है ;

(ख) क्या उनमें से बहुत सी कंपनियां अपनी लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक उत्पादन कर रही हैं ;

(ग) कौन कौन सी कंपनियों को लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक उत्पादन करते हुए पाया गया तथा उनका वास्तविक उत्पादन एवं लालसेंस प्राप्त क्षमता क्या है ; और

(घ) क्या उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए ये उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम में संशोधन करने का विचार है ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) भारत के उद्योगों में विदेशी निवेश तथा विदेशी कम्पनियों के सहयोग के बारे में सरकार ने अपनी नीति 23 दिसम्बर, 1977 को संसद में रखे गये औद्योगिक नीति विवरण के पैरा 24, 25 तथा 26 में स्पष्ट कर दी है।

(ख) से (घ) लाइसेंसीकृत क्षमता से कहीं अधिक मात्रा में माल बनाने वाले औद्योगिक उपक्रमों के मामलों की जांच सरकार द्वारा, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम में दिये गये उपबन्धों के अनुमार की जाती है। जिन मामलों में उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन किया गया है, उन प्रकरणों में उक्त अधिनियम में दिये गये उपबन्धों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

शराब पीने के कारण गम्भीर सड़क दुर्घटनाएं

8472. डा० सुशीला नायर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितनी गम्भीर सड़क दुर्घटनायें हुई ;

(ख) इनमें से कितनी चालकों द्वारा शराब पिये जाने के प्रभाव से हुई ; और

(ग) इस खतरे को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) से (ग) तक अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर एक विवरण सभापटल पर रख दिया जायेगा।

कार्यदल का प्रतिवेदन

8473. श्रीमती मृणाल गोरे : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई दिल्ली में 3 मार्च, 1978 को हुए सेण्ट्रल ट्रेड यूनियन आर्गेनाइजेशनों की बैठक में एक कार्य दल का गठन किया था;

(ख) क्या कार्यदल ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ग) क्या सरकार को प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है;

(घ) यदि हां, तो कार्यदल की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार प्रतिवेदन की प्रति सभा पटल पर रखने का है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क), (ख) तथा (ग)—जी हां।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

(ङ) प्रत्येक संसद सदस्य को वितरण करने के लिए रिपोर्ट की प्रतियां लोक सभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय को जनवरी, 1979 में उपलब्ध कराई गई थी।

विवरण

1. सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों की सेवा—शर्तें, परिलब्धियां और पारिश्रमिक की दरे समान होनी चाहिए और इसलिए गैर-सरकारी क्षेत्र में इनको घटाया जाना चाहिए।

2. मंत्रालय और इसके अभिकरणों जैसे सरकारी उद्यम ब्यूरो और अलग-अलग उपक्रमों के अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और उत्तरदायित्वों की सावधानी से समीक्षा की जानी चाहिए और स्पष्टत: निर्धारित की जानी चाहिए।

3. अधिकारियों और सहायक एककों के उद्यमियों के बीच स्पष्ट और अस्पष्ट संबंधों और उनके वित्तीय लेनदेन की उचित जांच जरूरी है। सरकारी क्षेत्र के प्रबंधकों को यह देखना चाहिए कि सहायक एककों में श्रमिकों का उचित मजदूरी और सेवा शर्तों की गारन्टी दी जाती है।

4. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में प्रत्येक अधिकारी के कार्यों और उत्तरदायित्वों को विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए और चूक के मामलों में कार्रवाई की जानी चाहिए।

5. तंग करने, चौगुटा नियम, राजनीतिक संरक्षण, पक्षपात और भेदभाव से संबंधित शिकायतों पर ध्यान देने के लिए प्रत्येक सरकारी उपक्रम में उपयुक्त मशीनरी बनाई जानी चाहिए और मशीनरी की शीघ्रता से जांच करनी चाहिए और शिकायतों को हल किया जाना चाहिए ।

6. आर्थिक कार्य से उत्पन्न सभी आधिक्य का सामाजिक हित के लिए पुरा उपयोग करने के लिए अर्थव्यवस्था को पूर्वाभिमुख किया जाना चाहिए और इससे श्रमिकों में अन्तर्ग्रस्तता की भावना पैदा होगी ।

7. रोजगार के मामले में काम देते समय श्रमिकों के पूर्ववृत्त की पुलिस जांच और राजनीतिक आधार पर भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिए । सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में असामाजिक तत्वों और पक्के अपराधियों को भर्ती नहीं किया जामा चाहिए । गोपनीय फाइल/रिपोर्ट रखने की प्रथा समाप्त की जानी चाहिए । ट्रेड यूनियन कार्यों के लिए किसी को तंग नहीं किया जाना चाहिए । स्थायी आदेशों को फिर से बनाने की आवश्यकता है ताकि वे प्रजातांत्रिक मापदण्डों के अनुरूप हो सके और गैर-प्रजातांत्रिक उपबंधों को समाप्त किया जाना चाहिए । सर्वाधिक सच्ची सदस्यता वाली यूनियन को मान्यता दी जानी चाहिए ।

8. प्रबंधकों के हस्तक्षेप के बिना श्रमिकों को अपनी पसन्द की यूनियन चुनने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए और यूनियनों की बहुलता की ट्रेड यूनियन आन्दोलन की आंतरिक समस्याओं के रूप में समझा जाना चाहिए ।

9. श्रमिकों की काम की और रहने की स्थितियों विशेषतया आवास समस्या पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ।

10 प्रत्येक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में श्रमिकों की भागीदारी की एक योजना निम्नलिखित पद्धतियों पर शुरू की जानी चाहिए :—

श्रमिकों के प्रतिनिधियों को संयुक्त समितियों, जिनकी स्थापना सभी स्तरों पर की जानी चाहिए, में समान अधिकार और समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए । उन्हें हर तरह की अपेक्षित वास्तविक सुचना मिलनी चाहिए और सभी मामलों में अपनी राय स्वतंत्रता से व्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए । श्रमिकों के प्रतिनिधियों का चुनाव गुप्त मतदान के जरिए होना चाहिए । ऐसा स्पष्ट उपबंध होना चाहिए कि श्रमिकों के प्रतिनिधियों को संयुक्त समिति में उनके रूख के लिए तंग नहीं किया जाना चाहिए । प्रबंधकों द्वारा कोई ऐसा एक पक्षीय कदम नहीं लिया जाना चाहिए जिससे उपक्रम, श्रमिकों और समाज के हित पर प्रभाव पड़े । सहभागिता के क्षेत्रों में सभी बातें आनी चाहिए जैसे उत्पादन आयोजन, विस्तार, वित्त और निवेश विपणन तथा खरीद, जनशक्ति आयोजन और भर्ती आदि और इसका विस्तार अनुभव के आधार पर किया जाना चाहिए । सामुहिक सौदेबाजी के क्षेत्र का सहभागिता मशीनरी द्वारा अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिए ।

जहां कहीं यूनियनों और प्रबंधक इसे सम्भाव्य समझते हैं, प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी का एक परीक्षण किया जाना चाहिए जो उपक्रम के श्रमिक प्रतिनिधियों की वरिष्ठ कार्यकारियों के साथ साथ वार्षिक बैठके के रूप में किया जाये ताकि उपक्रम की गतिविधियों, समस्याओं और वित्तीय स्थिति के बारे में प्रत्येक पक्ष एक दूसरे के विचार जान सके। श्रमिकों के प्रतिनिधियों में उपक्रम में सभी समितियों के सदस्य और सभी मान्यताप्राप्त यूनियनों की कार्यकारी समिति के सदस्य शामिल हों।

जब एक श्रमिक को उपक्रम में भर्ती किया जाता है तो उसे उपक्रम के बारे में प्रारम्भिक जानकारी देने वाली एक पुस्तिका दी जानी चाहिए जिससे वह उपक्रम की गतिविधियों से अवगत हो सके। संचार के व्यापक श्रमिकोन्मुख माध्यम के रूप में हाउस जर्नल प्रकाशित किए जाने चाहिए।

प्रभावी भागीदारी से संबंधित मामलों में अपने सदस्यों को प्रशिक्षण देने हेतु ट्रेड यूनियनों को शैक्षणिक कार्यक्रम विकसित करने चाहिए। प्रबंधकों द्वारा अवकाश तथा अन्य सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।

11. एक नई शिकायत पद्धति विकसित की जानी चाहिए जिसमें श्रमिक को ऐसा अधिकार देने की व्यवस्था हो कि शिकायतों के शीघ्र निपटान और शिकायत दूर करने के लिए वह अंतिम प्राधिकारी से सीधे ही सम्पर्क कर सकें।

12. जब कभी किसी कम्पनी को अधिकार में लिया जाता है तो उसी ग्रुप या समूह से संबंधित अन्य सभी कम्पनियां भी अधिकार में ली जानी चाहिए और प्रबंधकों द्वारा परिवर्तित या दुरुपयोग की गई राशि उनकी अन्य कम्पनियों या निदेशक मंडल के सदस्यों की वैयक्तिक परिसम्पत्ति से वसूल की जानी चाहिए।

13. बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के कार्यकरण पर उनकी नीतियों को उद्योगों की रूग्णता पर काबू पाने के आम दृष्टिकोण के अनुरूप बनाने के लिए कुछ प्रतिबंध होने चाहिए जिससे ऋण देंने से पहले कम्पनी के कार्य के सभी पहलुओं पर विचार किया जा सके।

14. उद्योग के कार्यकरण को मानीटर करने हेतु औद्योगिक रूग्णता के संबंध में एक स्थायी समिति गठित की जानी चाहिए। जब कभी रूग्णता के कोई लक्षण स्थायी समिति की जानकारी में लाये जायं तो इसे रूग्ण होने से रोकने के लिए शीघ्र ही सुधारात्मक उपाय किए जाने चाहिए। रूग्णता को दूर करने के उपाय के बजाय इसको रोकने पर बल दिया जाना चहिए :

(क) स्थायी समिति में सरकार वित्तीय संस्थाओं, उद्योग एवं ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि होने चाहिए। इसे औद्योगिक रूग्णता के मूल कारणों को दूर करने अर्थोपायों और रूग्ण एकक को फिर से सुदृढ़ बनाने के उपायों के बारे में सुझाव देना चाहिए।

(ख) समिति को रूग्ण एकक को अधिकार में लेने के बारे में सरकार को सिफारिश करने का अधिकार होना चाहिए तथा प्रक्रिया संबंधी विलम्बों को यदि समाप्त न

किया जा सके तो कम करने की दृष्टि से अधिकार में लेने की गतिविधियों को विकसित करने का भी अधिकार होना चाहिए ।

(ग) समिति को पर्याप्त स्टाफ और विशेषज्ञ सलाह प्रदान की जानी चाहिए ।

15. उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 और कम्पनी अधिनियम, 1956 में निम्नलिखित के लिए व्यवस्था करने के लिए उचित संशोधन किया जाना चाहिए :

(1) एकक की रूग्णता के लिए उत्तरदायी पार्टियों को निवारक जुर्माना और सभी देय दराशियों को वसूलने की व्यवस्था जिसमें उनके अन्य निगमों/वैयक्तिक परिसम्पत्ति से मुआवजा भी शामिल है ।

(2) जिन एककों के रूग्ण होने की सम्भावना है या जो पहले से ही रूग्ण है उनको शीघ्रता से अधिकार में लेना ।

(3) एकक के वित्तीय ढांचे और प्रबंधकों को साथ-साथ पुनर्गठन और सभी देय राशियों के मामले में श्रमिकों के हितों की रक्षा ।

(4) आवश्यक निधियों के लिए प्रावधान सहित एकक को फिर से चालू करने की योजना बनाना और उसे कार्यान्वित करना ।

(5) भूतपूर्व प्रबंधकों को एकक वापिस देने पर रोक लगाना ।

16. प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी के संबंध में किए गए प्रस्तावों का अधिकार में लिए गए रूग्ण एककों कों चलाने में विशेष महत्व है ।

17. ग्रामीण क्षेत्र में एक उद्योग या परियोजना के उद्देश्यों का यह एक आवश्यक अंग होना चाहिए कि वह इसके विकास में शामिल हो, जिसे कुछ गांवों या एक क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए, उद्योग या परियोजना इस सब केन्द्र के रूप में हो, और सारी बातें एक एकीकृत क्षेत्र विकास योजना के रूप में मानी जायें । भूमि का अर्जन प्रभावित किसानों के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श के आधार पर किया जाये, अधिग्रहण की दरें उचित हों । जब तक मुआवजे का भुगतान किया जाता है तब तक भूमिका को कब्जे में नही लिया जाना चाहिए । विस्थापित किसानों को वैकल्पिक आजीविका देकर बसाया जाना चाहिए, रोजगार में भी वरीयता दी जानी चाहिए । क्षेत्र के लड़कों और लड़कियों को स्थापना स्थल पर स्थापित अस्थाई पालिटैक्नीकों के जरिए रोजगार के लिए प्रतिशत किया जाना चाहिए और प्रशिक्षण के बाद नौकरी पर लिया जाना चाहिए ।

18. सहायक उद्योगों में श्रमिकों की मजूरी की दरें और घरेलू, आकस्मिक ठे.ा और प्रवासी निर्माण-श्रमिकों की मंजूरी की दरें निश्चित की जानी चाहिए और लागू की जानी चाहिए । विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास और कल्याण के लिए और उपर्युक्त श्रमिकों की निर्वाह और सेवा शर्तों की देखभाल करने के लिए एक तंत्र होना चाहिए ।

19. ग्रामीण लोगों में कमजोर वर्गों को उद्योग या परियोजना से लाभ प्राप्त करने के लिए लक्षित ग्रुपों के रूप में समझा जाना चाहिए जिसे अपने परियोजना अनुमान और अपने राजस्व खाते से प्रतिवर्ष एक उपयुक्त राशि, यदि आवश्यक हो कानून में संशोधन करके क्षेत्र विकास निधि के रूप में नियत करनी चाहिए। प्रबंधकों और श्रमिकों के संगठनों को जनता के सक्रिय सहयोग से क्षेत्र की आवश्यकताओं और सम्भावनाओं का निर्धारण करना चाहिए।

20. इस प्रकार के निर्धारण के बाद काम पूरा करने हेतु एक पृथक मशीनरी के जरिए प्रबंधकों को विशेषज्ञता और कार्मिक प्रदान करने चाहिए। ग्राम पंचायतें, जिला परिषदें, क्षेत्र विकास बोर्डों आदि को ऐसे काम में सहयोजित किया जाये। निम्नलिखित कार्यक्रमों की एक या अधिक वस्तुएं धन की उपलब्धता और आवश्यकताओं के आधार हर प्रारम्भ की जाये :—

(क) शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और रख-रखाव जिसमें प्रौढ़ शिक्षा और व्यवसायिक प्रशिक्षण स्कूल भी शामिल हैं।

(ख) स्वास्थ्य सेवाओं की स्थापना और रख-रखाव जिसमें चलते फिरते अस्पताल और परिवार कल्याण केन्द्र भी शामिल हैं।

(ग) अन्तर्वस्तुओं और जानकारी की सप्लाई के लिए प्रबंध, विशेषतः गरीब किसानों और कारीगरों को।

(ध) ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थापना संबंधी कार्य शुरू करना और पूरा करना।

दिल्ली में पुलिस स्टेशन और पुलिस चौकियां

8474. श्री मोहनलाल पिपिल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में 1 जनवरी 1979 को कुल कितने पुलिस स्टेशन और पुलिस चौकियां काम कर रही थी ;

(ख) कितने पुलिस कर्मचारी इन पुलिस स्टेशनों और पुलिस चौकियों में काम कर रहे हैं ? और

(ग) प्रत्येक पुलिस स्टेशन और चौकी के अन्तर्गत लगभग कितना क्षेत्र और जनसंख्या आती है ?

गृह मंत्रालय तथा विधि न्यायालय कम्पनी कार्य में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) से (ग) राजधानी में 60 पुलिस स्टेशन और 6 पुलिस चौकियां हैं।

2. उक्त पुलिस स्टेशनों/पुलिस चौकियों में तैनात पुलिस कार्मिकों के व्यौरे इस प्रकार हैः-

निरीक्षक	उप-निरीक्षक	सहायक उपनिरीक्षक	हैड-कांस्टेबल	कांस्टेबल
65	621	385	887	5632

3. प्रत्येक पुलिस स्टेशन के आसन्न कार्यक्षेत्र और जनसंख्या संलग्न सूची में दी गई है। पुलिस चौकियों से सम्बन्धित इस बारे में सूचना इस समय सहज उपलब्ध नहीं है।

क्रम सं०		पुलिस स्टेशनों/पुलिस चौकियों के नाम	वर्ग कि० मी० में क्षेत्र	लाखों में जनसंख्या
1.		2	3	4
		उत्तरी जिला		
1.		कोतवाली	2.000	1.15
2.		लहौरी गेट	2.000	1.05
3.		सदर बाजार	1.500	1.10
4.		कश्मीरी गेट	1.500	0.60
	(क)	निगम बोध		
5.		रोशन आरा	1.500	1.20
6.		बाड़ा हिन्दू राव	1.250	0.90
7.		सब्जी मंडी	3.000	1.15
	(क)	गुलाबी बाग		
	(ख)	अन्धा मुगल		
	(ग)	तीस हजारी		
8.		सिविल लाइन्स	3.000	0.60
	(क)	अन्तर्राज्यीय बस स्टैंड		
	(ख)	तिमारपुर		
9.		आदर्श नगर	6.000	1.00
	(क)	जहांगीर पुरी		
10.		किंग्जवे कैंप	7 500	1.00
11.		अलीपुर	90.000	0.60
12.		नरेला	45.500	0.60
	(क)	बवाना		
13.		सराय रोहिल्ला	3.000	1.10
14.		अशोक बिहार	2.000	0.90
	(क)	शांति नगर		
15.		लारेंस रोड़	2.000	0.70
		केन्द्रीय जिला		
16.		दरियागंज	2.500	1.00
	(क)	इन्द्र प्रस्थ इस्टेट		
	(ख)	इर्विन हस्पताल		

1	2	3	4
17.	जामा मस्जिद	2,000	1.50
(क)	जामा मस्जिद		
(ख)	तुर्कमान गेट		
18.	हौज काजी	0.750	1.25
19.	कमला मार्किट	1,250	0.75
20.	करोल बाग	1.250	1.00
(क)	टैंक रोड		
21.	पटेल नगर	3 500	1.00
(के)	आनन्द पर्वत		
22.	पहाड़ गंज	2,000	1.80
(क)	नबी करीम		
23.	ओरिजनल रोड़	1.000	0.90
(क)	गवर्नमेंट क्वार्टर देव नगर		
(ख)	शीदीपुरा		
24.	राजिन्द्र नगर	6.500	0.60
(क)	पूसा		
	पश्चिमी जिला		
25.	तिलक नगर	3.860	0 20
26.	मोती नगर	4.630	0.60
27.	पंजाबी बाग	1.930	0.90
(क)	शकूर बस्ती		
(ख)	जे० जे० कालोनी मादीपुर		
(ग)	आनन्दवास		
28.	रोजौरी गार्डन	2.500	2.00
29.	नांगलोई	40.144	2.00
(क)	पश्चिमपुरी		
(ख)	मंगोलपुरी		
30.	नजफगढ़	51.301	0.80
(क)	गोयला मिल्क डेयरी		
(ख)	बिजवासन		
31.	जनकपुरी	11.580	1.40
	दक्षिणी जिला		
32.	डिफेंस कोलोनी	3.750	1.20

1		2	3	4
	(क)	कोटला मुबारकपुर		
	(ख)	एंड्यूज गंज		
	(ग)	गुलमोहर पार्क		
33.		लोधी कोलोनी	3.250	0.70
34.		कालका जी	16.000	1.05
	(क)	दक्षिण पुरी		
	(ख)	ओखला औद्योगिक कम्पलैक्स		
	(ग)	चितरंजन पार्क		
	(घ)	मदनगीर		
	(ङ)	ग्रेटर कैलाश		
35		बदरपुर	20.000	1.05
36.		लाजपत नगर	1.500	1.00
	(क)	अमर कोलोनी		
37.		हजरत निजामुद्दीन	3.000	0.60
	(क)	जंगपुरा		
38.		श्रीनिवासपुरी	3.500	0.80
	(क)	ओखला		
	(ख)	सनलाइट कौलोनी		
39.		विनय नगर	2.750	0.90
40.		महरौली	58.000	0.75
41.		दिल्ली कैंट	39.500	0.70
42.		नरैना	13.500	0.30
43.		होजखास	4.000	0.60
	(क)	माल्वीया नगर		
44.		आर० के० पुरम	1.500	0.60
	(क)	मोती बाग		
	(ख)	सैक्टर-IV आर० के० पुरम		
	(ग)	सैक्टर -VIII आर० के० पुरम		
45.		बसंत बिहार	3.500	0.80
		नई दिल्ली जिला		
46.		पार्लियामेंट स्ट्रीट	2.000	0.38
	(क)	नार्थ एवेन्यू		
47.		मंदिर मार्ग	15.000	0.75

1	2	3	4
48.	तुगलक रोड़	5.000	0.50
49.	चाणक्यपुरी	11.520	0.60
(क)	साउथ एवेन्यू		
50.	तिलक मार्ग	8.000	0.33
51.	कनाट प्लेस	3.200	0.35
	पूर्वी जिला		
52.	शाहदरा	3.860	1.10
(क)	नन्द नगरी		
(ख)	शाहदरा कोर्ट		
53.	सीमापुरी	5.404	1.10
54.	गांधी नगर	11.580	2.05
(क)	कृष्णा नगर		
(ख)	शक्करपुर		
55.	सीलमपुर	7.720	1.10
(क)	खूजरी खास		
(ख)	दयालपुर		
56.	फर्श बाजार	5.404	1.00
(क)	विवेक विहार		
57.	कल्याणपुरी	2.316	1.00
(क)	पटपड़ गंज		
58.	पालम हवाई अड्डा	—	0.75
59.	दिल्ली रेलवे स्टेशन मुख्य	—	—बदलती जनसंख्या एक लाख
(क)	रेलवे पुलिस चौकी शाहदरा		
(ख)	रेलवे पुलिस चौकी सराय रोहिल्ला		
60	नई दिल्ली रेलवे स्टेशन	—	—बदलती जनसंख्या 0.96 लाख
(क)	रेलवे पुलिस चौकी सब्जी मंडी		
(ख)	किशन गंज		
	जोड़	573.210	54,11,000

टिप्पणी :—क, ख, ग, घ, ङ, पुलिस स्टेशनों की पुलिस चौकियों का संकेत करते हैं।

भारतीय आर्थिक सेवा में अधिकारियों का सम्मिलित किया जाना

8475. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या पिछले वर्षों के दौरान भारतीय आर्थिक सेवा में अनेक व्यक्तियों को, इस सेवा में सम्बन्धित नियमों का उल्लंघन करके, सम्मिलित किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो 1968 के बाद इस सेवा के भिन्न-भिन्न ग्रेडों में सम्मिलित किये गये व्यक्तियों का, तारीख बार, ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या प्रशासनिक शक्तियों के ऐसे दुरुपयोग का अधिकारियों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

गृह मंत्रालय विधि न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) निचले ग्रेडों ने पदोन्नत हुए लोगों के अलावा, भारतीय आर्थिक सेवा के विभिन्न ग्रेडों में नियुक्त व्यक्तियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि भारतीय आर्थिक सेवा में सभी नियुक्तियां पूर्णतया उक्त सेवा को शासित करने वाले नियमों के प्रावधानों के अनुसार की जाती हैं ।

विवरण

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया द्वारा पूछा गया 25-4-79 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 8475 के उत्तर के खण्ड (ख) में उल्लिखित विवरण जिसमें पूर्ववर्ती तीन वर्षों (1976-78) के दौरान भारतीय आर्थिक सेवा के विभिन्न ग्रेडों में, उन व्यक्तियों के अलावा जिन्हें निचले ग्रेडों से पदोन्नत किया गया है, व्यक्तियों की नियुक्तियों के ब्यौरे दिए गए हैं ।

(क) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सीधे भर्ती किए गए :

क्रम संख्या 1	ग्रेड 2	व्यक्तियों के नाम 3	नियुक्ति तिथि 4	अभ्युक्तियां 5
1.	ग्रेड I	डा० आर० एन० लाल	7-3-1978	
2.	ग्रेड II	डा० (श्रीमती) आई० के० वर्थाकुर	3-10-78	
3.	ग्रेड II	श्री एन० एल० मोना	12-11-1976	अनुसूचित जाति के हैं
4.	ग्रेड II	श्री पी० एल० अवारे	26-11-1976	अनुसूचित जाति के हैं
5.	ग्रेड II	डा० एस० एन० कौल	1-2-1977	
6.	ग्रेड II	श्री कमल किशोर	13-10-1978	अनुसूचित जाति के हैं

1	2	3	4	5
7.	ग्रेड II	श्रीमती पुष्पम जेसिफ	30-9-1978	
8.	ग्रेड II	श्री एम० बी० पावेट	28-10-1978	
9,	ग्रेड III	श्री वी० वी० सुब्रह्मण्यम	12-3-1976	इनको संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 1973 में सिफारिश की गई थी। अस्थायी तौर स्वास्थ्य को दृष्टि से अनुपयुक्त घोषित किए जाने के कारण नियुक्ति में देरी हुई थी।
10.	ग्रेड IV	श्री टी० सी० श्रीनिवासन	22-11-1976	
11.	यथोपरि	श्री जे० के० बन्सल	यथोपरि	
12.	यथोपरि	कुमारी गंगा माधव राव	यथोपरि	
13,	यथोपरि	श्री ए० बहारा	23-11-1976	
14.	यथोपरि	कुमारी एम० रामास्वामी	22-11-1976	
15.	यथोपरि	श्री उत्पल घोष	यथोपरि	
16.	यथोपरि	श्री बी० मोहन्ती	यथोपरि	
17.	यथोपरि	श्री एस० मिश्र	यथोपरि	
18.	यथोपरि	श्री डी० एन० सिन्हा	यथोपरि	
19.	यथोपरि	श्री आर० विश्नाथन	15-11-1977	
20.	यथोपरि	कुमारी विनीता श्रीवास्तव	यथोपरि	
21.	यथोपरि	श्री मनजीत सिंह	यथोपरि	
22.	यथोपरि	कुमारी नीला सेनगुप्ता	यथोपरि	
23.	यथोपरि	श्री नानक चन्द सिंधी	28-11-1977	
24.	यथोपरि	श्री के० के० त्यागी	15-11-1977	
25.	यथोपरि	श्री निर्मल सिंह	यथोपरि	
26.	यथोपरि	श्री अरविन्द कुमार	यथोपरि	
27.	यथोपरि	श्री एस० सरकार	यथोपरि	
28.	यथोपरि	श्री आर० एस० अहलावत	यथोपरि	
29.	यथोपरि	श्री एस० जगदीशन	अनुसूचित जाति के हैं।	

(ख) विभागीय उम्मीदवार (अर्थात् वे लोग जिनके पदों को विभिन्न ग्रेडों में शामिल कर लिया गया है और जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदन से उपयुक्त ग्रेडों में नियुक्त कर दिया गया है।

क्रम संख्या	ग्रेड	व्यक्ति का नाम	नियुक्त तिथि	अभ्युक्तियां
1.	ग्रेड IV	श्री ए० के मलहोत्रा	5-2-1976	
2.	ग्रेड IV	श्री रमेश चन्द्र	2-11-1976	
3.	ग्रेड IV	श्री ए० के० चक्रवर्ती	2-11-1976	
4.	ग्रेड IV	श्री एस० ए० सिद्दीकी	2-11-1976	

दिल्ली में हिन्दी टाइप राइटिंग और स्टेनोग्राफी प्रशिक्षण केन्द्र

8476. श्री मदन तिवारी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि :

(क) क्या हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत हिन्दी टाइप-राइटिंग और स्टेनोग्राफी प्रशिक्षण केन्द्र 2-ए पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली में चल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो जुलाई, 1978 और 1 जनवरी, 1979 की परीक्षाओं में बैठने के लिए कुल कितने प्रशिक्षणार्थियों ने फार्म भरे थे और वास्तव में कितने प्रशिक्षणार्थी परीक्षाओं में बैठे तथा उपरोक्त परीक्षाओं में कितने प्रशिक्षणर्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया गया ; और

(ग) सरकार इस केन्द्र पर कुल कितना व्यय कर रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) ब्योरेवार सूचना निम्न प्रकार है :—

सत्र 1	परीक्षा के लिए आवेदन प्रपत्र भरने वाले प्रशिक्षार्थियों की कुल संख्या 2	परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थियों की कुल संख्या 3	परीक्षा में पास हुए परीक्षार्थियों की कुल सख्या 4
टंकण			
जुलाई, 1978	91	66	34
जनवरी, 1979	74	56	परीक्षाफल अभी घोषित नही हुआ है ।
आशुलिपि			
जुलाई, 1978	27	22	11
जनवरी, 1979	26	26	परीक्षाफल अभी घोषित नही हुआ है ।

(ग) शिक्षण योजना के अन्तर्गत खर्चे का ब्यौरा क्षेत्रवार रखा जाता है । अत: अलग से एक-एक केन्द्र के खर्चे का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है ।

परियोजनाओं की उत्तम योजना और क्रियान्विति के बारे में की गई कार्यवाही

8477 श्री के० लकप्पा : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्री ने 1978-79 के अपने बजट भाषण में यह कहा था कि हमें परियोजनाओं की उत्तम आयोजना और क्रियान्विति के द्वारा लागत के अधिक प्रभावोत्पादक बनाने का प्रयास करना चाहिए ; और

(ख) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है और उनके क्या परिणाम निकले हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री फजलुर्रहमान) : (क) और (ख) जी, हां । परियोजना के अधिक अच्छे आयोजन और कार्यान्वियन के जरिए लागत को प्रभाविता के उद्देश्य से अभी तक किए गए महत्वपूर्ण उपायों में से कुछ इस प्रकार हैं :—

(1) सरकारी निवेश बोर्ड द्वारा अनुमोदन से पहले परियोजनाओं की पूरी तरह से संवीक्षा;

(2) विभिन्न स्तरों पर विशेष विशेषज्ञतायुक्त कुशलताओं के साथ पूर्णकालिक प्रबोधन एककों की स्थापना ;

(3) विकास परियोजनाओं और स्कीमों के कार्यान्वियन तथा क्षमता के उपयोग की प्रगति की जांच करने के लिए मंत्रालयों द्वारा समीक्षा बैठकों का आयोजन ;

(4) विभिन्न प्रकार के निर्माण-कार्य को पूरा करने के लिए निष्पादक अभिकरणों को समय-सीमाएं और मानक निर्धारित करने के लिए सलाह देना ;

(5) नियमों और कार्यविधियों के सरलीकरण, निष्पादक अभिकरणों को वित्तीय और और प्रशासनिक शक्तियों के प्रत्यायोजन तथा प्रशासनिक व्यवस्था के युक्तिकरण के क्षेत्र-विस्तार की जांच करना ;

(6) कार्यकरण में सुधार करने के हेतु सिफारिशें करने के लिए विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समितियों की नियुक्ति ; जैसे उदाहरण के लिए राज्य बिजली बोर्डों और सरकारी विभागों में प्रबंध सूचना प्रणाली के संबंध में ;

(7) विशेष रूप से वित्तीय आवश्यकताओं को निर्माण-कार्य को समय-अनुसूची और उपर्युक्त तकनीकों के अनुप्रयोग के साथ संबंध करना जिनसे लागत की कमी और परियोजनाओं के समय पर कार्यान्वियन में सहायता मिल सके ;

(8) लागत के अधिक हो जाने और समय-अनुसूची में व्यतिक्रमों के कारणों का विश्लेषण करने के लिए रिपोर्टों के मूल्यांकन और पूर्ण करने की प्रणाली को शुरू करना ; और

(9) विभिन्न स्तरों पर परियोजना और सरकारी अधिकारियों के लिए उनकी आयोजन और कार्यान्वियन क्षमताओं को बढ़ाने के हेतु अनेक सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना ।

इतनी जल्दी परिणाम को मात्रात्मक दृष्टि से बताना संभव नहीं है।

संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए की गई कार्यवाही

8478. श्री टी० ए० पई : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1978-79 के अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने परियोजना क्रियान्वयन और संसाधनों के प्रभावी उपयोग पर बल दिया था ; और

(ख) इसके लिए क्या कार्यवाही की गई है और इसके क्या परिणाम निकले ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फजलुर्रहमान) : (क) और (ख) जी, हां। परियोजना के अधिक अच्छे कार्यान्वयन और संसाधनों के प्रभावी उपयोग के उद्देश्य से अभी तक किए गए महत्वपूर्ण उपायों में से कुछ इस प्रकार हैं :—

(1) सरकारी निवेश बोर्ड द्वारा अनुमोदन से पहले परियोजनाओं की पूरी तरह से संवीक्षा;

(2) विभिन्न स्तरों पर विशेष विशेषतायुक्त कुशलताओं के साथ पूर्णकालिक प्रबोधन एकड़ों की स्थापना ;

(3) विकास परियोजनाओं और स्कीमों के कार्यान्वयन तथा क्षमता के उपयोग की प्रगति की जांच करने के लिए मंत्रालयों द्वारा समीक्षा बैठकों का आयोजन ;

(4) विभिन्न प्रकार के निर्माण-कार्य को पूरा करने के लिए निष्पादक अभिकरणों को समय-सीमाएं और मानक निर्धारित करने के लिए सलाह देना ;

(5) नियमों और कार्यविधियों के सरलीकरण, निष्पादक अभिकरणों को वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों के प्रत्यायोजन तथा प्रशासनिक व्यवस्था के युक्तिकरण के क्षेत्र-विस्तार की जांच करना।

(6) कार्यकरण में सुधार करने के हेतु सिफारिशें करने के लिए विशेषज्ञों को उच्च स्तरीय समितियों की नियुक्ति ; जैसे उदाहरण के लिए राज्य बिजली बोर्डों, और सरकारी विभागों में प्रबंध सूचना प्रणाली के संबंध में ;

(7) विशेष रूप से वित्तीय आवश्यकताओं को निर्माण-कार्य की समय-अनुसूची और उपयुक्त तकनीकों के अनुपयोग के साथ संबद्ध करना जिनसे लागत की कमी और परियोजनाओं के समय पर कार्यान्वयन में सहायता मिल सके ;

(8) लागत के अधिक हो जाने और समय-अनुसूची में व्यतिक्रमों के कारणों का विश्लेषण करने के लिए रिपोर्टों के मूल्यांकन और पूर्ण करने की प्रणाली को शुरू करना ;

(9) विभिन्न स्तरों पर परियोजना और सरकारी अधिकारियों के लिए उनकी आयोजन और कार्यान्वयन क्षमताओं को बढ़ाने के हेतु अनेक सेवा-कालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना।

इतनी जल्दी परिणाम को मात्रात्मक दृष्टि से बताना संभव नहीं है।

संसद तथा राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण

8479. श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए संसद तथा विधान सभाओं में स्थानों के आरक्षण के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 की व्यवस्था जनवरी, 1980 से लागू नहीं रहेगी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या अवधि बढ़ाने के बारे में सरकार ने कोई निर्णय कर लिया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) और (ख) 25 जनवरी, 1980 के बाद अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण की अवधि में वृद्धि करने के प्रश्न पर सरकार द्वारा ध्यान दिया जा रहा है।

गुजरात को सीमेंट का आबंटन

8480. श्री मोती भाई आर० चौधरी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट कारखानों में हड़ताल के कारण सीमेंट पूरी मात्रा में सप्लाई नहीं किया गया और क्या यह मात्रा अप्रैल से जून की अगली तिमाही में सप्लाई की जायेगी ;

(ख) क्या किसानों को जो वर्षाकाल में कृषि कार्यों में व्यस्त रहते हैं कुओं आदि के लिए सीमेंट अगली तिमाही में अधिक मात्रा में सप्लाई किया जायेगा ;

(ग) क्या सीमेंट कारखाने, इस धारणा से कि सरकार सीमेंट का मूल्य बढ़ायेगी, सीमेंट का कम उत्पादन कर रहे हैं ; और

(घ) क्या एक सर्वेक्षण से यह पता चला है कि गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में सीमेंट कारखानों ने कम उत्पादन किया है और यदि हां, तो कितनी मात्रा में उत्पादन कम हुआ है और क्या उन कारखानों के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जनवरी से मार्च 1979 की तिमाही में राज्य के रनवाव कारखाने में धीमे कार्य करो अभियान के कारण उनके तिमाही आबंटन से 30,000 मीट्रिक टन कम सीमेंट प्राप्त हुआ था। यह कमी सिक्का स्थित सीमेंट कारखाने से 5000 मीट्रिक टन का अतिरिक्त आबंटन करके तथा 25,000 मी० टन सीमेंट का आयात करके पूरा किया गया था। आयातित सीमेंट की सप्लाई वर्तमान तिमाही (अप्रैल से जून 1979) में पूरी कर दी जायेगी।

(ख) किसानों सहित विभिन्न वर्ग के उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए

तिमाही के आधार पर राज्य सरकारों को सीमेंट का थोक आवंटन किया जाता है। भिन्न-भिन्न वर्ग के उपभोक्ताओं को आबंटन वस्तुतः संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

(ग) 1978-79 में सीमेंट का अनुमानित उत्पादन 196 लाख मीट्रिक टन है जो पिछले वर्ष (1977-78) के 192.8 लाख मी० टन के उत्पादन की अपेक्षा कुछ ही अधिक है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

शिवपुरी मध्य प्रदेश में कागज उद्योग की स्थापना

848 . श्री माधवराव सिन्धिया : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षित बेरोजगारों कों नौकरी के अवसर प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश में शिवपुरी सहित देश के विभिन्न भागों में बड़ी अथवा मध्यम पैमाने के उद्योगों की स्थापना की आवश्यकता अनुभव की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार जिले में वहां की समस्या का समाधान करने हेतु एक कागज उद्योग की स्थापना के बारे में विचार करेगी ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (ग) इस समय मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले, में कागज का एक उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। हां इस जिले में कागज का एक एकक स्थापित करने के लिए निजी (प्राइवेट) उद्यमी जब भी प्रस्ताव प्राप्त होगा उस पर गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जायेगा।

राजपत्रित तथा गैर-राजपत्रित अधिकारियों के वर्गीकरण के बारे में मूल नियम और अनुपूरक नियमों में संशोधन

8482. डा० पी० बी० पेरियासामी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अब राजपत्रित और गैर-अराजपत्रित अधिकारी नामक वर्गीकरण नहीं है इसके बजाय ग्रूप ए० बी० सी० और डी० आदि वर्गीकरण है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन पुनवर्गीकरण का क्या परिणाम निकला है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि मूल नियमों और अनुपूरक नियमों में अभी तक उपयुक्त संशोधन नहीं किया गया हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय तथा विधि न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) और (ख) सरकारी कर्मचारियों का राजपत्रित तथा अराजपत्रित के रूप में वर्गीकरण, उत्तरदायित्व के स्तर तथा कार्य की अपेक्षाओं को देखते हुए किया जाता रहा है। साथ ही साथ उनके द्वारा धारित पदों के वेतन/वेतन की रेंजों के आधार पर उनका वर्गीकरण ग्रूप क, ख, ग और घ में भीं किया जाता है, जो नीचे दिया गया है :—

ग्रुप क — ऐसा केन्द्रीय सिविल पद, जिसका अधिकतम वेतन अथवा वेतनमान रु० 1300.00 से कम न हो।

ग्रुप ख — ऐसा केन्द्रीय सिविल सेवा पद जिसका अधिकतम वेतन अथवा वेतनमान रु० 900.00 से कम न हो, परन्तु रु० 1300.00 से कम हो।

ग्रुप ग — ऐसा केन्द्रीय सिविल पद जिसका अधिकतम वेतन अथवा वेतनमान रु० 290.00 से अधिक हो परन्तु रुपये 900.00 से कम हो।

ग्रुप घ — ऐसा केन्द्रीय सिविल पद जिसका अधिकतम वेतन अथवा वेतनमान रुपये 290.00 से कम है।

इससे पहले सरकारी कर्मचारियों का राजपत्रित और अराजपत्रित में वर्गीकरण होने के अलावा, श्रेणी I, II, III तक IV में भी वर्गीकरण किया जाता था। इन वर्गीकरणों के नामों को दिनांक 11-11-1975 से बदल कर क्रमश: ग्रुप क, ख, ग और घ कर दिया गया, जैसा कि तृतीय वेतन आयोग से सिफारिश की थी। वर्गीकरण में इस परिवर्तन का, सिवाए इसके कि "श्रेणी" शब्द के स्थान पर 'ग्रुप' शब्द प्रतिस्थापित कर दिया गया है, कोई विशेष आनुषगिक प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ग) तथा (घ) नवम्बर, 1975 में लागु किए गए केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली, 1965 के नियम 6 क के अधीन किसी भी नियम/विनियम आदि में जहां कहीं 'श्रेणी' अथवा 'श्रेणियों' का उल्लेख हो, उन सभी को 'ग्रूप' अथवा 'ग्रुपों' के रूप में माना जाएगा। इसलिए मूल तथा अनुपूरक नियम में अलग से संशोधन आवश्यक नहीं थे। फिर भी, जब कभी मूल नियम, अनुपुरक नियम अथवा अन्य नियमों में कोई संशोधन किया जाता है तो 'श्रेणी' अथवा 'श्रेणियों' को बदलकर 'ग्रुप' अथवा 'ग्रुपों' भी कर दिया जाता है।

भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों की भर्ती

8483. श्री पद्माचरण सामन्तसिहेरा : क्या गृह मंत्री भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के बारे में 28 मार्च, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5095 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1975-78 से 1878-79 के दौरान भर्ती किए गए भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों में से, राज्यवार तथा वर्ष वार कितने व्यक्ति विभागों से तथा कितने व्यक्ति सीधे ही भी भर्ती किए गए ?

गृह मंत्रालय विधि न्याय तथा कम्पनी कार्य में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : भारतीय प्रशासनिक सेवा में (i) पदोन्नति द्वारा तथा (ii) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की संख्या को सूचित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1975, 1976, 1977, और 1978 में पदोन्नत तथा सीधे भर्ती हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

राज्य/संवर्ग	वर्ष							
	1975		1976		1977		1978	
	पदोन्नत अधिकारी	सीधी भर्ती वाले	पदोन्नत अधिकारी	सीधी भर्ती वाले	पदोन्नत अधिकारी	सीधी भर्ती वाले	पदोन्नत अधिकारी	सीधी भर्ती वाले
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	—	11	—	8	12	9	18	6
असम-मेघालय	—	6	10	6	10	8	8	8
बिहार	9	10	3	13	20	12	7	7
गुजराज	—	10	—	2	—	5	—	5
हरियाणा	—	5	8	6	8	6	2	3
हिमाचल प्रदेश	2	4	2	4	4	4	6	3
जम्मू तथा कश्मीर	7	3	2	3	—	3	1	2
कर्नाटक	6	8	2	8	4	10	5	10
केरल	2	3	2	5	3	4	10	5
मध्य प्रदेश	24	7	14	7	9	10	19	8
महाराष्ट्र	—	9	—	12	2	11	18	5
मणीपुर-त्रिपुरा	16	3	—	6	5	6	1	9
नागालैण्ड	2	2	—	2	—	2	—	2

	1	2	3	4	5	6	7	8
उड़ीसा	6	7	—	6	13	4	1	4
पंजाब	6	5	5	1	9	6	3	4
राजस्थान	—	6	13	6	9	8	3	7
सिक्किम	—	—	—	—	—	2	23	1
तमिल नाडु	12	6	2	9	8	11	11*	10
संघ राज्य क्षेत्र	8	7	4	7	1	6	9	8
उत्तर प्रदेश	—	13	3	20	2	20	43	24
पश्चिम बंगाल	—	5	4	9	—	11	—	3
कुल	100	130	74	140	119	158	188	134

*1979 के दौरान एक गैर-राज्य सिविल सेवा अधिकारी चयन द्वारा नियुक्त किया गया था ।

कर्नाटक को सीमेंट की सप्लाई

8484 : श्री जनार्दन पुजारी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में सीमेंट की वार्षिक मांग कितनी है ;

(ख) राज्य को कितने सीमेंट की सप्लाई की जा रही है ; और

(ग) राज्य की सम्पूर्ण मांग पूरी करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ;

उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री) जगदम्बी प्रसाद यादव) (क) : कर्नाटक सरकार ने बताया है कि उनकी सीमेंट की वार्षिक मांग 16 लाख मी० टन है।

(ख) वर्ष 1978-79 के दौरान कर्नाटक राज्य के लिये किया गया आवंटन तथा भेजा गया सीमेंट इस प्रकार है :—

अवधि	आवंटन	(हजार मी० टनों में) भेजा गया सीमेंट
अप्रैल से जून 1978	279.0	240.5
जुलाई से सितम्बर 1978	284·6	253.8
अक्टूबर से दिसम्बर 1978	299.0	267.5
जनवरी से मार्च 1979	325.0	266.6 (अनन्तिम)
योग :	1187.6	1028.4

(ग) सरकार ने देश में सीमेंट की समग्र उपलब्धि बढ़ाने के लिये निम्नलिखित अभ्युपाय किये हैं :—

(1) भूटान तथा नेपाल को छोड़कर देश से बाहर सीमेंट निर्यात करने पर रोक लगा दी गयी है।

(2) औद्योगिक लाइसेंस देने के लिये प्राप्त नये आवेदनों पर अधिक तेजी से विचार किया जाने लगा है। 1 अप्रैल 1977 से 7 अप्रैल 1979 की अवधि में कुल मिलाकर 159 50 लाख मी० टन की क्षमता के लिये 35 आशय-पत्र तथा 7 औद्योगिक लाइसेंस दिये गये जबकि 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1977 की अवधि में कुल मिलाकर 84.60 लाख मीट्रिक टन की क्षमता के लिये केवल 7 आशय पत्र तथा 11 औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये थे।

(3) देश में सीमेंट के वितरण के संबंध में विद्यमान क्षेत्रीय असन्तुलन सीमेंट संयंत्रों के चूना पत्थर निक्षेपों के समीप स्थित होने के कारण है। सीमेंट संयंत्रों का अलग-अलग स्थापित किया जाना प्रोत्साहित कर इस असन्तुलन को न्यूनतम किया जाना है।

(4) इस समय मंत्री मंडल की एक उप-समिति सीमेंट के संरक्षण के लिये अपनाये गये विभिन्न अभ्युपायों पर विचार कर रही है। सीमेंट का संरक्षण प्रतिस्थापन सामग्री जैसे हाइड्रेटेड लाइन धानभूसी सीमेंट संगोल, चूना गारा आदि का उपयोग कर लिया जाता है।

(5) 1978-79 के दौरान देश में 15.47 लाख मीट्रिक टन सीमेंट का आयात किया गया है तथा 1979-80 के लिये लगभग 20 लाख मीट्रिक टन और भी सीमेंट आयात करने की योजना बनाई गई है।

(6) विगत तीन वित्तीय वर्षों की अवधि में प्रत्येक एकक में हुए सबसे अधिक उत्पादन से अतिरिक्त उत्पादन अथवा उसकी लाइसेंसीकृत क्षमता के 85 प्रतिशत पर जो भी अधिक हो, प्रति मीट्रिक टन पर 30 रुपये के नकद प्रोत्साहन की घोषणा की गई है।

(7) सड़क द्वारा सीमेंट परिवहन के भाड़ा प्रतिपूर्ति संबंधी विद्यमान नियमों को और उदार बना दिया गया है।

(8) सरकार ने बिजली की कटौती के दौरान सीमेंट का उत्पादन करने हेतु केप्टिव पावर का उद्योग करने के लिये सीमेंट उद्योग को सहायता भी प्रदान की है।

(9) विद्यमान एककों के उत्पादन पर निगरानी रखी जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उद्योग शत प्रतिशत समय क्षमता उपयोगिता को बनाये हुये हैं।

(10) उत्पादन में वृद्धि करने के लिये प्रि-केन्सीनेटर प्रोद्योगिकी का आयात करने की अनुमति दे दी गई है।

(11) चल रही परियोजनाओं के निर्माण में शीघ्रता की जा रही है।

(12) सरकार ने स्लैग का उपयोग करने के लिये इस्पात संयंत्रों पर अथवा उनके समीप ही सीमेंट संयंत्र स्थापित करने को प्रोत्साहन देने का भी निर्णय लिया है।

(13) सरकार ने बड़ी संख्या में छोटे सीमेंट संयंत्र लगाने को प्रोत्साहन देने का भी निर्णय किया है।

(14) एक उच्चस्तरीय समिति ने सीमेंट उद्योग का व्यापक अध्ययन किया है और कई सुझावों की सिफारिश की है जो सरकार के विचाराधीन है।

हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस कारपोरेशन द्वारा खराब एक्स-रे फिल्मों की सप्लाई

8485. श्री श्याम सुन्दर गुप्त : क्या उद्योग उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान फोटो फिल्म कारपोरेशन बाजार में खराब एक्स-रे फिल्मों की सप्लाई कर रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ रेडियो लोजिस्टों ने इसका विरोध किया है और वे इनकी किस्म तथा वितरण से खुश नहीं हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन्दु एक्स-रे फिल्में सर्वाधिक दोषयुक्त फिल्में हैं और अविश्वसनीय हैं ; और

(घ) इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (ग) हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस कम्पनी लि० (एच पी एफ) द्वारा बेची गई फिल्मों की क्वालिटी खराब होने के बारे में कुछ शिकायतें मिली है किन्तु यह कहना सही नहीं है कि इन्दु एक्स-रे फिल्में काफी खराब तथा अविश्वसनीय है। यह शिकायतें कम्पनी द्वारा बेची गई एक्स-रे फिल्मों की एक प्रतिशतता से कम से संबंधित हैं।

(घ) हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस एक्स-से फिल्मों सहित अपने उत्पादों की अधिक से अधिक अच्छी क्वालिटी बनाये रखने के लिए प्रयास कर रहा है। अनुसंधान तथा विकास के माध्यम से एक्सरे फिल्मों की क्वालिटी को उन्नत बनाने के लिए निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। कम्पनी महत्वपूर्ण एक्सरे विद् स्थानीय रेडियोलोजीकल एसोसियेशन तथा अखिल भारतीय रेडियोलोजीकल एसोसिएशन से सतत सम्पर्क बनाये हुए है और इन अभिकरणों से प्राप्त जानकारी उत्पादों में और सुधार करने के लिए इस्तेमाल की जाती है।

हिन्दी अधिकारियों के लिए भर्ती नियम

8486 श्री टी० एस० नेगी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1968 में मन्त्रालयों/विभागों में हिन्दी अधिकारियों के पदों के लिए, संघ लोक सेवा आयोग के साथ मन्त्रणा करके, समान रूप से लागू होने योग्य आदर्श भर्ती नियम तैयार किए गए थे ;

(ख) क्या उन नियमों में हिन्दी अधिकारी के पद के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता केवल बी० ए० थी तथा क्या इसके साथ शब्दावली संबंधी कार्य तथा/अथवा अंग्रेजी से हिन्दी एवम् हिन्दी से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद का पांच वर्ष का अनुभव निश्चित किया गया था ;

(ग) क्या केन्द्रीय सचिवालय राज्यभाषा की टिप्पणी के लिए भेजे गए मसौदा नियमों में न्यूनतम शैक्षिक अर्हता एम० ए० दिखाई गई है ;

(घ) क्या बी० ए० की डिग्री वर्तमान हिन्दी अधिकारी, परन्तु जिन्हें अनुवाद करने का अनेक वर्षो का अनुभव प्राप्त है नियमित हिन्दी अधिकारी बनने से वंचित रह जायेंगे ; और

(ङ) इस अन्याय को दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) सन् 1968 के माडल भर्ती नियमों में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त और विभागीय उम्मीदवारों में से चयन के आधार पर नियुक्त अधिकारियों के लिए शैक्षिक योग्यता की अलग-अलग शर्तें रखी गई थीं। सीधी भर्ती के आधार पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता एम० ए० की उपाधि और तीन वर्ष का अनुभव था तथा विभागीय उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम योग्यता बी० ए० की उपाधि और पाँच वर्ष का अनुभव (एम० ए० की उपाधि प्राप्त उम्मीदवारों के लिए तीन वर्ष) रखी गई थी।

(ग) और (घ) प्रस्तावित केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के भर्ती नियमों के मसौदे में केवल सीधी भर्ती के आधार पर नियुक्त किए जाने वाले अधिकारियों के लिए ही न्यूनतम शैक्षिक योग्यता का उल्लेख दिया गया है। उनके लिए यह न्यूनतम योग्यता एम० ए० प्रस्तावित है। प्रस्तावित भर्ती नियमों में विभागीय उम्मीदवारों में से भरे जाने वाले पदों के लिए अलग से कोई न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नहीं सुझाई गई है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

लघु उद्योगों की स्थापना और उनका बन्द होना एवं उनकी रुग्णता

8487. श्री दूबि राम अर्गल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिला औद्योगिक केन्द्रों की स्थापना से लेकर एस० आई० एस० आई० में 1977-78, 1978-79 और 30 मार्च, 1979 तक राज्य-वार कितने व्यक्तियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया और कितने व्यक्तियों ने लघु उद्योगों की स्थापना की तथा कितने लघु उद्योग बन्द हुए तथा कितने रुग्ण एककों को वित्तीय एवं अन्य प्रकार की सहायता की गई ; और

(ख) क्या यह सच है कि बैंकों तथा राज्य वित्त नियमों द्वारा जिला उद्योग केन्द्रों को ऋण मंजूर नहीं किये गये है जिसके परिणामस्वरूप जिला उद्योग केन्द्र सफल नहीं हुए हैं और इस बारे में ब्यौरा क्या है ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जिन व्यक्तियों ने 1977 से 30 मार्च, 1979 तक लघु उद्योग सेवा संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उन व्यक्तियों के बारे में जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है। राज्यों/संघशासित राज्यों की सरकारों से अनुरोध किया गया था कि वे अपने राज्य/संघशासित क्षेत्र में स्थापित किए गए जिला उद्योग केन्द्रों के बारे में प्रगति रिपोर्ट भेजें। 164 जिला उद्योग केन्द्रों से प्रगति प्राप्त हुई है जिनसे पता चलता है कि इन सूचनादाता जिला उद्योग केन्द्रों की सहायता के फलस्वरूप 37660 नए एककों की स्थापना की गई है। इन जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा अनेक प्रकार से कुल 458 रुग्ण एककों को भी सहायता प्रदान की गई हैं।

(ख) जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा सहायता प्राप्त इन एककों को ही बैंक तथा राज्य वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण दिए जाते हैं न कि जिला उद्योग केन्द्रों को। जिला उद्योग केन्द्र बैंक तथा वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने में इन एककों की सहायता करते हैं। दिसम्बर, 1978 तक

की अवधि के लिए विभिन्न राज्यों/संघशासित राज्यों से 164 जिला उद्योग केन्द्रों के बारे में प्राप्त प्रगति रिपोर्टों से पता चलता है कि बैंकों सहित वित्तीय संस्थानों द्वारा जिला उद्योग वित्तीय संस्थानों द्वारा जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा सहायता प्राप्त एककों को 47.20 करोड़ रु० की राशि प्रदान की गई है। अतएवं, यह कहना सही नहीं है कि जिला उदयोग केन्द्र उनके द्वारा सहायता देने में असफल रहे हैं।

मराठवाड़ा (महाराष्ट्र) में उद्योगों की स्थापना

8488. श्री केशवराव धोंडगे : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में मराठवाड़ा डिवीजन में कितने नये उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया है;

(ख) सरकार की नई नीति के अनुसार इस डिवीजन में कितने नये उद्योग स्थापित किये गये हैं और उन पर अब तक कितनी धन राशि खर्च की गई है; और

(ग) इस अपेक्षित और पिछड़े क्षेत्र का औद्योगीकरण करने के लिए सरकार का क्या विशेष कदम उठाने का विचार है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : (क) (ख) और (ग) : केन्द्र सरकार ने 1-1--77 से 30 जून, 1978 की अवधि के दौरान महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में 18 परियोजनाएं स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किए हैं। केन्द्र सरकार ने 1-1-78 से 30 जून, 1978 की अवधि में दो परियोजनाओं के लिए औद्योगिक लाइसेंस भी जारी किए है। औरंगाबाद में स्थापित 276 एककों को केन्द्रीय विनियोग राजसहायता योजना के अधीन 380.83 लाख रुपये की राजसहायता स्वीकृत की गई है।

मराठवाड़ा क्षेत्र के सभी पांच जिलों नामतः औरंगाबाद भीर, नन्देड, उस्मानाबाद व परभाणी जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए जिले घोषित किया गया है। इन जिलों में स्थित औद्योगिक एकक निम्नलिखित प्रोत्साहन के पात्र हैं—

(1) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की रियायती पुनर्वित योजना।

(2) आय कर में कटौती।

(3) तकनीकी सेवाओं के लिए परामर्श।

(4) देश में प्रतिबंधित वस्तुओं के बारे में नए एककों का पंजीकरण व विद्यमान एककों का विस्तार।

(5) ब्याज राजसहायता।

(6) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड द्वारा रियायती शर्तों पर मशीनों का संभरण।

(7) कच्चे माल के आयात के लिए विशेष सुविधाएं ।

मराठवाड़ा क्षेत्र के औरंगाबाद जिले में स्थित औद्योगिक एककों को इन प्रोत्साहनों के अलावा अचल पूंजी विनियोग के 15 प्रतिशत की दर से केन्द्रीय विनियोग राजसहायता भी दी जाती है, बशर्ते कि वह 15 लाख रुपये से अधिक न हो

राज्य सरकार ने मराठवाड़ा विकास निगम स्थापित किया है तथा जो इस क्षेत्र के विकास के लिए परियोजनाएं चला रहा है। मराठवाड़ा विकास निगम ने चार परियोजनाएं चलाई हैं जिनसे लगभग 200 व्यक्तियों के लिये रोंजगार के अवसर पैदा हुए मराठवाड़ा विकास निगम, औरंगाबाद की विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं के अधीन 1713 औद्योगिक एककों को 41.162 लाख रुपये की सहायता दी गई है तथा जिससे लगभग 400 व्यक्तियों को लाभप्रद रोजगार प्राप्त हुए हैं।

मराठवाड़ा विकास निगम, औरंगाबाद ने वर्ष 1978-79 व 1979-80 के दौरान क्रियान्वयन हेतु कुछ नई परियोजनाएं हाथ में ली हैं जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है—

परियोजना का नाम	प्रत्याशित विनियोग (लाख रुपयों में)	अनुमानित विनियोजन
(1) सिक्स मिनी इन्डस्ट्रियल इस्टेट	12	210
(2) हौजरी प्रोजेक्ट	5	42
(3) सेरेमिक कमशनल इस्टेट	8	111
(4) मिनी सीमेंट प्लाण्ट	25	71
(5) केटल ब्रीडिंग, फार्म, जेम्ब	6	300
(6) नन्देड टेनरी	6	35
जोड़	62	769

आशा है कि मराठवाड़ा विकास निगम, औरंगाबाद उस्मान जिले को अत्यधिक अन्य विकसित क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली विक्टर मोवेड्स परियोजना को लगभग 25 प्रतिशत चुकता इक्विटी में विनियोग करेगा। इस परियोजना पर लगभग 100 लाख रुपए की लागत आएगी और इसमें लगभग 130 कर्मचारियों को रोजगार मिलेगा ।

महाराष्ट्र राज्य वस्त्र मिल निगम औरंगाबाद में एक वस्त्र मिल स्थापित कर रहा है।

मराठवाड़ा क्षेत्र के उस्मानाबाद व भीर जिले ग्रामीण उद्योग परियोजना के अन्तर्गत आते हैं तथा इन दो जिलों के औद्योगिक एककों को वर्ष 1977-78 में निम्नलिखित सहायता प्रदान की गई है;

जिले का नाम	सहायता प्राप्त औद्योगिक एककों की संख्या	दी गई राशि (लाख रुपयों में)	नियोजित कर्मचारियों की संख्या
(1) उस्मानाबाद	24	1.42	210
(2) भीर	100	1.44	1299
योग	124	2.86	1509

मराठवाड़ा राज्य वित्त निगम, बम्बई ने मराठवाड़ा के 182 औद्योगिक व विनियोग एककों को वर्ष 1977-78 के दौरान 333.50 लाख रुपए की सहायता प्रदान की है।

महाराष्ट्र के राज्य औद्योगिक व विनियोग निगम ने 31 मार्च, 1978 तक मराठवाड़ा क्षेत्र में 432 एककों को सहायता दी है तथा जिनमें उसने 142.81 करोड़ रुपए का विनियोग किया है और 12922 व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए हैं।

सम्भावी उद्यमियों को एक ही स्थान पर सभी प्रकार की सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय सरकार की एक नई योजना के अधीन मराठवाड़ा क्षेत्र के औरंगाबाद, भीर, नान्देड, उस्मानाबाद व परमाणी जिलों में 1-5-1978 से पांच जिला उद्योग केन्द्रों ने कार्य करना शुरू कर दिया है

आंध्र से भारतीय रुई निगम द्वारा रुई की खरीद

8489. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) आंध्र के किसानों से रुई खरीदने के लिए भारतीय रुई निगम ने क्या कार्यवाही की है; और

(ख) क्या रुई की गांठों की खरीद के बारे में कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है, यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) निगम की सभी राज्यों में उनके कुल उत्पादन का लगभग 20 प्रतिशत कपास खरीदने की योजना है। तदनुसार, राज्य सरकार की सहमति से निगम की कार्यवाही योजना को अन्तिम रूप दिया गया है जिसमें आंध्र प्रदेश में रुई की एक लाख गांठे खरीदने की प्रकल्पना की गई है जो पिछले मौसम में खरीदी गई मात्रा से तीन गुना अधिक है। निगम ने आन्ध्रप्रदेश में 10 खरीद केन्द्र पहले ही स्थापित कर लिया है तथा 18 अप्रैल, 1979 तक 41, 385 गांठे खरीद ली गई हैं।

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा दियासलाई के कुटीर उद्योगों पर अनुसंधान परियोजना आरम्भ किया जाना

8०90. श्री एस० आर रेड्डी : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने देश में दियासलाई के कुटीर उद्योगों को तकनीकी सहायता देने हेतु एक अनुसंधान तथा विकास परियोजना आरम्भ की है; और

(ख) यदि हां, तो इन कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी, हां।

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने दिया सलाई के कुटीर उद्योग के लिए विज्ञान तथा औद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति (एन० सी० एस० टी०) कार्यक्रम के अन्तर्गत तीन परियोजनाओं की स्थापना का कार्य हाथ में लिया है जिनका विस्तृत ब्यौरा निम्न प्रकार है—

(1) दियासलाई उद्योग के लिए डिजाइन बनाने, छोटी क्षमता के स्पिलिट्स तथा वीनियर बनाने की मशीनें तथा बुकलेट स्पिलिन्टस तैयार करने के लिए वर्धा स्थित परियोजना।

नोक पर लगाने के लिए रासायनिक मिश्रण बनाना, सस्ती सामग्री से उनकी साइडें पेन्ट करना, तथा गैर यंत्री तृत दियासलाई एकक द्वारा दुर्लभ/आयातित रसायनिक एवजी के उपभोग से मिश्रण बनाने हेतु कोरा केन्द्र, बोरी विक्री वंबई स्थित परियोजना।

(3) गैर यंत्रीकृत दियासलाई एकक के लिए डिजाइन बनाने हेतु कोरा केन्द्र, बोरीविकी, बंबई स्थित परियोजना। यह परियोजना डिजाइन, कलात्मक कार्य तथा ब्लाक बनाने आदि का विकास करने के उद्देश्य से बनाई गई है।

मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में कारखानों की स्थापना करना

8491 : श्री सुखेन्द्र सिंह : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में सीमेंट उत्पादन की पर्याप्त क्षमता को देखते हुए सरकार का विचार वहां परसरकारी क्षेत्र में एक सीमेंट कारखाने की स्थापना करने का है।

(ख) क्या कुछ गैर-सरकारी क्षेत्र की कंपनियों ने केन्द्रीय सरकार को मध्य प्रदेश में सीमेंट कारखानों की स्थापना करने के लिए उन्हें औद्योगिक लाइसेंस देने हेतु आवेदन पत्र दिए हैं और

(ग) यदि हां, तो कितनी कंपनियों ने औद्योगिक लाइसेंस देने हेतु आवेदन-पत्र दिये हैं। और इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है और क्या सरकार का विचार उन्हें औद्योगिक लाइसेंस देने का है।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : (क) भारतीय सीमेंट निगम ने मांढ़र में 3.80 लाख मी० टन की वार्षिक क्षमता वाले विद्यमान संयंत्र के अलावा 4 लाख मी० टन प्रतिवर्ष की क्षमता वाले नीमच तथा अकलतार में प्रत्येक के लिए दो और सीमेंट संयंत्रों की स्थापना करने के लिए दो औद्योगिक लाइसेंस भी प्राप्त किए हैं। चिलहाटी में 11.55 लाख मी० टन प्रति वर्ष की क्षमता वाले पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस स्लेग सीमेंट संयंत्र की स्थापना करने के लिए मैसर्स हिन्दुस्तान स्टील लि० को हाल ही में एक आशय-पत्र जारी किया गया है।

(ख) तथा (ग) : मध्य प्रदेश राज्य में सीमेंट संयंत्रों की स्थापना के गैर-सरकारी क्षेत्र में निम्निलिखित आवेदकों को औद्योगिक लाइसेंस/आशय-पत्र स्वीकृत किए गए हैं :

क्रम सं०	आवेदक का नाम	स्थापना स्थल	क्षमता (लाख मी० टनों में)
(1)	मेहर सीमेंट्स	मेहर	8 00
(2)	मैसूर सीमेंट्स	दमोह	4.00
(3)	बिरला जूट मैन्यू० कं०	सतना	8.00 (प० वि०)
(4)	रेमण्ड वूलन मिल्स	पथरिया	4.00
(5)	ए० सी० सी० लिमिटेड	जामुल	5.00
(6)	वही	काईमोर	0.50 (सफेद सीमेंट)
(7)	सेनच्यूरी सीमेंट्स	तिलड़ा	2.00 (प० वि०)
(8)	हिन्दुस्तान लिवर	बलोदा बाजार	4.00

इसके अलावा, निम्नलिखित आवेदन पत्रों की जांच की जा रही है—

क्रम सं०	आवेदक का नाम	स्थापना स्थल	क्षमता (लाख मी० टनों में)
(1)	मैसर्स ग्वालियर रेमन सिल्क मैन्यू० (वीविंग) कम्पनी लि०	जवाद	8.00
(2)	मैसर्स मोदी रबड़ लि०	भाटावाड़ा	9.00
(3)	मैसर्स दिल्ली क्लाथ एण्ड जनरल मिल्स कं० लि०	रीवा	7.00
(4)	मैसर्स इण्डियन रेयन कारपोरेशन लि०	होशंगाबाद	5.40

प० वि०=पर्याप्त विस्तार

भारत में कार्यरत बहुराष्ट्रीय कंपनियों की संख्या

8492. **श्री सी० एन० विश्वनाथन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टूथपेस्ट, फेस पाउडर, सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री आदि के निर्माण के क्षेत्र में भारत में कितनी बहुराष्ट्रीय कंपनियां कार्यरत हैं ;

(ख) क्या सरकार के महत्वपूर्ण सदस्यों ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कार्य को कम करने अथवा समाप्त करने के बारे में बार-बार कहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में ठोस नीति के लिए क्या निश्चित समय सीमा निर्धारित करने का प्रस्ताव है ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) विदेशी इक्विटी वाली उन महत्वपूर्ण कम्पनियो की सूची जो टूथ पेस्ट, फेस पाउडर, सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री का उत्पादन करती है ; विवरण में सलग्न है।

(ख) और (ग) 23 दिसम्बर, 1977 को सभा-पटल पर रखे गये औद्योगिक नीति विवरण में, सरकार ने भारत के औद्योगिक विकास में विदेशी कम्पनियों की भागीदीरी के बारे में अपनी नीति पहले ही निश्चित कर दी हैं।

विवरण

संगठित क्षेत्र में अंगराग व शृंगार प्रसाधान सामग्री के उत्पादन में रत विदेशी इक्विटी वाली कम्पनियों की सूची ।

1. मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, बम्बई,
2. मैसर्स एच० एम० एम० (पहले बीकेम) (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड) थी,
3. मैसर्स बुरफ्स वैलकम एण्ड कम्पनी लिमिटेड, बम्बई,
4. मैसर्स ज्योफ्री गैनर्स एण्ड लिमिटेड, बम्बई,
5. मैसर्स जान्सन एण्ड जान्सन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, बम्बई,
6. मैसर्स ग्लेक्सों लेबोरेट्रीज (इण्डिया) लिमिटेड, बम्बई,
7. मैसर्स सीवा गैजी ऑफ इण्डिया लिमिटेड, बम्बई,
8. मैसर्स कोलगेट पामोलिव (इण्डिया) लिमिटेड, बम्बई,
9. मैसर्स दूफर इन्टरफ्रान लिमिटेड, बम्बई,
10. मैसर्स मार्टिन एण्ड हैरिस लिमिटेड,

11. मैसर्स रैकिट एण्ड कोलमैन आँफ इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता,

12. मैसर्स जे० एल० मोरीसन, सन एण्ड जोन्स (इण्डिया) लिमिटेड, बंगलौर,

13. मैसर्स पौण्ड्स (इण्डिया) लिमिटेड, मद्रास,

14. मैसर्स जे० के० हेतेन कूटीज लिमिटेड, बम्बई ।

कंपनियों पर प्रतिबंध

8493 **डा० बापू कालदाते :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी भारतीय अथवा विदेशी कंपनियों पर कोई प्रतिबंध है जो (1) कार्मिकों के आदान-प्रदान (2) आर० एंड डी० की स्थापना में सहायता (3) ट्रेड मार्क या ट्रेड नाम के प्रयोग जैसे कर्मों में सहयोग कर रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) तथा (ख) कुछ मानक शर्तों के अधीन विदेशी सहयोग की स्वीकृति दी जाती है जो अनुबंध में दी गई है ।

अनुबंध

1. भारतीय कंपनी यदि आवश्यक हो, एक करार के अंतर्गत दूसरी भारतीय कंपनी को उप लाइसेंस पर तकनीकी जानकारी/उत्पादन डिजाइन/इंजीनियरी डिजाइन तैयार करने हेतु मुक्त होनी चाहिए । ऐसे उप लाइसेंसीकरण की शर्तें सभी संबंधित पार्टियों को जिसमें विदेशी सहयोगी भी शामिल होंगे परस्पर मंजूर होनी चाहिए और सरकार की स्वीकृति के अधीन होनी चाहिए ।

2. तकनीकी विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति उनकी संख्या, नियुक्ति अवधि, वेतन आदि शर्तें भारतीय रिजर्व बैंक की स्वीकृति के अंतर्गत होगी ।

5. पूंजीगत उपकरण तथा कच्चे माल का आयात समय-समय पर विद्यमान आयात नीति के अनुसार करने की अनुमति दी जाएगी ।

4. आम तौर पर आंतरिक बिक्री के लिए उत्पादों पर विदेशी ब्रांड नाम का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी किन्तु निर्यात किये जाने वाले उत्पादों पर उनका इस्तेमाल करने में कोई आपत्ति नहीं है ।

5. जिन देशों में विदेशी सहयोगी के माल बनाने के लिए विद्यमान लाइसेंसिंग प्रबंध है, उन देशों के अलावा सभी देशों को निर्यात करने की अनुमति दी जाएगी । बाद के मामले में संबंधित देशों का उल्लेख किया जाएगा ।

6. करार की अवधि करार किये जाने की तारीख अथवा उत्पादन शुरू हो जाने की तारीख से 5 वर्ष के लिए होगी बशर्ते कि करार करने की तारीख से 3 वर्ष से अधिक उत्पादन करने में देरी न हो (अर्थात करार करने की तारीख से अधिकतम 8 वर्ष की अवधि) इस अवधि में भारतीय कंपनी को अपने डिजाइन तथा अनुसंधान सुविधाओं को विकसित और स्थापित करना चाहिए ताकि इस अवधि के बाद निरन्तर विदेशी सहयोग पर निर्भर रहना आवश्यक हो।

7. यदि बनाई जाने वाली वस्तु ऐसी है जो भारत में पेटेंट हो चुकी है तो भारतीय कंपनी द्वारा विदेशी सहयोगी को उपर्युक्त (6) में दी गई शर्तों के अनुसार करार की अवधि के लिए देय रायल्टी/एक मुश्त भुगतान पेटेंट अधिकार को पेटेंट की अवधि समाप्त होने तक इस्तेमाल करने के लिए पूर्ण स्वतन्त्र होगी और भारतीय कंपनी उस वस्तु को अतिरिक्त भुगतान किये बिना सहयोगी करार की अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी उस वस्तु को बनाने की हकदार होगी। दोनों पार्टियों के बीच किया जाने वाले सहयोगी करार में इस संबंध में एक विशिष्ट उपबंध जोड़ा जाना चाहिए।

8. यदि परियोजना को पूरा करने में किसी परामर्श की आवश्यकता पड़ती है तो यह भारतीय परामर्शदायी इंजीनियरी फर्म से प्राप्त की जानी चाहिए। यदि विदेशी परामर्श अपरिहार्य समझा जाये तब भारतीय परामर्शवादी फर्म को मुख्य परामर्शदाता होना चाहिए।

9. भारतीय कंपनी को संलग्न फार्म के अनुसार उपक्रम की प्रगति के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें प्रत्येक वर्ष में 31 दिसम्बर, की स्थिति दर्शाई जाये। यह रिपोर्ट प्रति वर्ष विदेशी करार समाप्त होने तक 31 जनवरी तक प्रस्तुत कर दी जानी चाहिए। यह रिपोर्ट निम्नलिखित प्राधिकरणों को सम्बोधित की जानी चाहिए :—

(क) सहयोग के क्षेत्र से संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग

(ख) तकनीकी विकास का महा निदेशालय, उद्योग—भवन, नई दिल्ली-11001
(दो प्रतिलिपियां भेजी जाये)

(ग) औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय (बिदेशी सहयोग-2 अनुभाग उद्योग मंत्रालय
औद्योगिक विकास विभाग उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011

(घ) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली-110001

10. करार भारतीय कानूनों के अधीन होगा।

कच्चे माल की सप्लाई और विपणन की व्यवस्था करने के लिए किये गये उपाय

8494. श्री टी० ए० पई : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वित्त मंत्री ने 1978-79 के अपने बजट भाषण में क्रियान्विति संगठन की योजना और स्थापना करने, कच्चे माल की सप्लाई लाइन और विपणन की व्यवस्था करने के प्रयत्न का हवाला दिया था ; इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फजलुर्रहमान) : वित्त मंत्री ने 1978-79 के लिए अपने बजट भाषण में निम्नलिखित विचार व्यक्त किए थे :—

> "योजना बनाने, कार्यान्वयन संगठन बनाने, निवेशों की पूर्ति की व्यवस्था करने और विपणन से सम्बन्धित प्रयास निरन्तर जारी रखने होंगे । विकास को इस सामान्य कार्यनीति के ब्यौरे अगले महीने नई योजना के राष्ट्र को प्रस्तुत किए जाने पर उपलब्ध होंगे ।"

जहां तक औद्योगिक क्षेत्रक का संबंध है, 1978-83 की पंच वर्षीय योजना के प्रारूप में बताए गए उपायों में उपभोक्ता वस्तुओं, माध्यकों और पूंजीगत वस्तु उद्योगों की मांग को बढ़ाना विद्यमान क्षमताओं का अधिक अच्छा उपयोग करना, उर्वरक, सीमेंट, कागज, कपड़ा (कातना-क्षेत्रक), रसायन, औषध और भेषज जैसे उद्योगों में अतिरिक्त क्षमताएं उत्पन्न करना, दुर्लभ अनवीनीकरणीय संसाधनों का संरक्षण, विशेषकर इस्पात, अलौह धातुओं, उर्वरकों के संबंध में मांग और पूर्ति के बीच योजनागत अन्तर को पूरा करने के लिए आयात करना और ऐसे क्षेत्रों में निर्यात प्रयासों में वृद्धि करना शामिल है जिनमें बेशी क्षमता अथवा उच्च रोजगार क्षमता मौजूद है। पंच वर्षीय योजना के प्रारूप के 12.20 से 13.39 पैराओं में योजना की अवधि के लिए प्रस्तावित औद्योगिक विकास नीति का वर्णन किया गया है।

औद्योगिक विकास की वृद्धि दर को 1978-79 में बढ़ाकर 7-8% करने के उद्देश्य से अभी तक किए गए निर्णयों और योजना को औद्योगिक कार्यनीति के कार्यान्वयन में ये बातें शामिल है :—

(1) विद्युत, कोयला, इस्पात, उर्वरक और अलौह धातुओं जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों में उपलब्धियों का प्रबोधन ।

(2) कागज, सीमेंट, वाणिज्यिक वाहन, माल गाड़ी के डिब्बे और राष्ट्रीय कपड़ा निगम के मिलों द्वारा उत्पादित कपड़े जैसे कुछ प्रमुख उद्योगों के संबंध में जहां इस प्रकार के अधिक उत्पादन का औचित्य हो, उत्पादन के ऊंचे लक्ष्य स्थापित करना ।

(3) यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि एक या दो इकाइयों में उत्पादन में गिरावट आने के कारण उद्योग के उत्पादन में बाधा न पहुंचे आयात के संबंध में अग्रिम आयोजना करना और महत्वपूर्ण निवेशों का सुरक्षित भंडार बनाना ।

महत्वपूर्ण उद्योगों में उत्पादन का सतत प्रबोधन करने और प्रभावी अन्त: मंत्रालयीन समन्वय की व्यवस्था करने के लिए मंत्रिमंडल की एक विशेष समिति गठित की गई है ।

उन सम्पर्क थलों की संख्या न्यूनतम करने के लिए जिनके साथ उद्यमियों को व्यवहार करना पड़ता है, जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना की जा रही है । वे उद्यमियों द्वारा अपेक्षित विभिन्न सेवाओं और निवेशों को एक ही स्थल पर उपलब्ध कराएंगे। इस प्रकार के दो सौ बयासी

केन्द्रों की संस्वीकृति दी गई है। देश के सभी जिलों में मार्च, 1980 के अंत तक ऐसे केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

छोटे उद्योगों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं की अधिकाधिक पूर्ति संस्थागत वित्त के जरिए करने का प्रस्ताव है। पूर्णतः कुटीर और छोटे उद्योग क्षेत्र को ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिए गए सभी प्रकार के ऋणों के संबंध में समन्वय, मार्गदर्शन और प्रबोधन करने के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने एक अलग स्कन्ध स्थापित करने के संबंध में उपाय किए हैं। बैंक अपनी कुल अग्रिम राशियों का विशिष्ट भाग इन उद्योगों के विकास के लिए निर्धारित करेंगे। यह निर्णय किया गया है कि जिला उद्योग केन्द्रों के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई ऋण-सहायता का, संस्थागत वित्त को प्राप्त करने के लिए उपान्त/बीज राशि के रूप में उपयोग किया जाएगा।

अधिक अच्छे कार्यान्वयन संगठन का निर्माण करने के लिए किए गए कुछ महत्वपूर्ण उपायों में ये शामिल हैं :—

(1) सरकारी निवेश बोर्ड द्वारा परियोजनाओं की अधिक संवीक्षा ;

(2) लागत के अधिक हो जाने और समय-अनुसूची में व्यतिक्रमों के कारणों का विश्लेषण करने के लिए रिपोर्टों के मूल्यांकन और पूर्ण करने की प्रणाली को शुरू करना ;

(3) विभिन्न स्तरों पर विशेष विशेषज्ञतायुक्त कुशलताओं के साथ पूर्णकालिक प्रबोधन एककों की स्थापना ;

(4) विकास परियोजनाओं की प्रगति तथा क्षमता के उपयोग की जांच करने के लिए सभी कार्यान्वयन मंत्रालयों द्वारा नियमित समीक्षा बैठकों का आयोजन ;

(5) विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए निष्पादक अभिकरणों की समय-सीमाएं और मानक निर्धारित करने के लिए सलाह देना ;

(6) नियमों और कार्यविधियों का सरलीकरण, निष्पादक अभिकरणों को वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का प्रत्यायोजन तथा प्रशासनिक व्यवस्था का युक्तिकरण ;

(7) कार्यकरण में सुधार करने के हेतु सिफारिशें करने के लिए विशेषज्ञों को उच्च स्तरीय समितियों की नियुक्ति ; जैसे उदाहरण के लिए राज्य बिजली बोर्डों, और सरकारी विभागों में प्रबंध सूचना प्रणाली के संबंध में ;

(8) वित्तीय आवश्यकताओं को विशेष रूप से निर्माण-कार्य की समय-अनुसूचि और उपयुक्त तकनीकों के अनुप्रयोग के साथ संबद्ध करना जिनसे लागत की कमी और परियोजनाओं के समय पर कार्यान्वयन में सहायता मिल सके ; और

(9) विभिन्न स्तरों पर परियोजना और सरकारी अधिकारियों के लिए उनकी आयोजन और कार्यान्वयन क्षमताओं को बढ़ाने के हेतु सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना।

लघु और ग्रामोद्योगों के संबंध में, उनमें किए जाने वाले निवेश और उत्पादकता को बढ़ाने तथा उनके लिए 'बाजार' बनाने के लिए संगठनात्मक प्रयास में वृद्धि की जा रही है। तकनीकी सहायता परीक्षण और समन्वित निवेश-पूर्ति के लिए सुविधाएं बढ़ाई जा रही है। कुल उत्पादन-क्षमता में, लघु और ग्रामोद्योग क्षेत्र में उत्पादन के लिए आरक्षित मदों के क्षेत्र में से बड़े उद्योग क्षेत्र के भाग को कम किया जा रहा है और कुटीर उद्योग क्षेत्र के भाग को बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ-साथ बड़ी औद्योगिक इकाइयों को, अपने उत्पादन को और अधिक अधुनातन उत्पादों के रूप में विविधीकरण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। नई-नई स्थापित की गई लघु औद्योगिक इकाइयों के कुछ प्रतिशत उत्पादों को बिक्री सुनिश्चत करने के उद्देश्य से विपणन सहायता की एक नई स्कीम शुरू की गई है। इस नई स्कीम में, अर्ध-शहरी क्षेत्रों में विक्रय केन्द्र खोलने के लिए शिक्षित बेरोजगार उद्यमियों को वित्तीय सहायता देने को परिकल्पना भी शामिल है।

कृषि के क्षेत्र में, निवेश-पूर्ति के व्यवस्था-तंत्र—जल, उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक, ऋण और बिस्तार सेवाओं को धीरे-धीरे बढ़ाया जा रहा है। इसमें प्रमुख खाद्यान्न उत्पादन करने वाले क्षेत्र और नकदी फसलें पूरी तरह से सम्मिलित हैं। योजना में इस कार्यक्रम के विस्तार करने और तेज करने को उच्चतम प्राथमिकता दी गई गई है।

कृषि विपणन के क्षेत्र में किए जाने वाले विकास कार्यो का उद्देश्य कृषि वस्तुओं के उत्पादकों को उनकी वस्तुओं की लाभप्रद कीमतें दिलाने सुनिश्चित करना होगा जिसके कि उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचने तक वस्तुओं की कीमत में अंतर को कम किया जा सके तथा व्यापारियों और कमीशन एजेंटों/दलालों के लाभ के अकार्यात्मक अंतरों को कम किया जा सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, विनियमित बाजारों की व्यवस्था को बड़े पैमाने पर और तेजी से विस्तार करने की परिकल्पना है जिसमें उनका मूल बाजारों से वास्तविक रूप में संपर्क हो। प्रमुख उपभोक्ता केन्द्रों के साथ संपर्क भी स्थापित किए जाएंगे। इस संबंध में पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में मिली सफलता को, जहां प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों में विनियमित बाजार खोले गए हैं और जिनका संबंध ग्रामीण उत्पादन केन्द्रों के उपाश्रित बाजारों से है, अन्य ऐसे क्षेत्रों में प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है जिनमें काफी मात्रा में उत्पादन होने लगा है। विनियमित बाजार परिसर में वस्तुओं के कोटिकरण और कीमतों के प्रबोधन की सुविधाएं भी शामिल होगी। नियंत्रित क्षेत्र में विनियमित बाजारों और ऐसे क्षेत्रों में जहां कपास, पटसन, तम्बाकू जैसी वाणिज्यिक फसलों और महत्वपूर्ण अपराम्परागत फसलों का उत्पादन होता है और यह उत्पादन साप्ताहिक बाजारों और हाटों में बेचा जाता है वहां अंतस्थ बाजारों को विकसित करने का विचार है। सहकारी विपणन और वितरण तथा बैंक-सुविधा को भी इन विनियमित बाजारों के साथ संबंध किया जाएगा। इन बाजारों में सभी प्रमुख फसलों के उत्पादन का विक्रय शामिल होगा। पशु धन, मछली, फलों और सब्जियों के लिए अलग बाजार-स्थल बनाने का विचार है। बाजार विकास के लिए उपयुक्त अवस्थिति और सुविधाओं के संबंध में आयोजना करने में राज्य विपणन बोर्डों और विपणन निदेशालयों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

किस नियंत्रण, प्रवर्तन और निरीक्षण तथा कोटीकरण में सुधार करने के प्रबंधों को और सुव्यस्थित किया जाएगा। परीक्षण-प्रयोगशालाओं की संख्या में वृद्धि की जाएगी और विशेषकर वाणिज्यिक फसलों के लिए उत्पादकों के स्तर पर कोटिकरण के कार्यक्रम की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

नमक के निर्यात पर प्रतिबंध का हटाया जाना

8495. श्री छीतू भाई गामित : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नमक के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने का है ;

(ख) क्या यह सच है कि गुजरात तट पर विशेष रूप से नमक का रिकार्ड उत्पादन हुआ है ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि जब प्रतिबंध लगाया गया था तो उस समय बंगला देश को 1·80 लाख टन की सप्लाई के लिए बकाया क्रयादेश निष्पादित नहीं किया गया था और अधिकाँश व्यापार राज्य व्यापार निगम के माध्यम से किया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार नमक के निर्यात को सरकारी माध्यम से किये जाने को बन्द करेगी ताकि निर्माता सीधे ही निर्यात कर सकें ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) 1976 से 40.76 लाख मी० टन तथा 1977 के 53.28 मी० टन के कुल वार्षिक उत्पादन की तुलना में 1978 में 66.93 लाख मी० टन नमक का उत्पादन हुआ था, इसमें से 33.55 लाख मी० टन नमक गुजरात में बनाया गया था।

1978 में नमक के उत्पादन में सुधार आ जाने के कारण, नमक के निर्यात पर लगाये गये प्रतिबन्धों में धीरे धीरे ढील कर दी जा रही है तथा 1978-79 व 1979-80 में निर्यात के लिए क्रमशः 1,50,000 मी० टन तथा 2,50,000 मी० टन नमक का कोटा नियत किया गया है।

(ग) जी, हां। नेपाल को छोड़कर जिसे नमक का संभरण दी हिन्दुस्तान साल्टस लिमिटेड द्वारा किया जाता है नमक का निर्यात राज्य व्यापार निगम द्वारा, प्रणाली बद्ध किया जाता है। 29 सितम्बर, 1977 से (नेपाल भूटान मालद्वीप तथा अन्य वचन बद्ध सविदाओ को छोड़कर) नमक के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के कारण, बंगलादेश को 1.76 लाख मी० टन नमक का संभरण करने के लिए दिये गए क्रयादेशें पर कार्रवाई नहीं की जायेगी।

(घ) जी, नहीं।

अनुमोदित विदेश सहयोग वाली कंपनियां

8496. डा० बापू कालदाते : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन भारतीय तथा विदेशी कंपनियों के नाम क्या हैं जिन्हें 1975, 1976,1977

(मार्च तक) ; 1977 (मार्च के बाद) 1978 में अनुमोदित विदेशी सहयोग प्राप्त थे ;

(ख) उत्पादों के नाम क्या हैं ; और

(ग) शर्तें (एक रायल्टी) (दो) डाउन पेमेंट (तीन) जानकारी अथवा अनवरत सूचना (चार) वैधता अवधि (पांच) अब तक किया गया भुगतान का ब्यौरा क्या है ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (ग) सरकार द्वारा स्वीकृत सभी सहयोग प्रस्तावों पर पूरा ब्यौरा देने वाली सूचियां तिमाही आधार पर जारी की जाती हैं इन सूचियों में अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय कम्पनी का नाम विदेशी सहयोग कर्ता का नाम, उत्पादन की वस्तु, प्रस्ताव में विदेशी पूंजी भागीदारी निहित है या नहीं, का भी उल्लेख होता है । इन सूचियों की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं । अन्य वस्तुओं के बारे में मांगी गई जानकारी विभिन्न प्रशासशन मंत्रालयों की परिसीमा के अन्तर्गत आती हैं तथा उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक स्वीकृतियों के सचिवालय में केन्द्रीय रूप से कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हैं ।

खादी वस्तुओं का निर्यात

8497. श्री सरत कार :
श्री के० प्रधानी :
श्री एस० एस० सोमानी :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खादी की वस्तुओं का विदेशों को निर्यात किया जाता है, यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं ;

(ख) उन प्रमुख खादी की वस्तुओं के नाम क्या हैं जिनकी बहुत अधिक मांग है ;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान वर्ष-वार खादी की वस्तुओं के निर्यात द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) खादी की वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या योजनाएं बनाई हैं ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (घ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

राजस्थान में औद्योगिक परियोजनायें

8498. श्री चतुर्भुज : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ल) राजस्थान राज्य औद्योगिक और खनिज विकास निगम द्वारा संयुक्त क्षेत्र में शामिल औद्योगिक परियोजनाओं की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने झालावाढ़ को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया है और उन औद्योगिक परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिन्हें इस प्रयोजन के लिए झालावाढ़ में विकास के लिए हाथ में लिया गया है ; और

(ग) अगर संयुक्त क्षेत्र में कोई योजना शामिल नहीं की गई है, तो क्या यह मंत्रालय की घोषित नीति के विरुद्ध नहीं और इस बारे में क्या ब्यौरा है ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) तथा (ग) राजस्थान स्टेट इन्डस्ट्रियल एण्ड मिनरल डेवलमेंट कारपोरेशन लि० के द्वारा दी हुई सूचना के अनुसार निगम ने अभी तक संयुक्त क्षेत्र के कुल 22 करार किए हैं।

(ख) जी हां। केन्द्रीय सरकार ने झालावाड़ को औद्योगिक रूप से पिछड़ा जिला घोषित किया है जुलाई, 1978 से झालावाड़ जिले में एक जिला उद्योग केन्द्र ने भी कार्य करना शुरू कर दिया है। झालावाड़ जिले में जुलाई 1978 से दिसम्बर, 1978 तक 148 नए औद्योगिक एकक स्थापित किए गए हैं जिसमें 128 कारीगर अनुभवी एकक तथा 20 लघु एकक शामिल हैं।

छोटी कार बनाने के लिए गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्रों के उद्योगों के नाम

8499 श्री अमर सिंह बी० राठवा : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सरकारी क्षेत्र में छोटी कार परियोजना स्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या छोटी कार बनाने के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र के किसी उद्योग ने लाइसेंस मांगा है; और

(घ) यदि हां, तो उस कम्पनी का नाम क्या है तथा इस संबंध में क्या प्रगति हुई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) तथा (ख) सरकारी क्षेत्र में यात्री कारों का निर्माण करने के प्रस्ताव पर 1972 में सरकार द्वारा विचार किया गया था तथा उस समय इस परियोजना के कार्यान्वियन पर आगे कोई कार्रवाई न करने का निर्णय किया गया था। सरकारी क्षेत्र की सहभागिता सहित यात्री कार उद्योग के विकास के संबंध में विभिन्न प्रस्तावों पर इस समय सरकार विचार कर रही है।

(ग) तथा (घ) यात्री कारों का निर्माण करने के लिए लाइसेंस जारी करने हेतु कोई आवेदन पत्र अनिर्णीत नहीं पड़ा है।

स्वाधीनता सेनानियों से पेंशन की वसूली

8500. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **गृह मंत्री** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मार्च 1977 से स्वाधीनता सेनानियों की पेन्शन बन्द कर दिये जाने के बाद से कितने मामलों में पेन्शन वापस वसूल की गई है;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि स्वाधीनता सेनानी प्रायः वृद्ध हैं और निर्धनता की स्थिति में रह रहे हैं; और

(ग) क्या सरकार स्वाधीनता सेनानियों से पेन्शन की वापस वसूली करने के प्रश्न संबंधी अपने रवैये पर पुनः विचार करेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) 632 मामलों में जिनमें मार्च, 1977 से पेंशन अन्तिम रूप से रद्द कर दी गई है, आवेदकों से गलत ढंग से ली गई पेंशन को वापिस करने के लिए कहा गया है किन्तु उन मामलों की संख्या जिनमें वास्तव में वसूली हो चुकी है, उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) और (ग) जहां पर पेंशन सरकार द्वारा कुछ विद्रोहों तथा आन्दोलनों को मान्यता न देने के फैसले के कारण रद्द की गई है और जहां आवेदकों को पेंशन पहले स्वीकृत कर दी गई थी और उन्होंने सद्भाव से उसे प्राप्त कर लिया था, वहां वसूली न करने का फैसला किया गया है परन्तु प्रत्येक मामले पर गुणदोष के आधार पर विचार किया जायेगा । कुछ अन्य श्रेणियो में, जहां आवेदकों ने सद्भाव से पेंशन प्राप्त कर ली थी, वसूली न करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

केन्द्रीय सरकार द्वारा रत्नागिरि में विद्युतचालित करघों के लिए टैक्स मार्क्स देने की अस्वीकृति

8501. श्री आर० के० महालगी : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने रत्नागिरि जिला (महाराष्ट्र) के कुछ आवेदको को, जो छोटे पैमाने पर विद्युतचालित करघों का कारखारा चालू करना चाहते थे, विद्युत चालित करघों के लिए टैक्स मार्क्स देना अस्वीकार कर दिया है; और

(ख) विद्युतचालित करघों के लिए टैक्स मार्क देने के लिए सरकार की क्या नीति है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : जी, हां ।

(ख) 7-8-1978 को संसद पटल पर रखे गये वस्त्र नीति विवरण में विद्युत करना क्षेत्र की बुनाई क्षमता में विस्तार करने की कोई कल्पना नहीं की गई हैं क्योंकि सरकार यह चाहती है कि देश की कपड़े की भावी आवश्यकताएं हथकरघा खादी क्षेत्रों द्वारा पूरी की जाये ।

मेघालय में छोटा (मिनी) सीमेंट संयंत्र स्थापित किया जाना

8502. श्री पी० ए० संगमा : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्ची सामग्री की प्रचुरता को ध्यान में रखते हुए मेघालय में एक छोटा सीमेंट कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए कोई विवरणात्मक सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) मेघालय की राज्य सरकार एक छोटा सीमेंट संयंत्र गारोहिल्स में तथा दूसरा जमान्तिया हिल्स में स्थापित करने के दो प्रस्तावों पर विचार कर रही है ।

(ख) और (ग) भारतीय सीमेंट अनुसंधान संस्थान ने मेघालय में लघु सीमेंट संयत्रों में स्थापना हेतु तीन सम्भाव्य स्थलों का पता लगाया है जिनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

भण्डार का नाम व स्थापना स्थल	दस लाख मी० टनों में संचित भंडार
(1) दारंग-एरा-अमंग	47.1
(2) सुतंग	2
(3) सिन्दई	1.00

मेघालय में सीमेंट क्लिंकर संयंत्र की स्थापना

8503. श्री पी० ऐ० संगमा : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्यता बंगलादेश को सीमेंट सप्लाई करने के लिए मेघालय में सीमेंट क्लिंकर संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) गारो हिल्स में 4 लाख मी० टन की क्षमता वाले सीमेंट क्लिंकर संयंत्र की स्थापना के लिए मेघालय औद्योगिक विकास निगम लि० को एक औद्योगिक लाइसेंस मंजूर किया गया था । यह औद्योगिक लाइसेंस 30 जुलाई, 1977 तक वैध था । मेघालय औद्योगिक विकास निगम लि० में इस औद्योगिक लाइसेंस की वैद्ता अवधि बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सरकार से अभी तक अनुरोध नही किया हैं ।

मानव अधिकार दिवस की वर्षगांठ पर कैदियों को क्षमा प्रदान करना

8504. श्री युवराज : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने मानव अधिकार दिवस की बर्षगांठ पर कैदियों को क्षमादान दे दिया है और यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और उन्हे किन-किन अपराधों के लिये कारावास हुआ था ?

गृह मंत्रालय में तथा विधि न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : भारत सरकार ने मानव अधिकार दिवस की वर्षगांठ पर कैदियों को क्षमादान नहीं किया है।

कपड़े की बिक्री के लिए योजना

8505 श्री चतुर्भुज : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभाग ने कपड़े की ब्रिकी के लिए एक नई योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का आधार क्या है तथा उस से क्या लाभ होंगे ; **और**

(ग) इस योजना से समाज के किन वर्गों को लाभ पहुंचेगा, कब तक नया कितना लाभ पहुंचेगा और इस संबंद्ध में ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) (ख) और (ग) 'कपड़े की ब्रिकी के लिए इस विभाग द्वारा कोई नई योजना नहीं बनाई गई है। शायद माननीय सदस्य के मन में कंट्रोल के कपड़े के उत्पादन तथा वितरण की योजना है जो नई वस्त्र का ही एक भाग है। अक्तूबर 1978 से चालु नयी वस्त्र नीति की शर्तों के अनुसार कंट्रोल के कपड़े का उत्पादन ठेके के आधार पर कराया जा रहा है, जो अधिकांश राष्ट्रीय वस्त्र निगम की जिलों से तथा शेष परिमाण प्रतिस्पंधात्मिक नीलामी के जरिये निजी क्षेत्र की मिलों प्राप्त किया जाता है। इस कपड़े का वितरण राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के जरिये ही किया जा रहा है।

शिकायतों की जांच कराने के सम्बन्ध में निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांत

8506. श्री राज विश्वेश्वर राव : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालयों के सतर्कता विभाग को छद्म नाम से शिकायतें मिलने पर उनकी जांच कराने का आदेश देने का विवेकाधिकार दिया गया है और क्या एक मामले में विभागीय जांच कराने और दूसरे मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराने का आदेश देते समय निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा इस अधिकार का भी दुरुपयोग किये जाने को रोकने और दुर्भाव से भेद भाव किये जाने को रोकने के संबंध में कोई मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके लिए क्या मार्गदर्शी सिद्धान्त तय किये गए हैं ?

गृह मंत्रालय तथा विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) और (ख) इस विषय में विद्यमान अनुदेश इस आशय के हैं कि किसी भी गुमनाम अथवा छद्मनाम शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं करनी होती।

गांधी हरिजन उच्चतर माध्यमिक स्कूल ब्रह्मपुरी, शाहदरा, दिल्ली में अग्नि काण्ड

8507. श्री भगत राम : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांधी हरिजन उच्चतर माध्यमिक स्कूल, ब्रह्मपुरी, शाहदरा, दिल्ली-53 में मई 1978 में अग्निकांड और मारपीट की घटना के बारे में कोई जांच की गई है; और

(ख) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले और सरकार ने उस पर क्या कार्रवाई की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) पुलिस के विरुद्ध कुछ प्रतिकूल निष्कर्ष थे । दिल्ली प्रशासन द्वारा इन्हें स्वीकार कर लिया गया है और पुलिस आयुक्त से, जांच रिपोर्ट के आधार पर अलग-अलग अधिकारियों के उत्तरदायित्व निर्धारित करने पर गौर करने के लिए अनुरोध किया गया है ।

त्रिपुरा में जिला उद्योग केन्द्र स्थापित करना

8508. श्री किरित विक्रम देव बर्मन : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा सरकार ने त्रिपुरा में जिला उद्योग केन्द्र स्थापित करने संबंधी कोई योजना उस राज्य की पंचवर्षीय योजना 1978-83 में शामिल करने के लिए प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (ग) जी हां । त्रिपुरा सरकार ने समस्त राज्य को शामिल करने हेतु त्रिपुरा उत्तर, त्रिपुरा दक्षिण तथा त्रिपुरा पश्चिम में तीन जिला उद्योग केन्द्र स्थापित करने के लिए जुलाई, 1978 में एक प्रस्ताव भेजा था । भारत सरकार ने ऊपर बताये गये क्षेत्रों के लिए जुलाई, 1978 में ही तीन जिला उद्योग केन्द्रों की स्वीकृति दे दी थी ।

जूट उत्पादकों को मूल्य समर्थन

8509 श्री सुशील कुमार धारा : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के जूट उत्पादको को मूल्य समर्थन देने की सरकार की कोई योजना है; और

(ख) यदि उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार को पता है कि पश्चिम बंगाल और आसाम के जूट उत्पादकों को पश्चिम बंगाल की पचास दिन तक चलने वाली जूट मिल हड़ताल के कारण वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) तथा (ख) :
सरकार प्रतिवर्ष कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों पर कच्चे पटसन के कानूनी मूल्य घोषित करती है ।

पश्चिम बंगाल और असम के पटसन उद्योग में हाल की हड़ताल के दौरान भी सरकार को कच्चे पटसन के मूल्य कानूनी न्यूनतम मूल्य सार से भी गिर जाने के बारे में सरकार को कोई समाचार नहीं मिला है। पटसन मिल में हड़ताल उस समय हुई जब उनकी फसल छोटे उत्पादकों के हाथों से निकल चुकी थी।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के उत्पादों की कीमतों में वृद्धि

8510. श्री राम विलास पासवान :
श्री राम सागर

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स ने गत पांच वर्षों के दौरान अपने उत्पादों की कीमतों में कितनी बार वृद्धि की और कितनी वृद्धि तथा बन उत्पादों के नाम क्या है;

(ख) उक्त निगम ने गत पांच वर्षों के दौरान वार्षिक कुल कितना प्रशासनिक व्यय किया; और

(ग) क्या इस व्यय में विभिन्न अधिकारियों द्वारा किये गये विदेशों के दौरों अन्य सुविधाओं पर अप्रत्यक्ष रूप से खर्च की गई राशि भी शामिल है और यदि हां, तो वह राशि कितनी है

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (ग)—जानकारी इकठ्ठी की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

राज्यों में औद्योगीकरण की प्रगति

8511 : श्री दुर्गाचन्द्र : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1977 में नई औद्योगिक नीति की घोषणा किये जाने के बाद प्रत्येक राज्य में औद्योगीकरण में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इसके बाद प्रत्येक राज्य में औद्योगीकरण के अन्तर्गत कितना क्षेत्र और कितनी जन संख्या लाई गई है; और

(ग) वर्ष 1978-80 के दौरान प्रत्येक राज्य में औद्योगीकरण का क्या कार्यक्रम है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) उद्योग (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1951 के अधीन वर्ष 1978 में कुल 440 आशय-पत्र एवं 348 औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए थे। इसी प्रकार जनवरी, मार्च, 1979 के दौरान 97 आशय पत्र एवं 78 औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए थे। इन जारी किए गए आशय पत्रों एवं औद्योगिक लाइसेंसों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न में दिए गए हैं।

तकनीकी विकास के महानिदेशालय में वर्ष 1978 में 446 योजनाओं व वर्ष 1979 की प्रथम तिमाही में 229 योजनाएं पंजीयित की गई थीं। पंजीकृत किए गए मामलों का राज्य का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

उद्योग राज्य निदेशालय में वर्ष 1978 के दौरान 31,512 नए लघु एकक पंजीयित किए गए थे। अलग-अलग राज्य-बार ब्यौरे में दिए गए हैं।

खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र में वर्ष 1978-79 में उत्पादन बढ़कर 289-96 करोड़ रुपए तक पहुंच गया; जबकि वर्ष 1977-78 में 257.42 करोड़ रुपए का उत्पादन हुआ था।

(ख) यह बता सकना कठिन है कि प्रत्येक राज्य के किन किन क्षेत्रों में तथा कितनी जन-संख्या पर औद्योगीकरण का प्रभाव पड़ा है।

(ग) योजना आयोग द्वारा तैयार की जा रही राज्यों की वार्षिक योजनाओं में प्रत्येक राज्य के वर्ष 1979-80 के औद्योगीकरण कार्यक्रमों की जानकारी दी गई है।

विवरण

वर्ष 1978 व 1979 में जारी किए गए आशय-पत्रों एवं औद्योगिक लाइसेंसों की अलग-अलग राज्यवार जानकारी दर्शाने वाला विवरण।

राज्य	1978 आशय पत्र	1978 औद्योगिक लाइसेंस	1979 (मार्च तक) आशय पत्र	1979 (मार्च तक) औद्योगिक लाइसेंस
1	2	3	4	5
1. आंध्र प्रदेश	29	17	5	4
2. अण्डमान एवं निकोबार	1	1	—	—
3. आसाम	4	1	—	—
4. बिहार	9	12	1	1
5. चण्डीगढ़	—	1	—	—
6. दादर और नगर हवेली	—	—	—	—
7. दिल्ली	4	6	—	—
8. गोआ, दमण और दिउ	3	2	—	—
9. गुजरात	70	46	21	8
10. हरयाणा	20	13	5	6
11. हिमाचल प्रदेश	9	4	3	—
12. जम्मू और काश्मीर	5	2	—	1

1	2	3	4	5
13. कर्नाटक	15	26	5	7
14. केरल	13	7	1	22
15. मध्य प्रदेश	24	8	8	1
16. महाराष्ट्र	90	101	20	22
17. मणिपुर	—	—	—	—
18. मेघालय	—	—	—	—
19. नागालैण्ड	—	—	—	—
20. उड़ीसा	9	2	1	2
21 पाण्डिचेरि	1	—	—	—
22. पंजाब	15	9	4	3
23. राजस्थान	26	10	4	2
24. तमिलनाडु	27	23	8	6
25. त्रिपुरा	—	—	—	—
26. उत्तर प्रदेश	21	26	7	4
27. पश्चिमी बंगाल	31	23	4	8
28. न बताया गया राज्य	2	3	—	1
जोड़	440	348	97	78

विवरण II

तकनीकी विकास के महानिदेशालय में वर्ष 1978 व वर्ष 1979 (31, मार्च 1979 तक) में पंजीयित योजनाओं की संख्या—राज्यवार

क्र० सं० राज्य का नाम	पंजीयत योजनाओं की संख्या	
	1978	(31.3.79 तक)
1	2	3
1. आन्ध्र प्रदेश	27	21
2. आसाम	—	—
3. अरुणाचल प्रदेश	—	—
4. बिहार	15	3
5. दिल्ली	4	—
6. गुजरात	68	32
7. गोआ, दमण और दिउ	3	—

1	2	3
8. हिमाचल प्रदेश	6	5
9. हरियाणा	32	15
10. जम्मू व काश्मीर	3	2
11. केरल	5	—
12. कर्नाटक	18	14
13. महाराष्ट्र	86	36
14. मध्य प्रदेश	23	17
15. तमिलनाडू	29	18
16. उड़ीसा	8	2
17. पंजाब	28	17
18. राजस्थान	22	15
19. उत्तर प्रदेश	33	15
20. पांडिचेरी	1	—
21. चण्डीगढ़	2	—
22. पश्चिमी बंगाल	33	17
योग	446	229

विवरण-III

उद्योग राज्य निदेशालयों में वर्ष 1978 के दौरान पंजीयित नए लघु एककों की जानकारी देने वाला विवरण

1. आंध्र प्रदेश	3271
2. आसाम	150
3. बिहार	188
4. गुजरात	2291
5. हरियाणा	1620
6. हिमाचल प्रदेश	31
7. जम्मू व काश्मीर	उ०न०
8. कर्नाटक	1293
9. केरल	525
10. मध्य प्रदेश	2285
11. महाराष्ट्र	1194
12. मणिपुर	127

13. मेघालय	16
14. नागालैण्ड	उ०न०
15. उड़ीसा	239
16 पंजाब	2874
17. राजस्थान	2246
18. सिक्किम	8
19. तमिलनाडू	3621
20. त्रिपुरा	उ०न०
21. उत्तर प्रदेश	3216
22. पश्चिमी बंगाल	5323
23. अरुणाचल प्रदेश	उ०न०
24 चण्डीगढ़	72
25. दादर एवं नगर हवेली	3
26 दिल्ली	390
27. गोआ, दमण व दिउ	103
28. मिजोरम	7
29. पाण्डिचेरी	107
30. आसाम	उ०न०
योग :	31512

उ०न०=उपलब्ध नहीं

काजू के छिलके से क्रियाशील कार्बन का उत्पादन

8512. श्री आर० के० महालगी : क्या विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय देश में लगभग 1,00,000 टन काजू के छिलकों का ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है ;

(ख) क्या क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद ने काजू के छिलकों से "क्रियाशील कार्बन", जो एक महंगी वस्तु है का उत्पादन करने की प्रक्रिया का सफलता पूर्वक विकास किया है ; और

(ग) क्या उद्योग को सरकार की इस प्रौद्योगिकी को उपलब्ध कराने की कोई योजना है जिससे काजू की फसल को अधिक लाभ प्रद बनाया जा सके और क्रियाशील कार्बन के उत्पादन में वृद्धि हो सके ?

रक्षा मंत्रालय में और परमाणु ऊर्जा इलैक्ट्रानिक्स विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (प्रोफेसर शेर सिंह) : (क) कोई प्रमाणित सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) काजू के छिलकों से विरंजित स्तर का क्रियाशील कार्बन बनाने पर क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद ने केवल प्रयोगशाला स्तर के कुछ परीक्षण किये हैं। प्रविधि और तकनीकी क्षमता निर्धारित करने के पूर्व वृहद स्तर पर आगे कार्य करने की आवश्यकता है।

दादरी में गैर सरकारी सीमेंट कारखाने का परिसमापन

8513. श्री धर्मवीर वशिष्ट :
श्री मनोहर लाल सैनी :
क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दादरी (हरियाणा) में गैर-सरकारी सीमेंट कारखाने के परिसमापन के बारे में विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा श्रमिको को रोजगार देने के बारे में यदि कोई वैकल्पिक प्रस्ताव है तो वह क्या है ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) तथा (ख) कंपनी की असन्तोषजनक वित्तीय स्थिति तथा इसके अधिग्रहण की अव्यवहायती की संवीक्षा करने बाद सरकार ने निश्चय किया है कि सीमेंट नियंत्रक को चाहिए कि वे सीमेंट विनियमन देय-राशि का भुगतान न होने पर कंपनी को बंद करवाने के लिए कंपनी अधिनियम के संगत उपबन्धों के अन्तर्गत न्यायालय में जायें। सीमेंट नियन्त्रक से कहा गया है कि वे समुचित अनुवर्ती कार्रवाई करें। हरियाणा सरकार से अनुरोध किया जा रहा है कि वह प्रभावित कामगारों को वैकल्पिक रोजगार दिलाने में सहायता करें।

राज्य विधान मण्डलों में राज्य योजनाओं पर चर्चा

8514. श्री दुर्गा चन्द : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से कहा है कि राज्य योजनाओं संबंधी प्रस्तावों को योजना आयोग को भेजे जाने से पूर्व उन पर राज्य की विधान सभा में चर्चा की जानी होती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि योजना आयोग द्वारा राज्य योजनाओं को अंतिम रूप दिया जाता है और उन का अनुमोदन किया जाता हैं और तत्पश्चात् उनके निष्पादन से पूर्व राज्य विधान सभा में चर्चा की जाती है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क और (ख) के उत्तर नकारात्मक हैं तो योजना तैयार करने के मामले में राज्य विधान मण्डलों के प्रतिनिधियों का योगदान किस प्रकार होता है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फजलुर्रहमान) : (क) जी, नहीं ।

(ख) राज्य योजनाएं राज्य बजटों में शामिल होती हैं और उन पर विधान सभाओं में चर्चा होती है ।

(ग) राज्य विधायकों द्वारा सदन में और बाहर व्यक्त किए गए विचारों को राज्य सरकारें अपनी योजनाएं तैयार करते समय ध्यान में रखती हैं ।

वार्षिक योजनाओं को ग्रामोन्मुखी बनाया जाना

8515. **श्री पी० एम० सईद** :
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय मंत्रालय ने सभी राज्यों और संघ राज्म क्षेत्रों को एक पत्र भेजा है जिसमें उनसे वार्षिक योजना 1979-80 को ग्रामोन्मुखी बनाने को कहा गया है ;

(ख) यदि हां, तो उनको जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) कितनी राज्य सरकारों ने पत्र पर अनुकूल कार्यवाही की है ; और

(घ) क्या सरकार को वर्ष 1978-79 की वार्षिक योजना, जो वर्ष 1978-83 की अनवरत योजना का पहला वर्ष है, के आकलन का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (फजलुर्रहमान) : (क) और (ख) योजना आयोग ने अक्तूबर, 1978 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेजे गए अपने पत्र में यह बताया था कि 1978-83 की पंच वर्षीय योजना के प्रारूप के उद्देश्यों, कार्यनीति और अतरक्षेत्रसघ प्राथमिकताओं को राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा सामान्य रूप से अनुमोदित कर दिया गया था और इसलिए 1979-80 की राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों की वार्षिक योजनाओं को तैयार करने के लिए अलग से विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी करना आवश्यक नहीं था । तथापि इस बात पर जोर दिया गया था कि क्षेत्रीय परिव्ययों और वास्तविक लक्ष्यों को योजना के प्रारूप में निर्धारित किए गए पंच वर्षीय अनुमानों के अनुरूप होना चाहिए । परिशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के संबंध में यह कार्यक्रम दिया गया था कि 1970-80 की योजना में प्रारंभिक

तारापुर के लिये परमाणु ईंधन विमान द्वारा भेजा जाना

8516. **श्री पी० एम० सईद** :
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :
श्री ए० आर० बद्रीनारायण :

क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तारापुर परमाणु विद्युत केन्द्र की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए अमरीका सरकार से विमान द्वारा परमाणु ईंधन भेजने का अनुरोध किया है ;

(ख) क्या अमरीका सरकार को यह बताया गया था कि परमाणु ईंधन की सप्लाई करने के बारे में निर्णय लेने में उन्होंने विलम्ब किया है अतः उन्हें विमान से ईंधन भेजना चाहिए यदि हां, तो इस पर अमरीका सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही ; और

(ग) क्या ईंधन भारत पहुंच चुका है और, यदि नहीं, तो कब तक पहुंच जायेगा ?

रक्षा मंत्रालय में और परमाणु ऊर्जा इलैक्ट्रानिक्स विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी, नहीं। तारापुर परमाणु बिजलीघर में काम आने वाला परमाणु ईंधन वायुयान से मंगाने का निर्णय भारत सरकार ने लिया था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, हां।

कराधान नीति का साबुन के मूल्यों पर प्रभाव

8517. डॉ० रामजी सिंह : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई कराधान नीति का साबुन की कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ा हैं;

(ख) क्या सरकार ग्रामीण उद्योगों के माध्यम से साबुन की आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगी; और

(ग) कितने प्रतिशत लोग नहाने के साबुन का उपयोग करते हैं और वे किस आयवर्ग के हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) कर नीति के परिणाम-स्वरूप साबुन के मूल्यों में आनुपातिक वृद्धि हुई है।

(ख) ग्रामीण उद्योगों के माध्यम से कपड़े धोने के साबुन का अधिक उत्पादन करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) इस प्रकार की जानकारी सरकार नहीं रखती है।

राज्य औद्योगिक विकास निगमों में लगाया गया धन

8518. श्री राम विलास पासवान : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रत्येक राज्य में राज्य औद्योगिक विकास निगमों में कुल कितना धन लगाया गया है;

(ख) ऐसे एककों की संख्या क्या है और गत पांच वर्षों में निगमों ने प्रत्येक एकक को कितना ऋण दिया है और ऋण की बकाया राशि कितनी है; और

(ग) प्रत्येक राज्य में निगमों पर कितना व्यय हुआ है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य औद्योगिक विकास निगम में सीधे ही कोई निवेश नहीं किया गया है ।

(ख) और (ग) ये विषय संबंधित राज्य सरकारों की संवीक्षा के अंतर्गत आते हैं।

महाराष्ट्र में "प्रोसैसिंग" उद्योगों को सीमेंट की सप्लाई

8519 : श्री एस० आर० दामाणी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य में गत 6 महीने प्रोसैसिंग उद्योगों की उनकी आवश्यकता से एक तिहाई सीमेंट की सप्लाई की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो कम सप्लाई के क्या कारण हैं तथा महाराष्ट्र राज्य में "प्रोसैसिंग" उद्योगों की सीमेंट की आवश्यकता पूरी करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

उद्योग मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों से अनुरोध यह किया है कि सीमेंट प्रोसेसिंग एककों की मांग को, जो सीमेंट को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, पूर्ण रूप से पूरा किया जाये । महाराष्ट्र में लघु क्षेत्र के अन्तर्गत प्रोसेसिंग उद्योगों को महाराष्ट्र सरकार की सिफारिशों के आधार पर अक्तूबर, 1978 से मार्च, 1979 के छह महीनों की अवधि में 37,000 मी० टन सीमेंट दी गई है । जहां तक मझौले तथा बड़े क्षेत्र के प्रोसेसिंग एककों को सीमेंट की पूर्ति का संबंध है, इनकी आवश्यकताएं संबंधित क्षेत्रीय सीमेंट नियंत्रक द्वारा उनको दिए गये थोक (बूलक) आवटनों में से पूरी की जाती हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

तकनीकी विकास निधि के अधीन वित्त पोषित आयात के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत

8520 श्री सुशील कुमार की धारा : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा कि :

(क) क्या तकनीकी विकास निधि के अधीन वित्तपोषित होने वाले आयात के लिए सरकार ने कोई मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किये हैं ;

(ख) क्या मार्च, 1977 से दिसम्बर, 1978 की अवधि के दौरान सरकार ने किन्हीं मामलों पर विचार किया था, : और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी. हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है ।

पूंजीगत सामान/तकनीकी जानकारी तथा ड्राइंग व डिजायन/तकनीकी परामर्श/तकनीकी सहयोग का मार्च, 1977-दिसम्बर, 1978 की अवधि में तकनीकी विकास कोष योजना के अंतर्गत मंजूर किये गये आवेदनों की संख्या व मूल्य ।

उद्योग समूह	आवेदनों की सं०		अस्वीकृत	स्वीकृति का मूल्य
	पंजीकृत	स्वीकृत	रद्द	(लाख रु० में)
कपड़ा मशीनें	27	24	3	161.89
मशीनी औजार	9	9	—	59.91
ट्रैक्टर	5	4	1	47.40
वाणिज्यिक वाहन	10	9	1	123.87
फाउंड्री	8	5	3	23.32
ढलाई	6	6	—	56.99
औद्योगिक मशीनें	25	25	—	219.22
मोटर गाड़ी उद्योग	23	22	1	288.67
विद्युत	26	20	6	133.64
इलेक्ट्रानिक	3	3	—	14.96
लोहा व इस्पात	15	12	3	82.37
कपड़ा	37	30	7	333.81
रसायन औषधियां भेषज	9	6	3	48.45
अन्य उद्योग	67	49	18	533.84
योग	270	224	46	2128.34

स्वीकृत मंजूरियों की कुल मूल्य :

(1) पूंजीगत सामान का आयात	1849.20
(2) तकनीकी जानकारी डाक्यूमेंटेशन/ ड्राइंग व डिजायन	147.11
(3) तकनीकी सहयोग	107.52
(4) तकनीकी परामर्श	24.51
योग	2128.34

गैर हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी का प्रयोग

8521. **श्री नवाग सिंह चौहान :** क्या **गृह** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में वर्षवार, राजभाषा के उत्तरोत्तर प्रयोग के लिए विभिन्न गैर-हिन्दी भाषी राज्यों को कोई केन्द्रीय सहायता दी गई है और प्रत्येक राज्य ने इस दिशा में कितनी प्रगति की है ; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार इस संबंध में दिये जा रहे काम का कोई मूल्यांकन करती है और यदि हां, तो किस प्रकार ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी नहीं, केन्द्रीय सरकार गैर हिन्दी भाषी राज्यों को राजभाषा में रूप में हिन्दी के उत्तरोतर प्रयोग के लिए कोई सहायता नहीं देती हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

रूई का उत्पादन और निर्यात

8522. **श्री लालजी भाई : क्या उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन राज्यों के नाम क्या हैं, जो रूई का उत्पादन करते हैं ; और

(ख) प्रति वर्ष विदेशों को कितनी मात्रा में रूई का निर्यात किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा की आय होती है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बा प्रसाद यादव) : (क) देश में कपास का उत्पादन करने वाले राज्यों के नाम निम्नलिखित हैं :—

(1) आंध्र प्रदेश
(2) गुजरात
(3) हरियाणा
(4) कर्नाटक
(4) मध्य प्रदेश
(6) महाराष्ट्र
(7) पंजाब
(8) राजस्थान
(9) तमिलनाडु

(ख) वर्ष में कपास का निर्यात करने की अनुमति देने के बारे में निर्णय खपत की आवश्यकताओ के साथ-साथ अनुमानित देशी उपलब्धता को देखते हुए तथा कपास उत्पादकों के हितों को भी ध्यान में रखकर लिया जाता है । कपास के चालू मौसम में, सरकार ने स्टेपल कपास की 3.50 लाख गांठे तथा बंगाल देशी कपास की 0.90 लाख गांठे निर्यात करने की अनुमति दी है । निर्यात अब भी किया जा रहा तथा अर्जित होने वाली विदेशी मुद्रा की कुल राशि का पता निर्यात पूरा हो जाने के पश्चात ही लगेगा ।

परमाणु बिजली घरों की आयोजना

8523. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 'इकोनामिक टाइम्स' दिनांक 1 अप्रैल, 1979 में छपे इस समाचार को देखा है कि इण्टरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने पता लगाया है कि कोयले से चलने वाले बिजली घर परमाणु बिजली घरों की अपेक्षा सस्ते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या परमाणु बिजली घरों की भावी योजना पर निष्कर्षों का प्रभाव पड़ेगा ; और

(ग) क्या भारत की परिस्थितियों में कोयला चालित बिजली घरों की तुलना में परमाणु चालित बिजली घरों का लागत अध्ययन किया जाएगा ?

रक्षा मंत्रालय में और परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिक्स विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और आंतरिक विभागों में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। प्रश्न ने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा अभिकरण के जिस प्रतिवेदन का हवाला दिया गया है, उसमें दी गई बातों की जाँच उसके प्रकाशित होने के बाद ही विस्तारपूर्वक की जा सकेगी ।

(ग) सरकार परमाणु बिजलीघरों और कोयले से चलने वाले बिजली घरों में पैदा होने वाली बिजली की लागतों की तुलनात्मक समीक्षा भारतीय परिस्थितियों के संदर्भ में लगातार रहती है ।

प्रति व्यक्ति खपत पर पांचवीं योजना का प्रभाव

8524. **श्री पी० एम० सईद** :
श्री ए० आर बद्रीनारायण :
श्री निहार लास्कर :

क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 50,000 करोड़ रुपये लागत की पांचवीं पंच वर्षीय योजना का देश में औसतन वास्तविक प्रति व्यक्ति खपत पर वस्तुतः कोई प्रभाव नहीं पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो यह बात कहां तक सच है;

(ग) इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में उनका ध्यान 26 मार्च, 1979 के इकनामिक टाइम्स में प्रकाशित एक समाचार की ओर गया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फ़ज़लुर्रहमान) : (क) से (घ) तक : अंतिम पांचवीं पंचवर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्रक में 39,287 करोड़ रु० के परिव्यय की और निजी क्षेत्रक में

27048 करोड़ रु० के निवेश की व्यवस्था की गई थी। पांचवीं पंच वर्षीय योजना को उसकी निर्धारित समयावधि से एक वर्ष पहले समाप्त कर दिया गया जिससे कि 1978-79 से नई विकास कार्यनीति शुरू की जा सके। उक्त योजना के चार वर्ष की अवधि में निजी क्षेत्रक के निवेश का अनुमान लगाने के लिए उपलब्ध सूचना अपर्याप्त है। परंतु पहले तीन वर्ष के वास्तविक और 1977-78 में प्रत्याशित व्यय के आधार पर सरकारी क्षेत्रक में परिव्यय 28,991 करोड़ रु० होने का अनुमान है।

1970-71 की कीमतों पर जो प्रति व्यक्ति निजी अंतिम उपभोग व्यय 1974-75 में 527 रु० था वह बढ़कर 1975-76 में 538 रु० हो गया। अगले वर्ष वह कम होकर 527 रु० हो गया और 1977-78 में फिर बढ़ कर 552 रु० हो गया। प्रति व्यक्ति आय में ऐसी घट-बढ़ पहले होती रही है और यह मुख्य रूप से कृषि और संबद्ध क्षेत्रकों में होने वाली घट-बढ़ के कारण होती है।

मैसर्स केसोराम इंडस्ट्रीज को कोटा में सीमेंट का कारखाना स्थापित करने के लिये लाइसेंस दिया जाना

8525. **श्री भानुकुमार शास्त्री** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मैसर्स केशोराम इंडस्ट्रीज को राजस्थान के कोटा जिले में सीमेंट का कारखाना स्थापित करने के लिये लाइसेंस दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की अनुमानित लागत क्या है, कितना वार्षिक उत्पादन होने का अनुमान है और यह परियोजना किस तारीख तक स्थापित हो जाने की सम्भावना है ?

उद्योग मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (ख) मैसर्स केसोराम इण्डस्ट्रीस एण्ड काटन मिल्स लि० को पाटन, जिला सीकर, राजस्थान में 3.0 लाख मी० टन की वार्षिक क्षमता हेतु एक नये सीमेंट संयंत्र की स्थापना के लिए 6-3-74 को एक आशय-पत्र दिया गया था बाद में नाम बदलकर मै० मंगलराम सीमेंट लि० कर दिया गया था और क्षमता तथा स्थापना-स्थल में भी परिवर्तन किये गये थे जो क्रमशः प्रतिवर्ष 3.0 लाख मी० टन के स्थान पर 4.0 लाख मी० टन प्रतिवर्ष तथा राजस्थान में पाटन, जिला सीकर के स्थान पर मोराक, जिला कोटा कर दिया गया था। इन्हें 28-2-78 को एक औद्योगिक लाइसेंस जारी किया गया। इसकी परियोजनाओं की अनुमानित लागत 24.00 करोड़ रु० है। 1980-81 के दौरान परियोजना के कार्यान्वित हो जाने की आशा है।

टाटा उद्योगों की संख्या और उनके स्थान

8526. **श्री चतुर्भुज** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में टाटा बन्धुओं के उद्योग कार्यरत हैं और यदि हां तो उनकी संख्या क्या है तथा वे कहां स्थित हैं और उनमें क्या निर्माण होता है;

(ख) उनमें भारत सरकार की कितनी पूंजी लगी है;

(ग) इस समय इन उद्योगों पर कुल कितनी राशि बकाया है तथा क्या इस संबंध में पूरा ब्यौरा सभा पटल पर रखा जायेगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) तथा (ग) आर्थिक कार्य विभाग के बैंकिंग प्रभाग के अनुसार टाटा घराने को कोई भी सरकारी ऋण मंजूर नही किया गया है। जहां तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बीच प्रचलित परम्परागत व्यवहार और सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर लागू कानूनों के उपबन्धों के अनुसार ऐसी जानकारी बताई नहीं जा सकती है।

इलेक्ट्रोनिक्स में अनुसंधान कार्य

8527. श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या **इलेक्ट्रानिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षो में इलेक्ट्रानिक्स में किए गए अनुसंधान कार्यो व उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या सरकार उपलब्धियों से सन्तुष्ट है ?

रक्षा मंत्रालय में और परमाणु ऊर्जा इलैक्ट्रानिक्स विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) तथा (ख) देश में आज इलैक्ट्रानिकी सर्वाधिक अनुसंधान तथा विकास उन्मुख क्षेत्रों में से है और इसमें उद्योग में होने वाले उत्पादन के प्रति अनुसंधान तथा विकास-कार्य में किए जाने वाले खर्च का अनुपात लगभग 7 प्रतिशत बैठता है। अनुसंधान तथा विकास के क्षेत्र में किए जाने वाले प्रयास अनेक सरकारी वैज्ञानिक अभिकरणों, सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों, निजी क्षेत्र की कम्पनियों तथा उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में फैले हुए हैं। जैसे रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बी०ए०आर० सी०), विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र (वी०एस०एस०सी०) तथा अन्तरिक्ष अनुपयोग केन्द्र (एस०ए०सी०), दूरसंचार अनुसंधान केन्द्र (टी०आर०सी०), भारतीय टेलीफोन उद्योग (आई० टी० आई०), भारत इलैक्ट्रानिकी लिमिटेड (बी०ई०एल०) तथा भारतीय इलैक्ट्रानिकी निगम लिमिटेड (ई०सी०आई०एल०) तथा विश्वविद्यालय और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई० आई०टी०)। तथापि इलैक्ट्रानिकी के लिए एक केन्द्रस्थ अभिकरण के रूप में, इलैक्ट्रानिकी आयोग महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अनेक परियोजनाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करता है और उन्हें बढ़ावा देता है। अनुसंधान तथा विकास सम्बन्धी ये प्रयास, जिन पर इलैक्ट्रानिकी पर राष्ट्रीय स्तर पर किए जाने वाले अनुसंधान तथा विकास सम्बन्धी कुल व्यय का इस समय लगभग 15 प्रतिशत खर्च किया जाता है, इलैक्ट्रानिकी आयोग के प्रौद्योगिकी विकास परिषद् तथा राष्ट्रीय रेडार परिषद और उनसे सम्बद्ध अपने-अपने तकनीकी कार्यकारी दलों के माध्यम से किए जाते हैं। इलैक्ट्रानिकी आयोग द्वारा किए जा रहे प्रयोगों के जरिए मुख्य बल ऐसी विशिष्ट परिणाम उन्मुख परियोजनाओं का पता लगाने और आर्थिक सहायता प्रदान करने पर किया

गया है जो अपेक्षाकृत थोड़े ही समय में फलीभूत होती हैं और जो निकट भविष्य में इलैक्ट्रानिक उपस्करों तथा सेवाओं की उपलब्धता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती हैं। इनमें से कुछ परियोजनाओं ने देश में इलैक्ट्रानिकी के आधार को पहले ही मजबूत बनाया है जिनके कारण उत्पादन रेंज में विविधता आई है। इलैक्ट्रानिकी के विकास तथा उत्पादन के लिए प्रयुक्त की जाने वाली तकनीकों का आधुनिकीकरण हुआ है तथा परस्पर संबद्ध स्वरुप के विषयों पर उच्च प्रौद्योगिकी की परियोजनाओं को सम्पन्न करने की क्षमता पैदा हुई है ; ऐसी नई वैज्ञानिक खोजो को हाथ में ले सकने की क्षमता आई है जिससे देश की भावी आवश्यकताओं का पता लगाया जा सके, इलैक्ट्रानिक के विभिन्न क्षेत्रों के लिए सही किस्म की जनशक्ति उपलब्ध कराने का सुनिश्चय हो सका है तथा उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए उपयुक्त प्रकार की इलैक्ट्रानिक यंत्रीकरण तथा नियंत्रण प्रणाली लागू करना संभव हो सका है।

इलैक्ट्रानिकी आयोग द्वारा जिन विकास तथा अनुसंधान की परियोजनाओं को सहायता दी गई है और उसके फलस्वरूप जो परिणाम प्राप्त हुए हैं, उनमें से कुछ उदाहरण नीचे दिए अनुसार हैं :

गत तीन वर्षों में रेडार तथा वायुयान एवं नौ-वहन सहायक उपकरणों के क्षेत्र में शुरू किए गए जटिल किस्म के इलैक्ट्रानिक प्रणालियों के विकास से सम्बन्धित अनुसंधान तथा विकास की 6 परियोजनाओं के फलस्वरूप, जिन पर कुल 2.8 करोड़ रु० का वित्तीय परिव्यय देने का आश्वासन दिया गया है, अगले चार-पांच वर्षों में लगभग 32 करोड़ रु० मूल्य के औद्योगिक उत्पादन होने की सम्भावना है।

शुरू-शुरू में जिन अनेक परियोजनाओं में से एक को आयोग द्वारा बढ़ावा देकर आर्थिक सहायता दी गई थी, वह हैदराबाद स्थित मैसर्स इलैक्ट्रानिक कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड नामक सार्वजनिक क्षेत्र के निगम और बम्बई स्थित टाटा मौलिक अनुसंधान संस्थान के बीच किया गया सहयोग था। इसके अन्तर्गत टी०डी०सी०-316 किस्म के कम्प्यूटर के लिए हार्डवेयर (यंत्र-सामग्री) तथा सॉफ्टवेयर (यंत्रेतर सामग्री) प्रणालियों का विकास करना और एक ओर तो राष्ट्र की हवाई सुरक्षा के लिए आंकड़ा संचालन प्रणालियों में इन कम्प्यूटरों का प्रयोग करने के लिए विशेष किस्म के सॉफ्टवेयर का निर्माण करना और दूसरी ओर उद्योग में वैज्ञानिक तथा वास्तविक समय (रीयल टाइम) अनुप्रयोगों का विकास शामिल था। आयोग ने वर्ष 1977-78 के दौरान इस परियोजना पर 6 करोड़ रु० की आर्थिक सहायता दी है और इसके परिणामस्वरूप न केवल राष्ट्रीय प्रतिरक्षा के एक प्रमुख क्षेत्र में सुरक्षा का सुनिश्चय हो सका है अपितु लगभग 8 करोड़ रु० मूल्य की प्रतिरक्षा सम्बन्धी आंकड़ा संचालक प्रणालियों का अगले 4-5 वर्षों में वाणिज्यिक तौर पर वास्तविक उत्पादन होने लगेगा, जिसके बारे में आश्वासन पहले दिया जा चुका है। इसके अतिरिक्त वर्ष 1978-79 के अंत तक अधिकांशतः असैनिक क्षेत्रों के विभिन्न प्रयोक्ताओं को इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि० द्वारा लगभग 8 करोड़ रु० मूल्य के टी०डी०सी० 316 किस्म के 40 कम्प्यूटर बेचे गए हैं। इस प्रकार कुल 16 करोड़ रु० का उत्पादन होगा।

एक अन्य उदाहरण का संबंध इलैक्ट्रानिक भू-जलीय कूप संलेखन उपस्कर (इलैक्ट्रानिक इक्विपमेंट ग्राउंड वाटर वैल लॉगिंग) से है। जनवरी, 1978 में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की पैट्रोलियम की खोज से संबंधित लगभग 18 लाख रु० मूल्य की अनुसंधान तथा विकास परियोजना को इलैक्ट्रानिकी आयोग ने उक्त संस्थान में बढ़ावा देकर आर्थिक सहायता प्रदान की है, जिसके फलस्वरूप इस प्रकार के एक संलेखन उपस्कर का सफलतापूर्वक विकास किया गया है और अप्रेल 1979 में इसका क्षेत्रीय परीक्षण भी किया गया है। 1979 के आखिर तक इस प्रौद्योगिकी को वाणिज्यिक उत्पादन को उपलब्ध कराने का काम पूरा कर लिया जायेगा और इसके आधार पर अगले 4-5 वर्षों में लगभग 7 करोड़ रुपए मूल्य के कुछ ऐसे 100 यूनिटों का उत्पादन किया जाएगा।

औद्योगिक उत्पादों में विदेशी सहयोग

8528. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में एकाधिकारवादी प्रवृत्ति रोकने के विचार से जिन 14 औद्योगिक उत्पादों को विदेशी सहयोग की अनुमति दी गई है उन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार इनके निष्पादन से सन्तुष्ट है; और

(ग) यदि हां, तो किस सीमा तक ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (ग) एकाधिकार की प्रवृत्तियों को विनियमित करने व उसपर नियंत्रण रखने के बारे में सरकार की नीति को संसद में 23.12 1977 को प्रस्तुत किए गए औद्योगिक नीति विवरण के अनुच्छेद 17, 18, व 19 में स्पष्ट कर दिया गया है। नीति विवरण में विशेष रूप से यह उल्लेख किया गया है कि बड़े उद्योगों, विशेषकर बड़े गृहों से संबध रखने वाले एककों को अन्य कार्यो के लिए लाइसेंस देते समय सरकार इन वस्तुओं के कुल देशी उत्पादन में इन एककों के विद्यमान भाग पर उचित विचार करेगी। सरकार नीति यह सुनिश्चित करने कि कोई भी एकक या व्यवसायिक समूह बाजार में प्रमुख एकाधिकार की स्थिति में न आने पाए, बड़े घरानों के विद्यमान औद्योगिक कार्यों की जांच की जाएगी ताकि उत्पादन अन्तसम्पकों की बजह से होने वाली अनुसूचित गतिविधियों को रोका जा सके।

विदेशी सहयोग के बारे में सरकार की नीति चयन परक है तथा यह राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप है। संसद में 23 12.1977 को प्रस्तुत किए गये औद्योगिक नीति विवरण के अनुच्छेद 22 से 26 में विस्तृत रूप से नीति स्पष्ट कर दी गई है। सरकार ने 28 दिसम्बर, 1978 को एक प्रेस नोट भी जारी किया जिसमें उन उद्योगों की एक सोदाहरण सूची दी गई है जिनके बारे में वित्त या तकनीकी किसी भी प्रकार का विदेशी सहयोग करने की जरूरत नहीं है। इस प्रेस नोट की प्रति संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है। प्रेस नोट में यह कहा गया है कि देशी प्रौद्योगिकी अधिक प्रचलित न हो और उद्यमियों को वह प्रतिस्पर्धी शर्तों पर उपलब्ध न हो रही

हो तो सरकार अन्य बातों के साथ-साथ इन क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के आयात पर भी विचार करेगी। उपयुक्त नीति के अनुरूप सरकार ने हाल ही में फ्यूल इन्जेक्शन शाक एवजोरवर्स, टायर वाल्वस्, नीडल रोलर बीयरिंग, औद्योगिक घरेलू सिचाई की सुइयॉं, रिते, बिजली से चलाए जाने वाले हाथ के औजार, फाइबर ग्लास, कार्बन, एसिटीलीन ब्लैक और ग्राफाईट इलेक्ट्रोड जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों में विदेशी सहयोग की अनुमति दी है। इन औद्योगिक एककों को अभी अपने उत्पादन स्थिरता लानी है।

पंजाब हरियाणा, और बिहार में सीमेंट बनाने वाले कारखानों को खंगड की सप्लाई

8529. श्री दुर्गा चन्द्र : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैसा कि 21 मार्च, 1979 के ट्रिब्यून में प्रकाशित हुआ है कि पंजाब और हरियाणा में दो नये सीमेंट कारखानों को तथा बिहार में लघु क्षेत्र के बहुत से उद्योगों के हिमाचल प्रदेश में चूना-पत्थर के निक्षेपों से, जहां खुदाई नहीं हुई है, खंगड सप्लाई करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जिन चूना-पत्थर के निक्षेपों की खुदाई नहीं हुई है, उनके खंगड हिमाचल प्रदेश में ही उपयोग में न लाये जाने के क्या कारण हैं और इस बारे में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) तथा (ख) चम्बा में पाये गये चूने के पत्थरों के निक्षेपों के आधार पर हिमाचल प्रदेश में क्लिंकर संयंत्र स्थापित करने तथा शाहपुर, कांडी पंजाब में सीमेंट ग्राइडिंग संयंत्र स्थापित करने के लिए पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा दिये गये प्रस्ताव पर हिमाचल प्रदेश सरकार विचार कर रही है।

बिहार में लघु तथा कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 31 जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापित किये जाने की मंजूरी दे दी गई है।

(ग) स्थानीय चूने के पत्थरों के निक्षेपों का इस्तेमाल करके हिमाचल प्रदेश में सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए कई योजनाओं को स्वीकृति दे दी गई है। भारतीय सीमेंट निगम ने राजबन में 2 लाख मी० टन की क्षमता वाला एक सीमेंट संयंत्र स्थापित किया है। सनलोटी में 2 लाख मी० टन की क्षमता का सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए एक आशय पत्र हिमाचल प्रदेश खनिज तथा औद्योगिक विकास योजना को, तथा दूसरा आशय पत्र गगल में 5.60 लाख मी० टन की क्षमता वाला सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए एसोसिऐटिड सीमेंट कम्पनी को जारी किया गया है इसके अलावा धर्मपुर में 9,000 मी० तथा भारती में 50,000 मी० टन की क्षमता वाले दो छोटे सीमेंट संयत्रों को भी मंजूरी दे दी गई है।

चण्डीगढ़ किराया नियंत्रण विधेयक

8530. श्री दुर्गा चन्द : क्या गृह मंत्री चण्डीगढ़ किराया नियंत्रण विधेयक के बारे में 7

मार्च, 1979 के अतरांकित प्रश्न संख्या 2386 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिल्डिंग ओनर्स एसोसियेशन, चण्डीगढ़ द्वारा दिये गये अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए चण्डीगढ़ किराया नियंत्रण विधेयक के उपबन्धों के बारे में चण्डीगढ़ प्रशासन के मत प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरे क्या है ; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) और (ग) :—प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में गरीबी के स्तर से निचले स्तर पर जीवन बिताने वाले लोगों के लिए योजनाएं

8531. **श्री दलपतसिंह परस्ते** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में गरीबी के स्तर से निचले स्तर पर रह रहे व्यक्तियों का जीवन स्तर बढ़ाने की योजनाओं के लिए छठी पंच वर्षीय योजना में केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश को कितनी धनराशि मंजूर की है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फजलुर्रहमान) : मध्य प्रदेश की 1978-83 की पंच वर्षीय योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

बढ़िया कैमरों के कारखाने

8532 **श्री राजे विश्वेश्वर राव** : क्या **उद्योग** मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में बढ़िया कैमरों के कितने कारखाने हैं,

(ख) क्या उनमें निर्मित कैमरे उतने ही अच्छे हैं जैसे अन्य देशों द्वारा निर्मित कमरे होते हैं ;

(ग) हमारे देश में प्रत्येक कारखाने में प्रतिवर्ष कितने कैमरे बनाये जाते हैं ;

(घ) प्रत्येक कैमरे की कीमत क्या है; और

(ङ) क्या हम इन कैमरों का निर्यात करते हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) नेशनल इन्सट्रूमेंट्स लिमिटेड कलकत्ता (सरकारी क्षेत्र का एक एकक) नामक एक एकक ही बढ़िया किस्म

के कैमरे बना रहा है तथा उसमें निर्मित कैमरे उतने ही अच्छे होते हैं जैसे अन्य देशों द्वारा निर्मित कमरे होते हैं ;

(ग) इस एकक को वार्षिक पंजीयित क्षमता 35 एम० एम० के 3,000 एम० एल० कैमरा बनाने की है ?

(घ) 4,000 रु० प्रति नग।

(ङ) जी, नहीं ।

उद्योगों को प्रारम्भ करने के लिए वनों को नष्ट करना

8533. **श्री राजे विश्वेश्वर राव** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े बड़े कारखानों की स्थापना करने के लिए विशाल बनों को नष्ट किया जाता है जिससे काफी मात्रा में बन नष्ट हो रहे हैं ;

(ख) क्या बनों की नष्ट किये बिना बड़े कारखाने प्रारम्भ करने का अन्य कोई उपाय नहीं है ;

(ग) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र में केवल 21 प्रतिशत बन रह गया है, जबकि नियमों के अनुसार यह 33 प्रतिशत होना चाहिए था ; और

(घ) क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने का है कि केवल उद्योगों की स्थापना करने के लिए बनों को नष्ट न किया जाये ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) तथा (ख) : ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि उद्योग स्थापित करने के लिए अक्सर वन प्रदेशों को साफ किया जाता है। किन्तु ऐसा केवल तभी किया जाता है जब तकनीकी आर्थिक दृष्टि से यह अपरिहर्य हो जाता है। (ग) महाराष्ट्र राज्य में राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र कर 21.7 प्रतिशत वन प्रदेश है जबकि 1952 की राष्ट्रीय वन राशि नीति में यह 33 प्रतिशत निर्धारित किया गया है ।

(घ) केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को इस आशय के मार्गदर्शी सिद्धान्त पहले ही जारी कर दिया है कि जिन मामलों में बनों का काटा जाना अन्तर्ग्रस्त हो, उनकी भली-भांति जांच की जाये और अपरिहार्य मामलों में इसके लिए अनुमति दे दी जाए।

नये उद्योग स्थापित करने के लिए उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत औद्योगिक लाइसेंस जारी करने से पूर्व उद्योगों के स्थापना स्थल के बारे में राज्य सरकारों की सिफारिशो की नीति स्वरूप ध्यान में रखा जाता है।

सोना घड़ी की कम सप्लाई

8534. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एच० एम० टी० की 'सोना' घड़ी की सप्लाई कम है ; और

(ख) यदि हां, तो उस घड़ी की सप्लाई की स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव): (क) तथा (ख)— एच० एम० टी० की सोना घड़ी एच० एम० टी के अन्य कई माडलों की घड़ियों की तरह अपनी क्वालिटी व कार्य के कारण अधिक पसंद की जाती है । एच ०एम० टी० घड़ियों की मांग बढ़ती जा रही है तथा मांग के अंतर को पूरा करने के लिए उनके उत्पादन को तेजी से बढ़ाने के लिए कदम उठाये गये हैं। सोना घड़ी के उत्पादन व सप्लाई में भी निम्नप्रकार तेजी से बृद्धि हुई है :—

1976-77	1,14,615 घड़ियां
1977-78	1,13,508 घड़ियां
1978-79	1,26,414 घड़ियां
1979-80 (लक्ष्य)	1,35,000 घड़ियां

वैस्टन इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा उत्पादित वस्तुएं

8535. **श्री पीयूष तिरकी :**
श्री के० लकप्पा :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) वेस्टन इलेक्ट्रॉनिकी लि० द्वारा वर्ष 1978 के दौरान कुल कितने टेलीविजन सेटों, टेपरिकार्डरों, तथा टेपरिकार्डर एवं ट्रांजिजिस्टर सेटों का उत्पादन किया ;

(ख) क्या यह कम्पनी विदेशों को भी अपने सेटों का निर्यात करती है ;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1975 के दौरान कुल कितने सेटों का निर्यात किया गया, और

(घ) वर्ष 1078 के दौरान इस कम्पनी ने कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की ?

रक्षा मंत्रालय में और परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) :

(क)	(I) दूरदर्शन रिसीवर :	40,615 नग
	(II) टेप रिकार्डर/टु-इन-वन वाले मिले जुले सेट;	45,617

(ख) जी, हां ।

(ग) (I) दूरदर्शन रिसीवर : शून्य

(II) टेप रिकार्डर/टू-इन-वन के मिले-जुले सेट ; 33,900

(ग) 1 करोड़ 67 लाख रुपये ।

दिल्ली में एच० एम० टी० की घड़ियों की सर्विसिंग की सुविधाएं

8536. **श्री पीयुष तिरकी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में एच० एम० टी० की घड़ियों के लिये सर्विसिंग की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आदिवासी बेरोजगार व्यक्तियों को लाभ देने के लिये उद्योगों को पंजीकृत करना

8537. **श्री पीयुष तिरकी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आदिवासी बेरोजगार व्यक्तियों, को लाभ पहुंचाने के लिये अब तक कितने लघु उद्योग पंजीकृत किये गये हैं ;

(ख) लघु उद्योगों के लिये आदिवासी उद्यमकर्ताओं को विभिन्न सरकारी एजेंसियों ने अब तक कितनी वित्तीय सहायता दी है ।

(त) क्या लघु उद्योगों और कुटीर उद्योगों की स्थापना के सम्बन्ध में आदिवासी लोगों के लिये पंजीकरण अथवा वित्त षोषण के मामले में कोई आरक्षण है अथवा प्राथमिकता जी जाती है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम 1 मई, 1978 से आरंभ किया गया था जिशका उद्देश्य लघु ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों का जिलास्तर पर संवर्धन करना तथा निवेश के पूर्व एवं निवेश के बाद एक ही स्थान पर लघु तथा विकेन्द्रीकृत उद्योग क्षेत्र के लिए सभी सेवाये तथा समर्थन उपलब्ध कराना है ? राज्ये संघशासित प्रदेशों द्वारा भेजी गई वास्तविक प्रगति रिपोर्ट के अनुसार 164 जिला उद्योग केन्द्रों के बारे में यह देखा गया हैं कि 37,739 नए लघु एककों को अनन्तिम अथवा स्थाई रूप से पंजीकृत किया गया गया है । वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता की राशि 47.20 करोड़ रु० है । इन 164 जिला उद्योग केन्द्रों को 8.35 करोड़ रु० की नकद राज

सहायता तथा 1.46 करोड़ रु० की प्रारंभिक राशि/ (सीड मनी) सहायता भी प्रदान की गई है। किन्तु, आदिवासी उद्यमियों के बारे में अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) विकास आयुक्त (लघु उद्योग) के कार्यालय ने राज्य/संघशासित प्रदेशों की सरकारों को सलाह दी है कि ऋण सहायता के वितरण के मामले में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से संबंधित उद्यमियों को प्राथमिकता और तरजीह दी जाये।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

भूतपूर्व राजाओं तथा महाराजाओं द्वारा झंडे फहराया जाना

8538. डा० विजय मण्डल :
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :
श्री जी० एन० बनातवाला :
श्री शंकर सिंह जी बाघेला :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि भूतपूर्व महाराजाओं ने अपनी पदवियां छोड़ दी हैं परन्तु वे देश के विभिन्न राज्यों में अपने भवनों पर अपने झंडे अभी भी फहरा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो जो भूतपूर्व राजा और महाराजा झंडे फहरा रहे हैं उन के नाम क्या हैं ; और

(ग) क्या उन्हें सरकार द्वारा अनुमति दी गई है और यदि नहीं, तो क्या सरकार का बिचार उन पर रोक लगाने के लिये आदेश जारी करने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क), (ख) और (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार जयपुर, त्रिपुरा जवाहर और सावंतवाडी के भूतपूर्व शासक अपने भूतपूर्व रियासती झंडे अपने भवनों पर फहरा रहे हैं। संबंधित राज्य सरकारों के अनुसार भूतपूर्व शासकों को ऐसे झंडे फहराने के लिए कोई अनूमति प्रदान नहीं की गई हैं। स्थिति यह हैं कि भूतपूर्व शासक ऐसे अधिकारों के प्रयोग से, उनको साधारण नागरिक के रूप में प्राप्त है, वंचित नहीं किए जाते हैं। तथापि, विशेषाधिकार के रूप में, उनके द्वारा झण्डों के फहराये जाने का अधिकार 28 दिसम्बर, 1971 को संविधान (26वां संशोधन) अधिनियम 1971 के लागू होने से समाप्त हो गया है।

बम्बई में लघु उद्योगों और कुटीर उद्योगों में संकटग्रस्त एककों की संख्या

8539. **श्री आर के० महालगी** : क्या **उद्योग मंत्री** 21 फरबरी, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 205 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1978 को बृहद बम्बई, थाना और नागपुर में लघु उद्योग और कुटीर उद्योग में चार राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित जिनकी रिपोर्ट 21 फरवरी, 1979 तक, प्राप्त नहीं हुई थी एककों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन संकटग्रस्त एककों को पुन: चालू करने के लिए तैयार की गई योजनानुसार वित्तीय संस्थान्गों और सरकारी विभागों द्वारा, जिसमें राज्य सरकार भी शामिल है, कोई वित्तीय सहायता और कोई रियायत दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि सरकार द्वारा दी गई सलाह के बावजूद इन संस्थाओं और विभागों की इस बारे में कोई महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया नहीं है, तो इसके क्या कारण हैं और इस बारे में क्या उपचार किये गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, जिसमें चार राष्ट्रीयकृत बैंकों की रिपोर्ट पहले 21 2.79 तक प्राप्त नहीं हुई थी, 31.12.78 को ग्रेटर बम्वई, थाना तथा पुणे और नागपुर में लघु एवं कुटीर उद्योग क्षेत्रों में ऋण एककों की संख्या निम्न प्रकार है--

1. ग्रेटर बम्बई	—	672
2. थाना	—	152
3. पुणे	—	275
4. नागपुर	—	93

(ख) तथा (ग) : बैंकों वित्तीय संस्थानों द्वारा रूग्ण एककों के पुनः स्थापन के लिए योजनाएं बना ली गई हैं । इन योजनाओं का विशद ब्यौरा निम्न प्रकार है—

(1) बैंक तथा वित्तीय संस्थान राज्य में ऋण एककों का पता लगाएगें

जीव्यक्षम ऋण एककों की देख-भाल के लिये कार्यक्रमों का निर्धारण करने हेतु वे अपने प्रमुख कार्यालयों में ऋण एकक प्रकोष्ठ का निर्माण करेंगे ।

(2) उन्हें निम्नलिखित रियायतें दी जानी चाहिए—

(क) संचित हानियों के कारण स्पष्टतया जो अधिक धनराशि लेनी पड़ी है, बैंको तथा वित्तीय संस्थानों को उसे अलग कर लेना चाहिए तथा इन्हें स्पष्ट रूप से मध्यम अवाधक ऋण में परिवर्तित कर देना चाहिए ।

(ख) बैंकों की कार्यकार पूंजी की सीमा को बढ़ा देनी चाहिए तथा सीमान्त धन को कम कर देना चाहिए ।

(ग) बेंकों/महाराष्ट्र राज्य कि वित्तीय नियम को ऋण एककों को भली प्रकार कार्य करने योग्य बनने तक ब्याज की दरों में दी गई रियायतों की जांच करनी चाहिए ।

बैंकों ने राज्य के 719 ऋण एककों की देख-रेख करने का कार्यक्रम पहले ही शुरू कर दिया है। उद्योग निदेशालय का ऋण एकक पकोष्ठ एक ओर ऋण एककों तथा वित्तीय संस्थानों के बीच तथा दूसरी ओर ऋण एककों एवं सरकारी विभागों के बीच सम्पर्क अभिकरण के रूप में कार्य करता है।

(घ), (ख) तथा (ग) को ध्यान मे रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

मांडला, मध्य प्रदेश में लघु उद्योगों की स्थापना

8540. **श्री श्याम लाल धुर्वे** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश के ऐसे अदिवासी और पिछड़े जिलों, जहां कोई उद्योग नहीं है, में लघु, कुटीर तथा अन्य उद्योग स्थापित करने के लिए प्राथमिकता दी है।

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश के सार्वाधिक पिछड़े जिले मांडला में किन-किन तथा कितने लघु-कुटीर और अन्य उद्योगों की स्थापना के लिए प्राथमिकता दी गई है;

(ग) कितने और किन-किन लघु, कुटीर तथा अन्य उद्योगों को प्राथमिकता दी गई है; और

(घ) इस बारे कार्य कब आरम्भ किया जायेगा और 1979 के अन्त तक कितने लघु, कुटीर और अन्य उद्योग स्थापित किए जायेंगे ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : (क) जी हां।

(ख) से (घ) राज्यों के प्रमुख मंत्रियों की राष्ट्रीय विकास परिषद समिति के निर्णयों के अनुसररण में, योजना आयोग ने मध्य प्रदेश के 36 जिले, सावधिक ऋण देने वाले अखिल भारतीय संस्थानों से रियासती वित्त सुविधाएं पाने के प्रयोजन के लिए औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए घोषित किए हैं। मण्डला जिला इस योजना में शामिल है। यह जिला राज्य सरकार द्वारा बनाई गई आदिवासी उप-योजनाओं के अन्तर्गत भी शामिल है। इस जिले में स्थापित औद्योगिक एकक निम्नलिखित प्रोत्साहन पाने के पात्र हैं।

(1) भारतीय औद्योगिक विकास बेंक की रियासती पुर्नवित्त योजना ।

(2) आयकर में कटौती ।

(3) तकनीकी सेवाओं के लिए परामर्श सेवा ।

(4) देश में अन्यथा प्रतिबिन्धित वस्तुओं के लिए नये एककों का पंजीकरण व विद्यमान एककों का विस्तार ।

(5) ब्याज राजसहायता ।

(6) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड द्वारा रियायती शर्तों पर मशीनों का संभरण ।

लघु तथा कुटीर उद्योगों के विकास केन्द्र बिन्दु को बड़े नगरों से ग्रामीण क्षेत्रों व छोटे शहरों में स्थानान्तरित करने की दृष्टि से लघु तथा कुटीर उद्योगों की सभी आवश्यकताओं को एक ही स्थान पर पूरा करने के लिए देशभर में जिला उद्योग केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं। मण्डला इस योजना के अन्तर्गत आता है।

मण्डला जिले में, 1978 की अवधि (दिसम्बर, 1978 तक) में 318 उद्यमियों का पता लगाया गया है। उद्यमियों के लाभ के लिए 279 परियोजना विवरण (प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स) तैयार किए गये हैं। इस अवधि में 104 नये उपक्रम स्थापित किए गये हैं जिनमें 27 उपक्रम को 4 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

मण्डला जिला उद्योग केन्द्र ने 1979-80 के वास्तविक लक्ष्य तैयार किये हैं जिनमें 200 नये औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना भी शामिल है। 23 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दिये जाने का प्रस्ताव है। इन नये औद्योगिक उपक्रमों द्वारा 46 लाख रुपये के सकल मूल्य का उत्पादन किये जाने की आशा है तथा वे औद्योगिक उपक्रम लगभग 400 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त करेंगे।

ग्रामीण विकास के लिए गांधीवादी दृष्टिकोण

8541 प्रो० पी० जी० मावलंकर : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के एक या अधिक सदस्य सरकार की ग्रामीण विकास नीति तैयार करने और उसके कार्यान्वयन के लिए गांधीवादी दृष्टिकोण का सार्वजनिक प्रचार करते रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) योजना आयोग द्वारा उक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या तरीके निकाले जा रहे हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फजलुर्रहमान) : (क), (ख) और (ग) : योजना का निर्माण किसी विशिष्ट विचारधारा के आधार पर नहीं किया जाता। वह सामान्य रूप से राष्ट्रीय आम राय पर आधारित होता है और उसे राष्ट्रीय विकास परिषद् का अनुमोदन प्राप्त होता है। योजना आयोग के सदस्य किसी विशेष दृष्टिकोण की आवश्यकता के संबंध में अपने वैयक्तिक विचार प्रकट कर सकते हैं। तथापि, योजना के प्रारूप की प्राथमिकताओं और नीतियों से जिनमें ग्रामीण विकास, विकेन्द्रित उत्पादन और गरीबों के जीवन-स्तर को सुधारने की आवश्यकता पर बल दिया है, अवश्य ही महात्मा गाधी के कुछ प्रमुख विचार प्रतिबिम्बित होते हैं।

कागज मिलों के नाम और उनका उत्पादन

8542 : **श्री भानु कुमार शास्त्री** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कागज और लुगदी कारखानों की संख्या कितनी है और गत तीन वर्षों के दौरान उनकी क्षमता और वास्तविक उत्पादन का वर्षवार और एकक वार ब्यौरा क्या है ; और

(ख) नये एककों की स्थापना करने के लिए कितने लाइसेंस/आशय-पत्र जारी किये गये और वे किन स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे और इन कारखानों के चालू हो जाने की अनुमानित तारीख क्या है।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) तथा (ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जायेगी।

प्रोसेसिंग संयंत्र लगाने के लिए राजस्थान हथकरघा परियोजना बोर्ड द्वारा भेजा गया प्रस्ताव

8543 . **श्री चतुर्भुज** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघे के कपड़े की किस्म और बिक्री में सुधार करने की दृष्टि से राजस्थान हथकरघा परियोजना बोर्ड ने केन्द्रीय सरकार को प्रोसेसिंग संयंत्र लगाने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार उक्त प्रस्ताव पर कब तक स्वीकृति दे देगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी हां।

(ख) यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

कतिपय क्षेत्रों में विदेशियों के प्रवेश पर रोक

8544. **प्रो० पी० जी० मावलंकर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि देश में कुछ प्रदेश और क्षेत्र ऐसे हैं जहां विदेशी राष्ट्रिकों के प्रवेश पर रोक है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या वर्ष 1975 से 1978 के दौरान ऐसी रोक का विदेशियों द्वारा उल्लंघन किये जाने के समाचार मिले और सरकार द्वारा इससे भली-भांति निबटने के लिए कार्यवाही की गई ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल : (क) तथा (ख) विदेशियों को कुछ क्षेत्रों में प्रवेश के लिए विशेष परमिट प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, जो निम्नलिखित है :—

1. असम
2. मेघालय
3. पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, मालदा और वीनाजपुर, जिले ।
4. त्रिपुरा
5. अंदमान और नीकोबार द्वीप समूह ।
6. मणिपुर
7. नागालैंड
8. अरुणाचल प्रदेश
9. मिजोरम
10. जम्मू तथा काश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीमा क्षेत्र ।
11. सिक्किम
12. लक्षद्वीप

(ग) तथा (घ) : 1975 से 1978 तक की अवधि के दौरान प्रतिबंधों के कुछ उल्लंघनों की जानकारी मिली है । ऐसे मामलों में अपराधियों के विरुद्ध संगत कानूनों के अधीन कार्यवाही की गई है ।

उद्योग स्थापित करने के लिए टाटा व बिड़ला औद्योगिक गृह के आवेदन-पत्र

8545. **श्री सरत कार** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या उद्योग स्थापित करने के लिए बिड़ला व टाटा औद्योगिक गृहों के कुछ आवेदन-पत्र सरकार कें विचाराधीन पड़े हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे उद्योगों का ब्यौरा क्या है और ये उद्योग किन स्थानों पर (राज्यपार) स्थापित करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) तथा (ख) जी हां । एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969 के अंतर्गत पंजीकृत बिड़ला कंपनियों के समूह के 10 आवेदन-पत्र तथा टाटा कंपनियों के समूह के तीन आवेदन-पत्र उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अंतर्गत औद्योगिक लाइसेंस जारी करने हेतु सरकार के पास विचारार्थ निलम्बित हैं ।

बिड़ला कंपनियों के समूह से प्राप्त आवेदन-पत्र सीमेंट, पालिएस्टर रेशा, वाइपर मोटर, बिजली के मोटर, सेल्फ सटार्ट, हार्नारिंग, गंधक का तेजाब, मानव निर्मित एवं प्राकृतिक रेशा, सूती धागा आदि बनाने के बारे में है। आवेदक कंपनियों द्वारा बताये गये स्थापना स्थल मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा पंजाब में हैं। टाटा समूह के तीन आवेदन पत्र फोरजड/रोल्ड एलोय स्टील वियरिंग रिंग्स, क्राफ्ट लाइनर कोरुगेटिंग मिडियम पोस्टर तथा टिशु पेपर और सिथेटिक डिटर्जेंट्स बनाने के लिए हैं। प्रस्तावित स्थापना स्थल बिहार, महाराष्ट्र तथा केरल में है।

केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में उपयोग के लिए प्रपत्रों का मुद्रण

8546. श्री कचरूलाल हेमराज जैन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों में उपयोग किये जा रहे सभी प्रपत्रों को हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मुद्रित करने का सरकार ने निर्णय किया हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन मंत्रालयों (विभाग) कार्यालयो के नाम क्या हैं, जिन्होंने इस निर्णय को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया है और इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) इस संबंध में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा कार्यालयों से सूचना एकत्रित की जा रही है।

हिन्दी सलाहकार समितियों का गठन

8547. श्री कचरूलाल हेमराज जैन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार के किन-किन विभागों/कार्यालयों में हिन्दी सलाहकार समिति गठित की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित 20 मंत्रालयों/विभागों हिन्दी सलाहकार समितियां गठित की गई हैं :—

1. रेल मंत्रालय ; 2. नौवहन और परिवहन मंत्रालय ; 3. वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय ; 4. उद्योग मंत्रालय ; 5. वित्त मंत्रालय ; 6. विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय ; 7. इस्पात और खान मंत्रालय ; 8. गृह मंत्रालय ; 9, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ; 10. निर्माण, आवास तथा पूर्ति और पुर्नवास मंत्रालय ; 11. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ; 12. ऊर्जा मंत्रालय ; 13. विदेश मंत्रालय* ; 14. पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय ; 15. शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय ; 16. कृषि और सिंचाई मंत्रालय ; 17. श्रम मंत्रालय ; 18. डाक-तार विभाग ; 19. रक्षा मंत्रालय ; और 20. पैट्रोलियम, रसायन और उर्बरक मंत्रालय।

*विदेश मंत्रालय में, केन्द्रीय समिति की उपसमिति, हिन्दी सलाहकार समिति के समान काम करती हैं।

स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन

8548. श्री समर गुह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई० एन० ए० के व्यक्तियों और सिविलियनों में से भर्ती किये गये अधिकारियों के आवेदन पत्र अनिर्णीत पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने आई० एन० ए० पेंशन सलाहकार समिति का पुनर्गठन करने का आश्वासन दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) और (ख) सिविलियनों में से भर्ती किए गए भूतपूर्व आई० एन० ए० के व्यक्तियों से प्राप्त 13,849 आवेदन-पत्रों में से 2,060 के मामलों में पेंशन मंजूर की गई है, 8773 मामलों का नामंजूर किया गया है तथा यातनाओं के दावे के समर्थन में आवश्यक लिखित साक्ष्य आवेदकों से प्राप्त न होने के कारण 3,011 आवेदन-पत्रों को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका ।

(ग) और (घ) आई० एन० ए० समिति के पुनर्गठन के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। तथापि, भूतपूर्व सिविलियन आई० एन० ए० कार्मिकों के मामलों का निपटान उस वरिष्ठ सरकारी अधिकारी की सहायता तथा सलाह से किया जा रहा है जो आई० एन० ए० का एक वरिष्ठ अधिकारी भी था । हाल ही में उसके सेवा से निवृत्त हो जाने पर, इस काम के लिए अवैतनिक हैसियत में उसकी पूर्ण कालिक सेवाएं प्राप्त करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

मे० एण्ड यूल एण्ड कम्पनी लिमिटेड का रुग्ण एकक

8549. प्रो० समर गुह :क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मै० एन्डू यूल एण्ड कम्पनी लिमिटेड के रूग्ण एकक को हुगली डाकिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड के साथ मिला दिया गया है ;

(ख) क्या ऐसे विलय से दोनों एककों के लिए गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई है ;

(ग) क्या हुगली डाकिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी को आर्थिक-दृष्टि से लाभप्रद बनाने के लिए उसे पृथक करने के लिए मांग की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी, हां ।

(ख) भारत के औद्योगिक पुननिर्माण निगम लिमिटेड (आई० आर० सी० आई०) के अधिग्रहण के समय पूरक आधार पर सुविधाओं का बेहतर उपयोग किया जा सके इस उद्देश्य से विलय को आवश्यक समझा गया था।

(ग) जी, हां।

(घ) आई० आर० सी० आई० ने कम्पनी के लिए एक लम्बी अवधि की रिकवरी डेवलपमेंट योजना बनाई है जिसमें आधुनिकीकरण, एकरूपता तथा पुनर्गठन से संबंधित कई प्रस्ताव सम्मिलित है। सरकार ने इन प्रस्तावों पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। कम्पनी अभी भी आई० आर० सी० आई० के प्रबंध के अधीन है तथा कम्पनी के कार्य संचालन को बनाए रखने के लिए बराबर सहायता दी जा रही है।

कलकत्ता की जय इंजीनियरिंग का बन्द होना

8550. प्रो० समर गुह : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उषा पंखे बनाने वाली कलकत्ता की जय इंजीनियरिंग लम्बे समय तक बंद रही थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ग) श्रमिकों द्वारा हड़ताल के कारण इसके बन्द हो जाने की अवधि के दौरान कारखाने और श्रमिकों को, पृथक-पृथक कितनी हानि हुई।

कारखाना कितनी अवधि तक बन्द रहा और इसे पुनः खोलने की क्या-क्या शर्तें थीं; और

(ङ) जय इंजीनियरिंग ने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से कितने श्रमिकों को नियुक्त कर रखा है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) तथा (ख) उषा पंखे बनाने वाली कलकत्ता की जय इंजीनियरिंग कम्पनी के प्रबन्धकों ने 6 जून, 1978 को तालाबन्दी घोषित कर दी थी यद्यपि 19.1.1979 से तालाबन्दी समाप्त कर दी गई थी तो भी यूनियनों के साथ समझौता हो जाने के पश्चात्। मार्च, 1979 से ही कारखाने पुनः कार्य शुरू हो गया था।

(ग) कारखाने के उत्पादन में प्रतिमास 128 लाख रु० की हानि हुई है तथा श्रमिकों को प्रतिमास 13 लाख रु० की मजदूरी की हानि हुई है।

(घ) यद्यपि उत्पादन 19 अप्रैल, 1978 से ही बंद हो गया था, फिर भी, कारखाना 6 जून, 1978 से 1 मार्च, 1979 तक की अवधि में बंद रहा।

श्रमिक संघों से समझौता होने के उपरान्त काम पुनः चालू कर दिया गया है तथा समझौते की महत्वपूर्ण शर्तें नीचे दी गई हैं—

( ) इंजीनियरी उद्योग के सम्बन्ध में कम्पनी द्वारा त्रिपक्षीय समझौता दिनांक 11-1-1979 को कार्यान्वित किया जाएगा।

(2) उद्योगवार इंजीनियरिंग समझौते के आधीन ग्राह्य आधार पर प्रत्येक कर्मचारी को काम चालू होने की तारीख से 23 जून, 1973 के दो वेतन वृद्धियां दी जाएंगी।

(3) बोनस भुगतान अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार वर्ष 1976-77 तथा 1977-78 के लिए बोनस का भुगतान किया जाएगा।

(ङ) मैसर्स जय इंजीनियरिंग वर्क्स के उषा तंखा यूनिट में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या 1,385 हैं।

उत्पादन में अपर्याप्त दर से वृद्धि

8551. श्री छीतूभाई गामि : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि: (क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत परि कल्पित उत्पादन वृद्धि दर बढ़ती हुई आय की विषमताओं और बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुए अपर्याप्त है; और

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग उत्पादन का समान वितरण सुनिश्चित करने और आय की विषमताओं को कम करने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार कर रहा है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फजलुर्रहमान) : (क) : जी नहीं। 1978-73 की पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में परिकल्पित उत्पादन में वृद्धि की दर, अन्य बातों के साथ-साथ उत्पादन में पिछली प्रवृत्तियों, राष्ट्रीय आवश्यकताओं तथा आय और सम्पत्ति की वर्तमान असमनताओं में पर्याप्त कमी सहित नई . विकास कार्यनीति पर विचार करने के बाद ही निर्धारित की गई है। यह भी उल्लेखनीय है कि यद्यपि थोक कीमतों के सूचकांक में 1976-77 में 2,1 प्रतिशत की और 1977-78 में 5,2 प्रतिशत की वृद्धि हुई परन्तु वह 1978-79 में प्रायः स्थिर बना रहा।

(ख) : प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा रोजगार की व्यवस्था

8552. श्री के० ऐ० राजन : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने वर्ष 1978 के दौरान लगभग चार लाख व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त रोजगार की व्यवस्था की है; और

(ख) यदि हां, तो उद्योगवार और राज्य वार अतिरिक्त रोजगार की व्यवस्था का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने वर्ष 1977-78 के दौरान 24 16 लाख व्यक्तियों को रोजगार दिया, जबकि उससे पिछले वर्ष 1976-77 में 20.25 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला था जिसमें 3.91 लाख व्यक्तियों की बढ़ोत्तरी हुई है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

खादी तथा ग्रामोद्योगों में वर्ष 1977-78 के दौरान राज्यवार तथा उद्योग-वार रोजगार दर्शाने वाला विवरण

राज्य का नाम	1977-78 के दौरान रोजगार (लाख व्यक्ति)		
	खादी	ग्रामोद्योग	योग
1. आंध्र प्रदेश	0.54	1.85	2.39
2. आसाम	0.30	0.31	0.61
3 बिहार	1.39	0.59	1.98
4. गुजरात	0.36	0.18	0.54
5. हरयाणा	0.14	0.23	0.37
6. हिमाचल प्रदेश	0.06	0.08	0.14
7. जम्मू एवं काश्मीर	0.10	0.08	0.18
8. कर्नाटक	0 28	0.77	1.05
9. केरल	0.12	1.00	1.12
10. मध्य प्रदेश	0 08	0.84	0.92
11. महाराष्ट्र	0 11	1.89	2.00
12. मणिपुर	×	0.10	0.10
13. मेघालय	—	0.01	0.01
14. नागालैंड	×	0.02	0.02
15. उड़ीसा	1 10	1.24	1.34
16. पंजाब	0.37	0.26	0.63
17. राजस्थान	1.10	0.30	1.10

18. सिक्किम	×	×	×
19. तमिलनाडु	1.03	3.25	4.28
20. त्रिपुरा	×	0.02	0.02
21. उत्तर प्रदेश	2.90	1.31	4 21
22. पश्चिमी बंगाल	0.24	0.59	0.83

× 500 से कम

2. संघशासित क्षेत्र	(1977-78 के दौरान रोजगार (लाख व्यक्ति)		
	खादी	ग्रामोद्योग	योग
1. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—	—
2. अरुणाचल प्रदेश	—	—	—
3. चण्डीगढ़	—	—	—
4. दिल्ली	—	—	—
5. दादर एवं नगर हवेली	—	—	—
6. गोआ, दमण और दिउ	—	—	—
7. पाण्डिचेरी	—	0.02	0.02
योग I और II	9 22	14.94	24.16

× 500 से कम

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के अधिकारियों के लिए निर्धारित अर्हताएं

8553 **श्री के० ए० राजन :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने अधिकारी/विभिन्न उद्योग/कार्यक्रम निदेशकों के लिए तकनीकी अर्हताएं निर्धारित की हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या-क्या अर्हताएं निर्धारित की गई हैं ;

(ग) कितने अधिकारी अर्हताएं पूरी करते हैं और कितने अधिकारी/अधिकारियों के पास अर्हता नहीं है ; और

(घ) ऐसे निदेशकों की उनकी अर्हताओं सहित सूचि प्रस्तुत की जायेगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (घ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रखा दी जायेगी।

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अधिकारियों की भर्ती के लिए परीक्षाएं

8554. **श्री के० ए० राजन :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा पर्यवेक्षी कर्मचारियों और अधिकारियों के चयन/भर्ती के मामले में कोई लिखित परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाती हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त पदों के लिए आने वाले अभ्यार्थियों की अभ्यर्थिता का निर्धारण करने संबंधी मानदंड और सिद्धान्त निर्धारित करने के लिए खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की नीति सम्बन्धी निदेश देने का है । और

(ग) यदि नहीं तो खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग का क्या करने का विचार है ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग में प्रचार सहायक तथा विधि सहायक के पदों के लिये ही लिखित परीक्षाएं ली जाती हैं ।

(ख) तथा (ग) राजपत्रित ओहदे के समकक्ष पदों पर भर्ती खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा गठित सेवा बोर्ड के माध्यम से की जाती है । इसी प्रकार विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत 425-700 रु० प्रति मास तथा उससे अधिक के वेतन मान में अधिकारियों एवं गैर राजपत्रित कर्मचारियों का चयन सेवा बोर्ड/द्वारा किया जाता है । अन्य पदों पर भर्ती विभागीय कर्मचारी चयन समितियों तथा स्थानीय कर्मचारी चयन समितियों द्वारा की जाती है । उम्मीद्वारों की योग्यता का निर्धारण सेवा बोर्ड विभागीय कर्मचारी चयन समितियों द्वारा उनकी अर्हताओं अनुभव, योग्यता तथा साक्षात्कार की कार्य कुशलता के आधार पर किया जाता है ।

खादी संस्थाओं को ऋन की मंजूरी

8555. **श्री के० ए० राजन .** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976-77 से 1978-79 तक, वर्षवार और उद्योगवार/कार्यक्रमवार श्री खादी आश्रम, पानीपत, तमिलनाडु सर्वोदय संघ, त्रिरूणपुर और सौराष्ट्र रचनात्मिक समिति को मंजूर की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान उपरोक्त संस्थाओं के कार्यकारण के परिणाम क्या, अर्जित लाभ, बनाये गये भंडार, उत्पादन, विक्री, दिया गया रोजगार क्या-क्या रहे ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी ।

वैगन उद्योग की क्षमता

8556. **श्री संचीन्द्रलाल सिंघा :**

श्री एम० ए० हनान अलहाज :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वैगन उद्योग की अधिष्ठापित क्षमता और उपयोग से आ रही क्षमता का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन एककों को रेलवे विभान और विदेशों से प्राप्त क्रयादेशों और सप्लाई किये गये माल डिब्बों का वर्ष-वार और एकक-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन एककों के उत्पादन लक्ष्यों का चालु वर्ष के दौरान एकक-वार क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) वैगन उद्योग का पिछले तीन वर्ष अवधि में, वर्षवार, क्षमता तथा प्रयुक्त क्षमता का विस्तृत ब्यौरा विवरण । में दिया गया है ।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन एककों को रेलवे और विदेशों से प्राप्त क्रयादेशों और सप्लाई किये गये माल डिब्बों का वर्षवार और एककवार ब्यौरा विवरण— II में दिया गया है ।

(ग) इन एककों के उत्पादन लक्ष्यों का चालू वर्ष के दौरान एककवार ब्यौरा विवरण— III में दिया गया है ।

एककवार लक्ष्य का पुर्ननिर्धारण रेलवे द्वारा एककों को दी गई वास्तविक मांग पर निर्भर करता है ।

विवरण-I

वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता तथा प्राप्त वास्तविक उत्पादन

(चार पहियों के आंकड़े)

वैगन निर्माता का नाम	वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता	1976-77 में वास्तविक उत्पादन	1977-78 में वास्तविक उत्पादन	1978-79 में वास्तविक उत्पादन (31-3-1979 को स्थिर डिब्बों सहित)
1	2	3	4	5
भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड, मुजफ्फरपुर	1,000	328	345	559
भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी, मोकामा	1,500	350	367.5	432
प्राइवेट एण्ड कम्पनी, कलकत्ता	3,000	1760	985	1670
माडर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लि० कलकत्ता	4,750	1325	1535	1510

1	2	3	4	5
माडर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लि०				
पूरबनंपुर	3,911	1701	1805	1581
सिमको लिमटेड, भरतपुर	2,000 *3,000	2684.5	2330	2538
हिन्दुस्तान जनरल इण्डष्ट्रीज लि०,				
नागलोई, दिल्ली	1,000	139	455	105
मार्डन इण्डस्ट्रीज, साहिबाबाद	2,000	358	619	669
सिमको लि० कलकत्ता	3,600	2999.5	2461	1999
प्राईवेट एण्ड एफ कम्पनी लिमिटेड,				
कलकत्ता	1,585	(जून, 1976 से वैगनों का उत्पादन बन्द कर दिया)		

जेसप एण्ड कम्पनी कलकत्ता, तथा के० टी० इस्टील इंडस्ट्रीज बम्बई जिन्होंने भारतीय रेलों के लिए वैगनों का बनाना बन्द कर दिया है, ने निम्नलिखित वैगनों का उत्पादन किया है :

	1976-77	1977-78	1978-69
जेसप एण्ड कम्पनी	200	—	—
के० टी० इस्टील इन्डस्ट्रीज	46	142	—

* यद्यपि लाइसेंस प्राप्त क्षमता 2000 हैं परन्तु कम्पनी ने क्षमता का विकास करके 3000 वैगन बनाने की कर ली है। मंत्रालय द्वारा कम्पनी को सूचित किया गया था कि इस आंकड़े के उपयोग के बाद उच्च स्तर की उत्पादन किया जाना चाहिए।

* उद्योग के अतिरिक्त भारतीय रेलों के लिए वैगनों का उत्पादन रेलवे के कार्यशालाओं में भी किया जाता है। उत्पादन का विस्तृत ब्योरा नीचे दिया गया है।

1976-77	1305.55
1977-88	1324
1978-79	1586

विवरण-II

प्राप्त क्रयादेश तथा की गई सप्लाई का ब्यौरा

(चार पहियों के आंकड़े)

	1976-77				1977-78				1978-79			
	रेलवे		विदेश		रेलवे		विदेश		रेलवे		विदेश	
	क्रयादेश	उत्पादन	क्रयादेश	उत्पादन	क्रयादेश	उत्पादन	क्रयादेश	उत्पादन	क्रयादेश	उत्पादन	क्रयादेश	उत्पादन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
भारत वैगन एण्ड इन्जीनियरिंग कम्पनी लिमटेड मुजफ्फरपुर	920	328	—	—	500	345	—	—	900	559	—	—
भारत वैगन एन्ड इन्जीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड, मोकामा	600	350	—	—	—	367.5	—	—	1175	432	—	—
ब्रेथवेड एन्ड कम्पनी, कलकत्ता	3028	1760	420	—	950	925	—	60	2203	1670	480	—
बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लिमिटेड, हावड़ा	2912.5	1325	60	—	1290	1535	—	—	3975	1510	480	—
बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी बर्नपुर	2750	1563	—	138	2010	1805	—	—	3200	1581	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
सिमको लिमिटेड, भरतपुर	3960	2592.5	—	92	2159.5	2330	100	—	4090	2538	250	—
हिन्दुस्तान जनरल इन्डस्ट्रीज, दिल्ली	860	139	—	—	—	455	—	—	1095	105	—	—
माडर्न इन्डस्ट्रीज, साहिबाबाद	685	358	—	—	1197	619	—	—	955	669	—	—
सिमको लिमिटेड, कलकत्ता	3904	2231.5	200	768	2345.5	2461	132	—	3873	1867	500	132
प्राइवेट एन्ड एफ, कलकत्ता	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
जेसप एन्ड कम्पनी, कलकत्ता	—	—	—	200	—	—	—	—	—	—	250	—
के० टी० स्टील इन्डस्ट्रीज ।	—	—	—	46	—	—	—	142	—	—	—	—
योग	19619.5	10676	680	1244	1045	10842.5	232	202	21466	10931	1960	133

* 20-2-79 तक वास्तविक तथा मार्च, 1979 के लिए अनुमानित

*26-3-1979 तक ।

विवरण-III

1979-80 में अंनतिम उत्पादन लक्ष्य का एककवार ब्यौरा वैगन निर्माता का नाम

	1979-80 के उद्योग द्वारा 1979 80 के लिए वैगन बनाने का अन्तिम लक्ष्य (चार पहियों के रूप में)
भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी	
मोकाम यूनिट	600
मुजफ्फरपुर यूनिट	600
ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता	2000
बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लिमिटेड	
हावड़ा यूनिट	10000
बर्नपुर यूनिट	2200
सिमको लिमिटेड, भरतपुर	2100
हिन्दुस्तान जनरल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, नांगलोई	300
मार्डन इण्डस्ट्रीज, साहिबाबाद	600
टेक्समाको लिमिटेड, वेलघारिया, कलकत्ता	2100
योग	11,5000

रेल मंत्रालय के 1979-80 के बजट प्रस्तावों में 13000 वैगन (4 व्हीलर के रूप में) प्राप्त करने का प्रावधान है। इनमें से 11,500 वैगन उद्योग द्वारा तथा शेष 1500 वैगन रेलवे कार्यशालाओं द्वारा बनाया जाना निश्चित किया गया है।

1979-80 के बजट प्रस्तावों के अंतर्गत एककवार अन्तिम लक्ष्य उपर्युक्त विवरण में दिया गया है :

भारतीय सीमेंट निगम का कार्य-करण तथा सीमेंट के लिए विज्ञापन

8557 **श्री सचीन्द्रलाल सिंघा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सीमेंट निगम के कार्यकरण का ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों में वर्षवार प्रचार के लिए कितनी धनराशि खर्च की गई ;

(ख) गत तीन वर्षों में जिन दैनिक समाचार-पत्र और पत्रिकाओं में विज्ञापन दिये गये उनका वर्षवार, भाषावार और राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या प्रत्येक राज्य में एक सीमेंट कारखाना बनाने का प्रस्ताव है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) आज तक क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) सीमेंट का उत्पादन करने के लिए सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड के पास तीन कार्यशील कारखाने हैं जो (1) मंधार (मध्यप्रदेश) 3.8 लाख मी० टन प्रतिवर्ष (2) कुरकुन्ता (कर्नाटक) 2.0 लाख मी० टन प्रतिवर्ष (3) बोकाजन (आसाम) 2.0 लाख मी० टन प्रतिवर्ष, में स्थित है। राजवन (हिमाचल प्रदेश) स्थित 2.0 लाख मी० टन प्रतिवर्ष वाला की क्षमता वाला चौथा कारखाना परीक्षण के तौर पर चलाया जा रहा है तथा आशा की जाती है कि यह कारखाना शीघ्र ही चालू हो जायेगा। निगम मध्यप्रदेश के नीमच व अकलतारा तथा आन्ध्रप्रदेश के येरागुन्तला में 4.0—4.0 लाख मी० टन की वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता वाली तीन और परियोजनाएं स्थापित कर रहा है। तेन्दूर तथा अहिलाबाद (आन्ध्रप्रदेश) में 4—4 लाख मी० टन प्रतिवर्ष की क्षमता वाले दो सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए भी निगम को आशय-पत्र स्वीकृत किये गए हैं।

गत तीन वर्षों में प्रचार के लिए की गई राशि निम्नलिखित है :—

वर्ष	**राशि (रुपयों में)**
1976 77	99,178
1977-78	42,523
1978-79	7,000

(ख) सीमेंट निगम के कारखाने तथा परियोजनाएं देश भर में स्थित है। अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) प्रत्येक राज्य में एक सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए भारतीय सीमेंट निगम हेतु कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

जिला उद्योग केन्द्रों पर हुआ व्यय

8558. **श्री राम विलास पासवान** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कितने जिला उद्योग केन्द्र कार्यरत हैं;

(ख) इन केन्द्रों पर अब तक कितना व्यय किया गया है तथा उनसे कितने लोगों को रोजगार मिला है और कितने नए लघु उद्योगों को सहायता दी गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) अभी तक समग्र देश में 346 जिला उद्योग केन्द्रों की स्वीकृति दी गई है ।

(ख) वर्ष 1978-79 में जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न राज्यों/केन्द्रों शासित प्रदेशों को 2600.62 लाख रुपये की धनराशि दी गई है जिसमें 1900.62 लाख रुपये अनुदान के रूप में तथा 700.00 लाख रुपये ऋण के रूप में दी गई धनराशि भी शामिल है । विभिन्न राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों से अभी तक 164 जिला उद्योग केन्द्रों के बारे में वास्तविक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं । वहां से यह पता चला है कि 1686 एककों को प्रारम्भिक राशि (सीड मनी) के रूप में सहायता दी गई थी तथा अन्य 3649 एककों को नकद राजसहायता दी गई थी । इसके अलावा, 37554 एककों को तकनीकी, प्रबन्धकीय प्रशिक्षण सहायता दी गई थी । 1,16,465 व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है ।

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की संख्या के बारे में सर्वेक्षण

8559. श्री राम विलास पासवान: क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न आय वर्गों में परिवारों के सदस्यों की संख्या के बारे में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा एकत्रित आंकड़े सही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इससे क्या निष्कर्ष निकले हैं और उसका ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फजलुर रहमान) : (क) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों के सदस्यों की संख्या तथा उनके मासिक व्यय के बारे में विश्वसनीय आंकड़े एकत्रित करता है ।

(ख) 1969-70, 1970-71 तथा 1972-73 वर्षों से संबंधित रा० प्र० सर्वे० के तीन दौरों के निष्कर्षों का ब्यौरा अनुबन्ध में दिया गया है ।

विवरण

शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की संख्या से संबंधित सर्वेक्षण

रा० प्र० सर्वे सं० शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों में सदस्यों की संख्या संबंधित विश्वननीय आंकड़े एकत्रित करता है । व्यय, आय स्तर के प्रतिनिधित्व के रूप में लिखा जाता है क्योंकि आय के बारे में सीधे पूछताछ कठिन एवं साथ ही अविश्वसनीय है । 1969-70, 1970-72 तथा 1972-73 वर्ष से संबंधित रा० प्र० सर्वे० के दौरों से शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न व्यय वर्गों में प्रति परिवार सदस्यों की औसत संख्या दर्शाते हुए परिणाम संलग्न सारणी में दिये गये

हैं। इनसे प्रकट होता है कि व्यय के निम्न स्तर पर कुछ वर्गों को छोड़कर प्रति व्यक्ति व्यय के बढ़ने से परिवार आकार धीरे-धीरे घटता जाता है और कुछ उच्चतम व्यय वर्गों के संबंध में यह कभी अपेक्षाकृत अधिक तीव्र होती हैं। अध्ययन अधीन वर्गों के संबंध में यह प्रवृत्ति अधिकांशतः दोंनों शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में एक समान है।

सारणी : ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति मासिक व्यय वर्गों के अनुसार प्रति परिवार सदस्यों की औसत संख्या समस्त भारत

प्रति व्यक्ति मासिक व्यय वर्ग	प्रति परिवार सदस्यों की संख्या					
	ग्रामीण			शहरी		
(रुपये)	84 वां दौर (69-70)	26 वां दौर (70-71)	27 वां दौर (72-73)	24 वां दौर (69-70)	26 वां दौर (70-71)	27 वां दौर (72-73)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0-13	5.70	6.10	5.64	6.28	5.88	4.80
13-15	5.94	6.00	5.79	6.35	6.65	5.90
15-18	5.79	5.99	5.85	6.48	6.11	6.12
18-21	5.65	5.91	5.78	6.13	6.37	6.45
21-24	5.58	5.61	5.74	6.32	6.10	6.48
24-28	5.40	5.72	5.59	6.03	5.95	6.36
28-34	5.28	5.55	5.44	5.78	5.72	6.15
34-43	5.06	5.33	5.31	5.36	5.38	5.80
43-55	4.75	5.18	5.12	4.01	4.94	5.35
55-75	4.44	4.88	4.78	4.01	4.16	4.72
75-100			4.51			3.82
100-150			4.29			3.12
150-200			3.28			2.70
200 तथा उससे ऊपर			3.94			2.42

अपरिष्कृत पटसन का आरक्षित भंडार

8560. श्री अमर राय प्रधान :
श्री सी०आर० प्रहाटा :
क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क्या यह सच है कि इण्डियन जूट मिल्स एसोसिएशन ने चालू मौसम में अपरिष्कृत पटसन का आरक्षित भण्डार बनाने और उसे सक्रिय रखने के तरीकों के बारे में भारतीय पटसन निगम के साथ विचार विमर्श किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) कच्चे पटसन का बफर स्टाक बनाने व इनके कार्य संचालन की रीति के बारे में इण्डियन जूट मिल्स एसोसियेशन तथा भारतीय पटसन निगम के विचार विमर्श शीघ्र ही होने की आशा है।

बिहार में पटसन मिलें

8561. श्री अमर राय प्रधान : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार की पटसन मिलें और शायद इस राज्य में कुछ एकक विक्रेताओं के माध्यम से नेपाल से रेशा (फायबर) प्राप्त करते रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) तथा (ख) बिहार अथवा पश्चिम बंगाल की पटसन मिलों द्वारा नेपाल से कच्चे माल प्राप्त करने के बारे में सरकार को कोई भी सूचना नहीं मिली है।

द्वितीय विश्व हिन्दी सम्मेलन

8562. श्री एस आर दामाणी :
श्री गंगा भक्त सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय विश्व हिन्दी सम्मेलन की उपलब्धियां क्या रही हैं ;

(ख) सबंधित मंत्रालयों/विभागों ने अब तक क्या अनुवर्ती कार्यवाही की है ; और

(ग) क्या सम्बद्ध मंत्रालयों/विभागों ने सम्मेलन में लिये गए निर्णयों को क्रियान्वित किया है यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) 28, 29 और 30 अगस्त, 1976 को मारिशस में हुए द्वितीय विश्व हिन्दी सम्मेलन के अंतिम दिन "मंतव्यों पर आधारित वक्तव्य" की एक प्रति संलग्न है, जिसमें उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है।

(ख) और (ग) इस संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

द्वितीय विश्व सम्मेलन 28-29-30 अगस्त, 1976 मंतव्यों पर आधारित वक्तव्य

मोरिशस में महात्मा गांधी संस्थान में आयोजित यह द्वितीय विश्व हिन्दी सम्मेलन विश्व की सभी भाषाओं तथा उन भाषाओं को बोलने वाली कोटि-कोटि जनता के प्रति अपनी हार्दिक शुभकामनाएं और सद्भावनाएं प्रकट करता है क्योंकि उसकी धारणा है कि हिन्दी को अपनी उन्नति और विकास के लिए विश्व की सभी भाषाओं के स्नेह और सद्भावना की आवश्यकता है जो मानव अपनी आंतरिक भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाता है। विशेषरूप से, मोरिशस में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं का उल्लेख आवश्यक है जिनमें फ्रेंच, अंग्रेजी, चीनी, तमिल, तेलुगु, मराठी उर्दू, गुजराती और अन्य भाषाएं शामिल हैं और जहां सभी भाषाओं के बोलने वाले प्रेम और एकता के साथ रहते हैं।

2. इस अधिवेशन ने भी प्रथम विश्व हिन्दी सम्मेलन के बोधवाक्य-"वसुधेव कुटुम्बकम्" को स्वीकार किया है जिसके अनुसार, विश्व की, एक परिवार के रूप में कल्पना की गई है। इस सम्मेलन का विश्वास है कि आज जब मानवता एक चौराहे पर जा खड़ी है, हिन्दी को प्रेम, सेवा और शांति की भाषा के रूप में उन सारी शक्तियों को बल देना चाहिए जो "एक विश्व एक परिवार" के आदर्श को सुदृढ़ करे और जहां मानव के लिए जाति, धर्म, वर्ण और राष्ट्रीयता की सीमाएं न हों। यह सम्मेलन उसी दृष्टिकोण को दुहराना चाहता है जिसे प्रथम विश्व हिन्दी सम्मेलन ने भी स्वीकार किया था कि वह हिन्दी के मामले में किसी भी प्रकार की जोर-जबरदस्ती या लादने की दृष्टि नहीं रखता है और इसी प्रकार यह मानता है कि जो भाषा स्वेच्छा से स्वीकार की जायेगी, वही सारे विश्व में लोकप्रियता और मान्यता प्राप्त करेगी।

3. इस अधिवेशन में मोरिशस के अलावा जिन देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, उनमें भारत, इंग्लैंड, फ्रांस, फेडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी, जापान, जर्मन जनवादी गणतंत्र चेकोस्लोवाकिया, इटली, स्वीडन, हंगरी, केनिया, जाम्बिया, मलावी, तंजानिया, माडागास्कर, रीयूनियम द्वीप समूह, राड्रिग्ज द्वीप समूह तथा अन्य देश शामिल हैं। इसमें भारत से आए हुए एक सरकारी प्रतिनिधिमंडल का उल्लेख करना आवश्यक है जो महामहिम डा० कर्ण सिंह, भारत के स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री के नेतृत्व में आया है। डा० कर्ण सिंह जी ने सम्मेलन के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की।

4. सम्मेलन में चार विचार सत्रों का आयोजन किया गया जिनमें चार प्रमुख विषयों पर विचार-विमर्श हुआ वे इस प्रकार हैं :—

1. हिन्दी की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति, शैली और स्वरूप
2. जन-संचार के साधन और हिन्दी
3. स्वैच्छिक संस्थाओं की भूमिका
4. विश्व में हिन्दी के पठन-पाठन की समस्याएं

5 सम्मेलन ने प्रथम विश्व हिन्दी सम्मेलन में पारित इस प्रस्ताव का फिर समर्थन किया कि हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र संघ में एक आधिकारिक भाषा के रूप में स्थान मिले और यह सिफारिश की कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्रमबद्ध कार्यक्रम बनाया जाये । सम्मेलन को यह जानकर संतोष हुआ कि प्रथम विश्व हिन्दी सम्मेलन के अन्य निर्णयों के बारे में भी ठोस कदम उठाये गये हैं जिनमें विश्व हिन्दी विद्यापीठ की स्थापना का निर्णय भी शामिल है ।

6. सम्मेलन में अभी हाल ही भारत में समाचार-पत्रों के संकलन के बारे में निर्गुट देशों के उस सम्मेलन का भी स्वागत किया गया जिसमें सभी संवाद-सामग्री का एक "पुल" बनाने का निर्णय लिया गया । सम्मेलन की धारणा है कि जन-संचार के अन्य सभी साधनों जैसे—रेडियो, टेलिविजन, फिल्म तथा अन्य प्रकार के वैज्ञानिक उपकरणों का हिन्दी के प्रचार-प्रसार में उपयोग किया जाये ताकि वह "एक विश्व एक परिवार" की उदात्त भावना का प्रचार कर सके ।

7. सम्मेलन की धारणा है कि मौरिशस, भारत, फीजी, त्रिनिडाड, गियाना जैसे अन्य देशों में वहां की स्वैच्छिक संस्थाओं ने हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान दिया है और यह माना गया कि इन सभी संस्थाओं को उन देशों की सरकारों तथा जनता से सहायता मिलनी चाहिए । मौरिशस और भारत जैसे देशों में तो हिन्दी का अभियान राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक चेतना के आंदोलन से ही जुड़ा रहा है लेकिन इन देशों की संस्थाओं ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी अपना हिन्दी-प्रचार कार्य जारी रखा है ।

8. सम्मेलन ने विश्व के अनेक देशों में हिन्दी के पठन-पाठन संबंधी समस्याओं पर भी विचार किया और इनमें पाठ्य-पुस्तकों, वैज्ञानिक उपकरणों तथा अन्य बातों के अभाव में किन प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसका भी विचार किया । इन कठिनाइयों को दूर करने का अवश्य ही प्रयत्न होना चाहिए । साथ ही साथ यह भी विचार प्रकट किया गया कि इस क्षेत्र के विशेषज्ञों को विशिष्ट गोष्ठियों का आयोजन कर इन समस्याओं के बारे में व्यावहारिक सुझाव और समाधान प्रस्तुत करने चाहिएं । विश्व हिन्दी सम्मेलन जैसे विशाल मंच पर तो इन समस्याओं का निदेश-मात्र दिया जा सकता है ।

9. द्वितीय विश्व हिन्दी सम्मेलन मौरिशस में हुआ है, इस बात पर सभी प्रतिनिधियों ने अपनी हार्दिक प्रसन्नता प्रकट की और उसका मुक्त-कंठ से अभिनंदन किया । सम्मेलन जिस कुशलता के साथ संचालित हुआ, उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी । अनेक प्रतिनिधियों ने यह

इच्छा व्यक्त की कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सम्मेलन की गतिविधियों को आगे बढ़ाने की दृष्टि से किसी संगठन का विचार किया जाये। एक विशेष सुझाव दिया गया कि मौरिशस में ही एक विश्व हिन्दी केन्द्र की स्थापना की जाए जो सारे विश्व की हिन्दी-गतिविधियों का समन्वय कर सके और एक अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी पत्रिका का प्रकाशन हो जो भाषा के माध्यम से ऐसे समुचित वातावरण का निर्माण कर सके जिसमें मानव विश्व का नागरिक बन कर रहे और विज्ञान और अध्यात्म की महान शक्ति एक नए समन्वित सामंजस्य का रूप ले सके। सम्मेलन के विचार में यह उचित होगा कि इस कार्य के नेतृत्व के लिए मौरिशस के प्रधान मंत्री डा० सर शिवसागर रामगुलाम जी से ही निवेदन किया जाये जो द्वितीय विश्व हिन्दी सम्मेलन की राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष हैं और जिनका सुयोग्य, अनुभवी एवं प्रज्ञायुक्त मार्गदर्शन इसके लिए परम उपयोगी होगा।

10. द्वितीय विश्व हिन्दी सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी प्रतिनिधियो और पर्यवेक्षकों का यह अभिमत रहा है कि यह सम्मेलन मात्र हिन्दी के इतिहास में ही नहीं, वरन मानवता की निरन्तर यात्रा में भी एक युगांतरकारी घटना है। इसलिए यह सम्मेलन विश्व के उन समस्त स्त्री-पुरुषों की ओर स्नेह और मैत्री का हाथ बढ़ाता है जो ऐसे ही महान आदर्शों के लिए काम कर रहे हैं। सम्मेलन में यह सुदृढ़ धारणा प्रकट की गयी कि तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन के आयोजन होने तक की अवधि तक हिन्दी राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय दोनों क्षेत्रों में आदर्श प्रगति कर लेगी।

सीमेंट मूल विषयक देवराज समिति

8563 डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट की कीमत केवल कुछ दिन पूर्व बढ़ाई गई थी ;

(ख) क्या उच्च शक्ति प्राप्त देवराज समिति ने सीमेंट के मूल्य में वृद्धि की सिफारिश की है ; और

(ग) यदि हां, तो समिति द्वारा सीमेंट उद्योग के बारे में अन्य क्या सिफारशें की गई हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) साधारण पोर्टलैंड सीमेंन्ट के गन्तव्य स्थान तक रेल-भाड़ा मुक्त मूल्य 7 दिसम्बर, 1978 से 253.35 रुपये से बढ़कर 293.26 रुपये (उत्पादन शुल्क तथा पैकिंग प्रभार को छोड़कर) प्रति मी० टन हो गये। बढ़ोत्तरी का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

	(रु० प्रति मी० टन)
(1) सीमेंट के अतिरिक्त आयात की लागत के वित्तपोषण के लिए	8.00
(2) सीमेंट कामगारों की वेतनवृद्धि से संबंधित विवाचकों पंचाट के कार्यान्वियन की लागत हेतु	13.38

(3) कोयले के स्थान पर मट्टी तेल के उपयोग के लिए राजसहायता देने हेतु :—		18.53
	योग	39.91

(ख) तथा (ग) सीमेंट उद्योग की, जिसमें सीमेंट के मूल्य शामिल हैं, व्यापक संवीक्षा करने के लिए श्री लवराज कुमार की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा एक उच्चस्तरीय समिति नियुक्त की गई थी। समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है तथा इसकी सिफारिशें भारत सरकार के विचाराधीन है।

हिन्दी शिक्षण एकरूपता समिति द्वारा हिन्दी के शिक्षण में समन्वय

श्री एस० आर० दामणी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) आकाशवाणी, दूर दर्शन, शिक्षा मंत्रालय तथा स्वेच्छित हिन्दी संगठनों द्वारा किये जा रहे हिन्दी शिक्षण कार्य में समन्वय लाने के लिए हिन्दी शिक्षण एकरूपता समिति की अब तक की क्या उपलब्धि है ;

(ख) इस समिति ने उपरोक्त विभागों को क्या-क्या सुझाव दिये हैं ; और

(ग) क्या सुझाव क्रियान्वित किये गये थे, यदि नहीं, तो उनके क्रियान्वयन में कितना समय लगेगा और उन्हें शीघ्र क्रियान्वित करने में क्या बाधाएं हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल : (क), (ख) और (ग) :—भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार की अध्यक्षता में हिन्दी प्रशिक्षण एकरूपता समिति का गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य आकाशवाणी, दूरदर्शन, शिक्षा मंत्रालय एवं स्वैच्छिक हिन्दी संस्थाओं द्वारा किए जा रहे हिन्दी शिक्षण के कार्य में समन्वय और सामंजस्य लाना है। इस समिति की अब तक तीन बैठकें हो चुकी हैं। समिति के उत्तरदायित्व को उचित रूप से निपटाने के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से अपेक्षित सूचना मांगी गई है। साथ ही, हिन्दी शिक्षण योजना की पुनरीक्षण समिति द्वारा प्रस्तावित संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर नई पाठ्य सामग्री का भी निर्माण कराया जा रहा है। इसके निर्माण के पश्चात विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संस्थाओं के हिन्दी शिक्षण कार्य में समन्वय स्थापित करने में सुविधा होगी।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन आकाशवाणी महानिदेशालय शीघ्र ही इस संबंध में एक कार्यशाला/सेमीनार का आयोजन भी कर रहा है।

आंध्र प्रदेश विधान सभा में संसदीय सचिव

8565. **श्री जी० एम० बनातवाला :**
श्री श्रीकृष्ण सिंह :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के मुख्य मन्त्री द्वारा राज्य विधान सभा के छह सदस्यों को संविधान के अनुच्छेद 191 के उपबन्धों के विरुद्ध संसदीय सचिव के रूप में शपथ दिलाई गई थी;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को इस बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) से (ग) आन्ध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 10-3-1979 को आन्ध्र प्रदेश विधान सभा के 6 सदस्यों को संसदीय सचिवों के रूप में मुख्य मन्त्री द्वारा गोपनीयता की शपथ दिलाई गई थी और उसी तारीख से वे इस प्रकार नियुक्त किए गये थे। राज्य सरकार को सलाह दी गई थी कि यह संविधान के प्रतिकूल नहीं है।

राज्य सरकार ने यह भी कहा है कि डा० टी० के कोर्थंडा राम संयोजक, हैदराबाद दलित जाति संघर्ष समिति ने राष्ट्रपति को एक याचिका भेजी है जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया है कि उक्त 6 विधायक संसदीय सचिवों के रूप में नियुक्त होने से आंध्र प्रदेश विधान सभा के सदस्य होने के लिए अयोग्य हो गए हैं। राष्ट्रपति ने इस प्रश्न को संविधान के अनुच्छेद 192 के खण्ड (2) के आधीन उनकी राय जानने के लिए भेजा है और वह निर्वाचन आयोग विचाराधीन है।

उत्तरी राज्यों में सरकारी उपक्रमों को आस पास के ग्रामीण क्षेत्रों से जोड़ा जाना

8567. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के उत्तरी राज्यों में आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों का आर्थिक विकास करने हेतु सरकारी उपक्रमों को उनके साथ जोड़ने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) इससे यदि ग्रामीण रोजगार पर कोई प्रभाव पडा है तो वह क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) तथा (ख) उद्योग मंत्रालय के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को जहां ये एकक स्थापित है, उन जिलों के, जिला उद्योग केन्द्रों को सक्रिय रूप से सहायता देने के लिए अनुदेश जारी किए गये हैं। यह सहायता निम्न रूप से होगी।

(क) प्रत्येक जिला उद्योग केन्द्र से सम्बद्ध एक जिला उद्योग-सह परिक्षण केन्द्र की स्थापना

(ख) अपनी खरीद की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहायक उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देना;

(ग) स्थानीय उद्यमियों के लिए विपणन संबंधी तैयार करने में सहायता

(घ) जिले में ही परियोजता सम्भाव्यताओं का पता लगाना;

इस उद्देश्य के लिए अनेक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किये हैं। ग्रामीण रोजगार पर इसके प्रमुख का अनुमान लगाना अभी समयपूर्व होगा लेकिन जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा बनाये गये विभिन्न कार्यक्रमों में पर्याप्त रोजगार क्षमता है।

दुर्घटना के साक्षी के बारे में पुलिस पद्यति

8568. **श्री याम सुन्दरलाल** : क्या गृह मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन परेशानियों और कठिनाइयों के बारे में जिनमें कोई व्यक्ति दुर्घटना अथवा अपराध के बारे में कोई गवाही देने के बाद फंस जाता है 'पुलिस प्रासीजर्स' शीर्षक से 1अप्रैल, 1979 के 'सण्डें स्टैंडर्ड'' में प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान गया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं; और

(ग) इन प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मन्डल) : (क) जी हाँ, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) :— भारत सरकार ने जांच और अभियोजन की पद्यति, विलम्ब और असफलता के कारणों,, अनुचित तरीकों का प्रयोग और वे कहां तक प्रचलित हैं इसकी जांच करने के लिए और पद्यति में कैसे संशोधन या परिवर्तन किया जाय, और इस दक्ष, वैज्ञानिक और मानवीय प्रतिष्ठा के साथ संगतपूर्ण बनाने का सुझाव देने तथा संबंधित कानूनों को उपयुक्त रूप से संशोधित करने के लिए एक राष्ट्रीय पुलिस आयोग नियुक्त किया है ।

आयोग उस तरीके की और इसकी भी जांच करेगा कि पुलिस सामाजिक सुरक्षा तथा कानून लागू करने के कर्तब्य निर्वहन मे लोगों का कहां तक सहज एवं परस्पर सहयोग प्राप्त कर सकती हैं और ऐसा सहयोग प्राप्त करने के लिए संस्थागत प्रबंधों के बारे में और स्वस्थ तथा मैत्रीपूर्ण जनता-पुलिस संबंध उत्पन्न बनाने के लिए उपायों का सुझाव देगा ।

जम्मू तथा कश्मीर में गिरफ्तार किये गये पाकिस्तानी जासूस

8569. **श्री श्यास सुन्दर लाल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू तथा कश्मीर के मुख्य मंत्री द्वारा किये गये इस रहस्योद्घाटन की ओर उनका ध्यान दिलाया गया है कि जन सुरक्षा अधिनियम के अधीन गिरफ्तार किये गये कुछ व्यक्तियों में अभी हाल में 18 पाकिस्तानी जासूसों को गिरफ्तार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त मामले में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान् 18 व्यक्ति जिसमें पाकिस्तानी राष्ट्रिक पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर के निवासी, और भारतीय नागरिक शामिल हैं, पाकिस्तान के लिए उनकी जासूसी गतिविधियों के कारण जम्मू और कश्मीर जन सुरक्षा अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत गिरफ्तार किए गए है । इस तरह की जासूसी गतिविधियों का पता लगाना, हटाना तथा उनकी रोकथाम करना एक सतत प्रक्रिया है और निरन्तर सतर्कता बरती जाती है ।

लघु क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए कार्यवाही

8571. **श्री चित्त बसु** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु क्षेत्र समेकित ग्रामीण विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है ; और

(ख) इस समय उसके सामने आ रहीं समस्याओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) छोटा क्षेत्र अपेक्षित औद्योगिक विकास का एक महत्वपूर्ण अंग है। ग्रामीण क्षेत्रों व छोटे नगरों में दूर-दूर में फैले हुए कुटीर एवम लघु उद्योगों की प्रभावी अभिवृद्धि करना ही नई औद्योगिक नीति मुख्य उद्देश्य है। मशीनों व उपकरणो में 1 लाख रुपये तक के विनियोग तथा 1971 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 50,000 से अनाधिक आबादी वाले नगरों में स्थित छोटे क्षेत्र के एककों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है .

(ख) छोटे क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के लिए और कदम उठाए गए है :

(1) छोटे एककों की उन्नति के लिए सीमान्त/मूल राशि प्रदान करने हेतु एक नई केन्द्रीय योजना शुरू की गई है। इस योजना के अधीन छोटे एककों के कुल अचल पूंजी विनियोग के 10% तक सीमान्त राशि सहायता प्रदान की जाती है ; लघु एककों को उपकरणों व कार्यकारी पूँजी के लिए 25,000 रुपये तक की राशि के दिए जाने वाले ऋणों को सावधिक ऋण मान लिया गया है और इस ऋण की वापिसी 7 से 10 वर्षो की अवधि में की जाएगी। लघु एककों को 12-1/3% ब्याज की दर पर कार्यकारी पूंजी भी प्रदान कराई जाती है। छोटे एककों के आवेदन-पत्रों को सरल बना दिया गया है। सीमान्त आवश्यकताओं के लिए एक लोचदार पद्धति अपनाई गई है तथा ऋण आवेदन-पत्रों को 3 दिन के भीतर जिला स्तर पर ही निपटा दिया जाता है।

(2) विभेदक ब्याज योजना के अधीन कम आय वाले कामगरों को 4% ब्याज की दर पर छोटे-छोटे ऋण उपलब्ध कराये जाते है।

(3) ग्रामीण उद्योग परियोजना व ग्रामीण कामगर परियोजना को जिला उद्योग केन्द्रों का एक आवश्यक अंग माना गया है। ये परियोजनाएं ग्रामीण कामगरों व छोटे क्षेत्र के लाभ के लिए बनाई गई है। इस कार्यक्रम के अधीन छात्र वृति के साथ प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। ब्याज की कम दरों पर ऋण दिया जाता है और कामगरों को एक औजार बक्सा भी दिया जाता है।

(4) अनेक उत्पादों के मामले में छोटे एककों द्वारा किए गए उत्पादन के मूल्य के आधार पर एक छोटे एककों को उत्पादन शुल्क से छूट दी जाती है। इससे छोटे क्षेत्र को अपनी कठिनाइयों से निपटने में सहायता मिलती है।

(5) उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम में छोटे एककों व अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों और भूतपूर्व सैनिकों आदि पर विशेष ध्यान दिया जाता हैं।

हिन्दुस्तान मोटर्स वाक्सहाल मोटर्स तथा मैरीना-विक के साथ सहयोग

8573. श्री ज्योतिमय बसु : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने वाक्सहाल मोटर्स तथा मैरीना-विक के तकनीकी सहयोग से अपनी एम्बैसडर कारों की किस्म में सुधार करने के लिये हिन्दुस्तान मोटर्स के समग्र प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : (क) तथा (ख) मैं० हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड ने अपनी यात्री कारों के निर्माण के उन्नयन हेतु ड्राइंगों तथा डाक्यूमेंटेशन, तकनीकी सहायता तथा पूंजीगत माल का आयात के लिए आवेदन दिया है। अब तक लगभग 4.81 लाख रुपये मूल्य के 1489 सी० सी० पेट्रोल इंजन की प्रौद्योगिकी के विकास के लिए मै० ब्रिटिश लेलैंड कम्पोनेंट्स लिमिटेड, इंगलेंड से तकनीकी डिजाइन ड्राइंगों तथा मै० वाक्सहाल मोटर्स लिमिटेड, इंगलेंड से लगभग 8.56 लाख रुपये मूल्य की कार बाडी के लिए प्रौद्योगिकी विकास तथा आधुनिकीकरण के लिए ड्राइंगों तथा डाक्यूमेंटेशन के आयात की भी स्वीकृति दे दी है।

पश्चिम बंगाल में नये औद्योगिक उपक्रमों के लिए आवेदन-पत्र

8574. श्री ज्योतिमय बसु : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1975 से चली आ रही आवश्यकताओं की कमी के रुख के विपरीत पश्चिम बंगाल वर्ष में 1978 में नये औद्योगिक उपक्रमों के लिए आवेदन-पत्रों की संख्या में महत्व पूर्ण वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है।

उद्योग मंत्रालत में राज्य मंत्री (श्री जगदम्दी प्रसाद यादव) (क) तथा (ख) पश्चमी बंगाल में नए उपक्रमों की स्थापना के लिए उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत औद्योगिक लाइसेंसों हेतु प्राप्त अवेदन पत्रों की संख्या में वर्ष 1975 से 1978 की अवधि में प्रतिवर्ष घटा-बढ़ी का रुख दिया है। नए उपक्रमों के लिए औद्योगिक लाइसेंस हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या वर्ष 1975 में 42, वर्ष 1976 में 51 वर्ष 1977 में 32 तथा वर्ष 1978 में 41 थी।

बेतियाह में एक कागज के कारखाने की स्थापना

8575 : **(डा० रामजी सिंह)** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन उत्तर बिहार में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र बेतियाह में एक 250 टी० पी० डी० क्षमता का कागज का कारखाना स्थापित कर रहा है;

(ख) क्या इस दिशा मे कोई प्रगति हुई है; और

(त) यदि हां, तो उक्त कारखाने में उत्पादन कब तक शुरु हो जाने की आशा है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (ग) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन ने उत्तरी बिहार में बेतिया के निकट स्थित चीनी मिलों से उपलब्ध होने वाली खोई का इस्तेमाल करके कागज/अखबारी कागज संयंत्र स्थापित करने की संभाव्यताओं की जांच की है और संभाव्यता पूर्व रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी है। चीनी मिलों को खोई के बदले में दी जाने वाली रायल्टी और खोई से चलाए जाने वाले बायलरों को कोयले से चलने वाले बॉयलरों में बदलने की लागत को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव के आर्थिक ब्यौरों का अनुमान लगाया जा रहा हैं। कागज/अखबारी कागज संयंत्र स्थापित करने के बारे में कोई औपचारिक निवेश निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है।

प्रिलादुननवो तथा सरदार भगत सिंह के जन्म दिवस को सरकारी छुट्टी घोषित करना

8576. **डा० रामजी सिंह** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में घोषित सरकारी छुट्टियों की संख्या विश्व के अन्य देशों में होने वाली छुट्टियों की संख्या से अधिक है और क्या सरकार का विचार उनकी संख्या में कमी करने का है ;

(ख) क्या सरकार का विचार इस मामले में एक सर्वदलीय चर्चा करने का है ;

(ग) क्या कुछ शिष्टमण्डलों ने मिलादुन्नबी तथा सरदार भगत सिंह के जन्म दिवस को सरकारी छुट्टी घोषित करने के लिए सरकार से अनुरोध किया है ; और

(घ) इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

गृह मंत्रालय में तथा विधि न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) भारत सरकार के अधीन घोषित छुट्टियों की संख्या सामान्यतः विश्व के अन्य कई देशों की अपेक्षा अधिक हैं। छुट्टियों की इस संख्या को कम करने का कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं हैं।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं।

(ग) और (घ) किसी शिष्ट मण्डल ने सरकार से अनुरोध नहीं किया है, किन्तु इन विषयों पर समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते रहते हैं। केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक छुट्टियों की सूचि में पिलादुन्नवी को पहले से ही शामिल किया गया है। अल्पसंख्यक आयोग के विचार मांगे गए है कि क्या पिलादुन्नवीं को सरकारी छुट्टियों की सूची में शामिल करना आवश्यक है, यदि हां, तो किस अन्य मुस्सिलिम छुट्टी के स्थान पर। सरदार भगत सिंह के जन्म दिन के अवसर पर राजपत्रित छुट्टी घोषित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

छोटे सीमेंट कारखानों पर कार्यकारी दल

8577. श्री सी० एम० बनातवाला : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में छोटे सीमेंट कारखानों को उपलब्ध कराई जाने वाली प्रौद्योगिकी तथा सुविधाओं के बारे में सुझाव देने हेतु कोई कार्यकारी दल नियुक्त किया है;

(ख) क्या सरकार इस बीच इस बारे में प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (ग) सरकार ने दो कार्यकारी दलों जिनमें एक दल प्रौद्योगिकी के बारे में तथा दूसरा दल छोटे सीमेंट संयंत्र स्थापित करने हेतु उद्यमियों को आवश्यक प्रोत्साहन देने के बारे में गठित किया गया था, की सिफारिसों पर उन मिनी सीमेंट संयंत्रों को प्रोत्साहन देने की निम्नलिखित योजनाओं के लिए स्वीकृति दे दी है जिनकी क्षमता 200 मी० टन प्रतिदिन (66000 मी० टन वार्षिक) से अधिक नहीं है:—

(2) मिनी सीमेंट संयंत्रों द्वारा उत्पादित सीमेंट के कारखाने से निकलते समय के मूल्य बड़े आकार के नए संयंत्रों के बराबर अर्थात 296/रू० प्रति मी० टन होंगे । यह मूल्य वाणिज्यक उत्पादन शुरू करने की तिथि से पाँच वर्षो की अवधि के लिए निश्चित करेगा,

(2) मिनी सीमेंट संयंत्रों की पांच वर्षो की अवधि के लिए उत्पादन शुल्क का भुक्तान करने पर 50 प्रतिशत तक कटौती की जायेगी,

(3) यद्यपि मिनी सीमेंट संयंत्रों पर सीमेंट नियंत्रण आदेश के आधीन मूल्य नियंत्रण की शर्त लागू होगी और वे नियंत्रित मूल्य से अधिक मूल्य पर सीमेंट नहीं बेचेंगे तो भी उन्हें सीमेंट नियंत्रण आदेश, 1967 के आधीन वितरण नियंत्रण से छूट दी जाएगी . मिनी सीमेंट संयंत्र अपनी वितरण लागत स्वयं वहन करेंगे और उन्हें भाड़ा व्यय को सीमेंट विनियमन खाते में इसका समायोजन करने की आवश्यकता नहीं होगी । सीमेंट के गन्तव्य स्थान तक के रेलभाड़ा मुक्त मूल्य में अन्य खर्चो को विद्यमान उपबन्धों के अनुसार सीमेंट विनियमन स्रोत में समायोजित कर लिया जायेगा ।

(4) पर्वतीय व दूरवर्ती क्षेत्रों में स्थित मिनी सीमेंट संयंत्र गुणावगुणों के आधार पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क में छूट और नकद राजसहायता प्राप्त करने के अर्ह होंगे,

(5) मिनी सीमेट संयंत्र आयकर अधिनियम और/या राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही अन्य योजनाओं के अधीन मिलने वाले अन्य सभी प्रकार के विद्यमान प्रोत्साहन व सुविधाये प्राप्त करने के भी अर्ह होगें ।

केन्द्रीय व्यवहार आयुर्विज्ञान प्रयोगशाला, हैदराबाद के कर्मचारी

8578. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय व्यवहार आयुर्विज्ञान प्रयोगशाला, (फौरनसिक लेबोरेटरी), हैदराबाद के कर्मचारी दिल्ली स्थित व्यवहार आयुर्विज्ञान प्रयोगशाला के समकक्ष है; और

(ख) यदि नहीं, तो अन्तर के क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्री में राज्य मन्त्री श्री धनिक लाल मण्डल : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) केन्द्रीय व्यवहार आयुर्विज्ञान प्रयोगशाला (फौरनसिक लेबोरेटरी) नई दिल्ली आयुविज्ञान क्षेत्र में केन्द्रीय व्यवहार आयुर्विज्ञान प्रयोगशाला (फौरेनसिक लेबोरेटरी) हैदराबाद से ज्यादा और महत्वपूर्ण आवश्यकताओ को पूरा करती है। केन्द्रीय व्यवहार आयुर्विज्ञान प्रयोगशाला नई दिल्ली में प्रलेख, प्राक्षविकी, सीरम विज्ञान विष-विज्ञान, झूठ का पता लगाने वाले यन्त्र जैसी अधिक विशेष विद्याएं हैं जो केन्द्रीय व्यवहार आयुर्विज्ञान प्रयोगशाला में नहीं है। दो प्रयोगशालाओं के कर्मचारी ढांचे में भिन्नता मुख्य रूप से उनके द्वारा आयुर्विज्ञान क्षेत्र में अदा की जा रही असमान भूमिका के कारण है।

आन्ध्र प्रदेश में लघु सीमेंट संयंत्र की स्थापना

8579. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सीमेंट निगम ने आन्ध्र प्रदेश में लघु सीमेंट संयंत्रों की स्थापना के लिए स्थानों का चुनाव किया था ; और

(ख) यदि हां, तो कितने स्थानों का चुनाव किया था ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) तथा (ख) विशेष रूप से दूरवर्ती क्षेत्रों में चूने के पत्थर के अपेक्षाकृत कई छोटे निक्षेपों का इस्तेमाल करने के लिए मिनी सीमेंन्ट संयंत्र स्थापित किए जाते है। भारतीय सीमेंट निगम द्वारा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी भी स्थापना स्थल का पता नहीं लगाया गया है।

आन्ध्रप्रदेश लघु उद्योग विकास निगम की वित्तीय सहायना

8580. **श्री पी० राजगोपालन नायडू :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आन्ध्र प्रदेश लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड को **वर्ष** 1978-79 के दौरान कोई वित्तीय सहायता दी थी ; **और**

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी हां।

(ख) आन्ध्र प्रदेश लघु उद्योग विकास निगम लि० को इंजीनियर उद्यमियों के प्रशिक्षण की केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत इंजीनियर उद्यमियों के लिए एक प्रशिक्षण पाठ्य-क्रम आयोजित करने हेतु वर्ष 1978-79 में 45,000/- रु० की धनराशि की स्वीकृत की गई थी।

भारतीय वाणिज्य उद्योग मण्डल संघ के वार्षिक अधिवेशन में राष्ट्रीयकरण के बारे में की गई आलोचना

8581. श्रीमती मोहसिना किदवई :
श्री माधव राव सिंधिया :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय वाणिज्य उद्योग मंडल संघ के वार्षिक आधिवेशन में हाल ही में अन्य बातों के साथ-साथ कुछ उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की आलोचना किये जाने और देश क्षमताओं की लागत पर किये जा रहे आयात के बारे में नोट किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ के अध्यक्ष द्वारा 52 वें अधिवेशन में दिए गए भाषण तथा अधिवेशन में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ द्वारा पारित संकल्पों की सरकार ने देख लिया है जिनमें उद्योगों के राष्ट्रीयकरण तथा आयात नीति के बारे में उल्लेख किया गया है ।

(ख) 23 दिसम्बर, 1977 को संसद के समक्ष रखी गई सरकार की नई औद्योगिक नीति में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी स्पष्ट किया गया है कि विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र द्वारा एक व्यापक भूमिका निभाई जाएगी तथा विर्णायिका क्षेत्रों में उत्पादन के साधनों का समाजीकरण करने के अलावा सरकारी क्षेत्र बड़े गृहों के विकास के लिए प्रतिगामी शक्ति प्रदान करेगा । नीति के पैराग्राफ 28 में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि परिमाणात्मक आयात नियंत्रणों में दी जाने वाली ढील योजना का समग्र प्राथमिकताओं के अनुरूप होनी चाहिए । इस प्रकार की ढील ऐसे क्षेत्रों में दी जाएगी जिन में विद्यमान परिमाणात्मक प्रतिबन्धों के उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों के भावी विकास में सहायता की बजाए हानि हो रही है ।

भारतीय इलेक्ट्रानिकी निगम द्वारा बनाये गये टेलीविजन सेट

8582. श्रीमती मोहसिना किदवई : क्या **इलैक्ट्रानिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय इलेक्ट्रानिकी निगम लिमिटेड, हैदराबाद ने वर्ष 1978-79 के दौरान, उक्त अवधि की आवश्यकता की तुलना में, जनता मॉडल के कुल कितने टेलीविजन सेट बनाये ; और

(ख) इन सेटों का कम उत्पादन होने के क्या कारण है और इसमें वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्रालय में और परमाणु ऊर्जा इलैक्ट्रानिक्स विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (प्रोफेसर शेर सिंह) : (क) : भारतीय इलेक्ट्रानिकी निगम लिमिटेड ने वर्ष 1978-79 के दौरान कम कीमत वाले एनकोर मॉडल के 11, 160 टेलीविजन सेटों का उत्पादन किया । इस अवधि के दौरान इसकी कितनी आवश्यकता थी, इसके सबंध में कोई सही अनुमान उपलब्ध नहीं है ।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ के वार्षिक अधिवेशन में सरकारी नीतियों में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में दिया गया सुझाव

8583. **श्री के० मालन्ना : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल द्वारा लाइसेंसिंग, पूंजीनिवेश, वित्त, कराधान सम्बन्धी सरकारी नीतियों में परिवर्तन करने के बारे में सुझाव दिया गया था ;

(ख) क्या सरकार को कोई चेतावनी दी गई है इसकी लापरवाही से आगामी वर्षों में अनेक वस्तुओं की कमी हो सकती है ;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार ने औद्योगिक प्रगति तेज करने के बारे में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ के सुझाव स्वीकार नहीं किये थे ; और

(घ) क्या 1 अप्रैल, 1979 को भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ के वार्षिक अधिवेशन में भी सरकार को कोई सुझाव दिये गये थे और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (घ) भारतीय वाणिज्य उद्योग मंडल संघ के द्वारा अपने 52 वें वार्षिक अधिवेशन, 1979 में पारित संकल्पों को सरकार ने देख लिया है । ये संकल्प कुशल वितरण तथा व्यापार की भूमिका, विदेशी व्यापार में गतिशील कार्यक्रम की आवश्यकता, आथिक विकास की कठिनाइयों अधिकतम रोजगार तथा उपभोक्ता सेवा और बृद्धि के लिए वित्तीय संसाधनों के हित में एक समन्वित साधन के रूप में औद्योगिक विकास आदि से संबंधित थे । 23 दिसम्बर, 1977 को संसद के समक्ष रखे गये औद्योगिक नीति संबंधी विवरण में सरकार ने पहले ही अपनी औद्योगिक नीति स्पष्ट कर दी है । नई उद्योग नीति का उद्देश्य योजना की विश्रृंखलताओं को दूर करना तथा आर्थिक विकास के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाना है ।

औद्योगिकीकरण के लिए छोड़े गये नगर

8584. **श्री सी० के० जाफर शरीफ : (क) पांच लाख अथवा अधिक जनसंख्या** वाले कौन-कौन से नगर, राज्यवार, औद्योगिकीकरण के लिए छोड़े गये हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार कम जनसंख्या वाले नगरों में उद्योगों की स्थापना हेतु और प्रोत्साहन देने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) महा पंजीयक के कार्यालय, गृह मंत्रालय, में वर्ष 1971 की जन गणना के अनुसार 15 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले नगरों (राज्य वार) सूची संलग्न है ।

(ख) तथा (ग) दिसम्बर, 1977 में संसद में रखी गई औद्योगिक नोति का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों तथा छोटे कस्बों में विस्तृत रूप से फैले हुए कुटीर तथा लघु उद्योगों को बढ़ावा देना है। सरकार द्वारा स्थापित किये गये जिला उद्योग केन्द्र लघु एवं ग्रामीण उद्यमियों द्वारा अपेक्षित सभी सेवाए तथा समर्थन एक ही स्थान पर देते हैं।

वर्ष 1971 की जन गणना के अनुसार 5 लाख तथा उससे अधिक की आबादी वाले नगरपालिका क्षेत्र की सीमा में आने वाले नगर और 10 लाख की आवादी वाले शहरों की मानक शहरी क्षेत्रीय सीमा के बाहर स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित औद्योगिक उपक्रमों को कुछ शर्तो पर औद्योगिक लाइसेंसीकरण से छूट दी गई है। यदि प्रस्तावित उपक्रम उपर्युक्त क्षेत्रों में स्थापित किये जाते हैं तब उन्हें यह छूट नहीं मिलेगी।

लाइसेंस प्राप्त औद्यौगिक उपक्रम यदि अपने कार्यों को अधिसूचित पिछड़े हुए क्षेत्रों में ले जाना चाहते हैं तब उन्हें केन्द्रीय सरकार से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है बशतें ऐसे उपक्रमों द्वारा राज्य सरकार से पूर्व अनुमति ले ली गई हो।

विवरण

वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की सूची

	शहर का नाम	राज्य का नाम
1.	हैदराबाद	आन्धरा प्रदेश
2.	अहमदा बाद	गुजरात
3.	बेनग भोर	कर्नाटिक
4.	इनदौर	मध्य प्रदेश
5.	ग्रेटर बाम्बे	महाराष्ट्र
6.	पूना	महाराष्ट्र
7.	नागपुर	महाराष्ट्र
8.	मद्रास	टामिल नाड
9.	मदराइ	टामिल नाड
10.	कानपुर	उत्तर प्रदेश
11.	आगरा	उत्तर प्रदेश
12.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश
13.	वारानसी	उत्तर प्रदेश
14.	जैपुर	राजस्थान
15.	कलकत्ता	वेस्ट वेनगाल
16.	हावड़ा	वेस्ट वेनगाल
17.	दिल्ली	दिल्ली

शृंगार प्रसाधनों का हाथ द्वारा उत्पादन

8585. **श्री कंवरलाल गुप्त** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिजली की सहायता बिना, हाथ से ही नहाने के साबुन, कपड़े धोने के साबुन, दांत साफ करने के ब्रुश, टूथपेस्ट, डेटरजेंट पाउडर तथा अन्य शृंगार प्रसाधनों का कुल कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) इन वस्तुओं का लघु क्षेत्र में कितना उत्पादन होता है तथा मध्यम और बड़ें ऊद्योग कितना उत्पादन करते हैं ;

(ग) देश में ऐसी वस्तुओं की मांग कुल कितनी है ;

(घ) क्या सरकार का विचार इन वस्तुओं का निर्माण सरकारी क्षेत्र में करने का हैं ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) बिजली की सहायता के बिना वर्ष 1976-77 में कपड़े धोने के साबुन व डिटरजेंटों का अनुमानित उत्पादन कमशः 3.62 लाख मी० टन एवम् 1.2 लाख मी० टन हुआ था । प्रसाधन सामग्री में केश तेल का उत्पादन आमतौर से बिजली की सहायता के बिना किया जाता है तथा वर्ष 1972 में 289,21 लाख रुपए के मूल्य का केश तेल का उत्पादन हुआ था । बिजली की सहायता के बिना अन्य किस्मों के साबुन, टूथपेस्ट एवं टूथ ब्रुशों के उत्पादन के बारे में सरकार के पास कोई विशेष जानकारी नहीं है ।

(ख) संगठित क्षेत्र व लघु क्षेत्र में कपड़े धोने के साबुन, नहाने के साबुन, टूथ ब्रुश, टूथ-पेस्ट, डिटरजेंटों एवं केश तथा टैलकम पाउडर का अनुमानित उत्पादन निम्न प्रकार हुआ था :—

वस्तु	लघु क्षेत्र		संगठित क्षेत्र	
	वर्ष	उत्पादन	वर्ष	उत्पादन
कपड़ें धोने का साबुन	1977	3.62 लाख मी० टन	1978	1,97,000 मी० टन
नहाने का सांबुन		उपलब्ध नही	1978	1,43,000 मी० टन
टूथ ब्रुश	1972	5 413 लाख रु०	1978	21,000 ग्रोस
टूथ पेस्ट	1978-79	687 मी० टन	1978	10,932 मी० टन
डिटरजेंट	1972	1.2 लाख मी० ठन	1970	1,22,988 मी० टन
केस तथा टेलकम पाउडर	1972	78.68 लाख रु०	1978	2,637 मी० टन

(ग) वर्ष 1982-83 तक साबुन व डिटरजेंटों की मांग कमशः लगसग 8,43,000 मी० टन व 4,24,000 सी० टन तक पहुंच जाते का अनुमान है। अन्य वस्तुओं के बारे है मांग का कोई विशेष नहीं लगाया गया है ।

(घ) और (ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

महाराष्ट्र में आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए यौजनये

8586. **श्री लहान शिडवा कोम** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में थामा, नास्कि तथा धूलिया जिलों के आदिवासी क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए कौन कौन सी केन्द्रीय योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है; और

(ख) उनसे अनुमानतया कितने आदिवासी परिवारों को काम पहुंगा ;

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मडल) : (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार से अपेक्षित सूचना मांगी जा रही है और जब प्राप्त होगी लोकसभा पटल पर रख दी जाएयी ।

सरकारीकरण किये जाने वाले उद्योगों का नाम

8587. **श्री सुरेन्द्र विक्रम** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) 28 मार्च. 1979 के उनके वक्तव्य के आधार पर गैर-सरकारी क्षेत्र के किसी उद्योग को हाथ में लेने के लिए वह किन बातों का होना अनिवार्य समझेंगे;

(ख) क्या कुछ उद्योगों के सरकारीकरण का कोई प्रस्ताव सक्रिय रूप से उनके विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो किन उद्योगों के सरकारी करण किए जाने की सम्भावना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (ग) : उद्योग विकास तथा बिनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबन्धों के सन्दर्भ में केन्द्रीय सरकार अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत जांच कराने के बाद अथवा कुछ परिस्थितियों में बिना जांच करवाये किसी भी औद्योगिक उपक्रम (जो उद्योग न हो) का प्रबन्ध अपने हाथ में ले सकती है। जिन मामलों में जांच के आदेश दिये जाते हैं उन मामलों में उपक्रम का प्रबन्ध हाथ में लिया जा सकता है यदि जांच निष्कर्षो से यह पता लगे कि उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध इस प्रकार किया जा रहा है कि वह उद्योग के लिए हानिकर है बिना जांच किये भी प्रबन्ध हाथ में लिया जा सकता है यदि औद्योगिकी उपक्रम कम से कम 3 महीने की अवधि के लिए बन्द पड़ा हो और सरकार की यह राय हो कि इस औद्योगिक उपक्रम का पुनः चलाया जाना लोक हित में होगा। औद्योगिक उपक्रम का अधिग्रहण बिना जांच के भी किया जा सकता है। यदि वास्तविक अथवा

अन्य प्रमाण के आधार पर सरकार को यह यकीन हो जाये कि औद्योगिक उपक्रम के प्रभारी व्यक्तियों ने या तो अविवेकपूर्ण ढंग से निवेश कर रखा है अथवा ऋण भार उत्पादन करके ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी हों जिससे औद्योगिक उपक्रम में तैयार की जाने वाली वस्तुओं के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो और ऐसी स्थिति को बचाने हेतु तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक हो। औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध अधिग्रहण करने संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्त 15 मई, 1978 को घोषित किए गये रुग्ण उद्योगों संबंधी नीति विवरण में दिए गये हैं। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार प्रत्येक मामले के गुणावगुणों तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक उपक्रमों का प्रबंध चयनात्मक आधार पर हाथ में लिया जाता है।

मेघालय में सीमेंट कारखाना स्थापित किये जाने के लिए बंगलादेश का सहयोग

8588. श्री पी० ए० संगमा : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश को सीमेंट का निर्यात करने के उद्देश्य से मेघालय में सीमेंट कारखाना स्थापित करने के लिए बंगला देश से विचार विमर्श किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो दोनों देशों के बीच सहयोग का स्वरूप और अन्य ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या प्रधान मन्त्री ने बंगला देश के अपने दौरे के दौरान इस विषय पर चर्चा की थी और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (ग) 16 से 18 अप्रैल, 1979 तक भारत के प्रधान मन्त्री की बंगला देश यात्रा के दौरान तथा भारत के प्रधान मन्त्री और बंगला देश के राष्ट्रपति के बीच हुए विचार विमर्श में जिन संयुक्त उद्यम परियोजनाओं का पता लगाया गया उनमें से एक भारत का निर्यात करने के साथ सीमेंट का निर्माण करने से संबंधित है। इस परियोजना का जिक्र प्रधान मंत्री ने लोक सभा में 19 अप्रैल, 1979 को दिये गये अपने वक्तव्य में किया है। इस परियोजना पर आगे विचार-विमर्श केन्द्रीय उद्योग मंत्री तथा बंगलादेश के अधिकारियों के बीच किया जाना है। परियोजना का ब्यौरा तथा इसे मेघालय के साथ जोड़ने का प्रश्न विचार विमर्श के बाद ही उठेगा।

मेघालय में जिला उद्योग केन्द्र स्थापित किया जाना

8589. श्री पी० ए० संगमा : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेघालय में जिला उद्योग केन्द्र स्थापित करने का कोई नया प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी नहीं, मेघालय के सभी 5 जिलों में जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना करने के लिए केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति पहले ही दे दी गयी है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में घुसपेठ पर निगाह रखने वाले प्राधिकारी

8590. श्री अहमद हुसैन : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य भागों के सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठियों को पकड़ने संबंधी कार्य की देखभाल कौन से राज्य/केन्द्रीय प्राधिकारी करते हैं ;

(ख) तत्संबंधी नियम क्या हैं और घुसपैठियों की पहचान करते समय उक्त प्राधिकारी किस प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं ; और

(ग) वर्ष 1978 तथा 1979 के दौरान ऐसे कितने व्यक्ति जिनके आचरण पर सन्देह था अस्थायी तौर पर पूछताछ के लिये, सन्देह के आधार पर अथवा ऐसे ही अन्य किसी आधार पर पकड़े गये तथा उनमें से कितने व्यक्तियों की घुसपैठिये सिद्ध नहीं किया जा सका और पकड़े गये तथा रिहा कर दिये गये ऐसे व्यक्तियों की समुदाय-वार संख्या कितनी हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) तथा (ख) सीमा सुरक्षा बल को किसी व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से सीमा पार करने के किसी भी प्रयत्न को रोकने के लिए सीमा पर तैनात किया जाता है। किन्तु लम्बी सीमा और कठिन क्षेत्रों में सीमा होने के कारण कुछ घुसपैठी सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षावरण से छिपे छिपे आने में सफल हो जाते हैं तथा सीमावर्ती राज्यों में घुस जाते हैं। राज्यों के अन्दर ऐसे घुसपैठियों का संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पता लगाया जाता है। केन्द्रीय सरकार ने भी संबंधित राज्य सरकारों को इस प्रयोजन के लिए अस्थाई रूप से कुछ स्टाफ स्वीकृत किया हुआ है। विदेशी जो वैद्य यात्रा प्रलेखों के बिना पाये जाते हैं के खिलाफ संगत कानूनों के उपबंधों के अधीन कार्यवाही की जाती है।

(ग) राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही हैं और प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

मोरों की संख्या के बारे में सर्वेक्षण

8591. श्री सरत कार :

श्री ईश्वर चौधरी :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने मोरों की संख्या विशेष कर गुजरात और राजस्थान में, के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया है,

(ख) यदि हां, तो मोर-पंखों की उपलब्ध अनुमानित संख्या का ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस बेकार वन-उत्पाद के निर्यात के लिए, जिसका कोई आन्तरिक उपयोग नहीं है, सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० शेरसिंह) : (क) जी हां।

(ख) मोर की पूंछ के पंखों की वार्षिक उपलब्धि का अनुमान गुजरात में 22 क्विंटल और राजस्थान में 39 क्विंटल लगाया गया।

(ग) इस सर्वेक्षण में इस वन-उत्पाद का निर्यात करने के बारे में कोई सिफारिश नहीं की गई थी। जहां तक इसका देश के भीतर उपयोग किए जाने का सवाल है, इस वन उत्पाद का हाथ के पंखों जैसी दस्तकारी की वस्तुओं के लिए पर्याप्त उपयोग किया जा सकता है।

केरल स्थित जनगणना निदेशालय के अधिकारियों को प्रशिक्षण

8592. श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री सुरेन्द्र विक्रम :
क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या केरल स्थित जनगणना निदेशालय के कुछ अधिकारियों को विशेष रूप से संगणक (कम्पयूटर) के प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा गया था;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस कार्य पर कुल कितनी धनराशि और विदेशी मुद्रा खर्च की;

(ग) क्या प्रशिक्षित अधिकारियों की सेवाएं भारत के महा-पंजीयक कार्यालय में स्थापित किए गए संगणकों के लिए उपयोग की गई थी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी हां, श्रीमान। जनगणना निदेशालय से एक अधिकारी को संगणक प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा गया था।

(ख) सारा खर्च फॉर्ड फांउडेशन के अनुदान द्वारा वहन किया गया था और कोई खर्च न तो भारतीय रुपये में और न ही विदेशी मुद्रा में भारत सरकार द्वारा वहन किया गया था।

(ग) और (घ) : जी नहीं, श्रीमान। किन्तु अधिकारी की सेवाएं दक्षिणी क्षेत्र में संगणक प्रक्रिया के लिए उपयोग की गई थी।

केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के नियमों का प्रारूप

8593 श्री मोहन लाल : पिपिल क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (ग्रुप ए और बी के पद) के नियमों के प्रारूप को भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों में उनकी राय जानने के लिए हाल में परिचालित किया गया था, यदि हां, तो प्रस्तावित सेवा की मुख्य बात क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि प्रस्तावित सेवा में सम्मिलित किए जाने वाले कर्मचारियों को भी नियमों के प्रारूप पर अपनी टिप्पणियां देनी थीं;

(ग) क्या भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों ने नियमों के प्रारूप पर अपनी सहमति दे दी है, यदि नहीं तो उन मंत्रालयों और विभागों का नाम क्या हैं जिन्होंने नियमों के प्रारूप में संशोधन करने का सुझाव दिया है तथा उन्होंने क्या संशोधन सुझाये हैं; और

(घ) क्या नियमों के प्रारूप को अन्तिम रूप दिए जाने से पूर्व सम्बद्ध मंत्रालयों से विचार विमर्श करने का विचार है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) : (क) जी हां, श्रीमान। प्रस्तावित सेवा नियमों की प्रति सलग्न है।

(ख), (ग) और (घ) : जी हां, श्रीमान। उक्त सेवा नियमों का प्रारूप विभिन्न मंत्रालयों विभागों को परिचालित करते समय उनसे अनुरोध किया गया था कि वे इन नियमों को प्रस्तावित सेवा में शामिल किए जाने वाले पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों में परिचालित करके इन नियमों के संबंध में उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त कर लें व उसके आधार पर अपनी टिप्पणी इस विभाग को भेजें। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से इस विषय में जो सुझाव/टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं उन पर विचार किया जा रहा है।

मंत्रालयों में हिन्दी कार्य के लिए पदों का बनाया जाना

8594. **श्री मोहन लाल पिपिल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न मंत्रालयों तथा संबद्ध कार्यालयों में हिन्दी का कार्य करने के लिए 'क', 'ख' तथा 'ग' ग्रुपों में बहुत सारे पद बनाये गये हैं ; यदि हाँ, तो प्रत्येक ग्रुप, उनकी अनुमानित संख्या कितनी है ;

(ख) क्या यह सच है कि ग्रुप 'क' तथा 'ख' के पदों के लिए तो भर्ती संबंधी नियमों का मसौदा तैयार कर लिया गया है तथा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को परिचालित कर दिया गया हैं परन्तु ग्रुप 'ग' के पदों के लिये कोई भर्ती नियम नहीं बनाये गये हैं ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि ग्रुप 'क', 'ख' तथा 'ग' के पदों से ग्रुप 'ख' के पदों पर पदोन्नति का प्रावधान तक है, यदि हां, तो ग्रुप 'ग' के पदों से लिए सेवा संबंधी नियमों का मसौदा तैयार किये बिना ग्रुप 'क' तथा 'ख' के लिए नियमों का मसौदा तैयार करने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी हां, श्रीमान्। प्रस्तावित केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा में सम्मिलित होने वाले विभिन्न मंत्रालयों विभागों से अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रस्तावित केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा में शामिल होने वाले पदों की अनुमानित संख्या नीचे लिखे अनुसार है :—

1.	ग्रुप 'क'	—	24
2.	ग्रुप 'ख'	—	81
3.	ग्रुप 'ग'	—	339

(ख) तथा (ग) ग्रुप 'क' तथा 'ख' के भर्ती नियमों का मसौदा तैयार करके विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को परिचालित किया जा चुका है। प्रस्तावित नियमों में ग्रुप से ग्रुप 'ख' के पदों पर नियमानुसार पदोन्नति का प्रावधान है। जहां तक ग्रुप 'ग' के पदों का सवाल है इनके भर्ती नियमों का मसौदा भी तैयार किया जा रहा है।

कागजों के मूल्य बढ़ाना

8596. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से 31 मार्च, 1979 तक, कागजों का कुल उत्पादन कितना हुआ और उनकी कितनी सप्लाई की गई।

(ख) क्या यह सच है कि कागजों के मूल्य बढ़ रहे हैं यद्यपि उत्पादन कम नहीं हुआ है बल्कि पिछले महीनों में बढ़ा है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जनवरी से मार्च 31, 1979 तक की अवधि में कागज तथा कागज के गत्ते का कुल उत्पादन तथा पूर्ति लगभग 2,51,474 मी० टन थी।

(ख) तथा (ग) कागज के मूल्यों पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है। फिर भी, यह सच हैं कि कागज निर्माता तथा व्यापारी कागज की मांग में तेजी से वृद्धि कर लाभ उठाकर कागज के मूल्यों में अनुचित वृद्धि कर रहे हैं। कागज उद्योग के साथ एक बैठक हुई थी जिसमें उनसे कहा गया था कि वे मूल्यों को कम करें। कागज उद्योग की ओर से अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला है। सरकार कागज उद्योग द्वारा मुनाफाखोरी को समाप्त करने एवं कागज का अधिक समान वितरण करने के लिये अनेक उपायों पर विचार कर रही है।

कम लागत वाली अर्थ व्यवस्था का अपनाया जाना

8597. **श्री एडुआर्डो फैलोरो** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांधी जी की ट्रस्टीशिप विचारधारा की कम खर्चीली अर्थ व्यवस्था को अपनाने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फजलुर्रहमान) : (क) और (ख) : सरकार का यह विचार है कि अधिक दक्षता के जरिये यदि संभव हो तो अर्थ-व्यवस्था के सभी क्षेत्रों में लागतों को कम करना आवश्यक है। यह ट्रस्टीशिप की गांधीवादी संकल्पना से किसी भी प्रकार से संबंधित प्रतीत नहीं होता।

अतारांकित प्रश्न संख्या 326 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसका उत्तर 21 फरवरी 1979 को दिया गया था।

टायरों तथा ट्यूब के मूल्यों में वृद्धि

8598. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस तथ्य की ओर सरकार का ध्यान गया है कि डनलप ने अपने टायरों और ट्यूबों के मूल्यों में और वृद्धि करने का निर्णय किया है।

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) टायरों और ट्यूबों के मूल्य कम करने के लिए तथा सदन में मंत्री महोदय द्वारा दिए गए आश्वासन को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी नहीं।

प्रश्न ही यहीं उठता।

(ग) इस समय टायरों तथा ट्यूबों की कीमतों पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है। किन्तु सरकार स्थिति पर निगरानी रखे हुए हैं। एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार आयोग को यह सुनिश्चत करने के लिए कहा गया है कि क्या मार्च, 1978 में विभिन्न टायर कम्पनियों द्वारा कीमतों में की गई वृद्धि एम आर टी पी अधिनियम की धारा 37 के अन्तर्गत प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार के अन्तर्गत आती है और क्या लागू की गई मूल्य वृद्धि से एक आर टी पी आयोग के दिनांक 19 अप्रैल, 1976 के आदेश के उपबन्धों का उल्लंघन हुआ है। आयोग के निष्कर्ष प्रतिक्षित है।

फिलिप्स कम्पनी का विस्तार

8599. श्री सी० के० चन्द्प्पन : क्या इलेक्ट्रानिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस आशय की रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है कि फिलिप्स कम्पनी अपने उत्पादन ढांचे में कुछ लघु उद्योग एकक सम्मिलित करके सरकारी विनियमों व धोखा देकर अपने उत्पादन का विस्तार करने का प्रयत्न कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधीं ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) कम्पनी को इस अवैध विस्तार से रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में और परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिक्स विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री० शेर सिंह) : (क) तथा (ख) सरकार समाचार-पत्र में प्रकाशित इस आशय की रिपोर्ट से अवगत है। किन्तु मैसर्स फिलिप्स (इण्डिया) लिमिटेड ने इलेक्ट्रानिकी विभाग के समक्ष कोई विशिष्ट प्रस्ताव पेश नहीं किया है। इस विषय में इस विभाग के लघु उद्योग एककों की भी ओर से कोई अभ्यावेदन नहीं प्राप्त हुआ है।

(ग) तथा (घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

कालका जी एक्सटेंशन, दक्षिण दिल्ली में डाकघर में डकैती

8600. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या 7 मार्च, 1979 की रात्रि को सशस्त्र डाकुओं का एक गिरोह कालका जी एक्सटेंशन, दक्षिण दिल्ली में एक डाकघर में घुस गया तथा 2400 रुपये नकद और कुछ बीमा किये हुए पार्सल लूट कर भाग गया ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में तथा विधि न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) और (ख) 7-3-1979 को प्रात: 5-30 बजे कालकाजी पोस्ट मास्टर ने कालका जी के थाने को टेलीफोन पर सूचित किया कि पोस्ट आफिस में एक वारदात हो गई है। स्थानीय पुलिस तुरन्त घटनास्थल पर गई। तब पोस्ट आफिस के चौकीदार ने उन्हें सूचित किया कि जब वह और पोस्टमैन पोस्ट आफिस के अन्दर सो रहे थे तब रात के लगभग ढ़ाई बजे 10/12 व्यक्ति पोस्ट आफिस के हाल में खिड़की के लोहे के सरिये काट कर अन्दर घुसे। चौकीदार ने उठने की कोशिश की किन्तु घुसपैठियों ने उसको तथा पोस्टमैन को पिस्टल दिखा कर धमकी दी और उठने नहीं दिया। उसके बाद घुसपैठियों ने चौकीदार से कोष कुंजियां मांगी किन्तु यह बताये जाने पर कि वह उसके पास नहीं हैं कोष के ताले को काट दिया और वहां से 2438 73 रु० की नकद राशि और एक बीमा हुआ पार्सल जिनमें 20 एच० एम० टी० की घड़ियां थीं, निकाल लिया। फिर वे चौकीदार और पोस्टमैन को उनकी चारपाईओं पर टेलीफोन के तार से बांधकर बचकर भाग गये। घटनास्थल का मुआयना वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ अपराध दल और एक कुत्तों के दस्ते ने किया। कालकाजी थाने में भा० द० सं० की धारा 395/397 के अधीन एक मामला प्रथम सू० रि० संख्या 308 तारीख 7-3-79 दर्ज किया गया है और इसकी जांच पड़ताल की जा रही है।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में (प्रश्न)

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : गोआ की गंभीर स्थिति के बारे में मैंने स्थगन प्रस्ताव की पूर्व सूचना दी है।

दो दिन पहले श्रीमती शशिकला काकोदकर की एम० जी० पी० सरकार की विधान सभा में पराजय हुई थी और इसके बाद विधान सभा के भीतर अभूतपूर्व दृश्य उपस्थित हो गया। एम० जी० पी० के सदस्यों ने अध्यक्ष पर कुर्सी फेंकी और भारत का संविधान जलाया। उप-राज्यपाल ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें इस बात का अल्लेख था कि सरकार पहले ही अल्पमत में है और वहां श्री एस० लाड के नेतृत्व में एक नयी सरकार को शपथ दिलायी जाये परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि इसमें विलम्ब हो रहा है और इस बीच शशिकला सदस्यों को अपनी ओर मिलाने दल बदल कराने में अपनी कला का प्रयोग कर रही हैं। इस सभा के एक माननीय सदस्य श्री फैलीरो ने पणजी से मुझे टेलीफोन किया जिसमें उन्होंने यह बताया कि स्थिति बड़ी गंभीर है। एम० जी० पी० के सदस्य धमकी दे रहे हैं। और विधायकों के होस्टल का घिराव कर रहे हैं। माननीय गृह मंत्री यहां हैं। उप-राज्यपाल ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। शशिकला दिल्ली आ रही हैं। मैं चाहता हूं कि वह एक छोटा वक्तव्य दें, क्योंकि स्थिति बड़ी गंभीर है।

श्री वयालार रवि (चिरयिंकील) : मैं भी बोल सकता हूं, क्योंकि मैंने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है—

अध्यक्ष महोदय : आपका स्थगन प्रस्ताव इस विषय पर नहीं है। यह भिन्न है।

श्री वयालार रवि : मैंने नियम 377 के अधीन पूर्व सूचना दी है। मैंने ध्यानाकर्षण की भी सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अधीन वक्तव्य केवल चुने हुए होते हैं।

श्री वयालार रवि : मैंने इसी विषय पर दो सूचनायें दी हैं। आप मुझे इस बात की ओर ध्यान दिलाने की अनुमति क्यों नहीं देते कि सौदेबाजी चल रही है गोआ पूरी तरह से गृह मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रण में है। वह कार्यवाही कर सकते हैं।

————

सभा पटल पर रखे गए पत्र

इलेक्ट्रानिक्स व्यापार तथा प्रौद्योगिकी विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1977-78 का वार्षिक प्रतिवेदन और उस पर समीक्षा सम्बन्धी विवरण

रक्षा मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं—

(एक) इलैक्ट्रानिक्स व्यापार तथा प्रौद्योगिकी विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1977-78 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) इलैक्ट्रानिक्स व्यापार तथा प्रौद्योगिकी विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1977-78 के कार्य करण की समीक्षा सम्बन्धी एक विववण

(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4357-79)

दिल्ली राज्य प्रौद्योगिक विकास निगम जिमिटेंड, नई दिल्ली के वर्ष 1676-77 की समीक्षा और वार्षिकप्रतिवेदन

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : मैं कम्पनी अधिनियम, *1956* की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तगत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) दिल्ली राज्य औद्योगिकी विकास निगम लिमिटेड, नई दिक्ली का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4358-79)

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति 32 वां प्रतिवेदन

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति का 32 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

लोक लेखा समित

132 वां 133 वां और 141 वां प्रतिवेदन

श्री अशोक कृष्ण दत्त (ददम) : मैं लोक लेखा समिति के निस्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं;

(1) भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के वर्ष 1976-77 के प्रतिवेदन संघ सरकार (सिविल), खण्ड 1, अप्रत्यक्ष करों के सीमा शुल्क प्राप्तियों से सम्बन्धित पैराग्राफ 8, 14 और 17 पर 132 वां प्रतिवेदन।

(2) प्रत्यक्ष करो पर 77वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिसों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 133 वां प्रतिवेदन।

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय से सम्बन्धित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हर 73 वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिसों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 141 वां प्रतिवेदन ।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

48 वां 49 वां, प्रतिवेदन और कार्यवाही वृत्तांत

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं :

(1) भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण-विमान पत्तनों के उपयोग तथा विदेशी विमान कम्पनियों के विमानों की तुलना में भारतीय विमानों के संचालन में असंतुलन-पर 48 वां प्रतिवेदन तथा उससे सम्बन्धित समिति की बैठकों के कार्यवाही-सारांश ।

(2) केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड-राजबागान डाकयार्ड की उपयोगिता तथा सम्बद्ध मामले-पर सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के 15वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 39वाँ प्रतिवेदन ।

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति 19 वां प्रतिवेदन

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का 19वां प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

अध्ययन दल 1 और 2 के अध्ययन दौरों के प्रतिवेदन

श्री सूरज भान (अम्बाला) : मैं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :—

(1) (सितम्बर, 1978 में समिति के अध्ययन दल I के कलकत्ता, टाटानगर, भुवनेश्वर, पारा-दीप, पूरी और विशाखापत्तनम के अध्ययन दौरे का प्रतिवेदन ।

(2) जनवरी, 1979 में समिति के अध्ययन दल I के कलकत्ता और अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अध्ययन दौरे का प्रतिवेदन ।

(3) जनवरी, 1979 में समिति के अध्ययन दत II, के गोहाटी, सिल्चर, एजवल, लुम्डिग, कोहिमा और तिनसुखिया के अध्ययन दौरे का प्रतिवेदन ।

(4) फरवरी, 1979 में समिति के अध्ययन दल I बस्तर, बैलाडीला, कोरापुट और भिलाई के अध्ययन दौरे का प्रतिवेदन ।

(5) फरवरी, 1979 में समिति के अध्ययन दल II के कोटा, रतलाम, धार (माण्डव), अलीराजपुर, दोहाद, और बड़ोदरा के अध्ययन दौरे का प्रतिवेदन ।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण सम्बन्धी सुविधाएं

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषय का उल्लेख करता हूं :

"अनुसूचित जातियों एवं जन जातियों के आरक्षण के पीछे यह मंशा थी कि चूंकि ये जातियां सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक सभी दृष्टिकोणों से पिछड़ी है अत : समाज के अन्य समूहों के बराबरी में लाने हेतु जब तक विशेष अवसर नहीं दिया जाएगा तब तक ये जातियां जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पिछड़ी रह जायेंगी।

आजादी के 31 वर्षों के बाद भी जीवन के अन्य क्षेत्रों की बात तो दूर रही सरकारी सेवाओं में भी इनका स्थान नगण्य है। अनुसूचित जाति एवं जन जाति की कुल संख्या मिला कर मूल आबादी का 25 प्रतिशत से भी ज्यादा है, लेकिन अनुसूचित जाति एवं जन जाति की संख्या प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के सेवाओं में तो नगण्य है ही, यहां तक कि चतुर्थ श्रेणी की सेवाओं में भी इनका आरक्षण का कोटा पूरा नहीं है। फलस्वरूप देश का एक चौथाई से ज्यादा आबादी वाला हरिजन आदिवासी राष्ट्रीय मुख्य धारा से कटा है। गरीब घर में भी यदि कोई बीमार सदस्य रहता है तो परिवार के दूसरे सदस्य भूखे रह कर भी बीमार सदस्य के लिए फल आदि की व्यवस्था करते हैं। देश का एक चौथाई हिस्सा सदियों से मरणासन्न अवस्था में है। आरक्षण के माध्यम से पिछले 31 वर्षों में जितनी जागृति आनी चाहिये थी अफ़सरशाही एवं उदार दृष्टिकोण के अभाव के कारण उतनी जागृति तो नहीं आ सकी। फिर भी सदियों से शोषित पीड़ित लोग जग रहे हैं। उनके मन में आशा की किरण फूट रही है तथा वे अपने को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी हालत में यदि उनका आरक्षण खत्म कर दिया गया और मिलने वाली सुविधा से उन्हें वंचित कर दिया गया तो उन शोषित पीड़ित समुदायों के प्रति अन्याय होगा ही, राष्ट्र भी कभी मजबूत नहीं होगा। ज्ञातव्य है कि 1980 में आरक्षण की अवधि समाप्त हो रही है।

अतः सरकार से आग्रह है कि अनुसूचित जाति तथा जन जाति के सदस्यों को मिल रही सुविधा को अगले 30 वर्षों तक जारी रखा जाए तथा इस सम्बन्ध में एक विधेयक उपस्थापित किया जाय।

(दो) उत्तर प्रदेश में नदियों में प्रदूषण के समाचार

श्री ओम प्रकाश त्यागी (बहराइच) : अध्यक्ष महोदय, में आपकी अनुमति से निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषय का उल्लेख करता हूं :

"उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियों का पानी केवल घाघरा नदी को छोड़ कर शहरों व कस्बों के गन्दे पानी के कारण दूषित होने का भयानक समाचार है। भारत में नदियों के किनारे

रहने वाली जनता ही नहीं अपितु समस्त धर्मावलम्बी हिन्दू जनता नदियों के पानी को पीना और उसमें स्नान करना अपना धर्म मानते हैं। भारत के लगभग दो लाख गांवों में पीन के पानी की व्यवस्था नहीं है। वह नदियों, तालाबों आदि के पानी पर ही निर्भर करते है। अतः सरकार ने नदियों के पानी को स्वच्छ रखने की तरफ तुरन्त ध्यान न दिया तो भारत की अधिकांश जनता रोगग्रस्त हो जायेगी।"

(तीन) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के कर्मचारियों में व्याप्त असंतोष

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : महोदय, समाचार पत्रों में यह बात छापी गई है कि अखिल भारतीय अयुर्विज्ञान संस्थान, जोकि एक प्रतिष्ठित संस्थान है, के कर्मचारियों के बीच सन्देह के कारण फूट का साम्राज्य बना हुआ है और इस समय इस संस्थान में राजनीतिक गतिविधियां अधिक और भैषज विज्ञान सम्बन्धी गतिविधियां कम हैं। डाक्टर प्रायः संस्थान की राजनीति के बारे में बहस करते अधिक देखे जाते हैं रोगियों के मामलों और संस्थान के विभिन्न विभागों में अनुसंधान परियोजनाओं पर बहस करते हुये कम देखे जाते हैं।

विभिन्न संथाओं के सदस्यों के बीच कर्मचारियों के चयन में अपनाई जा रही प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में बहुत असन्तोष व्याप्त है। वास्तव में अभी हाल में एक सर्जन ने दिल्ली न्यायालय में 'रिट' दायर की है जिसमें अभी हाल ही में स्थापित चयन समिति की वैद्यता को चुनौती दी गई है जिसके परिणामस्वरूप अन्य चयनों के सम्बन्ध में 'स्टे' आदेश जारी कर दिया गया है। रिट में अन्य बातों के साथ साथ चयन प्रक्रियाओं में की गई विभिन्न अनियमिनताओं का आरोप लगाया गया है।

संस्थान में सन्देह और अनिश्चय का वातावरण तो बना ही हुआ था जब एक कार्यवाह निदेशक ने इसका कार्यभार संभाला तो स्थिति और बिगड़ गई। उसकी निदेशक के रूप में नियुक्ति को अभी स्थायी नहीं बनाया गया है। यह बताया जाता है कि महत्वपूर्ण रोगियों की सहायता के साथ साथ राजनीतिक दवाब डाल कर वर्तमान निदेशक ने कार्यवाहक निदेशक का पद प्राप्त किया है। उनके कार्यवाहक निदेशक बनने के पश्चात कर्मचारियों में पल रहा सन्देह और कटुता उभर कर सामने आ गई और उसके बीच हानिकारक विलगाव आ गया है कुछ उसका साथ दे रहे हैं और कुछ विरोध कर रहे हैं। वास्तव में कार्यवाहक निदेशक ने संथान के कुछ सदस्यों की खुले रूप से अवमानना की और यह भी बताते हैं कि उन्होंने कहा है कि संस्थान में किया जा रहा अनुसन्धान "छद्मविज्ञान" है। उसके साथियों का कहना है कि कार्यभार के पश्चात उन्होंने अस्पताल प्रबन्धक मंडल से परामर्श लिये बिना ही स्वैच्छा से अस्पताल में व्यवस्था सम्बन्धी अनेक परिवर्तन किये और विभिन्न विभागों मे उनके हस्तक्षेप का विरोध किया जा रहा हैं। डाक्टरों में वहाँ की व्यवस्था के सम्बन्ध में फैली कटुता और असन्तोष के कारण अस्पताल का प्रशासन बिगड़ गया है और रोगियों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।

इन्टर्नीस और कनिष्ठ डाक्टरों मे भी विभिन्न कारणों से अशान्ति बनी हुई है और अभी हाल ही उन्होंने हड़ताल की थी।

अतः स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री से यह अनुरोध किया जाता है कि वह इस संस्थान के कार्यों की जांच करे और इसे ठीक ढंग से चलाने के लिये आवश्यक कदम उठाये। संथान के सदस्यों ने भैषज क्षेत्र के बहुमूल्य अनुसंधान किया है और इस संस्थान के अच्छे नाम परं जनता पार्टी के आन्तरिक कलह और राजनीति के कारण बता नहीं लगना चाहिये।

(चार) पंजाब में लघु औद्योगिक एककों को कच्चे माल की अप्रयाप्त सप्लाई का मामला

डा० बलदेव प्रकाश (अमृतसर) : महोदय मैं सदन का ध्यान एक अत्यन्त गम्भीर समस्या की ओर दिलाता हूं कि यदि 30 अप्रैल तक इस्पात, कोयला मट्टी तेल और अन्य कच्चा माल सप्लाई करने की व्यवस्था न की गई तो पंजाब में लघु क्षेत्र के कारखानों के बन्द हो जाने का खतरा है। 24-4-1979 के समाचार पत्र 'ट्रिब्यून' में प्रकाशित समाचार में यह कहा गया है कि इस्पात और अन्य कच्चे माल की कमी के कारण 50 प्रतिशत लघु उद्योग एकक बन्द होने को बाध्य हो गये हैं। इसके परिणाम स्वरूप 50,000 श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं। उद्योग श्रमिकों को मजूरी देने और सरकार को कर देने की स्थिति में नहीं है। यदि सरकार लघु उद्योगपतियों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करनी तो उन्होंने धमकी दी है कि वह पंजाब बंध करेंगे। हरयाना, दिल्ली और राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लघु उद्योगपति उनके साथ शामिल होने तथा भारत बन्द का आह्वान करने को तैयार है। यह बड़ी गम्भीर स्थिति है और यदि सरकार इसे गम्भीरता· पूर्वक सुलझाने का प्रयास नहीं करती तो सरकार को उसके भयंकर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं और शायद विधि और व्यवस्था की समस्या भी उत्पन्न हो जाये। अतः सरकार को उचित दामों पर कच्चे माल की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये बड़े पैमाने पर उपाय करने चाहिये।

(पांच) महाराष्ट्र में कल्याण और उसके आस-पास के क्षेत्रों में प्रस्तावित शिव जयन्ती जलूस से उत्पन्न स्थिति

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : मैं नियम उन्नयन के अन्तर्गत एक अविलम्बनीय महत्व के विषय को उठाना चाहता हुं :

महाराष्ट्र में कल्याण और उसके साथ के क्षेत्रों में मुस्लिम अल्प संख्यकों में तनाव और आतंक बना हुआ है। 28 अप्रैल, 1979 को कल्याण में बंदर रोड के नाजुक क्षेत्र से शिव जयंती यात्रा निकालने का प्रस्ताव है जिससे पीछे कुटिल उद्देश्य हैं। यह धमकियां आम हो गई हैं कि जमशेद की घटनाओं को यहां दोहराया जायेगा। कट्टर मुस्लिम विरोधी तत्व सक्रिय हो रहे हैं। आतंक के कारण कुछ मुस्लिम परिवार क्षेत्र छोड़ छोड़कर बाहर जा रहे हैं। अतः यह आवश्यक हो गया है कि समय पर उचित कदम उठाये जायें। समाज-विरोधी तत्वों को उनके कुटिल उद्देश्य को पूरा न करने देने के लिये यात्रा निकालने की बिल्कुल अनुमति न दी जाए और विशेषकर इसे बन्दर रोड क्षेत्र से गुजरने की अनुमति बिल्कुल न दी जाये। इसके अतिरिक्त, चूंकि एस० आर० पी० का रवैया पक्षपात पूर्ण होने का आरोप है और परिणामस्वरूप उसमें अल्पसंख्यकों का कोई विश्वास नहीं है, उसे तैनात न किया जाय और सी० आर० पी० और बी० एस० एफ० के लोग ही तैनात किए जायें। केन्द्र को इस मामले पर राज्य सरकार से शीघ्र ही बात करनी चाहिए।

(छः) चावल और धान के लाने ले जाने के लिए आंध्र प्रदेश में रेल बैगनों के उपलब्ध न होने का समाचार

श्री के० सूर्यनारायण (एलरु) : आंध्र प्रदेश कृषि-प्रधान प्रदेश है और उसे दक्षिण के अन्न भंडार के रूप में मान्यता मिली हुई है। इस राज्य ने अनाज की कमी के दिनों में कम अनाज उपजाने वाले राज्यों को चावल उपलब्ध और देश खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति की है।

अब भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों को अधिकतम चावल खरीद के लिए निर्देश जारी किये हैं और उसने 1978-79 की खरीफ फसल के लिए राज्यों के लिए निर्धारित लक्ष्यों को चावल के अतिरिक्त उत्पादन के कारण नजरंदाज कर दिया है। देश भर में चावल के लाने ले जाने पर प्रतिबंध पूर्णतयः हटा लिया गया है। सरकार ने कृषकों द्वारा उत्पादित धान के लिए बाजारों की व्यवस्था करने के उद्देश्य से सभी उपाय किये हैं।

आन्ध्र प्रदेश में मिल वालों ने बड़ी मात्रा में धान इस आशा पर खरीदा है कि वह उसका निर्यात अन्य राज्यों को करेंगे क्योंकि मुक्त व्यापार की प्रतिशता 20 से बढ़ाकर 80 कर दी गयी है। इतना आगे होने पर 30 प्रतिशत धान अभी कृषकों के पास पड़ा है जबकि रबी की फसल बाजार में धड़ाधड़ आ रही है। किन्तु दुर्भाग्य की बात यह है कि खाद्यान्न को ढोने के लिए रेल वैगन उपलब्ध न होने के कारण चावल मिल वालों को तथा भारतीय खाद्यय निगम को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

राज्य में चावल मिलों की स्थिति बड़ी दयनीय है और इस उद्योग के लुप्त होने का खतरा है, मैं रेल मंत्री का ध्यान इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि चावल ढोने के लिए वैगन बिल्कुल उपलब्ध नहीं किए जा रहे हैं। परिणामस्वरूप चावल और धान के लाखों टन मिलों में पड़े रहे। मिल मालिक उत्पादकों को नकद भुगतान करने में असमर्थ हैं। लगभग दो लाख कर्मचारी चावल मिल में विभिन्न श्रेणियों में काम करते है।

दक्षिणी मध्य रेलवे में बेगनों की सप्लाई हेतु लगभग 30,000 मांग पत्र विचाराधीन है और इनमें से लगभग 20,000 मांग पत्र 2 या 3 महीनों से विचाराधीन हैं ये मांग पत्र विजयवाड़ा प्रभाग में पड़े जिसमें कृष्णा और गोदावरी जिलों के डेल्टा क्षेत्र आते हैं, जो कि प्रमुख उत्पादक केन्द्र हैं, जो विचाराधीन हैं। अन्ध्र प्रदेश से मूक्त व्यापार केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल को किया जाता है।

मैं माननीय रेल मंत्री को स्थिति पर गम्भीरता से विचार करने और आन्ध्र प्रदेश में उद्योग और चावल उत्पादकों की सहायता करने का अनुरोध करता हूं। इस संबंध में निम्न-लिखित उपाय तत्काल किए जाने की आवश्यकता है।

(I) लेवी को 80% से 20% तक कम करने और मुक्त व्यापार की प्रतिशतता को 20% से 80% तक बढ़ाने के दृष्टिकोण से वेगनों की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए मुक्त व्यापार चावल की ढुलाई के लिए आबंटित डी प्राथमिकता में परिवर्तन करना।

(II) मुक्त व्यापार चावल की ढुलाई के लिए कम से कम ढके हुए वैगनों और बक्सो के 6 रेक प्रति सप्ताह ।

(III) जब उद्योग चावलों की ढुलाई खुले वेगनों की सप्लाई करना ।

(VI) केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में चावल एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की अनुमति ।

(सात) बिहार में नया मंत्री मंडल बनाने का मामला

श्री राजनरायण (रायबरेली) : गत 19 अप्रैल, 79 को बिहार के मुख्य मंत्री को विश्वास मत प्राप्त करने का आदेश था । श्री कर्पूरी जी ने इस मत प्राप्त करने की प्रक्रिया में 105 वोट प्राप्त किये जबकि विरोध में 135 वोट गए । नये नेता के चुनाव के लिए 20 तारीख पहले ही से तय थी, किन्तु 20 तारीख को नेता पद का चुनाव नहीं हुआ और श्री समर गुहा लोक सभा के सम्मानित सदस्य जो पर्ववेक्षक नियुक्त किये गए थे, ने यह बयान भी दिया कि यह चुनाव जो आज होना निश्चित था बहुत रहस्यमय ढंग से टाल दिया गया । मुझे कोई जानकारी नहीं कि चुनाव टला क्यों ?......**(व्यवधान)**...... जहां तक प्रतिष्ठित नागरिकों का ख्याल है, उनका कहना है कि पटना में बिरला ग्रुप टाटा ग्रुप और डालमिया मालिकान जिन की मिलें राज्य सरकार ने ले ली थी तथा शराब के बड़े-बड़े ग्रूप तथा शुगर के बड़े बड़े दुकानदार और ठेकेदार जो शराबबन्दी योजना से प्रभावित थे सब ने पटना के बड़े-बड़े होटलों में अपना कैम्प लगा लिया था और श्री कपुरी सरकार को गिराने के लिए पानी की तरह पैसा बहाने का निर्णय भी ले लिया था ।

जनता पार्टी विधायकों की एक आवश्यक बैठक श्री कर्पूरी जी की अध्यक्षता में उन के निवास स्थान पर हुई थी जिस में सर्व सम्मति से यह प्रस्ताव पास हुआ था कि हम सब विधायक जो कर्पूरी जी के नेतृत्व में विश्वास करते हैं आर० एस० एस० या अन्य किसी साम्प्रदायिक शक्तियों के साथ सरकार नहीं बनाएंगे और न ऐसी सरकार बनाने की प्रक्रिया में कोई सहयोग देंगे ।

जब विरोध पक्ष ने श्री राम सुन्दर दास जी को नेता पद का उम्मीदवार बनाया तो कर्पूरी जी ने श्री समर गुहा को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने यह स्पष्ट किया था कि हम श्री रामसुन्दर दास जी के विरोध में कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे और उन से यह उम्मीद करेंगे कि वह अपने मंत्रीमंडल में आर० एस० एस० या आर० एस० एस० जैसी अन्य साम्प्रदायिक संस्थाओं के सदस्यों को नहीं लेंगे और यदि वे ऐसा करेंगे तो हमारा समर्थन वापस हो जायगा । यह इसलिए था कि राम सुन्दर दास जी हरिजन थे, इसलिए हमने उनके विरोध में किसी को खड़ा नहीं किया । 21 अप्रैल को साढ़े चार बजे सायं का समय शपथ दिलाने का तय हुआ । जब इस बात की जानकारी हम लोगो को हुई तो हमने राज्यपाल को फौरन यह खत भेजा कि सदन में 163 सदस्य कम से कम सरकार चलाने के लिए चाहिए और राम सुन्दर जी के पास कुल 110 या 111 हैं ।हमने अपना समर्थन वापस ले लिया है । अन्य किसी विरोधी दल ने अपना समर्थन

देने का वादा नहीं किया है। ऐसी स्थिति में एक अल्पसंख्यक नेता को शपथ दिलाना संविधान का मखौल होगा और सरकार एक दिन भी नहीं चल पायेगी।

राज्यपाल जी ने हमारा पत्र पाते ही बात की। उनका कहना था कि चूंकि श्री कर्पूरी जी ने एक आदमी श्री राम सुन्दर दास जी का विरोध न करने की बात की है तो राम सुन्दर दास जी को हम शपथ दिला ही सकते हैं। इस पर वरिष्ठ संसदीय सदस्य श्री श्याम नन्दन मिश्र जी जो वहां उपस्थित थे उनको हमने फोन थमा दिया, उन्होंने काफी देर तक बहस की कि आप किसी व्यक्ति के लेटर का आधा पार्ट लें, आधा न लें, यह उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अन्य संवैधानिक पहलुओं पर भी प्रकाश डाला। मैंने उनको लिखा कि आप को शपथ नहीं दिलानी चाहिए। इसके अलावा उनको हमने श्री आयंगर साहब जब बिहार में राज्यपाल थे उस समय की घटनाओं का ध्यान दिलाया किन्तु राज्यपाल जी की बात से बराबर यह लगता था कि उन्होंने एक व्यक्ति नेता श्री राम सुन्दर दास को शपथ दिलाने का फैसला कर लिया है इस आधार पर कि मुख्य मंत्री श्री कर्पूरी जी ने स्वयं श्री राम सुन्दर दास जी का विरोध न करने की बात कही है अतः अगर रामसुन्दर दास जी आगे मंत्रिमंडलीय सदस्यों में ऐसे लोगों को भरेंगे जिनको कि इन्होंने वर्जित किया है तब यह सवाल उठ सकेगा।

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : यह 377 में कैसे आता है? यह कोई तरीका है?

अध्यक्ष महोदय : उन्हें आगे कहने दीजिए। वे केवल अपनाई गई प्रक्रिया पर आपत्ति कर रहे हैं।

श्री राजनारायण : राज्यपाल की बातचीत से ऐसा लगता था कि दल के नेता को शपथ दिला दें, अन्य किसी को नहीं। यह बात करीब-करीब उन्होंने श्री श्याम नन्दन मिश्र जी को भी बतायी।

शपथ समारोह पहले साढ़े चार बजे होने को था। बाद में समय साढ़े छः बजे कर दिया गया। इस बीच में विश्वस्त सूत्रों से हमें यह भी जानकारी कराई गई कि हटना का जहाज उड़ने के बाद उसे रोक कर श्री सुन्दर सिंह भण्डारी जी की बात कराई गई।

व्यवधान

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : महोदय मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं।

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट ठहरिए। आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : मैं आपका ध्यान नियम 377 की ओर दिलाता हूं।

मैं आप से यह समझना चाहता हूं कि आपने किस आधार पर श्री राजनारायण को एक छोटे से संवैधानिक मामले के बहाने सारे पार्टी के मसले को यहां लाने दिया। इसका आर० एस० एस० का बिड़ला से क्या संबंध?

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे व्यवस्था का प्रश्न नहीं मानता हूं। और टिप्पणियों की अनुमति भी हम देते रहे हैं।

डा० सब्रह्मण्यम् स्वामी : उसका अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले से कोई संबंध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : जहाँ तक वक्तव्य का संबंध है वह गलत भी हो सकते हैं और ठीक भी परन्तु वे राज्यपाल के दृष्टिकोण की शिकायत कर रहे हैं। राज्यपाल के विरुद्ध कई पैरे वे जिनको अनुमति नहीं दी गई है और उन्हें हटा दिया गया है।

श्री विजय कुमार मलहोत्रा : अध्यक्ष महोदय, किसने रुपया दिया, किसको दिया उसका यहां पर क्या सम्बन्ध है ? (**व्यवधान**)

श्री बसन्त साठे : जब कोई कुछ कहता है तो उसका ताल्लुक हो सकता है। पैसा किसने दिया, टाटा ने, बड़ला ने, यह आना चाहिए : (**व्यवधान**)

श्री राज नारायण : इस बीच में विश्वस्त सूत्रों से हमें यह भी जानकारी कराई गई कि पटना का जहाज उड़ने के बाद उसे रोक कर श्री सुन्दर सिंह भण्डारी जी की बात कराई गई फलस्वरूप श्री कैलाशपति मिश्र को भी शपथ दिलाई गई। कैलाशपति मिश्र आर०एस०एस० के बहुत माने जाने नेता हैं। आरक्षण के घोर विरोधी हैं।

यहां तक घटनाओं का संक्षिप्त विवरण है। मेरी राय मे एक अल्पमत नेता को जब तक कहीं अन्य संस्था से समर्थन प्राप्त न हो तब तक उन्हें शपथ नहीं दिलाना चाहिए।

श्री विजय कुमार मलहोत्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं इसके प्रोटेस्ट में सदन से वाक-आउट करता हूं। इस तरह की चीज़ आपने यहां पर एलाऊ की है, जानबूझ कर पोलिटिकल बातों को यहां पर ये रख रहे हैं।

(इसके पश्चात् माननीय सदस्य सदन से उठकर चले गये)

डा० बलदेव प्रकाश : यह बिल्कुल गलत है, इस तरह का फैसला आपने दिया है। 377 के अन्तर्गत यह कैसे आ सकता है।

व्यवधान

अध्यक्ष महोदय : श्री भण्डारी के विरुद्ध कोई वक्तव्य नहीं दिया गया है। इन्होंने इतना ही कहा है कि उनके और श्री भण्डारी के बीच बात हुई।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय आपका ध्यान मैं 352 पैरा (V) की ओर दिलाता हूं। यह कहता है :

"उच्चप्रधिकार वाले व्यक्तियों के आचरण पर आक्षेप न करेगा जब तक कि चर्चा उचित रूप से रखे गए मूल प्रस्ताव पर आधारित न हो।

अध्यक्ष महोदय : यदि उन्होंने भी भण्डारी के विरुद्ध कुछ कहा होता तो मैंने अवश्य ही उसे कार्यवाही वृतान्त से निकलवा दिया होता। उन्होंने केवल इतना ही कहा है कि उनके और श्री भण्डारी के बीच बात हुई।

(व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : उन्होंने राज्यपाल के चरित्र पर टिप्पणी की है।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक नियम 352 का प्रश्न है आप उच्च प्राधिकार वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। यही नियम है न। यह आपको उसकी सरकारी कार्रवाई पर टिप्पणी करने से नहीं रोकता। आप उद्देश्यों का अन्दाजा नहीं लगा सकते। आप इसे दुर्भावपूर्ण नहीं कह सकते।

श्री कंवर लाल गुप्ता : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। कृपया नियम 352 और 353 को देखें। कृपया उनमें देखें कि···

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही देख चुका हूं। मैंने निर्णय दे दिया है।

श्री कंवर लाल गुप्त : कृपया मुझे धैर्य से सुनें। मुझे भी सुने जाने का अधिकार है।

श्री चन्द्रशेखर सिंह (वाराणसी) : अध्यक्ष महोदय, यहां पर तो 377 में एक सज्जन ने यह मामला उठाया था कि नदियों में केवल धर्मावलम्बी स्नान करते हैं और उस की इजाजत दे दी गई थी।

(व्यवधान)

श्री राजनरायण : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवृतान्त में शामिल न किया जाए।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कुछ कार्य वृतान्त में शामिल मत करो। कुछ भी वृतान्त में शामिल नहीं किया जा रहा है। गुप्त जी आपका व्यवस्था का क्या प्रश्न है।

श्री कंवरलाल गुप्त : कृपया देखें व्याख्या में क्या दिया है। इसमें लिखा है :

"शब्द उच्च प्राधिकार वाले व्यक्तियों" का तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जिनके आचरण की चर्चा संविधान के अन्तर्गत केवल उचित रूप में रखे गए मूल प्रस्ताव पर की जा सकती है या ऐसे अन्य व्यक्तियों से है, जिनके आचरण की चर्चा, अध्यक्ष की राय में, उसके द्वारा अनुमोदित किए जाने वाले रूप में रखे गए मूल प्रस्ताव पर की जानी चाहिए।

**कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

मैं अब नियम 353 को लेता हूं :

"किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक या अपराधरोपक स्वरूप का आरोप नहीं लगाया जाएगा जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष को तथा संबंधित मंत्री को भी पूर्व सूचना न दे दी हो जिससे कि मंत्री उत्तर के प्रयोजन के लिए विषय की जांच कर सके ।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे अब पढ़ रहे हैं । मैं पहले ही पढ़ चुका हूं ।

कंवरलाल गुप्त : मैं मुद्दे पर आ रहा हूं । श्री राजनारायण जी मेरे अच्छे दोस्त हैं । उन्हें एक ऐसे सदस्य के विरुद्ध जो दूसरे सदन का सदस्य है, कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है । यह कहना कि रिपोर्ट झूठी है, यह राज्यपाल की आलोचना है । यदि आप ऐसे वक्तव्य सहते रहे तो सदन की स्थिति क्या होगी ।

अध्यक्ष महोदय : गुप्त जी आप व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं न कि भाषण दे रहे हैं ।

श्री कंवरलाल गुप्त : नियम 377 सरकार का ध्यान अविलम्बनीय और महत्वपूर्ण मामले की ओर आकर्षित करने से संबंधित है ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में आप स्थिति समझते हैं । जब कभी उच्चप्राधिकार प्राप्त व्यक्ति इसमें शामिल रहता है आप इसे उसके चरित्र की आलोचना नहीं कह सकते । इसका अभिप्राय यह नहीं है कि आप यह नहीं कह सकते कि उनका फैसला गलत था । यह उनके आचरण पर आरोप नहीं है । कम से कम $3\frac{1}{2}$ पैराग्राफों में कई व्यक्तियों के आचरण पर कटाक्ष किया गया है । मैंने इसका पूर्णतः लोप कर दिया है । मैंने उसकी अनुमति नहीं दी है ।

श्री राजनारायण : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : यह कहना कि श्री भण्डारी के साथ उन्होंने बातचीत की है उनके आचरण पर लांछन लगाना नहीं है । उनका फैसला गलत है कहना आचरण पर लांछन लगाना नहीं माना जा सकता (**व्यवधान**) मैं खड़ा हूं । अब राजनारायण जो आप अपना भाषण शुरू करें ।

श्री कंवरलाल गुप्त : नियम 377 केवल अविलम्बनीय लोक महत्व के मामलों से सम्बद्ध है ।

अध्यक्ष महोदय : उनके अनुसार यह अविलम्बनीय विषय है । मैं फैसला नहीं देता श्री राजनारायण आप अपना बयान पढ़ें ! आप अन्तिम पैराग्राफ पर पहुंच गए हैं ।

श्री राजनारायण : अतः सदन में इस प्रश्न को उठाते हुए मेरी मांग है कि बिहार राज्य में होने वाले इस नेता पद के चुनाव को रद्द किया जाए । राज्यपाल को लिखे गये पत्र की प्रतिलिपि अन्य समय हम अलग से दे देंगे । मेरा निवेदन है कि सरकार की गलत प्रतिक्रियाओं पर सदन रोक नहीं लगायेगा तो अपने देश में संसदीय जनतंत्र के स्थान पर संसदीय तानाशाही आ जायेगी

जो जनता पार्टी की घोषित नीति के पूर्णत: विरुद्ध होगी । मूल बात यहाँ पर ध्यान देने की यह है कि नेता पद का चुनाव किस की अध्यक्षता में हुआ और नेता कौन चुना गया । इसकी जानकारी राज्यपाल को किस ने दी ? जहां तक मैं समझता हूं कि श्री समर गुह द्वारा दी गयी जानकारी पर राज्यपाल को कार्यवाही करने का कोई अधिकार नही है । श्री समर गुह पार्टी के आंतरिक चुनाव को सम्पन्न कराने की प्रक्रिया की केवल देख-रेख करने वाले थे न कि राज्यपाल को सलाह देने का अधिकार उन को था ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगली पद लेंगे ।

श्री राजनारायण : व्यवस्था का प्रश्न पर मेरी प्रार्थना है कि संसदीय प्रथा को कंवरलाल जी गुप्त भी जानते हैं और हम भी जानते हैं ।**

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल न किया जाये ।

वित्त विधेयक 1979

अध्यक्ष महोदय : सभा अब श्री चरण सिंह द्वारा 24 अप्रैल, 1979 को पेश किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करेगी; अर्थात् :—

> "कि वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

आगे कार्यवाही करने से पहले हम कल के इस सुझाव पर विचार करेंगे कि सभा 7 बजे तक बैठे अन्यथा हम कल तक इस पर बहस पूरी नहीं कर पाएंगे । क्या सभा की इच्छा है कि सभा आज और कल 7.00 बजे तक बैठे ?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां ।

अध्यक्ष महोदय : सभा आज और कल 7.00 बजे तक बैठेगी ।

श्री हीरा भाई (बांसवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कल वित्त मंत्री जी के वित्त विधेयक पर चर्चा कर रहा था। मैं निवेदन कर रहा था कि हमारे जो पिछड़े हुए जिले हैं उन में शिक्षा का प्रसार हो ।

अध्यक्ष महोदय, नयी शिक्षा नीति के अन्तर्गत पांच साल के लिए कालेज खोलने पर बेन लगा दिया गया है लेकिन फिर भी उस में यह प्रावधान रखा गया है कि जो आदिवासी क्षेत्र हैं, आदिवासी पिछड़े क्षेत्र हैं वहां पर कालेज खोले जाएंगे और वे स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी से खोले जायेंगे । इसी प्रावधान के अनुसार राजस्थान सरकार ने बांसवाड़ा जिले में कुशलगढ़ और सागवाड़ा में कालेज खोलने का निर्णय लिया और वहां पर कालेज खोले जाने का राज्य सरकार

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नही किया गया ।

ने आदेश दे दिया । लेकिन राजस्थान सरकार की सिफारिश के बाद भी शिक्षा बोर्ड ने इस पर ब्रेक लगा दिया । हमारे यहां कालेज खोलने का जो राज्य सरकार ने निर्णय लिया था उस को वहां के शिक्षा बोर्ड ने रोक दिया । अध्यक्ष महोदय, इस तरह से सरकार के निर्णय को आफिसरों से बने बोर्ड ने रद्दी की टोकरी में डाल दिया है । इस तरह से हमारे क्षेत्र के आदिवासी लोगों को शिक्षा से वंचित रखा गया । अगर सरकार यह परम्परा बनायेगी तो यह लोक तंत्र की हत्या होगी । सरकार ने जो निर्णय लिया है कि आदिवासी एरिये में कालेज खोला जा सकता है, उसी निर्णय के अन्तर्गत राजस्थान सरकार ने यह फैसला किया था कि वहां एक कालेज खोला जाए । इस पर शिक्षा बोर्ड का रोक लगाना उचित नहीं है । शिक्षा बोर्ड ने यह रोक इसलिये लगायी है जिस से कि पिछड़े हुए क्षेत्र के आदिवासी दूसरों के मुकाबले में न आ सके । इसीलिये यह टालमटोल करके वे पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास के रास्ते में अड़चन डाल रहे हैं । अगर इस तरह सरकार अफसरों के कहने पर चलती रहेगी तो पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास की बात जो आप कहते हैं वह नहीं हो सकेगी और पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने में आप सफल नहीं हो सकेंगे । मैं दुबारा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने जो निर्णय लिया है और प्रस्ताव पास करके कालेज खोलने का जो फैसला किया है वह कालेज अगले सत्र में खुलवाने का वह प्रबन्ध करें ।

सर्विस में आदिवासी क्षेत्रों के परसेंटेज के बारे में अब मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूं । आप ने हरिजनों और आदिवासियों के लिए आल इंडिया परसेंटेज निर्धारित कर रखा है । लेकिन जहां 99 प्रतिशत आदिवासी हैं, जिले में कहीं पर 99 प्रतिशत आदिवासी हैं जैसे झाबुआ में है या कहीं पर अस्सी और कहीं पर नव्वे प्रतिशत हो सकते हैं जैसे पंचमहल जिला है, बांसवाडा है, डूंगरपुर है, उदयपुर है, चितौड़ है, वहां पर आल इंडिया परसेंटेज के आधार पर आपको उनको सर्विस में नहीं लेना चाहिये बल्कि उनकी आबादी जितनी है उसके आधार पर उनको आप को सर्विस में लेना चाहिये । पूरे देश के लिए तो आपने परसेंटेज निर्धारित किया है वह तो ठीक है लेकिन जहां नव्वे प्रतिशत या अस्सी प्रतिशत आदिवासी रहते हैं, जो आदिवासी एरिया है वहां पर आपको इस आधार को नहीं अपनाना चाहिये और उनको आबादी के आधार पर सर्विस में लेना चाहिये । आजकल देखा जाता है— कि वहां पर दिल्ली से आ कर और कलकत्ता आदि से बुला कर लोगों को नौकरियां दे दी जाती हैं । ऐसे एरियाज़ में सर्विस में स्थानीय लोगों को ही लिया जाना चाहिये और आबादी को ही परसेंटेज का आधार माना जाना चाहिये । मैरिट लिस्ट के आधार पर यह भी देखा गया है कि आर आदिवासी पहले नम्बर पर भी आ गया तो एप्वाइंटमेंट करते समय उसको छोड़ दिया जाता है और शहरी लोगों को ले लिया जाता है और जो आल इंडिया परसेंटेज है उसको ही ध्यान में रखा जाता है । अगर शहर वालों को, बाहर वालों को ले लिया जाएगा तो फिर आदिवासियों के लिए कहां स्थान रह जाएंगे जिन पर उनको भरती किय जा सके । ऐसे एरियाज़ में आपको जन संख्या के आधार पर स्थानीय लोगों को नौकरियां देने की व्यवस्था करनी चाहिये ।

मेरा क्षेत्र एक पहाड़ी एरिया है और पहाड़ी एरिया होने के कारण अगर पानी ज्यादा गिर जाता है तो भी फसल सड़ जाती है और अगर कम गिरता है तब भी फसल को क्षति पहुंचती

है। इस वास्ते वहां पर हमेशा अकाल की स्थिति बनी रहती है, अकाल की काली छाया सवार रहती है। इस वास्ते मेरा सुझाव है कि जहां पर नहरों की व्यवस्था हो सकती है वहां पर नहरों की व्यवस्था करके सिंचाई का साधन उपलब्ध किया जाना चाहिये और तालाब बना करके सिंचाई के साधन उपलब्ध किए जाने चाहिये और जहां नहरी पानी नहीं पहुंचाया जा सकता है वहां पर ट्यूबवैल और कुएं बना कर सिंचाई के साधन उपलब्ध आपको करने चाहिये।

अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि राजस्थान को सीमेंट आदि का जो कोटा दिया जाता है वह वही है जो 1970-7। में निर्धारित किया गया था। वही कोटा आप आज भी राजस्थान को दे रहे हैं। विकास की गति को देखते हुए मेरी आप से प्रार्थना है कि इस कोटे की आप नई दरें निर्धारित करें और ज्यादा कोटा सिमेंट आदि का आप राजस्थान को दें।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : अध्यक्ष महोदय, वित्त विधेयक पर सरकार के बजट प्रस्तावों और दस्तावेजों का आधार है, चर्चा के लिए कम समय दिया गया है। यह एक महत्वपूर्ण बहस है। मेरा पिछला अनुभव है कि इसके लिए समय धीरे-धीरे कम किया जाता रहा है इस विषय पर हमें गम्भीरता से विचार करना चाहिए क्योंकि बजट सत्र बहुम महत्वपूर्ण है और बजट पर चर्चा आने वाले वर्ष के लिए देश की अर्थव्यवस्था के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण है। अतः मेरा सुझाव है कि महत्व पूर्ण मामलों पर चर्चा के लिए वित विधेयक और मंत्रालयों की मांगों पर चर्चा के लिए अब जो समय दिया गया है उससे अधिक समय दिया जाना चाहिए। दुर्भाग्य से करो के अस्थायी संग्रहण अधिनियम और उसके अनिवार्य उपबन्धों की कठिनाइयों के कारण, जिसमें व्यवस्था है कि वित्त विधेयक के पुरःस्थापन एवं उसके पारण में केवल 75 दिन का अंतर होना चाहिए, ये सब कठिनाइयां पैदा हुई हैं। मैंने एक नोटिस दिया है। मैने वस्तुत: एक विधेयक पेश किया है जिसमें इस अवधि को 75 दिन से बढ़ाकर 90 दिन करने का अनुरोध किया गया है, मुझे आशा है कि इस वर्ष सरकार समेत इस सभा के समर्थन से विधेयक कानून बन जायेगा ताकि अगले वर्ष हम वित्त विधेयक और बजट प्रस्तावों पर और अच्छी तरह से बहस कर सकें। इस विषय पर चर्चा करते हुए मैं सरकार से वित्तीय वर्ष बदलने के बिषय में गम्भीरता से विचार करने का भी अनुरोध करता हू। हमारा वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से अगले वर्ष के 30 मार्च तक होता है जो अंग्रेजी शासन की देन है। यह प्रथा अंग्रेजी शासन से चली आ रही है और अब भी बनी हुई है। आजादी के 30 वर्ष बाद भी हम उसी पर अटके हुए हैं :

अध्यक्ष महोदय : क्या यह नशे से सम्बद्ध था ?

श्री हरि विष्णु कामत : जो सत्ता में आ जाते हैं उन्हें नशा हो जाता है। उर्दू में एक कहावत है।

"शराब का नशा उतरता है, लेकिन सत्ता का नशा बढ़ता जाता है और लेकर डूबता है।" मैं इसकी व्याख्या नहीं करूंगा आपने अच्छी टिप्पणी की और मैंने उसका जवाब दिया।

अध्यक्ष महोदय : आप हमेशा ही मेरा समाधान करते हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : प्रशंसा के लिए धन्यवाद। प्रशासनिक सुधार आयोग ने—जिसके चेयरमैन प्रधानमंत्री जी थे और मैं उसका सदस्य था—विरोधी दलों की ओर से प्रधानमंत्री मार्च, 1967 में उपप्रधान मंत्री बनाए जाने तक उसके चैयरमैन बने रहे—इस विषय पर विचार किया था और वित्तीय वर्ष बदलने की बात सोची थी। पर मुझे याद नहीं है कि हमने कोई सिफारिश की या नहीं की। श्री मोरारजी देसाई के बाद जब श्री हनुमन्तैया अध्यक्ष बने तो हमने इसका अपने एक प्रतिवेदन में उल्लेख किया। मेरी व्यक्तिगत राय है कि वित्तीय वर्ष को बदलने का यह बिलकुल उपयुक्त समय है। हम इसे दीवाली के आस-पास से आरम्भ कर सकते हैं, पहली नवम्बर या 31 अक्तूबर से। यदि बजट सत्र दशहरे से पूर्व या उसके तुरन्त बाद आरम्भ हो और उस पर बड़े दिन तक चर्चा चलती रहे तो मैं समझता हूं हमें इस समय जो समय मिल रहा है उससे कहीं अधिक समय मिल सकेगा। जैसा मैंने कहा आप भी इससे कुछ हद तक सहमत हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसके पक्ष या विपक्ष में कोई बात नहीं कही है।

श्री हरि विष्णु कामत : कुछ दिन पूर्व आपने बम्बई और मद्रास में व्याख्यान दिया था। मैंने सुझाव दिया था कि लोक सभा सत्रों के एक वर्ष के वर्तमान 5½ या 6 महीने के समय को बढ़ा कर 7 महीने कर दिया जाए। प्रधान मंत्री ने भी मेरे माननीय मित्र, स्वर्गीय श्री असेथाम्बी को भेजे गये एक पत्र में उल्लेख किया है कि इस समय लोक सभा वर्ष में सात महीने बैठती है मैं नहीं जानता कि उन्हें कहां से यह सूचना मिली है। मैंने 1952 से गत 27 वर्षों के सभी अभिलेख देखे हैं। मेरे पास तथ्य और आंकड़े हैं। लोक सभा कभी भी 6½ महीने से अधिक नहीं बैठी है और वह भी एक या दो वर्षों में—मैं कार्य दिवसों की बात नहीं कर रहा हूं किन्तु पूरे सत्र की अवधि के बारे में कह रहा हूं। सिवाय एक या दो वर्षों के यह 6½ महीने, बैठा है अन्यथा यह केवल 6 महीने, और कुछ वर्षों में यह 5½ महीने ही बैठी है। यह संसद के किए और इसे देश के लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है। इस महान लोक सभा को जो कि विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है तथा जिसका 63 करोड़ लोगों ने प्रत्यक्ष चुनाव किया है, राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति तथा उन लोगों के प्रति जिन्होंने हमें यहां भेजा है, न्याय करना है मैं सरकार के साथ इस बात की गम्भीर पैरवी करूंगा कि उन्हें इस मामले पर सोचना चाहिए और सत्रों के किए वर्ष में 6 महीने अथवा 5½ महीने का समय बढ़ा कर 7 महीने करना चाहिए और वित्तीय वर्ष में भी देश की आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन करना चाहिए। अच्छा है कि मानसून के तुरन्त बाद बजट सत्र हो जब खरीफ की फस्ल होती है। जब मैंने संविधान सभा में सत्रों की संख्या की तथा उसकी अवधि की बात उठाई थी तो मैंने एक संशोधन भी पेश किया था किन केवल लोक सभा बल्कि सभी राज्य विधानमण्डलों के किए कम से कम तीन सत्र होने चाहिए तो डा० अम्बेडकर ने जो बहुत आशावादी थे, मैं इतना आशावादी नहीं उस समय कहा था। कि वह श्री कामथ के संशोधन की सराहना करते हैं। किन्तु वह व्यक्तिगत रूप से उन्हें यह बताना चाहते हैं कि संसद की सभाओं और राज्य विधान मंडलों के समक्ष इतना काम होगा कि उन्हें वर्ष में तीन से अधिक सत्रों की आवश्यकता होगी।" यदि वह

आज जीवित होते तो देखते कि किस प्रकार राज्य विधान मण्डल व्यवहार करते हैं—एक बजट सत्र, जैसा कि मुझे याद है हरियाणा में एक सप्ताह का सत्र और उसके बाद एक दिन का सत्र···

श्री दयाकार रवि (चिरायं कील) : उत्तर प्रदेश में तो बजट सत्र भी नहीं हुआ है ।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं समझता हूं कि यदि आवश्यकता हो तो राज्य विधान मण्डलों के वर्ष में तीन सत्रों की व्यवस्था के लिए संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए । संसद में वर्ष में सत्रों की कुल अवधि 7 महीने होनी चाहिए और वित्त वर्ष पहली अप्रैल से 31 मार्च की बजाय पहली अक्तूबर से 30 सितम्बर होना चाहिए । सरकार इस मामले पर विचार कर सकता है । वित्त विधेयक को पुर स्थापित करने से लेकर उसे पास करने के बीच की अवधि को बढ़ा कर 75 से 90 दिन की जानी चाहिए जिससे सभा में इस पर पूरी चर्चा हो सके ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : मैं आप से सहमत हूं ।

श्री हरि विष्णु कामत : श्री सतीश अग्रवाल ने कल इसका उल्लेख किया था । उन्होंने इसके लिए अपना समर्थन देने के लिए कहा था और मुझे आशा है कि वह मंत्रिमण्डल में अपने सहकर्मियों की इस पर सहमति दिखायेंगे । मुझे विश्वास है उनके प्रयास से वह अपने सहकर्मियों को सहमत करा सकेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : आपने प्रारम्भिक बातों पर ही 10 मिनट ले लिए हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत : कृपया मुझे कुछ और मिनट दीजिए । मैंने कई अन्य मंत्रालयों के बारे में नहीं कहा है । मुझे कुछ बातें कहनी हैं । यदि आप चाहते हैं तो मैं केवल उन बातों को रखूंगा और कुछ नहीं कहूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा यही होगा ।

श्री हरि विष्णु कामत : किन्तु यदि मैं केवल उन बातों को कहूं और उनका विवेचन न करूं तो वह नीरस हो जायेगा ।

वरिष्ठ उप-प्रधान मंत्री......

श्री बसंत साठे (अकोला) : वरिष्ठ से आपका क्या अर्थ है । कोई वरिष्ठ और कनिष्ट प्रधान मंत्री नहीं है ।

श्री हरि विष्णु कामत : यह तथ्य है । मैं समझता हूं कि वह मंत्रिमण्डल में संख्या 2 पर हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप विवाद में जायेंगे तो समय नहीं रहेगा ।

श्री हरिविष्णु कामत : यदि दो हैं तो मैं एक को वरिष्ठ...

अध्यक्ष महोदय : यह चर्चा का विषय नहीं है ।

श्री हरि विष्णु कामत : यदि वे दोनों बराबर हैं तो भी बराबरी में एक दूसरे से अधिक है ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे कोई आपत्ति नहीं है किन्तु मुझे दो तीन मिनट में विधेयक को घोषित करना है।

श्री बसंत साठे : 'ए' और 'बी' कहिए।

श्री हरि विष्णु कामत : यदि आप ऐसा करना चाहें तो आप कर सकते हैं।

वरिष्ठ उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री एक नई बात करना चाहते थे और उन्होने उस रास्ते पर चलने का पूरा प्रयत्न किया। मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता था किन्तु वह वहां नहीं हैं। मैं उनके सहायकों के माध्यम से उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सहायक का अर्थ है जो उनकी प्रतिनियुक्ति करता है।......

एक माननीय सदस्य : कनिष्ठ मंत्री या राज्य मंत्री।

अध्यक्ष महोदय : हम शब्दों पर न झगड़ें।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं झगड़ा नहीं कर रहा हूं। वे झगड़ रहे हैं अत: मुझे उत्तर देना ही है। 22 जुलाई, 1977 को नये वित्त मंत्री ने, जो उस समय गृह मंत्री थे तथा जो उस समय शारीरिक दृष्टि से काफी हृष्ट पुष्ट थे और मुझे आशा है कि वह फिर हृष्ट पुष्ट और अधिक परिश्रमी होंगे। मुझे विश्वास हैं कि ईश्वर की कृपा से वह अधिक हृष्ट पुष्ट होंगे जैसे कि वह उस समय थे, आपातकालीन स्थिति मेरे संकटव्य के बारे में एक संक्षिप्त भाषण दिया था। इस सभा का तथा सरकार का संकल्प था, आप अध्यक्षता कर रहे थे और आपको याद होगा कि कुछ सदस्य सभा से उठकर चले गये थे···

अध्यक्ष महोदय : मेरी नजर हमेशा घड़ी पर होती है।

श्री हरिविष्णु कामत : सामाजिक आर्थिक क्रांति का उल्लेख किया गया है। मैं सकल्प के एक भाग को नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि उस पर दूसरी ओर के कुछ सदस्यों को आपत्ति हो सकती है क्योंकि उसमें श्रीमती गांधी तथा उनके गिरोह के लोगों की बात कही गई है। उस समय श्री चरण सिंह गृह मंत्री थे तथा उन्होंने इस संकल्प को पूरे तौर पर स्वीकार कर लिया था। उन्होंने सरकार की ओर से निम्न शब्द कहे थे :—

> "मुझे इस संबंध में कुछ नहीं कहना है क्योंकि मैंने श्री कामत द्वारा प्रस्तुत किये गये संकल्प को बिलकुल उसी रूप में स्वीकार कर लिया है। मेरी ओर से उत्तर देने का कोई प्रश्न ही नहीं है। मेरी तो केवल संशोधनों संबंधी कुछ कठिनाई है। मैं समझता हूं कि संशोधन आवश्यक भी नहीं हैं। यदि इस ओर बैठे मेरे मित्र मेरे साथ सहमत हों, तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि हमें यह संकल्प ऐसे ही पारित कर देना चाहिये जैसे कि यह है।"

संकल्प का अंतिम भाग, तो विषय से सम्बद्ध हैं, वह इस प्रकार है :—

"और निष्ठापूर्ण संकल्प करती है कि एक सामाजिक, आर्थिक क्रान्ति लाने के लिए जिसमें लोकतंत्रात्मक मूल्यों जिनमें समाजवादी सिद्धांतों की स्पष्ट झलक हो और जो उन नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित हो जिनके लिए लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने दुख उठाये यातनाये सहीं, उन्हीं के लिए जिये तथा अपना बलिदान दिया और जिनके लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण—वे दीर्घ आयु हो, ने "तीन वर्ष पूर्व उन्होंने राष्ट्र को संघर्ष का आवाहन दिया था और ऐसी क्रांति शीघ्र लाने तथा उसमें शांतिपूर्ण तथा तथा उचित ढंग से लोगों का सक्रिय सहयोग प्राप्त करके उसे शीघ्रातिशीघ्र लाया जा सके।" अब वित्त मंत्री को यह सामाजिक-आर्थिक क्रांति पूरी करने का अवसर मिल गया है।

अध्यक्ष महोदय : आपने 15 मिनट ले लिये है। मैं आपके बहुमूल्य को दृष्टि गत रखते हुये आपको 5 मिनट ओर दे दूंगा।

श्री हरि विष्णु कामत : मुझे कम से कम 10 मिनट का समय और लगेगा ताकि मैं मुख्य बातों का उल्लेख तो कर सकूं। सामाजिक आर्थिक क्रांति···

श्री बसंत साठे : आप अपनी सामाजिक आर्थिक क्रान्ति ी व्याख्या कीजिये···

अध्यक्ष महोदय : आप इनके जाल में मत फंसिये।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं किसी की चुंगल में फंसने वाला नहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय : युवक लोग हमेशा परेशानी पैदा करते हैं।

(श्री एन० के० शेजवालकर पीठासीन हुये)

श्री हरि विष्णु कामत : मैं बहुत ही संक्षेप में अपनी बात कहूंगा यद्यपि मेरे पास कहने को बहुत कुछ है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या कहूं और क्या न कहूं। बहुत सी बातें हैं मैं उन्हें बहुत ही संक्षेप में कहूँगा।

अब मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सामाजिक आर्थिक क्रांति की रूप रेखा तो जनता पार्टी के वर्ष 1977 के चुनाव घोषणा-पत्र में भी बताई गई थी। जनता सरकार के शासन काल के पहले वर्ष की उपलब्धियों पर मुझे खुशी है, सदन को इस पर गर्व है तथा मैं समझता हूं कि सम्पूर्ण देश को ही इस पर गर्व है। पार्टी के चुनाव-घोषणा-पत्र में जो राजनीतिक वचन दिये गये थे, वह सभी लगभग पूरे किये जा चुके हैं परन्तु उसके सामाजिक तथा आर्थिक पत्र को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है और मैं दोनों मांग-पत्रों के उल्लिखित मद्यों को एक बार पुन: पढ़ कर सदन के धैर्य की परीक्षा यही लेना चाहता। परन्तु श्री मान जी, मैं इतना अवश्य करना चाहता हूं सामाजिक आर्थिक क्रांति के मुख्य आधार, अर्थात् भूमि-प्रचारों तथा रोजगार या बेरोजगारी की समस्या अभी भी वही भयानक रूप धारण किये हमारे समक्ष खड़ी है और हम उसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाये हैं। कानून तथा व्यवस्था कर समस्या भी नहीं हुई

है और मैं समझता हूं कि इस प्रकार की कानून और व्यवस्था की स्थिति में, किसी प्रकार की क्रांति सम्भवः नहीं हो सकती, यह ठीक है कि किसी सीमा तक यह आवश्यक है परन्तु संविधान से अन्तर्गत राज्यों की यह षक्तियां प्रदान की गई है कि वह कानून और व्यवस्था बनाये रखे और मैं समझता हूं कि राज्यों की उन शक्तियों को दृष्टिगत रखते हुये सरकार द्वारा उन्हें आवश्यक कार्यवाही करने के लिए विदेश देना कठिन काम है। परन्तु श्री मान जी, केन्द्र सरकार कम से कम संघ राज्य क्षेत्रों में स्थिति सुधारने के लिए तो कार्यवाही कर सकती है।

एक माननी सदस्य : गोआ

श्री हरि विष्णु कामत : गोवा, दिल्ली तथा अन्य सभी संघ राज्य क्षेत्रों में तथा इस प्रकार राज्यों के लिए एक उदाहरण स्थापित कर सकती है।

इसके बाद मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके बाद प्राथमिकताओं का प्रश्न आता हैं। जहां तक प्राथमिकताओं का सम्बन्ध है सामाजिक या आर्थिक मांगपत्र में कहीं भी मद्यनिषेध का उल्लेख नहीं किया गया है कि इसे क्रियान्वित किया जायेगा। सिद्धांत रूप में मद्यनिषेध के पक्ष में हूं तथा चाहता हूं कि सारी दुनियां में शराब का पीना बंद कर किया जाना चाहिये परन्तु मेरे मन में मुख्य बात प्राथमिकताओं की आती है। अतः यह तो ठीक है कि मद्यनिषेध लागू किया जाना चाहिये परन्तु मुख्य प्रश्न यह है कि मद्यनिषेध आज लागू किया जाये कल किया जाये या फिर उससे या कभी बाद। मैं समझता हूं कि आज देश में भूमि सुधारों, कुटीर उद्योगों, रोजगार की समस्या, मूल्य-स्थिति तथा कानून व व्यवस्था की स्थिति की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये। यह समस्यायें मद्यनिषेध से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। तथ्य तो यह है कि कोई भी व्यक्ति जो कुछ खाता हैं या पीता है, यह तब तक उसका व्यक्तिगत मामला रहता है जब तक कि वह अपनी परिवार वालों, तथा अन्य लोगों के लिए कोई परेशानी पैदा नहीं करता। अन्यथा तो वह पूर्णतया उसका अपना ही काम कहा जा सकता है। मैं अपने मित्र श्री रवि से यह नहीं पूछना चाहता हूं कि क्या वह दिन में शराब पीते हैं या यह नहीं जानना चाहता कि श्री सांठ या अन्य साथी शराब पीते है या कहीं। यह सब न मैं पूछता हूं और न ही जानना चाहता हूं।

श्री व्यालार रवि : केरल में ताड़ी बहुत अच्छी होती है।

श्री हरि विष्णु कामत : जी हां, श्री मान जी इसके बाद हमारे संविधान में इसके बारे जो कुछ लिखा गया है, उसकी बात आती है। मद्यनिषेध से सम्बन्धित अनुच्छेद 47 हैं तथा उनमें कहा गया है :

> "राज्य विशेषतया मादक पेचों और स्वास्थ्य के लिए हानिकरक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों के अतिरिक्त उपयोग का प्रतिवेध करने का प्रयास किया।"

जिस बात से मुझे नशा हो सकता है, उससे सम्भवतः आपको या श्री मांवलनकर को नशा न हो।

मुझे मालूम नहीं है कि चरस या मंत्र का भी निषेध किया गया है या नहीं क्योंकि यह भी तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तो है, मुझे मालूम नहीं है कि इनके बारे में भी उच्चतम न्यायालय में अपना निर्णय दिया है या नहीं जैसा कि इसने गौवध के बारे में किया हुआ है। मैं समझता हूं कि इस अनुच्छेद के अन्तर्गत जब कुछ मामलों को उच्चतम न्यायालय के पास भेजा गया था तो इसकी व्याख्या देते हुये उसने कहा था कि वह सभी पेय तथा औषधियां जिनसे नशा होता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और यदि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों का उल्लेख किया गया है तो फिर भला सिगरेट पीने को क्या कहा सकता है ?

अतः सिगरेट पीना भी निषेध होना चाहिये। सिगरेट पीने की अपेक्षा सिगरेट पीते व्यक्ति के पास बैठने वाले व्यक्ति पर उसका अधिक प्रभाव पड़ता है परन्तु यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के पास बैठकर शराब पीता है तो उसका इतना अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः मैं इस मामले के बारे में स्पष्ट व्याख्या चाहता हूं।

केवल दो अन्य बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। संविधान के अनुच्छेद 40 के अन्तर्गत एक तो पंचायत राज के बारे में है। इस अनुच्छेद की देर तक अवहेलना की जाती रही है। अनुच्छेद में कहा गया है :

"राज्य ग्राम-पंचायतों का संघटन करने के लिए अग्रसर होगा, तथा उनको ऐसी शक्तियों और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिये आवश्यक हो।"

श्री अशोक मेहता द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन तथा मेरे प्रश्न का उत्तर देते समय गृह मंत्री ने कहा था कि यह मामला हमने राज्यों सरकारों को भेजा था और वह इसके बारे में टाल-मटोल करते जा रहे हैं। अतः मुझे आशा है कि इस सम्बन्ध में कभी संविधान का संशोधन किया जायेगा ताकि ग्राम राज्य से केन्द्र, दिल्ली राज तक के नये ढांचे का निर्माण किया जा सके चाहे उसके लिए आपको पांच पूलियां-संघ, राज्य, जिला, ब्लाक तथा पंचायत सूची तैयार करनी पड़े जिसके अनुसार की वित्तीय तथा प्रशनानिक शक्तियों का आवंटन किया जाये।

इसके बाद प्रशासन का प्रश्न आता है। जब तक भ्रष्टाचार समाप्त नहीं किया जाता तब तक किसी प्रकार की आर्थिक तथा ग्रामीण क्रान्ति या परिवर्तन सम्भव नहीं हो सकता। जब एक प्रशासन को कुशल तथा भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं बनाया जाता तब तक कोई भी अमूल मूक परिवर्तन नहीं किया जा सकता। आप भ्रष्टाचार को पूर्णतया समाप्त कर सकते। ऐसा विश्व में कहीं भी नहीं हो पाया है क्योंकि यह भी एक प्रकार से मानवीय स्वभाव का ही अंग है और आप इसे पूर्णतय समाप्त नहीं कर सकते, हां इसे कम अवश्य किया जा सकता है। मैं आशा करता हूं कि सरकार शीघ्र ही इस कार्य को करने लग जायेगी। लोकपाल विधेयक काफी लम्बे समय से निलम्बित पड़ा हुआ है। श्रीमती इन्दिरा गांधी के शासनकाल के दौरान भी यह दो बार बीच में ही समाप्त हो गया। परन्तु अब हम आशा करते हैं कि इस सत्र के दौरान तो इसे पारित किया जायेगा ताकी गरीबी निवारण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा सके।

केवल एक बात और कह कर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं और वह राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण का उल्लेख प्रायः किया जाता है तथा इसका तात्पर्य भी सरकारीकरण ही माना जाता है परन्तु इसे सही अर्थों में समाजीकरण माना जाना चाहिए परन्तु अभी तक इसे केवल सरकारीकरण या नौकरशाहीकरण ही माना जाता है। सरकारीकरण हो गया है समाजीकरण नहीं हुआ। यही कारण है कि आज इतने वर्षों के उपरान्त भी इसके कोई विशेष परिणाम सामने आये हैं। यदि मुझे सही प्रकार से याद है तो प्रधानमंत्री ने हाल ही में सरकारी संस्थानों के एक सम्मेलन में भाषण देते हुए उनसे कहा था कि या तो वह अपने परिणाम दिखाये या फिर उस कार्य क्षेत्र से बाहर निकल जायें। सम्भवतः यही बात समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थी। प्रधानमंत्री ने यह जो रवैया अपनाया है, यह अच्छा है, हमें इस पर खुशी है। अगर ऐसा न किया गया तो यह उपक्रम देश को हड़प कर लेंगे। मैं आशा करता हूं कि वह अपने तंत्र को सुचारु बनायेंगे तथा अगामी कुछ वर्षों में सही परिणाम दिखायेंगे।

समाचार पत्रों तथा जनता के साथ सरकार के सम्बन्ध सुधरने चाहिए। आज स्थिति को यह है कि समाचार पत्रों हमारी उपलब्धियों को अपेक्षित महत्व के साथ प्रकाशित नहीं किया जाता जब कि दूसरी ओर दल के अन्तर्गत मेल नहीं संघर्ष तथा खींचातानी को आवश्यकता से अधिक उछाला जाता है। उप प्रधानमंत्री ने कहा था कि वह एक किसान के पुत्र हैं। उन्होंने कहा था कि वह किसान तो नहीं परन्तु किसान के पुत्र अवश्य है। अतः किसान से उसका पुत्र कहीं अच्छा हो सकता है। परन्तु जैसा कि आप जानते ही हैं, किसानों की कई श्रेणियां होती हैं जैसे कि बड़े किसान, छोटे किसान, मंझले किसान, संझले किसान। यह तो मुझे मालूम नहीं है कि वित्त मंत्री का सम्बन्ध किस प्रकार के किसानों से है। परन्तु वह एक अच्छे किसान हैं। मैं समझता हूं कि भारत जैसे व्यापक ग्रामीण क्षेत्र में, उनके शासन के दौरान हर श्रेणी के किसानों के साथ अच्छा व्यवहार किया जायेगा। देश के सभी लोगों को एक सूत्र में बांधने का प्रयत्न किया जाना चाहिये। नागरिक तथा ग्रामीण के बीच किसी प्रकार का संघर्ष नहीं होना चाहिये। उन्हें एक जुट होकर राष्ट्रीय उत्थान में योगदान देना चाहिए।

वित्त मंत्री बहुत ही अच्छे प्रकाशक रहे हैं और अब उन्होंने केन्द्र में वित्त मंत्री का कार्य-भार संभाला है। यह खेद की बात है कि नौकरशाही ही वास्तव में अनेक मंत्रालय का कार्य चला रही है, कई मंत्रियों की तरह नौकरशाही द्वारा भी संसद के निदेशों तथा संकल्पों की क्रियान्विती उस भावना से नहीं की जाती जिस में वो उन्हें स्वीकार किया गया था या पारित किया गया था। जहां तक हमारे प्रशासकों के कार्य करने के ढंग का सम्बन्ध है, उसको संक्षेप में इस प्रकार से कहा जा सकता है:

यदि सम्भव हो तो आप कुछ मत कीजिये।

यदि आवश्यक हो जाये तो धीरे धीरे कीजिये।

यदि आपको करने के लिए विवश होना पड़े तो इधर-उधर घुमाते रहिये।

यदि आप बिल्कुल विवश हो जाये तो किसी समिति का गठन कर दीजिये।

मैं आशा तथा विश्वास करता हूं कि मंत्री महोदय प्रशासन के इस चक्रव्यूह मे नहीं फंसेगे। वह अभिमन्यु नहीं बनेंगे। वह प्रशासन के इस चुंगल से बच निकलेंगे। यहां तक कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बार निम्नतम श्रेणी के कर्मचारियों का उल्लेख करते हुए कहा था कि जब वह प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय 6,000 चपड़ासी थे जब कि उनके शासन काल में ही इनकी संख्या 18,000 हो गई थी। पंडित नेहरू ने कहा था कि इनका क्या किया जाये। उस समय मैं विरोधी पक्ष में था और मैंने कहा था कि आपकी ही तो सरकार है, आप ही इसमें कुछ कीजिए।

मैं आशा करता हूं कि अगामी कुछ महीनों में स्थिति में सुधार होगा तथा देश की अर्थ-व्यवस्था अच्छी बनेगी। जहां तक कराधान प्रस्तावों का सम्बन्ध है, हमें स्थिति का जायजा लेना होगा। सभी प्रकार की असमानताओं का भी अवलोकन किया जाना चाहिये। अभी तो हम किसी चीज का उचित अनुमान नहीं लगा सकते। यह तो वित्त मंत्री का पहला ही बजट है अत: अभी तो हम उनके प्रति अपनी शुभ कामनायें ही प्रस्तुत कर सकते हैं तथा उन्हें अपने सहयोग का वचन देते हैं। हम आशा करते हैं कि 22 जुलाई 1977 के दिन जिस सामाजिक आर्थिक क्रांति की शपथ हमने इस लोकसभा में ली थी, उसे वह पूरा करने का हर सम्भव प्रयत्न करेंगे।

श्री वयालार रवि (चिरयिनकील) : सभापति महोदय, जो वित्त विधेयक हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है, वह तो सरकार की एक संवैधानिक अनिवार्यता ही है। परन्तु इसके फलस्वरूप सदस्यों को मंत्रियों का ध्यान विभिन्न पहलूओं की ओर आकृष्ट करने का अवसर मिलता है जिसे कि अन्तत: सद्ध बुद्धि पूर्ण की कार्य करने में सहायता प्राप्त हो। वित्त मंत्री ने वित्त ही क्यों उप-प्रधान मंत्री ने अपना बजट प्रस्तुत करते हुए कहा था कि यह किसान प्रधान बजट है और उन्होंने गर्व से कहा था कि इसके माध्यम से वह भारतीय अर्थ-व्यवस्था को नई दिशा प्रदान करने जा रहे हैं।

जहां तक भारतीय अर्थ-व्यवस्था का प्रश्न है, उसके सन्दर्भ में तो मुझे इसमें कुछ भी नया नजर नहीं आता है। मैं समझता हूं कि श्री सतीश अग्रवाल मेरे साथ सहमत होंगे और उन्हें इस बात की जानकारी भी होगी कि उनके राज्य राजस्थान में एक श्री एस० के० डे० नामक व्यक्ति थे जो एक बार यहां भी मंत्री बने थे। मैं श्री अग्रवाल से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें यह मालूम है कि श्री डे ने भारतीय संसद में क्या भूमिका निभाई ? यदि आप स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर, इस देश की पहली पंच वर्षीय योजना से पांचवी पंच वर्षीय योजना तक के सम्पूर्ण इतिहास को देखें तो आपको मालूम होगा कि कांग्रेस सरकार ने किसानों की ओर न केवल ध्यान ही दिया है अपितु उन्होंने गांवों के विकास के लिए ग्रामीण विकास प्रधान योजनायें भी बनाई हैं। यही कारण है कि कांग्रेस सरकार ने सामुदायिक विकास योजना की थी तथा इस कार्य के विकास के लिए श्री जवाहर लाल नेहरू ने एक अलग मंत्रालय का गठन भी किया था। श्री एस० के० डे को उस मंत्रालय का प्रभारी मंत्री नियुक्त किया गया था। मैं समझता हूं कि उस समय श्री कामत भी लोकसभा के सदस्य थे। कांग्रेस के साथ उनके विचार चाहे कहीं भी मेल न खाते थे परन्तु उन्हें यह नहीं कहना चाहिये कि कांग्रेस के शासनकाल में ग्रामीण या सामुदायिक विकास

के कार्य को नजरअंदाज किया गया। इस प्रकार का आरोप कांग्रेस सरकार के खिलाफ लगाना नितांत अनुचित होगा।

सदन की जानकारी के लिए मैं कुछ आंकड़े अब उद्यृत करना चाहता हूं। इसके दो पहलू हैं। एक तो यह कि देश में कुल कितने गाव हैं तथा उनकी जनसंख्या कितनी है। देश में कुल 5.75 लाख गांव हैं। इन 5.75 लाख गांवों में से 3.1 लाख गांवों की जनसंख्या 500 से भी कम है। जब आप गांवों की बात करते हैं. तो आप जनसंख्या को नजरअंदाज नहीं कर सकते।

पांच सौ जन संख्या का अभिप्राय है 100 अथवा 80 परिवार। ये पूरे देश में फैले हुए हैं। 1974 में केवल 6333 गांव ऐसे थे जिनकी जन संख्या 5000 अथवा अधिक थी। देश में 5-75 लाख गांव हैं। परन्तु इन गांवो की जन-संख्या कितनी है। आप इस बात की उपेक्षा नहीं कर सकते कि भारतीय अर्थ-व्यवस्था तथा राष्ट्रीय विकास को देखते हुए जन-संख्या बढ़ी है। यदि आप 30 वर्ष में हुई जन-संख्या में वृद्धि पर ध्यान नहीं देते तो यह मात्र अज्ञान है।

मैं जन-संख्या संबन्धी आंकड़ों पर अवश्य ध्यान दिलाना चाहता हूं। 1961 में जन-संख्या 36.1 करोड़ थी, 1961 में 43.9 करोड़ थी और 1971 में 64.8 करोड़ और 1976 में 60 करोड़ हो गई। जब आप प्रति व्यक्ति आप का हिसाब लगाते हैं तब इन बातों की उपेक्षा नहीं कर सकते। श्री जार्ज फर्नानिडिस ने अपनी पूरी शक्ति से कांग्रेस सरकार की निन्दा की कि पिछले 30 वर्ष में उन्होंने कुछ नहीं किया। कांग्रेस सरकार ने सामुदायिक विकास योजना शुरू की। मैंने जनता पार्टी के एक सदस्य से सुना कि पांच वर्षीय योजना बनाते हुए कांग्रेस ने ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा की। क्या यह उचित है। समुदायिक विकास के लिए एक पृथक विभाग था। सामुदायिक विकास ब्लाक थे। केरल राज्य में ब्लाक का अर्थ था पृथक विधान सभा का निर्वाचन क्षेत्र। ग्राम सेवक ग्राम-सेविकाएं और खण्ड विकास अधिकारी हैं तथा सारी योजना इसी पर आधारित है। किसी भी खण्ड में ग्रामीण क्षेत्र हैं तथा योजना खण्ड के स्तर पर तैयार की गई हैं। खण्डों के विकास का अभिप्राय है ग्रामीण क्षेत्र अर्थात ग्रामीण जन-संख्या का विकास। उस समय मैं संसद सदस्य नहीं था। श्री मोरारजी देसाई वित्त मंत्री थे। कुछ व्यक्तियों को छोड़ कर सभी का संबन्ध सामुदायिक विकास योजना से था। जनता पार्टी के बहुत से सदस्यों को हम इस बात पर गर्व होना चाहिए। ये किसी समय कांग्रेस पार्टी में थे। यदि श्री चरण सिंह पर समझते है कि केवल यह बजट ग्रामोन्मुख है तो यह उनका ही दोष है। वह कांग्रेसी रहे है। वह पहलें दल-बदल हैं। 1967 में उन्होंने मुख्य मंत्री बनने के लिए दल बदल किया। देश में दल बदल का विष पहले उत्तर प्रदेश में फैला, जब वह श्री सी० बी० गुप्ता से नेतृत्व के मामले में हार खाई तो उन्होंने दल बदल किया तथा मुख्य मंत्री बन गये। यदि कहा जाता है कि 1947 से 1967 तक कांग्रेस ने ग्रामीण विकास नहीं किया तो इसके लिए श्री चरण सिंह भी उत्तरदायी हैं तथा श्री मोरारजी देसाई भी उत्तरदायी हैं ऐसे सभी लोग जो कांग्रेस में थे इसके लिए उत्तरदायी हैं। परन्तु मैं उनपर किसी अपराध के दोषारोपण नहीं कर सकता। पं० जवाहर लाल नेहरू भारतीय राजनीति के बहुत बड़े नेता थे, वह बहुत बड़े प्रशासक, बहुत बड़े क्रान्तिकारी थे, वह भारतीय समस्याओं को, ग्रामीण भारत की समस्याओं को भली प्रकार समझते थे। पंचवर्षीय योजनाओं के

निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान था, उसमें सामुदायिक विकास अर्थात ग्रामीण विकास को परम अग्रता उन्होंने दी थी। यदि आप समय दें तो मैं आंकड़े दे सकता हूं।

जनसंख्या का प्रश्न उठाया गया है, जिसकी कि उपेक्षा नहीं की जा सकती। क्या मैं श्री अग्रवाल से एक साधारण प्रश्न पूछ सकता हूं? क्या आप समझते है कि जब आप सत्ता में आये तो क्या आपने जनता के सामने आर्थिक प्रश्न रखे थे। क्या आप समझते हैं कि लोग मूर्ख हैं। आपका एक ही नारा था नसबन्दी और आपात्तस्थिति। आप जनता पार्टी के सदस्यों की निर्वाचन के दौरान दिये गये भाषणों पर ध्यान दें। अब भी आप राजनीति में आपात्तस्थिति तथा नसबन्दी से लाभ उठाना चाहते है? क्या निर्वाचन के दौरान आपका कोई आर्थिक नारा था कि कांग्रेस सरकार आर्थिक मोर्चे पर विफल रही है। मैं नसबन्दी पर समय नहीं नष्ट करना चाहता। जनता सरकार भी जनसंख्या वृद्धि के मामले को ले रही है तथा इस पर नियंत्रण करना चाहती है। आपने केवल 'परिवार नियोजन' से परिवार कल्याण नाम बदल दिया है। इसमें कोई महत्व नहीं है तथा यह उपहासास्पद है।

पिछली बार श्री जार्ज फर्नानडिस ने सभा में दावा किया था कि कांग्रेस सरकार ने 5000 मामलों में विदेशी सहयोग प्राप्त किया जबकि आपने एक वर्ष में केवल 300 सहयोग किये। यदि 30 वर्ष में 5000 है तो एक वर्ष में 160 बैठते हैं जबकि जनता सरकार ने एक वर्ष में 300 सहयोग किये। यदि आपने संख्या घटाई होती तो बात समझ में आ सकती थी। परन्तु आपने संख्या बढ़ा दी है। जिस सरकार ने विदेशी सहयोग प्राप्त किये उसी ने एस० ई० आर० ए० शुरू किया जिससे विदेशी स्वामीत्व को 40 प्रतिशत पर सीमित कर दिया। यदि श्री अग्रवाल उसे और घटा कर 20 प्रतिशत करदें तो उनका इस बारे में गर्व करना समझ में आ सकता है। परन्तु आपने ऐसा नहीं किया।

फिर आपको कांग्रेस सरकार के 30 वर्ष के कार्य की आलोचना करने का क्या हक है? फर्नान्डीस महोदय का कहना है कि वह इस देश के लिये विश्व में कहीं भी उपलब्ध प्रौद्योगिकी को लायेंगे। अग्रवाल महोदय, क्या आप हमें बता सकते हैं कि 1947 में, इस देश में क्या पर्याप्त प्रौद्योगिकी थी? 1947 में हमारे पास किस प्रकार की प्रौद्योगिकी थी? हमारे पास तो उस समय कोई प्रौद्योगिकी थी ही नहीं। यह स्वाभाविक बात है कि कांग्रेस सरकार के पास विदेशी प्रौद्योगिकी के सिवाय और कोई विकल्प नहीं था। इसी से तो सारी प्रगति हुई है। मैं अपनी उपलब्धियों को एक-एक करके गिना सकता हूं, परन्तु मेरे पास पर्याप्त समय नहीं है। मैं केवल कृषि जगत की ही बात करूंगा। अन्य राज्यों से आने वाले बहुत से माननीय सदस्य भी यह जानते हैं कि कृषि और खाद्यान्न उत्पादन का विकास किस सीमा तक हुआ है। मेरे राज्य में सिंचाई योजनाएं और जल-विद्युत योजनाएं चल रही हैं। दूसरे राज्यों में भी ऐसी योजनाएं चल रही हैं। मैं एक पल के लिये भी यह दावा नहीं करता कि सभी काम ठीक ढंग से हुये। परन्तु प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि पर लगाये गये सारे निवेश पर तो दृष्टिपात कीजिये। उन दिनों इस देश में खाद्यान्न का बहुत ही कम उत्पादन होता था। राशन लागू था और हम पी०एल०-480 पर निर्भर करते थे। श्री कृष्ण मेनन ने, जिनकी राष्ट्रीय स्वयं

सेवक संघ तथा देश के अन्य प्रतिक्रियावादी लोग आलोचना किया करते थे, सदैव पी.एल.-480 का विरोध किया था। श्री कृष्ण मेनन का सदैव यही कहता था कि पी.एल.-480 न केवल भारत के विकास के लिए बाधक होगा, अपितु भारतीय किसानों को भी हानि पहुंचायेगा। वह यह चाहते थे कि कृषक लोग अधिकाधिक खाद्यान्न पैदा करने के लिए उत्साह के साथ आगे आएं। हर वक्त उन्हें यह चिन्ता लगी रहती थी कि यदि हम पी.एल.-480 पर ही निर्भर करते रहे तो बाद में हमारे देश का क्या बनेगा ? अतः, हमको न केवल पी एल -480 कोष को ही पूर्णतया बन्द कर देना चाहिये अपितु हमें तो खाद्यान्न के आयात को पूरी तरह से बन्द कर देना चाहिये। अन्न उत्पादन में वृद्धि हुई है और अब हमारे पास जरूरत से ज्यादा अन्न है। 1976 में यह 1100 लाख टन तक चला गया था। जल और उर्वरकों की सहायता से उत्पादन बढ़ा है। यदि अन्न का उत्पादन बढ़ता है तो यह वर्षा के कारण होता है और यदि यह घटता है तो श्री भट्टाचार्य आन्दोलन छेड़ने की बातें करने लगेंगे और कांग्रेस सरकार को गालियां देने लगेंगे। यह दोहरी नीति है।

महोदय, उसके पश्चात अन्न उत्पादन बढ़ा है और अब हम आत्मनिर्भर बन गये हैं। मुझे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को बधाई देने में कोई संकोच नहीं होता, जिसने बीजों की विभिन्न किस्मों का अनुसंधान किया। यह भारतीय वैज्ञानिकों की वास्तव में ही एक महान उपलब्धि है, जोकि अन्न उत्पादन की दिशा में एक योगदान है। हमने जल और उर्वरक जुटाये, जिससे उत्पादन शक्ति बढ़ी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, यह उपलब्धि कांग्रेस सरकार की देश को देन है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 1951 या उसके आसपास केवल 470 लाख रुपये ही खर्च किये गये थे; और 1972-74 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के लिये यह राशि 2,5000 लाख रुपयों तक पहुंच गई। कृषि के क्षेत्र में क्या हुआ ? अब आप कृषि के मोर्चे पर आरामदेह स्थिति में हो। मुझे याद है कि इसी सदन में श्री पीलू मोदी कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा रहे थे और विपुल उत्पादन को सम्भालने में इसकी असफलता की भर्त्सना कर रहे थे। पंजाब अब केवल गेहू की ही पैदावार नहीं देता बल्कि चावल भी उपजाता है। उनकी तो ऐसी हालत हो गई है कि खाद्यान्नों के भण्डारण के लिये भण्डारों की कमी के कारण विद्यालयों तथा अन्य संस्थानों को छुट्टियों पर भेजना पड़ा। कांग्रेस सरकार द्वारा प्रदान की गई समस्त आधारभूत रूपरेखा के, ढांचे के बल पर ही आज उत्पादन 1260 लाख टन तक पहुंच पाया है। यह केवल जनता सरकार के सत्ता में आने से ही संभव नहीं हो सका है। क्या आप इतनी विस्तृत आधारभूत रूपरेखा प्रदान करने की कल्पना कर सकते हैं ? फिर क्यों आप हर समय कांग्रेस सरकार के मत्थे दोष मढ़ा करते हैं।

महोदय. मुझे याद है कि अपने स्कूल के दिनों में जब मैं चौथी या पांचवीं श्रेणी का छात्र था तो, मुझे स्कूल से, एक कपड़े के टुकड़े और मिटठी के तेल की प्राप्ति के लिये, एक पर्ची मिली थी। यह स्थिति तो कब की समाप्त हो गई थी। और आज, कांग्रेस के 30 वर्ष राज्य चलाने के पश्चात, जनता के दो वर्ष के शासन मे, लोगों को मिट्टी का तेल लेने के लिए लाईन में खड़ा होना पड़ता है। केवल इतना ही नहीं, यहां तक डीजल लेने के लिये वाहनों को भी पंक्तिबद्ध

होना पड़ता है । यह कांग्रेस सरकार का ही काम था जो देश की तेल की जरूरत का एक तिहाई देश में ही उपलब्ध हो सका । और अब गोहाटी, असम और बम्बई-हाई को मिलाकर, कच्चे तेल का उत्पादन 40% तक पहुंच गया है । क्या आप इस बात को नकार सकते हैं कि यह सब कांग्रेस शासन के कारण ही हुआ । अब आपने मिट्टी के तेल का राशन कर रखा है । इसका कारण आप इरान की राजनैतिक उथल-पुथल को बतायेंगे । यहां तक कि अमरीका वाले भी यह कह हटे थे कि भारत में तेल निकल ही नहीं सकता । परन्तु सोवियत संघ ने यह कहा था कि भारत में असम में तेल उपलब्ध है । कांग्रेस सरकार की उपलब्धि तो बम्बई-हाई और असम में तेल ढूंढ निकालने में थी । मैं यह तो नहीं जानता कि जनता सरकार क्या करेगी ? केवल इरान की एक छोटी सी ही उथल-पुथल ने जनता सरकार को निस्सहाय बना दिया और लोगों को मिट्टी का तेल लेने के लिये पंक्तियों में खड़ा होना पड़ा । वे इस देश को फिर 1949 की स्थिति में ही वापिस ले जा रहे हैं और दावे कई बातों के कर रहे हैं । परन्तु आप लोगों को मिट्टी का तेल नहीं दे सकते । इसका कारण है कि इरान में उथल-पुथल चल रही है। फिर आप कांग्रेस सरकार को क्योंकर कोसते हैं ।

बजट की ही बात लीजिये । माननीय सदस्यों के कांग्रेस सरकार को कोसनों से भरपूर भाषणों को सुनने के बाद मुझे बहुत सी बाते कहनी हैं । मुझे अपने एक कांग्रेसी होने और कांग्रेस के 30 वर्ष के शासन पर गर्व है । कांग्रेस शासन ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारी योगदान दिया । अब आप खादी और ग्रामोद्योगों पर धन व्यय करने की आशा कर रहे हैं । यह इसलिये सम्भव हो सका है, क्योंकि कांग्रेस शासन अन्य वस्तुओं पर पहले से ही धन खर्च कर चुका है । अतः महोदय, मुझे अपने दल पर गर्व है ।

श्री भट्टाचार्य और उनका दल सदा विनाशकारी कार्यों में लगा रहता है । सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्रों के आन्दोलनों ने इस देश को बर्बाद कर दिया है । उनकी नीति आन्दोलनों के लिए आन्दोलन करने की है । जार्ज फर्नानिडिस ने एक बार कहा था कि वह बोनस के मामले पर हड़ताल करायेंगे जिससे कांग्रेस सरकार का पतन होगा । अब वह दो वर्ष से सरकार में हैं परंतु वह रेल कर्मचारियों को बोनस नहीं दिला सके । उन्होंने बोनस की मांग उस समय की जब रेलवे हानि में चल रही थी । परन्तु अब जबकि रेलवे लाभ में चल रही है वह रेल कर्मचारियो को बोनस नहीं दे पाये ।

एक बात मैं आर्थिक नीति के बारे में कहना चाहता हूं । आप भारतीय अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप कर रहे हैं । इसका विनाशक प्रभाव होगा । अग्रवाल जी, आपको स्मरण होना चाहिए हमने आपकी स्वर्ण नीति की आलोचना की थी । अब एक साधारण नागरिक अपनी पुत्री का विवाह नहीं कर सकता । मैं जानता हूं कि केरल में 10 से 20 गिन्नी की मांग होती है जबकि प्रत्येक का मूल्य 1000 रुपये है । आपकी एक-एक नीति विफल रही है । यदि आप बिना किसी सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों के अर्थव्यवस्था में हस्ताक्षेप करते हैं । तो परिणाम विनाशकारी होंगे । इसलिए मैं मंत्री महोदय से अपील करता हूं कि वस्तुपरक अर्थनीति अपनाएं । आई० डी० बी०

आई० भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। केवल आई० डी० बी० आई० के निर्देशकों के संबंधियों की उसकी विभिन्न संस्थाओं में नियुक्ति की जाती है। कई मामले न्यायालय में गये हैं। तमिलनाडु सरकार ने भी मद्रास में एक फर्म के प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति पर आपत्ति की। वह आई० डी० इ० एल० के कार्यकारी निदेशक के संबंधी थे। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता परन्तु आप उनका नाम जानते हैं, श्री पंजा उनके पांच सम्बन्धी विभिन्न फर्मों के निदेशक अथवा प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गये हैं। क्या आई० डी० बी० आई० सम्बन्धियों की नियुक्ति के लिए बना हैं।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री वयालार रवि : मैं एक दो मिनट में समाप्त करता हूं। जब जनता सरकार सत्ता में आई तो उन्होंने कतिपय बैंकिंग संस्थानों के अधिकारियों को हटाया। परन्तु मुझे पता चला है वे लोग चोर दरवाजे से पुनः घुस आये हैं। आई० डी० बी० आई० के चेयरमैन का चंडाल चौकड़ी के साथ संबंध के कारण पृथक किया गया था। परन्तु बाद में वह औद्योगिक वित्त निगम के माध्यम से सल्वानिया लैम्पस के चेयरमैन बन गये। आप ने पुराने चंडाल चौकड़ी के व्यक्तियों को हटाया था परन्तु वे अभी बैंकिंग संस्थानों में कार्य कर रहे हैं। उन्हें वहां नहीं रहने दिया जाना चाहिए।

अन्त में मैं माचिस उद्योग के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। आज माचसें 20 पैसे की दर से बिक रही हैं। जबकि आपके कर प्रस्तावों के अनुसार 17 पैसे में बिकनी चाहिए। रेजगारी की तंगी के कारण 3 पैसे व्यापारी को लाभ रहता है। आपको अपने कर प्रस्ताव ऐसे रखने चाहिए थे कि यह 15 पैसे में बिक सके। पिछले कई व्यवस्थित क्षेत्र में 'विमको' ने अपना उत्पादन नहीं बढ़ाया। देश में माचिसों की मांग प्रतिदिन बढ़ती जा रही है इसलिए कुटीर उद्योगों को अधिक से अधिक उत्पादन करना चाहिए ताकि वे मांग को पूरा कर सकें। 50 से 60 प्रतिशत उत्पादन शिवकाशी का एक परिवार करता है। उन्हें आपके कर प्रस्तावों में भी लाभ रहता है। आपको इस समस्या पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। उन्हें कुछ और रियायत दी जानी चाहिए ताकि माचिस 15 पैसे में बिक सके। मेरा श्री अग्रवाल से निवेदन है कि इन सभी बातों पर विचार करें। मेरा यह भी निवेदन है कि जनता सदस्यों को परामर्श दें कि प्रधान मंत्री श्री मोरार जी देसाई को अपशब्द न कहें जिन्होंने कांग्रेस शासन में भी कुछ समय सत्ता सम्भाली थी।

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (रामपुर) : सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी के फिनांस बिल के समर्थन के आधार पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं।

इस वर्ष इस वित्त विधेयक के बारे में आम जनता में, और इस सदन में, तरह तरह के विचार व्यक्त किये गये हैं। सच्चाई यह है कि इस बजट के द्वारा इस देश के सभी समुदायों पर, चाहे वे किसी भी वर्ग के हों, चाहे वे नगर के रहने वाले हों या देहात के रहने वाले हों, करों का बोझ लादा गया है। टैक्सेशन के द्वारा 946 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार इस देश की जनता पर लादा गया है।

माननीय वित्त मंत्री जी का कहना है कि देश के डेवेलपमेंट के लिए हमें कुछ न कुछ रीसोर्सिज की जरूरत है जिनके माध्यम से देश का डेवेलपमेंट किया जा सकता है। यह बात अपने स्थान पर सत्य है, लेकिन झा कमेटी ने कहा है कि अधिक से अधिक टैक्सेशन लगाये जाने के उपरांत लोगों में टैक्सों की चोरी की मनोवृत्ति बढ़ेगी। यह बात देखने में आ रही है कि हमारे देश में आम व्यक्ति टैक्सों से बचने की कोशिश करता है, और यह बात सब से ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग अच्छी प्रकार जानते हैं कि किस प्रकार से टैक्स इवेजन की कोशिशें की जाती है। इस विषय में मैं सर्वप्रथम यह कहना चाहता हूं कि हमें अपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्रियाशील बनाना चाहिए और उसमें उच्चाधिकारी ईमानदार लोग रखने चाहिए। जब वे स्वयं लोगों की उन गतिविधियों में संलग्न हो जाते हैं, जिनके द्वारा वे टैक्स इवेजन करना चाहते हैं, तो इस टैक्स इवेजन को रोका नहीं जा सकता है।

1974 और 1976 में यह कोशिश की गई कि जनता पर टैक्सेशन का बोझ घटाया जाये और उसके अच्छे परिणाम देखने को मिले। उसके परिणामस्वरूप वर्ष भर के उपरांत टैक्सों में काफी बड़ी मात्रा में वृद्धि हुई है। किसी हद तक यह आवश्यक है कि देश के डेवेलपमेंट के लिए टैक्सों के माध्यम से धनराशि जुटाई जाये। लेकिन अगर संसार के अन्य देशों के टैक्सेशन से तुलना की जाये, तो मालूम होगा कि भारत की टैक्सेशन की राशि बहुत अधिक मात्रा में है, जो बहुत दुखदायी बात है।

इस पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पांच वर्षों में टैक्सेशन का जितना बौझ जनता पर लादा जाना चाहिए था, उसका 75 परसेंट पिछले दो वर्षों में लाद दिया गया हैं। अगले तीन वर्षों में कितना एक्स्ट्रा बर्डन जनता पर लादा जायेगा, इस का अंदाजा लगाना कठिन है।

हमारे देश में आज जो ब्लैक मनी की पैरालल इकानोमी रन कर रही है, उसके विषय में वित्त मंत्रालय ने किसी प्रकार का कोई संकेत नहीं दिया है, जो अत्यन्त आवश्यक है। कांग्रेस सरकार ने वालंट्री डिस्क्लोजर की एक दो बार सुविधा प्रदान की। लेकिन मैं उससे विशेष सहमत नहीं हूं। मेरा इस विषय में यह कहना है कि आज हाउसिंग प्राबलम, रूरल, एरियाज के डेवलपमेंट की प्राबलम देश के सामने बहुत बड़ी समस्या बन कर खड़ी है। सरकार की तरफ से बड़ी बड़ी एरियाज के अंदर कोलोनीज डेवलप करनी चाहिए और वहां पर ब्लैक मनी के लोगों को अवसर देना चाहिए कि वह वहां पर उसको इन्वेस्ट करें, उसके ऊपर सरकार उन लोगों को छूट दे। इसी तरह से रूरल डेवलपमेंट के अन्तर्गत भी उन लोगों को सुविधा प्रदान करनी चाहिए ताकि देश को उसका लाभ पहुंचे, अन्यथा इस ब्लैक मनी ने हमारे देश की एकोनामी को बिलकुल चौपट कर दिया है। आज हर व्यक्ति की क्रय शक्ति गिरती चली जा रही है और इन्फ्लेशन की मात्रा देश में लगातार बढ़ रही है।

हमारी कर-नीति इस प्रकार की होनी चाहिए जिस से कि देश के अंदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को आगे बढ़ने का अवसर मिले। जहां तक ऐग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का प्रश्न है, देश के अंदर आज इस प्रकार की परिस्थितियां हमारी जनता सरकार ने उत्पन्न कर दी हैं कि किसान जुटा हुआ है, सिचाई की व्यवस्था जुटाई गई है, अन्य साधन जुटाए गए हैं,

आज चौधरी साहब ने किसानों को बहुत सुख सुविधाएं दी हैं जिस के कारण हमारा ऐग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ेगा लेकिन पिछले दो बर्षों के अन्दर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की जो दुर्गति हुई है वह किसी से छिपी नहीं है। काटन को देख लीजिए, पोटैटो को ले लीजिए, शुगर केन को ले लीजिए। किसान को उसका उत्पादन-मूल्य भी वापस नहीं मिला। इसके लिए सरकार को सुनियोजित ढंग से लम्बी योजना के आधार पर इस तरीके की कोई नीति घोषित करनी होगी जिसके परिणाम स्वरूप किसान को उसका उत्पादन मूल्य सही मात्रा में मिल सके, अन्यथा आने वाले वर्षों में जो ऐग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के भण्डार अपने देश में दिखाई देते हैं उनकी स्थिति डावांडोल हो सकती है। पोटैटो के भण्डारों की, उसके रख रखाव की व्यवस्था और विदेशों में उसके निर्यात की समुचित व्यवस्था करना सरकार का सब से बड़ा कर्त्तव्य है और यह सब से पहले होना चाहिए पोटैटो को आज कोल्ड स्टोरेज में रखने की कोई व्यवस्था नहीं है। यह सदन अच्छी तरह से जानता है कि 5 रुपये मन आलू बिक गया और कई जगहों में आलू को लोगों ने नदियों में ऐसे ही फेंक दिया क्योंकि उसके रखने की कोई व्यवस्था नहीं थी। ऐसी स्थिति में किसान का क्या सहयोग मिल सकता है ?

इस बात की बहुत चर्चा हुई कि ग्रामीण अंचलों के अंदर इस टैक्स का भार नहीं पड़ा। लेकिन उसके दूरगामी दूसरे परिणाम सामने आए हैं पिछले एक वर्ष से कोल, केरोसिन आयल, पेट्रोल, डीजल और अन्य इस प्रकार की चीजों की जिनको कि देहात के लोग भी इस्तेमाल में लाते हैं और शहरों के लोग भी इस्तेमाल में लाते हैं, उनकी प्राइस में किस तरह से वृद्धि हुई है यह किसी से छिपा नहीं है। आज ऐग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की बात हम जहां करते है उसके साथ साथ इडस्ट्रियल प्रोडक्शन की जो हालत है उसका मुख्य कारण कोल, सीमेंट और पेट्रोल आदि का उपलब्ध न होना और इसके साथ उनकी प्राइसेज का आसमान को चढ़ जाना है।

पिछले दिनों में स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के लोगों ने माननीय वित्त मंत्री को एक ज्ञापन दिया और उस पर अनेक संसद सदस्यों के द्वारा संस्तुतियां भी लिखवाई गई। उसके द्वारा आइटम 68 में यह मांग की गई कि जो 30 लाख रुपये तक की एग्जम्पशन थी उसको घटा कर 15 लाख जो कर दिया गया उसको समाप्त किया जाय। आज बढ़ती हुई कीमतों को देखा जाय तो उसको 30 के स्थान पर 50 लाख करना चाहिए था। अगर हम अपने देश में स्माल स्केल इंडस्ट्री को जीवित रखना चाहते हैं, उसे जिन्दा देखना चाहते हैं तो हमें हर प्रकार से उनके अंदर सहयोग देना पड़ेगा। पिछले वर्षों में आइटम 68 में एक प्रतिशत से ले कर 8 प्रतिशत तक एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई। आज ये लघु उद्योगधन्धे लड़खड़ाती स्थिति में हैं। यदि सरकार इनकी दयनीय स्थिति पर विचार नहीं करेगी तो अन्ततोगत्वा इसके दूरगामी परिणाम देखने को मिल सकते हैं।

पब्लिक सेक्टर पर हमारे देश में 15 हजार करोड़ रुपये की पूंजी व्यय की गई है। आज पब्लिक सेक्टर की क्या स्थिति है यह किसी से छिपी नहीं है। यह प्रसन्नता की बात है कि माननीय वित्त मंत्री इस बात के विरोधी हैं कि पब्लिक सेक्टर में और अधिक व्यय किया जाय। उस पर और अधिक व्यय करने की आवश्यकता नहीं है। मैं इस बात को मानता हूं कि पब्लिक

सेक्टर केवल उसी देश में पनप सकता है जहा नेशनल कैरेक्टर और मोरल ऊंचा हो। दुर्भाग्य से पिछले तीस सालों में कांग्रेस सरकार ने यहां नेशनल कैरेक्टर को दफना दिया और परिणाम-स्वरूप बड़े-बड़े अधिकारी आज उसका अपना मान कर नहीं चलते जिसका परिणाम यह है कि वहां करोड़ों रुपये का लासेज का सामना करना पड़ रहा है।

जहां प्राइवेट सेक्टर में अच्छाइयां हैं, वहां बुराइयां भी हैं लेकिन प्राइवेट सेक्टर की देख-रेख के लिए सरकार ने हर स्थान पर नियन्त्रण लगा रखे हैं परन्तु हमारे अधिकारी उनको तोड़ कर तरह-तरह से मनमाने ढंग से काम करने के लिए उनको सुविधा देते हैं। माननीय वित्त मंत्री के द्वारा जो यह घोषणा की गई है कि सरकारी खर्चे की व्यापक जाँच के लिए आयोग भी नियुक्ति की गई है उसका मैं स्वागत करता हूं। इस स्वागत के साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि उनको एक व्यवस्था और भी करनी चाहिए। अभी प्राइवेट सेक्टर में जो बढ़े-बड़े उच्चाधिकारी होते हैं वे अगर अच्छ रिजल्ट्स नहीं दिखाते तो उनको मुंह की खानी पड़ती है। उनकी पांच हजार की तनख्वाह समाप्त, गुडविल समाप्त, उनको बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन पब्लिक सेक्टर का दुर्भाग्य है कि एक उच्चाधिकारी द्वारा करोड़ों का नुकसान करने के बाद भी उसको और अच्छा स्थान दे दिया जाता है। मिसाल के लिए इंण्डिया स्कूटर्स लि० लखनऊ में एक आई ए उच्चाधिकारी नियुक्ति किया गया जिसने दो वर्ष में कई करोड़ का नुकसान पहुंचाया लेकिन उसके बाद उसको गवर्नमेंट आफ इंण्डिया में ले लिया गया। आएदिन इस प्रकार की मिसालें मिलती रहती हैं। वास्तव में तो ऐसे अधिकारियों को दंडित किया जाना चाहिए ताकि उनको सबक मिले कि अगर हमने किसी प्रकार की बदनीयती की या गड़बड़ी की तो हमें उसकी सजा मिलेगी।

सरकारी धन का अपव्यय किस तरह से हो रहा है उसकी स्थिति सदन के सामने स्पष्ट है। अनेकों मंत्रालयों द्वारा करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जाते हैं। हरिजन समाज कल्याण विभाग के द्वारा तरह-तरह के जो व्यय किए जा रहे हैं उससे आम जनता को, हरिजन भाइयों को कोई लाभ नहीं होता है। इस तरह की सभी चीजों पर अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए।

आज हमारे देश के कृषकों की क्या स्थिति है, अगर पिछले तीस वर्षों के आंकड़े देखे जायें तो इस बात की सत्यता सामने आ जाएगी कि ग्रामीण अंचलों और अरबन एरियाज में कितना बड़ा अन्तर कांग्रेस सरकार ने रखा—मैं आपके सामने इस सम्बन्ध में कुछ तथ्य प्रस्तुत करना चाहूंगा। आज अन्तर एक और चार का हमारे सामने है। 1978-79 में कुल कृषि की आमदनी को उनकी पूरी जनसंख्या पर यदि वितरित किया जाय तो औसतन प्रति व्यक्ति आमदरी प्रति वर्ष 2 हजार 90 रु० बैठेगी और प्रतिदिन के हिसाब से 5 रुपये 70 पैसे बैठेगी। अब 5 रुपये 70 पैसे में कोई भी श्रीमान अपना तथा अपने परिवार का जीवन-यापन नहीं कर सकता है। अपने ही देश के अन्य लोगों की तुलना में कृषकों की यह आमदनी बहुत कम है अन्य देशों से तुलना करने की बात ही क्या है।

इस बार बजट के अन्तर्गत पेट्रोल, डीजल, कैरोसीन आयल की प्राइसेज बढ़ाई गई है जिससे आम जनता बड़ी प्रभावित हुई है। विशेष रूप से कृषक वर्ग तथा छोटे-छोटे लोग बहुत प्रभावित हुए

हैं। अभी जैसा कि बहुगुणा जी से संकेत मिला है, प्राइसेज और भी बढ़ाई जायेंगी। मैं नहीं समझता गरीब जनता किस तरह से अपनी इन चीजों की जरूरत को पूरा कर सकेगी। जहां तक मेरी जानकारी है, विदेशों में एक लीटर पेट्रोल पर सात पैसे की वृद्धि की गई है जबकि हमारे यहां 55 पैसे बढ़ाए गए हैं। यह जनता के साथ अन्याय है जिसको रोकना चाहिए। स्ट्रेट ट्रेडिंग कारपोरेशन के द्वारा जो अपना प्राफिट लगाया जाता है और जो यहां क्रूड आयल तैयार होता है उसको समान स्तर पर रखने के लिए इस प्रकार की कोशिश की जाती है। पिछले पांच वर्षों में ट्रेक्टर की प्राइस 30 हजार से बढ़ाकर 80 हजार कर दी गई है। कृषकों के लिए भी किसी चीज की सीमा होनी चाहिए। ऐसी स्थिति उत्पन्न करने के बाद ऐसा मालूम होता है कि किसानों से खेती कराने की विचार ही छोड़ा जा रहा है। मैं अनुरोध करूंगा कि इस विषय पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। ट्रेक्टर्स तथा दूसरे इंप्लीमेंटम की जो प्राइसेज बढ़ाई गई हैं उन पर नियन्त्रण लगाया जाए।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि एकटैक्सेशन तो वह है जो शासन के द्वारा लगाया जा रहा है लेकिन इसके अतिरिक्त इनडाइरेक्ट टैक्सेशन और है जो हमारे देश में बुरी तरह से व्याप्त हैं। जब तक हमारी सरकार उस पर कन्ट्रोल करने की कोशिश नहीं करेगी, तब तक हमारी जनता त्राहि-त्राहि करती रहेगी। इनडाइरेक्ट टैक्सेशन को मैं करप्शन का नाम दूं, तो गलत न होगा। चाहे शहर का रहने वाला हो या देहात का रहने वाला हो, जब तक वह इनडाइरेक्ट टैक्सेशन का पेमेन्ट नहीं कर देता, उसका जेन्यून काम करने को भी कोई तैयार नहीं होता है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इन सब चीजों के बारे में अपने उत्तर में स्पष्ट करें कि करप्शन को समाप्त करने के लिए वे क्या व्यवस्था कर रहे हैं। हम ग्रामीण लोगों की बात करते हैं, उन लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की बात करते हैं, लेकिन मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि एक एक पम्पिंग सेट जो ढाई हजार और तीन हजार रुपये का आता है, उसके लिए उसको पांच हजार रुपये खर्च करने पड़ते हैं और किसान को इतने पैसे जुटाने पड़ते हैं। उसको अगर कुछ पैसा सरकार की तरफ से दिलवाया जाता है या दूसरी एजेंसियों से दिलवाया जाता है, तो उस पैसे को अगर वह जमा नहीं करवा पाता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है लेकिन उसका पैसा जो फैक्टिरियों के पास या दूसरी जगहों पर होता है, वह उसको नहीं दिलवाया जाता है। इससे बड़ा अनर्थ और क्या हो सकता है।

आज हमें अर्बन और रूरल पब्लिक के बीच में कोई भेदभाव खड़ा नहीं करना है आज शहरी जीवन क्या है और एक ईमानदार व्यक्ति की क्या स्थिति है, यह आप देखें। मुझे मालूम है कि दिल्ली के अन्दर हजार, आठ सौ रुपये में भी दो कमरों वाला उपलब्ध नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम आशा करते हैं कि लोगों को किस प्रकार से न्याय मिल सकेगा, इन सब चीजों पर जो मैंने प्रकाश डाला है, मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जीं इन चीजों में सुधार लाने की व्यवस्था करें।

जयहिन्द

श्री सुशील कुमार धारा (तामलुक) : मैं वित्त विधेयक पर पहली बार बोल रहा हूं, अतएव सम्भव है मुझ से कोई भूल हो जाये। इस वित्त विधेयक का मैं पूरी तरह समर्थन करता हूं।

अपने चुनाव घोषणा पत्र में जनता पार्टी ने घोषणा की थी कि यह योजना और विकास में कृषि तथा ग्रामोत्थान पर बल देगी । पिछले दो वर्ष में जनता सरकार ने जो कुछ किया है मैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहता । परन्तु इस बजट में वित्त मंत्री तथा वित्त मंत्रालय ने कृषि को प्राथमिकता दी है जिस कारण पूरा बजट ग्रामोन्मुख बन पाया है । इस बात को जानने वाला इसे कुलक बजट नहीं कहेगा ; यह कतई कुलक बजट नहीं है । पर बजट किसानों का छोटे उद्योगों का गरीब लोगों तथा समाज के कमजोर वर्गों का बजट है । बंबई के 'कामर्स' पत्रिका में 3.3.1979 को बजट प्रस्तुत होने की 3 दिन पश्चात लिखा था ।

"श्री चरण सिंह ने बजट नीति में तीन रूप में परिवर्तन किया है । इस नीति के दूरगामी परिणाम निकल सकते है । प्रथम तो उन्होंने विकेन्द्रीयकृत पूंजी पर निर्भर नगरीय उपयोग के उत्पादनों पर कर लगाया है । उन्होंने आधुनिक उपकरणों का उपयोग करने वाले कृषिकों को भारी राहत दी है । यदि यह बजट नोति दृढ़ता से क्रियान्वित की जाती है तो नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्र में असमानता एक सप्ताह में समाप्त हो जायेगी ।

अब प्रश्न क्रियान्विति का है । वास्तव में बजट तथा इसकी क्रियान्विति पृथक-पृथक है । इन दोनों में भारी अंतर हो सकता है । पिछले 32 वर्ष में हमने बहुत से श्रेष्ठ बजट देखे हैं परन्तु क्रियान्विति में बहुत अंतर है और हमारा देश गरीब से गरीब होता जा रहा है । परिणाम स्वरूप गरीबी के स्तर से नीचे रह रहे लोगों की संख्या 70 प्रतिशत के अधिक हो गई है ।

'उद्यमियों' को तथा नगरीय क्षेत्र से मध्यवर्गी लोगों को यह समझना चाहिए कि वे भारतीय अर्थ-व्यवस्था की शाखाएं मात्र हैं । यदि उक्त वृक्ष की जड़ें अर्थात ग्रामीण लोग दशकों तक शुष्क रहती हैं तो वृक्ष भी गिर पड़ेगा । अर्थ-व्यवस्था में हाल के संकट को ग्रामीण क्षेत्रों की संबद्ध उपेक्षा के साथ जोड़ा जाना चाहिए । यह तथ्य कि 65 करोड़ की जनसंख्या वाले भारत का बाजार केवल 6 करोड़ लोगों का है, इससे सम्पन्न वर्गों को पता चल जाना चाहिए कि थोड़ी सी मंडियों तथा सीमित विपणन शक्ति से उनके उद्योग उन्नति नहीं कर सकते । ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही 80 प्रतिशत जन संख्या की कोई क्रय शक्ति नहीं है । इसलिए हमारी उपभोक्ता वस्तुएं बिक नहीं पाते तथा तथा उद्योग पनप नहीं पाते । बजट प्रस्तुत किये जाने के बाद मैंने उद्योगों तथा वाणिज्य क्षेत्र के कई मित्रों से बातचीत की थी । वे लोग बजट के बहुत अधिक विरोधी थे । मैंने उन्हें शान्तिपूर्वक समझाने की चेष्टा की कि यह लोग काफी धन कमा चुके हैं तथा अब उन्हें उन लोगों का ध्यान रखना चाहिए जो दशकों से वंचित रहे उनका ध्यान रखना चाहिए तथा उन्हें अधिक समय अभावग्रस्त नहीं रहने देना चाहिए ।

इन सब बातों के होते हुए वित्त मंत्री ने महत्वपूर्ण तथा उपयोगी व्यवस्थाएं की हैं । उन्होंने सिचाई तथा बाढ़ नियंत्रण के लिए 1488 करोड़ रुपए कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए 18.11 करोड़ रुपए और 3000 में से 2000 ब्लाकों में विशेष कार्यक्रम के लिए 254 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है । इसका अर्थ है प्रत्येक ब्लाक को 12-70 लाख रुपए मिलेंगे । यह कोई छोटी राशि नहीं है । पीने के पानी के लिए बजट में 80 करोड़ रुपएं की व्यंवस्था की गई है । बेशक

हमारे देश में 1.60 लाख गांव है जिनमें पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है फिर भी उन गांवों के लिए 80 करोड़ रुपए से कुछ तो कार्य होगा। ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए 285 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इस बजट में 'कार्य' के बदले अनाज' योजना के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। परन्तु पश्चिम बंगाल राज्य का मुझे एक अनुभव है। पिछले वर्ष उन्हें 'कार्य के बदले अनाज योजना' के लिए केन्द्रीय सरकार से 1 करोड़ रुपए मिले। परन्तु मेरी जानकारी के अनुसार कार्य केवल 25 लाख रुपए का हुआ है। पता नहीं शेष' 75 लाख रुपए का क्या हुआ। वित्त मंत्रालय को इस पर ध्यान देना चाहिए। अब ये 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर रहें हैं। फिर क्रियान्विति में भारी अंतर रहेगा। इस मामलें पर सतर्कता पूर्वक ध्यान देना चाहिए। जब केन्द्र राज्यों को इतनी भारी मात्रा में सहायता देती है तो यह भी देखा जाना चाहिए कि राशि का उचित रूप से उपयोग होता है।

हमने कई बार घोषणा की है कि देश में असमानता है। हमारे वित्त मंत्री चौधरी साहब नगरीय तथा ग्रामीण लोगों तथा अमीर तथा गरीब लोगों के बीच असमानता के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं। देश में इस प्रकार की असमानता बनी नहीं रहनीं चाहिए। मेरा एक अनुभव है। सरकार ने इस विधेयक में सरकारी कर्मचारियों तथा सरकारी प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों में विद्यमान असमानता को दूर करने की चेष्टा नहीं की है।

हमारे बहुत से उपक्रम हैं और उनके अपने कर्मचारी हैं। मैं सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों के आवास भत्ते का ही विशेष रूप से उल्लेख करूंगा। 21 जून, 1978 को भारतीय इस्पात प्राधिकरण के उप सभापति ने प्रत्यक्ष करों के केन्द्रीय बोर्ड के सभापति को एक पत्र लिखा। अपने पत्र में उन्होंने यह कहा :

> "स्टील आथरिटी आफ इंडिया लि० के इस्पात कारखानों ने अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए अपने निजी नगर बना रखे हैं। इन नगरों में कर्मचारी और गैर-कार्यकारी कर्मचारियों को मासिक किराये के भुगतान पर आवास-स्थान आबंटित किये जाते हैं।"

तीसरे पैरा में उन्होंने यह कहा है :

> "2100-2600 रुपये तक के वेतनमान वाले कार्यकारी अधिकारियों के वेतनमान और भत्ते भारत सरकार के अनुमोदन पर संशोधित किये गये और संशोधित वेतनमान 1 जनवरी, 1975 से लागू किये गये। संबंधित आदेश के अनुसार कारखानों ने जिन कार्यकारी अधिकारियों को क्वार्टर आबंटित किये हैं, उनसे संशोधित वेतन की 10 प्रतिशत धनराशि मकान-किराये के रूप में वसूल की जायेगी।" आदि-आदि

अब उन कर्मचारियों से बाजार-किराये के अनुसार आवास किराया अदा करने के लिए कहा गया है। भुगतान से मेरा आशय यह है कि उनकी आय बाजार किराये के अनुसार गिनी जायेगी, निर्धारित की जायेगी। मान लीजिए, एक कार्यकारी अधिकारी अपने असज्जित क्वार्टर के लिए 200 रुपये अदा कर रहा है। उस क्वार्टर का बाजार किराया लगभग 900 रुपये प्रति

माह होगा जिसका मतलब यह हुआ प्रति 700 रुपये या प्रति वर्ष 3000 रुपये अधिक । इसे उसकी आय में जोड़ा जायेगा और उसे उस 3000 रुपयों पर भी आयकर देना होगा । यह उसके लिए बहुत बड़ी कठिनाई होगी । साथ ही, सरकारी कर्मचारियों के मामले में ऐसा नहीं है । मैं यह नहीं कह रहा कि इसके लिए सरकारी कर्मचारियों को परेशान किया जाये । मेरा केवल वही अनुरोध है कि उनके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, क्योंकि वे भी उसी सरकार के कर्मचारी हैं, कड़े अर्थों में भले ही सरकारी कर्मचारी न हों । साथ ही उस पत्र के पैरा 4 में यह लिखा है :

> "सरकारी कर्मचारियों को सरकारी क्वार्टर अब आंबटित किये जाने के बारे में सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार किराया मूल वेतन के कुछ प्रतिशत, सामान्यतः यह 10 प्रतिशत है, लेकिन कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के मामले में कम है । या मानक किराया, जो भी कम हो, के अनुसार निर्धारित किया जाता है । उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि कंपनी उसी सिद्धांत का पालन कर रही है ।"

अन्तिम पैरा में यह कहा गया है :

> "उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए अनुरोध है कि असज्जित आवास स्थान का मूल्य निर्धारित करने के उद्देश्य के लिए आयकर नियम उन (दो) के अन्तर्गत आने वाले निगम/कंपनी कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों के समान समझा जाये और सरकारी कर्मचारियों और उक्त सरकारी उपक्रमों/नियमों/ कंपनियों के कर्मचारियों में कोई अन्तर नहीं रखा जाये क्योंकि इन निगमों/कंपनियों के वेतनमान सरकार के अनुमोदन से निर्धारित किये जाते हैं ; जो सरकार में विद्यमान मजदूरी ढांचे को भी ध्यान में रखती है । चाहे जो हो, इस प्रकार के असज्जित स्थानों का अनुलाभ मूल्य वेतन के 10 प्रतिशत या मानक किराये, जैसा कि एफ० आर० 45 के अन्तर्गत तय किया गया है । जो भी कम हो, की दर पर तय किया जाये ।

वित्त विधेयक में इसके विषय में कुछ भी नहीं कहा गया है ।

दूसरी बात वाहन भत्ते के बारे में हैं । नियम 163 (ग) (दो) के अन्तर्गत पांच श्रेणियां बनाई गई हैं :

> (क) कर्मचारी जिन्हें वाहन भत्ता नहीं मिल रहा है । उनके पास वाहन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता :

इनके मामले में निर्धारण करते समय, उनके वेतन से 3500 रुपये की धनराशि कम कर दी गयी है । लेकिन अन्य चार श्रेणियों के मामले में केवल 1000 रुपये कम किये जाते हैं । यह असमानता है, जिसे या तो बदला जाना चाहिए या समाप्त किया जाना चाहिए ।

चोकसी समिति ने अध्याय-पांच (पैरा 1-5.9) में यह सिफारिश की है कि "धारा 16 (1) के अन्तर्गत मानक कटौती वेतन के सभी स्तरों पर 20% की समान दर पर निकाली जाये और

मौद्रिक सीमा 3500 रुपये बढ़ाकर 5000 रुपये कर दी जाये।" इसे लिया जाना चाहिए।

साथ ही अध्याय-पांच के पैरा 68 में उन्होंने कहा है कि किसी भी ऐसे कर्मचारी, जो वाहन का उपयोग करता हो, के मामले में अनुच्छेद 16 (1) के अन्तर्गत कटौती की सीमा वर्तमान 1000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दी जाये। साथ ही किसी भी ऐसे कर्मचारी, जो वाहन भत्ता लेता हो, के मामले में 5000 रुपये की सीमा तय की जाये।

यह चोकसी समिति का प्रतिवेदन है। हमें इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। अन्यथा असमानता बनी रहेगी।

दूसरी बात यह है कि बजट में 1300 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया है। हम इस घाटे से बच सकते हैं। कैसे ? मैं एक बहुत ही अरुचिकर बात का उल्लेख करता हूं, जो यहां बैठे अन्य लोगों ने शायद अनुभव न की हो। लेकिन मैं उसका उल्लेख करूंगा। 10000 करोड़ रुपये का काला धन है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : उन्होंने 10,000 करोड़ रुपये कहा। 1970 में वह 9000 करोड़ रुपये था और उसमें प्रति वर्ष 1400 करोड़ रुपये की दर से वृद्धि हो रही है।

श्री सुशीलकुमार धारा : वांचू समिति के अनुसार वह 10,000 करोड़ रुपये है। काला धन है। यह अलग बात है कि वह कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन काला धन है। इस धन को कैसे बाहर निकाला जाये ? हमारे वित्त मंत्री या वित्त मंत्रालय को चाहिए कि वह काले धन के मालिकों के साथ कुछ नर्मी बरते और उनके मामले पर सहानुभूति से विचार करें, ताकि काला धन सामने आ सके। गत 30 वर्षों में हम काले धन को ऊपर नहीं ला सके हैं। काला रक्त स्वास्थ्य के लिए बहुत बुरा होता है। इसी प्रकार काला धन देश के आर्थिक स्वास्थ्य के लिए बहुत बुरा होता है। यह काला धन यदि पकड़ लिया जाये, तो घाटा पूरा हो सकता है। घाटे के बजट का मतलब है मूल्य वृद्धि। हम इस मूल्य—वृद्धि से बच नहीं सकते। इसीलिए यदि हम उस धन को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई तरीका खोजना होगा। मेरे विचार से सरकार को यह निर्णय लेना चाहिए कि रिजर्व बैंक की अनुमति से काले धन को जीवन बीमा निगम के प्रीमियम या किसी संगठन या वित्तीय वचत संगठन के बचत पत्रों को खरीद पर लगाया जायेगा। उस बचत पर आयकर में कुछ छूट दी जानी चाहिए। यदि वे ग्राम विकास पर सिंचाई के लिए पानी, या सरकार से मान्यता प्राप्त किसी अन्य सामाजिक सेवा पर धन लगायें तो उन्हें कर में छूट दी जानी चाहिए और यह कहा जाना चाहिए कि सरकार काले धन को रखने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं की जायेगी। इस तरीके से काले धन को निकाला जा सकता है और निधियों के लिए हमारे पास और अधिक संसाधन हो सकते हैं। मंत्रालय से मेरा अनुरोध है कि एह इस पर विचार करे ताकि हम घाटे की इस अवस्था से उभर सकें, जो देश में गत 32 वर्षों से प्रचलित हैं।

इस शब्दों के साथ, आपके माध्यम से मैं मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि वह इस बात

को ध्यान में रखे कि हम उर्वरकों के उत्पादन पर पहले ही 1500 करोड़ रुपये का निवेश कर चुके हैं, लेकिन स्थापित क्षमता केवल 10 लाख मैट्रिक टन प्रति वर्ष है। वे इसका केवल 50 प्रतिशत पैदा कर रहे हैं, अर्थात् 10 मैट्रिक टन प्रति वर्ष हमारे पास 30 करोड़ एकड़ खेती योग्य भूमि है। इसलिए उर्वरकों का यह उत्पादन अपर्याप्त है। केवल गोबर गैस कारखाने भी बहुत लाभदायक हो सकते हैं। गोबर गैस कारखानों के द्वारा हम प्रति वर्ष कम से कम 70-80 करोड़ मैट्रिक टन खाद बहुत आसानी से पैदा किया जा सकता है। इसीलिए आपके माध्यम से मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह देश भर में भारी संख्या में गोबर गैस कारखाने लगाने पर विचार करें।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : यह बजट बहुत असामान्य बजटों में से है। इसे तैयार करने वाले व्यक्ति इसके स्पष्ट प्रभावों के बारे में या तो मौन हैं या यह योजना का एक अंग है और उन्होंने यह बजट बना दिया मुझे यह कहते हुए खेद है कि इसके द्वारा ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के पुनरुद्धार के नाम पर हमारी आखों धूल झोंकी जा रही है। आप आग में घी डाल रहे हैं और झूठा आश्वासन दे रहे हैं कि इसका प्रभाव बिल्कुल नगण्य होगा। बजट को यह नाम दिया गया है कि यह एक एक प्रतिशत बजट है।

4 मार्च, 1979 के एक पी० टी० आई० सर्वेक्षण में यह कहा गया है :

"देश भर के उपभोक्ताओं ने इस कठिनाई को महसूस करना आंरभ कर दिया है, क्योंकि व्यापारियों ने करों के बाद अपेक्षित मूल्य से अधिक मूल्य वसुल करना आंरभ कर दिया है"

मैं नहीं जानता. श्री जुल्फिकारुल्ला की इस समाचार पर क्या प्रतिक्रिया होगी। सरकारी आंकड़ों में यह स्वीकार किया गया है कि मुद्रास्फीति की दर 4.2 से बढ़कर 5.4 प्रतिशत हो गयी हैं। मेरे ख्याल से नार्थ ब्लाक भारत में नहीं आता। वह भारत के बाहर है, क्योंकि देश की वास्तविकता से उसका कोई संबंध नहीं हैं। एक ओर तो सरकार मुद्रा स्फीति बढ़ा रही या पैदा कर रही है, और दूसरी ओर वह स्वयं अप्रत्यक्ष रूप से मूल्यों को बढ़ा रही है। उदाहरण के लिए सीमेंट, इस्पात और कोयले को लें। सीमेंट का मूल्य --मैं नियंत्रित मुल्य की बात कर रहा हूं, काले बजार के मूल्य की नहीं, जो 300 प्रतिशत अधिक है 1968 में 174 रुपये प्रति टन और 1978 में 412 रुपये प्रति टन था, लेकिन अब सरकार ने नियंत्रित मूल्य में और 20 रुपये की वृद्धि कर दी हैं। इस्पात छड़, जो सभी इस्पात उत्पादों में बहुत महत्वपूर्ण है, का मूल्य 1973 में 1570 रुपये प्रति मैट्रिक टन था और 1978 में 2230 रुपये प्रति मैट्रिक टन था। मौजूदा कीमत 3,400 रुपये प्रति मैट्रिक टन है।

राष्ट्रीयकरण के समय, कोयले का मूल्य 37.50 रुपये प्रति मैट्रिक टन था। अब सरकारी दर यद्यपि 69.90 रुपये है, लेकिन अहमदाबाद में मुझे पता लगा कि एक टन धातुकर्मीय कोयले की कीमत 1,100 रुपये है। जनता पार्टी के घोषणापत्र में चुनाव-पूर्व किये गये वायदे मौजूद हैं। वायदे और कार्य निष्पादन में हमेशा अन्तर रहता है। मतदाताओं का शोषण किया जाता है : ऐसा

क्यों है ? 1971 के **गरीबी हटाओ** तथा जनता पार्टी के घोषणापत्र को एक ही तराजू में तोलना होगा। इसमें यह कहा गया :

"एक नयी आर्थिक नीति : सामाजिक न्याय अच्छे इरादों वाला कोई अपूर्व सिद्धान्त नहीं, है, बल्कि एक बुनियादी दर्शन है, जिससे कार्य में बदला जाना चाहिए और उससे, सबकी बरबादी तथा संपन्नता के सिद्धन्त के आधार पर, जन सामान्य का कल्याण होना चाहिए।

बहुत अच्छा।

"अमीर तथा गरीब नामक दो समाज नहीं हो सकते जिसमें गरीबों को श्रेष्ठजनवाद, उपभोगतावाद, और बाहर नगरवाद के लक्ष्यों में लगा दिया जाता है। गरीबों के और अधिक गरीब होते जाने तथा अमीरों के और अधिक अमीर होते जाने के दुष्चक्र को यदि तोड़ना है, तो 'आयोदय' और संयम के गांधीवादी मूल्यों को स्वीकार करना होगा और क्रियान्वित करना होगा। इसलिए जनता पार्टी निश्चयतापूर्वक यह कहती है······।"

साथ ही इसमें "गरीबी को दस वर्षों में समाप्त करने" की बात भी कही गयी है। मत खींचने का यह अच्छा तरीका है, लेकिन 1982 में आपको कुछ नारे पकड़ने होंगे और तब भी आप अपने 10 प्रतिशत व्यक्तियों को मुश्किल से यहां ला सकेंगे।

पूर्ण रोजगार का लक्ष्य

श्री हरि विष्णु कामथ : 90% काफी अच्छा रहेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने कहा है कि 90% नहीं हो पायेगा। वर्तमान उप प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री ग्रामीण जनता के लिये चिंता प्रदर्शित करते हैं। परन्तु कितने आश्चर्य की बात है कि संगठित क्षेत्र जो कि समाज के सबसे कमजोर हिस्से की कीमत पर, असाधारण और विस्मयकारी लाभ अर्जित कर रहा है उसे अछूता छोड़ दिया गया है। उसी प्रकार ग्रामीण धनिक जो धन का अम्बार लगा रहे हैं, वे न केवल अछूते रह गये हैं बल्कि उन्हें बोनस दिया गया है।

अब, आपके 1977-78 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार (पृ० 51, पैरा 8.25) :

"ग्रामीण क्षेत्रों में कम आय और गरीबी की प्रधानता को देख कर हमें इस तथ्य की अवहेलना नहीं करनी चाहिये कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी आय वितरण में असमानताएं हैं और वहां भी ऐसे धनी किसान हैं जो प्रत्यक्ष कर नहीं देते और जिन्हें अनेक कृषि संबंधी निवेश, रियायती दामों पर प्राप्त हो जाते हैं ! अतः ऐसे उपाय खोजे जाने चाहिये ताकि यह हिस्सा भी राजकोष में अपने उचित भाग का योगदान करे। अन्यथा देश संतोषजनक गति से आगे नहीं बढ़ सकता। इसके साथ साथ यह सुनिश्चित करने के लिये सावधानी बरतनी चाहिए कि ऐसे कर अधिक उत्पादन के लिए घातक सिद्ध न हों।

ग्रामीण धनिकों की सहायता करने के लिए क्या वर्तमान-व्यवस्था है ? यदि आप 1978-79 का आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ें तो उसमें लिखा है (पृष्ठ 8 पर) :

"इस विकास गतिविधियों के बावजूद संस्थानिक ऋण, कृषि संबंधी ऋणों की वास्तविक आवश्यकता की आधी से कम राशि ही जुटा पाता है। इसके अतिरिक्त, ऐसे ऋण का अधिकांश भाग, अपेक्षाकृत धनी किसानों को चला जाता है। इसलिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के प्रत्यक्ष ऋण में छोटे और सीमांत किसानों का भाग जो पहले से ही 37 प्रतिशत है उसे 50 प्रतिशत के निम्नतम स्तर तक बढ़ा दिया जाये।"

वजीर साहब. फरमाइए, यह आपकी ही लिखी हुई किताब में है।

मैं इन बातों का पर्दाफाश कर रहा हूं और, आप दूसरों की आंखों में धूल झोंख रहे हैं। अब मैं यह बताऊंगा कि किस प्रकार संगठित क्षेत्र और बहुरा ट्रीयों को समृद्ध बनाया जा रहा है। मैं आरम्भ में, एक कम्पनी को उद्धृत करूंगा अर्थात् यूनियन कारबाइड, जिसने समस्त क्षेत्र पर अपने पंजे गड़ाए हुए हैं। यूनियन कारबाइड इण्डिया लिमिटेड के कर उपरान्त लाभ और कुछ स्थायी आस्तियां 25 दिसम्बर को समाप्त होने वाले 10 वर्षों के दौरान इस प्रकार थी :

1969 —करोपरान्त लाभ 316 लाख रुपये

1978 —करोपरान्त लाभ 504 लाख रुपये

कुल स्थायी आस्तियां—1969—1883 लाख रुपये
1978—3693 लाख रुपये

31 मार्च 1978 को समाप्त होने वाले दान वित्तिय वर्षों के दौरान रिजर्व बैंक द्वारा कम्पनी द्वारा प्रेषित रुपये के लिए किए अनुमोदन इस प्रकार हैं —

लाभांष—1968-69 : 28,47,263 रुपये
1977-78 : 1,32,67,800 रुपये

तकनीकी जानकारी के आधार पर, उन्होंने जो पहले भेजा था, उससे 50% अधिक भेजा। बहुराष्ट्रीय बराबर धन लूटते हैं और उनका कार्यक्षेत्र अधिकतर उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं जो कि अधिक लाभ देने वाली होती हैं और प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आती। वे घटिया वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं और यह सरकार मौन द्रष्टा हो गई है। उदाहरण के लिए, हिन्दुस्तान लीवर को लीजिए, जो अधिकांश उपभोक्ता वस्तुएं बनाता है। उनके साबुन में चर्बी का कुल अंश जो कि एक समिति द्वारा, जिसमें हिन्दुस्तान लीवर का एक प्रतिनिधि, मेरे विचार में, सभापति था अथवा कम से कम एक सदस्य था 72 या 73 प्रतिशत था, उसे 54% तक नीचे ले जाया गया है। यह नहाने के साबुन के बारे में है।

वजीर साहब, थोड़ा मेहरबानी कर के इसकी भी खबर कीजिए। उस दिन, गाजियाबाद में, उनकी फैक्टरी में, डालडा के निर्माण के लिए एक तेल के टैंक में अपमिश्रित तेल पकड़ा

गया। अब इस देश में, अगर आप पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं और बढ़िया वकील को कर सकते हैं और यदि आप विधि न्यायालय में जा सकते हैं तो मैं इसे न्यायपालिका में घूंसखोरी या भ्रष्टाचार नहीं कहूंगा। फिर आप किसी भी मुसीबत से निकल सकते हैं। मुझे आश्चर्य नहीं है कि वे इस मामले में साफ छूट गये। मगर यह तथ्य पूर्ववत है कि यह कम्पनी, वनस्पति उत्पादन के लिए अपमिश्रित तेल रखे हुए रंगे हाथों पकड़ी गई थी।

पुन: हिन्दुस्तान लीवर के संबंध में, 1972-73 में उनका लाभ 969.48 लाख रुपए, 1975-76 में 1506.92 लाख रुपए था और चालू वर्ष में, वह कहीं अधिक है। मैं संसद को बराबर लिखता रहा हूं कि संसद ग्रंथालय में गैर सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के जिनकी प्रदत्त पूंजी 1 करोड़ रुपए से अधिक है, अद्यतन वार्षिक रिपोर्टें और लाभ और हानि के लेखे होने चाहिए। मगर उसकी जानबूझ कर उपेक्षा की गई है ताकि हम उन आंकड़ों को तत्काल प्राप्त न कर सकें जिनकी हमें जानकारी होनी चाहिए।

उदाहरण के लिए, इन्डिया टूबैको कम्पनी जैसे सिगरेट निर्माताओं को लीजिए। वे पूर्ण एकाधिकार का आनंद उठा रहे हैं और पिछले साल तम्बाकू का व्यापार करने वाले बिचौलियों को 60 करोड़ रुपए का अंधाधुंध लाभ हुआ। मैंने वित्त मंत्री को लिखा था कि वे ऐसे अंधाधुंध लाभों का सफाया करें अथवा मूल्य कम करने के लिए बाध्य करें ताकि उपभोक्ता को लाभ हो। मगर कुछ नही किया गया क्योंकि इण्डियन टूबैको कम्पनी गुट सब जगह है और उनके पास विपुल धन और सुविधाएं हैं जो उन सत्ताधारी लोगों के लिए प्रतीक्षारत हैं जो आनंद उठाते और स्वयं को समृद्ध बनाने के लिए निर्धन किसानों और गरीब उपभोक्ता को लूट सकते हैं।

चालू बजट में, अबतक सबसे अधिक 1355 करोड़ रुपए का कराधान और घाटे की अर्थ व्यवस्था है। नया कर महसूल 665 करोड़ रुपए है और अगले चार वर्षों में यह 2600 करोड़ रुपए हो जाएगा। आप विचार नहीं कर सकते। मैं वास्तविक तथ्य दे रहा हूं और आप पर आरोप लगा रहा हूं। जहां तक अतिरिक्त कराधान का प्रश्न है, पांच वर्षों का लक्ष्य 7750 करोड़ रुपयें है और पहले दो वर्षों में ही दो-तिहाई लगाया जा चुका है। चालू दो वर्षों में, योजना प्रारूप मूल लक्षित राशि का 1/3 होगा जो निश्चित रूप से मुद्रास्फीति उत्पन्न करेगा। आप उससे बच नहीं सकते। पिछले वर्ष की घाटे की अर्थ व्यवस्था में उस वर्ष की घाटे की अर्थ व्यवस्था ने मिलकर आग में तेल का काम किया है। आपका अर्थ-व्यवस्था पर कोई नियंत्रण नहीं है और आप बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं।

1978-79 में केन्द्र से राज्यों को अन्तिरित धन, कुल अन्तरण का 40 प्रतिशत था। 1979-80 में जबकि वे अधिक स्वायत्तता और अधिक आर्थिक अधिकारों की मांग कर रहे हैं, उसे 37 प्रतिशत तक कम कर देने का आपका साहस कैसे हुआ? मैं समाचार पत्रों में यह पढ़कर भयभीत हो गया कि आप राज्य योजनाओं में कांट-छांट करना चाह रहे हैं। बहाना यह है कि वे अपने साधनों में वृद्धि करने में सफल नहीं हो सके हैं। मगर देश की पूरी अर्थ व्यवस्था की मुख्य कुंजी तो आपके हाथों में हैं और आप राज्य सरकारों को साधनों में वृद्धि करने के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं। आप हमें बताइए कि वे किस स्रोत से साधनों को बढ़ायेंगे। वे साधनों में वृद्धि नहीं कर सकते।

अब मैं निर्यात संबंधी आर्थिक सहायता के बारे में बात करूंगा, आप किस तरहा पैसे का आदान कर रहे हैं और कितनी विनाशकारी नीतियों का पालन कर रहे हैं। मैं उद्धत करता हूं;

"हाल में ही उद्धत एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, एक वस्तु के निर्यात के लिये 1.15 लाख रुपये की नकद सहायता की गई जिससे, 3.79 लाख रुपये का आयातित सामान इस्तेमाल करने के बाद 3.83 लाख रुपये की कुल प्राप्त हुई। अत: 1.15 की नकद सहायता कुल 4.000 रुपये अथवा 470 डॉलर की कुल विदेशी मुद्रा की आमदनी के लिये दी गई, जिसका अर्थ यह हुआ कि एक डालर कमाने के लिये 245 रुपये की नकद सहायता अप्रत्यक्ष रूप से की गई। आप हमें बताइये कि यह किस प्रकार की अर्थ-व्यवस्था है। मुझे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं। मगर मैं उस बारे में सदन का समय नहीं लेना चाहता।

ग्रामीण धनिकों के बारे में स्थिति यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों द्वारा दिये गये 1500 करोड़ रुपये के ऋण में से 1200 करोड़ केवल कुलकों द्वारा ले लिया गया है; 2-0 करोड़ सीमांत कृषकों को चला गया है और मात्र 60 करोड़ भूमि विहीन कृषकों और कारीगरों को मिल सका है। डीजल तेल और उर्वरकों पर शुल्क में राहत से विशेषत: ग्रामीण धनिकों को लाभ होगा। कितने गरीब किसानों के पास पम्प और ट्रैक्टर हैं? वह कितना उर्वरक खरीद पाता है? कृपया मध्य प्रदेश क्षेत्र के पूर्वी प्रदेश का दौरा कीजिये और एक जिले में जितने ट्रैक्टरों और पम्पों को देखें, उन्हें अपनी उगलियों पर गिन लीजिये। आप ग्रामीण धनिकों को साधन स्थानान्तरित कर रहे हैं। परन्तु उनसे कुछ वसूला नहीं जा रहा। यह खतरनाक है। ग्रामीण आस्तियों को 1 प्रतिशत के स्थान पर 20 प्रतिशत मान लिया जाता है। कृषकों के लिये लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिये कोई विशेष प्रयटन नहीं किया जा रहा है, तत्परिणाम, छोटा और सीमांत कृषक अधिक गरीब होता जा रहा है। नकदी फसल, जैसे कि तम्बाकू, गन्ना, पटसन, और कपास उगाने वाले को उद्योगपति साल दर साल; हर साल, लूट रहे हैं और सरकार मौन द्रष्टा है।

जनता पार्टी के घोषणा पत्र में, चुनाव से पहले वोट प्राप्त करने के लिये आपने यह वायदा किया था कि उच्चतम वेतन और निम्नतम वेतन के बीच अन्तर 1 : 20 होना चाहिये और आप 1.10 तक कम कर देना चाहते थे। आपने उसके बारे में क्या किया? चुनाव हो चुके हैं; अब आप सत्ता में ले आये गये हैं और इसलिये, आप उन्हें ठुकराते हैं और उन्हें अन्दर आने की अनुमति नहीं देते हैं।

आपके बैंक क्या कर रहे हैं। बैंक वैधानिक नकद अनुपात बनाये रखने हैं असफल हो रहे हैं। ऐसा क्यों हैं? सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों के भारतीय बैंकों और गैर सरकारी क्षेत्र में विदेशी बैंकों और भारतीय रिजर्व बैंक के सुनिर्दिष्ट निदेश के अनुसार यह दांडिक अपराध है।

मैं चाहूंगा कि आपके उत्तर में यह बताया जाए कि आप इन अपराधियों के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं। आप इन बड़े घरानों के प्रति कितने दयालु हैं! कपाडिया और कोहिनूर मिल के लोग सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया के 28 करोड़ रुपये हज्म कर गये। सेन्ट्रल बैंक के पास 17.4 करोड़ रुपयें की प्रदत्त पूंजी थी। न केवल सम्पूर्ण पूंजी उड़ा ली गई बल्कि वे अतिरिक्त

10 करोड़ रुपये लेकर चलते बने । कपाडिया अब भी स्वतंत्र है, मगर आप उनको नहीं छू सकते क्योंकि आपकी दर्शन से सम्बंध राजनैतिक दल उनके बिना जीवित नहीं रह सकते ।

मंत्री महोदय, अपने वरिष्ठ सहकर्मियों ने, कराधान के माध्यम से दी गई विविध राहतों और छूटों से सरकारी व्यय उसके परिणामों और उत्पादन पर पड़ने वाले वित्तीय प्रमाण की खोज करने के लिए दो समितियों का सुझाव दिया था । मंत्री महोदय हम समितियों और आयोगों से तंग आ चुके हैं । आपको मालूम है कि संसद की कराधान विधि समिति को, जिसका मैं सदस्य था, किस स्थिति का सामना करना पड़ा ।

विभति टिप्पण से आपको मालूम होगा कि अफसरशाही ने कुछ प्रलेख प्रस्तुत करना अस्वीकार कर दिया और एक बहाने के तौर पर, एक असत्य विवरण दिया गया । आपके सूत्रधार, सदन में आपसे असत्य बुलवाते हैं और फिर विशेषाधिकार समिति का सामना करवाते हैं । जैसा कि मैंने उस दिन कहा था, श्री प्रणव मुखर्जी ने कहा कि अवस्थापन अनुपात 840 करोड़ रु० था जबकि वहां केवल 200 करोड़ रुपए ही था । जिम्मेदारी ठहराने के बारे में वे कहते हैं कि वे सज्जन राज्य संवर्ग में वापस चले गए हैं और वे उसे कुछ नहीं कह सकते । आप अगली सीट पर बैठकर पहिया हाथ में लेते ही क्यों हैं जबकि आपको मोटर चलानी नहीं आती । ऐसे और भी मामले हैं । कराधान विधि समिति के मामले में, यदि आप विभक्ति टिप्पण देखें तो आप देखेंगे कि उन्होंने प्रलेख प्रस्तुत करना अस्वीकार कर दिया था । वांचू समिति के साथ भी यही हुआ । वांचू समिति प्रतिवेदन का क्या नतीजा निकला ? उसके अंतिरिम प्रतिवेदन में, यह अत्यन्त बलपूर्वक कहा गया था कि यदि आप चाहते हैं कि अर्थ व्यवस्था सही दिशा में प्रगति करे तो विमुद्रीकरण ही एकमात्र उपाय है । मगर आप वैसा करने का साहस नहीं करेंगे क्योंकि आपके खजाने खाली हो जायेंगे और आप अपनी राजनीतिक व्यवस्था नहीं चला पायेंगे ।

व्यय समिति एक और मजाक है । वह अवकाश प्राप्त अफसरशाहों के लिए एक आश्रम है । मेरे विचार में स्वतन्त्रता के बाद कम-से-कम 22 समितियाँ आय कर, सीमा शुल्क, केन्द्रीय राजस्व आदि की जांच करने के लिए नियुक्त की जा चुकी है । मगर सुधार तो दूर, वे हमारी अर्थव्यवस्था में अवनति को दूर करने में भी असमर्थ रहीं । हाल ही में, बिरला और बड़े घरानों सम्बन्धी-जांच समिति ने तो वर्ष की अवधि के दौरान 185 लाख रुपए खर्च करके, अपनी कार्यवाही बन्द कर दी । और आपने इसे सहर्ष किया है । आप जाकर इसका उत्सव क्यों नहीं मनाते कि बड़े औद्योगिक घरानों सम्बन्ध आयोग ने इसे हटा दिया है ।

मुझे वित्त विधेयक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन मिला है । मेरे विचार से इसका सम्बन्ध समझौता कमीशन के बारे में आयकर अधिनियम से है । यह चोकसी समिति के प्रतिवेदन पर आधारित है । व्यक्तिगत रूप से मैं श्री चोकसी के विरुद्ध नहीं हूं लेकिन श्री चोकसी किसके लिए है । क्या वह श्री पालखीवाला के एवजी नहीं हैं ? और श्री पालखीवाला किसके लिए हैं । मैंने वित्तमंत्री जी को लिखा कि सिफारिशें बहुत ज्यादा विवादास्पद थीं तथा इन पर संसद में बिना उचित बहस किए कुछ भी कार्यवाही नहीं की जाए । लेकिन अब तक कोई महसूस

होने वाली बात नहीं कही गई है। वास्तव में श्री चोकसी श्री पालखीवाला के स्थानापन्न थे। मुझे खेद है कि एक प्रेरणात्मक रिपोर्ट चोकसी प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण से पहले मुद्रणालय में चुपके से भेज दी गयी तथा उसमें श्री पालखीवाला जो एक बड़े व्यापारी, बहु-राष्ट्रीय तथा निहित स्वार्थों के व्यक्ति थे, उनका छिपा हाथ था। कृपया विवरण की सत्यता का पता लगाने के लिए भारत में भारतीयों द्वारा निवेश को प्रोत्साहन देने वाले अध्याय को पढ़िए। श्री पालखीवाला ने स्वयं अनेक न्यास बनाये। ज्यादातर सिफारशें सन् 1961 में संसद द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धों में जब श्री मोरारजी देसाई वित्त मन्त्री थे, शिथिलता देने तथा कर का भुगतान करने से बचने के लिए बड़े उद्योगपतियों द्वारा धर्मार्थ न्यासों के माध्यम से दुरुपयोग करने की जांच के बारे में थी। त्यागी समिति विधि आयोग तथा संसद प्रत्येक ने 1961 के आयकर विधेयक के बारे में सोच समझ कर फैसला किया लेकिन इस दुरुपयोग को रोकने में सफलता नहीं मिली। लोक शिक्षा न्यास का एक ज्वलन्त मामला था। चोकसी समिति ने इस प्रकार से लाभ कमाने जाने में लगे रहने को समाप्त करने की सिफारिश की बम्बई की सुविख्यात बीच कैंडी क्लब को कर विभाग ने एक धमार्थ उद्देश्य की संस्था माना है। इस प्रकार उसने चोकसी समिति की सिफारिशों को अलग कर दिया है। ऐसा केवल सम्पन्न व्यक्तियों के घरों को भरने के लिए किया गया है।

समझौता आयोग एक दूसरा ढोंग है। यह सिद्धांत ऐसे मामलों में दखल देने के लिए नहीं है जिनमें छिपाव के मामलों को पकड़ा गया है तथा उनमें दंड लगाया गया है। प्रारम्भ में ऐसे मामलों के लिए आयकर अधिनियम की व्यवस्था की गयी थी। आयुक्त का विचार है कि धोखा-धड़ी या छिपाव के मामले में समझौते के फायदे नहीं दिये जायें। ऐसे मामले में वह समझौता आयोग के विचारार्थ अपनी आपत्ति भेजे। वित्त विधेयक के इस संशोधन को देखकर मेरा दिल धर्रा गया। इसका तात्पर्य यह हुआ कि आयुक्त के अस्वीकार करने पर भी समझौता आयोग आवेदन को स्वीकार कर सकता है। कृपया आप हमें यह बतलायें कि आप कौन सी बात को मानते हैं यदि आप हमें यह बात न भी बतायें तो भी हम यह पता लगा सकते हैं कि आप कौन सी बात मानते हैं। मैं इस सम्बन्ध में कलकत्ता के श्री भट्टाचार्य के मामले को उदाहरण स्वरूप पेश कर सकता हूं जिन्होंने पश्चिमी बंगाल विद्युत बोर्ड को बोस्टिंग हाउस से घटिया थर्मल पावर संयंत्र की सप्लाई कराकर भारी मात्रा में कमीशन कमाया।

आयकर विभाग ने इसके बारे में कभी भी कोई पूछताछ नहीं की। हमने बहुत से लोगों को लिखा। जब यह मामला इस सदन में आया उनके घर पर छापा मारा गया तथा उनके श्री जॉन ड्रबु के मिलने का पता लगा। उसने इंदिरा दल के एक व्यक्ति श्री यशपाल कपूर की मिली भगत से अपनी जमानत करा ली। श्री भट्टाचार्य के घर पर छापा मारा गया। आयुक्त ने समझौता आयोग द्वारा उसके प्रार्थना पत्र पर विचार किये जाने पर आपत्ति की। आप हमें यह बतलायें कि इसे क्यों रद्द कर दिया गया है। आपने इसे किस विचार से रद्द किया। आश्चर्य तो यह है कि वित्त मंत्रालय समझौता आयोग की कार्यवाही के विरुद्ध स्वयं उच्चतम न्यायालय में अपील करने जा रहा है। संशोधन को वापिस ले लिया जाये।

हमने अपने नये बजट में ज्यादातर 665 करोड़ रुपये के अप्रत्यक्ष कर लगाये हैं। उन्होंने निगमित क्षेत्र में बोनस शेयरों से साथ साथ मिलने वाली आमदनी को कर मुक्त कर दिया है।

कर बचाव भारी मात्रा में होता है। यदि आप सैन्ट्रल एक्साइज सेल्फ रिमूवल प्रोमीजर रिव्यू कमेटी के प्रतिवेदन के अध्याय "बचाव" के पृष्ठ 112 पर पढ़ें तो आपको इसकी विस्तृत जानकारी मिल जायगी।

(सभापति महोदय) कृपया समाप्त करने का प्रयास करें

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री मान जी मैं इसे पढ़ रहा नहीं हूं। मुझे अपनी बात पूरी करने में दो मिनट का समय और लगेगा।

श्री मान जी, अप्रत्यक्ष कर जिनके बोझ से निर्बल वर्ग, कराह रहा है, जिनके बारे में आप यदि महसूस करते तो इसे कम करा करते थे। लेकिन आप विकास के पूँजीवादी मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। वह मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिस पर चल कर आप ऐसा करने में असमर्थ हैं। आप इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकते।

हम अब आपसे यह अनुरोध करेंगे कि कृपया आप उपभोग की विलासमय वस्तुओं को छोड़कर जिनका उपभोग समाज के एक धनी वर्ग द्वारा किया जाता है, एक आम व्यक्ति द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं को कर मुक्त करने पर विचार करें।

(व्यवधान)

मंत्री महोदय क्या आपको इस बात की जानकारी है कि आपने मंत्रालय के आधीन जो कार्यकारी बोर्ड बनाया है उसे अधिसूचना निकालकर सम्पूर्ण कर को समाप्त करने या कम करने का अधिकार है? क्या आपको इस बात की जानकारी है।

आपातकाल से पहले जब मैं लोक लेखा समिति का सदस्य था, उसने मैसर्स इम्पीरियल कैमीकल्स इंडस्ट्रीज तथा सिथौटिक्स तथा कैमीकल्स का एक मामला पकड़ा जिसमें इन दोनों फर्मों को लगभग 340 करोड़ रुपये की राशि के सीमा शुल्क में छूट दी गयी। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने किसी कारण वश इस छूट की स्वीकृत दी।

अब सन् 1977 के चुनाव से दस दिन पहले टाटा के अहमदाबाद मिल को आयात के बारे में एक कार्यकारी अधिसूचना के द्वारा 1.76 करोड़ रुपये की एक छूट दी। कृपया आप इस मामले की गहराई से छानबीन करें तथा जो जवाब दिया गया था उसके बारे में उत्तर भेजें। यदि आप मिमिल मंगवायें तो इससे अनौचित्यपूर्ण छूट के कारणों का पता लग जाएगा।

श्री सतीश अग्रवाल : मैंने उस आदेश को निकाल लिया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कृपया आप इसे उत्तर में सम्मिलित कर लें। मैं आपका आभारी रहूंगा।

श्री सतीश अग्रवाल : मैं आपको इस सदन में बतला रहा हूं कि मैंने ऐसा किया है। यह लगभग 1.40 करोड़ रुपये की छूट है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इंडियन टोबेकू कम्पनी को जो एक बहु राष्ट्रीय कम्पनी है 19 मार्च, 1977 को एक भारी मात्रा में छूट दी गयी। यदि मेरी सूचना सही है, श्री प्रणव कुमार मुकर्जी ने छूट की स्वीकृत दी थी। मुझे बताया गया है कि छूट की राशि लगभग 90 लाख रुपये थी। कृपया आप इसका पता लगायें कि ऐसा क्यों किया गया।

यह नौकर शाही के कारनामे हैं। ऐसी परिस्थितियों में केवल सरकार बदलने का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह बड़े उद्योग, बड़े अधिकारियों तथा वरिष्ठ राजनीतिज्ञों के मध्य एक संघर्ष है। यह बिना किसी कमी के लगातार चल रहा है। इसलिये मंत्रीजी. आपका बजट के लिये आना तथा आपके बजट ने आग में घी डाल दिया है। आपके बजट से लाखों लोगों को नुकसान पहुंचा है तथा धनवान वर्ग पर कर लगाने के अनेक उपाय हैं बशर्ते कि आप में राजनैतिक इच्छा होती जिसकी आप में कमी है। जनता सरकार अपनी पूर्वगामी सरकार से न तो अच्छी है और न बुरी है तथा आर्थिक मामलों में जनता सरकार भी उतनी ही खराब है जितनी पिछली सरकार थी। आपको माचिस उद्योग पर कर लगाने की जो नीति है इससे इस उद्योग में लगे हजारों लोग बेरोजगार हो जायेंगे। विमको कम्पनी के मजदूर इस कारण से दिल्ली आये हुए हैं कि उनको यह डर है कि उन्हें रोजगार से हटाया जा रहा है। उनको भूखों मरना पड़ेगा। मैं आपसे इसे वापिस लेने की प्रार्थना करता हूं।

श्री शम्भुनाथ चतुर्वेदी (आगरा) : सभापति जी, उप प्रधान मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया यह बजट जनता सरकार को इस देश की आर्थिक स्थिति के नव निर्माण की नीति पर एक अतिरिक्त प्रहार है। श्रीमान जी, इस बजट के पीछे जो दर्शन है उसे उप प्रधान मंत्री ने अपनी पुस्तिका में स्वयं स्पष्ट किया है। उसमें यह कहा गया है।

'जैसा कि एक अर्थशास्त्री ने कहा है 'भारत एक सम्पन्न देश है लेकिन इसके निवासी निर्धन हैं। इससे स्पष्ट है कि हमारे पास देश के स्त्री, पुरुष तथा बच्चों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिये पर्याप्त साधन हैं। लेकिन लाखों व्यक्ति पहले की तरह ही निर्धन बने रहेंगे तथा वास्तव में कुछ मामलों में दूसरों की अपेक्षा निर्धन रहेंगे।

"भारतीय पहेली - भारी विकास या विकासीय क्षमता तथा भारी मात्रा में गरीबी हमारे भौतिक तथा मानव स्रोतों के गलत उपयोग या उनके न उपयोग करने से होती है। गरीबी बेरोजगारी तथा आय या आर्थिक असमानताएं विकास के कारण नहीं होती। ये हमारे द्वारा अपनाये जाने वाले विकास के तरीकों से होती हैं। उपभोग के आधुनीकीकरण के साथ-साथ भारत में उत्पादन को भी आधुनीकीकरण का श्री गणेश हो गया है। उद्योगीकरण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पूंजी होती है जिसके परिणाम स्वरूप सबसे ज्यादा पूंजी के निवेश के अनुपात में बहुत कम लोगों को रोजगार मिल सका।

जैसा कि एक बहुत विख्यात अर्थशास्त्री ने कहा है हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जो मुख्य रूप से विलासिता की वस्तुओं की जरुरत को पूरा करते हैं।" उन्हें एक गरीबी के विशाल समुद्र से छोटे-छोटे टापुओं से बने एक पिंड कह सकते हैं। अर्थात हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की स्थिति भी गरीबी से घिरे वातावरण पूंजी पतियों के एक पिंड के समान है।" श्रीमान जी, उसने आगे यह भी कहा :

"यह हमारी योजना प्रक्रिया का भयंकर अभ्यारोपण प्रतीत हो सकता है परन्तु यह उस कुछ वास्तविक माल की तैयारी से अधिक नहीं है जो प्राप्त की जा चुकी है तथा उस प्राप्ति से भारत में जीवन के तरीको के लिए क्या किया गया है—वह एक ओर तो जीवन के तरीक की दयनीय दुर्दशा तथा भारी बेरोजगारी है तथा दूसरी ओर जीवन के तरीकों का उत्कर्ष उपभोग है।"

यह इसके विपरीत है कि वित्त विधेयक तथा बजट को निर्देशन मिला है। वित्त मंत्री जी ने तीन दृष्टिकोण अपनाये हैं। पहला दृष्टिकोण यह है कि उसने शहरी क्षेत्रों के लिए भारी मात्रा में पूंजी लगाकर होने वाले उत्पादन पर कर लगाया है तथा विकेन्द्रित उन उद्योगों को कर से राहत दी है जिनसे लोगों को रोजगार मिलता है। दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार कृषकों को जिन्होंने उत्पादन की आधुनिक पद्धति को अपनाया है, राहत दी है तथा तीसरे उन्होंने उत्पादन बढ़ाने तथा पूंजी के निवेश के अनुमान में रोजगार देने पर विशेष जोर दिया है। ऐसा ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के मध्य के असुन्तलन को सुधारने के लिए किया गया है। यह काल्पित आधुनिकीकरण पर ज्यादा केन्द्रित आर्थिक रणनीति को गरीबों की प्राथमिक आवश्यकता को पूरा करने की अपेक्षा दूसरी ओर मोड़ना है।

श्रीमान, सवाल जिस पर विचार किया जाना है, वह यह है कि इस नीति के कार्यान्वयन के लिए अभी कराधान के बारे में संसाधनों का इतना व्यापक संग्रह किया जाना क्या आवश्यक था, तथा क्या उसका उचित रूप से उपयोग हो सकेगा ? जनता सरकार के सत्ता में आने के पश्चात यह पहला अवसर है कि हमने अन्तःस्त्रवण के उस सिद्धान्त को छोड़ दिया है जिसके मायने हैं कि अधिक समृद्धि होने से कुल राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होती है और उसका लाभ नीचे से नीचे तपके वाले लोगों को पहुंचता हो। उस सिद्धान्त की निर्मूलता अनुभव सिद्ध हुई है। तीस सालों तक आयोजना-कार्य के बाद हम उसी स्थिति में पहुंच गये हैं जिसमें कि अत्याधिक विनियोजन-के बावजूद गरीबी और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और कम रोजगार की समस्या मौजूद है, तथा कोयले' तेल, बिजली, सीमेंट इस्पात जैसी उन मूलभूत वस्तुओं का अभाव है जिनकी सहायता से लगभग सभी प्रकार के औद्योगिक सामान का उत्पादन होता है। जहां पर कि वे बेशी मात्रा में उपलब्ध हैं वहां उनकी मंडी में भरमार है क्योंकि क्रय-शक्ति के अभाव के कारण मांग में मंदी है। इसलिए उद्योग में व्यापक स्तर पर रूग्णता व्याप्त है, जो निरन्तर बनी हुई है। लगभग 8000 छोटी औद्योगिक इकाइयां तथा 300 बड़ी औद्योगिक इकाइयां रुग्ण बताई गई हैं। हमारी विकास प्रक्रियाएं कब तक इस तरीके से चलती रहेंगी ? इतने भारी कराधान से अन्ततः वे गरीब लोग ही प्रभावित होंगे जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं और ऐसे लोगों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा

रही है। हमें इस बात पर पुर्नविचार करना है कि वह रास्ता, जिस पर हम अब तक चलते आये हैं, क्या, वह गरीबी और बेरोजगारी के उन्मूलन के हमारे सुन्दर लक्ष्य को पूरा कर सकेगा, सवाल यही है कि इतने भारी कराधान का औचित्य क्या है ? अब तक हम अपनी योजना प्रक्रिया में केवल खंड स्तर तक ही पहुंच पाए हैं। यह पहली बार है कि हम नीचे से नीचे तपके वाले लोगों की जरूरतों के बारे में विचार कर रहे हैं। हमारा एक अन्तोदय कार्यक्रम है, दूसरे समेकित ग्राम-विकास का कार्यक्रम है, फिर लघु सिंचाई कार्यों से संबंधित कार्यक्रम है, इसके अतिरिक्त लघु एवं कुटीर उद्योए संबंधी विकास कार्यक्रम हैं जिनसे हमारे नवयुवकों को रोजगार मिल सकेगा। इन सभी ग्राम-विकास कार्यक्रमों से वे गरीब लोग लाभान्वित होंगे जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। इससे उनकी स्थिति में अवश्य सुधार होगा। शिक्षा स्वास्थ्य, संचार आदि के लिए आवश्यक सामाजिक मूलभूत ढांचे का अभी निर्माण किया जाना है। इन सभी उपायों के लाभप्रद होने तथा उन लाभों के लोगों तक पहुंचने में, निस्सन्देह अभी कुछ समय लगेगा किंतु बजट का कीमतों पर प्रभाव तत्कालिक होता है। दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कराधान से सामान्य लोगों पर काफी दबाव पड़ा है। यहां शहरी गरीब अथवा ग्रामीण गरीब का कोई प्रश्न नहीं है। बढी हुई कीमतों से शहर तथा गांव दोनों में रहने वाले गरीब लोगों को समान रूप से कठिनाई होगी, वस्तुओं में वह चाहे मिट्टी का तेल है माचिस अथवा साबुन आखिर दैनिक उपभोक्ता की कोई अन्य आवश्यक वस्तुयें। शहरी ग्रामीण गरीब के बीच के असन्तुलन को माननीय वित्त मंत्री महोदय ने चाहे दूर कर दिया हो किन्तु गांव में रहने वाले अमीर और गरीब के बीच असुन्तलन अभी भी कायम है बजट में दी जाने वाली रियायतों का उन गरीब किसानों को कोई लाभ नहीं मिलेगा, जिनके पास न तो ट्रैक्टर हैं और न ही बिजली। उनके वे साधन काफी सामान्य हैं जिनसे कि वे खेती करते हैं। उनके पास धन भी काफी अपर्याप्त है। इसलिए वे रियायतें जो अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान की गई हैं, उनका लाभ गांव में रहने वाले अमीर लोगों को ही पहुंचेगा, वहां के गरीब उनसे उस सीमा तक लाभान्वित नहीं हो पायेंगे। इसलिए इन सब बातों पर विचार करते हुए प्रश्न यही उत्पन्न होता है कि क्या इतना भारी कराधान वांछनीय था ? क्या इतने भारी कराधान के अलावा किसी अन्य दूसरे तरीके से संसाधन नहीं जुटाए जा सकते थे ? पहला सवाल तो सरकार के अपने ही खर्चे का है। जिसकी जांच के लिए निःसन्देह एक समिति का गठन किया गया है किन्तु जैसा कि श्री ज्योतिर्मय बसु ने कहा है, समितियाँ अपना प्रतिवेदन तथा सिफारिशें प्रस्तुत करने में काफी समय लगाती हैं। यह एक तथ्य है कि हमारी योजनाओं में जो परिव्यय होता है, उसका दो-तिहाई बल्कि केवल उसका अर्द्धांश ही गरीब आदमी तक पहुंच पाता है। अतः जिस प्रकार वित्त मंत्री महोदय ने बिलास तथा अर्द्धविकास वस्तुओं को उत्पादन के. कम करने के लिए कार्यवाहीं की है, उसी प्रकार उन्हें सरकार के उपभोग में कटौती करने का भी साहस करना चाहिए। पिछली दो दशाब्दियों में सरकारी खर्च में, 1960-61 में 2500 करोड़ अथवा कुल राष्ट्रीय उत्पादन के लगभग 17 प्रतिशत से आज 27000 करोड़ अथवा कुल राष्ट्रीय उत्पादन के लगभग 30 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। दूसरे शब्दों में, वस्तुओं और सेवाओं के प्रत्येक 3 रुपये के उत्पादन मूल्य में से 1 रु० सरकार द्वारा खर्च किया जाता है राज्य तथा केन्द्रीय दोनों सरकारों में घाटे के बजट के साथ-साथ इससे मुद्रास्फीत

का दबाव बढ़ जाता है। इस प्रकार भारी सरकारी खर्च तथा घाटे के बजट के कारण अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ जाती है। घाटे का बजट ही स्वयं में एक खेद का विषय है जिसमें प्रत्येक वर्ष के अंत में बढ़ते जाने की प्रवृत्ति बनी रहती है। मौजूदा साल के अन्त में, 1071 करोड़ रुपये के बजट अनुमान की तुलना में 1590 करोड़ रुपये के रिकार्ड घाटे का अनुमान है। जिससे सरकार के खर्च में किफायत बरतने की है सरकार की असमर्थता प्रकट होगी। जिसकी आज अत्यधिक आवश्यकता है।

श्रीमान् सामान्य दृष्टिकोण यही है कि नौकरशाही के विस्तार तथा उच्च जीवन स्तर से जबकि विकास की झलक स्पष्ट रूप से मिलती है, उसका इस देश के सामान्य आदमी के जीवन में प्रभाव बना रहना सर्व विदित है। आज भी हमारे 70 प्रतिशत बच्चों को रात में भूखे सोना पड़ता है। दूसरा सवाल सरकारी उपक्रमों में भारी विनियोजन का है जिसका उचित प्रतिदिन प्राप्त नहीं हो रहा है। इस वर्ष कुल मिला कर 14 करोड़ रुपये की हमने इस क्षेत्र में दर्शायी गयी है ? मुझे आश्चर्य इस बात का है कि करदाताओं की कीमत पर यह प्रक्रिया कब तक इस प्रकार चलती रहेगी ? कई बार तो अचम्भा यह देख कर होता है कि अन्य ऐशियाई देशों ने कैसे इतनी सफलता प्राप्त कर ली जब कि हम उनसे काफी पिछड़ गये हैं। सिंगापुर के प्रधानमंत्री श्री ली कुआन चिवू ने यह कहते हुए इस प्रश्न को उठाया था "यह पूछना तर्कसंगत है कि ऐसा क्यों हैं कि जापान, हांगकांग, ताईवन, थाइलैंड तथा मलेशिया जैसे एशियाई देशों ने सफलता प्राप्त कर ली हैं जबकि समाजवाद का दावा करने वाले देश सन्तोषजनक परिणाम प्रस्तुत करने में असफल रहे है।" इन छोटे देशों, ने जिनके पास वे संसाधन नहीं है जो कि इस देश में है हमसे काफी बेहतर प्रगति तथा आर्थिक विकास किया हैं। हमें अपनी नीतियों का यह विचार करने के लिये पुनरीक्षण करना चाहिये कि उद्योग के क्षेत्र में हमें कितना और किस प्रकार नियंत्रण रखना होगा निजी क्षेत्र उपक्रमों का स्वामित्व अधिग्रहण करने की अपेक्षा उन की निरकुशता को दबाने और कुचल देने के लिये सरकार के पास पर्याप्त वित्तीय एवं विनियमन संबंधी अधिकार हद इसमें सन्देह नहीं कि निजी क्षेत्र को उस तरीके से काम करने दिया जाये जिससे कि उनको प्रदभे क्षेत्र में कार्य संबंधी योग्यता एवं कुशलता प्रदर्शित करने का अवसर मिल सके !

यहां मैं एक बात और स्पस्ट करना चाहता हूं। देश में सर्वत्र भृष्टाचार व्यापक स्तर पर व्याप्त है और जब तक कि उसे दूर करने के लिये कोई कार्यवाही न की जाये सामान्य आदमी को सरकार की किसी नीति का लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। वहां सदा उस नौकरशाही की दया पर जीवित रहता हैं जिसके माध्यम से हम उनके बीच योजना संबंधी वरदानों का वितरण करते हों सच्चाई तो यह है कि ये वरदान, जब तक कि वे फाइलों से लोगों तक व्यावहारिक रूप में पहुंचते हैं, उनके लिये श्राप बन जाते।

अन्तिम रूप में हमें विकास संबंधी अपने विचारों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हमें ऐसे ऊर्जा साधनों का प्रयोग कर रहे है जिनका पुनः प्रयोग नहीं किया जा सकता है तथा जो कि दुर्लभ हैं। यही कारण है कि हमें हर परिस्थिति में उनके प्रभाव का सामना करना पड़ता है। इस दिशा में हमें नया दृष्टिकोण बनाना होगा। इस दृष्टिकोण का आधार यही है कि उसे गाँवों के पुनरोत्थान के प्रति केन्द्रित किया जाये तथा जिससे विज्ञान के पुनरोत्थान में सहायता

मिल सके। अभी तक तकनीकी संसाधनों को गावों की ओर ले जाने की बात पर बल दिया जाता था जिसमें कि किसान को उसको निष्क्रिय उपभोक्ता के रूप समझा जाता था। वह चीज जो कि भिक्षा के रूप में दी गई थी वह था तकनीकी संसाधन, अर्थात् वे कार्यपद्धतियां जिनका दूसरे पर्यावरण के लिये निर्माण किया गया था, और किसान को जिसकी पर्याप्त जानकारी नहीं थी··· इसकी बजाय प्रस्तावित दृष्टिकोण में बल इस बात पर दिया जाना है कि गावों को ही विज्ञान की बुर्ज के रूप में रखा जाये। विज्ञान संबंधी प्रश्नों का सही रूप में तभी समाधान होगा जबकि विभिन्न चक्रीय प्रवृतियों तथा प्राणियों एव बनस्पतियों के अन्तहीन विभिन्न परस्पर के सबंधी रहस्यों को सुलझाने का प्रयास किया जाये। यह प्रश्न सही अर्थ में वैज्ञानिक कृषि और आम समाज को इस प्रकार ढालने, कि प्रकृति से उसका विरोध न हो, कि आवश्यकता के परिणाम-स्वरूप पैदा होता है यह रास्ता खंडनात्मक नहीं है बल्कि इसमें ऐसी आर्थिक व्यवस्था के पुनरोत्थान की गुंजाइश है जोकि काडस्थ और प्रकृति के बीच परस्पर सह-भागिता पर आधारित है।

इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

श्री मृत्युंजय प्रसाद (सीवान) : सभापति महोदय, मैं यह मानता हूँ कि जिस तरह से आकाश में धूप और वायु के जरिए नदी नाले और समुद्र सब जगह से पानी उड़ कर जाता हैं और वही बादल बन कर के बरसता है इसी तरह से सरकार को भी हक है कि हम से कर ले और उस कर से फिर हमारे देश की सुरक्षा हो, उससे हमारे कल्याण और विकास के सब काम वह चलाए और हमारी उन्नति करे। नहीं तो सरकार चल नहीं सकती। शासन के लिए यह परमावश्यक है, ऐसा उसे करना ही पड़ेगा।

(श्री एम सत्यनारायण राव पीठासीन हुए) :

लेकिन यह तब तक यह ठीक ढंग से नहीं हो सकेगा जब तक कि लगाए हुए कर का खर्च ठीक ढंग स न हो। नहीं तो होगा यह कि कुएं में से चलनी से पानी भरने जैसी बात होगी। दिन भर भरते रहेंगे, चलनी से एक बूंद पानी आप के पास आएगा नहीं और आज यही हाल हो रहा है। मैं दो एक उदाहरण देना चाहता हूं। अभी मेरे सामने यह है—आप के सरकारी उपक्रमों में बेहिसाब खर्च और वह वैसा खर्च जो होना नहीं चाहिए था। जैसा कि मेरे सामने यह हैं :

"एयर इण्यिा के उच्चाधिकारियों पर पानी की तरह रुपया बहाना।"

इसके बारे में सारा पढ़ने में तो बहुत समय लगेगा, मैं दो एक उदाहरण ही देना चाहूंगा। यह सरकारी उपक्रम समिति के प्रतिवेदन से पढ़कर सुना रहा हूं।

"समिति को पता चला है कि एयर इण्डिया ने 1974-75 में 20.74 लाख रुपये वर्ष 1975-76 में 22.80 लाख रुपये, तथा 1976-77 और 1977-78 में अपने उन 40 संचालकों पर, जिन्हें 2000/- रु० प्रतिमास और उससे अधिक वेतन मिलता है, पूर्वापेक्षित सुविधाएं प्रदान करने के लिये 29.90 लाख रुपये व्यय किये।"

यानी वेतन के ऊपर ये पूर्वोपेक्षित सुविधाएं हैं। कहा जाता है कि पूर्वोपेक्षित टैक्स लगता है कुछ हद तक छूट देकर, लेकिन कैसे लगता है और कितना लगता है--उसके बारे में कुछ शंकाएं हैं, आपका कानून बहुत स्पष्ट है। कुछ बातों में वह बतलाता है और कुछ बातों में नहीं बतलाता है। अब इसकी आप सीमा देखें :

"भारत में, पूर्वोपेक्षित सुविधाओं का औसत वार्षिक मूल्य, प्रति अधिकारी 33,000 रुपये से लेकर 39,000 रुपये तक आता है————————दूसरे शब्दों में यूं कह सकते हैं कि 1977-78 में प्रति संचालक द्वारा भोगी गई पूर्वोपेक्षित सुविधाओं का मूल्य एयर इण्डिया को 3250/— रुपये प्रति मास चुकाना पड़ा।"

अब इसमें मुझे पता नहीं कि टैक्स खाते में कितना जाता है, कितने पर टैक्स लगता है और कितनी छूट दी जाती है। बात अब चरम सीमा पर यों आती है। मैं नाम नहीं पढ़ रहा हूं, क्योंकि नाम पढ़ने की पद्धति यहां पर अच्छी नहीं समझी जाती है।

"······द्वारा भोगी गई पूर्वोपेक्षित सुविधाओं पर व्यय।"

मैं उनका नाम नहीं बताउंगा। वह अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक थे।"

"वर्ष 1975-76 में 81,905 रुपये, वर्ष 1976-77 में 89111 रुपये और वर्ष 1977-78 में 91796 रुपय तक का था। भूतपूर्व प्रबन्ध निदेशक ने तो ······वर्ष 1975-76 में 97,817 रुपये और वर्ष 1976-77 में जुलाई 1977 में सेवा-निवृत्त होने से पूर्व 4 मास में 24,910 रुपये व्यय करके उसको भी पछाड़ दिया।"

शिकायत की जाती है निजी-क्षेत्र की कि उन्होंने अपने प्रबन्धकों को इतना दिया, इतना दिया लेकिन आप क्या कम देते हैं ? ये पूर्वोपेक्षित सुविधाएं, अतिरिक्त भत्ता किस खाते में जाते हैं ?

आगे चलकर एक चीज और आती है। सभी वरिष्ठ अधिकारियों को गाड़ियां दी हैं और उनके साथ ड्राइवर्स भी दिये हैं :

"चेयर मैन को प्रतिमास 250 लीटर तक पेट्रोल फूंकने की अनुमति मिली हुई है, जबकि अन्य संचालकों को 160/200 लीटर तक की छूट है। इन सभी सुविधाओं के लिए उगाही की दर "उपहास्यास्पद रूप से मामूली" चेयरमैन से 150 रुपये प्रतिमास और अन्यो से 100 रुपये प्रतिमास है।"

इस तरह से यह है और वह भी तब जबकि यह उपक्रम घाटे पर चल रहा है। इसी तरह से दूसरे उपक्रमों में भी हुआ है। कमेटी ने गेस्ट हाउस के बारे में भी बताया है।

इसके अलावा कल ही जो, फाइनेन्स मिनिस्ट्री की रिपोर्ट हमें मिली है उसमें मैंने पाया है कि एल आई सी के बारे में कहा गया है कि राष्ट्रीकरण के पहले कम्पनियों को सूद की आमदनी साढ़े तीन फीसदी फी साल थी और अब सात परसेंट नेट इन्ट्रेस्ट इन्वेस्टमेंन्ट पर मिल रहा है। साथ ही यह बात भी जानी हुई है कि मेटेलिटी रेट यानी मरणादर पहले से बहुत घट गया है लेकिन फिर भी सभी कुछ इसी में डूब गया क्योंकि एक्सपेंस रेशियो बढ़ता ही जा रहा है।

मैं यहां यह स्पष्ट कर देना जरूरी समझता हूं कि एक थ्रेसहोल्ड लेविल होता है यानी कम से कम यहां तक इन्ट्रेस्ट न आए, तो घाटा होगा क्योंकि खर्च और मरने वालों के बीमे का घाटा पूरा होता है और सूद की अमुक दर पर मुनाफा और सूद से घाटा बराबर हो जाता है। इसके साथ ही साथ मोरटेलिटी रेट की भी बात है और ये बातें साढ़ेतीन पर सेंट पर चलती थीं और बीमा कम्पनियां उसी में से लाभ कमाकर बोनस दे देती थी और जब नेशनेलाइज नहीं किया था तब तो यह थ्रेसहोल्ड लेविल यानी घाटा न हो वह सूद दर 3 परसेंट से नीचे था, अब आज जब सूद दर ऊंचा हो गया है सात परसेंट है, जबकि मारटेलिटी रेट में आशातीत सुधार हुआ है तब भी आप बोनस ज्यादा नहीं देना चाहते हैं क्यों ? क्योंकि खर्च बेहिसाब बढ़ गया है। मैंने दो संस्थाओं का नाम उदाहरण के तौर पर लिया है। क्या आप ने ऐसी व्यवस्था की है कि जो इनपुट वेतन के रूप में आप अपने कर्मचारियों को दे रहे हैं, उसके अनुरूप काम भी हो। अगर इनपुट के मुकाबले में आऊटपुट कम होगा, तो दिवाला निकलेगा ही और निकलता जा रहा है। अगर आप कड़ाई से यह देखें कि इनपुट के मुकाबले में आऊटपुट भी अच्छा हो, तब यह बात नहीं होगी। अगर ऐसी हालत में थोड़ा इनपुट बढ़ भी जाए, तो कोई हर्ज नहीं है क्योंकि दोनों के बीच में कुछ मार्जिन रहता ही है। मैं यह कहना चाहता हूं, कि इस चीज को किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं देखा, मैं आपकी शिकायत नहीं करता हूं क्योंकि लेबर के वोट लेने हैं इसलिए काम अधिक करो, उत्पादन बढ़ाओ इस तरह की बात लेबर को कोई कहने का साहस नहीं करता। उत्पाद और वेतन में निश्चित सम्बन्ध रहना चाहिए। ऐसा कोई नियम नही बना है।

एक बात तो यह है लेकिन दूसरी तरफ थोड़ी कंजुसी भी कहीं कहीं पर की जाती है। जहां पर रकमें ज्यादा लगी हुई है, राशि ज्यादा लगी हुई है, मैं वहां की बात नहीं कहता लेकिन यह एक छोटी सी राशि की बात है फिर भी उसके पीछे भावना बहुत बड़ी है। सरकार राजनीतिक पीड़ितों को कुछ पेंशन दे रही है, उन राजनीतिक पीड़ितों को जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान किया था सरकार पेंशन दे रही है। आज ही यह सवाल उठा था कि यह पेंशन उन लोगों को भी मिल रही है जिनमें से बहुतों के बारे में बाद में यह पता चला कि उन की आमदनी 500 रुपये माहवार से ऊपर है। इसलिए उन की पेंशन बन्द कर दी जाए। ठीक है, बन्द कर दीजिए लेकिन मैं यह पूछता हूं कि ऐसा क्यों है। अभी मेरे एक मित्र ने मुझसे कहा कि मैंने अपनी राजनीतिक पीड़ितों वाली पेंशन बन्द करवा दी है क्योंकि यहां आकर मुझे संसद से 500 रुपये वेतन मिल रहा है मगर मैं यह पूछता हूं कि क्या सरकारी अफसर के लिए भी ऐसी बात है। जो सरकारी अफसर संसद सदस्य बन कर आते हैं उन को भी सरकारी पेंशन मिलती है। सदस्य बनने पर उनकी सरकारी पेंशन नहीं कटती, तो फिर यह राजनीतिक पीड़ितों के लिए ही क्यों होता है ? उन्हें पेंशन देना गरीब को दान देना नहीं है। यह हमारा पुनीत कर्तव्य है। इस के अलावा राजनीतिक पीड़ितों का एक दल और भी है, जिसको क्रांतिकारी विप्लवी दल कहते हैं और जिस की नीतियों से, जिस के कार्यकलापों से हमारा कभी मंतव्य नहीं रहा और हम हमेशा उस दल के बारे में यही मानते रहे हैं कि वह गलत रास्ते पर हैं। यह वह दल था जिसने हिंसा का रास्ता अख्तियार किया और जिस ने अपने जमाने में अंग्रेजों को मारा था या कांग्रेस परस्तो को मारने का प्रयास किया था और उसमें किसी को सफलता मिली और किसी को नहीं मिली किन्तु रास्ते के गलत होने के कारण उन के लिए मेरे मन

में प्रेम, आदर और श्रद्धा के भाव तो कम नहीं होंगे क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारा और उनका दोनों का लक्ष्य एक ही था, जो हमारा और आप का लक्ष्य था, वही उन का भी था लेकिन रास्ते अलग-अलग हो गये। उन्होंने अपने उतावलेपन में वह रास्ता पकड़ा, जो हमने समझा कि गलत है मगर उन्होंने जो त्याग किया, जो बलिदान किया, उस के कारण हमारे मन में उन के लिए आदर कम नहीं हुआ। उन में भगतसिंह जैसे नौजवान फांसी के तख्ते पर झूल गये और चन्द्रशेखर आजाद ने गोली का जवाब गोली से देते हुए वीरगति पाई पर सभी का ऐसा सौभाग्य रहा हो, ऐसी बात नहीं थी उन में से अधिकांश तो ऐसे हैं जो तिल-तिल करके गल गये और जलते जलते उन्होंने अपनी जिन्दगी बित ई। उन में से बहुत से गलते, जलते मर गये मगर थोड़े से आज जिन्दा हैं परन्तु उ होंने जो यातनाएं सही, जो कष्ट सहे, उन की हम सहज में कल्पना भी नहीं कर सकते।

यहां वालों की बात मैं छोड़ता हूं। पिछली फरवरी मैं अण्डमान गया था वहां जा कर मैंने सेलुलर जेल को देखा। जो बचा हुआ सेल्युलर जेल है, उसको देखा। जो हमारे देश के विप्लवी थे, उनको वहां रखा गया था। हमारे साथ बहुत सारी बातें उन लोगों ने की जो कि अब जीवित बचे हैं और संयोग से हमारे साथ एक ही जहाज में गए थे। अपने सुख-दुख की सभी बातें उन्होने कीं। उन के बारे में बहुत कुछ सोचा जाता है। यह भी सोचा जाता है कि उन में से बहुत से तो मर गये हैं और बहुत से जो बूढ़े हो गए हैं वे भी मर जायेंगे। लेकिन उनकी हालत आज क्या है? उन्होंने जो आज किया, अगर मान लिया जाए कि वह उन्होंने न किया होता तो वे वैसे ही होते जैसे कि हम और आप सब कोई हैं। उनका भी परिवार होता, उनका भी घर-बार होता। अपने बच्चों को वे भी उसी तरह पढ़ाते-लिखाते जैसे कि दूसरे। वे घर से दूर वर्षों बन्दी रहे और उन्हे यह कभी उम्मीद नहीं थी कि वे वापास लौट आयेंगे। उनमें जिनकी आयु शेष थीं जिंदगी थी, अपने, अपने परिवार और अपने देश के सौभाग्य से अकथनीय यातनाएं सहकर भी बचे और आज तक जीवित हैं। उनके बच्चों की पढ़ाई-लिखाई, शिक्षा-दीक्षा कुछ नहीं हुई या तो हुई तो बहुत कम हुई। उनके बच्चों को पढ़ाने वाला यहां कौन था? कुछ लोग और उनमें बूढे हो गये हैं, जो जवानी में बिन ब्याहे जेल गए थे। अब इस बुढापे में इतने सालों के बाद बियाह का सवाल ही नहीं है। उन्हें देखने वाला कौन है? तो क्या यह गलत है कि अगर मैं यह कहूं कि आप उनको भी वही दर्जा दो जो किसी समय हमारे देश ने भीष्म पितामह को दिया था, जिनके कि कोई संतान नहीं थी। पिता पितामह का तर्पण आरम्भ किया जाता है। भीष्म के नाम तर्पण से।

अपुत्रकाय भीष्मवर्भणे तर्पयामि

मैं उनकी दो चार जो मांगें हैं वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उनकी पहली मांग यह है कि सेल्युलर जेल को खाली राष्ट्रीय स्मारक कहने से ही काम नहीं चलेगा। वहां पर यह व्यवस्था करनी होगी कि लोग वहां जायें, आयें और वहां से प्रेरणा लें। वहां कोई म्यूजियम बनाया जाए और उसकी व्यवस्था सुचारु रूप से की जाए।

उसकी दूसरी मांग यह है—यह कहने में तो बहुत कठिन है लेकिन इसके पीछे एक भावना है—कि सेल्युलर जेल की चार शाखाओं को तोड़ कर जो अस्पताल बनाया गया है और जिसका नाम पंडित गोविन्दवल्लभ पंत हस्पताल रखा गया है —वैसे पंडित गोविन्दवल्लभ पंत जी के लिए उनके दिल में बहुत आदर और सम्मान है और पंडित जी ने उन्हें वहां से लाने का भी प्रयास किया था —वह नाम किसी व्यक्ति विशेष पर न रख कर व्यक्ति निर्विशेष जैसे शहीद अस्पताल या कुछ और इसी तरह पर रखने की व्यवस्था हो । इसमें पंडित जी के आदर और सम्मान को ठेस पहुंचाने की भावना नहीं है । इसी तरह से वे चाहते हैं कि अण्डमान का नाम भी बदला जाना चाहिए, पोर्ट ब्लेलर का नाम भी बदला जाना चाहिए ।

साथ ही साथ वे यह चाहते हैं कि वहां हर साल लोगों को जाने का अवसर मिले और पुरानी स्मृतियों का याद करने का अवसर मिले । साथ ही साथ उनके बच्चों को भी वह स्थान देखने का अवसर मिलना चाहिए जिससे कि उन्हें प्रेरणा मिल सके कि उनके पिता कैसे थे और उन्होंने कैसी कुर्बानी की । वे भी देश के लिए कुर्बानी देने में समक्ष हो सकें ।

इस के अलावा अब मैं दो-तीन बातें और कहना चाहता हूं । मुझे इनकम टेक्स के बारे में बहुत कुछ कहना है । टेक्सिज के बारे में आपके निर्णय स्पष्ट होने चाहिए । आप कुछ निर्णय लेते हैं और वे जाकर के आपके आफिसरों के पास रुक जाते हैं । ऐसा क्यों होता है, पता नहीं चलता । मैं एक उदाहरण आपके सामने रखूंगा । अभी आपने निर्णय किया उत्पादित शुल्क के बारे में । तीस लाख से कम जिसका उत्पादन हो उस पर यह शुल्क अब तक नहीं लगता है, इस छूट की राशि को घटा कर 15 लाख कर दिया है । यानि जिसका 15 लाख का उत्पादन होगा, उसके बाद उसे टेक्स देना पड़ेगा । यहां दो सवाल उठते हैं । उत्पादन दो किस्म का होता है । एक तो शुद्ध उत्पादन होता है और दूसरा वह होता है कि ठेका ले करके काम कर देते हैं, दूसरा कोई उनको कच्चा माल दे देता है और उस कच्चे माल को तैयार करके वह उसको दे देते हैं । इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टस के जजमेंट्स हैं । उनको कोट करके मैं आपका समय नहीं लेना चाहता हूं । इन में कहा गया है कि इस तरह के जो काम होते माल हैं उनकी कीमत वही लगाई जाएगी जोकि उनका खर्च पड़ता है या उनको पैसा मिलता है बनाई का, मैनुफैक्चरिंग प्रासैस का क्योंकि कच्चा माल दूसरे का है और पक्का माल भी उसी का है जिस का कच्चा है वह तो सिर्फ बनाई का पैसा ही देगा लेकिन आप के यहां बनाने वाले पर पूरा टैक्स लगा देते हैं, यानि 15 लाख की दर में टेके के काम का मूल्य पूरा का पूरा जोड़ देते हैं और इसका नतीजा यह होता है कि शुल्क के लिए उसका उत्पादन पंद्रह या तीस लाख से अधिक का हो जाता है । साल के अन्त में जा कर पता लगता है कि कुल उत्पादन कितना हुआ है और पहले वह इसको जानता नहीं है । अब सवाल यह पैदा हो जाता है कि तीस या 15 लाख की छूट से अधिक उत्पादन होने पर शुल्क तीस या पन्द्रह लाख से अतिरिक्त उत्पादन पर लगेगा शुरू से सभी पर । अगर शुरू से लग जाए तो वह ग्राहक से कर ले भी सकता है,—अतिरिक्त कर का उसको पता हो कि उसको देना पड़ेगा तो वह ग्राहक से ले भी सकता है लेकिन बाद में उत्पादन बढ़ जाने से शुरू से लगाया गया कर कहां से और किस से वह वसूल करेगा ? छूट तथा ठेके के काम के बारे में एक समान निर्णय सब

जगह में ही होता है । अफसर अपनी-2 करते हैं, यह कानून में दोष नहीं है, दोष है आपके प्रचार में, व्यवस्था में, आपके शासन में । सुप्रीम कोर्ट तक के जजमेंट हैं लेकिन फिर भी आपके अफसर वही करते हैं जो उनके मन में आता है, कलकत्ता में कुछ और बम्बई में कुछ और ही होता है, जहां जिस के मन में जैसा आता है वह करता है । इस ओर आपका ध्यान जाना चाहिये ।

बात आ गई हिंसा की लेकिन वह हिंसा ऐसी थी जिस के विरुद्ध मुझे कुछ नहीं कहना है । उन आदमियों के त्याग की मैंने प्रशंसा की है । लेकिन आज एक हिंसा हमारे सामने—ऐसे रूप में आ रही है जिस की जितनी भर्त्सना और निन्दा की जाए कम है । उसके भी दो रूप हैं । एक वह रूप है जिस पर हाल ही में बहस हो चुकी है जमशेदपुर को लेकर । उसके बारे में मैं अधिक नहीं बोलूंगा क्योंकि वह बात हो चुकी है । लेकिन जो नियोजित गड़बड़ होती है, जो नियोजित रूप से हिंसा का सहारा लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हमारे नेता के विरुद्ध तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ न करो अगर मुकदमा चलाया तो मुकदमा चलने नहीं देंगे, अदालतों को चलने नहीं देंगे इसकी चर्चा मैं करना चाहता हूं । अदालत ने किसी को दो साल की सजा दी और उसके बाद कचहरी में जो दंगा हुआ अदालत के दरवाजे तोड़े गए मुश्किल से जज को ही पुलिस बाहर निकाल पाई और सभी को धमकियां दी गई वह सब आपके सामने है । नेता को संसद ने सजा दी, इसके विरोध में हवाई जहाज को भी लोगों ने पकड़ लिया । और नेता ने इसे लड़कों चुलबुलापन कहकर मामला खत्म किया । उसके बाद भी जो कुछ हुआ, कर्नाटक में तथा दूसरी जगहों पर और जिन में कितने ही आदमी मारे गए सारे देश में सत्याग्रह के नाम पर देता हुआ वह एक चेतावनी है इस बात की कि आगे भी वैसा कुछ होगा । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या न्याय इस देश की अदालतों में नहीं होगा और क्या वह सड़कों पर होगा ? क्या जलूस निकाल कर न्याय प्राप्त किया जाएगा ? क्या इस तरह से न्याय की हत्या होते हुए हम बरदाश्त कर सकते हैं ? क्या आप इसके डर के मारे चुपचाप बैठ जाएंगे और कछ करेंगे नहीं ? जब इनका राज था तब तो ये किसी से पूछते भी नहीं थे और न अपील और न दलील और न कोर्ट, कुछ भी नहीं चलता था । जिस को चाहा उसको बन्द कर दिया जाता था । किसी ने इंस्पेक्टर को नाराज किया या कलैक्टर को नाराज किया या किसी नेता को नाराज किया सब एक समान था और उसको बन्द कर दिया जाता था । चाहे उसका दोष हो या न हो यह देखा तक नहीं जाता था । बोलने तक की लोगों को छूट नहीं थी । हम कहते है कि जो काम होगा कायदे से और कानून से होगा और जो कुछ जज कहेंगे वही होगा । अगर जज ने कह दिया कि छोड़ दो इसका दोष नहीं है तो हमें कोई एतराज नहीं है उसको छोड़ देने में । अगर जज कहता है कि दोषी है और उस दोष की वह सजा देता है तो वह सजा तो उसको मिलनी चाहिये । हम नहीं कहते हैं कि कोई दोषी है या निर्दोष है सारे मामले को सुनकर अभियुक्त की सफाई सुनकर यह जज बताएगा । लेकिन ये लोग कहते हैं कि हमारा नेता दोषी है इसको हम मानने के लिए ही तैयार नहीं हैं और नहीं मानेंगे । हम तो कहते हैं कि किसी के ऊपर इल्जाम है तो उसका फैसला होना चाहिये आर फैसला अदालतों से ही हो सकता है । लेकिन ये लोग कहते हैं कि अदालतों से फैसला नही होने देगे, अदालतों को नहीं करने देंगे । क्या यही आपका तरीका है ? अगर यही तरीका है तो दुनिया के सामने यह भी साफ साफ आ जाना चाहिये । लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे

यहां प्रजातंत्र है। इस में सभी बराबर हैं। साथ ही साथ यहां कोई भी कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसका कोई भी स्थान क्यों न हो, किन्तु सब के ऊपर कानून है, संविधान है और कोई भी व्यक्ति कानून और संविधान के ऊपर नहीं हैं, यह हमें मानना है, सभी को मनवाना है।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : महोदय, लगभग दो दशकों से मैं इस विधामंडल में अपने चुनाव-क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता आ रहा हूं और मैं यह देखता आ रहा हूं कि बजट की समाप्ति पर हर वर्ष वित्त मन्त्री महोदय बड़ी ही सज-धज के साथ वित्त विधेयक पुरास्थापित करते हैं और बहुमत से इसे पारित करा लेते हैं। हमारे अैसे महान देश में, वित्त-विधेयक को इस प्रकार से बड़े ही न्यायपरायण तथा रीतिपरायण ढंग में परम्परागत रूप से पुरःस्थापित करके तब तक पास नहीं कराना चाहिए जब तक कि वित्त-विधेयक में कुछ सुधार, और कुछ दिशा-निर्देश नहीं कर दिये जाते। कल मैंने मन्त्रीमण्डल में दूसरे नम्बर पर आने वाले, महान उपप्रधान मन्त्री और वित्त मन्त्री महोदय को, अपने मन में बड़े ही गर्व के साथ, जैसे कि वे बजट को और अधिक प्रगतिशील बना रहे हों, छोटी रियायतें दिये जाने के बारे में घोषणा करते हुए सुना। प्रथमतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उस व्यक्ति के हाथों देश के हाथों देश के वित्त सुरक्षित हैं जो कि वित्त मामलों का विशेषज्ञ तक नहीं है। मैं उन्हें किसी कटु शब्द से सम्बोधित नहीं करूंगा, परन्तु वे एक शेखी मारने वाले अर्थशास्त्री हैं और अपनी ग्राम्य-पृष्ठभूमि के कारण वे मतदाताओं को खुश करना चाहते हैं। परन्तु किसी प्रकार के भूमि सुधारों, किसी प्रकार की उन्नती और फलमूलक नीति को कोई स्थान इसमें नहीं दिया गया है। उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये बजट की समग्रतः आलोचना हुई है, जो कि न केवल इस ओर से हुई है, अपितु दूसरी ओर के सदस्यों ने कहीं और तीक्ष्ण शब्दों में इसकी आलोचना की है। उन्होंने तो बड़े ही स्पष्ट शब्दों में यह भी कहा है कि वर्तमान सरकार ने तो अपने दल के चुनाव घोषणापत्र को भी पूरा नहीं किया है और अन्तत इस महान देश को भी झुठला दिया है। उनके द्वारा छोटी-छोटी रिआयतों की घोषणा किए जाने के बाद भी, यह बजट और महान वित्त-विधेयक का परिणाम रहा है।

साधनों के जुटाने और विभिन्न मन्त्रालयों में फिजूलखर्ची को रोकने के मामले में, कई वर्षों से, अनेक समितियों ने, परिवर्तन लाने के लिए, अनेक ढंग तथा साधन सुझाये हैं। इन बड़ी-बढ़ी समितियो की बैठकें हुई, विचार-विमर्श हुआ और इन पर समय तथा धन व्यय हुआ, परन्तु फिर भी उनके द्वारा दिए गए सर्वाधिक फलमूलक एवं प्रगतिशील सुझावों को लागू नहीं किया गया है। इस तरह से इस देश के वित्त और अर्थव्यवस्था पूर्णरूप से अव्यवस्थित अवस्था में है और लड़खड़ा रहे हैं। चौकसी समिति, झा समिति और अन्य समितियों की बात ही लो। इन विशेषज्ञ समितियों द्वारा की गई बिभिन्न सिफारिशों में से, हमने वित्त-विधेयक में कुछ अर्थपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए और कराधान पद्धति में कुछ संरचनात्मक परिवर्तन लाने के लिए, अभी तक भी कुछ अच्छे प्रस्तावों, सुझावों को कार्यरूप नहीं दिया है। यह कोई मेरी राय नहीं है, अपितु विशेषज्ञों की राय है। बित्त राज्य मन्त्री ने एक वक्तव्य दिया है। और ऐसा समाचार दिया गया है कि छठी योजना में 70,000 करोड़ रुपए तक के कराधान प्रयास होंगे। प्रति वर्ष हमारे आयोजन और इस देश की आयोजना अर्थ-व्यवस्था पर इस कराधान प्रणाली से दबाव बढ़

रहा है। हमने एक निश्चित आयोजन प्रणाली विशेष लागू की है। इन सभी आयोजन प्रणालियों को पूर्णतया अपक्षरित कर दिया गया है, क्योंकि प्रत्येक बजट को उन आयोजन उद्देश्यों के अनुरूप तैयार नहीं किया गया है, जिन्हें इस देश की प्रायोजित अर्थ-व्यवस्था के लिए परिकल्पित किया गया। अत: इसमें सन्तुलन स्थापित करने के लिए, योजना आयोग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, आप फेर बदल का सहारा ले रहे हैं, जिससे कि नौकरशाही की जरूरतें पूरी हों। और जो योजना आयोग योजना बनाता है तथा अन्तत: जो मन्त्रालय लागू करता है उनका भी ध्यान रखा जाता है। अनेक वर्षों से इस देश का बजट इसी ढंग से तैयार होता आ रहा है और गत दो वर्ष भी, इसके अपवाद नहीं रहे हैं। अत: श्री सतीश अग्रवाल ने, नई दिल्ली में एक सेमिनार (विचारगोष्ठी) में बताया :

> "परन्तु आत्मिक बलविहीन या निर्बल-हृदय व्यक्ति को भयाक्रान्त होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा तो हमने योजना आयोग के, 1978-83 की पंचवर्षीय योजना के प्रकाशित प्रारूप के आधार पर किया है। जिसमें कहा गया केन्द्र और राज्य सरकारों के स्रोतों से वर्तमान कराधान दरों पर 12,890 करोड़ रुपए मिलने की आशा है, जबकि कराधान के रूप में केन्द्र और राज्यों द्वारा अतिरिक्त साधनों के दोहन द्वारा 13,000 करोड़ रुपए मिलने की आशा है। दूसरे शब्दों में यूं कह सकते हैं कि छठी योजना के लिए धन जुटाने के लिए केन्द्र और राज्यों, दोनों को कुल मिलाकर 25,890 करोड़ रुपए के कर-राजस्व का अंशदान करना पड़ेगा। इनमें से 13,000 करोड़ रुपए योजनावधि में लगाए गए अतिरिक्त करों से प्राप्त किये जायेंगे।"

मैं नहीं जानता कि वह कौन से, कराधान तरीके के, विशेषज्ञ हैं। इतना तो मैं जानता हूं कि वह एक सुयोग्य वकील हैं। एक सुयोग्य वकील न्यायालय में तो ठीक है, परन्तु वे तो अपने मामले पर एक भिन्न अदालत में बहस कर रहे हैं, लोगों की एक ऐसी अदालत में, जहां के 80% लोग ग्रामीण हैं, अनपढ़ हैं और कुत्तों से भी बदतर इस देश के अभागे लोग हैं। आपको उन लोगों के लिए बजट बनाना पड़ता है।

आपकी नौकरशाही प्रणाली में, अनेक वर्षों से कई धारणाएं व्याप्त हैं और आप उनके द्वारा तैयार किए गए आंकड़ों को तोते की तरह दोहरा देते हो। और आप इस देश में अतिरिक्त कर उगाही करके तथा अधिकाधिक कर लगाकर, साधनों को जुटा रहे हैं। परन्तु मैं उदाहरण देना चाहता हूं। इस बजट में, शिक्षा मन्त्रालय को, प्रौढ़ शिक्षा के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह वह शिक्षा पद्धति है. जिसको इस महान पुरुष, श्री चन्द्र ने जन्म दिया है, शुरू किया है। वह कलकत्ता के रहने वाले हैं और सम्भवत: वहां पर प्रोफेसर थे। अब यहां मन्त्री बनकर उनका केरियर (जीवनयात्रा साधन) नष्ट हो गया है। यहां तक कि वे तो संसद में हमारे द्वारा पूछे गये बहुत से प्रश्नों के उत्तर भी नहीं दे पाते। जनता पार्टी के राजनीतिक षडयन्त्र को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कैम्प के 'घटकवाद' के लिये इन 200 करोड़ रुपए का प्रावधान करके, पोषित, पल्लवित, प्रचारित-प्रसारित और कार्यरूप में अनुदित किया जा रहा है। आखिरकार वे भी तो आपकी जनता पार्टी ही हैं। अत: उनको किसकी कीमत पर

पोषित किया जायेगा ?— जनता की कीमत पर। इन गरीब लोगों पर कर लगाकर आप एक राजनीतिक संगठन की सहायता करना चाहते हैं। आप अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए कर प्रस्तावों का दुरुपयोग करना चाहते हैं। क्या आप इस बात का जवाब देंगे कि क्या इस धन का राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कैम्पों को अन्तःसरण नहीं किया गया ? जब हम इस मामले को उठाते हैं तो सरकार की ओर से कोई उत्तर नहीं मिलता। यह तो वह भावना नहीं है जिसमें लोगों ने मतदान करके आपको सत्ता सौंपी। परन्तु आप एक नकारात्मक नीति अपनाकर सत्ता में आ गए हैं। अब तो जनता पार्टी लड़खड़ा रही हैं और उनके दिन गिनती के हैं। इस तरीके से तो यह सरकार चल नहीं सकती। इसी ढंग से धन को व्यर्थ में उड़ाया जा रहा है। इसी प्रकार समस्त धन का दुरुपयोग तथा अपव्यय हो रहा है।

मन्त्री महोदय आगे कहते हैं :

"सरकारी ऋणों पर योजना प्रारूप की निर्भरता भी काफी विचारणीय है। तथ्यानुगतरूप में, हाल का अथवा आजकल का अनुभव है कि जैसा कि योजना आयोग ने अनुमान लगाया है, इसके विपरीत सरकार लघु-बचतों और बाजारी-ऋणों द्वारा कुछ और अधिक बड़े स्रोतों को गतिशील करने की योजना बना सकती है।"

चूंकि योजना आयोग एक नियोजित अर्थ-व्यवस्था चाहता है तो, राज्यों और केन्द्र तथा विभिन्न मन्त्रालयों का दिशा-निर्देशः करने के लिये आपके पास बजट प्रस्ताव हैं। परन्तु यह बात विचारणीय है कि योजना आयोग और कराधान उपायों की स्थिति क्या है, वे खड़े कहां हैं। आयोजना और कराधान उपायों के बीच गहरी खाई है। राज्यों का कार्य नहीं करने दिया जाता। राज्यों को करों में वृद्धि करने के पूरे अधिकार नहीं दिये जाते और ना ही उन्हें अपनी पहले से ही चालू की गई परियोजनाओं को पूरा करने के लिये वित्तीय सहायता दी जाती हैं। अकेले मेरे राज्य कर्नाटक में हीं 150 करोड़ रुपये की लागत की परियोजनाएं ठप्प पड़ी हैं और केन्द्र सरकार द्वारा साधनों के आवंटन की प्रतीक्षा कर रही हैं। हमें उस धन से कोई लाभ नहीं हो है, जो हम पहले से ही व्यय कर चुके हैं। क्योंकि योजनाओं को कार्यान्वित करने में विलम्ब के कारण, कार्यान्विति लागत बढ़ती जाती है तो केन्द्रीय बजट में उसे आवरण प्रदान करने के लिये अतिरिक्त कराधान करना पड़ता है। सहायता की उपयोगिता की ही बात लीजिये। सभी साधनों का सदुपयोग करना होगा और इस देश के लोगों की इच्छा के अनुसार देश की अर्थ-व्यवस्था को स्वरूप और दिशा प्रदान करनी होगी। परन्तु प्रश्न तो यह है कि क्या सरकार इसकी इच्छुक भी है।

आपने कोई भूमि सुधार लागू नहीं किये। और आप कहते हैं कि यह एक किसान-मूलक बजट है। इस बजट से किसान किस प्रकार लाभान्वित हुए ? आप छोटे-छोटे जोतकारों, काश्तकारों की ही बात लीजिये। उनकी आवश्यकताएं बहुत ही थोड़ी हैं, जैसे 5/ रुपये की लागत वाली यूरिया की एक बोरी अथवा कुछ थोड़ा सा मिट्टी का तेल। आप उनको इनमें से कोई भी उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं। आप का कहना है कि पट्रोलियम के भाव बढ़ गये हैं।

अतः आप मिट्टी के तेल पर राशन लागू करने जा रहे हैं। फिर आप धन कैसे जुटा सकते हैं ? फिर जब तक निवेश न हो, धन पैदा नहीं किया जाता और निवेश बचत के बिना असम्भव है। आप पूंजीगत लाभों की ही बात लीजिये। श्री टी० टी० कृष्णाभाचारी समेत, तीन वित्त-मन्त्री कराधान प्रणाली में परिवर्तन कर चुके हैं। भूतपूर्व वित्त-मन्त्री और वर्तमान गृहमन्त्री जी ने, आज जिनके शासन में लोगों का वध किया जाता है—गो-वध के बाद, अब लोगों का वध किया जाने लगा है—कहा है कि वर्तमान वित्त-मन्त्री द्वारा छूट को समाप्त किया जाना चाहिये।

ऐसा कहा जाता है कि लघु-उद्योग के लिये करावकाश होगा। श्रमिक-मूलक और उद्योग-मूलक कार्यक्रम चलाये जायेंगे तथा सारे ही देश का शहरीकरण न करके ग्रामीणकरण किया जायेगा। दुर्भाग्य से, इन सभी तरह के ऊंचे-ऊंचे, बड़े-बड़े वायदों के बाद भी इस क्षेत्र का बड़ा अहित हो रहा है। ऐसा भी कहा जाता है कि नये उद्यमियों के लिये करावकाश का प्रावधान है। आज आप बहु-राष्ट्रीय और विदेशी—कम्पनियों को फिर से इकट्ठे होने की छूट दे रहे हैं, क्योंकि उनका पर्याप्त सीमा तक दोहन किया जा सकता है। आप एक ग्रुप को निकालकर उसके स्थान पर दूसरे को लाकर बिठा रहे हैं। वर्तमान सरकार बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों को उनके फिर से इकट्ठा होने में सहायता कर रही है। नये उद्यमियों के लिये करावकाश है क्या ? अब तो आप उसे समाप्त कर चुके हैं। फिर आपका कहना है कि आप श्रम-मूलक हैं। 'विमको' दियासलाई कम्पनी में क्या हो रहा है ? उन्होंने मुझे एक लम्बा ज्ञापन दिया है जिसे मैं मन्त्री महोदय के पास भेज दूंगा : अब आपके भाषण में मैं उसका हवाला नहीं दे सकता। बनियान आदि बनाने के कारखाने, बीड़ी-उद्योग सभी मुसीबत में फंसे हैं, क्योंकि आपने आर्थिक स्थिति को बिगाड़ कर रख दिया है। जहां तक इन लोगों का सम्बन्ध है, उनकी कठिनाईयां उचित हैं क्योंकि जब लोग अनुत्पादक कामों में धन लगायेंगे तो कालाबाजारियों को, माल दबाकर जमा करने वालों को, लाभ मिलता है। महोदय यह संगत है और मैं इसे उद्धृत करना चाहता है।

सभापति महोदय : लकप्पा जी, अब आप भाषण समाप्त करें।

श्री के लकप्पा : विकास कार्यक्रमों के लिये प्रदान की गई 5000 लाख रूबल की इस धन-राशि और अन्य विदेशी ऋणों को भी उपयोग में नहीं लाया गया है। केवल उनका ही उपयोग ही नहीं किया गया है। धन का सही उपयोग न किये किये जाने के कारण अल्मूनियम परियोजना तथा अन्य विद्युत-उत्पादक परियोजनाएं अभी तक ठप्प पड़ी हैं, अधूरी पड़ी हैं और यहां तक जब हम उनके लिए ऋण लेते हैं और परियोजनाओं पर लगाते हैं तो भी ये परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं हो रहीं हैं और सारे के सारे रुपये का उपयोग नहीं हो रहा है। क्या यह इस देश की अर्थ-व्यवस्था के लिये बड़े ही शर्म की बात नहीं है और क्या कारण है कि इन सभी राशियों का उपयोग नहां हो रहा ? जब पिछली बार यह प्रश्न पूछा गया था तो मन्त्री महोदय ने बताया था कि वह उत्तर देने की स्थिति में नहीं हैं।

इस सम्बन्ध में मैं दिनांक 15 दिसम्बर, 1977 के 'इकोनोमिक टाइम्स' से एक उद्धरण पढ़ना चाहता हूं :

"उदाहरण स्वरूप, सोवियत संघ के मामले में 2500 लाख रूबल की प्रदान की गई समस्त सहायता राशि बिना उपयोग में लाये ही पड़ी है। वित्त-मन्त्रालय रुपये की सहायता से चलने वाली परियोजनाओं की ओर इतनी निराशापूर्ण दृष्टि से देख रहा है कि 2500 लाख रूबल में से 2000 लाख रूबल को 800 करोड़ रुपये की एलम्यूनियम परियोजना में लगाने का सुझाव दिया गया है। विदेश मन्त्रालय इस सुझाव का विरोध कर रहा है, क्योंकि उत्पादन प्रक्रिया कार्यक्रम की अमूर्धीना परियोजना एक अंग है और जैसे-जैसे परियोजना तैयार होती जाती है, सोवियत रूस द्वारा परियोजना के लिए विदेशी मुद्रा के निश्चित किये जाने की सम्भावना है। और तो और, यहां तक कि यदि वित्त-मन्त्रालय के सुझाव को मान लिया जाता तो इससे सोवियत सहायता के अनुपयोग की समस्या को हल नहीं किया जा सकता, क्योंकि जैसा कि वित्त-मन्त्रालय ने सुझाव दिया है 2000 लाख रूबल की सहायता को खपाने के लिये अलम्यूनियम परियोजना को कम से कम दो वर्ष का समय लगेगा।"

'1975-76 और 1976-77 के दो वर्षों के सहायता-राशि के उपयोग की तुलना करने से पता चलता है कि इनमें 300 करोड़ रुपये की गिरावट आई है। उदाहरण स्वरूप ई० ई० सी० देशों से मिलने वाली सहायता के उपयोग में बड़ी भारी गिरावट आई।

रुपये के स्रोतों को पैदा करने की समस्या सरकार का ध्यान आकृष्ट किये हुये हैं। अधिकारियों के एक वर्ग की राय इस नतीजे पर पहुंची हैं कि समस्या का समाधान इस बात में है कि घाटे की अर्थव्यवस्था पर अधिकाधिक जोर दिया जाये।" अतः मेरा यह कहना है कि पिछले दो वर्षों से वित्त-मन्त्रालय जिस ढंग से बजट को तैयार कर रहा है और उसे कार्यरूप दे रहा है, वह न केवल इस देश के लिये अनुत्पादक सिद्ध हो रहा है, अपितु इसके साथ ही साथ यह इस देश को अप्रगतिशील बना रहा है और पीछले 30 वर्षों में जो इमारत तैयार की गई थी यह उसे तहस-नहस कर रहा है। वर्तमान सरकार अपने राजनैतिक हितों को सुरक्षित करने के लिये हर सम्भव तरीके से इसको नष्ट कर रही है। मैं जानता हूं कि मन्त्री महोदय सदन में उत्तर देने में समर्थ है और मैं यह भी जानता हूं कि वे अच्छे ढ़ंग से बहस का उत्तर देंगे। परन्तु मेरे विचार से अब युवक राजनीति में पदार्पण करने लगे हैं। अतः मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि वे उन सभी प्रगतिशील विचारों और धारणाओं पर विचार करें जो किसी भी वर्ग किसी भी दल की ओर से भेजे जायें। आप कृपया इन बातों पर विचार करें और कुछ कर गुजरें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रामधारी शास्त्री (पदरौना) : सभापति महोदय, मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि सबसे पहले उन्होंने इस तरह का बजट प्रस्तुत किया जो शहरों की ओर से गांवों की ओर देखने का प्रयास करता है। शायद यह भारतवर्ष का सबसे पहला बजट है जिसने नगरों के अलावा गांवों की ओर भी देखने का प्रयास किया है और इसके लिए वित्त मंत्री जी तथा वित्त मंत्रालय को जितनी भी बधाई दी जाए वह थोड़ी है। इसकी जरूरत क्या पड़ी ? अब तक 75 हजार करोड़ रुपये तमाम योजना में खर्च किए गए। 15 हजार करोड़ रुपया पब्लिक सेक्टर में

लगाया गया। बहुत बड़े-बड़े उद्योग इस देश में विकसित हुए। कल कारखाने लगाए गए। बड़े-बड़े पावर स्टेशंस लगाए गए। लेकिन जब नतीजा देखा गया तो मालूम यह हुआ कि बेकारी रोज बढ़ती गई और जिस हुकूमत के लिए अभी एक मित्र ने चर्चा की कि कांग्रेस सरकार ने बड़ी उपलब्धियां की, तो यह भी उनकी एक उपलब्धि है कि आज अगर हिसाब लगाकर देखें तो 5 करोड़ के करीब इस देश में बेकार हैं और यह बेकारी बढ़ती जा रही है। जब तक इसको रोका न जाएगा मजबूत और ठोस कदम उठाकर तब तक यह बढ़ती जाएगी और सारे मुल्क के लिए एक समस्या बन कर खड़ी होगी।

इस सरकार के सामने समस्या क्या थी, इस सारे विकास के बावजूद क्या यह सही नहीं है कि इस देश में 60-70 फीसदी लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं? क्या यह सही नहीं है कि आज भी केवल 20 प्रतिशत लोग शहरों में बसते हैं और 80 प्रतिशत लोग गांवों में बसते हैं? क्या यह सही नहीं है कि आज जहां 80 फीसदी जनता बसती है वहां कोई सड़क नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई बड़े कल कारखाने नहीं? उनके लिए कोई कालेज, यूनीवर्सिटी नही है अगर इस तरह की व्यवस्था हो तो निश्चित रूप से सरकार को कोई न कोई आधारभूत क्रांतिकारी कदम उठाने होंगे। जब तक क्रांतिकारी कदम नहीं उठाए जाते और ग्रामों का विकास नहीं होता तब तक यह समझना कि यह गांवों का बजट है, इसमें शहरों की उपेक्षा की गई है, या यह छोटे-छोटे उद्योगों का बजट है, बड़े-बड़े उद्योगों की इसमें उपेक्षा है—यह बिल्कुल गलत होगा। जब तक 80 प्रतिशत जनता का विकास नहीं होगा, उसमें समृद्धि नहीं आएगी तब तक बड़े-बड़े कल-कारखानों में आप कितना ही उत्पादन करें उसकी कोई खपत नहीं हो सकेगी। और न ही इस देश का विकास हो सकेगा। इसीलिए वित्त मंत्रालय ने और जनता पार्टी की सरकार ने इस बात का प्रयास किया है कि गांवों की ओर बजट जाए, यह बजट गावों की ओर देखे तथा शहरों की ओर देखने की प्रक्रिया कुछ ढीली हो।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1950-51 में जहां गांवों में काम करने वाले श्रमिकों की प्रति व्यक्ति आमदनी 198 रुपए वार्षिक थी वहां नगरों में काम करने वाले 399 यानी 400 के करीब थी। 1977-78 में यह स्थिति हुई कि गांवों में काम करने वालों की आमदनी 198 से घटकर 196 रुपए रह गई। जबकि शहरों में काम करने वालों की आमदनी 399 से बढ़कर 813 रुपए हो गई। गांवों और शहरों में काम करने वालों की आमदनी का अनुपात जहां पहले 1 और 2 का था वह आगे चलकर 1 और 4 का हो गया। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि गांवों की किस प्रकार से उपेक्षा की गई है, छोटे-छोटे उद्योगों की किस प्रकार से उपेक्षा की गई है। गांवों में छोटे-छोटे काम करने वाले बढ़ई, लोहार, दर्जी, जूता बनाने वाले—वह सभी लोग बर्बाद और ध्वस्त हो गए हैं। कर्घे का काम करने वालों की कैसी उपेक्षा हुई है उसका यही सबूत है कि 1951 में जो 1 और 2 का अनुपात था वह बजाए कम होने के 1 और 4 हो गया। इससे बड़ा अन्याय हो नहीं सकता है। ऐसी हालत में वित्त मंत्रालय ने जो बजट रखा है वह स्तुत्य और प्रशंसनीय है। बजट में पहली बार गांवों की ओर देखने का प्रयास किया गया है। हमारी मांग थी कि आवश्यक वस्तुओं पर कर भार घटे तो वित्त मंत्री ने अपनी पहली घोषणा 31.45 करोड़

री छूट की घोषणा की और कल पुनः उन्होंने 16.29 करोड़ छूट घोषित की। मैं समझता हूं यदि हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली ठोस होती, उसका विकास ढंग से किया गया होता तो जिन चीजों के दाम बढ़ने नहीं चाहिए थे फिर भी बढ़ गए वह बढ़ने नहीं पाते। सार्वजनिक वितरण प्रणाली ठीक न होने की वजह से ही दाम बढ़ गए। कल राज्य सभा में मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि 3 8 प्रतिशत थोक के दाम बढ़े हैं। कैरोसिन के दाम 8 प्वाइन्ट बढ़ गए हैं और वनस्पिति में बड़ी भारी वृद्धि हुई है। यह इस बात का द्योतक है कि जो प्राइवेट उद्योगपति हैं वे थोड़ा सा मौका मिलने पर भी किस तरह सेलूट-खसोट कर सकते हैं। वनस्पिति का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है ? लीवर ब्रदर्स। वनस्पिति उत्पादन में छोटे-छोटे उद्योगपति नहीं हैं। तो जैसे ही उनको मौका मिला उन्होंने लूट-खसोट करनी शुरू कर दी। इसीलिए सरकार को मजबूर होकर घोषणा करनी पड़ी कि अगर यही स्थिति रही तो वनस्पति का भंडार को लेकर सार्वजनिक वितरण करना होगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आप देखेंगे कि कोआपरेटिव्ज का एक जाल बिछाने की योजना है, सरकार उसका प्रयास कर रही है। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि वस्तुओं के दाम तय करने के समय अभी तक सरकार की नीति यह रही है कि उपभोक्ताओं को ध्यान में रखा जाए। चाहे अनाज हो, आलू हो, गन्ना हो, चीनी हो उसका दाम निश्चित करते समय उपभोक्ताओं को ध्यान में रखा जाता है तथा किसानों की बराबर उपेक्षा होती जा रही है। उदाहरण के लिए मैं यह कहना चाहता कि भारत सरकार के मुताबिक एक क्वींटल चीनी पैदा करने में औसतन 230 रुपए खर्च होते हैं मगर जब चीनी का दाम मिलों में गिर गया और वह 160-185 रुपये प्रति क्वींटल बिकी बाजारों में 2 30 रुपये किलो हमारे यहां पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में बिक रही थी और किसानों के गन्ने को कोई पूछने वाला नहीं था, तब अखबारों ने यह आवाज नहीं उठाई और राहत देने वाला कोई प्रस्ताव नहीं आया लेकिन जब चीनी का दाम मिल-मालिकों की सांठ-गांठ से बढ़ा, सरकार की कोई कृपा इसमें नहीं हुई बल्कि मिल-मालिकों ने एक प्रकार से रिलीज सिस्टम को अपने हाथ में रखा और चीनी तीन रुपये किलो बिकी, तो लोकसभा में यह भी सवाल आ गया और सारे अखबारों में चर्चा होने लगी और खाद्य मंत्री जी ने यह कहा कि 275 रुपये प्रति क्वींटल से अधिक अगर चीनी बढ़ेगी, तो सरकार इसमें दखल देगी। ठीक है, यह पालीसी का सवाल है कि सरकार क्या करेगी ? लोगों के सस्ते दामों पर चीनी मिले, इसमें हमारा एतराज नहीं है लेकिन सरकार किसानों की कीमत पर ऐसा न करे, सरकार अपने खजाने से सब्सीडी दे। उत्पादन व्यय क्या पड़ता है, इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

इसी तरह से आलू का मामला है। आज आलू 5 रुपये मन बिक रहा हैं ऐसा अभी एक माननीय मित्र ने कहा। हमारे फारुखाबाद में एक रुपये का पांच किलो आलू बिक रहा है और कोई लेने वाला नहीं है। मैं आपको बताऊं कि मेरे सामने एक किसान दो टायर वाली गाड़ी लेकर आलू नैनीताल जिले में ले गया लेकिन वहां कोल्ड स्टोरेज वालों ने कहा कि हमारे पास इसके रखने के लिए जगह नहीं है। आप को यकीन नहीं होगा कि उन दोनों गाड़ियों के आलुओं को उसने वहीं पर रख दिया और कहा कि जिस भाव आलू लेना चाहते हो ले जाओ क्योंकि यहां से इस आलू को ले जाने का जो खर्च पड़ेगा, वह आलुओं के दाम से अधिक होगा। चुनांचे उसने उन आलुओं को वहां

किसी भी कीमत पर बेचना उचित समझा। इसलिए मैं आप से माध्यम से वित्त मंत्री जी से कहा चाहता हूं कि कुछ घरेलू उद्योग धंधों को छूट दे देने से या गांवो का नाम लेने से किसानों को लाभ होने वाला नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि किसानों को बचाने के लिए कम्पलसरी बीमा योजना हो, फसल का कम्पलसरी बीमा हो। इस पर आप को ध्यान देना पड़ेगा।

आज जो आलू पैदा होता है, उस पर कितना खर्च आता है। रुद्रपुर में पंत नगर की एग्रीकल्चर यूनीवर्सटी जो है, वह कहती है कि एक क्वींटल बढ़िया आलू पैदा करने में 40 रुपये खर्च होते हैं। आप हिसाब लगा लीजिए। सरकारी फार्म में जितना खर्च होता है, उस पर जो बैंक 13 प्रतिशत सूद देता है, उस सूद को जोड़कर किसानों को दाम दे दीजिए। आप उनसे उस दाम पर आलू ले लीजिए। इसके लिए कोई आपको नहीं रोकता है लेकिन इतना तो कम से कम होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में कोल्ड स्टोरेज का निर्माण एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए, नहीं तो आलू का संकट अगले साल भी पैदा होने वाला है। आप इसको इस तरह से बैठ कर रोक नहीं पाएंगे और मैं यह कह देना चाहता हूं कि जिस तरह से श्री मोहन धारिया आज तेल विदेशों से मांग कर रहे है, दालें विदेशों से मंगा रहे हैं, उसी तरह से आगे चलकर आलू भी विदेशों से मंगाने पड़ेंगे। इन की जो निर्यात पालीसी है, वह इस बात पर परखी जाएगी कि वे इस तरह की चीजों के लिए क्या करते हैं। इनकी जो निर्यात पालीसी है, वह इस पर बेस नहीं करती है और इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि छोटें-छोटे उद्योग धंधे चालू किए जाएं।

इसी सिलसिले में मैं एक बात और कह देना चाहता हूं। कृषि के विकास के लिए, यह ठीक है कि इस पर बड़ी चर्चा हुई कि जो ट्रैक्टर रखने वाले किसान हैं, उनको इस बजट से कोई बहुत फायदा नहीं होगा क्योंकि ट्रेक्टरों के दाम पहले से बहुत बढ़ गये हैं और डीजल के दाम भी बढ़ गये हैं, मगर में यह कहना चाहता हूं कि अगर खेती को विकसित करना है, तो इस देश में जापान की तरह छोटे-छोटे ट्रेक्टर आप को बनाने पड़ेंगे। अगर आप ने छोटे ट्रेक्टर बनाने का कोई कारखाना स्थापित नहीं किया, जिसकी ओर अब तक आप का ध्यान नहीं गया है, तो आप की कृषि विकसित नहीं हो सकती है। आप को याद है कि रूप के तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री कुश्चेव के खिलाफ, जब उनको निकाला गया, तमाम चार्जेज जो उन पर लगाए गये थे उनमें एक लिखित चार्ज यह भी था कि आप के जमाने में ट्रेक्टर का निर्माण कम हुआ जिससे रूस में अनाज का उत्पादन कम हो गया यह एक बड़ा भारी चार्ज था मं० 1 जार्ज श्री कुश्चेव के खिलाफ था, लेकिन हमारे देश में क्या है कि लोग तबाह हो गये, तो भी कृषि मन्त्री जी नहीं निकाले जा सकते, जमशेदपुर में मुशीबत आ गई, तो भी हमारे गृह मंत्री जी इस्तीफा नहीं दे सकते और सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। केवल कहने से ही कुछ होने वाला नहीं है, उस पर अमल कीजिए, उस पर अमल करने का प्रयास कीजिए तब जा कर हम आगे बढ़ेगें।

मेरे बहुत से मित्रों ने कहा कि बहुत सी चीजें मिलती नहीं हैं और लाइन लगानी पड़ रही है राशन के लिए लेकिन में यह कहना चाहता हूं कि अभी तो जनता पार्टी की सरकार को आए

हुए दो साल ही हुए हैं। मगर उसके पहले, क्या यह सही नहीं है कि चीनी लेने के लिए, बनस्पति घी लेने के लिए चोर की तरह घंटों खड़े रहना पड़ता था। उस समय यह पता नहीं था कि फलां चीज कल सवेरे मिलेगी या नही मिलेगी। लेकिन आजकल यह हालत नहीं है। हां थोड़ी-बहुत मंहगाई जरूर है लेकिन आज वह हालत नहीं है कि घंटों चीजों के लिए लाइनों में खड़ा रहना पड़े। आज किसी चीज की परेशानी नहीं है। अगर परेशानी है तो गांव वालों को डीजल की परेशानी है। जो लोग शहर में रहते हैं और ट्रक चलाते हैं उनको डीजल की परेशानी नहीं है मगर गांव के लोगों को अपने ट्रेक्टर के लिए डीजल मिलने में परेशानी होती है। इस की तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिए।

मान्यवर इस बजट के पीछे एक और भारी सवाल है। सारी दुनिया में पश्चिमी अर्थ व्यवस्था चल रही है—आदमी मशीन के लिए है। आज हमारे देश के सामने यह बड़ा भारी आधारभूत सवाल है कि मशीन आदमी के लिए है या आदमी मशीन के लिए है ? अब तक यह चला आ रहा है कि आदमी मशीन के लिए है। कारखाने में कितनी मशीनें लगेंगी और उनके लिए कितने आदमियों की जरूरत होगी। अब तक हमारे विकास का क्रम उलटा जा रहा था। पहली बार यह प्रयास हो रहा है कि मशीन जो बने वह इन्सान के लिए बनें। यह सारा औद्योगिक विकास और कृषि का विकास सब मानव के विकास के लिए है। ये सारा निकास इज फार दि फुलेस्ट एण्ड फ्रीएस्ट डवलपमेंट आफ ह्युमन बींग। इसी के लिए ये मशीनें हैं। पहली बार इस दृष्टिकोण से बजट में प्रयास किया गया हैं कि छोटे उद्योग पनपाये जायेंगे और गांवों में रहने वाले छोटे छोटे कारीगर उत्पादन कर सकेंगे। उनको टेक्सों में अधिक से अधिक सुविधाएं दी गयी हैं जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके।

मान्यवर, हमारे देश में आज पांच करोड़ लोग बेरोजगार हैं—पढ़े लिखे और बेपढ़े-लिखे दोनों। आजकल विश्वविद्यालयों में आये दिन जो झगड़े देखे जाते हैं वे इसलिए होते दे कि पढ़ने-लिखने के बाद भी लोगों को काम नहीं मिलता। उनके मां-बाप सोचते हैं कि लड़के ने हाई स्कूल कर लिया, अब काम नहीं मिला, इन्टरमीडियेट करने के बाद काम मिल जाएगा, फिर भी काम नहीं मिला तो सोचते हैं कि बी० ए०, एम० ए० या रिसर्च करने के बाद मिल जाएगा। लेकिन उनको काम नहीं मिलता। इसपर कोई ध्यान नहीं देता। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी के घोषणापत्र में यह कहा गया है कि हम काम के अधिकार को फण्डामेंटल राइट्स में शामिल करेंगे, हम इस बात को करेंगे कि जो सक्षम है उनको कामकाज का अधिकार मिले। मगर इस बजट में भी उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। जब तक इस बात को स्वीकार नहीं किया, जब तक सब लोगों को काम देने की कोई सर्वांगीण योजना नहीं बनती तब तक देश का विकास नहीं हो सकता।

मान्यवर मैं कहना चाहता हूं कि बड़े बड़े कारखानों में काम के आठ घंटे निर्धारित हैं। उनको 6 घंटे किया जाए। सप्ताह में 48 घंटों की बजाय 36 घंटे काम लिया जाए। हिन्दुस्तान में जनसंख्या और बेरोजगारी को देखते हुइ यह बहुत आवश्यक है। आई० एल० ए० के कंवेशन

में हम ने यह कहा था कि हम इसको लागू करने का प्रयास करेंगे मगर इसको अभी तक नहीं किया गया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि बेकारी को दूर करने के लिए आप कारखानों में काम के 8 घंटों को घटा कर 6 घंटे करें।

मान्यवर, एक बात और आप से कहनी हैं। इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं है कि तमाम सरकारी महकमों में जो फिजूलखर्ची व्याप्त हैं वह कैसे दूर की जायेगी और वहां मितव्ययिता अपनायी जाएगी। अगर आप सरकारी महकमों की फिजूलखर्ची कम कर देते हैं तो आपको करों में कटौती करने में और दूसरी चीजों पर करों में कटौती करने में आसानी हो जाएगी।

एक चीज मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे वित्त विभाग में एक यह तरीका बना हुआ है कि जो खर्चा हम ने इस बजट में निर्धारित किया है वह खर्चा कैसे और कहां होगा, यह वर्क आऊट हर साल दिसम्बर तक किया जाता है और फिर जनवरी और फरवरी तक पैसा मिलता है और महकमे मार्च तक उसको खर्च करते है। इसमें बड़ी फिजूलखर्ची होती है। जब तक इस तरीके को नहीं बदला जायेगा, तब तक कुछ होने वाला नहीं है।

श्री मृत्युंजय प्रसाद ने जिस विषय की चर्चा की उसके बारे में मैं भी दो शब्द कहूंगा। सिस्टम पर बहस मैं नहीं करता हूं। फ्रीडम फाइटर्ज को केन्द्रीय सरकार द्वारा दो सौ रुपये महीने की पेंशन दी जाती है। पचास हजार से ज्यादा दरखास्ते आपके सचिवालय में, मोहन सिंह प्लेस जो कनाटप्लेस में है वहां पड़ी हुई हैं, और दस बीस बाबू भी वहां बैठे हैं लेकिन वे दो दरख्वास्तों पर भी रोज फाइनल आर्डर पास नहीं करते हैं, न मंजूरी और न ना-मंजूरी के। मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी आप इस काम को निपटाएं तब तो यह काम चलेगा नहीं तो यह चलने वाला नहीं हैं। मैं कहूंगा कि जैसे उत्तर प्रदेश सरकार फ्रीडम फाइटर्ज को पुस्कार स्वरूप सौ रुपया महीना पेंशन देती है उसी तरह से दिल्ली की सरकार को भी संशोधन करके देनी चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं और उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री जी को इस बजट के लिए धन्यवाद देता हूं।

प्रो० पी० जी मावलंकर (गांधी नगर) : नये वित्त मंत्री ने सत्तारूढ़ अपनी पार्टी के सर्वविदित राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दर्शन का भरपूर उपयोग करने की चेष्टा की की है। बजट के इस कार्य में बहुत से नेक इरादे हैं— जिन सबका मैं स्वागत करता हूं— परन्तु उसमें निहित बाधाएं तथा कमियां भी मुझे दृष्टिगोचर हो रही है।

मैं इस बारे में शिकायत नही करना चाहता कि वित्त विधेयक पर चर्चा के समय वित्त मंत्री और उप-प्रधान मंत्री सभा में उपस्थित नहीं हैं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : वह अस्वस्थ है।

प्रो० पी० मावलंकर : इसी लिए मैं शिकायत नहीं कर रहा। मैं उम्मीद करता हूं कि वह शीघ्र स्वस्थ होंगे परन्तु मैं चाहता यदि वह मेरे प्रश्नों का तथ्यवार उत्तर देते।

चौधरी साहब ने एक पुस्तक लिखी थी जो पिछले वर्ष प्रकाशित हुई थी भारत की अर्थ-नीति-गान्धीवादी दृष्टिकोण। मैंने उसे खरीद कर दो बार पढ़ा — एक बार उनके वित्त मंत्री बनने से पूर्व तथा दूसरी बार उनके वित्त मंत्री बनने के बाद — यह जानने के लिए सत्ता में आने के बाद उन्होंने क्या किया है। 'भारत की आर्थिक नीति' पुस्तक में समस्शाओं का यदि सरलतम नहीं तो सरल समाधान, प्रस्तुक किया गया है। मैं यह नहीं कहना चाहता कि पुस्तक पढ़ने योग्य नहीं है। परन्तु बात यह है कि पूरी समस्या की ओर उनका रवैया ग्रमीण गरीब रोगी तथा वंचित समाज को आधुनिक नया तथा वैज्ञानिक और आर्थिक दृष्टि से विकसित समाज में बदलने का कार्य है। मैं समझता हूं जो कोई भी इस कार्य को करेगा वह इन समस्याओं का सरलतम अथवा सरल समाधान करवा सकता है।

चौधरी साहब सादे व्यक्ति है तथा जैसा कि उन्होंने बताया कि वह किसान के बेटे हैं। परन्तु मैं देखता हूं कि उनकी पंसद अथवा नापसद केवल बजट में आ गई हैं अपितु बजट पर छाई हुई है। यदि उन्होंने इसमें अपनी पंसद सम्मलित ही की होती तो मुझे आपत्ति न होती परन्तु उनकी पंसद तो बजट पर इस सीमा तक छाई हुई है कि बजट कुछ उनके पूर्व-निर्धारित इरादों से भरपूर लगता है।

अब करों के भार को ही देखें। करों का वोझा उन्होंने आंशिक रूप से बजट के घाटे का पूरा करने के लिए ही किया है परन्तु कर लगाने के बाद भी उन्हें लगभग 600 करोड़ रुपए ह्रीं उपलब्ध होंगे उसके बाद भी घाटा कई करोड़ रुपए का रह जाता है।

अब उन्होंने क्या किया है। करों का भार न केवल भारी और व्यापक है परन्तु उत्पाद-शुलक दोषपूर्ण तथा अधिक हैं। होता क्या है, कि जब वित्त मंत्री अपनी दृष्टि बहुत सी वस्तुओं पर रखते हैं तब उन वस्तुओं के निर्माता जोकि उनकी दृ्टि से बच गये होते हैं अपनी वस्तुओं के दाम बढ़ा देते हैं। मैं आपको माचस का उदाहरण दे सकता हूं। नि:सन्देह मशीन कृत क्षेत्र पर कर लगाये गये हैं जोकि अच्छी बात है क्योंकि इससे लघु उद्योगों को संवर्धन और विकास की सुविधाएं मिलती हैं। परन्तु लघु उद्योग माचस का क्षेत्र ने भी अपनी मूल्य बढ़ा कर ^0 पैसे कर दी है 'विमको' का मूल्य 25 पैसे हो गया है। इसलिए कर-मुक्त वस्तु तथा कर-मुक्त में अंतर क्या रहा ? कर मुक्त मद तथा कर मुक्त मद में अंतर क्या रहा ? क्या सरकार के पास कोई एजेंसी नहीं है जिससे कि पता लगाया जा सके कि कौन सी मदों पर गलत कर लगा है। क्या वह कोई ऐसा नियंत्रण नहीं कर सकते कि उपभोक्ता से अनावस्थक रूप से ज्यादा पैसे न लिये जाये। इस समस्या पर सरकार द्वारा गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए क्योंकि प्रति वर्ष हम देखते हैं कि जब उत्पादन-शुल्क लगाये जाते हैं तब उन वस्तुओं के मूल्य भी जिन पर शुल्क नहीं लगाये गये, बढ़ने लग जाते हैं तथा सरकार इस बारे में असमर्थ लगती है। वे कहते है कि यदि ऐसी वस्तुओी के मूल्य भी बढ़ते है जिन पर कर नहीं लगाया गया तो भी सरकार कुछ नहीं कर सकती। आप उपभोक्ताओं पर दोहरा कर कैसे लगाना चाहते हैं ऐसी मदों पर जिनपर कर लगाया गया है अथवा जिनपर कर नही लगाया गया। मैं चाहता हूं सरकार इसकी जांच करे।

यदि मेरे पास समय होता तो मैं चौ० चरण सिंह की पुस्तक के कुछ उद्धरण पढ़कर सुनाता। उसे पस्तक में उन्होने दर्शाया है कि अप्रत्यक्ष करो उपभोक्ताओं पर असाधरण भार पड़ता है। परन्तु वित्त मंत्री बनने के बाद वह उपभोक्ताओं को भूल गये हैं। उन पर भार बहुत अधिक ही नहीं, जैसा कि उन्होंने अपनी पुस्तक में बताया है परन्तु यह भार गरीब ग्रामीणों, गरीब शहरियों, स्थिर आय वाले मध्यवर्गीय तथा स्थिर आप वाले लोगों पर अधिक पड़ता है। इसलिए मैं चाहता हूं अधिक उत्पादन शुल्क से होने वाली परेशानियों जिसमें व्यापारियों तथा निर्माताओं की परेशानी भी सम्मिलित है, सरकार अध्ययन करे। कई बार यह उत्पादन शुल्क इस प्रकार लगाये जाते हैं कि अन्तनः उपभोक्ता के तीन चार गुना उत्पादन-शुल्क देना पड़ता है क्योंकि हर कोई माल पर उत्पादन शुल्क लगा देता है। परिणाम-स्वरूप वस्तु बहुत मंहगी हो जाती हैं। इसपर भी ध्यान देना आवश्यक है।

निःसन्देह मंत्री महोदय ने पहले और कल जो करों में राहत दी है, मैं उसका स्वागत करता हूं। मैं सोच रहा था कि शायद मंत्री महोदय अंतिम दिन राहतों की घोषणा करेंगे। उन्होंने राहतों की शीघ्र घोषणा क्यों की, निःसन्देह मैं उम्मीद करता हूँ कि वह राहतों की एक और किश्त की घोषणा करेंगे। यदि ऐसी बात है तो मैं वित्त विधेयक पर वाद-विवाद के अंतिम दिन भी राहतों की घोषणा का स्वागत करूंगा।

मुझें खुशी है कि उन्होंने ऐसे व्यक्तियों को राहत दी है जिन्हें घन लाभ से पूंजी लाभ हुआ है। जो लोग इस प्रकार के लाभ को ग्रामीण विकास परियोजनाओं में लगायेगे उन्हें प्रोत्साहन दिया है। मन्त्री महोदय को याद होगा कि मैं उनसे पहले ही निवेदन कर चुका था कि ग्रामीण विकास कार्यो के लिए सार्वजनिक पूंजी लगायें। इस प्रकार यह अच्छी बात है। परन्तु मैं नहीं जानता 7 वर्ष की अवधि के लिए 7½ प्रतिशत की दर पर जो बलिदान कर मांग रहे हैं वह उचित है अथवा नहीं। शायद उस पर इस वर्ष नहीं तो अगले वर्ष सहानभूति पूर्वक विचार की आवश्यकता हो।

अब मैं मूल्यों में स्थिरता के मामले को लेता हूं। दृश्य तथा श्रव्य प्रसार निदेशालय ने वित्त मंत्रालय की ओर से पुस्तिकाएं प्रचारित की हैं जिनमें बताया गया है कि बाजार में किस प्रकार की स्थिति है। निर्धारित मूल्यों पर हर व्यक्ति, की आवश्यकता की पूर्ति नामक पुस्तक के पहले पैरे में ही कहा गया है।

"सरकार अधिकांश वस्तुओं के मूल्य की स्थिरता तथा उनकी सरलता से उपलब्ध करने में सफल रही है। जहां तक वस्तुओं की सरलता पूर्वक उपलब्धि का प्रश्न है मैं सरकार के दावे को स्वीकार करता हूं। परन्तु यह कहना गलत है कि वस्तुएं स्थिर मूल्यों पर उपलब्ध हैं। वास्तव में अधिकांश वस्तुएं पिछले महीनों में बहुत मंहगी हो गई हैं। इसलिए इस दावे को स्वीकार नहीं किया जा सकता। मैं यह इसलिए कह रहा हूं—कि यदि मूल्यों में वृद्धि रोकी न जा सकी—तथा मूल्य वृद्धि वास्तविक हुई तो अंततः यह बढ़ते हुए मूल्य जनता सरकार को समाप्त कर देंगे। आपको याद होगा कि 14 नवम्बर, 1972 को मेरा इस सभा में पहला भाषण

श्री एस० एम० बनर्जी के बढ़ते हुए मूल्य पर स्थगन प्रस्ताव के बारे में था। मुझे यह कहते हुए खेद है कि मुझे 6 वर्ष पश्चात वैसी ही चेतावनी देनी पड़ रही है। यदि जनता सरकार मूल्य वृद्धि रोकने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाती तो जनता इस सरकार को उसी प्रकार चलता कर देगी जैसे कि पहली सरकार को किया गया था।

मंत्री महोदय ने कहा है कि विश्व के मूल्यों की तुलना में यहां मूल्य नहीं बढ़े हैं। संसार के कई देशों में मूल्य वृद्धि हमारे देश से अधिक हो सकती है। परन्तु इससे हमें संतोष कैसे मिल सकता है। आंकड़ों के अनुसार भी यह सही हो सकता है कि भारत कुछ हद तक मूल्यों में स्थिरता बनाये रख सका है। आपकी इन बातों से भारत के उपभोक्ता को राहत नहीं मिल सकती। आप दूसरे देशों के साथ तुलना करके संतुष्ट हो सकते हैं कि आप यहां पर कम मूल्य दे रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन तुलनाओं से सारकंकियों पुस्तक प्रकाशकों को तो संतोष हो सकता है परन्तु इससे उपभोक्ताओं को लाभ नहीं पहुंच सकता।

श्रीमान करों के मामले का अध्ययन बहुत सी समितियों वायू समिति, प्रत्यक्ष करों। अप्रत्यक्ष करो पर झा समिति ने विचार किया है। मैं कहना चाहता हूं सरकार इन समितियों की सिफारिशों पर गम्भीरता पूर्वक तर्क संगत ढंग से तथा व्यवहार्य रीति से विचार क्यों नहीं करती। मैं समझता हूं उनमें मे अधिक भाग व्यवहार्य है और आप उसे पूरी तरह क्रिनान्वित करें।

सरकारी व्ययों के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं यह नहीं मानता कि सभी प्रकार कि समितियां अच्छी नहीं है। समितियां की नियुक्ति करनी ही पड़ती है क्योंकिइन समितियों द्वारा अध्ययन के बिना सरकार सुचारू रूप से कार्य नहीं कर सकती। सरकार एक समिति अथवा आयोग की नियुक्ति कर रही है जो कि इस बात पर ध्यान देगा कि सरकारी व्ययों को कम रखा जा सके। समिति को बहुत कम समय लेना चाहिये। सरकार सरकारी आयोग जैसे आयोगों पर करोड़ों रुपए व्यय करती है और बाद में परिणाम शून्य प्रतिशत ही नहीं अपितु अचित घाटे का ही होता है। जिन लोगों की नियुक्त की जाती है उन्हें ऊंचे वेतन तथा अन्य सुविधाएं नहीं दी जाती। इससे तो मामला केवल हास्यास्पद बन जाता है। गरीब आदमी को ठगा जाता है तथा आप उससे उपहास कर रहे हैं। अत्यन्त गरीबों तथा अत्यन्त अमीरों में अन्तर बढ़ रहा है। इसलिए मैं चाहता हुं कि जीवन यापन की प्रक्रिया में परिवर्तन किया जाये। अति विशिष्ट व्यक्तियों अर्थात मंत्रियों संसद सदस्यों, तथा विधान सभा सदस्यों के जीवन में सादगी तथा ऊंचे विचार आने चाहिए।

शेष समय में मैं मंत्रालय के महत्वपूर्ण कार्यों पर प्रकाश ड लूंगा, क्योंकि इसमें समन्वय तथा सीमित संसाधनों के आवटंन उचित अग्रताओं का निर्धारण तथा उनकी समुचित क्रियान्विति का दायित्व निहित है यदि ऐसी बात है तो मैं चाहूंगा कि वित्त मंत्रालय को इस बारे में अधिक क्रियाशील बनाया जाये। मुझे दो और बातें कहनी हैं। जो कि मंत्रियों तथा सचिवों तथा उच्च अधिकारियों के बारे में है। मैं देखता हूं कि कुछ अपवादों को छोड़कर मंत्रीगण न तो मन लगा

कर कार्य करते हैं और न ही फाइलों के अध्ययन और मामलों के निर्णय के लिए समय निकालते हैं।

मैं तो यह कहता हूं कि इसका परिणाम यह हुआ है कि इसी बीच नौकरशाही का काम खुशी-खुशी चल रहा है और उसे अधिअ शक्तियां प्राप्त हो गई हैं। नौकरशाही की इस बढ़ती हुई शक्ति पर रोक लगनी चाहिए।

अन्त में मेरा यह कहना है कि खाद्यन्न अधिक्य विदेशी मुद्रा भण्डार जैसी कुछ अनुकूल बातें भी हैं तथा आर्थिक वृद्धि पर जो कि धीरे-धीरे परन्तु अनवरत रूप से बढ़ रही है और जैसों पहले थी उससे कहीं अधिक अच्छी है ! हमें इन आर्थिक अनुकूलताओं से लाभ उठाना चाहिए तथा अपनी उन मूल समस्याओं को हल करना चाहिए जो अधिकाधिक हमारी आंखों में गड़ रही हैं, जैसे गरीबी, बीमारी, अज्ञानता और बेरोजगारी की समस्याएं। यदि इन समस्याओं पर काबू पा लिया जाये तब मुझे पूर्ण विश्वास है कि नये उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री महोदय कुछ ठोस परिणाम प्राप्त कर सकेंगे।

यदि वे ऐसा नहीं कर सके तो मुझे डर है कि यह बेकार में ही, भारी परिश्रम अकारण जायेगा। मैं तो विश्वास करने वाले आदमियों में से हूं और यह कहा जा सकता है और मैं बड़े ही दुःख के साथ कहता हूं कि हमारे उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री महोदय तथा उनके सहकर्मियों, दूसरे उप प्रधान मन्त्री तथा प्रधान मंत्री महोदय को एक साथ मिल बैठकर अपनी बड़ी मामूली तथा छोटी या कैसी ही भी उनकी कठिनाईयां और समस्याएं क्यों न हो, उनके कुछ भी उद्देश्य, आकाक्षाएं और जो कुछ भी हो, उनका सदा-सदा के लिये हल खोज निकाले। केवल तभी इस देश को समझदार, अच्छी और प्रभावशाली सरकार निकल सकती है और तभी लोगों की समस्याओं का प्रभावशाली ढंग से हल निकल सकता है। हम घटिया राजनीति और उसके अन्दरूनी झगड़ों से ऊब चुके हैं और मुझे यह अपने लाखों परिश्रमी देशवासियों की ओर से कहना पड़ रहा है क्योंकि इस माननीय सदन में उनकी आवाज को बल मिलना चाहिये धन्यवाद।

डा० बलदेव प्रसाद (अमृतसर) : सभापति महोदय, इस वर्ष के जो बजट-प्रस्ताव हैं, उनका अंतिम चरण वित्त विधेयक के रूप में सदन के सामने है। मैं वित्त मंत्री की ईमानदारी पर शक न करते हुए खेद के साथ यह कहना चाहता हूं कि जिन लक्ष्यों और उद्देश्यों को लेकर यह बजट पेश किया गया हैं, इस बजट से उनमें से किसी भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है। न तो इससे विषमता, डिसपैरिटीज़ कम होंगी, न इससे उत्पादन बढ़ेगा, न ही बेरोज़गारी खत्म होगी। सरकार का जो अपव्यय है, सरकार की मशीनरी की जो फिजूलखर्ची है, उसको दूर करने के लिए भी इस बजट में कोई कदम नहीं उठाया गया है। और वह खर्च इतना अधिक है कि जहां 1960-61 में सरकार की मशीनरी पर खर्च 433 करोड़ रुपये था, वहां 1978-79 में वह बढ़कर 4,000 करोड़ रुपये हो गया है।

इतनी गरीब जनता की कमाई का इतना रुपया नौकरशाही पर खर्च किया जा रहा है, सिर्फ यही बात नहीं है, बल्कि आज नौकरशाही इस देश के विकास के रास्ते में एक दीवार बन

कर खड़ी हुई है। आज अगर हमारे देश का अधिक विकास नहीं हो रहा है, बहुत से काम रुके हुए हैं, तो उसका कारण है नौकरशाही, लालफ़ीताशाही—दफ्तरों में फ़ाइलें एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रही हैं। आज हम रुपया भी खर्च कर रहे हैं और देश का नुक्सान भी हो रहा है।

इस बजट से इनफ्लेशन, मुद्रा-स्फीति, बढ़ेगी, कीमतें बढ़ेंगी और गरीब जनता पर और बोझ पड़ेगा। मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं कि इस बजट के कारण शहरी क्षेत्र में अमीर आदमी का घरेलू खर्च 30 परसेंट, मध्यम वर्ग का 20 परसेंट और गरीब आदमी का, चाहे वह शहर का हो या देहात का, 10 परसेंट बढ़ जायेगा। वित्त मंत्री के पास कोई दलील नहीं है कि यह खर्च नहीं बढ़ेगा। उन्होंने कहा था कि किमतें 1 परसेंट से ज्यादा नहीं बढ़ेगी। लेकिन हालात बता रहे हैं कि कीमतें अभी से इतनी ऊपर चढ़नी शुरू हो गई हैं कि सरकार उन्हें कंट्रोल कर सकेगी, इसका पता नहीं चल रहा है।

इस बजट के जरिये 1356 करोड़ रुपये का बोझ देश की जनता पर डाला गया है, जिसमें रेलवे का किराया, पोस्ट्स एंड टेलीग्राफ्स के रेट्स में वृद्धि और सी डी एस वगैरह शामिल हैं। इस रकम में से 356 करोड़ रुपये का बोझ रूरल गरीब लोगों पर और 1000 करोड़ रुपये का बोझ शहरों के अमीर, मिडल क्लास और गरीब लोगों पर डाला गया है।

पिछले तीस सालों से बजट जिस ढंग से पेश किये जा रहे हैं, मैं उसका विरोध करता हूं। सरकार के पास अपनी आमदनी बढ़ाने का केवल एक ही तरीका है : वह इनडायरेक्ट टेक्सिज़ को बढ़ाती चली जा रही है। आखिर इनडायरेक्ट टैक्सिज़ को बढ़ाने की कोई सीमा तो होनी चाहिए। आइटम 68 पर पहले एक परसेंट टैक्स रखा गया था, और वह भी रेवेन्यु कलेक्ट करने की दृष्टि से नहीं रखा गया था, वह इस लिए रखा गया था कि हम आंकड़े इकट्ठे कर सकें, जिससे पता चल सके कि हम किस किस आइटम से रेवेन्यु प्राप्त कर सकते हैं। वह टैक्स आज कितना है? पिछले तीन सालों में वह 1 परसेंट से 2 परसेंट, 2 परसेंट से 5 परसेंट और 5 परसेंट से 8 परसेंट हो गया है—तीन सालों में वह आठ गुणा हो गया है।

हमने छठी योजना के बाकी तीन सालों में 45,000 करोड़ रुपये के और साधन जुटाने हैं। मुझे तो नजर नहीं आ रहा है कि सरकार ने साधन जुटाने के लिए एक्साइज ड्यूटी के अलावा और कोई तरीका खोजा है। हमें बताया जाता है कि हम इस लिए साधन जुटा रहे हैं कि हमने योजनाओं पर खर्च करना है, बेरोजगारी को दूर करना है और उत्पादन बढ़ाना है लेकिन कहां खर्च हो रहा है? प्लानज पर खर्च पिछले चार सालों में लगातार कम हो रहा है। 1976-77 में प्लान पर पिछले साल की अपेक्षा 31 परसेंट ज्यादा खर्च हुआ, 1977-78 में पिछले साल के मुकाबले में 27 परसेंट ज्यादा खर्च हुआ और 1978-79 में पिछले साल के मुकाबले में 17 परसेंट ज्यादा खर्च हुआ। इस साल 5 परसेंट ज्यादा खर्च हो रहा है। लगातार टैक्स बढ़ रहे हैं और प्लान के ऊपर जो हम खर्च बढ़ाना चाहते हैं वह नहीं बढ़ रहा है। इसमें से कुछ खर्चा जो प्लान का है वह नान-प्लान में डाल दिया गया, अगर वह भी मिला लें तो पिछले साल से 15 परसेंट ज्यादा है। हम 30 परसेंट से 15 परसेंट पर आ गए हैं और टैक्स लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। वित्त मन्त्री ने अपने भाषण में कहा है कि अगर टैक्स वही रहते, एक नया पैसा भी हम न

बढ़ाते तो 658 करोड़ रुपये टैक्सों से अतिरिक्त आमदनी होने वाली थी। बम्पर क्राप है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आज बहुत उत्साहजनक स्थिति बनी हुई है। तो फिर और टैक्स लगाने की कहीं पर कोई जरूरत नहीं थी। एक गैप छोड़ा जा सकता था। अगर रुपया हमें इकट्ठा चाहिए था तो मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि रिजर्व बैंक से 2 हजार करोड़ रुपया ऋण ले सकते थे फारन एक्सचेंज के अगेंस्ट और अपनी योजना पर जो हमने 12511 करोड़ रुपया रखा है उसके बजाय 15 हजार करोड़ रुपये की योजना बना सकते थे, आउट ले को एनलार्ज कर सकते थे। तब हम कुछ न कुछ जिन लक्ष्यों को अपने सामने रख कर चल रहे हैं उनमें सफलता प्राप्त कर सकते थे। हमने आज टैक्सों की भरमार लगा दी है और योजना पर खर्चा बढ़ाया नहीं है। वह वैसे का वैसा है। तो उत्पादन कहा से बढ़ेगा ? और विषमता को देखें, आज कल काम कहां मिलता है ? अगर उद्योग बढ़ेंगे, काम शुरू होगा तो लोगों को काम मिलेगा। लेकिन हम तो काम कम करने की तरफ कदम बढ़ाये जा रहे हैं।

जो पहले कुछ रियायतें दी गई थी जिसके बारे में 70 के करीब लोक सभा के माननीय सदस्यों ने एक मेमोरेंडम भी उप प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री को तथा प्रधान मंत्री को दिया है, उसमें यह कहा गया है कि जो स्माल स्केल सेक्टर को आइटम नम्बर 68 में 30 लाख रुपये के टर्न-ओवर पर एग्जम्पशन दी गई थी वह कम कर के 15 लाख कर दी गई। वजह क्या दी गई है ? कोई वजह नहीं है। 30 लाख की क्यों एग्जम्पशन थी, उसकी वजह है कि दस लाख रुपये की एक सीमा है, स्माल स्केल सेक्टर में दस लाख रुपये का कैपिटल लगाने की एक सीमा है और वह यूनिट तभी लाभप्रद यूनिट हो सकती है जब जितना उसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसका तिगुना उसका टर्न-ओवर हो। यह अनुपात 1 और 3 का होना चाहिए। अगर दस लाख रुपये का कैपिटल स्माल स्केल सेक्टर में लगा रखा है तो 30 लाख का काम जब तक हम नहीं करेंगे, 30 लाख का टर्न-ओवर जब तक नहीं होगा तब तक वह वायबल यूनिट नहीं हो सकती। उसको वायबल यूनिट बनाने के लिए 30 लाख का टर्न-ओवर होना चाहिए। तो सरकार का यह दृष्टिकोण था कि उसको हम कोई प्रोत्साहन दें, उसको कोई रिलीफ दें जिससे कि वह यूनिट जो बड़ी यूनिट्स हैं उनके मुकाबिले में खड़ी हो सके। वरना आप देखें, एक किर्लोस्कर इंजन बना रहा है और एक छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट पंजाब के अंदर बैठा हुआ अपना उद्योग चला रहा है जिसकी फैक्ट्री में दो तीन या पांच आदमी काम कर रहे हैं। एक दस हजार का प्रोडक्शन कर सकता है एक महीने में और वह दस का भी प्रोडक्शन नहीं कर सकता। तो दोनों की बराबरी कैसे हो सकती है ? ऐसी हालत में जहां पर उन लोगों को एक रिलीफ दी गई थी वह उन लोगों से वापस ली जा रही है और मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर यही हमारे बजट का क्रम रहा तो यह 15 लाख की एग्जम्पशन भी अगले साल खत्म होने वाली है। स्माल स्केल सेक्टर, काटेज इंडस्ट्री और हैंण्लूम की बात की जाती है लेकिन इनको जहां पर रिफील देने की बात आती है वह हम दे नहीं सकते। क्यों नहीं दे सकते, मैं उसका कारण भी बताना चाहता हूं कि जो बिग इंडस्ट्रीज हैं उनकी लाबी इतनी स्ट्रांग है और ब्यूरोक्रेसी के साथ उनकी मिली भगत इतनी मजबूत है कि यह सरकार या कोई भी सरकार आए वह उनको कुछ कर नहीं सकती, उनकी उस लाबी को हम समाप्त नहीं कर सकते।

माननीय मंत्री सतीश जी यहां पर बैठे हैं, उनको पता है कि हैंड प्रोसेसर्स के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगी। ये हैंड प्रोसेसर्स कौन हैं ? दो दो, चार चार, पांच पांच, आदमी इनमें काम करने वाले होते हैं। सरकार का वहां पर पूरे तौर से पालिसी डेसीशन था कि इनके ऊपर कोई लेवी नहीं लगेगी। लेकिन लग गई। कैसे लग गई, यह कोई महकमे वाला नहीं बता सकता। मैं इनसे मिला। ये खुद हैरान कि कैसे लगी। ये खुद उसको प्लीड कर रहे थे। किसी तरह दो महीने बाद फिर सरकार ने उसको विदड्रा किया। यह क्यों लग गई, क्यों कि इसके जो बड़े-बड़े यूनिटस वह समझते थे कि जब तक यह इनमें ऊपर नहीं लगेगी तब तक हमारा कारोबार नहीं चल सकता और उन्होंने नौकरशाही से मिल करके चोरदरवाजे के रास्ते से इनके ऊपर यह लेवी लगवा दी।

पिछले साल एक केस में इंडस्ट्रीज मिनिस्टर के साथ प्लीड कर रहा था। आप जानते हैं पंजाब के अंदर हैंडलूम बहुत बड़ी संख्या में लगे हुए हैं। शाडी यार्न से गरीब आदमियों के लिए कम्बल और कपड़ा तैयार होता है। आज वह शाडी वूल बाहर से आता है। उस वूल से यार्न बनाने के लिए कुछ स्पिनर्स एसोसिएशन है वहीं उस काम को करती हैं, वही उसका यार्न बनाएगी छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट्स और हैंडलूम वीवर्स की तरफ से मैं डैपुटेशन लेकर इंडस्ट्रीज मिनिस्टर के पास गया और उनसे कहा कि ये लोग खुद इस काम को कर लें तो इसमें आपको क्या एतराज है ? उन्होंने कहा कि कोई एतराज नहीं, इसमें किसी को क्या एतराज हो सकता है ? यह तो हमारी नीति है कि हम इनको रिलीफ देना चाहते हैं, यह हो जायगा। लेकिन आज उस बात को डेढ़ साल हो गए। कह रहे हैं कि अड़चन है। अड़चन बड़ी लाबी की है—चाहे वह टाटा हों या बिड़ला हो—वे कभी भी हैंडलूम को, स्माल स्केल सेक्टर को चलने नहीं देंगे। वे सरकार से कोई न कोई एक्साइज लगवायेंगे जिससे कि यह उद्योग पनप न सकें। आज नियम 377 के अन्तर्गत मैंने इस सदन में यह बात उठाई थी कि पंजाब में 50 हजार छोटे कारखाने बन्द हो गए हैं और आगे भी होंगे क्योंकि स्टील नहीं मिल रही है, कोयला नहीं मिल रहा है। फिर कहां से वे टैक्स देंगे और कहां से अपने मजदूरों को तनख्वाह देंगे ? सरकार के पास इसका कोई हल नहीं है। लेकिन यह ऐसी विषम परिस्थिति है जिसमें सरकार को कुछ न कुछ रिलीफ देनी चाहिए।

जहां तक उत्पादन का सवाल है, आज एग्रीकल्चर सेक्टर आगे बढ़ रहा है लेकिन उसके मुताबिक हमारा इण्डस्ट्रियल सेक्टर नहीं बढ़ रहा है। पंजाब में अब शुगरकेन का उत्पादन बहुत बढ़ गया है लेकिन शुगर मिल लगाने के लिए लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है। क्या रुकावट है, मुझे पता नहीं। नौकरशाही की रूकावट है या बड़े मिल वालों की तरफ से रूकावट है—पता नहीं। लेकिन आज इस बात की आवश्यकता है कि रेडटेपिज्म को खत्म करके प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए शुगर मिल के लाइसेंस दिए जायें। जितना शुगरकेन हो रहा है उसके लिए आप किसान को क्या राहत देंगे ? इसी तरह से काटन बहुत पैदा हो रही है और उसके भाव गिर रहे हैं। सरकार पर जोर डाला जाता है कि सपोर्ट प्राइस निश्चित करे। लेकिन अगर टैक्सटाइल मिल खोलने का सवाल आता है तो ब्यूरोक्रैसी की रूकावट आती है, एम आर टी पी की रूकावट

आती है। दो साल हो गए हैं लेकिन अभि तक कम्पोजिट टेक्सटाइल यूनिट खोलने की बात तय नहीं हो पाई है।

इसी तरह से पेपर मिल की बात है।वहां पर इतना अधिक व्हीट का हस्क है, टेक्नालाजी उपलब्ध हो सकती है, लेकिन पेपर मिल नहीं लग सकती है। चावल की इतनी ज्यादा हस्क है जिससे कहते हैं सीमेंट तैयार किया जा सकता है लेकिन दो साल बात करते करते हो गए, परिणाम कुछ भी नहीं निकला है। अगर आपको प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो फिर रुकावट क्या है ? सरकार को वार फुटिंग पर ध्यान देना होगा। जबतक फील्ड में जाकर मिनिस्टर्स निर्णय नहीं करेंगे तब तक ब्युरोक्रैसी कोई काम नहीं होने देगी।

जहांतक बेरोजगारी दूर करने का सवाल है, आज कारखानों में अगर वीवर्स चाहिए तो वे नहीं मिलते हैं। बरोजगार दूर करने के लिए सरकार को एजूकेशन में आमूलचूल परिवर्तन करना होगा। इण्डस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए स्किल्ड लेबर चाहिए, बी ए और एम ए पास नहीं कर सकता है। हमारे पंजाब में इण्डस्ट्रीज बहुत हैं लेकिन उनके लिए स्किल्ड लेबर नहीं मिलते हैं।

मैं पोस्ट ऐंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंन्ट की ओर भी ध्यान दिलाना चाहूंगा। आज टेलीफोन देने के लिए सरकार की एक नीति है। वह नीति है--ओन योर टेलीफोन। उसमें 75 परसेंट प्रायर्टी है। अगर कोई 5 हजार खर्च कर सकता है तो उसे फौरन टेलीफोन मिल जाएगा। मान लीजिए 100 टेलीफोन देने हैं उसमें 75 ओ वाई टी वालों को मिलेंगे। बाकी रहे 25 परसेंट उस में भी 10 परसेंट जनरल और 15 परसेंट में स्पेशल कैटेग्री वाले हैं।

श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बटूर) : सेवा मितृत सरकारी अधिकारी प्रथम श्रेणी अधिकारी 'विशेष वर्ग' के अधीन आते हैं।

डा० बलदेव प्रकाश : जो पांच हजार खर्च कर सकता है वह आज ही टेलीफोन ले सकता है। दूसरी तरफ जनरल कैटेग्री वालों को 13-13 साल हो गए हैं लेकिन टेलीफोन नहीं मिला। मुझे मिनिस्टर साहब से जवाब मिला है कि 13 साल तक टेलीफोन नहीं दिया जा सका। तो ऐसी नीतियों को रिवाइज करना पड़ेगा। इसमें कहीं न कहीं कोई गलती है। कोई पांच हजार देता है तो कल टेलीफोन मिल जायेगा। तो क्या हम यह समानता लाना चाहते हैं। सरकार इस बात पर सोचे कि हमें दो साल हो गये हैं और अगर दो सालों में नीतियों में परिवर्तन नहीं कर सकते, तो कभी भी नहीं कर सकेंगे !

इतना कह कर मैं यह बात फिर कहना चाहता हूं कि लघु उद्योगों के ऊपर, स्माल सेक्टर के ऊपर जो 30 लाख से 15 लाख आप ने कर दिया है, उस पर आप फिर से विचार करें। मैं वित्त मंत्री जी का इस बात के लिए स्वागत करता हूं कि उन्होंने कुछ रिलीफ दिये हैं लेकिन केरोसियन आयल के ऊपर, लघु उद्योगों के ऊपर और पेट्रोल के ऊपर भी जो रिलीफ देने की आवश्यकता है, उसके बारे में वित्त मंत्री जी विचार करें और कल या परसों जब अपना जवाब दें, तो इन पर रिलीफ की घोषणा करें। ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हू ।

श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बतूर) : सभापति महोदय, कल मैंने वित्त मन्त्री महोदय का भाषण सुना । मुझे अलक्जेन्डर पोप का कथन याद हो आया । उन्होंने कहा है : "वह वयक्ति सौभाग्यशाली है जो कुछ आशा नहीं करता, क्योंकि वह कभी भी निराश नहीं होगा ।" कल वित्त-विधेयक पर चर्चा समाप्त होने से पूर्व, वित्त मन्त्री महोदय ने एक ऐसे समय में जबकि वह वित्त-विधेयक पुरः स्थापित कर रहे थे, करों में कुछ और राहतों की घोषणा करके, एक सर्वाधिक असामान्य तरीका अपनायाः । सम्भवतः ऐसा लगता है कि उन्होंने बहस शुरू होने से पूव ही अपने कान बन्द रखने की ठान ली है । अन्यथा, यह सब यदि उनके मन में रहा होता तो अन्तिम घोषणा तो वे बहस का उत्तर देते समय करते, क्योंकि यह बात तो पहले ही इस बजट से पता चल चुकी है कि यह कैसा दिवालिया बजट है । यह कोई बजट थोड़े ही है । यह तो एक दिवालिया सरकार का दिवालिया बजट है जिसमें एक राहत, एक और दूसरी छूट और फिर एक और छूट और इसी प्रकार राहतों पर राहतें दी जा रही हैं । यहां तक कि बजट के पूणतया लागू होने से पूव ही, आप व्यावहारिक रूप में इसमें यहाँ—वहां रूप परिवर्तन कर रहे हैं ।

अब प्रथमतः उस बारे में बातें करती हुं, जिसमें प्रेस के अनुसार सचिवालय में बैठे नौकरशाहों का यह कहना है कि कीमतों में केवल 1% बढ़ोत्तरी होगी । और फिर भी, बजट आने के कुछ ही दिनों में पेट्रोल, डीज़ल और मिट्टी के तेल की बात तो छोड़ ही दीजिये, हर कहीं अनिवार्य वस्तुओं की कीमतें बढ़नी शुरू हो गई हैं । मेरी राय में, मिट्टी का तेल एक आवश्यक वस्तु है, वह भी विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में. जिसकी बातें करते हुए तो उप प्रधान मन्त्री महोदय थकते ही नहीं । क्या मैं यह पूछ सकती हूं कि जहां पहुंचकर ऊर्जा मन्त्री महोदय विद्युत देने में असमर्थ रहे हैं, वहां रात को ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने घरों में प्रकाश कैसे करते है ? क्या वे अल्लाऊदीन के चिराग या ऐसी ही किसी चीज से बस यूं ही काम चला लेते हैं ? ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है । उन्हें मिट्टी का तेल काम में लाना पड़ता है और अतः मैं, सोचती हूं कि मिट्टी के तेल को तब तक के लिये इस देश में आवश्यक वस्तु घोषित कर दी जाये जब तक कि ऊर्जा मन्त्री महोदय सभी प्रकार की ऊर्जा को, अपने ही नियन्त्रण में नहीं ले लेते, आज की तरह देश के लगभग सभी राज्यों में—कोयला और विद्युत दोनों ही क्षेत्रों में—अनिश्चितता की स्थिति समाप्त नहीं हो जाती ।

मेरे राज्य तमिलनाडु में ही आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की ही बात को लीजिये । बजट के बाद, 9-4-79 को कीमतों में वृद्धि कुछ इस प्रकार थी : बन्द गोभी को ही लिजिये । यह एक भाजी है । यदि मन्त्री महोदय नही जानते हो और शायद वे नहीं जानते, इसके भाव 1 रुपये से लेकर 2.40 रुपये तक थे ; गाजर के दाम 1.30 रुपये से लेकर 2.40 रुपये तक थे टमाटर के 1 रुपये से लेकर 2 रुपये किलो तक और इसे केवल 1 प्रतिशत ही माना जाता है । (**व्यवधान**) मैं तमिलनाडु की बात कर रही हूं । जैसा कि आमतौर पर होता है, सम्भवतः आप भी तमिलनाडु के बारे में बेखबर हों । बीन्स—1.50 रुपये से लेकर 2.40 रुपये प्रति किलो, बैंगन—1 रुपये से

लेकर 1.20 रुपये प्रति किलो। वहां ग्रीष्म ऋतु पहले आती है और दाम भी जल्दी ही गिर जाते हैं। मूंगफली का तेल—7.80 रुपये प्रतिकिलो; परिष्कृत तेल 9 रुपये से लेकर 10 रुपये प्रति किलो 5 उड़द—4 रुपये से लेकर 4.45 रुपये; आपको इडली और दोसा के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं जो कि अब तो असलियत में राष्ट्रीय—भोजन बन गया है। और उन्हे उड़द के बिना तैयार नहीं किया जा सकता। दाल अरहड़=4.90 रुपयें से लेकर 5.70 रुपयें प्रति किलो; इमली-3 रुपये से लेकर 6.50 रुपये प्रति किलों और जलाने वाली लकड़ी—25 किलो 9 रुपये से लेकर 12 रुपये तक। मुझें खेंद है कि यह सब आपके होने बावजूद हो रहा है अन्यथा आप ही के कारण हो रहा है।

एक माननीय सदस्य : यह तो दक्षिण में हो रहा है।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : अतः, यह सब कुछ हो रहा है। यह तो सामान्य ज्ञान और आम समझदारी की बात है कि हमारे जैसी पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था में, जब एक बार कीमतें चढ़ जाती हैं तो उतरती नहीं हैं। अतः ग्राम-मूलक बजट के रूप हमें व्यापारियों का बजट बेचा जा रहा है। मुझें तो बड़ी मुश्किल से ही कोई ग्राम्य-मूलकता इसमें दृष्टिगोचर होती हैं!

इसी प्रकार, हमने यह आशा की थी कि आगे से कालाबाजार को रोकने और काले धन की उत्पत्ति को रोकने के लिये, चौधरी चरण सिंह कम से कम कुछ उपाय सोचेंगे और उन्हें हमें बतायेंगे तो सही और यह भी कि जो कुछ क्षेत्र में पहले से ही चल रहा हैं—ऐसा कहा जाता है कि 14,000 करोड़ रुपया कालाबाजार का लगा है— उसको ठीक करने के लिये कौन से उपाय काम में लाये जायेंगे। उस बारे में कुछ भी तो नहीं किया गया है। उसके बजाय, फिर से ग्रामीण-क्षेत्र के विकास के नाम पर और नये छिद्रान्वेषण किये जा रहे हैं। क्योंकि आप तथाकथित ग्राम-विकास के काम को पूरा करने के लिये निगमित-क्षेत्र को करों में छूट, आयकर में छूट जो दे रहे हैं अथवा उन कार्यक्रमों के लिये ग्रामीण-विकास प्रशिक्षण में योगदान देने के लिये जो स्वीकृत किये जा चुके हैं। इसका पता लगाने के लिये आपके पास क्या व्यवस्था है? हम गत वर्ष की कहानी को जानते हैं। ग्राम-विकास के नाम पर धन को खींच लिया जाता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह जानने के लिये कि यह उपयुक्त कार्यवाही है या नहीं आपने कौन सी निगरानी बरती हैं। और यह कि इस प्रकार से करों में छूट देकर, विकास के रूप में, क्या आपको उचित लाभ मिलेगा भीं यह जानने की आपने कोशिश की इस प्रकार की कोई बात न ही तो आर्थिक सर्वेक्षण में कही गई और न ही मन्त्री महोदय ने बताई है। यह तो सभी कहते हैं कि यह तो एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिसके द्वारा निगमित क्षेत्र उनके काले धन को काम में लगा सकता है। यह तो हम जानते हैं कि निगमित क्षेत्र कृषि-क्षेत्र में चला गया है। आज तो आप कृषि-क्षेत्र में भी, पूंजीवाद को अपनायें बैठें हैं और उन लोगों पर आज कर नहीं लग रहे। दूसरी ओर भूमि सुधार के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा गया। इस बारे में भी एक शब्द नहीं बोला गया कि ग्रामीणों के लियें रोजगार जुटाने के लिये कौनसी रोजगार योजनाएं तैयार की जा रही हैं। 20 मार्च को यहां आपने एक महान दृश्य देखा। सभी समाचार पत्रों ने यह लिखा कि आजादी के बाद का यह एक ऐतिहासिक दृश्य था। पांच लाख से भी अधिक खेतों

में काम करने वाले श्रमिक दिल्ली आयें और आयें भी बड़े ही शान्ति में ढ़ग से। उन्होंने दिल्ली के सामाजिक अथवा आर्थिक जीवन में बाधा नहीं डाली। यद्यपि पांच लाख व्यक्ति आयें थे परन्तु वे चाय समाप्त करने के लिये चाय की दुकानों पर नहीं गये अथवा जलपान गृहों के खाने को खत्म करने के लियें भी उनमें नहीं गये, वे बेचारे तो अपना ही खाना लाये थे। यहां तो केवल वे एक ही आवाज लेकर आयें थे कि आप लोग विधि के विधान को पहचानो। अब गांवों के लोगों में जागृति आ गई है। वे आपका बजट घोषित कियें जाने बाद आयें। ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने ऐसा अनुभव किया हो कि आपके बजट से वस्तुएं मिलने लगेगीं ! वे आपने अनुभव यह अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके इन नारों का क्या अर्थ हैं। एक बार गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था। एक महिला ने कहा कि गरीबी हटाओ और उसे ही 'हटा दिया गया'। अब आप कह रहे हैं कि गांवों का विकास हो, आपका भी, बिल्कुल एक भिन्न दिशा में विकास हो जायेगा। यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो देख लेना कि देर-सवेर इस देश में आप भी अविकसित बने रह जायेंगे। यह बात तो विधि की लेखनी का लेख है। अपने निगमित क्षेत्र को हरी झंडी दिखाते हुए कह दिया है : बढ़ते जाओ जवानों, लोग तो काले बाजार के धन की बातें कर रहे हैं और आप अब ग्रामीण विकास करो आयकर में छूट लो। कर बकाया के रूप में बड़े-बड़े उद्योगपतियों से; ग्यारह करोड़ रुपये की भारी रकम उगहानी है। एक मामूली आदमी, कोई मध्यम-वर्ग का कर्मचारी आपके करों को नहीं मार सकता। वह मार भी कैसे सकता है ? क्योंकि उन्हें तो आय के स्रोत में से ही काट लिया जाता है। परन्तु उन बड़े घरानों के अपने ही रंग-ढंग है। हर कोई यह जानता है कि निगमित क्षेत्र के पास दोहरे खाते हैं, एक कर-निरीक्षक के लिये और दूसरा अपने और अपने परिवारों के लिये। और फिर जब वे आप में झगड़ पड़ते है तो सरकार को आगे आकर उनको अपने हाथ में लेना पड़ता है। अत: मैं मन्त्री महोदय को यह याद दिला देना चाहती हूं निगमित क्षेत्र को राहते देने का काम बन्द कर देगा चाहिशे। मुझे आशा है कि यह घोषणा भी कर दी जायेगी कि निगमित क्षेत्र के साथ और अधिक सख्ती बरती जायेगी और उसे कम किया जायेगा।

इसके बाद दूसरी बात जो मैं जानना चाहती हूं वह यह है कि जीवन बीमा निगम, आई० डी० बी० आई० आदि जैसे इस देश के वित्तीय संस्थान, विभिन्न कम्पनियों को भारी मात्रा में ऋण दे रहे हैं और उन कम्पनियों के बोर्डो में आपके अपने निदेशक भी काम कर रहे हैं। क्या मैं यह जान सकती हूं कि उन निदेशकों के काम के बारे में क्या जांच की जाती है, क्या निगरानी रखी जाती है ? मेरे विचार से यदि आप आंकड़े उठाकर देखें तो स्थिति संतोषजनक नहीं है। दुर्भाग्य से हम कम्पनी विधि कार्यो पर चर्चा नहीं कर सके। इसलिए, मैं उस बात को यहां उठा रही हूं। मैं जानना चाहती हूं कि आपके कितने अधिकारी नियमित रूप से बैठकों में भाग लेते हैं, और जिस ढंग से ये कम्पनियां चल रही हैं उसकी जांच-पड़ताल करते हैं। मैं यह भी जानती हूं कि बहुत से निदेशकों के पास अधिक काम है। एक ही व्यक्ति को बहुत सी कम्पनियों का काम सौंप दिया जाता है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब हम कृषि-उद्योग निगम में साक्ष्य लेने गए तो हमने पाया कि वहां के एकमात्र सरकारी प्रतिनिधि अथवा वितीय संस्थान के प्रतिनिधि को कई बार तीन-तीन बैठकों में से एक ही में जाना पड़ता था जिससे वह अपनी सदस्यता

न खो दे। इस बातों पर किस प्रकार निगरानी रखी जाती है ? क्या आप रिपोर्ट मंगवाते हैं और क्या आप उन रिपोर्टों की जांच करते हैं। मैं नहीं जानती कि आपने वित्त मंत्रालय के अधिकारी-गण क्या करते रहते हैं ? 1% की हास्यपद बढ़ोतरी की बातें बताने के अलावा उनके पास और क्या काम है ?

आप 1000 करोड़ रुपये से अधिक का घाटे का बजट लेकर आये हैं। आप उच्चतर आय वाले वर्ग को छोड़कर इस देश के प्रत्येक घर को घाटा पहुंचा रहे हैं। देश के प्रत्येक घर के बजट में 15% का घाटा बढ़ गया है और अधिकारी लोग 1% का दावा कर रहे हैं। सम्भवतः उन्हें अपने घरों का काम नहीं देखना पड़ता और ना ही वे बाहर की सच्चाई के बारे में चिन्तित हैं। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि आप इस निगरानी का काम संभालें और आपको यह भी देखना चाहिए कि भिन्न कम्पनियों के विभिन्न निदेशक-बोर्डों में बैठे हुए ये वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं।

अब मैं लघु उद्योगों के प्रश्न पर आती हूं। आंकड़ों में इस प्रकार की हेरा-फेरी — । लाख रुपये और उससे,अधिक —से मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि जैसा कि एक माननीय सदस्य ने बताया है कि छूट तो 30 लाख रुपये तक दी गई थी। अब आप छूट को 15 लाख रुपये तक नीचे ले आए हैं। फिर, आप 15 और 30 लाख रुपये के बीच में 4% की छूट दे रहे हैं और 30 लाख रुपए से ऊपर आप फिर से 8% देने लगते हैं। मैं यह जानना चाहती हूं कि लघु उद्योग को यह किस प्रकार से राहत हुई ? ये बातें मैं आपको बता सकती हूं, क्योंकि मैं तो एक ऐसे क्षेत्र की रहने वाली हूं जहां बनियान बनाने, अभियान्त्रिकी आदि में बड़े पैमाने पर काम होता है।

यदि 15 लाख पर 2% लाभ होता है तो वह तो ठीक है। क्योंकि जब वे 30%लाभ कमाते हैं तो 4%कर लग जाता है। तो फिर बच क्या रहता है ? लघु-उद्योगों में, अथवा छोटे स्वामित्व वाले उद्यमों में, ऐसे धनी व्यक्ति नहीं होते जिनके पास काफी संचित राशि हो जो आड़े समय काम आये अतः मेरा यह निवेदन है कि मंत्री महोदय को यह बात अंगीकार करनी ले चाहिए कि लघु-उद्योगों के मामले में 30 लाख रुपये की पहली उच्चतम सीमा को फिर से लागू किया जाये। 4% कर वाली बात उसमें नहीं होनी चाहिए। मैं राज्यों के ससाधनों के प्रश्न पर नहीं, चर्चा नहीं करना चाहती क्योंकि इस बारे में बहुत से माननीय सदस्य पहले ही बोल चुके हैं अत' अपने पास समय की कमी को देखते हुए, मैं उसकी बात नहीं करूंगी।

अन्त में, मैं एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण बात उठाती हूं। यह मुद्दा वृद्धावस्था की पेन्शन से संबंधित है। साल-दर-साल यह मामला उठाया जाता है और आये साल नये वित्त मंत्री आते हैं और चले जाते हैं, फिर चाहे वे जनता पार्टी के हों या कांग्रेस के बात वहीं की वहीं बनी रहती है।

हमारे यहां पेंशन अधिनियम तो 1871 का लागू है और हमें 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। परन्तु उसी पेंशन अधिनियम के नियम तथा भावना अभी भी चालू है जो हमारे देश में

पेंशन लेने वालों को अपना शिकार बनाये हुए हैं। हर बार आप पेंशन नियमों में परिवर्तन कर देते हैं। इन परिवर्तनों का उसके पूर्व सेवा-निवृत हुए लोगों पर कोई असर नहीं पड़ता। इसके परिणामस्वरूप, बहुत से वृद्धावस्था के पेंशनर जो कि 1973 से पहले सेवा-निवृत हुए थे, उन नये संशोधनों का लाभ नहीं प्राप्त कर सकते जो कि नए पेंशनरों को प्राप्त कर सकते हैं। इन लोगों को जिन्होंने अपने सेवा काल मे बड़ी ही सेवा भावना से देश की सेवा की थी--सरकार की सेवा की थी, उन्हें उसी पेंशन पर गुजारा चलाने के लिए कहा जा रहा है, जो कि आज के जीवन-यापन लागत मूल्य से कहीं कम लागत पर आधारित थी।

इस देश में मुद्रास्फित पूरे वेग से चौकड़ी भर रही है। आपने इसे अब चाहे तो काबू में कर लिया हो। परन्तु उन दिनों में भी जब मुद्रास्फित जोर पकड़कर अपनी पूरी गति में थी, उनकी पेन्शन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मेरे पास कुछ आँकड़े हैं। उदाहरणस्वरूप उन लोगों की ही बात लीजिए जो 1973 से पहले सेवा-निवृत हुए। किसी की पेंशन उनमें से लगभग 400/—थी। कोई उसी वेतनमान का व्यक्ति 1977 में सेवानिवृत हुआ तो उसे 519/— रुपये मिलेगा। और जो कोई व्यक्ति 1977 से 1979 के बीच सेवानिवृत हुआ तो उसे 554 रुपये मिलेंगे। यह कुछ अधिक है। परन्तु कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें केवल 60, 90 या 120 रुपये की पेंशन मिलती है। क्या आप इसे नैतिकतापूर्ण बात समझते हैं कि यह स्थिति कायम रहे। उन्हें इसलिए दण्डित क्यों किया जाय, क्योंकि वे पहले ही सेवानिवृत हो गए? यदि आप पेंशन दर में परिवर्तन करते हैं तो इसे पूर्वापेक्षी प्रभाव क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? मुझे यह नहीं बताइये कि इस पर कई करोड़ रुपये व्यय होंगे। इसी प्रकार 11 करोड़ रुपये यूं ही खर्च हो जाते हैं। आपने बकाया धन को उगाहा है। मैं जानती हूं कि सतीश अग्रवाल जी बड़े ही ऊर्जस्वी रहे हैं और आपके उत्पाद-शुल्क एकत्रित करने के काम के अच्छे परिणाम निकले हैं। उसके लिए मैं आपको बधाई देती हूं। आप पेंशनरी लाभों या दृष्टिपात क्यों नहीं करते?

श्री सतीश अग्रवाल : वह मेरे अधिकार-क्षेत्र में नहीं आता। मैं तो केवल राजस्व एकत्रित करने का ही प्रभारी हूं।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : हमने पेंशन अधिनियम में इस ढंग से संशोधन किया है कि यदि कोई प्रथम श्रेणी सेवानिवृत अधिकारी अथवा कोई उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश यदि मंत्री या अध्यक्ष बनता है तो वह अपनी पेंशन के साथ-साथ मंत्री या अध्यक्ष पद का वेतन भी पाता रहता है। परन्तु केवल 60/—रुपये की पेंशन पाने वाले व्यक्ति को पेंशन अधिनियम में संशोधन करके कोई लाभ नहीं पहुंचाया गया है।

श्री विनोद भाई बी. सेठ : भूतपूर्व कमान्डर इन चीफ जनरल राजेन्द्र सिंह की विधवा को को केवल 300/—मासिक की पेंशन मिल रही है। मैं आपकी बातों से सहमत हूं।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : वह कुछ और तथ्य दे रहे हैं। उन्हें भी ले लीजिए। पेंशन पाने वाले हमें प्रतिदिन लिखते रहते हैं। वे सरकार और संसद को छोड़कर जा भी कहां सकते हैं? अतः मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि यह विश्वास दिलायें कि पेंशनरों के मामले पर

विचार किया जायेगा और उन्हें लाभ दिए जायेगे जिनकी वे मांग कर रहे थे। आप उन्हें दीर्घ आयु होने के कारण दण्डित क्यों कर रहे हैं, जबकि आह चाहते हैं कि वे दीर्घजीवी न हों। आप कहते हैं कि आप अमुक दिन अवश्य मर जायें क्योंकि आपकी पेंशन एकमुश्त हो गई है।" यदि वह उस दिनांक तक मर नहीं जाता तो उसे दण्डित किया जाता है जबकि ऐसे बहुत से राजा लोग हैं जो कि अपनी सम्पत्ति के मुआवजे से मौज कर रहे हैं।

अन्त में, मैं 'विमकों' मजदूरों के बारे में कही गई बातों के समर्थन में अपनी बात भी कहना चाहती हूं 8000 के लगभग मजदूरों को बेकारी का शिकार बनाया जाने वाला है। निर्माण-क्षेत्र का अंशदान कुल उत्पादन का केवल 28% है। मन्त्री कक्ष के छोटे-मार मन्त्री श्री जार्ज फर्नान्डीस के साथ निर्माण-क्षेत्र के प्रतिनिधियों की एक बैठक जनवरी ,1979 में हुई और उनके बीच एक समझौता हुआ तथा उन्होंने उसे एक आश्वासन दिया कि वे अपना विस्तार नहीं करेंगे और हाथ का काम करने वाले क्षेत्र को अपना तकनीकी ज्ञान उपलब्ध करायेंगे। तो मजदूरों को दण्डित क्यों किया जाए ? जो कुछ भी आप करें कृपया यह अवश्य देख लें कि इन 8000 मजदूरों को काम मिलता रहे और वह भी उसी दर पर और उन्हीं शर्तों पर जैसा कि पहले थीं। कृपया इस बात की भी गारन्टी दें कि घरेलू-उद्योग कोउ सकी मेहनत के बराबर मजदूरी भी मिलेगी जिससे उनकी जीवन यापन की आवश्यकताएं पूरी हो सकें, क्योंकि यह याद रखो कि 10 वर्ष बेकारी समाप्त करने की अवधि में से 2 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। आपके पास केवल 8 वर्ष का समय है और आप तो बेरोजगारी फैला रहे हैं। मैं यह जानना चाहती हूं कि आपने इस प्रकार के बजट के आधार पर आप अपना लक्ष्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि चाहे कुछ भी क्यों न हो अगले तीन वर्षों में तो आप सत्ता से जाने ही वाले हैं।

श्री पवित्र मोहन प्रधान (देवगढ़) : महोदय मैं वित्त मन्त्री और उप प्रधान मन्त्री द्वारा अपने बजट भाषण में, इस सदन में घोषित, वित्तीय प्रस्तावों से भरपूर वित्त-विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अन्य वक्ताओं ने यह कहकर इसकी आलोचना की है कि यह विधेयक और बजट राष्ट्र का कोई हित-साधन नहीं करेंगे। मेरे विचार से तो यह बजट तथा भावी बजट जनता पार्टी के चुनाव-अभियान के दिनों के वायदों को अवश्य पूरा करेंगे।

राजनीतिक दल, और राजनीतिज्ञ लोग हमेशा दुहरी चाल चलते हैं। यही तो हमारा चरित्र है। इसका अर्थ यह है कि एक ओर तो हम लोगों में बांटने के लिये सरकार से धन की मांग करते हैं और दूसरी ओर जब सरकार कराधान करती है तो हम उसकी आलोचना करते रहते हैं और उसके धन-संग्रह और कराधान के रास्ते में रोड़े अटकाते रहते हैं। मेरे विचार से राजनीतिज्ञों की यह दोहरी-नीति न तो समाज राष्ट्र के हित में है।

पूरे दिल से इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं अनुरोध करता हूं और मांग करता हूं कि वित्त मन्त्री चौधरी चरण सिंह जी, जो कि देश में एक ईमानदार राजनीतिज्ञ और सच्चे प्रशासक के रूप में प्रसिद्ध हैं, इस सच्चाई पर ध्यान दें कि विकास कार्यों के लिए जितना भी धन खर्च के लिए नौकरशाहों को दिया जाता है उसमें से 50% तो गबन, घूस, अपव्यय, विलासिता

और दुरुपयोग के रास्ते चला जाता है, कैसे इसका दुरुपयोग किया जाता है, इसका मेरे पास मोटा सा हिसाब है। राजनीतिक हस्तक्षेप 15% है। इसका मतलब केवल सत्तारूढ़ दल से ही नहीं है बल्कि सभी राजनीतिक दलों से है। सरकारी फिजूलखर्ची 12.5 प्रतिशत, ठेकेदारों का मुनाफा 12.5 प्रतिशत, श्रमिक शोषण 4 प्रतिशत, दान 3 प्रतिशत तथा विलासिता पर 3 प्रतिशत, इस प्रकार यह 50 प्रतिशत बैठता है। बल्कि यह इससे कुछ अधिक ही हो सकता है···

श्री बसंत साठे (अकोला) : आपको 12.5 प्रतिशत का कहां से पता चला है ?

श्री पवित्र मोहन प्रधान : यह मेरा अनुभव है। यह बात यहां बताने की नहीं है।

सभापति महोदय : वह भूतपूर्व मुख्य मन्त्री हैं।

श्री पवित्र मोहन प्रधान : वित्त मंत्री को, जो कि एक निष्पक्ष व्यक्ति और ईमानदार प्रशासक हैं, देश की वित्तीय स्थिति पर नियंत्रण करना है। स्वतंत्रता के पश्चात अब तक संसद में, विधान सभाओं में इस बात की आलोचना की गई है कि नौकरशाही में रिश्वत का बोलबाला है। किन्तु किसी भी सरकार ने अभी तक इसको रोकने का प्रयास नहीं किया है। मुझे आशा है कि वर्तमान वित्त मंत्री इस दिशा में प्रयास करेंगे ताकि इसे रोका जा सके। यदि एक वर्ष में नहीं तो कम से कम तीन वर्षों में 90 प्रतिशत रिश्वतखोरी रोकी जानी चाहिए। मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि यदि ईमानदारी तथा गंभीरता से प्रयास किए जायें तो इस पर 90 प्रतिशत तक नियंत्रण पाया जा सकता है। सरकारी धन का ऐसा दुरुपयोग अधिकांशतः सरकारी क्षेत्र के संगठनों में हो रहा है।

आज प्रत्येक चीज के राष्ट्रीयकरण तथा समाजीकरण की बात की जा रही है। मेरा अनुभव तथा जानकारी यह है कि 90 प्रतिशत सरकारी क्षेत्र के संगठन घाटे में चल रहे हैं क्योंकि वहां घूसखोरी, नौकरशाही तथा फिजूलखर्ची का बोलबाला है। उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की बात की जा रही है।

(श्री धीरेन्द्र बसु पीठासीन हुए) : ठीक है आप ऐसा कर सकते हैं। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु जब तक विभिन्न मंत्रालयों के अधीन कार्य कर रहे राष्ट्रीयकृत उद्योग तथा निगम मुनाफा नहीं कमायेंगे तब तक देश के हित में आपको आगे किसी और उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने का न तो नैतिक अधिकार है और न ही प्रशासनिक अधिकार।

कुछ ही दिन पहले मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा था कि प्रधान मंत्री ने कहा है कि यदि किसी उद्योग को मुनाफे के साथ नहीं चलाया जाता है तो उसका दोष निगम के प्रमुख पर डाला जायेगा और उसे हटा दिया जायेगा। राष्ट्र इस बात की उम्मीद करता है कि जब प्रधान मंत्री ने इस तरह की कोई बात की है तो सरकार को तदनुसार कार्य करना चाहिए। चूंकि वित्त मंत्रालय के दो राज्य मंत्री यहां उपस्थित हैं, अतः उन्हें इस बात को व्यवहार में लाने का प्रयास करना चाहिए। यदि सरकार के अधीन किसी भी निगम को घाटा हो रहा है तो उसके प्रमुख से इस

बारे में स्पष्टीकरण मांगा जाना चाहिए और यदि वह संतोषजनक ढंग से स्पष्टीकरण नहीं देता है तो उसे सेवा से हटा दिया जाना चाहिए। वर्तमान कानून के अन्तर्गत उद्योगों को चलाने में उनकी असमर्थता इस बात को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि वे असक्षम हैं और इसलिए बिना कोई कारण बताए उन्हें सेवा से हटा दिया जाना चाहिए। उन्हें कानूनी अदालत में जाने दीजिए। न्यायालय उनकी बात को स्वीकार नहीं करेगा।

केन्द्र से राज्यों को जो धन दिया जाता है उसकी भी वही दुर्गति होती है। यद्यपि केन्द्र का राज्यों पर प्रत्यक्ष रूप से कोई नियंत्रण नहीं है, फिर भी मेरी राय में आप पर्यवेक्षणकर्त्ता तथा निरीक्षणकर्ता तो है ही। किन्तु आपके अधिकारी समुचित ढंग से तथा ईमानदारी से यह कार्य नहीं करते हैं : मेरा यह अपना अनुभव है।

अब मैं इस तथ्य पर आता हूं कि इस सरकारी धन का किस तरह दुरुपयोग हो रहा है। यह धन जो कि विकास कार्यों तथा राष्ट्र की प्रगति में लगाया जाना चाहिए, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। गत् दो वर्षो से जनता सरकार में एक योजना शुरू की है। जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया जायेगा ताकि वहां काम करने वाले इच्छुक लोगों को रोजगार दिया जा सके। दूसरी बात यह है कि करोड़ों रुपये का गेहूं विभिन्न राज्यों में भेजा जा रहा है। कुछ मामलों में अधिकतम 40 प्रतिशत खाद्यान्नो का सहो उपयोग है। कुछ मामलों में 30 प्रतिशत का, कुछ मामलों में 25 प्रतिशत का, कुछ में तो 10 प्रतिशत का भी सही उपयोग नहीं हुआ है। किन्तु परिणाम शत प्रतिशत दिखाया गया है। सरकार पैसा, अनाज आदि सब कुछ देती है किन्तु यह सुनिश्चित नहीं करती कि क्या इसका समुचित हो रहा है। अथवा नहीं। विभिन्न राज्यों को गेहूं दिया गया। 2 वर्ष पूर्व गेहूं का सरकारी मूल्य 130 या 140 रुपये प्रति क्विटल था। किन्तु यह गेहू उन ठेकेदारों को दिया गया जिन्होंने कार्य का ठेका लिया। ठेकेदारों ने सरकारी गेहूं 80 रुपये प्रति क्विटल की दर से बेचा। यह सर्वविदित बात है। लोग सरकार का समर्थन करते हैं और कर देने के लिए तैयार हैं। वे इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। इसका विरोध राजनीतिक लोग, समाचार पत्रों के लोग कर रहे हैं। किन्तु वे लोग इस पर आपत्ति नहीं कर रहे हैं। उनकी आपत्ति तो यह है कि उनके लिए जो पैसा व्यय किया जा रहा है, वह उन तक नहीं पहुंच रहा है। इसमें 50 प्रतिशत धन का दुर्विनियोजन, घोटाला वितरण आदि हो जाता है। ओर शेष 50 प्रतिशत धन को भी किसी न किसी तरह से नष्ट कर दिया जाता है। अत जनता की शिकायत यह है कि उन पर जो धन व्यय किया जाये उस पर समुचित निगरानी रखी जानी चाहिए। वे इस बात की शिकायत नहीं कर रहे हैं कि आपने एक दिया-सलाई पर एक पैसा बढ़ा दिया है यह उनकी शिकायत नहीं है। यह तो मेरी शिकायत है क्योंकि मुझे उनसे वोट लेने हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने बेरोजगारी दूर करने का प्रश्न उठाया है जैसा कि मैंने पहले कहा था और अब भी कह रहा हूं। कि विश्व की कोई भी सरकार ऐसी परिस्थितियों में, जो कि भारत में विद्यमान हैं, किसी निर्धारित अवधि के अन्दर शिक्षित लोगों की बेरोजगारी दूर नहीं कर सकती। न तो इंदिरा गांधी कर सकी और न ही हमारे प्रधान मन्त्री तथा हमारे वित्त मंत्री

कर सकते हैं। किन्तु वे वचन दे रहे हैं कि बेरोजगारी की समस्या 10 वर्षों में हल कर दी जायेगी। अच्छा है, वे ऐसा कर दें। मुझ तो इससे बहुत खुशी होगी। किन्तु जब तक जन्मदर पर नियंत्रण नहीं किया जाता और शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन नही किया जाता तब तक आप 20 वर्षो मे भी बेरोजगारी दूर नही कर सकते। ज्यों ही बर्ष बीतते जायेंगे शिक्षित बेरोजगारों की संख्या भी बढ़ती जायेगी क्योकि आजकल छात्र पढ़ नही रहे हैं वे केवल हाजरी लगा देते हैं। बस उनके लिए इतना ही पर्याप्त है। चाहे यह 11+2 या 10+3 की प्रणाली हो 13 वर्षो के पश्चात उन्होंने डिग्री मिल जाती है और फिर वे कहते हैं कि हम स्नातक हैं। हमें नौकरी दीजिए नहीं तो हम आपका घेराव कर देंगे या फिर आप पर पत्थर या सोडा बोतल फेंकेंगे इसलिए मन्त्री लोग अनमने ढग से उन्हें अर्ध रोजगार आदि देकर शांत कर लेते हैं।

जहां तक गरीबी हटाने का सम्बन्ध है इदिरा गांधी ने गरीबी हटाने का प्रयास किया किन्तु गरीबी हटाने की बजाय उन्होंने ऐसा काम किया कि बड़ी संख्या में गरीब लोग ही हटा दिए। हम भी प्रयास कर रहे हैं। हमारे प्रयास सफल होने चाहिए। गरीबी केवल हट सकती है जबकि गरीब आदमी गरीबी को दूर करने के लिए ईमानदारी से अथक परिश्रम करें। आप किसी गरीब आदमी को मकान बनाने के लिए 2,000 रुपये देकर उसकी गरीबी किस तरह हटा सकते हैं! उस 2,000 रुपये में से 500 ठेकेदार ले लेगा, 300 रुपये मेरे दल का या आपके दल का कार्यकर्ता ले लेगा। क्या शेष 1000 रुपये से उसकी गरीबी दूर हो जायेगी। यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। अतः उन लोगों की सहायता की जानी चाहिए जो कि ईमानदारी से अपनी गरीबी दूर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं।

इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि वित्त मन्त्री धन पर नियत्रण करने की भरसक चेष्टा करेंगे ताकि राष्ट्र की इच्छाएं पूरी की जा सकें।

श्री बसंत साठे (अकोला) : आज वित्त विधेयक पर बोलते हुए मैं विभिन्न मदों पर आकड़ों संबंधी वाद-विवाद में जो कि प्रशासन का लिपिकीय कार्य है, में न पड़ कर कुछ भूलभूत बातें उठाना चाहता हूं। मैंने सोचा कि वही समय मैं उन प्रश्नों को जो कि मैंने सोचे हैं अथवा सोच रहा हूं, पर लगाऊं ताकि संसदीय प्रणाली के अन्तगत मूलभूत आर्थिक समस्याओं पर विकल्पी पार्टी के बारे में कमी को पूरा किया जा सके ?

हम सभी चाहते हैं कि भारत और उसके 64 करोड़ व्यक्तियों का समान रूप से सर्वांगीण विकास हो। शुरू से ही प्रत्येक नेता यह बात कहता आया है। वास्तव में पूरी अर्थ-नीति हमारे देश में अपनायी गई आयोजित अर्थ नीति का लक्ष्य इसी उद्देश्य को प्राप्त करना था। आइए अब हम इसका मूल्यांकन करें। मैं ऐसा पहले भी कह चुका हूं। कहा जा सकता है कि एक ही पार्टी होने के कारण उन्होंने परवाह नहीं की उनके अपने निश्चित विचार थे। ठीक है—कम से कम अब तो हमें राष्ट्रीय दृष्टि से सोचना चाहिए कि क्या हम सही दिशा की ओर चल रहे हैं अथवा नहीं। यदि आप ऐसी अर्थ-व्यवस्था को अपनाते हैं कि जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रिया-कलापों से पूंजी के निर्माण की खुली छूट रहती है तो उसका परिणाम वर्तमान व्यवस्था होगी

जिसमें पूर्जी निर्माण कुछ ही व्यक्तियों के लाभ में होता है। हमने देखा कि 75 वर्ष पूर्व एक प्रश्न पूछा गया था कि पूँजी कहां जा रही है। वृद्धि से किसे लाभ मिल रहा है। इसके लिए जब एक समिति बनाई गई तो पता चला कि इस देश में एक समानान्तर अर्थ-व्यवस्था चल रही है जो कि काले धन की अर्थ-व्यवस्था है। काले धन के प्रसार का अध्ययन करने वाली तथा उसे समाप्त करने के उपायों पिछली प्रवर समिति का अनुमान है कि इस देश में 20000 करोड़ रुपये का काला धन मौजूदा है, जो कि रुपए के रूप में नहीं अपितु सम्पत्ति के रूप में है। हम इस प्रणाली को जब तक यह चले, चला रहे हैं। आप इसे पूंजीवादी अथवा जो भी नाम देना चाहे दे सकते हैं जिसके अन्तर्गत कुछ व्यक्तियों की ही उन्नति तथा अन्य व्यक्तियों की अवनति होती है—यहां ऊंचे लोगों की सवृद्धि होती है तथा साधारण व्यक्तियों की गरीबी बनी रहती है हमने देखा कि जिन व्यक्तियों केपास इतनी क्रय शक्ति है कि उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद कर सके उनकी संख्या करोड़ है तथा मासिक आय 200 रुपये है।

यदि मेरे आंकड़े गलत हैं तो वित्त मंत्री महोदय पता करके सही आंकड़े बता सकते हैं। मैं कई वर्षो से यह बात कह रहा हूं। यदि मैंने गलत बात कही है तो मैं उसे सुधारना चाहूगा। 1000 रुपये से ऊपर की आय वाले मुश्किल से 1.76 प्रतिशत हैं। एक लाख से ऊपर की आय वाले व्यक्तियों तथा निगमित निकायों की संख्या 3000 है जो कि 80 प्रतिशत कर की अदायगी करते हैं। पूरे देश की अर्थ व्यवस्था वास्तव में 3000 कर निर्धारितियों द्वारा नियंत्रित होती है। पिछले कई वर्ष से मैं यह कहता आया हूं।

यह पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था के जारी रहने का परिणाम है। यह पूंजीपतियों का दोष नहीं है अपितु पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था का दोष है। इसलिए यह तय हुआ था कि हम पृथक प्रणाली अपनायेंगे। वह प्रणाली समाजवादी थी।

कुछ लोगों को उस शब्द पर भी आपत्ति है। इसपर मैं झगड़ा नहीं करूंगा। परन्तु गांधी जी को उद्धृत करना चाहता हूं। अब हम गांधीवादी समाजवाद की बात करते हैं। समाजवाद के बारे में गांधी जी की संकल्पना क्या थी? अर्थ-व्यवस्था की कसौटी क्या है? क्या यह समतावादी अर्थ-व्यवस्था है, एक न्यायिक अर्थ-व्यवस्था है। कमला गदरे द्वारा लिखित "ट्रस्टीशिप के लिए आने वाला संघर्ष" शीर्षक पुस्तक के पृष्ठ 42 पर 'पूंजीवादियों को नहीं पूंजीवाद को समाप्त करो'। गांधी जी ने कहा है:

> 'अहिंसात्मक उपायों द्वारा हमें पूंजीपतियों का नहीं पूंजीवाद की समाप्ति करनी चाहिए। हमें पूंजीपतियों को अपने को उन व्यक्तियों के लिए ट्रस्टी का कार्य करने के लिए आमंत्रित करते हैं जो उन्हें धन कमाने, उसे बनाये रखने तथा उसकी वृद्धि में उसकी सहायता करते हैं।

आगे उन्होंने कहा है:

'समाजवाद का जन्म पूंजीपतियों द्वारा धन के दुरुपयोग से नहीं हुआ। जैसा कि मेरा तर्क है समाजवाद और साम्यवाद भी ईशोपनिषद् के पहले मंत्र में ही लक्षित होता है:

इशावास्यमिदं सर्वं
यत्किंचित् जगत्याम जगत।
तेन त्यक्तेन भूंजीथा:
मा: गन्धा कस्य स्विदधनं ।।

जो कुछ भी इस चलायमान जगत में विद्यमान है उस सबमें परमात्मा का वास है। उसके दिए हुए पदार्थों का त्यागभाव से सेवन कर। लोभ मत कर, क्योंकि यह समग्र धन किसका है। अर्थात उस प्रभु का है।

बाद में उन्होंने कहा है:

'पूंजीपति द्वारा स्वैच्छापूर्वक अपने अधिकार को त्यागने तथा सभी की वास्तविक खुशी प्राप्त करने तथा पूंजीपति द्वारा समय पर न चेतने पर करोड़ों लोग खड़े होकर ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे जिसे कोई शक्तिशाली सरकार भी अपने सैन्य बल से दबा नहीं सकती।'

यह चेतावनी गांधी जी ने बहुत समय पूर्व दे दी थी:

यदि धन का अथवा धन से पैदा होने वाली शक्ति सबके साझे हित में स्वेच्छा से त्याग नहीं किया जाता तो एक न एक दिन हिंसापूर्ण खूनी क्रांति अनिवार्य है।''

यह है गांधी जी की संकल्पना। आगे उन्होंने ट्रस्टीशिप के सूत्र दिये हैं:

"ट्रस्टीशिप वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था को समतावादी व्यवस्था में बदलने का साधन है। यह सम्पत्ति के निजी स्वामीत्व की स्वीकृति नहीं देता। इसके अंतर्गत सम्पत्ति के स्वाभीत्व के लिए कानूनी विधान की व्यवस्था नहीं है। इसके अन्तर्गत व्यक्ति, सम्पत्ति का निजी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं कर सकता।"

समाजवाद की पूरी संकल्पना तथा लोकतंत्रीय संरचना के आधार को कितनी सुन्दरता से अभिव्यक्त किया गया है। हम उसके बारे में क्या कर रहे हैं? जैसा कि मैंने बताया यह किसी एक व्यक्ति का दोष नहीं है, यह हमारी प्रणाली का दोष है। आज आपने जबरदस्ती पूंजीवादी व्यवस्था को स्वीकार किया है। इस प्रणाली की कठिनाई क्या है? यही है कि पूंजी के निर्माण को कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में होने दिया जाये, उन्हें इस बारे में स्वतन्त्रता रहे। और आप सरकार के नाते कर के रूप में सरकार चलाने तथा कल्याणकारी कार्यों को करने के लिए हिस्सा चाहते हैं। इस प्रकार पहले पूंजी कमाने तथा उसे जमा करने की स्वतन्त्रता दें और बाद में उसका एक अंश करों के रूप में ले लें। मैं आपको उसे क्यों दूं। मैं उसका एक अंश ही दिखाऊंगा जिसपर आप कर लगा सकेंगे। इस प्रकार यह प्रणाली ही त्रुटिपूर्ण है।

आपका बजट क्या है। यह कराधान की पूंजीवादी प्रणाली है। आप प्रतिवर्ष बजट तैयार करते हैं उसे पढ़ते हैं तथा तब वित्त विधेयक लाते हैं। मैं श्री चरणसिंह जैसे प्रगतिवादी विचारों के व्यक्ति से उम्मीद करता हूं कि वह राष्ट्रीय स्तर पर इस मौलिक मामले पर वार्ता करेंगे और इस बुनियादी प्रश्न पर विचार करेंगे। क्या आप उस पद्धति को बनाये रखना चाहते हैं जिसमें व्यक्तियों कुछ द्वारा बहुत से व्यक्तियों का शोषण किया जाता है ? वर्तमान प्रणाली में यह निहित है। मुझे समाजवादी शब्द से कोई विशेष प्रेम नहीं है तथापि गांधी जी ने कहा था कि मैं एक अच्छा समाजवादी तथा कहीं अच्छा साम्यवादी हूं। ठीक है यदि आप समाजवादी तथा साम्यवादी शब्दों को नहीं पसंद करते तो मेरा आपसे कोई झगड़ा नहीं है। मैं केवल यही पूछ रहा हूं कि क्या इस प्रणाली में परिवर्तन किया जा सकता है तथा क्या हमारी लोकतंत्रीय प्रणाली में परिवर्तन किया जा सकता है।

आर्थिक क्रिया-कलाप दो प्रकार के होते हैं—एक उत्पादनकारी और दूसरे वितरणकारी। सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र—यह दो विभाजन क्यों किए गए हैं। देश में एक ही क्षेत्र—जनता का क्षेत्र अथवा राष्ट्रीय क्षेत्र होना चाहिए। यदि आपका यह विचार हो तो सभी राष्ट्रीय व्यापार क्रिया-कलाप एक ही क्षेत्र में लाये जा सकते हैं। जैसे सभी चिकित्सकों को अनिवार्यतः भारतीय चिकित्सा अधिनियम के अंतर्गत व्यवसायिक पंजीयन किया जाता है अन्यथा वे—व्यवसाय नहीं कर सकते—उसी प्रकार समूचे व्यवसायिक तथा औद्योगिक समुदाय का एक राष्ट्रीय औद्योगिक सोसाइटी के अंतर्गत पंजीकरण किया जाना चाहिए। तभी आप अग्रताएं निर्धारित कर सकते हैं। अग्रताओं का निर्धारण निहित व्यवस्था के अनुसार किया जाना चाहिए। प्रत्येक उद्योग से नियंत्रण की एक त्रिमूर्ति होती है—कर्मियों की, जो उत्पादन करते हैं—उद्यमियों अथवा पूंजीपतियों की, जो धन लगा सकते हैं तथा सरकारी अथवा वित्तीय एजेंसी की जो कि आजकल 80 प्रतिशत धन की व्यवस्था करती है। आप प्रत्येक उद्योग में ऐसी संरचना की कल्पना करें। आज जो ऊचे मुनाफे कमाये जाते हैं वे सरकार द्वारा खरीदे और बेचे जाने वाले माल पर—चाहे वह कच्चा माल हो अथवा तैयार वस्तुएं हों—उनमें छल-कपटपूर्ण व्यवहार से किया जाता है। इस प्रकार यदि त्रिमूर्ति स्थापित हो जाती है तो यह सबके हितों की रक्षा कर पायेगी। इस प्रणाली के चलाने के लिए आंतरिक व्यवस्था होनी चाहिए। यदि आप राष्ट्रीय स्तर पर एक विपणन संगठन बनायें तो प्रत्येक खुदरा व्यापारी प्रत्येक थोक विक्रेता उसका सदस्य होगा। यदि थोक विक्रेता उसका नेतृत्व करते हैं तो कोई बात नहीं। तब आप विनियमन कर सकेंगे। आप उन्हें कह सकते हैं कि थोक के स्तर पर उनका कितना लाभ होना चाहिए। आप उन्हें $1\frac{1}{2}$ अथवा 2 प्रतिशत लाभ दे सकते हैं। थोक व्यापारी इससे खुश हो जायेंगे। श्री कंवर लाल गुप्त भी इस बारे में बता सकते हैं।

श्री कंवर लाल गुप्त : मेरा संबंध उनसे नहीं है पर मैं जानता हूं।

श्री बसंत साठे : मैंने यह जानकारी उनके भाई श्री मानीराम गुप्त से ली है जो थोक व्यापारी संघ के अध्यक्ष हैं।

श्री कंवर लाल गुप्त : तब आप उनका नाम लें, मेरा नहीं ।

श्री वसन्त साठे (अकोला) : ठीक है, में श्री भानी राम गुप्ता का उद्धरण देता हूं । उनका कहना है, 'डेढ़ प्रतिशत' । मेरा कहना है, 'यदि मैं आधा प्रतिशत अधिक दूं तो अरे वह तो मालामाल हो जायेंगे साहब । उनका कहना है कि वे अतीव प्रसन्न होंगे । अतः, दो प्रतिशत तो उन्हें दे दिया गया । फिर फुटकर बेचने वालों की बात लीजिये, उनका लाभांश 2½ से 3 प्रतिशत तक का है । उन्हें पांच प्रतिशत दे दीजिये ? फिर तो सारे के सारे फुटकर विक्रता, चाहे वे देश के किसी भी कोने में क्यों न हों, बहुत प्रसन्न हो जायेंगे । अब अन्तर पर दृष्टिपात कीजिए । मैं इस निर्णायक बात पर आ रहा हूं, जिसमें श्री चरणसिंह जी की रूचि है । आप उपभोक्ता को प्रभावित किये बिना, कृषि-उत्पादक को लाभप्रद मूल्य देना चाहते हैं । क्या ऐसी बात नहीं है ? यदि आप ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन-स्तर में सुधार लाना चाहते हैं और मजदूरों को अधिक अच्छी न्यूनतम मजदूरी दिलाना चाहते हैं तो, आप उत्पादक को लाभप्रद मूल्य दिये बिना ऐसा कैसे कर सकते हैं ? अब आप कह सकते हैं, 'मैं एक गेहूं उत्पादक को 130 रुपये देना चाहता हूं और चावल उत्पादक को 100 रुपये ।' आप वैसा कहिये और परिणाम देखिये । यदि सारे ही व्यापार को चलाने के लिये राष्ट्रीय विपणन संगठन है तो फिर बीच में क्या गुंजाइश रह जाती है । यदि इसमें 7% जोड़ दिया जाये तो यह 140 रुपये या 143 रुपये हो जाता है । तो, देश की अन्तिम फुटकर दुकान में आप इसे, व्यापारी का कोई नुकसान किये बगैर, व्यापारी का शोषण किये बगैर या उसे हानि पहुचाये बिना, 140 रुपये प्रति क्विन्टल के हिसाब से विक्रय कर सकते हैं । और देखो उपभोक्ता कितना खुश होता है । आज उपभोक्ता काले बाजार में 250 रुपये से लेकर 300 रुपये तक दे रहा है । मैं तो इसी बात पर जोर दे रहा हूं । कोई राष्ट्रीय विधान होना चाहिये ।

एक माननीय सदस्य : परिवहन के बारे में क्या कहना है ?

श्री वसन्त साठे : उसमें परिवहन का व्यय भी शामिल है । सुतली का टुकड़ा तक । यही तो श्री मनीराम ने मुझे बताया था । यदि यह भी मान लिया जाये कि उसमें परिवहन व्यय सम्मिलित नहीं हैं और आप इसे अब जोड़े तो भी, यह गुंजल-मुंजल नहीं रह सकती और इसके बीच में, लागत 2 रुपये प्रतिकिलो नहीं हो सकती । अत. राष्ट्रीय विपणन संगठन जैसी कोई सुदृढ़ वितरण तकनीक अपनाकर; हम इसे प्राप्त कर सकते हैं । यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है, अवहेलना करता है तो उसका लाइसेन्स रद्द कर दिया जाये और समाज-बिरोधी तथा राष्ट्र-विरोधी गतिविधि के लिये उसे जेल में ठूंस देना चाहिये । उन पर कोई दया मत दिखाइये ।

अब आप यह निश्चित कर सकते है कि एक बार आप इस विपणन नियन्त्रण को लागू कर दें तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या उत्पादन किया जाए । तो देखना यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन करने में क्या कठिनाईयां हैं ? आप ग्रामीण क्षेत्रों और रोजगार दिलाने में पर्याप्त रूचि ले रहे हैं । समस्या का यहीं पेचीदा मामला है । रोजगार जुटाना क्यों सभंव नहीं है ? जो कुछ भी वे उत्पादित करते हैं उसके लिये कोई बाजार नहीं है क्योंकि मण्डी तो केवल शहरों में ही होती है । मैं तो सदैव साबुन का ही उदाहरण देता हूं । ग्रामीण क्षेत्र के किसी मेधावी मेट्रीकुलेट द्वारा

अथवा औषध विक्रेता द्वारा बनायें गये साबुन की बिक्री नही होगी जो बड़ी कम्पनियां साबुन बनातीं हैं वे प्रत्येक गाँव में अपने साबुन का विज्ञापन करती हैं। जो कोई भी ट्रान्जीस्टर या रेडियो सुनता है यही अनुभव करता है कि वह लक्स को प्रयोग में लाये। आखिर क्यों ? क्योंकि हेमा मालिनी जो लक्स का उपयोग करती है। वही तो विज्ञापन बाजी है। विज्ञापन पर कितना रुपया बहाया जाता है ? हमारी अर्थ-व्यवस्था आखिर कैसी है ? यह तो एक बनावटी अर्थ-व्यवस्था है।

उदाहरणतः चप्पलों को ही लीजिए। बड़े उद्योगपति घरानों का उस पर एकाधिकार है। उस दिन गुप्ता जी और मैं उस समिति में विचार विमर्श कर रहे थे। हमने पाया कि 30 रुपये वाली एक जोड़ा चप्पल या सैण्डल बाटा द्वारा दुकान में 79.99 रुपये की बेची जाती है। आपको तो यह सुनकर आश्चर्य होगा। यही तो शोषण है। आप आखिर अर्थ-व्यवस्था को चालू कैसे रख सकते हैं ? मैं आप से पूछता हूं कि केवल तीन करोड़ व्यक्तियों वाले इस लघु-भारत को चलाने वाली इस अर्थ-व्यवस्था में आप ग्रामीण क्षेत्रों को रोजगार कैसे दे सकते हैं ? इस देश की सम्पूर्ण उत्पादक गतिविधियां इन तीन करोड़ लोगों के लिये ही हैं जो असली मण्डी या बाजार को रूप देते हैं। 60 करोड़ लोग तो बाजार के सीमा क्षेत्र में आने ही नहीं। मैं पूछता हूं कि आप इसको कौन से दृष्टिकोण से देखते है। इसका किसी दल से कोई सम्बन्ध नहीं है। मेरा इस सरकार से निवेदन है कि श्री अग्रवाल जी आपको और कुछ और लोगों को मिलाकर एक छोटा सा ग्रुप बना दिया जायें, ऐसे लोगों को मिलाकर जो इस मूल समस्या पर विचार करने को राजी हों। चलिये हम एक साथ मिलकर काम करें। आईय हम राष्ट्रीय स्तर पर वार्तालाप करें। तभी हम इसको हल कर सकते हैं। मैं आपको बतलाता हूं कि हमारे देश में बहुत अधिक जनशक्ति है। बहुत सी वस्तुओं का उत्पादन किया जा सकता है। वस्तुएं तो पैदा होती हैं। यदि आप कहीं ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को क्रय-शक्ति प्रदान कर दें तो और जैसा कि मैंने कहा है आपको करनी भी चाहिये तो तुरंत रोजगार उपलब्ध हो जायेगा तथा आप विश्व को माल से पाट सकते हैं। इस देश में इतनी अधिक श्रम-शक्ति है !

अर्थ व्यवस्था में परिवर्तन आवश्यक है। हमारी अर्थ-व्यवस्था में संस्थानात्मक परिवर्तन करना होगा। पूंजीवादी ढांचे को नष्ट करना है। यह ठीक है कि गांधी जी इसको शक्तिपूर्ण ढ़ंग से तथा लोकतान्त्रिक ढंग से करना चाहते थे और जब तक आप ऐसा नहां करते तब तक इस प्रकार के बजटों का कोई उपयोग नहीं है। ये बजट पेश करना और कराधान और कुछ नहीं अपितु लूट में एक हिस्से की मांग भर है। कराधान की यही आपकी विचारधारा और संकल्पना है।

अतः, यदि आप इस नीति को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आगे बढ़िये। भगवान आपको सफलता दे। पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था के इस ताने बाने के अन्दर बढ़ते जाइये। परन्तु आप इस देश की समस्या को हल करने में समर्थ नहीं हो सकते। रोजगार जुटाना असम्भव है क्योंकि आपके पास उत्पादक क्रिया-कलाप अथवा बाजार में से किसी को भी उपलब्ध कराने का सामर्थ्य नहीं है और ना ही आप नियन्त्रण करना चाहते हैं।

मेरे विचार से तो ऐसा केवल लोकतान्त्रिक ढांचे में ही सम्भव है। भगवान के वास्ते मैं एक बार फिर अपील करता हूं। अब समय आ गया है। आज इस देश में हम असम्बद्ध समस्याओं और गैर-अग्रताओं पर रसातल को जा रहे हैं। जाति, धर्म, और सभी बातों के आधार पर समस्त राष्ट्र पटरी से उतरने वाला है। यही एकमात्र आर्थिक एवं असल समस्या है। आओ हम सब मिलकर एक हो जायें। मैं प्रधान मन्त्री महोदय और उपप्रधान मन्त्री महोदय और देश तथा जनता पार्टी में हर किसी से निवेदन करता हूं कि आओ हम राष्ट्र हित की बातें करे, जिसके लिये यही समय है।

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री (रीवा) : माननीय सभापति जी, वित्त विधेयक पर जब हम चर्चा कर रहे हैं तो हमें कुछ अन्तर्निरीक्षण करना होगा और यह सोचना होगा कि पिछले 2 वर्षों में हमने क्या किया है और अब कितना समय हमारे लिये बाकी है। इस बजट के बाद अब वर्तमान सरकार को केवल 2 बजट और पेश करने हैं, दो बार ही मौका उसे मिलेगा, फिर 1982 का बजट तो नई सरकार पेश करेगी। हमने जो वायदे किये थे, उसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिये क्योंकि यह हमारा बजट सारे देश की अर्थ-व्यवस्था का निर्देशक होता है। हम इस बजट द्वारा देश में आर्थिक परिवर्तन ला सकते हैं, समूचे सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाने की क्षमता इस बित्त व्यवस्था में होती है। जब इसको हम अपने सामने रखकर वर्तमान बजट पर दृष्टिपात करते हैं तो यह बात सही है कि हमने एक सही दिशा को, जिसकी और देश को जाना चाहिये,...पहचाना है। पुरानी राह को छोड़कर हमने कम-से-कम इतना तो समझा है कि यह देश गांवों में निवास करता है और गांवों की स्थिति को सुधारने के लिये हमको इस देश की आर्थिक सत्ता का उपयोग करना चाहिये।

इसलिये इस वित्त विधेयक में जो प्रावधान हैं, गांव के पुनर्निमाण और गरीबों की आर्थिक दशा को सुधारने के लिये, अन्त्योदय के कार्यक्रम के लिये, फूड फार वर्क के लिये, इन्टैग्रेटेड रूरल डैवलमैंट के लिये, वह स्वागत-योग्य कदम हैं और मैं समझता हूं कि यदि उन्हें अच्छी तरह से कार्यान्वित किया जाये, ईमानदारी से, नई स्प्रिट से यह मानकर कि हमारे सामने कोई लक्ष्य है, थोड़े से समय में हमें इसे पूरा करना है, इसके लिये सारी शक्ति लगा देनी हैं, अगर यह सोचकर हम इस दिशा में आगे बढ़ें, तो सचमुच देश को एक नई राह पर हम आगे बढ़ाकर ले जायेंगे; मंजिल तक पहुंच जायेंगे, यह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन मंजिल की तरफ बढ़ने का यह एक अच्छा और शुभ प्रयास है। लेकिन इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो आशायें देश की जनता को थीं, वे धीरे-धीरे कुछ धूमिल होती चली जा रही है, और जो भगीरथ प्रयास होना चाहिए था, वह नहीं हो पा रहा है। हमने कुछ वादे किये थे। हमने वादा किया था कि हम आमदनी, वेतन और कीमतों के सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करेंगे। दो वर्ष बीत गये हैं। क्या इस बजट में भी हमने आमदनी, वेतन और कीमतों के सम्बन्ध में कोई राष्ट्रीय नीति निर्धारित की है? क्या कीमतों पर हमारा कोई नियंत्रण है? क्या हम कुछ सोच पाये हैं कि विभिन्न आमदनियों में क्या रिश्ता होना चाहिए? हमने वादा किया था कि हम आमदनी में 1 और 20 का फर्क रखेंगे। क्या हम उस तरफ़ थोड़ा भी कदम उठा पाये हैं? क्या हमारा बजट उस दिशा में जरा भी आगे बढ़ा है?

यह सही है कि सम्पन्न वर्गों पर टैक्स लगाये गये हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इनडायरेक्ट टैक्सिज़ का बोझ गरीबों पर इतना अधिक पड़ने वाला है कि गरीबी और अमीरी के बीच में अन्तर और अधिक बढ़ने वाला है, कम नहीं होने वाला है। इनडायरेक्ट टैक्सिज़ का बोझ और प्रभाव केवल गरीबों पर ही पड़ता है, और यह बात हम सामने देख रहे हैं। बजट पेश होने के बाद से गरीबों के उपभोग में आने वाली चीजों की कीमते बहुत अधिक बढ़ती चली जा रही हैं। हम सम्पन्न वर्गों से कितना टैक्स ले पायेंगे, उसमें तो संदेह है, क्योंकि हम ने टैक्स इवेज़न पर रोक लगाने की कोई व्यवस्था नहीं की है। यद्यपि माननीय उपप्रधान मंत्री और वित्त मंत्री ने कहा है कि हम काले धन को बाहर निकालने के लिए भरपूर प्रयास करेंगे, लेकिन वह प्रयास क्या होगा, अभी तक वह परिभाषित नहीं हुआ है, अभी तक उसकी कोई रूप-रेखा सामने नहीं आई है। हम सम्पन्न वर्गों से कितना टैक्स ले सकेंगे, उसमें तो संदेह है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सों से गरीबों पर जो प्रभाव पड़ रहा है, वह हमारे सामने है।

हम देखते हैं कि जो मिट्टी का तेल पहले 1-28 रुपये प्रति-लिटर या 1-30 रुपये प्रति-मिलता था, आज उसकी कीमत 1-60 रुपये प्रति-लिटर है, और देहात में तो वह 2 रुपये प्रति-लिटर के हिसाब से मिल रहा है। भले ही कोई कहे कि इस बजट से कीमतों पर केवल एक ही प्रतिशत प्रभाव पड़ने वाला है, लेकिन वास्तविकता को नज़र-अंदाज नहीं किया जा सकता है। छोटे लोगों को जो भुगतना पड़ रहा है, उससे हमें आंखें बन्द नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसकी तरफ़ ध्यान देना चाहिए।

केवल मिट्टी का तेल ही नहीं, बल्कि गरीबों के उपयोग में आने वाली छोटी-छोटी चीजे महंगी हो गई हैं, जैसे कपड़े और वनस्पति की आज महंगाई है। नमक से बढ़ कर उपयोगी चीज़, उससे अधिक आवश्यक और अनिवार्य वस्तु, कोई दूसरी नहीं हो सकती है। यद्यपि उसपर कोई टैक्स नहीं लगाया गया है, लेकिन चूंकि अन्य चीजों पर टैक्स लगा है, इस लिए उसके दाम भी बढ़ गये हैं। अप्रत्यक्ष टैक्स का प्रभाव नमक पर भी पड़ रहा हैं। आज देहात में नमक रुपये का डेढ़ या दो किलो बिक रहा है। यह गांधीजी का देश है, जिन्होंने नमक के लिए सत्याग्रह किया था। हम गांधीवादी नीतियों को अपना रहे हैं। हम ने उनकी समाधि पर शपथ ले कर काम करना शुरू किया था। इस लिए हमें कम-से-कम यह व्यवस्था तो कर देनी चाहिए कि इस देश के लोगों को नमक तो सही कीमत पर, सस्ते भाव पर, उपलब्ध कराया जा सके। बजट का प्रभाव नमक पर भी पड़ा है और वह अत्यन्त महंगा बिक रहा है, देश के गरीब लोगों की पहुंच के बाहर होता चला जा रहा है।

हम असमानताओं को दूर करने की बात करते हैं। असमानताये तो अनेक किस्म की हैं। शहर और गांव के बीच में असमानता है, जिस को दूर करने के लिए माननीय उपप्रधान मंत्री और वित्त मंत्री ने बहुत अच्छा प्रयास किया है और उसकी तरफ़ कदम बढ़ाया है। लेकिन केवल शहर और गांव की असमानता ही नहीं है, गांव में भी धनी और गरीब के बीच में असमानता हैं, क्षेत्र और क्षेत्र में असमानता है। प्रदेश और प्रदेश में कितनी बड़ी असमानता है। क्या हम उस असमानता को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं? हमारे देश में एक प्रदेश और

दूसरे प्रदेश में असमानता की कितनी बड़ी खाई है। पंजाब, हरियाणा और गुजरात में जो प्रति-व्यक्ति औसत आय है, उसकी एक तिहाई भी मध्य प्रदेश में नहीं है। उड़ीसा में, राजस्थान में, मणिपुर में उस की एक तिहाई भी आमदनी नहीं है। इतनी बड़ी असमानता है प्रति व्यक्ति औसत आय में। हम लोग दुनिया में बात करने जाते हैं कि ईगलिटेरियन ऐंड जस्ट वर्ल्ड एकोनामिक आर्डर होनी चाहिए, समतामूलक अर्थ-व्यवस्था दुनिया की होनी चाहिए, दुनिया के अंदर विषमता समाप्त होनी चाहिए। हम यह कहते हैं। लेकिन अपने देश के अंदर हम क्या कर रहे हैं ? क्या जो क्षेत्र पिछड़े हुए हैं उन की असमानता को दूर करने का कोई प्रयास है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय की तरफ से ग्राम विकास के संबंध में जो एक प्रतिवेदन हम लोगों को दिया गया है उस की तरफ मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। इसके पृष्ट 9 को देखें। जो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट का प्रोग्राम हमारे देश में सन् 76 में चला, जो अभी भी चल रहा है, उस में हमारे देश के कुछ प्रान्तों के जिले लिए गए हैं जिनमें में यह काम चल रहा है। इस रिपोर्ट के नवें पृष्ठ पर लिखा हुआ है कि किस किस जिले में, किस किस प्रान्त में यह इंटीग्रेटेड रूरल डैवलपमेंट का प्रोग्राम चल रहा है। मैं अपनी स्मरण शक्ति से बता रहा हूं—आन्ध्र में महबूबनगर, आसाम में कामरूप, बिहार मैं रोहतास, कर्नाटक में टुंकुर, केरल में कन्नानोर महाराष्ट्र में वरधा और चन्द्रपुर उत्तर प्रदेश में टिहरी गढ़वाल और मिर्जापुर। इस में मध्य प्रदेश का एक भी जिला नही है। यह सरकार की दी हुई रिपोर्ट है। हरयाना में हिसार, पजाब में होशियारपुर, ये जिले लिए गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि हरयाना के हिसार और पंजाब के होशियारपुहै जिले क्या मध्य प्रदेश के किसी भी जिले से अधिक गरीब और पिछड़े है ? मध्य प्रदेश का एक भी जिला बताइए जो इन जिलों से बहुत नीचे स्थिति में न हो। हम अन्त्योदय की बात करते हैं। इस में मध्य प्रदेश का नाम नहीं है, राजस्थान का नाम नहीं है, जम्मू और काश्मीर का नाम नहीं है, मेघालय का नाम नहीं है, मणिपुर का काम नहीं है, अरूणांचल का नाम नहीं है, मिजोरम का नाम नहीं है, त्रिपुरा का नाम नहीं है। ये कितने पिछड़े हुए प्रदेश हैं ? फिर हम कहते हैं कि इन पूर्वी प्रदेशों में पृथकतावाद की बात चलती है, ये देश से अलग होने की बात करते हैं। क्या चाहते हैं हम ? अगर हम क्षेत्रीय असमानता को बढ़ाएगे तो इस देश की अखंडता को हम कायम रख सकेगे क्या ? मध्य प्रदेश के लोग यह बात नहीं कर सकते चाहे उनके साथ कितना बड़ा अन्याय क्यों न हो ? राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय हितों के लिए जितना बलिदान आप चाहते हों वह करने के लिए वह तैयार हैं। लेकिन उन के साथ यह अन्याय होना चाहिए क्या ?

इस के बाद इसी पुस्तक के चौदहवें पृष्ट को आप देखें। जो नई नीति हम ने अख्तियार की है ब्लाक लेवेल प्लानिंग की, विकास खण्ड स्तर की जो योजनाएं हमने बनाई हैं उसमें इसी चौदहवें पृष्ठ में बताया गया है कि किस प्रदेश के कितने ब्लाकों में यह प्लानिंग शुरू हो गई है, कितने ब्लाक्स में यह योजना बनाई गई है और कितने में यह कार्यान्वित की जा रही है। इस में भी देख लिया जाये, यह मैं सदन के पटल पर रखने को तैयार हूं। यह सदन के पटल पर रखा जाय, यह सरकारी प्रकाशन हम लोगों को दिया गया है, इस में आन्ध्र में 170 ब्लाक, बिहार में 180 ब्लाक, आसाम में 39 ब्लाक, हरियाणा में 39 ब्लाक, हिमांचल प्रदेश में 11 ब्लाक,

महाराष्ट्र में 116 ब्लाक, उत्तर प्रदेश में 160 ब्लाक, गोवा में 7 ब्लाक, किन्तु मध्य प्रदेश का एक भी ब्लाक, एक भी विकास खण्ड नहीं है। राजस्थान का एक भी विकास खंड नहीं है, उड़ीसा का एक भी विकास खंड नहीं है। और वही मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणांचल, मिजोरम का एक भी ब्लाक नहीं है। यह आज की स्थिति है। इस असमानता को रखते हुए हम कौन सा विकास करने जा रहे हैं ?, अगर इस तरह का भेदभाव चलेगा तो क्या हम सचमुच अपने लक्ष्य की ओर पहुंचने का सपना देख सकते हैं ?

दूसरी बात मुझे यह कहनी है—हम बात तो करते हैं कि बेरोजगारी समाप्त हो। इस में कोई शक नहीं कि बेरोजगारी समाप्त होने की दिशा में आप ने कदम उठाया है। जो छोटे उद्योगों का जाल बिछाने की हमारी योजना है गांव गांव में, यह बड़ा स्तुत्य प्रयास है और इस से लोगों को काम मिलेगा। खास तौर से फूड फार वर्क, काम के लिए अनाज की जो योजना चल रही है इस से लोगों को काम मिलेगा। अभी इस साल की जो रिपोर्ट हमें मिली है, आर्थिक समीक्षा जो हमें देखने को मिली है उस में बताया गया है कि 78-79 में 40 करोड़ मानव-दिवसों का काम लोगों को मिलेगा। ऊपर से लोग पढ़ते हैं तो लगता है कि बहुत बड़ा काम होगा, 40 करोड़ मैनडेज़ का काम मिलेगा। लेकिन जब आप जनसंख्या को देखें, गांवों में जो बेकार लोग हैं उनकी संख्या को देखें तब यह कितना होगा ? सात करोड़ लोग इस देश के गांवों में बेकार हैं। 40 करोड़ दिवसों में एक व्यक्ति को 6 दिन का काम भी नहीं मिलेगा। 40 करोड़ दिवस लिख देने से ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा काम हो गया है लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं है। इसमें हमको आत्मसंतोष की आवश्यकता नहीं है। गांवों में कितने दिन लोग बेकार रहते हैं इस सम्बन्ध में एक अर्थ-शास्त्री का कहना है, 1974 के आधार पर, कि एक साल में 140 दिन लोग बेकार रहते हैं यानि करीब पांच महीने। आप 6 दिन का काम देंगे तो उससे उनको क्या मिलेगा ? इससे उनका कौन सा जीवनस्तर ऊंचा हो सकेगा ? उनकी कौन सी बेरोजगारी दूर हो जायेगी ? फूड फार वर्क के द्वारा आप उनको स्थायी रूप से काम नहीं दे पायेंगे।

यदि स्थाई रूप से गांवों में लोगों को काम देना है तो उसके मात्र दो तरीके हैं। एक तो आप ग्रामीण उद्योग-धंधों को पुनर्जीवित करें। विभिन्न प्रदेशों में आपने जो जिला औद्योगिक केन्द्र खोले हैं वे अभी कागज पर ही हैं, उनका काम ठीक प्रकार से नहीं चल रहा है। छोटे उद्योग-धंधों की बात जो आपने कही है, वे जब खुलेंगे तो कोई सन्देह नहीं कि लोगों को काम मिल सकेगा लेकिन अभी वह काम ठीक तरह से नहीं चल रहा है। कहा गया है कि 804 वस्तुयें छोटे उद्योगों के लिए सुरक्षित कर दी गई है लेकिन अभी इसको कार्य रूप में परिणत नहीं किया गया है। क्या यह वस्तुयें बड़े उद्योग-धंधों में उत्पादित नहीं होती ? क्या इनके उत्पादन के लिए आपने बड़े उद्योगों पर कोई प्रतिबंध लगा दिया है ? क्या बड़े उद्योग चमड़े का सामान नहीं बनाते ? क्या बड़े उद्योग साबुन और कपड़ा नहीं बनाते ? इसलिए यह तो अभी हुआ नहीं है। अभी मिक्स्ड एकोनामी चल रही है और इस प्रकार से छोटे उद्योग-धंधे नहीं चल पायेंगे। अभी यह केवल कहने की ही बात है। तो एक तरीका यह है कि छोटे उद्योगों के सम्बन्ध में आपने जो कहा है उसकी व्यवस्था करें,

उसको कार्य रूप में परिणत करने के लिए आप भगीरथ प्रयास करें और दूसरे आप उनको स्थायी रोजगार दें।

इसके साथ ही भूमि सुधार के कार्यक्रमों को दिलचस्पी के साथ तथा पूरी ईमानदारी के साथ लागू किया जाए, उसमें किसी प्रकार की कोई कोर-कसर बाकी न रखी जाए। चाहे जितने लोग नाराज हो जायें, आपको इसके लिए कठोर कदम उठाने पड़ेंगे तभी यह काम सम्भव हो पायेगा। यह कहना कि अब 18 और 27 एकड़ से अधिक के किसान नहीं रहे – गलत है। अभी भी हजारों एकड़ के किसान मौजूद हैं। इसलिए सीलिंग के कानून में परिवर्तन करने की बड़ी आवश्यकता है तथा चोर दरवाजे को बन्द करने की भी आवश्यकता है ताकि बड़े लोगों से भूमि निकल सके और भूमिहीनों को मिल सके।

इसमें सन्देह नहीं कि इस देश में काले धन की समानान्तर अर्थ-व्यवस्था चल रही है। जबतक इसको समाप्त नहीं किया जाता तबतक इस देश के विकास के लिए पूंजी नहीं मिल सकेगी। इसके लिए आवश्यकता है कि सौ रुपए के नोटों का प्रचलन बन्द कर दिया जाए। जबतक यह नहीं तब तक इस देश में काला धन तथा समानान्तर अर्थ-व्यवस्था समाप्त नहीं होगी।

मैं आशा करता हूं कि इन बातों पर सरकार विचार करके इस देश को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए सार्थक प्रयास करेगी।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री के० टी० कोसलराम (तिरूचेंडूर) : सभापति महोदय, मैं वित्त-विधेयक के उपबन्धों पर कुछ शब्द बोलना चाहता हूं। महोदय माननीय सदस्या, श्रीमती पार्वती कृष्णन सदन को पहले ही यह बता चुकी हैं कि बजट प्रस्तुत किये जाने के बाद कैसे सभी चीजों के दाम बढ़ गये हैं। उन्होंने बताया है कि कैसे सब्जियों को मिलाकर सभी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है। अतः, इसी तरीके से बजट, गरीब से गरीब और मध्यम वर्ग व्यक्ति को चोट पहुंचा चुका है।

यह बात बहुत स्पष्ट है और हर कोई इसके बारे में जानता है। यद्यपि मैं इस विधेयक की आलोचना कर रहा हूं, तो भी उप प्रधानमन्त्री और वित्त मन्त्री चौ० चरणसिंह के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने चिन्नामुट्टम मत्स्य—क्षेत्र को विकसित करने की मेरी प्रार्थना को स्वीकृति प्रदान कर दी है। यदि इस परियोजना पर 2 करोड़ रुपये खर्च करें तो, हम यह आशा कर सकते हैं कि यह प्रति वर्ष 28.0 करोड़ रुपये की आय दे सकता है। हम झींगा मछली का आस्ट्रेलिया, अमरीका और जापान को निर्यात करते हैं। इस क्षेत्र से इस किस्म की मछली का निर्यात करके अब तक हम 2 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की विदेशी-मुद्रा की आमदनी लेते रहे हैं। यदि हम इस मछली पालन स्थल का विकास कर ले तो, हम प्रति वर्ष 28.0 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा कमा सकते हैं। यह विशेषज्ञों द्वारा दी गई राय है। अब स्थिति यह है कि धन के सिवाय सभी प्रकार की आवश्यक मंजूरियां दे दी गई हैं और तमिलनाडु सरकार ने इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये इस सम्बन्ध में हर आवश्यक सहायता देने की मंजूरी दे दी है। मन्त्री महोदय

से मेरा निवेदन है कि वे कृपा करके वर्ष 1979-80 में ही इस परियोजना के लिये 2.0 करोड़ रुपये की राशि अलग रख दें। इसके लिये वे मुझे पहले ही वचन दे चुके हैं कि वे मामले पर विचार करेंगे। अतः मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे कृपा करके अपने उत्तर में यह बता दें कि वे कब इस परियोजना को शुरू करने जा रहे हैं।

अब मैं एक उस अन्य महत्वपूर्ण बात का जिक्र करूंगा, जो चौधरी साहब ने इस देश में कृषि के विकास के लिये की है। उन्होंने मुझे उस प्रावधान के बारे में लिखा है जो गंगा-कावेरी मिलन सर्वेक्षण को पूरा करने के लिये किया गया है। अपने नेता, चौधरी साहब के इस दूरदर्शी कार्य पर भारत देश के किसान उन्हें बधाई देंगे। परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिये कितने धन का प्रावधान किया गया है।

सौभाग्य से वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री, श्री जुल्फिकार उल्लाह यहां उपस्थित हैं और यह बात मैं उन सरकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों के बारे में उनके ध्यान में लाना चाहता हूं, जो छोटे उद्योगों के कतई भी हित में नहीं हैं तथा जिनके बारे में उपप्रधान मंत्री महोदय और वित्त मन्त्री महोदय की अभिरूचि विशेषरूप से है। उदाहरणार्थ, राज्य के छोटे उद्योगों को मशीन खरीदने के लिये तम्लिनाडु उद्योग निवेश निगम ऋण देता है। वित्तीय निगम भी, मशीनें और अन्य साज-सामान खरीदने के लिये छोटे एककों को आर्थिक सहायता देते हैं। परन्तु इसके साथ ही साथ वे कार्य चालन-पूंजी नहीं दे रहे हैं। राष्ट्रीयकृत बैंक तथा अन्य बैंक ही कार्यचालव-पूंजी प्रदान कर रहे हैं। परन्तु यहां इन मामलों में, सरकारी क्षेत्र के वित्तीय निगमों को रिजर्व बैंक मार्ग दर्शन में कार्य करना पड़ता है। जब कभी भी, जहां कहीं भी, कोई छोटा एकक अपनी किश्तों के भुगतान में अवहेलना दिखाता है यथा 2000 रुपये या 3000 रुपये के लगभग तो, तुरंत धन देने वाले बैंकों को यह सूचित कर दिया जाता है कि अमुक एकक का भुगतान बकाया पड़ा है। बैंकर (महाजन) तुरंत सावधान हो जाते हैं और वे यह अनुभव करते हैं कि अमुक एकक शायद बन्द कर दिया जाये, अतः, उस एकक को और अधिक धन न दिया जाये। इस सम्बन्ध में मैंने मन्त्री महोदय को लिखा है और उन्होंने भी मुझे उत्तर में यह बताया है कि मेरे सुझाव को सम्बन्द्ध-विभाग को भेज दिया गया है। यदि सम्बद्ध उद्योग किश्त के भुगतान में कुछ देरी करता है तो टी० आई० आई० सी० को सम्बद्ध मन्त्रालय से सम्पर्क करना चाहिये। यदि उद्योग, किश्त के भुगतान के प्रति उदासीन है तो, आर आर अधिनियम के अधीन देनदारी की वसूली के लिये टी० आई० आई० सी० कदम उठा सकती है। वे धन प्राप्त कर सकते हैं तथा उन्हें बैंकरों को लिखने की आवश्यकता नहीं। इस तरीके को अपनाने के बजाय, टी० आई० आई० सी उस बैंक को लिख देती है जिसने टी० आई० आई० सी० के धन की गैर-अदायगी की स्थिति में उद्योग को कार्यचालन पूंजी की सहायता दी था। इससे बैंक और उद्योग के बीच मतभेद पैदा हो जाते हैं। इसलिए मन्त्री महोदय को भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश देना चाहिये, जिससे कि वित्तीय संस्थान से सहायता प्राप्त करने वाले छोटे उद्योग उत्पादन गतिविधियों में अपने को संलग्न रख सकें। और सरकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थान प्रत्यक्षरूप से इसमें कोई रूकावट न डाल सकें।

छोटे उद्योगों को कर देने की अवधि में जो छूट की रियात दी गयी थी, 1979 के वित्त

विधेयक ने उसे समाप्त कर दिया है । उप प्रधान मन्त्री महोदय छोटे उद्योगों की प्रगति के लिये वचन बद्ध हैं । उन्हें छोटे उद्योगों के लिए कर देने की अवधि में छूट की रियायत को फिर से लागू करना चाहिये । इस मामले में, आप छोटे उद्योगों प्रगति की कैसे आशा कर सकते हैं ?

अपनी प्रस्तावना सम्बन्धी टिप्पणियों में, 24.4 79 को चौधरी साहब ने, यान्त्रिक—क्षेत्र की उचित बातों को सही ठहराने वाले कुछ अभ्यावेदनों की प्राप्ति की बात स्वीकार की थी । परन्तु उन्होंने यान्त्रिक-क्षेत्र को बढ़े हुए उत्पाद-शुल्क के साथ ही काम करने की सलाह दी है । यह तो डूबते हुये व्यक्ति से तिनके को पकड़े हुए रहने को कहने वाली बात हुई । इस बढ़ोतरी से यान्त्रिक-क्षेत्र की आर्थिक आत्मनिर्भरता पर आघात पहुंचा है ऐसी बात नहीं है कि सरकार को तंग करने की गरज से ही यान्त्रिक क्षेत्र बन्द होने की कोई धमकी दे रहा है । कुछ मामलों में लघु-उद्योग क्षेत्र और यान्त्रिक क्षेत्र के बीच असमानता है । यान्त्रिक-क्षेत्र के मामले में तो, उत्पाद-शुल्क की उगाही में की गई वृद्धि को, उत्पाद-शुल्क में कोई वृद्धि किये बिना राजकोष में भेजा जा रहा है । तमिलनाडु के तीन तालुकों में कार्यरत हस्त निर्मित क्षेत्र द्वारा उत्पादित दियासलाईयों की कीमतों में वृद्धि से, हस्त-उद्योग क्षेत्र के मालिकों को 15 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे । यहां तक कि हस्त-उद्योग क्षेत्र ने भी यह मांग की है कि उनके और यान्त्रिक क्षेत्र के बीच उत्पाद-शुल्क का अन्तर केवल 1.50 रुपये होना चाहिये । मैंने यह बात वित्त राज्य मन्त्री को बताई और उन्होंने मेरी यह बात मान ली है कि हस्त -निर्मित क्षेत्र के 1.50 रुपये के अन्तर को बनाये रखने के प्रस्ताव पर विचार किया जाये । यान्त्रिक-क्षेत्र दियासलाई की एक डिब्बी को बाजार में 20 पैसे में बेच रहा है तथा उसके साथ ही साथ हस्तनिर्मित क्षेत्र भी 20 पैसे के हिसाब से बेच रहा है । हस्तनिर्मित क्षेत्र की इस कार्यवाही से सरकार को कितना घाटा हो रहा है ? यह घाटा लगभग 15 17 करोड़ रुपये का आता है सरकार उस राशि से वंचित हो रही है । इस तरह से आप काले धन को पैदा कर रहे हैं । इसके विरूद्ध आप में पूर्वी ग्रह क्यों है ? दियासलाई उद्योग के यान्त्रिक क्षेत्र पर 40,000 लोग निर्भर करते हैं । मेरा मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि वे यान्त्रिक क्षेत्र और हस्तनिर्मित-क्षेत्र 1.50 रुपये के अन्तर को बनाये रखें ।

इस विषय पर श्रीमती पार्वती कृष्णन भी अपने विचार प्रकट कर चुकी हैं । सूती बनियानों जैसे अन्य उत्पादनों पर उत्पाद-शुल्क ग्रहण के लिये 30 लाख रुपये की सीमा, रही है । वित्त-विधेयक में इसे 15 लाख रुपये कर दिया गया है । इससे तमिलनाडु में 2000 से भी अधिक बनियान बनाने वाले छोटे एककों पर बुरा प्रभाव पड़गा । मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि 30 लाख रुपये की सीमा को इन लोगों के लिये फिर से लागू करें ।

एक और बात है । बिरला वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान ने यह बात उठाई है कि देश की अर्थ-व्यवस्था को चलाने के लिये बनाए गये कानूनों को लागू करने वाले उच्य प्रशासनिक ढांचे पर करदाताओं का 412.5 करोड़ रुपया व्यय किया जाता है । वर्ष 1978-79 में, कीमतों पर नियन्त्रण रखने वाले विनियमों पर तथा वितरण लागत पर 1162 6 करोड़ रुपये (खर्च हुये तथा अकेले केन्द्रीय सरकार की व्यवस्थापकीय गतिविधियों पर आर्थिक सहायता तथा अनुदानों के

रूप में, यह राशि बढ़ कर कुल 1575 करोड़ रुपये हो गई। मैं चाहता हूं कि सरकार इसकी जांच करे तथा ठीक प्रकार से इसका परीक्षण करके आवश्यक कार्यवाही करे।

श्री ए० सी० जार्ज (मुकन्दपुरम) : पिछले डेढ़ दिन से वित्त-विधेयक पर बहस चल रही है और मंत्रियों तथा जनता सदस्यों ने यह देखा होगा कि इस वित्त-विधेयक के लिए समर्थन या प्रसंशा अभी तक प्राप्त नहीं हुई है और न ही ऐसी कोई मुझे संभावना है। मैं जनता पार्टी के दिग्गजों के भाषणों को ध्यानपूर्वक सुनता आ रहा हूं जिसमें बहुत से यथार्थवदियों ने जो कुछ इस विधेयक में दिया गया है उसको बढ़ा-चढाकर रहने की चेष्टा नहीं की है। वित्त मंत्री महोदय तथा उनके विभाग ने एक वक्तव्य जारी किया है यथा, बजट प्रस्तावों के प्रभावस्वरूप कीमतों में केवल एक प्रतिशत की वृद्धि होगी। मैं इसे हास्यपद भी नहीं कहना चाहता क्योंकि यह तो उससे भी गई गुजरी बात है। वे उस भाषण को अपने घरों में नहीं दोहरा सके क्योंकि उनकी पत्नियां जो कि बजट की मार से दुखी होंगी उनका पीछा नहीं छोड़ेंगी।

मैं गत एक दशक से बजट प्रस्तावों का अध्ययन करता रहा हूं। यह मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि गत एक या दो दशकों में कभी भी ऐसा बजट नहीं आया जिसमें इस प्रकार का जन-अहित हुआ हो। कीमतें बढ़ गई हैं और यहां तक कि सरकार के आंकड़ों के अनुसार भी 8 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। यहां तक कि मंत्रिपरिषद के सदस्य जो आवश्यक वस्तुओं की नागरिक पूर्ति का काम देखते हैं उन श्री मोहन धारिया ने भी राज्य सभा में यह स्वीकार किया है कि कीमतों में अकल्पनीय वृद्धि होगी। हमारे योजना आयोग के सदस्य श्री राजकृष्ण ने भी दूर-दर्शन भेंट-वार्ता में बताया है कि यदि वृद्धि 10% तक ही रह जाये तो भी हम बड़े भाग्यवान हैं। कांग्रेस सरकार के शासन में प्राप्त की गई कीमतों की स्थिरता को विशेषकर गत दो या तीन वर्षों में, बिल्कुल नष्ट कर दिया गया है। हमने भारत को विकासशील देशों की पंक्ति में वहां लाकर खड़ा कर दिया था जिसमें कीमतों में स्थिरता आ गई थी, मुद्रास्फिति को समाप्त कर दिया दिया गया था और वस्तुत: कीमतें बढ़ने के स्थान में गिरनी शुरू हो गई थीं इस स्थिति को सदैव के लिए समाप्त कर दिया गया है। आखिर किस लिए ? ये कर किसलिए लगाये जाते हैं ? जब हम बजट प्रस्तावों पर दृष्टिपात करते हैं तो पाते हैं कि ऊपरी खर्चों में वृद्धि के अतिरिक्त एक भी कारण उसमें नहीं दिया गया है। विकास संबंधी क्रिया कलापों के लिए आबंटित राशि में कोई उत्साहवर्द्धक वृद्धि नही की गई है। मेरे विद्वान मित्र श्री वेंकटारमन ने यह बात बताई हैं कि जो कुछ भी कर लगाए जा रहे हैं उनका विकास के लिए उपयोग नहीं हो रहा है। उदाहरणस्वरूप उस प्रस्ताव को ही लीजिए, जिसको कई सदस्यों ने उठाया है कि लघु-उद्योग क्षेत्र की 30 लाख रुपये पर कर लगाने की सीमा को घटाकर 15 लाख रुपये किया जा रहा है। इससे तिरुमपुर के बनियान आदि बनाने वाले श्रमित सघनता वाले एककों कोयम्बतूर के निकट इंजीनियरी सामान बनाने वाले उन सभी एककों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और तथाकथित प्रोत्साहन पूर्णत: बेकार जायेगा। दियासलाई उद्योग के बारे में मंत्रालय को झांसा दिया गया है और मेरे विचार से तो मंत्री महोदय भी उस झांसे में आ गये हैं। वास्तविकता जाने

बगैर ही उन्होंने यह कैसे मान लिया कि दक्षिण भारत के कुछ लघु-उद्योग क्षेत्र गरीबों और कमजोर वर्गों के स्वामित्व में हैं । श्री कोशलराम ने यह बात विस्तार से बताई है । 17 करोड़ रुपयों का लाभ केवल 17 परस्पर संबंधित परिवारों को प्राप्त होगा । 'बिजिनेस स्टैंडर्ड' में यह बात प्रकाशित की गई है कि किस प्रकार ये परिवार संबद्ध है । यह तो मशीनीकृत क्षेत्र है ।

उद्योग मंत्री महोदय ने अपनी और अपने विभाग की इस घोर अज्ञानता को यह कहकर उद्घाटित किया है कि यह बहुराष्ट्रीय है कुछ चीजों की वकालत करना अच्छा नहीं समझा जाता । विमको बहुराष्ट्रीय नहीं है । कुछ चीजों के विरुद्ध बोलना भी फैशन हो गया है । वह एक मशीनरीकृत क्षेत्र है, यह एक पारिवारिक क्षेत्र है तो इसे हम लघु क्षेत्र तो कह नहीं सकते । इस छोटे से क्षेत्र पर 17 समृद्ध घरानों का नियंत्रण है । उन्होंने कीमत ऐसे बढ़ा दी है मानो कि उन पर कर लगाया गया हो । उपभोक्ता को अधिक मूल्य देना पड़ रहा है । कराधान में विभिन्नता के एक साधारण बहाने पर उन पर कर नहीं लगाया जाता । उन्होंने अपना व्यापार बढ़ा दिया है और इससे राजकोष को घाटा हो रहा है । लाभ किसे हो रहा है तथा अधिक मूल्य कौन दे रहा है ? उपभोक्ता को दियासलाई के लिए अधिक मूल्य देना पड़ रहा है । भारत सरकार को घाटा हो रहा है । मुनाफा किसको हो रहा है ? उन 17 परिवारों को मुनाफा हो रहा है जो आपस में मिले हुए हैं । मुझे आशा है कि वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री, जो उत्पाद शुल्क तथा राजस्व का प्रभारी मंत्री है, इस पर पुनर्विचार करेंगे और इस विभिन्नता या अन्तर को दूर करने का तरीका निकालेंगे । लाभ उपभोक्ताओं पहुंचना चाहिए ।

मैं कुछ और बातें बताता हूं, मैं बैंकिंग क्षेत्र का उल्लेख कर रहा हूं मुझे पता है कि वह इस कार्य को सीधे तौर से नहीं निपटा रहे हैं । जैसा कि मैं प्रायः दोहराता हूं भारतीय रुपये का मूल्य विदेशों में रह रहे भारतीयों ने बरकरार रखा हुआ है । वाणिज्य मंत्रालय का कार्य सर्वविदित है । 1976-77 में निर्यात प्रगति दर 27 प्रतिशत थी । जब कांग्रेस सरकार ने वाणिज्य मंत्रालय जनता सरकार को सौंपा था तो हमारे पास 82 करोड़ रुपये अधिक था । अगले ही वर्ष निर्यात प्रगति दर 27 प्रतिशत से घटकर 4.5 प्रतिशत हो गई और मेरा ख्याल है अब स्थिति तो इसके विपरीत होगी । जब मंत्रालय आंकड़े निकालने का प्रयास कर रहा है तो यह स्वाभाविक है कि वह थोड़ा-बहुत चढ़ा-बढ़ाकर आंकड़े निकालेंगे । किन्तु वास्तविकता यह है कि निर्यात प्रगति दर की स्थिति अब विपरीत है । इस असफलता के बावजूद भी आपके पास 5122 करोड़ रुपये के मूल्य की मुद्रा कैसे है ? ये पैसा विदेशों में रह रहे भारतीय लोग भेजते हैं । यह उनके खून पसीने की कमाई है । यह उनके कठिन परिश्रम का ही परिणाम है कि हमारी विदेशी मुद्रा बढ़ रही है ।

वे विदेशी मुद्रा को गंवाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं । वाणिज्य मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय विद्युत चालित टिलरों, इलेक्ट्रोनिक्स उपकरणों का आयात करके इस विदेशी मुद्रा को नष्ट कर रहे है जबकि भारतीय इंजीनियर आदि इनका निर्माण स्वयं भारत में कर सकते हैं । वाणिज्य मंत्रालय प्रायः स्पर्धा करता है । किन्तु उसके बावजूद भी वहां 5 करोड़ रुपये के मूल्य की विदेशी मुद्रा है ।

एक बात ध्यान में रखी जानी चाहिए। अब विदेशों से जो पैसा आ रहा है उसमें भी कमी आ रही है। हाल ही में मैंने एक पत्रिका में एक विज्ञापन देखा जो कि अमरीका में प्रकाशित होती है। उस विज्ञापन में कहा गया है कि किसी विशेष पते पर सम्पर्क कीजिए। वहां वे आपसे डालर ले लेंगे और उसके बदले में रुपये दे देंगे।

मैं बैंकिंग के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। उन्होंने कुछ उत्तर भारतीय गैर राष्ट्रीयकृत बैंकों को खाड़ी के देशों में अपनी शाखायें खोलने की अनुमति दी है। जब इस बात के संकेत मिल रहे हों कि विदेशों से मुद्रा कम मात्रा में आ रही है तो यह आवश्यक है कि केरल में स्थित साउथ इंडियन बैंक फेडरेल बैंक कैथोलिक सीरियन बैंक, लार्ड कृष्णा बैंक को खाड़ी देशों में अपनी शाखायें खोलने की अनुमति दी जाये। वैसे भी इन बैंकों का काम केरल में बहुत बढ़िया चल रहा है, आखिर भावात्मक मोह भी तो होता है। एक बार मैंने वित मंत्री से पूछा है कि आप न्यू इंडिया बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंकों को वहां अपनी शाखाएं खोलने की अनुमति क्यों दे रहे हैं। चूंकि वह पंजाबी हैं इसलिए उनका इन बैंकों के साथ कुछ लगाव है। 40 प्रतिशत मुद्रा केरल के बैंकों से आ रही है। इसलिए केरल स्थित बैंकों को खाड़ी देशों में अपनी शाखाएं खोलने की अनूमति दी जानी चाहिए। किन्तु हो क्या रहा है ? मैं आपको बताता हूं। बैंकिंग विभाग से अनुदेश जारी किए गए हैं कि तमिलनाडु तथा केरल में अब और कोई शाखा न खोली जाये। उनके अनुसार वहां बैंकों की संख्या पहले ही अधिक है। धन जमा उन क्षेत्रों से होता है और व्यय कलकत्ता बम्बई में होता है। मेरा कलकत्ता से कोई झगड़ा नहीं है। मैं चाहता हूं कि यह नीति बदली जाये और अधिकाधिक शाखाएं खोली जायें।

श्री वयालार रवि (चिरयिंकील) : रिजर्व बैंक द्वारा दक्षिण भारत के विरुद्ध भेदभाव करने का यह स्पष्ट मामला है। जिसे हम सहन नहीं करेंगे। हम आन्दोलन करेंगे। आप दक्षिण भारत से खिलवाड़ मत कीजिए।

श्री ए० सी० जार्ज : बैंकिंग विभाग क्रांति पैदा कर रहा है। हमारी मांग है कि जिन बैंकों का मुख्यालय केरल में है उन्हें खाड़ी के देशों में अपनी शाखाएं खोलने की अनुमति दी जाये और तमिलनाडु तथा केरल में नई शाखाएं खोलने पर लगे प्रतिबन्ध को हटा दिया जाये। उनका तर्क यह है कि दक्षिण के विन्ध्या प्रदेश में अधिक बैंकों की जरूरत नहीं है।

देश के चार बड़े-बड़े पत्तनों में कोचीन भी एक है। यह अरब सागर की रानी समझा जाता है। यह खाड़ी देशों तथा समृद्ध देशों की ओर है। इस पत्तन के विकास में बाधा पहुंच रही है क्योंकि इसके इर्द-गिर्द समूहों में समुचित संयोजन नहीं है। बम्बई में उन्होंने अच्छा काम किया है। कोचीन पत्तन के विकास के लिए हमें सहोदरन पुलों की आवश्यकता है। यह नाम एक प्रसिद्ध स्वतंत्रा सेनानी, सहोदरन अय्याप्पन के नाम पर रखा गया है। इन पुलों द्वारा वीपीन द्वीप को वाललारपदम से, वाल्लारपदम द्वीप को मुलावुकद द्वीप से तथा मुलावुकद द्वीप को एरणकुलम द्वीप से जोड़ा जायेगा। इस बारे में एक प्रस्ताव था : परिवहन मंत्रालय ने सुपर टैंकर आयल

टर्मिनल नामक प्रस्ताव रखा था जो कि अधूरा था। इस पर में पहले ही 5-6 करोड़ रुपये व्यय हो चुके थे। किन्तु फिर अकस्मात किसी ने कहा कि यह लाभप्रद नहीं होगा और इसे स्थगित कर दिया गया। यह उचित समय है कि कोचीन पत्तन का विकास किया जाये क्योंकि बम्बई पत्तन पर भीड़ भाड़ अधिक है इसके लिए किसी वैकल्पिक पत्तन की आवश्यकता है और कोचीन पत्तन इसके लिए बिल्कुल उपयुक्त है।

मत्स्य पालन के विकास के लिए कृषि मंत्रालय को अधिक धन देने की आवश्यकता है। इस समय मत्स्य पालन में अनुसंधान करने वाले एकक बिखरे हुए हैं। कृषि मंत्रालय की भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अन्तर्गत मत्स्य पालन की 6 महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। मत्स्य पालन की एकक समूह का विकास किया जाना चाहिए। मैं इस बात पर जोर नहीं देता कि यह शहर के मध्य में ही हो। यह कोचीन तट के समीप किसी उपयुक्तस्थान पर हो सकता है। इसके लिए कृषि मंत्रालय को धन की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि एक बहुत बड़े मत्स्य पालन एकक समूह की स्थापना की जा सके जिसके अन्तर्गत सभी बिखरे हुए एकक लाये जा सके ताकि उनके कार्य में समन्वय स्थापित किया जा सके। नहीं तो अनुसंधान कार्य अलग-अलग स्थानों पर हो रहा हैं। अतः इसका समुन्वित ढंग से पुनर्गठन करना है।

उद्योगों के मामले में केरल के साथ भेदभाव किया जा रहा है।

एक **माननीय सदस्य** पिछले 30 वर्षों में क्या हो रहा था ?

श्री एस० सी० जार्ज : मैं उससे इन्कार नहीं करता। मैं यह नहीं कहता कि इसके लिए केवल जनता सरकार ही जिम्मेदार है। यह पहले से ही चला आ रहा है। हाल ही में एक ही प्रस्ताव किया गया था कि केरल तथा तमिलनाडु की सीमा पर पालघाट नामक स्थान पर दूसरे इन्टेग्राल कोच फैक्ट्री की स्थापना की जायेगी।

श्री वायालार रवि : इसे मेरे निर्वाचन क्षेत्र के राजकोटम क्षेत्र में स्थापित करने का प्रस्ताव था।

श्री ए० सी० जार्ज : हम उसकी भी सोच सकते हैं किन्तु इसे केरल में स्थापित किया जाना है।

श्री हरिकेष बहादुर (गोरख पुर) : उत्तर प्रदेश के बारे में भी तो बोलिए।

श्री ए० सी जार्ज : मैं यह जानता हूं कि यह बहुत ही उपेक्षित राज्य हैं। मजे की बात तो यह है कि मद्रास में इन्टेगल कोच फैक्ट्री 1955 में आरम्भ की गई थी और इसने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रता हासिल कर ली। यह एशिया की बड़ी-बड़ी कोच फैक्ट्रियों में से एक है, इसने निर्यात से ही 12 करोड़ की मुद्रा कमाई है।

मंत्रालय का अनुमान है कि 1983 में हमें 2500 कोचों की आवश्यकता पड़ेगी। अतः यह निर्णय किया गया कि अधिकांश सहायक सामग्री क्वायम्बतूर तथा इसके इर्द-गिर्द के क्षेत्रों से

सप्लाई की जाती है, चूंकि केरल में बिजली पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, चूंकि वहां ताजे पानी की सप्लाई की कोई समस्या नहीं है चूंकि वहां काफी संख्या में निपुण कर्मचारी उपलब्ध हैं, अतः इसकी स्थापना केरल की किसी उपयुक्त स्थान पर की जानी चाहिए। मुझे बताया गया है कि कुछ लोग इसे प्रस्तावित स्थान से कहीं अन्यत्र स्थापित करने के लिए कह रहे हैं। वे अब किसी और स्थल की खोज में हैं। यह केरल के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। केरल के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। मुझे आशा है कि वित्त मंत्री केरल की समस्याओं पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे। कम से कम बैंकों की शाखाएं खोलने पर लगाये गये प्रतिबन्ध को हटा दिया जाना चाहिए केरल में बैंकों की और अधिक शाखाएं खोली जानी चाहिए। यह आपके अपने ही हित में होगा क्योंकि अगले बजट में आपको गंवाने के लिए काफी धन मिल जायेगा।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री) श्री सतीश अग्रवाल) : बीच में बोलने के लिए मुझे क्षमा करें। दक्षिण में बैंकों की शाखाओं के विस्तार पर प्रतिबन्ध से आपका क्या मतलब है। मैं हाल ही में हैदराबाद एक शाखा खोलने के लिए गया।

श्री ए० सी जार्ज : हो सकता है यह निर्णय पिछले वर्ष किया गया हो केरल में राष्ट्रीयकृत बैंकों की नई शाखाएं खोलने पर प्रतिबन्ध है आप पता कीजिए और हमें सही स्थिति बताइये। चूंकि मेरे मित्र ने कहा है कि मैं उत्तर प्रदेश के बारे में भी कुछ कहूं, अतः मैं केवल इतना ही कहता हूं कि उत्तर प्रदेश एक पिछड़ा हुआ राज्य है, और इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।

श्री नर्मदा प्रसाद राय (सागर) : सभापति महोदय, मैं अपनी बात कहने से पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आज मुझे पहली बार बोलने का अवसर मिला है। मैं वित्त विधेयक का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। इस बजट के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के चहुंमुखी विकास के लिए जो धनराशि रखी गई है, उससे जनता में बड़ी खुशी है। लेकिन साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि मिट्टी के तेल पर जो टैक्स लगाया गया है, उससे जनता में बहुत रोष है। मैं वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उन्होंने मिट्टी के तेल पर जो कर लगाया है, वह उसको वापस ले लें, क्योंकि इस देश की जो 80 प्रतिशत जनता देहात में रह रही है, इस कर का बोझ उस पर पड़ा है। अधिकांश गांवों में बिजली न होने के कारण वे लोग अभी भी खेतों और घरों में मिट्टी के तेल का उपयोग कर रहे हैं।

मैं शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जनता पार्टी ने अपने चुनाव-घोषणापत्र में यह वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद हम पब्लिक स्कूलों को समाप्त कर देंगे। दो वर्ष बीत चुके हैं, मगर शिक्षा मंत्रालय ने अभी तक पब्लिक स्कूलों के बारे में कोई नीति निर्धारित नहीं की है और न ही वह पब्लिक स्कूलों को समाप्त करने के बारे में घोषणा कर रहा है।

पब्लिक स्कूलों में पहले भी भ्रष्टाचार होता रहा और आज भी हो रहा है। कांग्रेसी शासन में उन्हीं के रिश्तेदारों और भाई-भतीजों ने ट्रस्टों के नाम से उन स्कूलों को खोला और

वे आज भी सरकार से अनुदान ले रहे हैं । उन स्कूलों में इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि शिक्षकों को पूरा वेतन नहीं मिल रहा है, छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पाती है, वे लोग गलत हिसाब मेनटेन करते हैं । जनता सरकार के समय में भी वहां इस तरह का भ्रष्टाचार पनपा हुआ है । मैं शिक्षा मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह इस बारे में विचार करें और पब्लिक स्कूलों को तत्काल समाप्त कर के सरकार उन्हें अपने हाथ में ले ।

अब मैं अपने क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं । मैं मध्य प्रदेश में सागर सुरक्षित क्षेत्र से चुन कर आया हूं । वह बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है । नाम तो उसका सागर है, परन्तु विकास के मामले में वह बिल्कुल निल है । तीस बरस के कांग्रेसी शासन में वहां कोई विकास नहीं हुआ । सर हरिसिंह गौड़ सागर के थे । उन्होंने डेढ़ करोड़ रुपये की लागत से एक विश्वविद्यालय वहां पर स्थापित किया । वहां पर इतना भ्रष्टाचार पनपा कि उससे वह डेढ़ करोड़ रुपये की राशि तो समाप्त ही हो गई, लेकिन उसको जो अनुदान मिलता है, उसमें भी घपले हो रहे हैं । मैंने कई बार मध्य प्रदेश के राज्यपाल को भी ज्ञापन दिया वहां के भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए । अभी दो महीने हुए, फरवरी में हमारे विश्वविद्यालय के छात्रों ने एक बड़ा व्यापक आंदोलन किया कि केन्द्रीय सरकार इस विश्वविद्यालय को अपने हाथ में ले ले । परन्तु हम बड़ी मुश्किल से उन छात्रों को समझा कर के इस बात पर लाए कि हम इस विश्वविद्यालय के लिए अधिक से अधिक अनुदान दिलायेंगे, यह एक बड़ी कठिन समस्या है कि केन्द्रीय सरकार इसको अपने हाथ में ले, उस के लिए विधेयक बनाना पड़ेगा और उस में समय लगेगा । तो इस विधेयक पर चर्चा करते हुए मैं शिक्षा मंत्री से कहूंगा कि फिर वह स्थिति न आ जाय आन्दोलन की, उस के लिए अधिक से अधिक ग्रान्ट दें क्योंकि यह बजट सत्र चल रहा है ।

दूसरी बात मै यह कहूंगा कि हमारे यहां बीना नदी पर सिन्चाई के लिए बांध बांधा जा रहा था । सागर जिला एक बहुत बड़ा उत्पादन का जिला है । वहां गेहूं और चना इतनी अधिक मात्रा में पैदा होता है कि दूसरे प्रान्तों की भी इस जिले से पूर्ति की जाती है । पांच सात नदियां वहां हैं । इतनी बड़ी-बड़ी नदियों के होते हुए भी आज तक 32 वर्षो में कोई बांध वहां नहीं बांधा गया । अभी जब हम चुन कर के आए तो हम ने उस के लिए प्रयास किया । तो कृषि मंत्री जी के माध्यम से बीना नदी का सर्वे हो रहा था । परन्तु वह सर्वे तीन चार महीने से बन्द है । मैंने कृषि मंत्री को पत्र लिखा था । पत्र में मैं ने पूछा था कि मैं उस क्षेत्र में दौरा करने के लिए गया, राहतगढ़ क्षेत्र वह है जहां बीना नदी पर सर्वे का काम हो रहा था, वह सर्वे बन्द हो गया है, उस का क्या कारण है ? यह योजना अधर में पड़ गई या इस योजना को कैंसिल कर दिया गया ? लेकिन दो महीने हो गए, कृषि मंत्री की तरफ से हमें कोई उत्तर नहीं मिला । हमारे यहां की जनता में बड़ा रोष है । पहले बड़ी खुशी थी, कृषि मंत्री जी ने हमारे एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि बीना नदी पर बांध बंध जाने से सागर जिले की और अन्य कई जिलों की 77 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी । परन्तु वह योजना खटाई में पड़ गई या क्या हो गया, क्यों वह सर्वे बन्द कर दिया गया ? कृषि मंत्री इस का भी स्पष्टीकरण इसी बजट में करेंगे कि उस योजना को वह आगे सफल बना रहे हैं और वह बांध सिंचाई के हक में बांधा जायगा या नहीं ?

मैं उद्योग मंत्री का भी इस ओर ध्यान दिलाऊंगा कि हमारे सागर जिले में और पूरे सागर संभाग में बीड़ी का उद्योग बहुत बड़े पैमाने पर है । मगर वहां मगरमच्छ उद्योगपति उन मजदूरों और गरीबों का शोषण कर रहे हैं जो वहां बीड़ी बनाते हैं । इतना शोषण उनका होता है कि जरदा पत्ती में दाम काट लेते हैं और उन को उन की मेहनत का पूरा पैसा नहीं मिलता । मैं ने मांग की थी अपने प्रश्न के माध्यम से और व्यक्तिगत पत्र लिख कर कि यहां कोई बड़ा भारी उद्योग खोला जाय । हमारे यहां सागर जिले से हमेशा यह मांग आती रही है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों द्वारा हमारे सागर संभार का शोषण हो रहा है, यहां कोई अच्छा उद्योग खोला जाय जिस में तीस चालीस हजार बेकार लोग काम में लग सकें । सागर जिले में बहुत सा जंगल है, पहाड़ है जहां कि बहुत सा कच्चा माल उपलब्ध हो सकता है । मैं ने कुछ स्थान बताए थे कि वहां सर्वे कराया जाय । वहां बहुत सा मैटीरियल मिल सकता है, कारखाने के लिए कच्चा माल मिल सकता है । परन्तु उस की तरफ पहल नहीं की गई । अभी हमारे सागर जिले के एक क्षेत्र हीरापुर का कुछ सर्वे हुआ है तो वहां राक फास्फेट निकला है । परन्तु कारखाने के सम्बन्ध में उद्योग मंत्री जी चुप हैं । मैं ने अपने प्रदेश के मुख्य मंत्री सकलेचा जी से भी बात की थी कि हमारे यहां एक कारखाना वह खोल दें । परन्तु वह चुप रह गए । उन की ऐसी इच्छा दिखाई देती है कि वह उस कारखाने को अपने क्षेत्र की तरफ ले जाना चाहते हैं । इसी प्रकार से हमारे जिले की और हमारे सागर संभाग की हमेशा उपेक्षा होती रही, पूर्व के शासन में भी होती रही । हम आशा करते थे कि जनता सरकार के आने से इस में कुछ बदलाहट आएगी काम की दृष्टि से और उद्योग की दृष्टि से । परन्तु अपने सागर जिले को आज भी हम उपेक्षित देख रहे हैं ।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं । हरिजन आदिवासियों की बहुत बातें की जाती हैं । पहली सरकार भी करती रही और आज हमारी सरकार भी कर रही है । हम देखते हैं कि भूमिहीनों, हरिजन आदिवासियों को जो भूमि वितरित की जाती है उसमें दो ढ़ाई एकड़ का पट्टा उन्हें दिया जाता है । मेरा सुझाव है कि अगर सरकार उन लोगों को रोजगार देना चाहती है तो कम से कम पांच एकड़ जमीन पट्टे पर उनको देनी चाहिए ताकि वे 4-5 लोगों का भरण-पोषण कर सकें । साथ ही सरकार को साधन भी जुटाने चाहिए । बैलों के लिए पैसा देना चाहिए ताकि वे उस भूमि को आबाद कर सकें । अभी दो तीन एकड़ का पट्टा जो उनको मिलता है वह दो तीन साल में पूंजीवाद लोगों के हाथ दो तीन सौ रुपए में वह बेच देते हैं । यह हमारा अनुभव है । इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह राज्य सरकारों को आदेश दे कि भूमिहीनों, हरिजनों आदि-वासियों को भूमि देते समय पांच एकड़ का पट्टा निश्चित रूप से करना चाहिए—इससे कम भूमि नहीं दी जानी चाहिए । अन्त में मैं वित्त मंत्री जी से पुनः अनुरोध करना चाहता हूं कि वे मिट्टी के तेल पर से कर हटा लें ।

इन शब्दों के साथ आपको तथा वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए वित्त विधेयक का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं ।

***श्री ए० मुरुगेसन (चिदम्बरम)** : अण्णाद्रमुक दल की ओर से मैं वित्त विधेयक, 1979 के बारे में कुछ कहना चाहता हूं ।

सर्व प्रथम मैं छोटें पैमाने के उद्योगों के लिए उत्पाद शुल्क छूट सीमा को 30 लाख रुपये से 15 लाख रुपये करने का उल्लेख करूंगा । मैं सरकार के इस विचार की आलोचना करता हूं क्योंकि इससे कई छोटे उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । मैं तमिलनाडु में तिरुपुर में 2000 छोटे हौजरी उद्योगों का उदाहरण देता हूं जो कि सूत की बनियाने आदि बनाते हैं । उत्पाद शुल्क की सीमा कम करने के फलस्वरूप वे सब एकक संकट में पड़ गए हैं । क्या जनता सरकार छोटे उद्योगों की सहायता इसी प्रकार से करना चाहती है ? मेरा सुझाव है कि उत्पाद शुल्क छूट की सीमा पुनः तत्काल 30 लाख रुपये कर दी जाये ताकि बनियाने आदि बनाने वाले छोटे एककों को संकट से बचाया जा सके ।

इसी तरह मैं मशीनीकृत दियासलाई उद्योग पर उत्पाद शुल्क में की गई अंधाधुंध वृद्धि का भी उल्लेख करता हूं । हस्त निर्मित दियासलाई की कीमत 20 पैसे प्रति दियासलाई है और मशीन से बनाई गई दियासलाई की कीमत भी 20 पैसे ही है । हाथ से बनाई गई दियासलाई पर लगाये जाने वाले उत्पाद शुल्क में कोई वृद्धि नहीं की गई है । फिर भी हाथ से दियासलाई बनाने वाले क्षेत्र ने दियासलाई का मूल्य बढ़ा दिया है । विमको ने दियासलाई का मूल्य बढ़ाया है, इसका कारण यह है कि उसमें उत्पाद शुल्क बढ़ाया गया है । किन्तु शिवकाशी, क्वायलपट्टी तथा सत्तूर में स्थित हाथ से दियासलाई बनाने के उद्योगों पर 17 समृद्ध घरानों का अधिकार है । जब सरकार ने उन पर उत्पाद शुल्क नहीं बढ़ाया है तो क्या उनके लिए दियासलाई का मूल्य बढ़ाना उचित है ? उपभोक्ताओं को हानि होती है । इस प्रकार से जुटाये गए संसाधन सरकारी कोष में नहीं जाते । बल्कि वे गैर-सरकारी लोगों के हाथों में जाते हैं । सरकार को इस मामले पर विचार करना चाहिए और स्थिति में सुधार करना चाहिए । सरकार को दियासलाई के इन छोटे-छोटे एककों को प्रोत्साहन देना चाहिए ।

1979-80 के बजट में छोटे पैमाने के क्षेत्र पर भी कर लगाया गया है । पहले वे कर से मुक्त थे । यह वित्तीय व्यवस्था छोटे उद्योगों के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं होगी । उन्हें कर से मुक्त किया जाना चाहिए ।

पेंशन नियमों में तत्काल सुधार करने की आवश्यकता है । जो लोग 1973 से पहले सेवा निवृत्त हुए हैं, वे बहुत संकट में हैं । पेंशन अधिनियम समुचित ढंग से संशोधन किया जाना चाहिए ।

सरकार को देश के अशिक्षित युवा बेरोजगारों को बेरोजगार भत्ता मंजूर करना चाहिए । यदि उनकी सहायता नही की गई तो स्थिति विस्फोटक बन जायेगी ।

क्वायंबतूर में 200 से अधिक ढलाईघर इस्पात की कमी के कारण बन्द होने की स्थिति में

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतरण ।

पहुंच गए हैं। एक ओर वित्त मंत्री ने उत्पाद शुल्क छूट की सीमा 30 लाख से कम करके 15 लाख कर दी है जबकि दूसरी ओर इस्पात मंत्री इस्पात के मूल्य में 50 प्रतिशत की वृद्धि कर रहे हैं। छोटे उद्योगों की सहायता करने का यह तरीका नहीं है। जनता सरकार छोटे उद्योगों के विकास के बारे में बहुत कुछ कहती है, किन्तु वास्तविकता यह है कि वे केवल कोरी सहानुभूति दिखाते हैं। सरकार को इन छोटे उद्योगों की सहायता के लिए कार्य-प्रधान कार्यक्रम कार्यान्वित करने चाहिएं। कथनी तथा करनी में जो अंतर है, वह दूर किया जाना चाहिए।

कई एकाधिकार कम्पनियां अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए लाभांश का दुर्विनियोजन कर रही हैं। सरकार को इन कम्पनियों के लाभांश पर भारी कर लगाना चाहिए।

अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं यह कहना चाहूंगा कि लघु उद्योग सेवा संस्थानों को मजबूत किया जाये ताकि वे छोटे उद्योगों की बेहतर सेवा कर सकें। इस समय ये संस्थान कुछ नहीं कर रहे हैं और इनमें काम कर रहे कर्मचारी बिना किसी काम के वेतन ले रहे हैं। इन संस्थानों को मजबूत किया जाना चाहिए ताकि वे छोटे उद्योगों की समुचित सहायता कर सकें।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री जी० वाई० कृष्णन् (कोलार) : सभापति महोदय, मुझे डर है कि बजट के पश्चात कीमतों में वृद्धि होने से मुद्रास्फीति पुनः पनप जायेगी और इसका हमारी अर्थ व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। पहले मुद्रा स्फीति पर काफी हद तक नियंत्रण पा लिया गया था।

देश में भारी मात्रा में उपलब्ध जनशक्ति को उपयोग में नहीं लाया जा रहा है। उदाहरण के लिए कोलार स्वर्ण क्षेत्रों में श्रमिक बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं। हाल ही में राज्य सभा में यह घोषणा की गई है कि कोलार स्वर्ण क्षेत्रों में काम ठप्प होने वाला है और 10-15 वर्षों में स्वर्ण खानों के बन्द हो जाने की संभावना है। इनके बन्द हो जाने से इन श्रमिकों को बेरोजगार होना पड़ेगा जिन्होंने इन खानों में अपने खून पसीने की मेहनत से सोने का उत्पादन किया है। सरकार उस सोने को बाजार मूल्य पर भी नहीं लेती है। सरकार उस सोने को पुराने आई.एम.एफ. मूल्य पर कम्पनी से खरीदती है। कम्पनी को प्रतिवर्ष बाध्य होकर घाटा दिखाना पड़ता है। वैसे कम्पनी को राज सहायता दी जाती है किन्तु उससे प्रयोजन विशेष रूप से सिद्ध नहीं होता।

श्रमिकों को पीढ़ियों से बहुत संकटों तथा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं यह मामला प्रश्नों तथा अन्य रूपों में उठाता आ रहा हूं। उनके पास रहने के लिए उपयुक्त घर नहीं हैं। वे गंदगी में रहते हैं। कम्पनियां उन्हें जो चिकित्सा सुविधाएं देती हैं, वे प्रायः नगण्य होती है क्योंकि उनके पास इसके लिए पर्याप्त धन नहीं होता। श्रमिक इत नीकठिनाइयों का सामना करने के बावजूद भी देश को इतना सोना दे रहे हैं, जिससे हमारा देश बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा कमा रहा है। यदि 10-15 वर्षों में सोने की ये खानें बन्द हो जायेंगी। तो हजारों श्रमिक बेरोजगार हो जायेंगे। सोने का उत्पादन करने में उनकी इतनी लम्बी सेवा करने तथा इतना खून पसीना बहाने के बाद भी वे बेघरबार हो जायेंगे।

दुर्भाग्य से इनमें से 98 प्रतिशत श्रमिक अनुसूचित जातियों के हैं। सरकार ने सभा में तथा बाहर कई स्थानों पर अनुसूचित जातियों के लोगों का उत्थान करने का वचन दिया है। किन्तु कोलार स्वर्ण खानों में काम कर रहे अनुसूचित जातियों के श्रमिकों की आज भी दयनीय स्थिति है। जब ये खानें बंद होंगी तो उस समय बहुत से श्रमिक अपनी सेवा के अंतिम दिनों में होंगे और कई अपनी सेवा के आरम्भ में। इन दोनों ही वर्गों के लोगों को बहुत कठिनाइयां होंगी, इतना ही नहीं उनके बच्चे भी कठिनाई में पड़ जायेंगे। उन श्रमिकों को अपने बच्चों की पढ़ाई तथा विवाह आदि के बारे में कठिनाइयां होंगी। जब उनके पास रहने के लिए घर नहीं होगा तथा जीविका का कोई साधन नही होगा तो उनकी परेशानियां बढ़ जायेंगी। बार-बार मेरी इस मांग के बावजूद भी उन्हें रहने के लिए घर तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं की जा रही हैं।

इन खानों के बंद हो जाने पर इन श्रमिकों का चरणवार ढंग से पुनर्वास किया जाना चाहिए अन्यथा उनकी दुर्गति होगी। उस क्षेत्र में असंख्य श्रमिक हैं। वहां की जनसंख्या 2 लाख से कुछ अधिक है, जिनमें से श्रमिकों की संख्या एक लाख से कम नहीं होगी। उन लोगों को रोजगार देने के लिए केन्द्रीय सरकार को वहां तत्काल भारी उद्योग स्थापित करना चाहिए। यह कार्य अभी से आरम्भ कर दिया जाना चाहिए। उनके पुनर्वास का काम अभी से आरम्भ कर दिया जाना चाहिए। यह कहा जा सकता है कि इस उद्देश्य के लिए भारत अर्थमूवर्स ने कार्य आरम्भ कर दिया है। उद्देश्य इसका भी कोलार स्वर्ण खानों के श्रमिकों का पुनर्वास करना है। किन्तु भारत अर्थमूवर्स में स्वर्ण खानों के 20 प्रतिशत श्रमिकों का भी पुनर्वास नहीं किया गया है। अतः वहां किसी भी प्रस्तावित उद्योग के आरम्भ करने में इस बात की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। स्थानीय श्रमिकों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उसमें 90 प्रतिशत से भी अधिक स्थानीय श्रमिकों को लिया जाना चाहिए। समयबद्ध-कार्यक्रम के अनुसार हमें उन श्रमिकों का समुचित उपयोग करना चाहिए और उन्हें मकान आदि देने चाहिएं।

किसी भी उद्योग को आरम्भ करने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता पानी और परिवहन की होती है। जहां तक जल का सम्बन्ध है, उस क्षेत्र में पानी का संकट है। इस कमी को वहां कुछ परियोजनाएं आरम्भ करके दूर किया जा सकता है। इसके लिए केन्द्रीय सरकार को धन की व्यवस्था करनी चाहिए। क्योंकि उस क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार के ही उद्योग हैं, अतः केन्द्रीय सरकार को वहां के लिए धन की व्यवस्था करनी चाहिए।

जहां तक परिवहन का सम्बन्ध है, बंगलौर से मद्रास तक एक दुहरी लाइन या एक समानान्तर लाइन के निर्माण का प्रस्ताव है। बंगलौर से बंगरापेट तक दुहरी लाइन का निर्माण हो चुका है, बंगरापेट से कुप्पम तक अभी इसका निर्माण होना है। वर्तमान लाइन का, जो के.जी.एफ. होकर जा रही है, उपयोग भरी कुप्पम तथा विशानाथम को मिलाकर दूसरी लाइन के रूप में किया जा सकता है। इनकी दूरी केवल 3 मील है। इस तीन मील की दूरी को मिलाने से व्यय में ही कमी नहीं होगी बल्कि यह दुहरी लाइन का काम भी करेगी। इससे

परिवहन की समस्या भी हल हो जायेगी और केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए जाने वाले धन को लगाकर भूमिगत जल को बाहर निकाला जा सकता है।

जहां तक अन्य परिवहनों का सम्बन्ध है, वर्तमान छोटी लाइनों को मीटर गेज या बड़ी लाइनों मे बदलने का पहले ही प्रस्ताव है। इनसे गुंटकल या मदनापले रोड को मिलाया जायेगा। इससे प्रयोजन हल होगा तसा श्रमिकों को उद्योगों में लगाया जा सकेगा तथा इससे उस क्षेत्र का विकास हो सकेगा और यह श्रमिकों के लिए ही नहीं बल्कि देश की प्रगति के हित में भी होगा।

श्री राम नरेश कुशवाहा (सलेमपुर) : मैं माननीय उप प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री को सबसे पहले बधाई देता हूं कि आजादी के इतिहास में पहली बार उन्होंने एक उद्देश्यपूर्ण बजट पेश किया है। बजट पहले भी बनते थे, कहां से पैसा आए और उसका क्या करना है इसको पहले भी सोच लिया जाता था लेकिन उसका कोई उद्देश्य नहीं रहता था। लेकिन जहां तक इस बजट का सम्बन्ध है इसका सीधा सीधा उद्देश्य है अमीरी को कम करना, गरीबी को मिटाने की ओर आगे बढ़ना और रोजगार दिलाना। बजट में अमीरों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं पर टैक्स लगाए गए हैं, मशीनीकरण या मशीनों द्वारा तैयार माल पर टैक्स लगाने की व्यवस्था की गई है, जहां पर हाथ से काम होता है वहां पर टैक्सों को हटाया गया है या कम किया गया है। पहली बार ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था की ओर उन्मुख हो कर बजट बनाया गया है। इस वास्ते इसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है।

एक बात मैं कहना चाहता हूं। आप अपने चुनाव घोषणा पत्र को देखें। उस में बिक्री कर समाप्त करने की बात कही गई है। लेकिन अब तरह तरह के बहाने बनाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि राज्य तैयार नहीं हो रहे हैं, इतना इससे घाटा हो जाएगा। मैं कहता हूं जहां चहा वहां राह। आप राह निकाले, चाहिये और चाह कर निकालें।

बाट और माप के बारे में भी मैं एक बात कहना चाहता हूं। आप ने मीटरी प्रणाली, मीटरी बाट चालू किए हैं। हर साल उन पर मुहर लगवाए जाने का नियम आपने बनाया है। अब जो बाट होते हैं उन पर मुहर लगवाने का जो खर्चा होता है वह तो होता ही है लेकिन उसके साथ जो हैरानी और परेशानी होती है वह अलग से होती है। या तो हर साल बाट खरीदो वर्ना जो मुहर लगाने वाले होते हैं वे कुछ लेते हैं और सब बराबर हो जाता है। सब्जी, अनाज आदि के जो बाट हैं उन पर मुहर लगाने का आपने क्यों नियम बना रखा है ? कितने ग्राम वह घिसता होगा ? लोहे के बाट होते हैं उससे कितना फर्क पड़ता होगा ? उतना तो पासंग में ही चला जाता होगा। जबर्दस्ती आप मुहर लगवाते हैं। सोना चान्दी के लिए तो मैं समझ सकता हूं कि मुहर लगवाई जाए हर साल क्योंकि शायद ग्राम में काफी फर्क पड़ जाता हो लेकिन जहां तक सब्जियों, गेहूं, गल्ले और मोटे अनाजों के बाटों का सम्बन्ध है उनके वास्ते हर साल मुहर लगवाने का जो आप ने नियम बनाया है मैं समझता हूं कि यह लालफीताशाही की करामात है, कुछ कमिशन उनका बनता होगा इस वास्ते उन्होंने यह नियम बना दिया है। ऐसा नियम बना कर आप व्यर्थ में व्यापारी को और दूकानदार को परेशान कर रहे हैं। इसको आप समाप्त करें।

सहकारी बैंकों की जो आपने व्यवस्था की है, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि दूसरी जगहों का तो मुझे पता नहीं है लेकिन हमारे यहां जो कर्जा मिलता है वहां पर उस पर ब्याज बहुत अधिक देना पड़ता है। महाजन से जब कर्जा लिया जाता है तो वह सवाए पर मिल जाता है यानि 25 परसेंट पर मिल जाता है और महाजन अगर ऊसर खेत ले लेता है तो एक पैसा भी ब्याज का नहीं लेता है। आपने हमारी सुविधा के लिए, हम को स्वर्ग भेजने के लिए सहकारिता तैयार की है। चौदह परसेंट तो ब्याज वह लेती है और तीस जून तक अगर कर्ज अदा नहीं किया जाता है तो चार परसेंट जुर्माना लगता है और इस तरह से वह 18 परसेंट हो जाता है। दस परसेंट वसूली के नाम पर ले लिए जाते है जिस का कोई हिसाब खाता नहीं होता है। इस तरह से यह 28 परसेंट हो जाता है। गांव का महाजन तो 25 परसेंट, ऊसर खेत दे दें तो एक पैसा भी ब्याज नहीं और आप हमारा इतना भला कर रहे हैं कि हम को सहकारिता से 28 परसेंट पर दिला रहे हैं। यह कौन सी व्यवस्था है ? अब क्या कहें एक कथा है। एक गुरू जी गये अपने चेले के यहां तो वह दो भाई थे एक चेले ने एक पैर ले लिया और दूसरे चेले ने दूसरा पैर ले लिया और दबाने लगे। एक चेले को मजाक सूझी उसने गुरू की टांग में एक तमाचा मार दिया। तो दूसरे चेले ने दूसरे पैर में दो तमाचे मारे। इस प्रकार मार बढ़ती चली गयी। आखिर में एक चेले ने लाठी उठा कर मार दी और गुरू जी का पैर ही टूट गया। तो आप चले थे हम को राहत देने और उल्टे हमारी हजामत बना रहे हैं। उधर बैंक के कर्मचारी रोज हड़ताल करते हैं कि उनकी तनख्वाह बढ़ाओ। और दूसरी तरफ़ उनकी तनख्वाह देख कर दूसरे लोग कहते हैं कि हमारी तनख्वाह भी बढ़ाओ मैं कहना चाहता हूं कि आप अपनी अर्थ-व्यवस्था को जरा सुधारिये।

अब प्रौढ़ शिक्षा पर आप बहुत व्यय कर रहे हैं। एक तरफ तो हमारे भाई प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति जब पढ़ने जाते हैं तो घर से बोरी ले कर जाते हैं, स्कूलों की यह हालत है कि उन पर छत नहीं हैं और कहीं कहीं तो पेड़ की छाया भी नहीं है। और दूसरी तरफ आप बुड्ढों को पढ़ा रहे हैं और प्रौढ़ शिक्षा के नाम पर पैसा फेंक रहे हैं। यह सब जाल बट्टा खत्म कीजिये। उस पैसे से प्राइमरी स्कूल बनाइये और उपकरण दे दीजिये पढ़ने के लिये। कौन कहे कि तिवारी के घर में भूसा है। हमारे नेताओं को प्रौढ़ शिक्षा की सनक सवार है। इसमें रुपया डुबाया जा रहा है जब कि हमारे बच्चों को पढ़ने के लिये ब्लैक बोर्ड तक नहीं है। इस पर पुनर्विचार किया जाय।

दूसरी बात यह कि सारे बजट में हमारे उत्तर प्रदेश के साथ हमेशा से बेइमानी होती आयी है। सौतेले बेटे की तरह व्यवहार होता रहा है। कभी समझा ही नहीं गया कि उत्तर प्रदेश को भी कोई स्थान प्राप्त रहना चाहिये या नहीं। कहने को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हैं लेकिन करेंगे क्या। देश में 289 जिले हैं जिनमें से 29 सबसे पिछड़े हैं। और उसमें से 15 जिले पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं। देश के कुल पिछड़े क्षेत्रों में जितनी आबादी है उसका 17 3 परसेंट आबादी उत्तर प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश में 10.2 परसेंट है, और बाकी सब हमारे आधे, चौथाई और दसवें हिस्से से नीचे हैं। उत्तर प्रदेश के 68 प्रतिशत जिले पिछड़े हैं और उनमें 61

प्रतिशत आबादी पिछड़ी है। 1960-61 में देश की प्रति व्यक्ति आय 230 रु० थी, उस समय उत्तर प्रदेश की आय 261.33 रु० थी और पूर्वी जिलों में इतनी असमानता थी कि उनमें 168 रु० प्रति व्यक्ति आय थी। 1962 में 250 रु० और 1974 में घट कर 198 रु० हो गई। ज्यों ज्यों आपकी योजनायें बढ़ती गयीं सरकार ने गरीबी मिटाने का उपाय किया, उतना ही हम गरीब होते चले गये। 1950-51 में 1948-49 के भाव पर जहां पूरे देश की प्रति व्यक्ति आय 247.50 रु० थी वहां उत्तर प्रदेश में 260 रु० थी। लेकिन 1968-69 में जहां देश की प्रति व्यक्ति आय 315 थी वहां पर उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति घट कर 249.50 रु० हो गई। सारा देश तरक्की कर रहा है और हम पिछड़ रहे हैं। 1950-51 में सारे देश की प्रति व्यक्ति आय 247.50 रु० थी और उत्तर प्रदेश की 259.62 रु० प्रति व्यक्ति आय थी। लेकिन 1961 में सारे देश की आय 310 रु० थी और उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय घट कर 245.88 हो गई। 1965-66 में 315.30 पैसे थी सारे देश की प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय घट कर के हो गई 244 56 रु० 1970 में और घट गया। जहां सारे देश की आय 450 रुपये प्रति व्यक्ति हो गई वहां उत्तरप्रदेश की 253 रुपये रह गई। इस प्रकार जहां से योजना चली, वहां पर हमारी आमदनी घटते-घटते आधी हो गई।

जनसंख्या 1962 के हिसाब से 362 आदमी प्रति वर्गमील देश की है, उत्तरप्रदेश की प्रति वर्गमील 650 है और अकेले हमारे जिले की 1250 के ऊपर है। प्रति वर्गमील जनसंख्या का घनत्व वहां पर बढ़ा है।

औद्योगिक प्रतिशत क्या है ? जहां प्रति लाख 935 व्यक्ति, सारे देश में औद्योगिक श्रमिक हैं, वहां उत्तरप्रदेश में केवल 481 हैं, यानी लगभग आधा है।

सहायता में भी पक्षपात होता है। अभी वहां बाढ़ की सहायता बांटी गई थी। आपकी रिपोर्ट में तमिलनाडु में कुल 80 लाख हैक्टर में बाढ़ से नुकसान हुआ, उत्तरप्रदेश में 38.80 लाख हैक्टर और पश्चिम बंगाल में 13.28 लाख हैक्टर। जनसंख्या प्रभावित हुई तमिलनाडु में 20 लाख 64 हजार, उत्तरप्रदेश में 225 लाख और पश्चिम बंगाल में 152 लाख 55 हजार। सहायता कितनी मिली ? तमिलनाडु में 24 करोड़ 51 लाख, उत्तरप्रदेश में 73 करोड़ 62 लाख और पश्चिम बंगाल में 88 करोड़ 93 लाख। अर्थात् कुल बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रफल का 8 प्रतिशत तमिलनाडु में, 38 प्रतिशत उत्तरप्रदेश में और 13 प्रतिशत पश्चिम बंगाल में और प्रभावित जनसंख्या का तमिलनाडु में 3 प्रतिशत, उत्तरप्रदेश में 34 प्रतिशत और पश्चिम बंगाल में 23 प्रतिशत। परन्तु सहायता का अनुपात क्या है ? उत्तरप्रदेश का 1 है, पश्चिम बंगाल का 3, और तमिलनाडु का 15 है।

इस तरह विषमतापूर्ण जो हमारे साथ व्यवहार कर रहे हैं, क्या इसका कोई औचित्य है ?

मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि कुछ तो आप कृषि-जन्य वस्तुओं का ख्याल कीजिए। बार-बार सरकार कहती है कि उत्पादन बढ़ाओ, उत्पादन बढ़ाओ लेकिन जब हम उत्पादन बढ़ा देते

हैं तो लावारिस हो जाते हैं। फिर कोई मां-बाप उसका नहीं है। चीनी का उत्पादन बढ़ाया, कोई पूछने वाला नहीं, आलू, तम्बाकू और कपास का उत्पादन बढ़ाया कोई पूछने वाला नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि यह आप बे डंडे की फौज और वे मेह की बोरी, काहे को कर रहे हैं।

अन्त में एक बात और कहना चाहता हूं। धर्मादा हर जगह कटता है और कितने ही व्यापारियों का सम्पूर्ण व्यापार आज धर्मादा से ही चल रहा है आप धर्माध खाते को वृक्ष कीजिए, धर्माद में कितना रुपया किसने आज तक काटा है, उसका हिसाब लीजिए और सारा रुपया लेकर धर्म का काम आप खुद करिए, बजाय इसके कि उन सेठों के हाथ में छोड़ दीजिए। मेरी निजी जानकारी है कि हमारे छोटे से कस्बे में कई व्यापारियों का पूरा व्यापार, मकान, बगीचा सब पूरा का पूरा धर्मादा और धर्मशाला है।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उग्रसेन (देवरिया) : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री के इस बजट का समर्थन करता हूं लेकिन मैं सरकार का और वित्त मंत्री महोदय का ध्यान दो-तीन बातों की ओर खींचना चाहता हूं।

पहली बात यह कहना चाहता हूं कि जहां से मैं आता हूं देवरिया जिले से, वहां पूरा पूर्वांचल बहराइच से लेकर बलिया तक बहुत पिछड़ा हुआ है। गुजिश्ता 30 सालों में उसके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए हमने बहुत लड़ाई लड़ी और मैं 10,15 बरस से यह काम कर रहा हूं कि वहां जो बाढ़ का इलाका है जिसमें तीन प्रमुख नदियां हैं, शारदा, घाघरा और राप्ती, अगर इन नदियों की बाढ़ समाप्त हो जाये तो पूर्वांचल के साढ़े 3 करोड़ लोगों की गरीबी मिट जाये।

मैं प्रधान मंत्री को और विदेश मन्त्री को धन्यबाद देता हूं कि ये नैपाल गये और वहां उन्होंने पंचेश्वर शारद के लिए, करनाली घाघरा के लिए और भालूवंग राप्ती के लिए, इन तीन योजनाओं की मंजूरी एक तरह से ले ली।

दोनों देशों के इंजीनियरों की एक संयुक्त सरवे टीम बन गई और वहां सर्वेक्षण हो रहा है। नेपाल के प्रवक्ता ने तीन दिन पहले काठमांडू में कहा है कि हम करनाली योजना के लिए वर्ल्ड बेंक को दरखास्त दे कर उससे पैसा ले रहे हैं। लेकिन हमारे सिंचाई मंत्री ने हमें लिख कर जवाब दिया है कि हमने वर्ल्ड बेंक को दरखास्त नहीं दी है। इस बारे में भी कहीं लुंबिनी जैसा हाल न हो जाए। यू० एन० ओ० उसके विकास के लिए पैसा देता है। नेपाल कहता है कि हम बनायेंगे और हम कहते हैं कि वह महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली है, हम बनायेंगे।

अगर केन्द्रीय सरकार ने पूर्वांचल का विकास करना है. वहां के गरीब लोगों की साढ़े तीन आने रोज की आमदनी को कम से कम एक रुपये तक लाना है, तो इन तीनों योजनाओं के बारे में वह पूरी मदद दे, वह नेपाल सरकार से बातचीत करें और करनाली योजना का काम प्रारंभ कर दे।

जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है, हम लोग अनुसंधान से परेशान हैं। दुनिया के दूसरे लोग चन्द्रलोक, शुक्र और सूर्यलोक में पहुंच रहे हैं। लेकिन हमारे यहां क्या स्थिति है ? आपको जान कर आश्चर्य होगा कि आई० सी० ए० आर०—इंडियन कौंसिल आफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, सी० एस० आई० आर०, बरेली का आई० वी० आर० आई०—इंडियन वेटेरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट् कानपुर और बम्बई के आई० आई० टी० आदि रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में वैज्ञानिक खोज का प्रबन्ध गांव समाओ और को-आपरेटिव सोसायटियों की तरह चलाया जा रहा है। वहां फर्जी बोर्ड बने हुए हैं।

कानपुर और बम्बई के आई० आई० टी० में बंगलिंग है। हमने इस बारे प्रश्न उठाया है। आई० आई० टी०, कानपुर में रजिस्ट्रार ने जब भ्रष्टाचार का सवाल उठाया, तो डायरेक्टर ने उनको मुअत्तिल कर दिया। अगर सरकार इन संस्थानों को ठीक तरह से लाना चाहती है, तो वह उन्हें कानून के अन्तर्गत लाये। जहां तक सी० एस० आई० आर० का सम्बन्ध है, मेनन साहब साइंस एंड टेकनालोजी विभाग के सैक्रेटरी भी हैं और सी० एस० आई० आर० के डायरेक्टर भी हैं। सरकार को इस संस्था के लिए कोई और आदमी नहीं मिला है। उसके लिए अगला डायरेक्टर होना चाहिए। वहां पर करोड़ों रुपये का घपला है। बरेली के आई० वी आर० आई० के 17 प्रोफेसर रो रहे हैं और हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे हैं। मेरे पास देहरादून से चिट्ठी आई है कि वहां पर पेट्रोलियम रिसर्च इंस्टीट्यूट् के वैज्ञानिकों की बुरी हालत हैं।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रख सकते है।

कार्य मंत्रणा समिति 33 वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : श्री मान, मैं कार्य मंत्रणा समिति का 33 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

इसके पश्चात लोक सभा गुरुवार, 26 अप्रैल, 1979
6 बैशाख, 1901 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।